भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एनएचपीसी
NHPC

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

निगम का दृष्टिकोण

दक्ष, उत्तरदायी और उन्नत मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के संधारणीय विकास हेतु एक वैश्विक रूप से अग्रणी संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वच्छ विद्युत के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक-आर्थिक रूप से उत्तरदायी तरीके से कुशल और दक्ष अनुबंध प्रबंधन और उन्नत अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से परियोजनाओं को निष्पादित ओर प्रचालित करना।
- मानव पूंजी की पूर्ण संभाव्यता का लाभ लेने के लिए उसे विकसित, पोषित तथा सशक्त बनाना।
- एक सशक्त कारपोरेट पहचान बनाने के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और दक्ष मूल्य आधारित प्रबंधन को अपनाना तथा कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यावरण तथा समाज के लिए अधिक सरोकार रखना।
- प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से नवाचारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।

श्री आर.के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, 997.75 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश भुगतान एडवाइस को श्री आर. के. सिंह, माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को दिनांक 02.03.2023 को नई दिल्ली में सौंपते हुए। साथ में श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री आशीष उपाध्याय, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, श्री अजय तिवारी, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय, श्री मोहम्मद अफजल, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय, श्री आर.पी. गोयल, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी और श्री एस.एन. उपाध्याय, कार्यपालक निदेशक (वित्त), एनएचपीसी उपस्थित हैं।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल	2
संदर्भ सूचना	3
महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार	5
अध्यक्षीय वक्तव्य	7
एनएचपीसी का निष्पादन	11
निदेशकों का प्रोफाइल	12
एनएचपीसी के पावर स्टेशन	17
वार्षिक आम बैठक की सूचना	18
निदेशकों की रिपोर्ट	37
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	125
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	137
निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	143
निगमित अभिशासन संबंधी प्रमाण–पत्र	169
व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	172
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	210
सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	211
वित्तीय विवरण	230

समेकित

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	386
वित्तीय विवरण	398

निदेशक मंडल
(31 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार)

श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)

श्री बिश्वजीत बासु
निदेशक (परियोजनाएं)

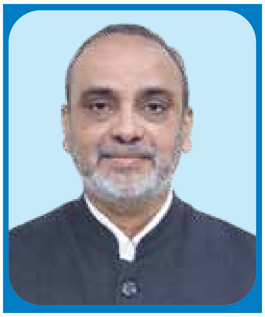

श्री उत्तम लाल
निदेशक (कार्मिक)

श्री मोहम्मद अफजल
सरकारी नामिती निदेशक

डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. (डॉ.) अमित कंसल
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. (डॉ.) रश्मि शर्मा रावल
स्वतंत्र निदेशक

श्री जीजी जोसफ
स्वतंत्र निदेशक

श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
टेलीफोन : +91 0129 2588500, + 910 129 2588110
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
सीआईएन : L40101HR1975GOI032564

कंपनी सचिव

श्रीमती रुपा देब

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी. सी. बिंदल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
कृष्ण निवास,
मकान सं. 153,
राजबाग, श्रीनगर-190001

मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कंपनी, एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
3/15, चौथा तल, आसफ अली रोड,
निकट डिलाइट सिनेमा, नई दिल्ली-110002

मैसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
60, बेंटींक स्ट्रीट,
कोलकाता-700069

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स
सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन शाहदरा,
नई दिल्ली-110032

मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स
103, अग्रवाल टावर, एच-6, नेताजी सुभाष प्लेस,
पीतमपुरा, दिल्ली-110034

मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी
16, कुतुब व्यू अपार्टमेंट्स,
कुतुब क्लेरियन होटल के सामने,
शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

मैसर्स आर. एम, बंसल एंड कंपनी
फ्लैट नं 260, पॉकेट-ए,
सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

मैसर्स के. जी गोयल एंड कंपनी
प्लॉट नं. 8, चित्रगुप्त नगर प्रथम, ज्योति नगर,
रेलवे क्रासिंग, जयपुर, राजस्थान-302005

मैसर्स एजेएस एंड एसोसिएट्स
5, बंगाली मुहल्ला, करनपुर
देहरादून, उत्तराखंड-248001

मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी
126-डी, सत्येन रॉय रोड कोलकाता,
पश्चिम बंगाल-700034

मैसर्स वाई एस ठाकर एंड कंपनी
नीमा कॉलोनी, स्टेशन रोड
बराकर, जिला बर्दवान
आसनसोल, पश्चिम बंगाल-713324

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव
डी-427, दूसरा तल, पालम एक्सटेंशन,
रामफल चौक, सेक्टर-7,
द्वारका, नई दिल्ली-110075

आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री कुप्पिले लक्ष्मणन आचार्युलु,
महाप्रबंधक (वित्त)-आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिन्द्रा बैंक
यस बैंक लि.
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
केनरा बैंक
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक
आरबीएल बैंक
आईडीबीआई बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

इक्विटी शेयरों हेतु:
अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055
दूरभाषः 011 4254 1234, 011 2354 1234
फैक्सः 011 4254 1201, 011 2355 2001
ई–मेलः alankit.nhpc@alankit.com
टोल फ्री नंबरः 18601212155

कर मुक्त बॉण्ड हेतुः
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
सेलेनियम टावर बी, प्लाट सं. 31-32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद
रंगारेड्डी, तेलंगाना-500032
दूरभाष नं.: 040 6716 2222
ई–मेल : einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट : www.kfintech.com

अन्य बॉण्ड हेतुः
आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
बी-25/1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II
नई दिल्ली-110020
दूरभाष सं.: 011-26387320, 26387321
ई–मेल : investor.service@rcmcdelhi.com
वेबसाइटः www.rcmcdelhi.com

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री सत्येंद्र नाथ उपाध्याय,
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

प्रतिभूतियों का सूचीकरण

शेयर और कर मुक्त बॉण्ड्स :

बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निजी स्थापन पर जारी अन्य बॉण्ड्स (थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत)

'वाई1', 'एए' 'एए1' 'एबी' 'एसी' और 'एडी' सीरीज बॉण्ड - बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

'वी2' और 'डब्ल्यू2' सीरीज बॉण्ड - बीएसई लिमिटेड
अन्य सभी बॉण्ड – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपोजिरीज

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

9 प्रतिशत पी सीरीज बॉण्ड,
9.25 प्रतिशत क्यू सीरीज बॉण्ड,
कर मुक्त बॉण्ड
एनएचपीसी 2013
(8.18 प्रतिशत 1ए सीरीज,
8.43 प्रतिशत 1बी सीरीज,
8.54 प्रतिशत 2ए सीरीज,
8.79 प्रतिशत 2बी सीरीज,
8.67 प्रतिशत 3ए सीरीज
8.92 प्रतिशत 3बी सीरीज),
8.49 प्रतिशत एस1 सीरीज बॉण्ड,
8.54 प्रतिशत एस2 सीरीज बॉण्ड,
8.50 प्रतिशत टी सीरीज बॉण्ड,
7.52 प्रतिशत वी2 सीरीज बॉण्ड,
7.35 प्रतिशत डब्ल्यू2 सीरीज बॉण्ड,
8.65 प्रतिशत एक्स सीरीज बॉण्ड और
8.12 प्रतिशत भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड,
7.50 प्रतिशत वाई सीरीज बॉण्ड,
7.38 प्रतिशत वाई1 सीरीज बॉण्ड,
7.13 प्रतिशत एए सीरीज बॉण्ड,
6.89 प्रतिशत एए1 सीरीज बॉण्ड,
6.80 प्रतिशत एबी सीरीज बॉण्ड

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग,
भूतल, सर पी.एम. रोड,
फोर्ट मुम्बई,
महाराष्ट्र-400001, भारत
दूरभाष : 022 40807000
+91 7208822299
ई–मेल : itsl@idbitrustee.com

8.70 प्रतिशत आर1 सीरीज बॉण्ड
8.85 प्रतिशत आर2 सीरीज बॉण्ड
8.78 प्रतिशत आर3 सीरीज बॉण्ड
8.24 प्रतिशत यू सीरीज बॉण्ड
8.17 प्रतिशत यू1 सीरीज बॉण्ड
6.86 प्रतिशत एसी सीरीज बॉण्ड
7.59 प्रतिशत एडी सीरीज बॉण्ड

एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
चौथा तल, मिस्त्री भवन,
122, दिनशा वाचा मार्ग,
चर्चगेट, मुंबई–400020
टेलीफोन : +91 22 43025555/66
ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (एकल लेखे)

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
ए	ऊर्जा की बिक्री	9,124.85	8,180.57	8,094.06	8,301.03	8,095.13
बी	अन्य प्रचालनरत आय, विद्युत के व्यापार से राजस्व और संविदाओं से राजस्व, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य	191.49	128.65	412.52	434.38	66.05
सी	अन्य आय	834.56	1,026.18	1,150.81	1,036.18	924.78
डी	**कुल आय (ए)+(बी)+(सी)**	**10,150.90**	**9,335.40**	**9,657.39**	**9,771.59**	**9,085.96**
ई	विद्युत ट्रेडिंग की खरीद	-	-	212.37	234.13	12.68
एफ	उत्पादन व्यय	936.46	841.24	854.37	901.67	796.85
जी	कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,301.35	1,440.78	1,409.26	1,515.52	1,704.65
एच	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,145.44	1,126.22	1,234.50	1,545.34	1,589.99
आई	वित्त लागत	476.16	531.75	649.59	795.42	894.88
जे	अन्य व्यय	1,707.89	1,348.55	1,425.89	1,514.95	1,165.53
के	**कुल व्यय (ई)+(एफ)+(जी) +(एच)+(आई) + (जे)**	**5,567.30**	**5,288.54**	**5,785.98**	**6,507.03**	**6,164.58**
के1	अपवादात्मक मद	-	-	185.00	-	-
एल	कर पूर्व लाभ और दर विनियमित आय (डी) –(के)– (के1)	**4,583.60**	**4,046.86**	**3,686.41**	**3,264.56**	**2,921.38**
एम	वित्त लागत के कारण दर विनियमित आय	-	-	78.10	157.61	76.78
एन	अन्य के कारण दर विनियमित आय	(144.41)	(1,270.42)	148.99	186.00	746.62
ओ	**कुल दर विनियमित आय (एम) +(एन)**	**(144.41)**	**(1,270.42)**	**227.09**	**343.61**	**823.40**
पी	**कर पूर्व लाभ (एल) +(ओ)**	**4,439.19**	**2,776.44**	**3,913.50**	**3,608.17**	**3,744.78**
क्यू	आयकर व्यय					
क्यू–1	वर्तमान कर	760.72	726.23	714.17	602.40	649.78
क्यू–2	आस्थगित कर	(155.32)	(1,487.50)	(34.04)	(1.40)	464.45
आर	**कर पश्चात लाभ (पी) – (क्यू)**	**3,833.79**	**3,537.71**	**3,233.37**	**3,007.17**	**2,630.55**
एस	**अन्य व्यापक आय**	**(3.37)**	**12.76**	**7.20**	**(0.62)**	**(12.41)**
टी	**कुल व्यापक आय (आर) + (एस)**	**3,830.42**	**3,550.47**	**3,240.57**	**3,006.55**	**2,618.14**
यू	प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
वी	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (10/- रुपये प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03
डब्ल्यू	अन्य इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	25,362.93	23,441.07	21,602.28	19,938.78	19,169.70
एक्स	पट्टा दायित्व सहित दीर्घावधिक/गैर–वर्तमान उधार	25,266.39	23,179.49	21,241.22	20,889.74	17,044.63
वाई	अन्य दीर्घावधिक देयता और दीर्घावधिक प्रावधान	4,138.55	4,162.25	4,117.32	4,169.54	3,910.44
जेड	आस्थगित कर देयताएं	1,937.34	2,100.74	3,589.36	3,641.19	3,610.63
जेड1	विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	923.20	1,313.27	-	-	-
एए	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, निवेश संपत्ति और उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	20,068.30	20,815.27	20,924.54	23,295.52	23,851.84
एबी	चल रहे पूंजीगत कार्य	25,315.01	20,573.84	17,754.48	16,097.65	14,898.11
एसी	निवेश (गैर–वर्तमान)	5,546.96	5,414.34	3,921.68	3,400.74	2,361.66
एडी	अन्य दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	9,669.38	9,283.85	9,421.25	7,397.07	6,428.38
एई	विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	6,420.12	6,948.11	7,063.31	6,836.22	6,492.61
एएफ	कार्यशील पूंजी	653.67	1,206.44	1,509.95	1,657.08	(252.17)
एजी	पट्टा दायित्वों सहित दीर्घावधिक उधारों की वर्तमान परिपक्वताओं सहित अल्पावधिक उधार	2,888.04	2,851.03	2,121.56	2,334.09	2,011.16
एएच	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के निमित्त देय राशि	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20
एआई	**निवल मूल्य (वी)+(डब्ल्यू)**	**35,407.96**	**33,486.10**	**31,647.31**	**29,983.81**	**29,214.73**
एजे	**नियोजित पूंजी (एक्स+जेड+एजी+एएच+एआई)**	**67,516.93**	**63,634.56**	**60,616.65**	**58,866.03**	**53,898.35**
एके	**अदा किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) (टिप्पणी 1 देखें)**	**1,908.56**	**1,667.48**	**1,577.07**	**1,938.69**	**1,000.46**
एएल	**मूल्य अभिवृद्धि (टिप्पणी 2 देखें)**	**7,362.14**	**5,875.19**	**7,128.75**	**7,605.62**	**8,006.09**

	वितरणः—					
(i)	**कर्मचारियों को**	**1,301.35**	**1,440.78**	**1,409.26**	**1,515.52**	**1,704.65**
(ii)	**पूंजी प्रदाताओं को**					
	– वित्त लागत	476.16	531.75	571.49	637.81	818.10
	– लाभांश (भुगतान के आधार पर) **(टिप्पणी 1 देखें)**	1,908.56	1,667.48	1,577.07	1,938.69	1,000.46
(iii)	**सरकार को—आयकर और लाभांश कर (टिप्पणी 3 देखें)**	**760.72**	**726.23**	**714.17**	**901.18**	**798.35**
(iv)	**व्यापार में प्रतिधारित**					
	– मूल्यह्रास	1,145.44	1,126.22	1,234.50	1,545.34	1,589.99
	– प्रतिधारित आय **(टिप्पणी 3 देखें)**	1,769.91	382.73	1,622.26	1,067.08	2,094.54
	अनुपात	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ **(टिप्पणी 4 देखें) (% में)**	6.70	7.26	7.40	7.21	8.47
	निवल मूल्य पर प्रतिलाभ **(टिप्पणी 5 देखें) (% में)**	11.13	10.87	10.50	10.16	9.14
	प्रचालनरत लाभ अनुपात **(टिप्पणी 6 देखें) (% में)**	42.52	43.74	42.16	37.38	40.25
	निवल लाभ अनुपात (आर)/(क+ख) **(टिप्पणी 7 देखें) (% में)**	41.15	42.58	38.01	34.43	32.23
	प्रति शेयर बही मूल्य **(टिप्पणी 8 देखें)**	35.25	33.34	31.51	29.85	29.08
	प्रति शेयर अर्जन **(टिप्पणी 9 देखें)**	3.82	3.52	3.22	2.99	2.57
	प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम+वर्ष के लिए प्रस्तावित)	1.85	1.81	1.60	1.50	1.46
	ऋण इक्विटी अनुपात [(एक्स)+(एजी)+(एएच)]/(एआई) **(टिप्पणी 10 देखें)**	0.85	0.84	0.80	0.84	0.72
	वर्तमान अनुपात **(टिप्पणी 11 देखें)**	1.09	1.20	1.27	1.28	0.96
	अर्जन अनुपात की कीमत **(टिप्पणी 12 देखें)**	10.52	7.90	7.57	6.67	9.63
	ईबीआईटीडीए	5,743.43	5,588.13	5,776.69	5,648.36	5,625.51
	ऋण सेवा कवरेज अनुपात **(टिप्पणी 13 देखें)**	4.05	3.62	3.15	3.01	2.72
	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात **(टिप्पणी 14 देखें)**	8.21	7.18	6.85	6.47	6.12
	प्रचालनरत कार्य निष्पादन	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
	उत्पादन (एमयू)	24907	24855	24471	26121	24193
	क्षमता (मेगावाट में)	5551.2	5551.2	5551.2	5551.2	5551.2
	संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	88.75	88.19	85.76	84.04	84.84
	जनशक्ति (संख्या)	4776	5092	5569	6131	6753

टिप्पणीः—1 क्रम संख्या—"एके" पर लाभांश वर्ष के दौरान भुगतान किया गया वास्तविक लाभांश है।

टिप्पणीः—2 मूल्य अभिवृद्धि = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास और परिशोधन + कर्मचारी हितलाभ व्यय + लाभांश वितरण कर।

टिप्पणीः—3 मूल्य अभिवृद्धि के वितरण में, सरकार के निमित्त वितरण में वर्तमान आय कर भाग और लाभांश वितरण कर शामिल हैं। लाभांश वितरण कर वित्तीय वर्ष 2019—20 तक लागू है। इसके बाद लाभांश प्राप्तकर्ता के हस्तगत कर योग्य है। इसके अतिरिक्त, प्रतिधारित आय के निमित्त वितरण में वितरण कर शामिल है।

टिप्पणीः—4 नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ = (कर पूर्व लाभ + वित्त लागत)/निवल मूल्य + कुल उधारियां + आस्थगित कर देयताएं)

टिप्पणीः—5 निवल मूल्य पर प्रतिलाभ = कर पश्चात लाभ/औसत शेयरधारकों की इक्विटी)

टिप्पणीः—6 प्रचालनरत लाभ अनुपात = प्रचालनरत लाभ/प्रचालनों से राजस्व

टिप्पणीः—7 निवल लाभ अनुपात = कर पश्चात लाभ/प्रचालनों से राजस्व

टिप्पणीः—8 प्रति शेयर बही मूल्य = (इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)/इक्विटी शेयरों की संख्या

टिप्पणीः—9 प्रति शेयर अर्जन = कर पश्चात लाभ/इक्विटी शेयरों की संख्या। कर पश्चात लाभ में आरडीए में संचलन शामिल है।

टिप्पणीः—10 ऋण इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/(इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)। कुल ऋणों में भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांडों के लिए पट्टों, देय राशियों और अल्पावधिक ऋणों सहित दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएं शामिल हैं।

टिप्पणीः—11 वर्तमान अनुपात = वर्तमान परिसंपत्तियां/वर्तमान देयताएं

टिप्पणीः—12 आय अनुपात की कीमत = वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की बाजार कीमत/प्रति शेयर आय

टिप्पणीः—13 ऋण सेवा कवरेज अनुपात = कर पश्चात लाभ लेकिन ब्याज और मूल्यह्रास से पूर्व/(विक्रय विकल्प के तहत भुगतान को छोड़कर मूलधन का पुनर्भुगतान + ब्याज)।

टिप्पणीः—14 ब्याज सेवा कवरेज अनुपात = कर पश्चात लाभ लेकिन लेकिन ब्याज और मूल्यह्रास से पूर्व)/ ब्याज।

टिप्पणीः—15 वित्तीय वर्ष 2018—19 से 2020—21 के लिए आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय सदस्यों,

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आपकी कंपनी की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए गौरव की बात है। एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल और कर्मचारियों की ओर से, आपकी कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वार्षिक आम बैठक हर कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि यह पिछले वर्ष की हमारी उपलब्धियों और हमारी भावी योजनाओं को साझा करने का सुअवसर प्रदान करता है।

आपका निरंतर समर्थन और विश्वास एनएचपीसी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत है। आपकी कंपनी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर स्वच्छ ऊर्जा के विकास में उत्कृष्टता हासिल करने के अपने लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की है और पूरे देश और विदेश में एनएचपीसी के व्यवसाय को और अधिक विस्तारित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने व्यवसाय में वृद्धि करते हुए अपनी लाभप्रदता बढ़ाई है, जिससे हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और शेयरधारकों के लिए मूल्य वृद्धि करने में सक्षम हुए। हम पावर स्टेशनों को कुशलतापूर्वक प्रचालित करके, परियोजनाओं को कार्यान्वित करके और प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा प्रतिभा में निवेश करते हुए अपनी मिशन संचालित कार्यनीति को लागू करना जारी रखते हैं, जो आपकी कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं। आपकी कंपनी वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है।

दृष्टिकोण और कार्यनिष्पादन

भारत का विद्युत क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक विविधीकृत क्षेत्रों में से एक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जलविद्युत, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के हमारे मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी देश में जलविद्युत के विकास में अग्रणी रही है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनएचपीसी अरुणाचल प्रदेश में 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के लिए आगे बढ़ रही है, जो देश में सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी। इसके अतिरिक्त, 2000 मेगावाट सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना और 1800 मेगावाट कमला जलविद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एनएचपीसी को आवंटित किया गया है। आपकी कंपनी वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो मेगा परियोजनाओं अर्थात 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना और 800 मेगावाट पार्बती–II जलविद्युत परियोजना को चालू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिससे कंपनी के पोर्टफोलियो में तेजी से प्रगति होगी।

हम अपने अंतरराष्ट्रीय फुटप्रिंट्स का विस्तार करने में भी सफल रहे हैं क्योंकि हमने नेपाल में तीन परियोजनाओं अर्थात वेस्ट सेती (750 मेगावाट), एसआर–6 (450 मेगावाट) और फुकोट करनाली

(480 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भविष्य में आपकी कंपनी के विकास की प्रबल संभावना है क्योंकि 6 परियोजनाएं अन्वेषण के विभिन्न चरणों में अथवा भारत सरकार के मूल्यांकन के अधीन तकनीकी आर्थिक मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। इसमें 10,000 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली वृहद सियांग अपर जलविद्युत परियोजना शामिल है। आपकी कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में पम्प्ड भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के साथ–साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियों की खोज में भी कार्य कर रही है। मैं आपको आने वाले वर्षों में आपकी कंपनी की प्रोफ़ाइल में अभूतपूर्व प्रगति का आश्वासन देता हूं।

प्रचालनात्मक निष्पादन अवलोकन

इस वर्ष भी एनएचपीसी के पावर स्टेशनों ने बहुत अच्छा निष्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी के सभी पावर स्टेशनों का कुल संचयी विद्युत उत्पादन 24,907 एमयू था, जो पिछले वर्ष हासिल किए गए अब तक के दूसरे सबसे बड़े वार्षिक विद्युत उत्पादन को पार कर गया। हमारे संयंत्रों का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) प्रति वर्ष बेहतर होता जा रहा है और हमने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अब तक का उच्चतम वार्षिक पीएएफ 88.75% दर्ज किया है। 20 जल विद्युत स्टेशनों में से 18 पावर स्टेशनों ने अपना–अपना एनएपीएएफ (मानक पीएएफ) हासिल कर लिया है।

वित्तीय निष्पादन अवलोकन

आपकी कंपनी वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनी हुई है और यह वित्तीय परिणामों में परिलक्षित होता है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के 3537.71 करोड़ रुपये की तुलना में एकल आधार पर 3833.79 करोड़ रुपये अर्थात 8% की वृद्धि करते हुए वार्षिक कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया है, जोकि अबतक का सबसे अधिक वार्षिक कर पश्चात लाभ है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल आय 10,150.90 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल व्यापक आय पिछले वित्तीय वर्ष के 3550.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 3830.42 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रचालन से राजस्व 9316.34 करोड़ रुपये था। आपकी कंपनी ने सकारात्मक विकास से समर्थित, सर्वश्रेष्ठ निष्पादन किया है।

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.45 रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जोकि 452.03 करोड़ रुपये है। कंपनी ने मार्च, 2023 में 1406.30 करोड़ रुपये राशि के 1.40 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश भी भुगतान किया है। अंतिम लाभांश का भुगतान 47वीं वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के बाद किया जाएगा। अनुमोदन होने पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश भुगतान 1.85 रुपये प्रति इक्विटी शेयर होगा, जो 1858.33 करोड़ रुपये होगा।

ग्रीन हाइड्रोजन

ग्रीन हाइड्रोजन ने भारी उद्योग, परिवहन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइजिंग करने के संभावित समाधान के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। इसका उपयोग ईंधन सेलों में शून्य उत्सर्जन के साथ विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे यह वाहनों को पावर देने, बैकअप पावर प्रदान करने अथवा यहां तक कि विद्युत ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति करने का एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी संधारणीय हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था सृजित करना है जो वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में योगदान देकर जलवायु परिवर्तन को कम कर सके।

ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी भविष्य की ऊर्जा बनने के लिए अपेक्षित है और यह वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रही है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की भूमिका को पहचानते हुए, आपकी कंपनी ने पहले ही लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में तीन पायलट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पायलट परियोजनाएं ग्रीन हाइड्रोजन के भावी विकास और उसके बाद परिवहन/हीटिंग क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए रोडमैप तैयार करेंगी।

वर्ष की मुख्य बातें

पिछले वर्ष में, एनएचपीसी ने अपने व्यापार का विस्तार करने के निरंतर प्रयास में नए व्यावसायिक उद्यम शुरू किए हैं।

पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से आपकी कंपनी की प्रमुख विशेषताएं:

1. नेपाल के कर्णाली प्रांत के कालीकोट जिले में स्थित फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना (480 मेगावाट) के संयुक्त विकास के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीयूसीएल), नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 1 जून, 2023 को एनएचपीसी और वीयूसीएल, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया।

2. चार पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं नामतः कालू–1150 मेगावाट, सावित्री–2250 मेगावाट, जालोंद–2400 मेगावाट और केंगाडी–1550 मेगावाट कुल मिलाकर 7350 मेगावाट और राज्य में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

3. ओडिशा राज्य में पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए ग्रिडको लिमिटेड के माध्यम से ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

4. 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के सभी ब्लॉकों में ईएल 210 मी. के बांध के शीर्ष स्तर की सफल कंक्रीटिंग।

5. 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आशय पत्र जारी किया गया। यह परियोजना खावड़ा में गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के सौर पार्क में स्थित होगी।

6. 'मध्यवर्ती खरीददार' के रूप में एनएचपीसी द्वारा अवार्ड की गई नोखरा, बीकानेर (राजस्थान) में स्थित संपूर्ण 320 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 10 दिसंबर, 2022 को सफलतापूर्वक चालू किया गया।

7. विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 26 सितंबर, 2022 को आईआईटी, जम्मू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किये गए।

8. राजस्थान राज्य में "10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क के विकास" के लिए राजस्थान सरकार के साथ दिनांक 24 अगस्त, 2022 को एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

9. "आत्मनिर्भर भारत" कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईटी दुर्गापुर के सहयोग से विद्युत ट्रांसफार्मरों के लिए फ्लैंज माउंटेड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) सेंसर विकसित किये गए।

10. सावलकोट जलविद्युत परियोजना के निर्माण–पूर्व क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार द्वारा 973 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं संधारणीयता दो परस्पर जुड़ी अवधारणाएँ हैं जो किसी संगठन के लिए समाज और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसी कंपनी को सामाजिक रूप से उत्तरदायी होने के लिए सबसे पहले स्वयं को, अपने हितधारकों और जनता के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता होती है।

आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को मानती है तथा एक अच्छी तरह से निर्धारित और संरचित सीएसआर एवं संधारणीयता नीति के माध्यम से इसे पूरा करने का प्रयास करती है। एनएचपीसी अपनी विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से वर्ष दर वर्ष समाज का व्यापक स्तर पर कल्याण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ–साथ वर्ष 2021 और 2022 के कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियमों के अनुपालन में एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति अपनाई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कंपनी की सीएसआर पहलों में शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने आदि के कार्यक्रम शामिल हैं।

सीएसआर नीति के अंतर्गत, आपकी कंपनी ने दिनांक 9 सितंबर, 2022 को सरखेज, गुजरात में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षिक परिसर छात्रावास भवन की व्यवस्था के लिए शिक्षण विकास सेवा ट्रस्ट के साथ और कोठामंगलम, एर्नाकुलम, केरल में विवेकानंद विद्यालय में किंडरगार्टन के विकास के लिए सेवा किरण चैरिटेबल सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर लोगों और समाज को लाभ पहुंचाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कल्याणकारी क्रियाकलाप करती है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने आपातकालीन स्थितियों में लड़ने के लिए सरकार की सहायता करने हेतु अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत पीएम केयर में 30 करोड़ रुपये के योगदान सहित सीएसआर और एसडी क्रियाकलापों पर 127.31 करोड़ रुपये खर्च किए।

सकारात्मक निगमित अभिशासन

अच्छा निगमित अभिशासन किसी कंपनी के प्रत्येक हितधारक– ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, विक्रेता–साझेदारों, भूमि और समुदाय की सरकार के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कानूनी, नैतिक और संधारणीय आधार पर शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए बाजार में संधारित प्रतिस्पर्धी अंतर सृजित करने के संबंध में है। अभिशासन किसी कंपनी के बोर्ड और प्रबंधन की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। किसी कंपनी में सुशासन उसके हितधारकों के विश्वास और उत्साह को बढ़ाता है। आज की बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण उच्च गुणवत्ता वाली अभिशासन परिपाटियों की मांग को बढ़ाता है। निगमित अभिशासन संरक्षा के दायरे में रहा है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे व्यापक महत्ता मिली है।

सुदृढ़ निगमित अभिशासन परिपाटियों को सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी हमेशा सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित निगमित अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास

करती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी के 'निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों' के अनुपालन को डीपीई द्वारा निर्धारित ''निगमित अभिशासन ग्रेडिंग प्रणाली' के अनुसार "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है।

पुरस्कार और प्रशंसा

सर्वांगीण विकास के लिए आपकी कंपनी के प्रयासों को उद्योग जगत ने मान्यता दी है और विभिन्न मंचों पर आपकी कंपनी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपकी कंपनी को निम्नलिखित सम्मान प्राप्त हुएः

1. इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा 'इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिसेजः 2020–21' के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और विशेष प्रशस्ति पुरस्कार।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के लिए क्षेत्र 'क' में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत 'द्वितीय पुरस्कार'। यह पुरस्कार एनएचपीसी ने सूरत, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रामाणिक से प्राप्त किया।

3. एक सुदृढ़ डिजिटल इंडिया और वाइब्रेंट डेटा सेंटर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एनएचपीसी के प्रयासों को मान्यता देते हुए एक्सप्रेस कंप्यूटर (इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का आईटी व्यवसाय प्रकाशन) द्वारा "डेटा सेंटर चैंपियन–2022" पुरस्कार।

4. काठमांडू, नेपाल में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स अवार्ड्स 2021 में वित्तीय वर्ष 2020–21 (अवंसरचना और निर्माण क्षेत्र श्रेणी) के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के लिए स्वर्ण पदक।

5. प्रकाशमय '15वें एनर्शिया अवार्ड्स 2022' में 'भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी पावर कंपनी – जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र' का विजेता।

6. कोलकाता में डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) की 33वीं राष्ट्रीय बैठक में महानिदेशक, स्कोप की ओर से मिनी रत्न श्रेणी के लिए 'दूसरा सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार'।

7. गवर्नेंस नाउ–9वें पीएसयू पुरस्कार और सम्मेलन में "उभरती प्रौद्योगिकियों डेटा सेंटर का उपयोग" पुरस्कार। एनएचपीसी को यह पुरस्कार एक सुदृढ़ डिजिटल इंडिया और वाइब्रेंट डेटा सेंटर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में उसके प्रयासों की मान्यता के लिए प्रदान किया गया है।

हार्दिक कृतज्ञता

मैं एनएचपीसी और इसकी विकास संभावनाओं में विश्वास करता हूं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में एनएचपीसी का तेजी से विकास होगा। आज, जैसा कि हम बेहतर और सुदृढ़ होकर खड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके निरंतर समर्थन से, हम सभी के लिए मूल्य सृजित करने हेतु संधारणीय निष्पादन करेंगे। आने वाले वर्ष में दो मेगा परियोजनाओं अर्थात 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना और 800 मेगावाट पार्बती-II जलविद्युत परियोजना के चालू होने के साथ एनएचपीसी की क्षमता में नई उपलब्धियां जुड़ेंगी।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं बोर्ड की ओर से हम पर किए गए विश्वास के लिए सभी हितधारकों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने साथी बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान और मूल्यवान मार्गदर्शन की सराहना भी करना चाहूंगा।

मैं भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय के साथ–साथ केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों को समय–समय पर उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और भरभूर समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मैं बैंकरों, निवेशकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, परामर्शदाताओं, संविदाकारों, विक्रेताओं आदि सहित हमारे मूल्यवान हितधारकों को उनके विश्वास और भरोसे के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। यह हमें अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और शेयरधारकों के साथ–साथ राष्ट्र के लिए लगातार मूल्य सृजित करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा उद्देश्य और आकांक्षा हर दिन निरंतर आपका विश्वास अर्जित करना है।

मैं, बोर्ड की ओर से, एनएचपीसी के विजन और मिशन को प्राप्त करने के लिए अपने कार्मिकों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं।

हम एक संगठन के रूप में निवेश करने और प्रगति के रोमांचक अवसरों की खोज जारी रखते हैं और साथ ही स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा का उत्पादन और संवर्धन करके समाज और देश की बेहतरी एवं विकास के लिए और अधिक प्रयास करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कंपनी की कार्यनीतियाँ सभी हितधारकों के लिए सतत प्रतिलाभ और लाभ में परिवर्तित होती रहेंगी।

सादर,

हस्ता./–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 21 जुलाई, 2023
स्थानः फ़रीदाबाद

एनएचपीसी का निष्पादन

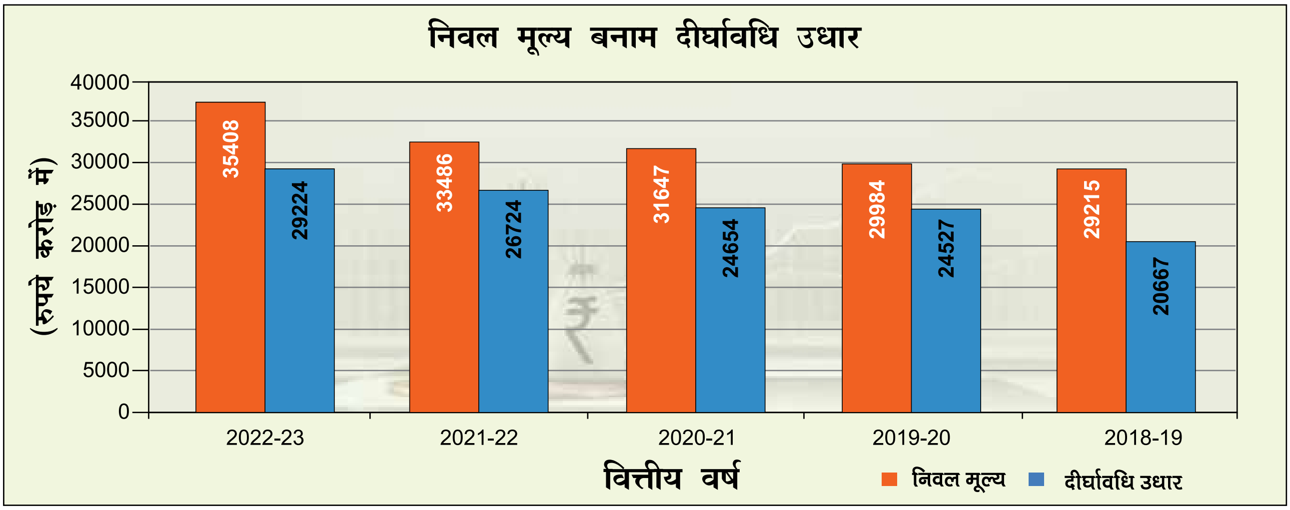

#दीर्घावधिक उधारों में तत्संबंधी उनकी वर्तमान परिपक्वताएं, उनकी वर्तमान परिपक्वताओं सहित पट्टे की बाध्यताएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों के लिए देय राशि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 के आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।

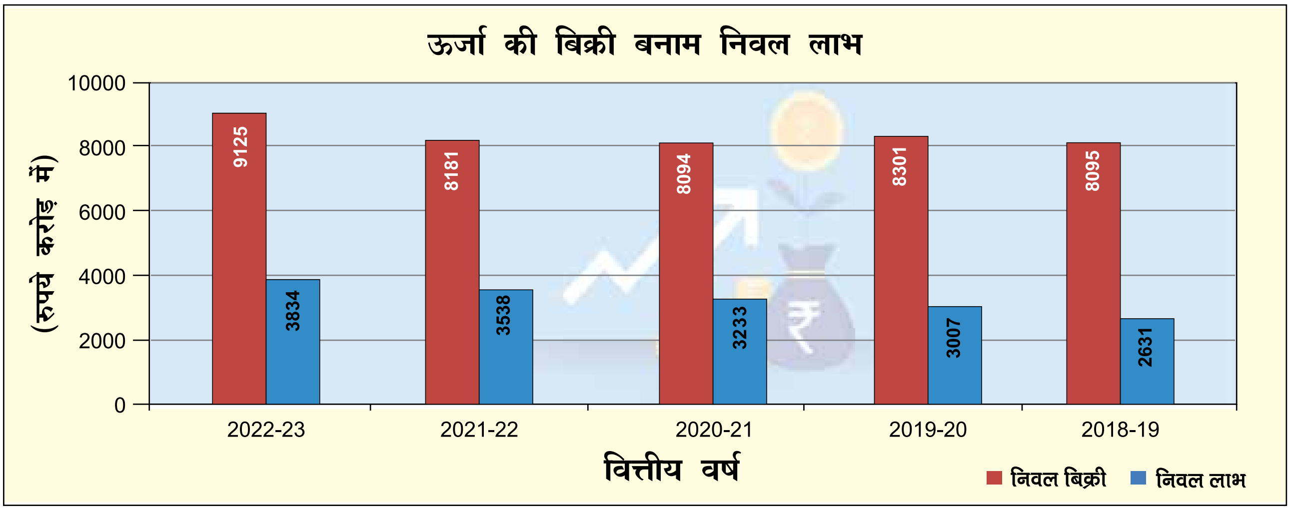

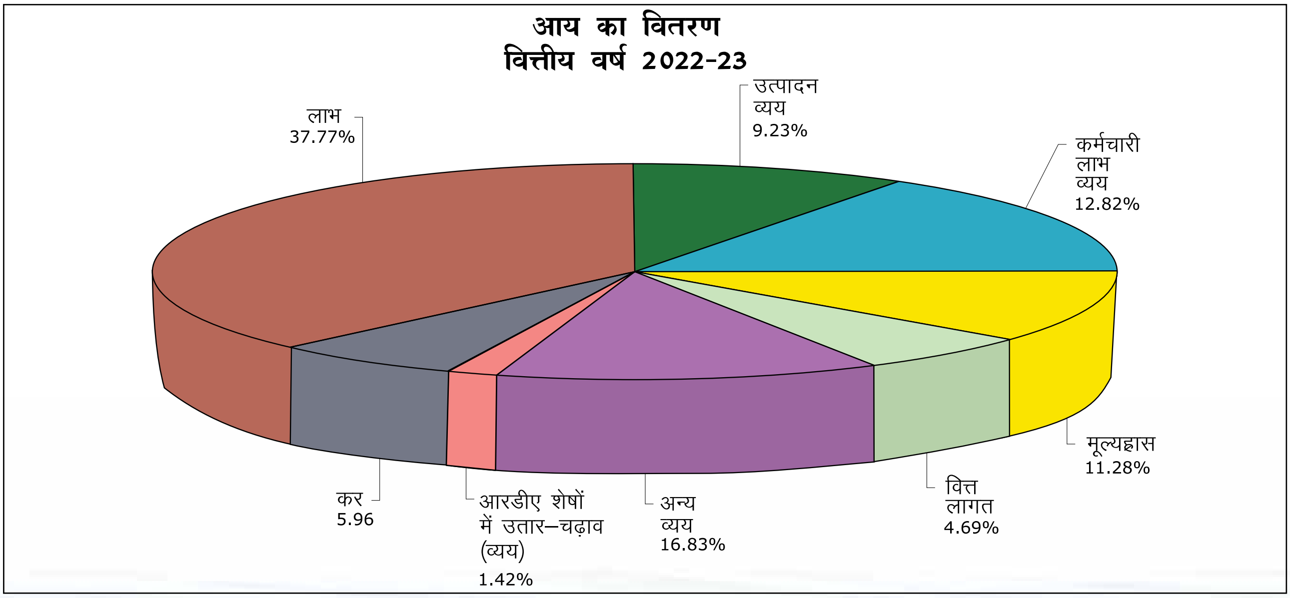

निदेशकों का प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 08534217

श्री राजीव कुमार विश्नोई (56 वर्ष) ने 13 दिसंबर, 2022 को एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। श्री राजीव कुमार विश्नोई के पास जलविद्युत परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का व्यापक और समृद्ध अनुभव है। आपने वर्ष 1989 में टीएचडीसीआईएल में अभियंता के स्तर से सेवा की शुरुआत की और अपने शानदार करियर के दौरान विभिन्न पदों का दायित्व निभाते हुए वर्ष 2021 में टीएचडीसीआईएल के सीएमडी के पद पर आसीन हुए। टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग का नेतृत्व करने के साथ–साथ आपने कार्यपालक निदेशक, विष्णुगाड–पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (वीपीएचईपी) 444 मेगावाट का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। टिहरी, कोटेश्वर और विष्णुगाड–पीपलकोटी जलविद्युत परियोजनाओं में कार्य करने के दौरान आपने कई प्रतिष्ठित उपलब्धियां हासिल की हैं।

श्री विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं तथा आपने एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की है। इसके साथ ही रूस के स्टेट विश्वविद्यालय, मास्को से हाइड्रोलिक संरचनाओं और जलविद्युत निर्माणों के डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में भी व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम पूरा किया है। आपने एसडीए बेकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली से संबद्ध एएससीआई, हैदराबाद के लीडिंग स्ट्रेटजिक चेंज के एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ द्वारा डी. लिट (एचसी) की उपाधि से सम्मानित किया गया है।

आप बड़े बांधों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीओएलडी) की भारतीय समिति के अध्यक्ष हैं और भूकंपीय तकनीकी समिति के लिए आईसीओएलडी में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आपने विश्व बैंक मुख्यालय, वाशिंगटन (यूएसए) के निमंत्रण पर विभिन्न वार्ताओं के दौरान संविदा के संबंध में दिशा–निर्देश तैयार करने और विचार–विमर्श करने के लिए विश्व बैंक विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री विश्नोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित जलविद्युत पेशेवर हैं। आपने स्पोकेन (यूएस), वाशिंगटन डीसी (यूएस), सेंट्स पीटर्सबर्ग (रूस), चेंगदू (चीन), बीजिंग (चीन), पोर्टो कैरस (ग्रीस), एंटाल्या (तुर्की), ओटावा (कनाडा), सिंगापुर और नेपाल जैसे कई देशों में मुख्य वक्ता के तौर पर उल्लेखनीय व्याख्यान दिए हैं।

श्री विश्नोई को अप्रैल, 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री विश्नोई टुसको लिमिटेड और ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के अध्यक्ष का प्रभार भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा, श्री विश्नोई लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) और एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक–अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल

निदेशक (वित्त)

डीआईएनः 08645380

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल (58 वर्ष) ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया है। वे कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।

श्री गोयल ने दिनांक 18 नवंबर, 1988 को वरिष्ठ लेखाकार के रूप में एनएचपीसी में अपनी सेवा की शुरुआत की। उन्होंने आरंभ में जम्मू व कश्मीर में सलाल पावर स्टेशन में कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद विभिन्न पदों पर चमेरा–I परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू और कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में कार्य किया। श्री गोयल सेवाएं प्रभाग, कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू में वित्त प्रमुख के पद पर आसीन थे। निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य–भार ग्रहण करने से पूर्व वे मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्य कर रहे थे और कारपोरेट लेखा एवं नीति, कराधान, बैंकिंग, स्थापना और निवेशक संबंध अनुभाग के प्रमुख थे।

श्री गोयल लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (एलडीएचसीएल), चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनिया) के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। श्री गोयल स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप), नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक के सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं।

श्री गोयल को नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआई), फरीदाबाद के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

श्री गोयल भारतीय लागत लेखा संस्थान के एक एसोसिएट्स सदस्य हैं और इनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वाणिज्य में परास्नातक की डिग्री भी है। श्री गोयल को हाइड्रो परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालनों में निहित वित्तीय, संविदागत और विनियामक मुद्दों की गहरी समझ और विस्तृत ज्ञान के साथ वित्त के मुख्य क्षेत्रों में एनएचपीसी लिमिटेड में 34 वर्षों से अधिक का विशाल अनुभव है। उनमें नेतृत्व गुणों, अवधारणात्मक स्पष्टता और पेशेवर तरीके से कार्य करने की उत्कृष्ट क्षमता है।

एनएचपीसी में अपनी सेवा के दौरान, श्री गोयल कंपनी में जिम्मेदारी, नैतिकता और अत्यधिक समर्पण भावना के बल पर पेशेगत सोपान तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने आपको एक उत्कृष्ट पेशेवर के रूप में साबित किया है और एनएचपीसी के निरंतर विकास में अपना स्थान बनाया है।

श्री बिश्वजीत बासु

निदेशक (परियोजनाएं)

डीआईएनः 09003080

श्री बिश्वजीत बासु (59 वर्ष) ने दिनांक 1 जनवरी, 2021 को एनएचपीसी के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने वर्ष 1986 में वैद्युत अभियांत्रिकी में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी, अगरतला) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इन्हें जलविद्युत के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। श्री बासु एनएचपीसी के निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

श्री बिश्वजीत बासु, वर्ष 1987 से एनएचपीसी लिमिटेड से जुड़े हुए हैं और श्री बासु जिम्मेदारी, नैतिकता और अत्यधिक समर्पण भावना के साथ कैरियर में प्रगति करते हुए वर्तमान पद तक पहुंचे हैं। निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में अपने वर्तमान कार्यभार में, श्री बासु एनएचपीसी की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रभारी हैं जिसमें हाइड्रो तथा नवीकरणीय परियोजनाएं शामिल हैं। कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों के मुख्य कार्य अर्थात परियोजना मॉनिटरिंग एवं सहायता समूह (पीएमएसजी), आईटीएंडसी, निर्माण उपकरण योजना एवं मॉनीटरिंग (सीईपीएम), मध्यस्थता, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन तथा कारपोरेट संचार उनके कार्य–क्षेत्र में आते हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, श्री बासु ने एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और निर्माण तथा ओएंडएम चरण के दौरान एनएचपीसी की अधिकांश परियोजनाओं में योगदान दिया है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं अर्थात चुटक पावर स्टेशन, लोकतक पावर स्टेशन, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना और धौलीगंगा पावर स्टेशन के परियोजना प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। टीएलडीपी-III पावर स्टेशन को चालू किए जाने के दौरान, वे परियोजना चालू करने वाले दल के प्रभारी थे। उन्होंने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

श्री बासु एक उत्साही खिलाड़ी हैं और वे अखिल भारतीय विद्युत क्षेत्र फुटबाल टूर्नामेंट में लोकतक पावर स्टेशन में अपने कार्यकाल (1988–1994) के दौरान एनएचपीसी फुटबाल टीम के कप्तान थे।

वर्तमान में श्री बासु लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल), जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल), एनएचपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी आरईएल) (एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) और बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (एनएचपीसी और यूपीनेडा का संयुक्त उद्यम) के बोर्ड में नामित निदेशक – अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही वे रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी का संयुक्त उद्यम) तथा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी का संयुक्त उद्यम) के बोर्ड में नामिती निदेशक हैं।

श्री उत्तम लाल

निदेशक (कार्मिक)

डीआईएनः 10194925

श्री उत्तम लाल (57 वर्ष), विधि स्नातक (एचआरएम) और हार्वर्ड मैनेज–मेंटर सर्टिफिकेशन की अतिरिक्त योग्यता के साथ जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज (एक्सआईएसएस), रांची से मानव संसाधन में प्रबंधन स्नातक हैं। एनएचपीसी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आप एनटीपीसी लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक और सीईओ – एनटीपीसी फाउंडेशन के तौर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व – पुनर्वास और पुनर्स्थापन, भूमि अधिग्रहण (सीएसआर – आर एंड आर/एलए) वर्टिकल के अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। सीएसआर तथा आर एंड आर में उनकी मुख्य दक्षताओं के साथ भूमि अधिग्रहण, नीति और वेतन, औद्योगिक संबंध, कर्मचारी लाभ आदि में आपका 35 वर्षों का व्यापक अनुभव है। अपने शानदार करियर के दौरान, श्री लाल ने एनटीपीसी की आर एंड डी विंग एनईटीआरए के मानव संसाधन कार्यों का नेतृत्व किया, जहां आपने शोधकर्ताओं की प्रारंभिक टीम बनाने, क्षमता विकास संबंधी संरचना को तैयार करने, अकादमी और औद्योगिक इंटरफेस मॉडल को डिजाइन करने और वैश्विक बाजार से प्रतिभाओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको भारत

के सबसे बड़े विद्युत संयंत्र (एनटीपीसी विंध्याचल) के एचआर और सीएसआर कार्यों का नेतृत्व करने का श्रेय भी प्राप्त है और आप सबसे बड़े क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय मानव संसाधन प्रमुख रह चुके हैं।

आपको जोशीमठ, जिला–चमोली, (उत्तराखंड) में बचाव और राहत कार्यों के लिए टास्क फोर्स–एनटीपीसी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हाल ही में आपको एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) के संगठनात्मक रूपांतरण का कार्य सौंपा गया था।

एनटीपीसी के पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई), नोएडा के नियमित आंतरिक वक्ता और आईआईएम (लखनऊ) में अतिथि वक्ता के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना आपको बहुत पसंद है।

आप 'पीपुल–फर्स्ट' की धारणा में विश्वास रखते हैं।

आपको गायन का शौक है और आप अक्सर अपनी चुनौतियों की धुन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं।

श्री मोहम्मद अफजल

सरकार नामिती निदेशक

डीआईएनः 09762315

श्री मोहम्मद अफजल (52 वर्ष), एएमयू अलीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) में (फर्स्ट विद ऑनर्स) और तत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय (अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की) से एम.ई (फर्स्ट विद ऑनर्स) पावर सिस्टम इंजीनियरिंग डिग्री धारक हैं। वह नवंबर 1996 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में शामिल हुए और सिस्टम इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न प्रभागों जैसेकि प्रौद्योगिकी प्रभाग, ग्रिड प्रबंधन प्रभाग और ईंधन प्रबंधन प्रभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। 25 से अधिक वर्षों के अपने करियर के दौरान, उन्होंने उप–स्टेशनों की विभिन्न क्षमताओं की डिजाइनिंग, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड की निगरानी, राज्यों/घटकों को विद्युत आवंटन, थर्मल पावर स्टेशनों के लिए ईंधन के आकलन और निगरानी, गैस आधारित विद्युत संयंत्रों आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। श्री मोहम्मद अफजल वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हाइड्रो) के रूप में कार्यरत हैं।

श्री मोहम्मद अफजल एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार नामिती निदेशक के रूप में दिसंबर, 2022 में शामिल हुए।

डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएनः 07592413

डॉ. निर्गुडकर (58 वर्ष) पुणे विश्वविद्यालय से विपणन प्रबंधन में एमबीए और पीएचडी धारक हैं।

उन्हें आईटी, आईटी सक्षम सेवाओं, शिक्षा, अवसंरचना, वित्त, मीडिया और अर्थशास्त्र में 28 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों में शीर्ष पदों पर रहे हैं और प्रबंधन कौशल पर अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में आयोजित कार्यशालाओं में उनका प्रतिनिधित्व किया है।

विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर उन्होंने लेख लिखे हैं। उन्होंने आईटी, टीक्यूएम, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के सामरिक उपयोग पर चार पुस्तकों का संकलन किया है। डॉ. निर्गुडकर ने वैश्वीकरण और भारत के बदलते स्वरूप विषय पर 'लोकल टू ग्लोबल' और 'ऑल अबाउट विनिंग इंडियन इलेक्शन' नामक पुस्तकें लिखी हैं।

आईटी और आईटीईएस कंपनियों में सीईओ के रूप में बड़ी कंपनियों का नेतृत्व किया है। देश भर में प्रौद्योगिकी अवसंचना और कौशल विकास में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्टों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है।

वह एक बड़ी समाचार मीडिया कंपनी में सीईओ एवं प्रधान संपादक के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट डोमेन में उसके दर्शकों एवं व्यवसाय को संचालित किया। पत्रकारिता को और अधिक सकारात्मक बनाकर तथा 'धागा शौर्य का, राखी अभिमान की' व 'आपला सैनिक, आपली दिवाली' जैसे सामाजिक कार्यक्रमों की शुरूआत करके पत्रकारिता में व्यापक बदलाव लाए है।

उन्होंने करंट अफेयर्स पर एक दैनिक डिबेट शो और सप्ताहांत पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार की श्रृंखला की एंकरिंग की। यह शो बेहद लोकप्रिय था और इसे सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाचार चैनल के लिए कई सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोजेक्टों का संचालन किया।

मुंबई में आतंकी हमलों के बाद स्थापित किए गए फोर्स वन कमांडो यूनिट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

डॉ. निर्गुडकर नवम्बर, 2021 में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए। डॉ. निर्गुडकर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में डॉ. निर्गुडकर निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

प्रो. (डॉ.) अमित कंसल, पीएचडी

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएनः 07722428

प्रो. (डॉ.) अमित कंसल, पीएचडी (47 वर्ष) का जन्म 24 सितंबर, 1975 को पंजाब के संगरूर जिले में हरियाणा की सीमा के पास शहीद उधम सिंह वाला, सुनाम के नाम से प्रसिद्ध शहीद भूमि पर हुआ था, डॉ. अमित कंसल ने अपनी पूरी शिक्षा के दौरान उत्कृष्ट अकादमिक साख हासिल की है। उन्होंने पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस शोध कार्य "1967 से पंजाब में अकाली गठबंधन" पर थी, जिसे विभिन्न राजनीतिक विद्वानों द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों पर सराहा गया।

उन्होंने विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों से राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता और जनसंचार एवं दूरस्थ शिक्षा में तीन मास्टर डिग्री पूरी की। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति के साथ, शिक्षा के निरंतर उन्नयन के माध्यम से अपने विश्लेषणात्मक कौशल का सम्मान करने में उनकी गहरी रुचि रही है। हाल ही में, उन्होंने विधि (एलएलबी) की डिग्री प्राप्त की है।

उनकी सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा ऊधम ज्योति पब्लिक स्कूल, सुनाम से हुई है। अपने स्कूल के दिनों से ही, सामयिक राजनीति और समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में उनकी गहरी रुचि थी। चूंकि उनका पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में सत्यनिष्ठा से लगा हुआ है, इसीलिए वे भी परिवार की इस विरासत को विस्तृत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। स्थानीय और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रसिद्ध संस्थाओं और क्लबों ने उन्हें सम्मानित किया है और उनके कार्यों की सराहना की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय और राज्य प्रशासन द्वारा उनके प्रयासों की काफी सराहना की जाती है।

वर्तमान में, डॉ. कंसल नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज, मानसा, पंजाब के वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रशंसित और प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूजीसी तथा विशेषज्ञ के रूप में आरयूएसए जैसे प्रतिष्ठित संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, वे स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाले गरीब एवं वंचित छात्रों के बीच दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वे वर्ष 2013 से ही विख्यात राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू, नई दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। ग्रामीण और वंचित युवाओं के साथ काम करते हुए, उन्होंने 5000 से अधिक छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कौशल विकास में वृद्धि की है। उनमें से कई ने अपना स्टार्ट–अप शुरू किया और आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। वे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

उपर्युक्त के अलावा, डॉ. कंसल कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रैली (बुधलाधा) में निदेशक (प्रशासन व अकादमी) के पद पर भी कार्यरत हैं। वे सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शामिल हैं। वे निर्माण कैम्पस ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सुनाम, पंजाब के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

सामाजिक रूप से, वे निर्माण (एक सामाजिक संगठन) और कंसल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के मुख्य कार्यपालक व संस्थापक हैं। अपने अथक और निस्वार्थ प्रयासों के कारण, वे सभी के बीच प्रोफेसर, शिक्षक और अच्छे इंसान के रूप में लोकप्रिय हैं। उनके नेतृत्व पर विश्वास के कारण, उन्हें एबीवीपी, पंजाब में राज्य उपाध्यक्ष जैसे उच्च पद और कई अन्य प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने सर्वहितकारी एजुकेशन सोसाइटी (विद्या भारती), पंजाब के राज्य कार्यकारी सदस्य के रूप में भी काम किया और सभी संस्थानों को अधिक उपयोगी बनाने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए संस्थानों और प्रधानाचार्यों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री सूरज कुंड सर्वहितकारी विद्या मंदिर, सुनाम और सीनियर चेतन सिंह सर्वहितकारी विद्या मंदिर, मनसा के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और अन्य संस्थानों में दी गई सेवाओं की लंबी फेहरिस्त है।

उनके विभिन्न प्रकाशनों में उनकी सुदृढ़ अकादमिक कुशाग्रता प्रदर्शित होती हैं। उनके नाम से कई प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध हैं। उनके द्वारा लिखी गयी कई पुस्तकें नामतः भारत की विदेश नीति, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, पंजाब राजनीति हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों पर अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है और उनके विभिन्न वैज्ञानिक शोध–पत्र प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान है।

डॉ. कंसल नवंबर, 2021 में स्वतंत्र निदेशक के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुए।

प्रो. (डॉ.) रश्मि शर्मा रावल

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएनः 09410683

प्रो. (डॉ.) रश्मि शर्मा रावल (56 वर्ष) ने रूहेलखंड विश्वविद्यालय से कला (भूगोल) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और भूगोल (जनसंख्या भूगोल) में अपनी पीएचडी पूरी की है। वर्तमान में, वे एक प्रोफेसर हैं और आर.एस.एम. (पीजी) कॉलेज, धामपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के भूगोल विभाग की प्रभारी हैं।

उन्होंने 16 डाइरेक्टिंग थीसिस, 90 लघु डाइरेक्टिंग निबंध लिखे हैं और 25 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उनके द्वारा लिखी गईं छह किताबों का प्रकाशन हो चुका हैं। डॉ. रावल वर्ष 1984 से आकाशवाणी (एआईआर), नजीबाबाद (प्रसार भारती) में विभिन्न विषयों/मुद्दों की वार्ताकार हैं। वे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) प्रयागराज के लिए एक परीक्षक (उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन), प्रश्न पत्र लेखक और समीक्षक भी हैं। वे झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची की परीक्षक (पोस्ट बुक मूल्यांकन) हैं तथा रुहेलखंड जियोग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया–एक रेफरीड रिसर्च जर्नल (आईएसएसएन नंबर 0976–8556) की मुख्य संपादक भी हैं।

डॉ. रश्मि शर्मा रावल नवंबर, 2021 में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुईं।

श्री जीजी जोसफ

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 09415941

श्री जीजी जोसफ (49 वर्ष) कालीकट विश्वविद्यालय, केरल से कला में स्नातक उपाधि धारक है एवं व्यवसाय और राजनीति से जुड़े हैं। वह एक उद्यमी हैं और मिथ्रा कम्युनिकेशन (विज्ञापन एजेंसी) के मालिक हैं। वह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं।

श्री जोसफ विज्ञापन फिल्म निर्माण, रचनात्मक, मीडिया योजना और रिलीज के व्यवसाय के कार्यों में लगे हुए हैं।

श्री जीजी जोसफ एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में दिसंबर, 2021 में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए।

श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 10064794

श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन (61 वर्ष) ने तमिलनाडु के अन्नामलाई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। श्री गोवर्थनन एक उद्यमी हैं, और वर्तमान में राजनीति और अपने बेटे की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आपके पास विनिर्माण उद्योग और कृषि क्षेत्र का व्यापक अनुभव है।

श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन चेन्नई स्थित अपने बेटे की कंपनियों के समूह की व्यावसायिक गतिविधियों में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। यह कंपनियां निर्माण और विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

श्री गोवर्थनन मार्च, 2023 में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

एनएचपीसी के पावर स्टेशन

राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	सलाल	690	1987/1995
	उड़ी-I	480	1997-98
	दुलहस्ती	390	2007-08
	सेवा-II	120	2010-11
	उड़ी-II	240	2013-14
	किशनगंगा	330	2017-18
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	निम्मो बाजगो	45	2013-14
	चुटक	44	2013-14
हिमाचल प्रदेश	बैरा स्यूल	180	1981-82
	चमेरा-I	540	1994-95
	चमेरा-II	300	2004-05
	चमेरा-III	231	2012-13
	पार्बती-III	520	2014-15

राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
उत्तराखंड	टनकपुर	94 .2	1992-93
	धौलीगंगा	280	2005-06
सिक्किम	रंगित	60	1999-2000
	तीस्ता-V	510	2008-09
पश्चिम बंगाल	टीएलडी-III	132	2013-14
	टीएलडी-IV	160	2015-16
मणिपुर	लोकतक	105	1983-84
एनएचपीसी (हाइड्रो एकल)		**5451.2**	
मध्य प्रदेश	इंदिरासागर	1000	2005-06
	ओंकारेश्वर	520	2007-08
कुल जल विद्युत (संयुक्त उद्यमों सहित एनएचपीसी हाइड्रो)		**6971.2**	
राजस्थान	पवन ऊर्जा	50	2016-17
तमिलनाडु	सौर ऊर्जा	50	2017-18
उत्तर प्रदेश	काल्पी सौर ऊर्जा	26*	2022-23
कुल एनएचपीसी		**7097.2**	

*आंशिक रुप से आरंभ

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003
सीआईएनः L40101HR1975GOI032564
ईबीपीएएक्स नंः 0129–2588110 / 2588500
वेबसाइटः www.nhpcindia.com ई–मेल आईडीः companysecretary@nhpc.nic.in

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **गुरुवार, 31 अगस्त, 2023 को दोपहर 03.00 बजे** (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंस (**"वीसी"**) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (**"ओएवीएम"**) के माध्यम से, निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

साधारण कार्यः

1. विचार करना और अपनानाः

   क. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां; तथा

   ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि और अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. श्री बिश्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं) (डीआईएनः 09003080), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर, स्वयं को निदेशक नियुक्ति किए जाने के लिए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेष कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और, यदि उचित समझा जाए, तो एक **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के संगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार (किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है और एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है;

   यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम, जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो, उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

विशेष कार्यः

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और, यदि उचित समझा जाए, तो एक **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के संगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार (किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक की, एतदद्वारा निम्नानुसार पुष्टि की जाती हैः

   क. 1,00,000 / – रु. प्रति पावर स्टेशन (टीए / डीए, करों और शुल्कों को छोड़कर)।

   ख. प्रमुख लागत लेखापरीक्षक द्वारा सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन और फॉर्म सीआरए–3 में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए के लिए टीए / डीए, करों और शुल्कों को छोड़कर 1,00,000 / – रुपये।

   यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम, जो आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हो, उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

6. श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन (डीआईएनः 10064794) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि धारा 149, 152 के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक

संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1ग), कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में, श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन (डीआईएनः 10064794), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 02 मार्च, 2023 के आदेश संख्या 2/13/2021–एनएचपीसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 10 मार्च, 2023 से एक अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिनके संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में एक अभ्यर्थी के रूप में स्वयं को प्रस्तावित करने के उनके आशय को दर्शाते हुए उनसे लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है, को आदेश की तारीख से अर्थात 02 मार्च, 2023 से 01 मार्च, 2026 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार से रोटेशन सेवानिवृत्त न होने पर एतदद्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

7. श्री उत्तम लाल (डीआईएनः 10194925) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि धारा 149, 152 के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1ग), कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में, श्री उत्तम लाल (डीआईएनः 10194925), जिन्हें विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 06 जून, 2023 के आदेश संख्या 9/9/2021–एनएचपीसी के अनुसरण में उनके कार्यभार ग्रहण करने अर्थात दिनांक 13 जून, 2023 से अतिरिक्त निदेशक तथा निदेशक (कार्मिक) के रूप में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में निदेशक के लिए उनकी अभ्यर्थिता प्रस्तावित करते हुए कंपनी को लिखित में सूचना प्राप्त हुई है और जो निबंधनों और शर्तों तथा समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी अन्य आदेश पर रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./–
(रूपा देब)
कंपनी सचिव

दिनांकः 27 जून, 2023

पंजीकृत कार्यालयः
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
सीआईएनः L40101HR1975GOI032564

टिप्पणियाँ:

1. वार्षिक आम बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। निदेशक मंडल ने ऊपर दी गई मद संख्या 5 से 7 को आगामी वार्षिक आम बैठक में विशेष कार्यों के रूप में शामिल करने पर विचार किया और निर्णय लिया, क्योंकि वे प्रकृति में अपरिहार्य हैं।

2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित 5 मई, 2020 के परिपत्र के माध्यम से सामान्य स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर") के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। **कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा।** नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वार्षिक आम बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम तथा ई–वोटिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैठक में भाग लेने और मतदान करने के पात्र सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, रूट मैप सहित प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं हैं।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा।

5. एमसीए परिपत्रों और सेबी के दिनांक 05 जनवरी, 2023 के परिपत्र के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए (मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास **शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023** की स्थिति के अनुसार पंजीकृत हैं। सभी सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात मैसर्स एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

6. अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार, श्री बिश्वजीत बसु, निदेशक (परियोजनाएं) (डीआईएनः 09003080) को इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होना है और पात्र होने के नाते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार श्री बिश्वजीत बासु का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2023 तक है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने 27 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में श्री बासु के निष्पादन मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने 27 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में श्री बासु को निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में पुनः नियुक्त करने की सिफारिश की है। वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियम 36 के अंतर्गत अपेक्षित है, इसके साथ संलग्न है और यह सूचना का भाग है।

7. अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा एक सामान्य बैठक में अथवा उस तरह से निर्धारित किया जाना है जो कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित करे। सदस्य बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए। समेकित आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई फीस के ब्यौरे "निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट" में दिए गए हैं।

8. हम सदस्यों से कंपनी से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का चयन करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का समर्थन करने का आग्रह करते हैं:

   क. डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट करवाएं।

   ख. वास्तविक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के पास फॉर्म आईएसआर–1 में वास्तविक

रूप से अथवा alankit.nhpc@alankit.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध प्रस्तुत कर पंजीकरण/अपडेट करवाएं।

9. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **बुधवार, 23 अगस्त, 2023 से गुरुवार, 31 अगस्त, 2023** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

लाभांश

10. निदेशक मंडल ने 07 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 14% (1.40 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसका भुगतान मार्च, 2023 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 29 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 4.50% (0.45 प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में घोषित होने पर, अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की हकदारी निर्धारित करने हेतु **मंगलवार, 22 अगस्त, 2023** को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है। जिन सदस्यों का नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची (एनएसडीएल और सीडीएसएल से प्राप्त किया जाना है) में है, वे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश की घोषणा की जाती है, तो उसका भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

11. वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन, अंतिम लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना पूरा बैंक विवरण निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत/अपडेट करें:

    (i) डीमैट मोड में धारित शेयरों के मामले में, प्रपत्र और दस्तावेज जमा करके, जैसा कि डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) द्वारा अपेक्षित हो; तथा

    (ii) वास्तविक रूप में धारित शेयरों के मामले में, आरटीए अर्थात मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 में प्रपत्र आईएसआर–1 में अनुरोध प्रस्तुत करके अथवा उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी alankit.nhpc@alankit.com पर ईमेल करके।

12. **लाभांश पर टीडीएस**

1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य हो गयी है। आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी को अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर करों को रोकना होगा। इस संबंध में, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पर ध्यान दें:

क. निवासी शेयरधारक:

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 में निवासी शेयरधारकों को कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान की गई लाभांश की राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा, बशर्ते कि शेयरधारक का वैध पैन कंपनी के पास उपलब्ध हो।

(ii) तथापि, निम्न परिस्थितियों में नीचे उल्लेख किए गए अनुसार उच्च दरों पर टीडीएस काटा जाएगा:

- **वैध पैन उपलब्ध न होना:** यदि पैन वैध नहीं है अथवा कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में वैध पैन उपलब्ध नहीं है, तो आयकर अधिनियम की धारा 206कक के अनुसार 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
- **धारा 206कख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट व्यक्ति:**
    - ➢ आयकर अधिनियम की धारा 206कख(3) के अनुसार 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' के अभिप्राय के अंतर्गत आने वाले निवासी शेयरधारकों के मामले में, 20 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा अर्थात वह व्यक्ति जिसने पिछले वर्ष के लिए संगत निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी भरी नहीं किया है, पिछले वर्ष से ठीक पहले जिसमें कर काटा जाना आवश्यक है, जिसके लिए धारा 139 की उप–धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी भरने की समय सीमा समाप्त हो गई है; और उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर एवं स्रोत पर एकत्रित कर का जोड़ उस पिछले वर्ष में 50,000 रुपये अथवा उससे अधिक है।
    - ➢ धारा 206कख के प्रयोजन के लिए 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' की सूची टीडीएस की कटौती के समय, सीबीडीटी के दिनांक 21.06.2021 के परिपत्र संख्या 11/2021 के अनुसार आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टिंग पोर्टल यूटिलिटी से प्राप्त की जाएगी।

- यदि किसी शेयरधारक ने पैन अपडेट नहीं किया है, तो यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारक अधिनियम की धारा 206कख के प्रयोजन से "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" है और टीडीएस तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

(iii) निवासी शेयरधारकों की निम्नलिखित श्रेणी के मामले में, नीचे निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा अथवा टीडीएस कम दर पर काटा जाएगा, जैसी भी स्थिति होः

- **प्रपत्र 15जी/15एचः** ऐसे मामले में जहां शेयरधारक वैध प्रपत्र 15जी (उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी कुल आय पर कोई कर देयता नहीं है और आय अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जिस पर कर न लगाया जाना हो) प्रस्तुत करता है अथवा प्रपत्र 15एच (कुल आय पर जिन व्यक्तियों की कर की देयता नहीं है, उन 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए), कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- **कम/शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्रः** यदि शेयरधारक आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत कम/शून्य कटौती के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो प्रमाणपत्र में निर्धारित दर के अनुसार कर काटा जाएगा।
- **बीमा कंपनियाँः** यदि बीमा कंपनी अपने पास रखी प्रतिभूतियों के विवरण को प्रमाणित करते हुए स्व–घोषणा प्रस्तुत करती है, जिसके विरुद्ध लाभांश घोषित किया गया है और इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए कि यह आईआरडीए के साथ पंजीकृत है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा और आयकर अधिनियम की धारा 194 का दूसरा परंतुक के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र है। उक्त प्रमाण पत्र के साथ पैन और आईआरडीए पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति भी होनी चाहिए।
- **म्युचुअल फंडः** यदि म्युचुअल फंड उसके द्वारा धारित उन प्रतिभूतियों के ब्यौरे प्रमाणित करके, लाभांश घोषित किया गया है और यह तथ्य प्रमाणित करता है कि वह सेबी के पास पंजीकृत है और आयकर अधिनियम की धारा 10(23डी) के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए पात्र है, स्व–घोषणा प्रस्तुत करता है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र के साथ उसके पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति भी होगी।
- **धारा 196 के तहत शामिल किए गए अन्य शेयरधारकः** यदि आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत शामिल करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत शामिल किए गए अन्य शेयरधारकों जैसे सरकार, आरबीआई अथवा केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों के संबंध में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा जो लागू किसी भी कानून के तहत, उसकी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है।
- **वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) श्रेणी-I और II:** यदि यह स्व–घोषणा प्रस्तुत की जाती है, कि शेयरधारक आयकर अधिनियम की धारा 10(23एफबीए) के तहत छूट, धारा 197ए(1एफ) के तहत टीडीएस से छूट के लिए पात्र है और यह कि वे सेबी विनियम के तहत श्रेणी-I या श्रेणी-II एआईएफ के रूप में स्थापित हैं, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। स्व–सत्यापित पंजीकरण दस्तावेजों और पैन कार्ड की प्रति भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/अनुमोदित अधिवर्षिता निधि/अनुमोदित ग्रेच्युटी निधिः** यदि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- **राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्टः** यदि आयकर अधिनियम की धारा 197ए(1ई) के तहत टीडीएस से छूट का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की स्व–सत्यापित प्रति के साथ स्व–घोषणा और पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाती है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- **टीडीएस से छूट की हकदार कोई अन्य कंपनीः** यदि कोई निवासी शेयरधारक (ऊपर निर्धारित व्यक्तियों के अलावा) को आयकर अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून अथवा अधिसूचना के प्रावधानों

के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट दी गई है, तो वैध स्व–सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य (उदाहरण के लिए पंजीकरण, अधिसूचना, आदेश आदि की संगत प्रति) टीडीएस से छूट की हकदार कंपनी के समर्थन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(iv) तथापि, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित किए गए अथवा संभावित रूप से वितरित किया जाने वाला कुल लाभांश 5,000/– रुपये से अधिक नहीं है, तो निवासी व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान कंपनी के लिए उन सभी मामलों में करों को रोकना अनिवार्य बनाते हैं, जहां संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली लाभांश की राशि 5,000/ रुपये से अधिक है। एनएचपीसी पिछले कुछ वर्षों से नियमित रूप से अंतरिम और अंतिम लाभांश का भुगतान कर रही है और उम्मीद है कि कंपनी चालू वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भी अंतरिम लाभांश का भुगतान करेगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंतिम लाभांश पर 4,000/– तक सीमा के साथ 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

(v) लाभार्थी स्वामी को क्रेडिट अंतरित करना:– जिन मामलों में शेयरधारक केवल शेयरों का संरक्षक है और तदनुसार, उसके संबंध में देय लाभांश का लाभार्थी स्वामी नहीं है, तो उन मामले में लाभांश आय का लाभार्थी स्वामी टीडीएस के क्रेडिट के अंतरण के लिए शेयरधारक आयकर नियम, 1962 के नियम 37खक द्वारा निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करें। उपर्युक्त घोषणा में (i) उस व्यक्ति का नाम, पता, पैन और निवासीय स्थिति शामिल होगी जिसको क्रेडिट दिया जाना है; (ii) जिस भुगतान के संबंध में क्रेडिट दिया जाना है; और (iii) ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देने का कारण शामिल होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त निर्धारित विवरण के अभाव में नियम 37खक के तहत टीडीएस के क्रेडिट के अंतरण के लिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. प्रवासी शेयरधारक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित,

(i) आयकर अधिनियम की धारा 195 अथवा 196घ के तहत सामान्य रूप से 20% (+ लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर को रोकना आवश्यक है, जो संगत डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ("डीटीएए/व्यवहार") के लाभकारी प्रावधानों के अधीन हो सकता है।

(ii) अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, प्रवासी शेयरधारक (एफआईआई/एफपीआई सहित) के पास भारत और शेयरधारक के कर निवास वाले देश के बीच डीटीएए के प्रावधानों द्वारा शासित किए जाने का विकल्प है, यदि वे शेयरधारक के लिए अधिक लाभदायक हों। इस प्रयोजन के लिए अर्थात कर व्यवहार के लाभ लेने के लिए, प्रवासी शेयरधारक को निम्नलिखित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन की स्व–सत्यापित प्रति। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो आयकर नियम, 1962 के नियम 37खग के तहत निर्धारित विवरण प्रस्तुत किया जाना है;
- उस देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वैध टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति, जिसका शेयरधारक निवासी है (वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वैध);
- उन प्रवासी शेयरधारकों, जिनके पास पैन है और संधि लाभ का दावा करना चाहते हैं, के लिए उन्हें वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रपत्र 10एफ में स्व–घोषणा कर संधि का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से लिंक https://eportal.incometax.gov.in/ पर फॉर्म 10एफ ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथापि, फा. सं. डीजीआईटी(एस)–एडीजी(एस)–3/ई–फाइलिंग अधिसूचना/फॉर्म/2022/9227, दिनांक 12–12–2022 और फा. संख्या डीजीआईटी (एस)– एडीजी (एस)–3/ई–फाइलिंग अधिसूचना/प्रपत्र/2023/13420, दिनांक 28–03–2023 के माध्यम से सीबीडीटी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए जिन प्रवासी करदाताओं के पास पैन नहीं है और आयकर अधिनियम, 1961 के संगत प्रावधानों के अनुसार पैन रखने की भी आवश्यकता नहीं है, उन्हें 30 सितंबर, 2023 तक प्रपत्र 10एफ को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे श्रेणी के करदाता 30 सितंबर, 2023 तक मैन्युअल मोड में फॉर्म 10एफ भरने का सांविधिक अनुपालन कर सकते हैं।

- इसके साथ संलग्न **अनुबंध–क** के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित और लेटरहेड पर मुहर सहित स्व–घोषणा।
- कर कम रखने, यदि लागू हो, के लिए आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज की स्व–सत्यापित प्रति।

(iii) इसके अतिरिक्त, यदि प्रवासी शेयरधारक कम/शून्य दर पर टीडीएस की कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, तो टीडीएस को ऐसी कम/शून्य दर पर काटा जाएगा, जो नीचे निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन है:

- आयकर प्राधिकारी से प्राप्त धारा 197 या 195(3) के तहत कम कटौती प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा के मामले में, कम कटौती प्रमाण पत्र भी स्व–घोषणा के साथ समर्थित होना चाहिए जो यह पुष्टि करता हो कि आय भारतीय शाखा द्वारा अपने खाते में प्राप्त की गई है, न कि विदेशी बैंक की ओर से और वही भारत में उस शाखा की कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
- यदि किसी प्रवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 आदि के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस से छूट दी गई है, तो छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(iv) यह ध्यान दिया जाए कि ऐसे प्रवासी शेयरधारकों के मामले में, जिनके पास भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) है और जो आयकर अधिनियम की धारा 206कख(3) के अनुसार 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' के रूप में योग्य है (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है), 40 प्रतिशत (+लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है।

धारा 206कख के प्रयोजन के लिए 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' की सूची टीडीएस की कटौती के समय आयकर विभाग द्वारा सीबीडीटी के दिनांक 21.06.2021 के परिपत्र संख्या 11/2021 के अनुसार उपलब्ध कराई गई रिपोर्टिंग पोर्टल यूटिलिटी से प्राप्त की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, धारा 206कख के प्रावधान उन प्रवासी शेयरधारकों के मामले में लागू नहीं होंगे जिनके पास भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति पीई (अर्थात स्थायी प्रतिष्ठान) में व्यवसाय का एक निश्चित स्थान शामिल होता है जिसके माध्यम से प्रवासी का व्यवसाय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किया जाता है।

यदि किसी प्रवासी शेयरधारक का नाम रिपोर्टिंग यूटिलिटी के अनुसार 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' की उपर्युक्त सूची का भाग बनता है, तो 40% (+ लागू अधिभार और उपकर) की दर पर कर काटा जाएगा जब तक कि प्रवासी शेयरधारक का भारत में पीई नहीं है। यदि प्रवासी शेयरधारक के पास भारत में पीई नहीं है, तो प्रवासी शेयरधारक को यह सुनिश्चित करने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित घोषणा प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है कि कर 40% (+ अधिभार और उपकर) की इतनी उच्च दर पर नहीं रखे गये हैं।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट – अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (वास्तविक मोड में शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट मोड में शेयरों के मामले में) के पास आयकर अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूरा और/अथवा अपडेट करवाएं ताकि टीडीएस की कटौती उचित रूप से की जा सके।

3. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) पोर्टल https://einward.alankit.com/ पर अपलोड करना आवश्यक है अथवा **मंगलवार, 22 अगस्त, 2023** (लाभांश की रिकार्ड तिथि) को 11:59 बजे (आईएसटी) तक अथवा उससे पूर्व लाभकारी स्वामी को टीडीएस की छूट/कम कटौती का दावा करने/टीडीएस क्रेडिट अंतरित करने के लिए ई–मेल alankit.nhpc@alankit.com अथवा investorcell@nhpc.nic.in पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त तिथि के बाद शून्य/कम कर/टीडीएस क्रेडिट को लाभकारी स्वामी के मामलों में अंतरित करने के संबंध में शेयरधारकों से कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. लाभकारी टीडीएस दरों (लाभकारी डीटीएए दरों सहित) अथवा शेयरधारकों के लिए टीडीएस से छूट का उपयोग कंपनी द्वारा शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा। यदि उपर्युक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में अथवा कंपनी द्वारा समीक्षा के बाद दस्तावेजों को गैर–संतोषजनक पाए जाने पर लाभांश पर कर उच्च दर से काटा जाता है, तो शेयरधारक के पास आयकर विवरणी प्रस्तुत करते समय प्रदत्त अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। ऐसे काटे गए करों के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

5. सदस्यों द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली किसी भी गलतबयानी, अशुद्धि अथवा सूचना की चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे सदस्य कंपनी को क्षतिपूर्ति करने और कंपनी को किसी भी अपीलीय कार्यवाही में सभी सूचनाएं/दस्तावेज और सहयोग प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

6. यदि उपर्युक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में अथवा कंपनी द्वारा समीक्षा किए जाने पर दस्तावेजों को संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास उनकी आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उस समय प्रदत्त अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

7. शेयरधारक टीडीएस के क्रेडिट को फॉर्म 26एएस में देख सकेंगे, जिसे https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर उनके ई–फाइलिंग खाते से डाउनलोड किया जा सकता है।

8. टीडीएस संबंधी उपर्युक्त पत्र में पत्र की तिथि को कानून के प्रावधान केवल सार रूप में निर्धारित हैं, और सभी संभावित कर परिणामों का पूर्ण विश्लेषण अथवा सूची होने का तात्पर्य नहीं है। शेयरधारक ध्यान दें कि, चूंकि कर परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों और रुख पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लाभांश की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कर प्रभावों के संबंध में अपने स्वयं के कर परामर्शदाता से परामर्श करें।

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि

13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, लाभांश जो कंपनी के अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त अथवा दावा न किए गए हों, वे विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अंतरित किये जाने होते हैं। ऐसे दावा न किए गए लाभांशों के संबंध में शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय के भीतर कंपनी से अपने लाभांश और शेयरों का दावा करें। जिन सदस्यों का दावा न किया गया लाभांश/शेयर आईईपीएफ अंतरित कर दिए गए हैं, वे आईईपीएफ प्राधिकरण को ई–फॉर्म आईईपीएफ–5 (www.iepf.gov.in पर उपलब्ध) में ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट देखें, जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 और उसके बाद दावा न किए गए/अप्रदत्त लाभांशों के आईईपीएफ में अंतरण की नियत तिथियां निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	लाभांश घोषणा की तारीख	आईईपीएफ में अंतरण की नियत तारीख
2015–16 (अंतिम लाभांश)	22-09-2016	27-10-2023
2016–17 (अंतरिम लाभांश)	12-01-2017	12-02-2024
2016–17 (अंतिम लाभांश)	27-09-2017	31-10-2024
2017–18 (अंतरिम लाभांश)	12-02-2018	14-03-2025
2017–18 (अंतिम लाभांश)	27-09-2018	01-11-2025
2018–19 (अंतरिम लाभांश)	08-02-2019	11-03-2026
2018–19 (अंतिम लाभांश)	23-09-2019	28-10-2026
2019–20 (अंतरिम लाभांश)	07-02-2020	08-03-2027
2019–20 (अंतिम लाभांश)	29-09-2020	01-11-2027
2020–21 (अंतरिम लाभांश)	11-02-2021	16-03-2028
वित्तीय वर्ष 2020–21 (अंतिम लाभांश)	29-09-2021	03-11-2028
वित्तीय वर्ष 2021–22 (अंतरिम लाभांश)	11-02-2022	14-03-2029
वित्तीय वर्ष 2021–22 (अंतिम लाभांश)	25-08-2022	28-09-2029
वित्तीय वर्ष 2022–23 (अंतरिम लाभांश)	07-02-2023	09-03-2030

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया

14. अधिनियम की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता तथा अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों की रुचि है, वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम www.evoting.nsdl.com पर लॉग इन करने पर सदस्य के लिए उपलब्ध रहेगी।

15. सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से निःशुल्क निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए कंपनी सचिव को agm2022@nhpc.nic.in पर ई–मेल भेज सकते हैं। एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में कोई भी सूचना चाहने वाले सदस्य **गुरुवार, 24 अगस्त, 2023** को अथवा उससे पूर्व agm2023@nhpc.nic.in पर ई–मेल के माध्यम से कंपनी को लिखकर अनुरोध कर सकते हैं, जिसका कंपनी द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई–वोटिंग और एजीएम के संबंध में सदस्यों को सूचना:

16. संगत नियमावली, सेबी एलओडीआर (संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में एजीएम में

रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए अधिकृत ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग तथा ई–वोटिंग का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा मैसर्स एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

17. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की धारिता वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंधी समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

18. वे सदस्य, जिनके नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात **गुरुवार, 24 अगस्त, 2023** को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, केवल एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग अथवा ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। कट ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार वोटिंग अधिकार होंगे। जो व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए।

19. संयुक्तधारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वह मतदान करने का हकदार होगा।

20. जो सदस्य एजीएम के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें **सोमवार, 21 अगस्त, 2023 से शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) तक** agm2023@nhpc.nic.in पर अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए पंजीकृत ई–मेल पते से अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना चाहिए। केवल उन्हीं सदस्यों को एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है। कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। जब किसी पूर्व–पंजीकृत वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाए, लेकिन वह उत्तर न दे, तो अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ वीडियो/कैमरा वाले डिवाइस से जुड़ जाएं।

21. निदेशक मंडल ने पूरी ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु श्री अमित कौशल (सदस्यता संख्या एफ6230, सीओपी संख्या 6663) को नियुक्त किया है और उनके विफल होने पर मैसर्स ए. कौशल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली, ई–मेल पता: aka_pcs@yahoo.com के श्री आलोक कुमार त्रिपाठी (सदस्यता संख्या ए27448, सीओपी संख्या 13447) को नियुक्त किया है।

22. अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, संकल्प बैठक की तिथि अर्थात **गुरुवार, 31 अगस्त, 2023** को पारित माना जाएगा।

23. ई–वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, जो कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर और मैसर्स एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराया गया है।

सदस्यों के लिए रिमोट ई–वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के अनुदेश

24. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और बुधवार, 30 अगस्त, 2023 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात **गुरुवार, 24 अगस्त, 2023** को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके भाग के अनुपात में होगा, जो कि कट–ऑफ तिथि **गुरुवार, 24 अगस्त, 2023** को है।

ई–वोटिंग प्रक्रिया

एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण–1: एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:–

ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से मत देने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि अगले पृष्ठ पर दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा **आईडीईएएस** उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई–सर्विसेज होम पेज पर **"लॉगिन"** के अंतर्गत **"बेनिफिशियल ओनर"** आइकन पर क्लिक करें, जो **'आईडीईएएस'** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के तहत **"एक्सेस टूई–वोटिंग"** पर क्लिक करके आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अथवा **ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल** पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। ''आडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें'' चुनें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंच जाएंगे, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। 4. निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "NSDL SPEED" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. उपयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल ईज़ी/ईज़ीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉगिन करने के लिए वेबसाइट www.cdslindia.com देखें और सवहपद आइकॉन पर क्लिक करें तथा न्यू सिस्टम माई ईजी पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माई ईजी उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2. ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ई–वोटिंग चल रही है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने अथवा बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक तथा वोटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर पहुंच सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन और न्यू सिस्टम माई ईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रुप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई–वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां ई–वोटिंग चल रही है और सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होंगे।

व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतिधारक) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई–वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणीः जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन के प्रकार	हेल्पडेस्क के ब्यौरे
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022–4886 7000 और 022– 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य helpdesk-evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले और वास्तविक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर) के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति।

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट में लॉग–इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. जब ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक/सदस्य" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्कीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। जब आपअपने लॉगिन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉगिन कर लेते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण–2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रोनिक रूप में अपना मत दें।
4. यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

शेयर धारण करने का तरीका, अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा वास्तविक	आपकी यूजर आईडी है:
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है।	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12****** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो फिर आपकी यूजर आईडी 12************** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं।	ईवीईएन संख्या उसके बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001''' है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001''' है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

क. यदि आप पहले से ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉगिन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए विवश करेगा।

ग. "आरंभिक पासवर्ड" कैसे पुनः प्राप्त करना है:

(i) यदि आपका ई–मेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई–मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई–मेल खोलें और संलग्न अर्थात "पीडीएफ" फाइल खोलें। पीडीएफ" फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। "पीडीएफ" फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

(ii) **यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें।**

6. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो:

क. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "**यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए**" पर क्लिक करें (यदि आपके NSDL or CSDL में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं)।

ख. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "**फिजिकल यूजर रीसैट पासवर्ड**" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं)।

ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते इत्यादि का उल्लेख करते हुए **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण–2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे अपना वोट डालें और कैसे आम बैठक में शामिल हों?

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवीईएन" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र एवं सामान्य बैठक सक्रिय स्तर पर है।

2. जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं, उसका "ईवीईएन" चुनें। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन मीटिंग" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई–वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।

4. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।

5. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश दिखाई देगा।

6. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

7. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

उपर्युक्त अनुदेशों में यदि कोई परिवर्तन/अद्यतनीकरण (अपडेशन), यदि कोई हो, तो वह कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

25. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी के पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) evoting@nsdl.co.in को मार्क की हुई प्रति के साथ विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं), जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित aka_pcs@yahoo.com को ई–मेल द्वारा संवीक्षक को भेजें। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपने लॉगिन में "ई वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी के पत्र" पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकारी का पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।

26. इसकी दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" अथवा "वास्तविक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" पासवर्ड रीसेट करने के लिए www-evoting-nsdl-com पर विकल्प उपलब्ध है।

27. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं अथवा 022–4886 7000 और 022– 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी इस सूचना में निर्धारित संकल्पों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई–वोटिंग के लिए ई–मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैंः

28. यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड स्व–सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) कंपनी के ईमेल (ईमेल आईडी companysecretary@nhpc.nic.in)/आरटीए के ई–मेल (ईमेल आईडी alankit-nhpc@alankit.com) द्वारा उपलब्ध कराएं।

29. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों का डीपी आईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड स्व–सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) कंपनी के ईमेल (ईमेल आईडी companysecretary@nhpc.nic.in)/आरटीए के ई–मेल (ईमेल आईडी alankit-nhpc@alankit.com) द्वारा उपलब्ध कराएं। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप **चरण 1(ए) अर्थात ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना, में उल्लेख की गई लॉगिन विधि को देखें।**

30. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

31. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैंः–

32. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई–वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार है।

33. जो सदस्य/शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों के संबंध में अपना मतदान नहीं किया है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, केवल वही एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

34. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

35. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई–वोटिंग के लिए उल्लिखित वही व्यक्ति ही होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रियाः

36. सदस्य को एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम** तक पहुंचने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने **"जॉइन जनरल मीटिंग"** मेनू के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की नेटवर्क व्यस्तता से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग अनुदेशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

37. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

38. सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

39. मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट से अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव कर सकते हैं। अतः किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

40. जिन सदस्य को एजीएम से पहले अथवा उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं अथवा 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

अन्य सूचना

41. वास्तविक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक सदस्यः

    क. यह सूचित किया जाता है कि सेबी ने सभी संबंधित फोलियो के संबंध में कंपनी के आरटीए को दिनांक 16 मार्च, 2023 को अपने परिपत्र के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए 1 अक्तूबर, 2023 को अथवा उससे पूर्व उनके तद्नुरूपी फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। जिन फोलियो में उपर्युक्त दस्तावेज़ों/विवरणों में

से कोई भी उक्त तिथि को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत न किया जाए, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। 01 अक्तूबर, 2023 से, शेयरधारक (जिनके शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं) के किसी भी सेवा अनुरोध पर आरटीए द्वारा केवल पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर के पंजीकरण पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 31 दिसंबर, 2025 के बाद, फ्रीज किए गए फोलियो को आरटीए/कंपनी द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा। अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने संबंधित सदस्यों को उन फोलियो के बारे में सूचित कर दिया है जो सेबी परिपत्र के संदर्भ में अधूरे हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, भौतिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर संगत प्रपत्रों के माध्यम से कंपनी/आरटीए को तत्काल प्रस्तुत करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.nhpcindia.com देखें।

ख. दो या दो से अधिक फोलियो के तहत शेयर होने की स्थिति में, आरटीए को समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध है।

ग. यह सूचित किया जाता है कि वास्तविक रूप में धारित शेयरों को अंतरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ. यह सूचित किया जाता है कि डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, दावा न किए गए सस्पेंस खाते से दावा, समर्थन, उप-विभाजन/शेयर प्रमाणपत्रों का समेकन, ट्रांसमिशन और अंतरण से संबंधित अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय सेबी के दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के अनुसार, प्रतिभूतियां केवल डीमैट मोड में जारी की जाएंगी। तदनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज़ नहीं किया है, को भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (डीमैट) में परिवर्तित करवा लें।

42. प्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध में आरटीए को सूचित करें:

(i) स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन।

(ii) भारत में रखे गए उनके बैंक खाते का पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, आईएफएस कोड और पिन कोड नंबर सहित बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया है, का विवरण।

43. अधिनियम की धारा 72 के अनुसार, शेयरधारक डीमैट मोड में धारित शेयरों के मामले में और कंपनी के आरटीए के मामले में, अपने संबंधित डीपी को फॉर्म संख्या एसएच 13 प्रस्तुत करके उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में अपना नामांकन पंजीकृत कर सकते हैं। शेयर वास्तविक मोड में धारित होने की स्थिति में कंपनी के आरटीए भेज सकते हैं। यदि भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई शेयरधारक, पहले के नामांकन से बाहर निकलने अथवा रद्द करने और नया नामांकन दर्ज करने, जैसी भी स्थिति हो, का विकल्प चुनना चाहता है, तो वह इसे आईएसआर-3 अथवा एसएच-14 में प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त प्रपत्र हमारी वेबसाइट https://www.nhpcindia.com/welcome/page/304 से डाउनलोड किया जा सकता है।

44. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी ने अपने दिनांक 30.05.2022 के परिपत्र के माध्यम से एक सूचीबद्ध कंपनी और/अथवा आरटीए और उसके शेयरधारक/निवेशकों के बीच विवाद के लिए स्टॉक एक्सचेंज विवाचन तंत्र के अंतर्गत विवाद समाधान के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

45. सदस्यों से अनुरोध है कि वे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को लाभांश मामलों सहित पूरा पत्राचार निम्नलिखित को संबोधित कर भेजें:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
दूरभाष: 011-42541234, 011-23541234
फैक्स-011-42541201, 011-23552001
ईमेल: alankit.nhpc@alankit.com
वेबसाइट: www.alankit.com
टोल फ्री नंबर 1860 1212 155

46. कंपनी के किसी भी निदेशक का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह./-
(रूपा देब)
कंपनी सचिव

दिनांक: 27 जून, 2023

पंजीकृत कार्यालय:
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा -121003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण

सीआईएनः L40101HR1975GOI032564

मद संख्या 5

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 1,00,000/– रुपये प्रति पावर स्टेशन (टीए/डीए, कर और शुल्क को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया हैः

क्रम सं.	फर्म का नाम (मैसर्स)	पावर स्टेशन
1	चंद्र वाधवा एंड कंपनी, दिल्ली*	दुलहस्ती और सलाल
2	बलविंदर एंड एसोसिएट्स, मोहाली	सेवा-I, पार्बती-III और चमेरा-I
3	एस सी मोहंती एंड एसोसिएट्स, दिल्ली	उड़ी-I, उड़ी-II और किशनगंगा
4	संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स, दिल्ली	बैरास्यूल, चमेरा-II और चमेरा-III
5	के बी सक्सैना एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	टनकपुर, धौलीगंगा और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु
6	के जी गोयल एंड कंपनी, जयपुर	चुटक, निम्मो बाजगो और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर
7	नीरन एंड कंपनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	रंगित, तीस्ता-V, लोकतक
8	डीजीएम एंड एसोसिएट्स, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	टीएलडीपी-IV और टीएलडीपी-III और सुबनसिरी लोअर परियोजना**
9	रामनाथ अय्यर एंड कं., दिल्ली	पार्बती-II**

* मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कं., दिल्ली को भी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के समेकन और प्रपत्र सीआरए–3 में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1,00,000/– रुपये (टीए/डीए करों और शुल्कों को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

** पार्बती-II परियोजना और सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उसके वाणिज्यिक रूप से प्रचालित होने के अध्यधीन होगी।

अधिनियम की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए पारिश्रमिक पर विचार किया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसकी बाद में शेयरधारकों पुष्टि की जानी है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्रार्थित है।

कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से कंपनी में उनके शेयरधारण की रुचि, यदि कोई है, की सीमा को छोड़कर, इस सूचना की मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प में, वित्तीय रूप से अथवा संबंधित अथवा इच्छुक नहीं है।

बोर्ड शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए इस सूचना की मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 02 मार्च, 2023 के आदेश सं. 2/13/2021–एनएचपीसी द्वारा श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन (डीआईएनः 10064794) को आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 35क के अनुसार, निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकों को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार नियुक्त कोई भी निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तदनुसार, बोर्ड ने श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन (डीआईएनः 10064794) को 10 मार्च, 2023 से अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी अभ्यर्थिता का प्रस्ताव करने वाले श्री गोवर्थनन से अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के तहत लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त निदेशक से अपेक्षित प्रकटन और घोषणाएं भी प्राप्त हुई हैं। श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने दिनांक 27 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022–23 के उनके कार्यकाल के दौरान उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए तथा उनके ज्ञान, पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता, अनुभव तथा क्षमताओं पर विचार करते हुए बोर्ड को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल ने दिनांक 27 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त न होने वाले श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश की तारीख 02 मार्च, 2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 02 मार्च, 2023 के आदेश तथा निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित करने वाले नियुक्ति पत्र की प्रति सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से और कंपनी के कार्यसमय के दौरान निःशुल्क उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 152 के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में बारी से सेवानिवृत्त न होने वाले स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन की नियुक्ति के लिए आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन अपेक्षित है।

श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन और उनके संबंधियों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी का कोई भी अन्य निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके संबंधी सूचना की मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प में वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा किसी भी तरह से चिंतित अथवा इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए सूचना में निर्धारित विशेष प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

मद संख्या 7

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 जून, 2023 के आदेश सं. 9/9/2021–एनएचपीसी द्वारा श्री उत्तम लाल (डीआईएन 10194925) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात दिनांक 31.05.2026 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। श्री उत्तम लाल ने दिनांक 13 जून, 2023 से निदेशक (कार्मिक) के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 35क के अनुसार, निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकों को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार नियुक्त कोई भी निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तदनुसार, बोर्ड ने श्री उत्तम लाल (डीआईएनः 10194925) को 13 जून, 2023 से अतिरिक्त एवं निदेशक (कार्मिक) के पद पर नियुक्त किया।

चूंकि अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री उत्तम लाल का कार्यकाल अधिनियम की धारा 161(1) के अनुसार एजीएम के समय उनके निदेशक पद की पुष्टि करने और उन्हें निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी मांगी जा रही है।

कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री उत्तम लाल से लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के निदेशक पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता का प्रस्ताव किया गया है। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार श्री लाल से अपेक्षित प्रकटन और घोषणाएं भी प्राप्त हुई हैं। अधिनियम की धारा 164 के अनुसार श्री लाल निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने 27 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में उनके ज्ञान, पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमताओं को देखते हुए निदेशक (कार्मिक) के रूप में बोर्ड को उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल ने दिनांक 27 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में श्री उत्तम लाल को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव किया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त आदेश और इस सूचना की मद संख्या 7 में निर्धारित साधारण संकल्प पारित करके भारत सरकार द्वारा जारी अन्य आदेश के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में श्री उत्तम लाल (डीआईएन 10194925) की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

विद्युत मंत्रालय का दिनांक 06 जून, 2023 का आदेश और अन्य संबंधित दस्तावेज बिना किसी शुल्क के कंपनी के व्यावसायिक घंटों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

श्री उत्तम लाल और उनके संबंधियों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी का कोई भी अन्य निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके संबंधी सूचना की मद संख्या 7 में निर्धारित संकल्प में वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा किसी भी तरह से संबंधित अथवा इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए सूचना में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री उत्तम लाल का संक्षिप्त बायोडाटा संलग्न है।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

क. श्री बिश्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं) (डीआईएनः 09003080)

श्री बिश्वजीत बासु एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएं) हैं। श्री बासु कंपनी के निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

श्री बिश्वजीत बासु, वर्ष 1987 से एनएचपीसी लिमिटेड से जुड़े हुए हैं और ये धीरे–धीरे जिम्मेदारी, नैतिकता और समर्पण की अत्यधिक भावना के साथ धीरे–धीरे वर्तमान पद तक पहुंचे हैं। निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में अपने वर्तमान कार्य भार में, श्री बासु एनएचपीसी की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रभारी हैं जिसमें हाइड्रो तथा नवीकरणीय परियोजनाएं शामिल हैं। कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न प्रभागों के मुख्य कार्य अर्थात परियोजना मॉनिटरिंग एवं समर्थन समूह (पीएमएसजी), आईटीएंडसी, निर्माण उपकरण योजना एवं मॉनीटरिंग (सीईपीएम), मध्यस्थता, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन तथा कारपोरेट संचार तथा एस्टेट प्रबंधन सेवाएं भी उनके कार्य–क्षेत्र में आते हैं।

श्री बासु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति, लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य हैं।

जन्म तिथि और आयु: 30 दिसंबर, 1963 (59 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति: वर्ष 1986 में वैद्युत अभियांत्रिकी में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी, अगरतला) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इन्हें जलविद्युत के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, श्री बासु ने एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और निर्माण तथा ओएंडएम चरण के दौरान एनएचपीसी की अधिकांश परियोजनाओं में योगदान किया है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं चुटक पावर स्टेशन, लोकतक पावर स्टेशन, दिबांग बहु–उद्देशीय परियोजना और धौलीगंगा पावर स्टेशन के परियोजना प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। टीएलडीपी-III पावर स्टेशन को चालू किए जाने के दौरान, वे चालू करने वाले दल के प्रभारी थे। उन्होंने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों का प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां, जिनमें श्री बासु निदेशक हैं और बोर्ड की समितियों की सदस्यता इस प्रकार है:

1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक)
2. रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निदेशक)
3. बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (अध्यक्ष–निदेशक)
4. एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (अध्यक्ष–निदेशक)
5. जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अध्यक्ष–निदेशक)
6. लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (अध्यक्ष–निदेशक)

वह एनएचपीसी लिमिटेड के अलावा किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद पर नहीं हैं।

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे श्री बासु ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: शून्य

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार): 10,275 इक्विटी शेयर

पुनर्नियुक्ति की प्रमुख निबंधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या: श्री बिश्वजीत बासु को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में पहली बार 01 जनवरी, 2021 को अतिरिक्त निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया था। निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में उनकी नियुक्ति का दिनांक 29.09.2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में नियमित की गई। भाग लेने वाली बैठकों की संख्या से संबंधित ब्यौरा निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ख. श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 10064794)

श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन एनएचपीसी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन अब अपने बेटे की व्यावसायिक गतिविधियों में चेन्नई स्थित निर्माण और विकास में लगी कंपनियों के समूह के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में लगे हुए हैं।

श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति के सदस्य हैं।

जन्म तिथि और आयु: 05 मई, 1962 (61 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति: तमिलनाडु के अन्नामलाई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्रीधारक श्री गोवर्धनन राजनीति और अपने बेटे की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हैं। वे एक उद्यमी हैं और उनके पास विनिर्माण उद्योग और कृषि में व्यापक अनुभव है।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों का प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां जिनमें श्री गोवर्धनन निदेशक हैं और बोर्ड की समितियों की सदस्यता: शून्य

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे श्री गोवर्धनन ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: शून्य

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार): शून्य

कौशल और क्षमताएं: कृपया निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण में दिए गए ब्यौरे में कौशल और योग्यता मैट्रिक्स देखें।

नियुक्ति की मुख्य निबधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया: श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 10 मार्च, 2023 से नियुक्त किया गया था। भाग लेने वाली बैठकों की संख्या से संबंधित ब्यौरा निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ग. श्री उत्तम लाल, निदेशक (कार्मिक) (डीआईएन: 10194925)

श्री उत्तम लाल एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) हैं। एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, श्री लाल एनटीपीसी लिमिटेड में एनटीपीसी फाउंडेशन के मुख्य महाप्रबंधक और सीईओ थे। सीएसआर और आर एंड आर– भूमि अधिग्रहण, नीतियों और मजदूरी, औद्योगिक संबंध, कर्मचारी हितलाभ कार्यों में विशेष दक्षताओं के साथ, उन्हें 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। अपने शानदार कैरियर के दौरान, श्री लाल ने एनटीपीसी के अनुसंधान एवं विकास विंग, नेत्रा के मानव संसाधन कार्यों के प्रमुख रहे, जहां उन्होंने शोधकर्ताओं की प्रारंभिक टीम के निर्माण, योग्यता विकास अवसंरचना को तैयार करने, अकादमी और औद्योगिक इंटरफ़ेस मॉडल को डिजाइन करने और वैश्विक बाज़ारों से प्रतिभा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत के सबसे बड़े विद्युत संयंत्र (एनटीपीसी–विंध्याचल) के मानव संसाधन और सीएसआर कार्यों का नेतृत्व करने का श्रेय भी प्राप्त था और वह सबसे बड़े क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय मानव संसाधन प्रमुख थे।

उन्हें जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड में बचाव और राहत कार्यों के लिए टास्क फोर्स–एनटीपीसी की जिम्मेदारियां सौंपी गईं थीं। हाल ही में उन्हें एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रा की संयुक्त उद्यम कंपनी यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड के संगठनात्मक परिवर्तन का कार्य सौंपा गया था।

जन्म तिथि और आयु: 01 जून, 1966 (57 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति: श्री लाल जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (एक्सआईएसएस), रांची से बैचलर ऑफ लॉ (एचआरएम) और हार्वर्ड मैनेज–मेंटर सर्टिफिकेशन की अतिरिक्त योग्यता के साथ मानव संसाधन में प्रबंधन स्नातक हैं।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां जिनमें श्री लाल निदेशक और बोर्ड की समितियों के सदस्य हैं: शून्य

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे श्री लाल ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: शून्य

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 13.06.2023 की स्थिति के अनुसार): शून्य

नियुक्ति की मुख्य निबंधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया: श्री उत्तम लाल को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक और निदेशक (कार्मिक) के रूप में दिनांक 13 जून, 2023 से नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 में, उन्होंने किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनकी नियुक्ति 13 जून, 2023 से प्रभावी थी।

अनुबंध–क

<लेटरहेड पर प्रिंट किया जाना है>

डीटीएए के अंतर्गत लाभ का दावा करने की घोषणा

दिनांकः

सेवा में,

एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003,
ईमेलः investorcell@nhpc.nic.in

विषयः बहुपक्षीय दस्तावेज ("एमएलआई") द्वारा यथासंशोधित, यदि लागू हो, भारत सरकार और <टैक्स रेजिडेंसी का देश> ("डीटीएए/व्यवहार") के देश के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्रता की घोषणा।

उपर्युक्त के संदर्भ में, मैं/हम निम्नलिखित घोषणा करते हैंः

1. मैं/हम, ... <शेयरधारक का पूरा नाम>, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) .... <पैन का उल्लेख करें>, रिकॉर्ड की तारीख को डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या .... के तहत एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी" के शेयरों की संख्या <धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करें>'') धारण करने वाला/वाले एमएलआई (यदि लागू हो) द्वारा यथासंशोधित डीटीएए के संगत अनुच्छेद संख्या का उल्लेख करें (यदि लागू हो), अनुच्छेद के अनुसार .... <देश का नाम> का/के टैक्स रेजीडेंट हूँ/हैं और भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 ("आयकर अधिनियम") की धारा 6 के तहत भारत के 'आवासी' के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं है, रिकॉर्ड तारीख को वैध प्रपत्र 10एफ के साथ <अवधि> के लिए वैध टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न है।
2. मैं/हम संगत वित्तीय वर्ष के दौरान <देश का नाम> का कर निवासी हूं/हैं और बना रहूंगा।
3. मैं/हम कंपनी से प्राप्त होने वाली लाभांश आय का कानूनी और लाभकारी स्वामी हूं/हैं।
4. मैं/हम लाभांश आय के संबंध में एमएलआई (यदि लागू हो) द्वारा यथासंशोधित डीटीएए के प्रावधानों द्वारा शासित होने के पात्र हैं और व्यवहार दर का दावा करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं।
5. एमएलआई (यदि लागू हो) अथवा भारत में एक निश्चित आधार द्वारा यथासंशोधित डीटीएए के अनुच्छेद <डीटीएए के संगत अनुच्छेद संख्या का उल्लेख करें> के अनुसार भारत में मेरा/हमारा कोई स्थायी प्रतिष्ठान ("पीई") नहीं है। हमें प्रदत्त/देय राशि, किसी भी स्थिति में, पीई अथवा निश्चित आधार, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जो अन्यथा बनाए जा सकते हों।
6. मेरे/हमारे पास किसी तीसरे देश में पीई नहीं है और मुझे/हमें प्रदत्त/देय राशि, किसी भी स्थिति में, तीसरे क्षेत्राधिकार, यदि कोई है, में पीई के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो अन्यथा बनाए जा सकते हों।
7. अधिनियम की धारा 9(1)(i) के प्रावधान के अनुसार मेरा/हमारा भारत में कोई व्यापारिक संबंध नहीं है और मुझे/हमें प्रदत्त/देय राशि, किसी भी स्थिति में, भारत में किए गए व्यापार प्रचालन, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं है।
8. मैं/हम पुष्टि करता हूं/करते हैं कि .... <शेयरधारक का पूरा नाम> मेरे कार्यों/मामलों को व्यवस्थित करने का मुख्य प्रयोजन अथवा प्रमुख प्रयोजन लागू व्यवहार के तहत उपलब्ध कर लाभ प्राप्त करना नहीं था।
9. इसके अतिरिक्त, व्यवहार के अंतर्गत राहत के लिए हमारा दावा, या इसके अंतर्गत लाभ की सीमा का अंश, यदि कोई हो, को लागू करने से प्रतिबंधित नहीं है।

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि ऊपर की गई घोषणाएं सत्य और वास्तविक हैं। मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना के किसी भी गलत विवरण, अशुद्धता अथवा चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में मैं/हम जिम्मेदार होंगे।

मैं/हम ऐसी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) का भुगतान करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा कंपनी को आवश्यक सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे और किसी भी आयकर/अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

कृते .... <आदाता के नाम का उल्लेख करना>

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

<हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम>

<हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम>

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 के विकास और प्रगति का उल्लेख करते हुए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा के साथ आपकी कंपनी की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- एनएचपीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3,537.71 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में एकल आधार पर 3,833.79 करोड़ रुपये का वार्षिक कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। विगत वित्तीय वर्ष में 3,774.33 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 4,234.74 करोड़ रुपये का समेकित निवल लाभ प्राप्त किया है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रचालनों से कुल आय और राजस्व अब तक का सबसे अधिक क्रमशः 10,150.90 करोड़ रुपये और 9,316.34 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय क्रमशः 3,830.42 करोड़ रुपये तथा (3.37) करोड़ रुपये थी।
- एनएचपीसी के पावर स्टेशनों ने अब तक का सबसे अधिक समग्र संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 88.75 प्रतिशत दर्ज किया और वर्ष के दौरान 24907 मिलियन यूनिट उत्पादन किया।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लाभांश के जरिए (वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 356.34 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 997.75 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश) भारत सरकार के राजकोष में 1,354.09 करोड़ रुपये का नकद योगदान किया गया था।
- एनएचपीसी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अर्थात 2880 मेगावाट दिबांग बहु–उद्देश्यीय परियोजना के विकास के लिए अग्रसर है।
- भारत सरकार द्वारा एनएचपीसी को सावलकोट एचईपी के निर्माण–पूर्व क्रियाकलापों के लिए 973 करोड़ रुपये का निवेश प्रदान किया गया है।
- एनएचपीसी ने अगस्त, 2022 में 750 मेगावाट वेस्ट सेती और 450 मेगावाट एसआर–6 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए काठमांडू, नेपाल में नेपाल के निवेश बोर्ड (आईबीएन) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान को आगे बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, आईबीएन ने एनएचपीसी को मार्च, 2023 में 450 मेगावाट सेती नदी–6 परियोजना के लिए सर्वे लाइसेंस जारी किया है।
- एनएचपीसी लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीयूसीएल), नेपाल के साथ फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना (480 मेगावाट) के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है, जो कि करनाली प्रांत, नेपाल के कालीकोट जिले में स्थित एक रन–ऑफ–द–रिवर जलविद्युत परियोजना है। इस समझौता ज्ञापन का जून, 2023 में भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में आदान–प्रदान किया गया था।
- एनएचपीसी को खावड़ा में 600 मेगावाट सौर पार्क (जीएसईसीएल चरण 1) में स्थित 200 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजनाएं सौंपी गयी हैं।
- एनएचपीसी ने जुलाई, 2022 में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के कारगिल जिले और लेह जिले में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दो पायलट परियोजनाओं से ग्रीन हाइड्रोजन के भविष्य के विकास और उसके बाद परिवहन/हीटिंग के क्षेत्र में उससे कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए रोडमैप तैयार होगा।
- एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने राजस्थान राज्य में "10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क के विकास" के लिए राजस्थान सरकार के साथ अगस्त, 2022 में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एनएचपीसी ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 2022 में आईआईटी जम्मू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

1. वित्तीय निष्पादन

महत्वपूर्ण वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2022-23	2021-22
प्रचालनों से राजस्व	9,316.34	8,309.22
मूल्यह्रास से पूर्व लाभ, ब्याज, दर विनियमित आय और कर	6,205.20	5,704.83

मूल्यह्रास	1,145.44	1,126.22
मूल्यह्रास के पश्चात लेकिन दर विनियमित आय, ब्याज और कर पूर्व लाभ	5,059.76	4,578.61
ब्याज और वित्त प्रभार	476.16	531.75
मूल्यह्रास और ब्याज के पश्चात लेकिन दर विनियमित आय और कर पूर्व लाभ	4,583.60	4,046.86
दर विनियमित आय	(144.41)	(1,270.42)
कर	605.40	(761.27)
मूल्यह्रास, कर, दर विनियमित आय और कर पश्चात लाभ	**3,833.79**	**3,537.71**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(3.37)	12.76
कुल व्याापक आय (टीसीआई)	**3,830.42**	**3,550.47**
विगत वर्षों के लाभ व हानि विवरण से अधिशेष (अन्य व्यापक आय सहित)	10,094.39	7,935.70
बांड मोचन रिजर्व से अंतरण	236.95	275.70
उप–जोड़	**14,161.76**	**11,761.87**
घटाः विनियोजन		
लाभांश	1,908.56	1,667.48
अन्य व्यापक आय सहित प्रतिधारित आय का अंतिम शेष	**12,253.20**	**10,094.39**

1.1. राजस्व

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 10,150.90 करोड़ रुपये की कुल आय सृजित की है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल आय 9,335.40 करोड़ रुपये थी।

1.2 व्यय

कुल व्यय में विगत वर्ष में 5,288.54 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 5,567.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

1.3 कुल व्यापक आय

आपकी कंपनी की कुल व्यापक आय में विगत वित्तीय वर्ष में 3,550.47 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3,830.42 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

1.4 निवल मूल्य

आपकी कंपनी की निवल आय 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 35,407.96 करोड़ रुपये थी, जबकि विगत वित्तीय वर्ष के अंत में 33,486.10 करोड़ रुपये थी।

1.5 शेयर पूंजी

आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 10,045.03 करोड़ रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अपरिवर्तित रही।

1.6 आरक्षित राशि में अंतरण

वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने किसी आरक्षित राशि में कोई राशि अंतरित नहीं की।

2. लाभांश

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 452.03 करोड़ रुपये राशि के लिए 0.45 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। उपर्युक्त लाभांश मार्च, 2023 में चुकाए गए 1,406.30 करोड़ रुपये की राशि के लिए 1.40 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश 1.85 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार 1,858.33 करोड़ रुपये होता है। आपकी कंपनी के पास मई, 2017 से एक लाभांश वितरण की नीति है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार, व्यापक रूप से लाभांश अदायगी पीएटी का 30 प्रतिशत अथवा निवल आय का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल लाभांश भुगतान (कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश के अनुमोदन के अध्यधीन) 1.85 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,858.33 करोड़ रुपये, अर्थात वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पीएटी का 48.47% और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निवल आय का 5.25% रहेगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश भुगतान 1,818.15 करोड़ रुपये अर्थात पीएटी का 51.39% और विगत वर्ष में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल आय का 5.43% था। कंपनी की लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1672828855.pdf पर उपलब्ध है।

3. प्रचालनात्मक निष्पादन

आपकी कंपनी के पावर स्टेशनों ने पिछले वर्ष के दौरान 24,855 एमयू उत्पादन की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान 24,907 एमयू का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन किया है। सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 2019–20 के दौरान 26,121 एमयू रहा था।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 88.19% के समग्र पीएएफ की तुलना में इस वर्ष के दौरान 88.75% का अब तक का सबसे अधिक समग्र संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) भी हासिल किया है। वर्ष 2022–23 के दौरान पावर स्टेशन–वार उत्पादन और पीएएफ नीचे तालिका में दिया गया है:

पावर स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य' (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	वास्तविक पीएएफ (%)
बैरास्यूल	736	628	88.05
लोकतक	594	478	95.19
सलाल	3726	3240	90.05
टनकपुर	522	535	86.21
चमेरा-I	2305	1889	93.08
उड़ी	3142	2862	91.26
रंगित	353	332	90.31
चमेरा-II	1553	1327	97.10
धौलीगंगा	1278	1293	98.16
दुलहस्ती	2242	2083	92.01
तीस्ता-V	2812	2858	100.38
सेवा-II	549	508	99.84
चमेरा-III	1151	1002	96.32
चुटक	221	167	61.83
टीएलडीपी-III	618	599	84.39
निम्मो बाजगो	248	236	92.24
उड़ी-II	1713	1574	90.91
पार्बती-III	737	652	54.31
टीएलडीपी-IV	758	735	86.64
किशनगंगा	1713	1454	85.86
पार्बती-II**	488	288	-
कुल (हाइड्रो)	**27461**	**24740**	**88.75**
पवन विद्युत परियोजना	94	77	-
सौर विद्युत परियोजना	106	90	-
कुल	**200**	**167**	**-**
कुल (एनएचपीसी)	**27661**	**24907**	**88.75**

टिप्पणी:

'वित्तीय वर्ष 2022–23 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड के उत्पादन लक्ष्य सहित समेकित उत्पादन लक्ष्य 32,611 मिलियन यूनिट है। एनएचपीसी लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड के उत्पादन सहित वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वास्तविक उत्पादन 30350 एमयू है।

**वास्तविक उत्पादन इंफर्म विद्युत में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान:

- तीन (3) पावर स्टेशनों अर्थात तीस्ता-V, निम्मो बाजगो और सौर विद्युत, जैसलमेर ने शुरू से लेकर अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन हासिल किया है।

- ग्यारह (11) पावर स्टेशनों यथा धौलीगंगा, उड़ी-II, सलाल, चमेरा-I, टनकपुर, दुलहस्ती, तीस्ता-V, लोकतक, सलाल, धौलीगंगा, उड़ी, टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV ने अपनी वार्षिक निर्धारित ऊर्जा प्राप्त की है।
- तीन (3) पावर स्टेशनों यथा तीस्ता-V, टनकपुर और चुटक ने अपनी शुरूआत से अब तक का सर्वाधिक पीएएफ हासिल किया है।
- बीस (20) जलविद्युत स्टेशनों में से, अठारह (18) पावर स्टेशनों ने अपना संबंधित एनएपीएएफ (मानक पीएएफ) हासिल कर लिया है।

लोकतक पावर स्टेशन का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

लोकतक पावर स्टेशन को अप्रैल–मई, 1983 में चालू किया गया था और इसने सीईआरसी विनियम, 2014 के अनुसार मई, 2018 में अपना 35 वर्षों का उपयोगी जीवनकाल पूरा कर लिया है। सीईआरसी ने सितंबर, 2017 के अनुसार 273.59 करोड़ रुपये (आईडीसी और एफसी सहित) के वित्तीय प्रभाव के साथ पावर स्टेशन के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। पावर स्टेशन की डिजाइन ऊर्जा आर एंड एम कार्य पूरा होने के बाद, मौजूदा 448 एमयू डिजाइन ऊर्जा की तुलना में 562.73 एमयू हो जाएगी।

कार्यों का क्षेत्र इस प्रकार है:

- क्रियाकलापों में मुख्यतः जेनरेटर, जेनरेटर ट्रांसफार्मर, टरबाइन और यूनिट एवं स्टेशन के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए अन्य संयंत्र उपकरण शामिल हैं।
- यूनिट और स्टेशन का दक्ष और सतत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित क्रियाकलाप।
- विद्युत संयंत्र के नियंत्रण, निगरानी और सुरक्षा प्रणाली जैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर, स्टेटिक एक्साइटेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल रिले, स्काडा इत्यादि का कार्यान्वयन।
- जल कंडक्टर प्रणाली का नवीकरण और उससे जुड़े सिविल/एचएम कार्य जिसमें अवसंरचना कार्य शामिल हैं।

4. वाणिज्यिक निष्पादन

4.1 बिक्रियां और वसूलियां

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की प्रचालनों से बिक्रियां 9316.34 करोड़ रुपये रही हैं। हम सहर्ष यह सूचित करते हैं कि आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 76.73 करोड़ रुपये के अधिभार सहित 7762.60 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने में समर्थ रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 8094.55 करोड़ रुपये की मूल राशि की बिलिंग में से 7542.95 करोड़ रुपये एकत्र किए। वर्ष के दौरान, कुल एकत्रण 7547.55 करोड़ रुपये था, जिसमें विद्युत व्यापार कारोबार से भी एकत्रण शामिल था।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, 45 दिनों से अधिक के लिए 55 करोड़ रुपये की कुल बकाया देयताएं (0.88 करोड़ रुपये के अधिभार सहित) लंबित थीं, जो कि सभी पावर स्टेशनों की शुरूआत से लेकर अब तक किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हर समय की सबसे कम है। बकाया राशि मुख्य रूप से पीएसपीसीएल, पंजाब (25.26 करोड़ रुपये), जेकेपीसीएल, जम्मू–कश्मीर (19.93 करोड़ रुपये), जेवीवीएनएल, राजस्थान (7.73 करोड़ रुपये) और एमईईसीएल, मेघालय (1.20 करोड़ रुपये) से संबंधित है। आपकी कंपनी निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया देयताओं का परिसमापन करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

4.2 विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर

हमारे पावर स्टेशनों के लिए दीर्घावधिक पीपीए की उपलब्धता संगठन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संगठन के लिए राजस्व की उपलब्धता होती है और सुनिश्चित रिटर्न की दर प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कारोबारी विस्तार के लिए किया जा सकता है। इस तथ्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण था कि सस्ते टैरिफ वाले पावर स्टेशनों के लिए पीपीए 40/35 वर्षों का था, जबकि कुछ पावर स्टेशनों के लिए पीपीए महंगे टैरिफ पर शुरू में 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध था, जो समाप्त हो चुके थे/समाप्त होने वाले थे।

अतः इस क्षेत्र पर बल देने के लिए एक मत से निर्णय ले लिया गया है। वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने निम्नलिखित पावर स्टेशनों/भावी परियोजनाओं के संबंध में पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्रम सं.	लाभार्थी डिस्कॉम	पावर स्टेशन	पीपीए हस्ताक्षर करने की तारीख	पीपीए की वैधता
1	बीआरपीसीएल, दिल्ली	बैरास्यूल	15.06.2022	30.08.2046 पिछली यूनिट के आरएंडएम से 25 वर्ष
2	बीवाईपीएल, दिल्ली			
3	राजस्थान	सेवा-II	27.07.2022	सीओडी से 40 वर्ष तक वैध
		उड़ी-II		सीओडी से 35 वर्ष तक वैध
4	मेघालय	लोकतक	11.07.2022	अंतिम यूनिट के आर एंड एम से +25 वर्ष की मध्यवर्ती अवधि के लिए वैध

सीपीएसयू स्कीम के अंतर्गत, अनेक संख्या में नई जलविद्युत परियोजनाओं/सौर परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ ही, एनएचपीसी इन नई परियोजनाओं की क्षमता के अनुसार राज्यों/डिस्कॉमों के साथ संपर्क कर रही है। निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

क्रम सं.	लाभार्थी डिस्कॉम	पावर स्टेशन	पीपीए हस्ताक्षर करने की तारीख	पीपीए की वैधता
1	छत्तीसगढ़	सुबनसिरी लोअर	20.10.2022	सीओडी से 40 वर्ष तक वैध
		तीस्ता-VI	21.07.2022	
		दिबांग एमपीपी	17.02.2023	
2	पश्चिम बंगाल	100 मेगावाट सौर परियोजना, कादरी, आंध्र प्रदेश	23.11.2022	सीओडी से 25 वर्ष तक वैध
3	तेलंगाना	600 मेगावाट सौर परियोजना, कच्छ, गुजरात	28.03.2023	सीओडी से 25 वर्ष तक वैध

5. निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति

वर्तमान में, आपकी कंपनी 9314 मेगावाट क्षमता की 09 जलविद्युत परियोजनाओं (संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों सहित) के निर्माण में लगी हुई है। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्रम सं.		परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थपित क्षमता (मेगावाट)
क.	**एकल आधार पर**			
	i	पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	800
	ii	सुबनसिरी लोअर	असम/अरुणाचल प्रदेश	2000
	iii	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	2880
			उप–जोड़ (क)	**5680**
ख.	**सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के माध्यम से**			
	i.	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) के अंतर्गत तीस्ता स्टेज-VI जल विद्युत परियोजना	सिक्किम	500
	ii.	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) के अंतर्गत रंगित-IV जल विद्युत परियोजना	सिक्किम	120
	iii.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेकेएसपीडीसी) के अंतर्गत एक संयुक्त उद्यम, के अंतर्गत पकल दुल जल विद्युत परियोजना	जम्मू व कश्मीर	1000
	iv.	सीवीपीपीपीएल के अंतर्गत कीरू जल विद्युत परियोजना		624
	v.	सीवीपीपीपीएल के अंतर्गत क्वार जल विद्युत परियोजना		540
	vi.	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (जेकेएसपीडीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम) के अंतर्गत रतले जल विद्युत परियोजना		850
			उप–जोड़ (ख)	**3634**
		कुल जोड़ (क+ख)	**कुल जोड़ (क+ख)**	**9314**

5.1 एनएचपीसी एकल परियोजनाएं

5.1.1 पार्बती-II जल विद्युत परियोजना – 800 मेगावाट (4x200 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

पार्बती-II जल विद्युत परियोजना पार्बती नदी के लोअर रीच की जलविद्युत संभाव्यता हासिल करने के लिए रन–ऑफ–द–रिवर योजना के रूप में एनएचपीसी द्वारा निर्मित की जा रही है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। परियोजना से अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 90% आश्रित वर्ष में 3,124 मिलियन यूनिट है।

मुख्य विशेषताएं

बांध का स्थान	पार्बती नदी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध, ऊंचाई 83.7 मी. और लंबाई 110 मी.
स्पिल्वे रेडियल गेट	3, 6.0 मी. × 90 मी.
डिसिल्टिंग चैम्बर	3, डुफर टाइप, 15 मी. × 16 मी. × 170 मी.
हेड रेस टनल (एचआरटी)	31.5 45 कि.मी. लम्बी (24.301 कि.मी., डीबीएम द्वारा हॉर्स शू शेप डीबीएम द्वारा और 7.2 44 लम्बी कि.मी. सर्कुलर शेप टीबीएम द्वारा
सर्ज शाफ्ट	17 मी. व्यास, 130 मी. ऊंचाई में अंडरग्राउंड ओरिफिस टाइप
प्रेशर शाफ्ट	2, 3.50 मी. व्यास, 2121.5 मी. (दाएं) और 2149.5 मी. (बाएं) लंबाई में अंडरग्राउंड इनक्लाइंड प्रेशर शाफ्ट
पावर हाउस उत्पादन प्रति यूनिट डिस्चार्ज	सरफेस पावर हाउस, 200 मेगावाट, प्रत्येक की 4 यूनिट (पेल्टन) 3124.60 मिलियन यूनिट 29 क्यूमेक
रिजरवायर क्षमता	कुल भंडारण: 6.83 एमक्यूएम ड्यूरनल स्टोरेज: 3.09 एमक्यूएम

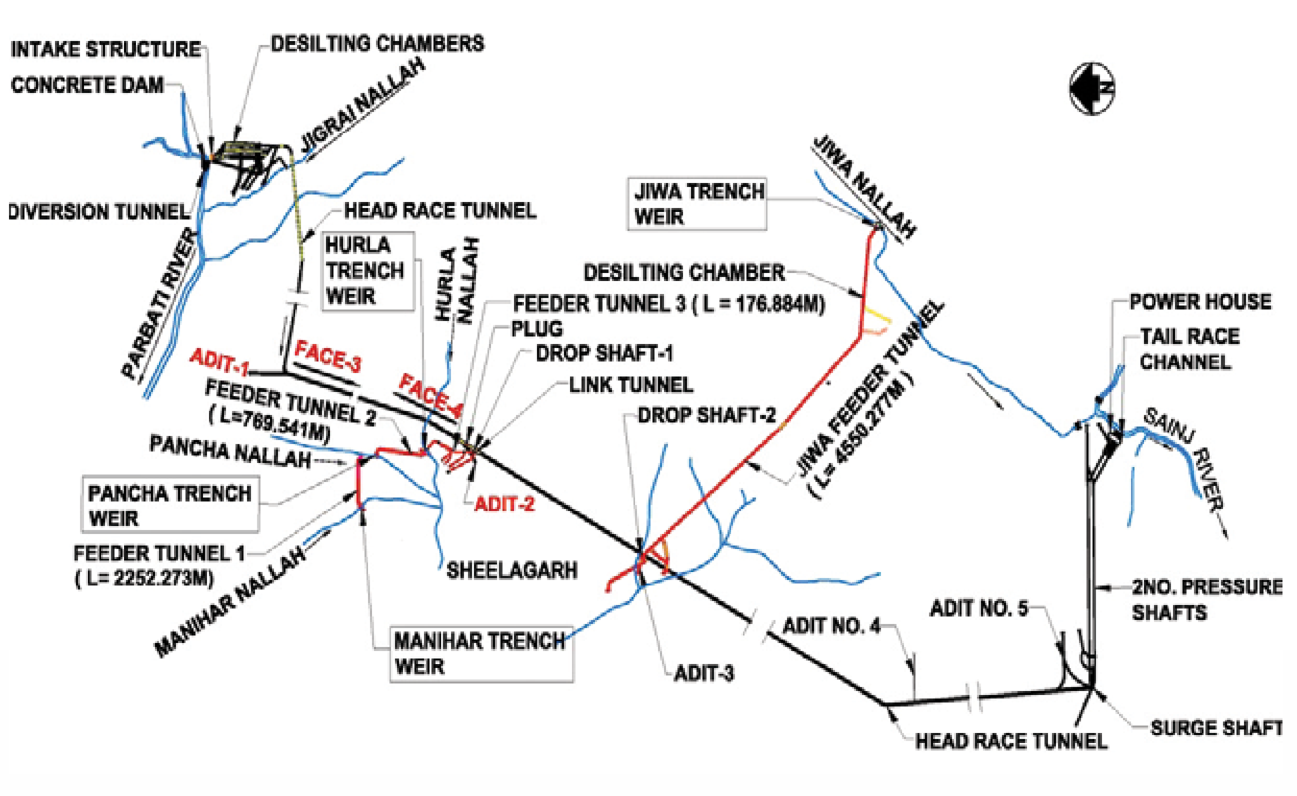

परियोजना ले–आउट

नदी के पानी को एक 31,545 कि.मी. लम्बे हेड रेस टनल (एचआरटी) के जरिए डाइवर्ट करने के लिए पार्बती घाटी में ग्राम पुल्गा में 83.7 मी. ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है। सैंज घाटी में ग्राम सुइंद में 863 मी. के सकल हेड का उपयोग करते हुए 800 मेगावाट (4×200 मेगावाट) क्षमता का एक पावर हाउस बनाया गया है। पार्बती नदी का डाइवर्ट किया गया डिस्चार्ज एचआरटी के साथ–साथ जीवा, हर्ला, पंचा और मांझर जैसे विभिन्न नालों के डिस्चार्ज को डाइवर्ट करके और भी बढ़ाया जाना है।

बांध के प्रमुख सिविल कार्य, इंटेक संरचना, डिसिल्टिंग चैम्बर, प्रेशर शॉफ्ट, सर्ज शॉफ्ट, पावर हाउस, सभी नाले यथा जीवा, हर्ला, पंचा तथा मनिहार पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में, दोनों फेसों (फेस–3 और फेस–4) से एचआरटी खुदाई क्रमशः ड्रिल और ब्लास्ट विधि (डीबीएम) तथा टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के द्वारा की जा रही है। मार्च, 2023 तक 99.15% एचआरटी खुदाई पूरी हो चुकी है।

बांधः पूरा किया गया

पावर हाउसः पूरा किया गया

डीबीएम द्वारा एचआरटीः प्रगति पर

टीबीएम द्वारा एचआरटीः प्रगति पर

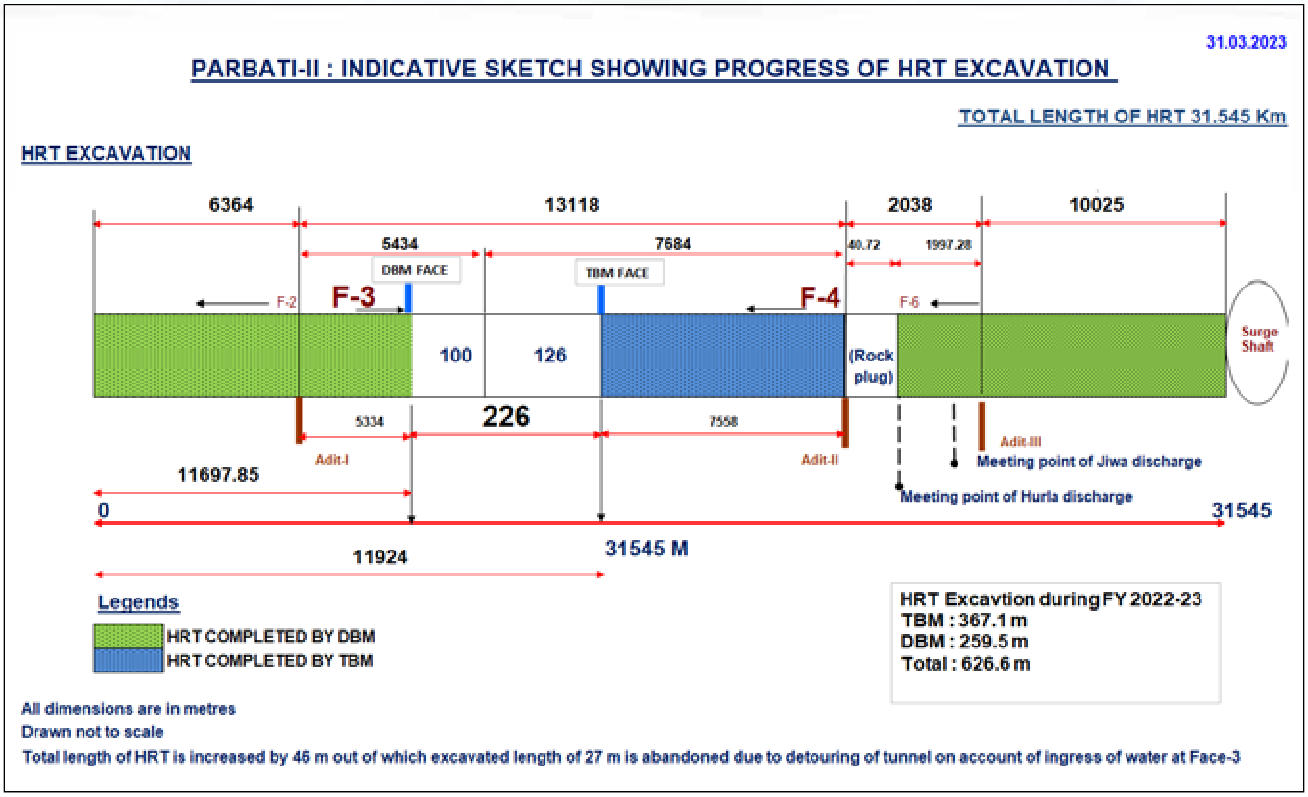

प्रमुख एचएम कार्य पूरे हो चुके हैं। परियोजना के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य पूरे हो चुके हैं और आंशिक भार के रूप में ग्रिड के साथ सभी यूनिटों को सिंक्रोनाइज किया गया है। वर्तमान में जीवा, मनिहार, पंचा और हर्ला नालों से पानी की उपलब्धता के अनुसार, विद्युत (इनफर्म विद्युत) का उत्पादन किया जा रहा है। मार्च, 2023 तक पारबती-II से इनफर्म विद्युत के रूप में 1,117 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया है।

परियोजना के समक्ष अनेक प्रतिकूल स्थितियां आई हैं, जैसे बहुत ही खराब/कमजोर भौगोलिक स्थितियां, एचआरटी में सिल्ट के साथ पानी का भारी प्रवेश, जिसके कारण टीबीएम और अन्य ड्रिलिंग उपकरणों का दब जाना तथा समय–समय पर टनल में बाढ़ आना, असाधारण भौगोलिक घटनाएं होना, पावर हाउस की बैक हिल स्लोप का विफल होना, एचआरटी कार्य ठेकेदारों का निष्पादन न करना, श्रमिक संघों द्वारा प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की समस्याएं आदि घटनाएं हुईं।

सभी बाधाओं को पार करते हुए आपकी कंपनी के प्रबंधन ने प्रगति में तेजी लाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- उचित विश्लेषण और संसाधन की योजना बनाकर साइकल समय का वास्तविक समय विश्लेषण – साइकल समय में नियमित सुधार।
- उन्नत सहायता प्रणाली अर्थात मैकनल्ली सहायता प्रणाली अपनाना, जिसके कारण खराब भौगोलिक स्थिति में टीबीएम की उन्नति हुई।
- 5 माह में 2500 मी. ओवर्ट कंक्रीट लाइनिंग हासिल करने के लिए 48 मी. (4×12 मी.) का एक निरंतर गेंट्री शटर तैयार किया गया।
- पानी के प्रवेश को चैनलाइज करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और प्रयास किए गए।

5.1.2 सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना – 2,000 मेगावाट (8×250 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना अभी तक भारत में निर्माणाधीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना है और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी सुबनसिरी नदी पर एक रन–ऑफ–द–रिवर योजना है। यह परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गेरुकामुख (जिला धेमाजी)/कोलाप्तुकर (कामले जिला) में स्थित है। सुबनसिरी नदी के दाहिनी ओर अरुणाचल प्रदेश और बाईं ओर असम स्थित है। सुबनसिरी नदी के दाहिनी ओर सभी प्रमुख परियोजना घटक जैसे इनटेक, एचआरटी पावर हाउस और टीआरसी आदि स्थित हैं और बाएं किनारे पर डाइवर्जन टनल स्थित है।

परियोजना के लिए सीसीईए की मंजूरी सितंबर, 2003 में प्राप्त की गई थी और एनएचपीसी ने दिनांक 12 अक्तूबर, 2004 को अंतिम वन मंजूरी के बाद जनवरी, 2005 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। निर्माण कार्य दिसंबर, 2011 में रोक दिया गया था क्योंकि विभिन्न प्रदर्शनों और विरोधों, डाउनस्ट्रीम प्रभावों और सुरक्षा संबंधी कारणों के साथ–साथ बाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) मे याचिकाएं भी दायर की गई थीं। माननीय एनजीटी ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और परियोजना को दिनांक

31 जुलाई, 2019 के आदेश के तहत मंजूर कर दिया गया तथा परियोजना का निर्माण कार्य 15 अक्तूबर, 2019 से पुनः शुरू किया गया। इसी बीच, असम सरकार के साथ करार ज्ञापन (एमओए) और अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ पीपीए पर अगस्त, 2019 में हस्ताक्षर किए गए। अन्य लाभार्थी राज्यों के साथ पीपीए पहले से ही मौजूद हैं।

मुख्य विशेषताएं

स्थान	उत्तरी लखीमपुर तथा असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास सुबनसिरी नदी
बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (116 मी. ऊंचाई, 271 मी. चौड़ाई, 284 मी. लंबाई)
एचआरटी	8, 9.5 मी. व्यास, हॉर्श शू आकार, 7102 मी. कुल लम्बाई
पावर हाउस	सरफेस, 285 मी. × 61 मी. × 64 मी. हाउसिंग 8 यूनिटें
स्पिल्वे रेडियल गेट	9, 11.5 मी. × 14.0 मी.
प्रेशर शॉफ्ट	8, वर्टिकल 48 मी. गहराई (सर्कुलर, 9.5 मी. से 7 मी. तक अलग–अलग व्यास तथा 209 मी. से 231 मी. तक लंबाई)
सकल शीर्ष	91 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90% आश्रित वर्ष में 7422 एमयू

सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- परियोजना में 1200 टीपीएच का समग्र प्रोसेसिंग प्लांट शामिल है, जो कि जल विद्युत परियोजना में अभी तक का भारत में चालू किया गया ऐसा सबसे बड़ा संयंत्र है। साथ ही, सुबानसिरी नदी पर एक 300 मी. का कन्वेयर ब्रिज भी है, जो भारत में सबसे बड़ा कन्वेयर ब्रिज है।
- कंक्रीट बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट में 880 क्यूमेक क्षमता के संयंत्र, एक ट्विन शॉफ्ट मिक्सिंग संयंत्र और एक चिलिंग तथा आइस प्लांट केटीआई जर्मनी से है। यह भारत में बांध निर्माण के लिए एकल विशालतम बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट है।
- रोटेक टावर बेल्ट सिस्टम का प्रयोग भारत में पहली बार सुबनसिरी लोअर एचई परियोजना के बांध की कंक्रीटिंग के लिए किया गया।
- सबसे बड़ा रेडियल गेट आकार के संदर्भ में और हेड मिश्रण (11.5 मी. × 14.0 मी.) तथा 64 मी. का प्रभावी हेड।
- 8 लेन के प्रेशर शाफ्ट की मुख्य विशेषताएं, जिनमें प्रत्येक का 8 मी. व्यास, 10 डाइवर्जन टन गेट और 24 ड्राफ्ट ट्यूब गेट है।
- सुबनसिरी परियोजना का जनरेटर देश में सर्वाधिक क्षमता का हाइड्रोजनरेटर है, जिसकी एमवीए रेटिंग 306 एमवीए है।
- किसी हाइड्रो पावर प्लांट में रोटर सबसे बड़ा उपकरण होता है, जिसका भार 620 टन और व्यास 11.45 मी. के लगभग है।
- परियोजना का स्टेटर अपने 395 टन भार और 11.5 मी. व्यास की बोर के संदर्भ में देश में सबसे बड़ा उपकरण है।
- परियोजना का रनर देश का सबसे भारी फ्रांसिस टरबाइन रनर है, जिसका भार लगभग 105 टन है।
- मुख्य इनलेट वाल्व, जिसका भार लगभग 355 टन और व्यास 7 मी. है, देश में सबसे बड़ा मुख्य इनलेट वाल्व है।
- 420 केवी जीआईएस, जिसकी कुल 22 बे है, देश में किसी भी हाइड्रो परियोजना में देश का सबसे बड़ा जीआईएस होगा।

परियोजना से विद्युत आबंटन नीचे तालिका में दिया गया है:

असम (25*+508)	533 मेगावाट
अरुणाचल प्रदेश (240*+34)	274 मेगावाट
अन्य पूर्वोत्तर राज्य (मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम)	198 मेगावाट
उत्तरी राज्य (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़)	387 मेगावाट
पश्चिमी राज्य (गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा)	613 मेगावाट
कुल	**2000 मेगावाट**

*निःशुल्क विद्युत। असम के लिए 0.25% (5 मेगावाट) निःशुल्क विद्युत एनएचपीसी द्वारा अपने संसाधनों से समाहित की जानी है।

परियोजना लेआउट

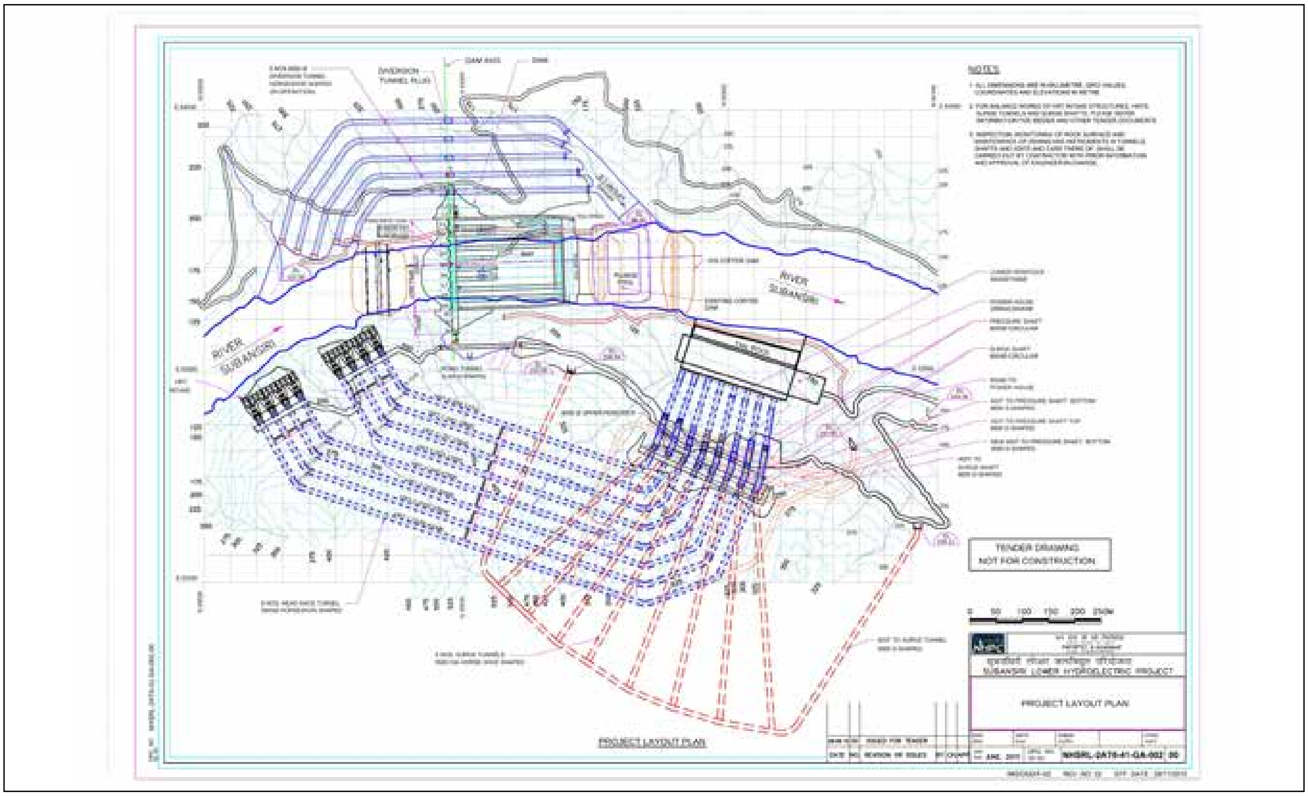

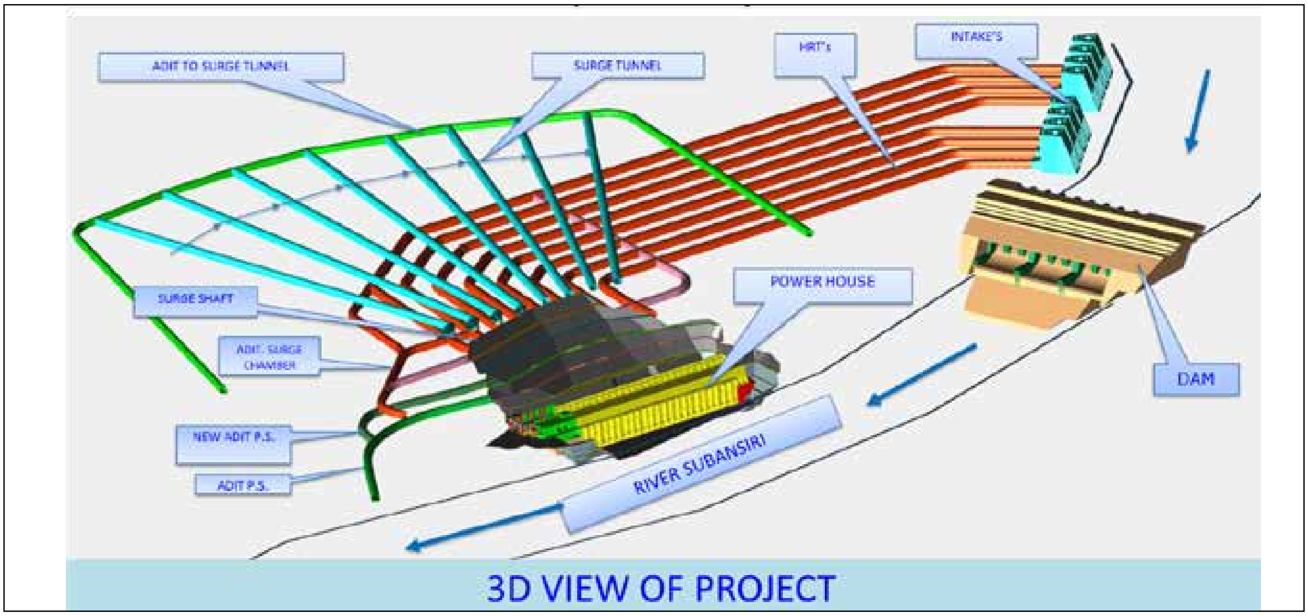

प्रमुख कार्यों की स्थिति:

सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चार एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, जिनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया है, यथा **डैम एंड डाइवर्जन टनल कार्य:** मैसरेस बीजीएस–एसजीएस–एसओएमए जेवी (रशियन कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम), जिसमें कट ऑफ वाल कार्य एक विख्यात फ्रेंच कंपनी, सोलटेन्ची बैची द्वारा, **पावर हाउस एवं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर:** मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लि. द्वारा सितंबर, 2020 से (मैसर्स एलएंडटी पहले वर्ष 2015 में फोरक्लोजर तक शामिल थी), **हाइड्रो मैकेनिकल कार्य:** मैसर्स टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लि., कोलकाता और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य: कंसोर्टियम ऑफ जीई हाइड्रो फ्रांस और जीई पावर इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरे किए गए।

विभिन्न कार्यों पैकेजों में कार्य समय–समय पर विभिन्न बाधाओं के बावजूद अक्तूबर, 2019 में कार्य शुरू होने से ही पूरी गति पर चल रहा है। 5000 से अधिक श्रमिक निर्माण कार्यों को करने के लिए दैनिक आधार पर परियोजना में लगे हुए हैं। 26 जून, 2023 की स्थिति के अनुसार, लगभग 99.80% बांध कंक्रीट कार्य हो चुका है। इसके अतिरिक्त, एचआरटी खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है औरएचआरटी लाइनिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। 90.55% पावर हाउस कंक्रीटिंग हो चुकी है, जिसमें यूनिट # 1 और 2 के सिविल कार्य का समापन शामिल है। एचएम और ईएम उपकरण की प्रमुख आपूर्ति पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य उन्नत अवस्था में है। यूनिट 1 की बॉक्सिंग दिनांक 13 जून, 2022 को पूरी हो गई है और यूनिट 2 के लिए 86% कार्य पूरा हो चुका है। एचआरटी इंटेक गेट लगा दिया गया है और रेडियल गेट तथा ड्राफ्ट ट्यूब गेट व प्रेशर शॉफ्ट लाइनर वर्क्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। वर्तमान में सभी परियोजना कार्यों की समग्र प्रगति लगभग 90% है। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परियोजना की घटक–वार प्रगति इस प्रकार हैः

क्रम सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल	संचित प्रगति	पूर्णता%
1	बांध कंक्रीट	क्यूमेक	2056804	2006068	98
2	पावर हाउस कंक्रीटिंग	क्यूमेक	512000	415005	81
3	एचआरटी हैडिंग	आरएम	7102	7102	100
4	एचआरटी बैंचिंग	आरएम	7102	7102	100
5	एचआरटी ओवर्ट	आरएम	7102	7046	99
6	एचआरटी इन्वर्ट	आरएम	7102	6820	96
7	सर्ज टनल हैडिंग	आरएम	3545	3456	97
8	सर्ज टनल बैंचिंग	आरएम	3545	3253	92
9	एचएम कार्य	आपूर्तिः 92%, इरेक्शनः डीटी–100% इंटेक गेटः 95%, पीएस लाइनरः 77%			
10	ई एंड एम कार्य	आपूर्तिः 97%, इरेक्शनः यूनिटः1–90%, यूनिटः2 – 83%, यूनिटः3 – 17%, यूनिटः4 – 10%, यूनिटः5 – 10%, यूनिटः6 – 7%, यूनिटः7 – 3%			

बांध

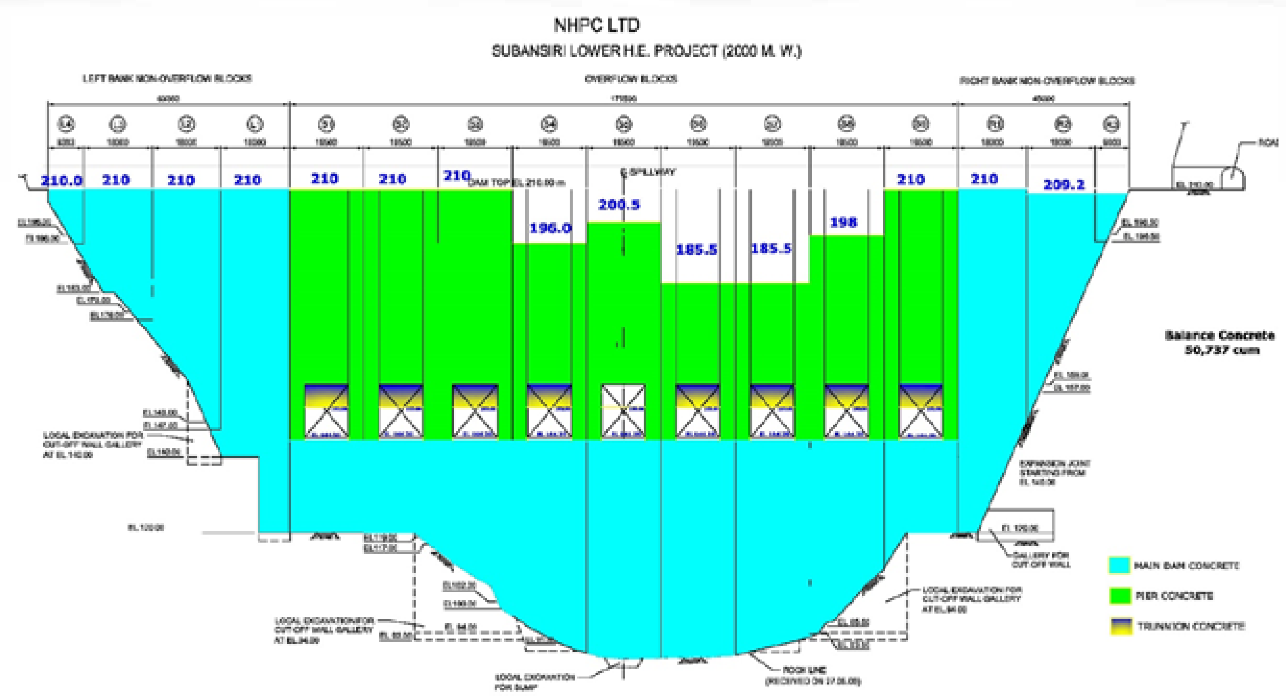

Up-Stream Sectional View of Main Dam Concrete (as on 31.03.2023)

पावर हाउस

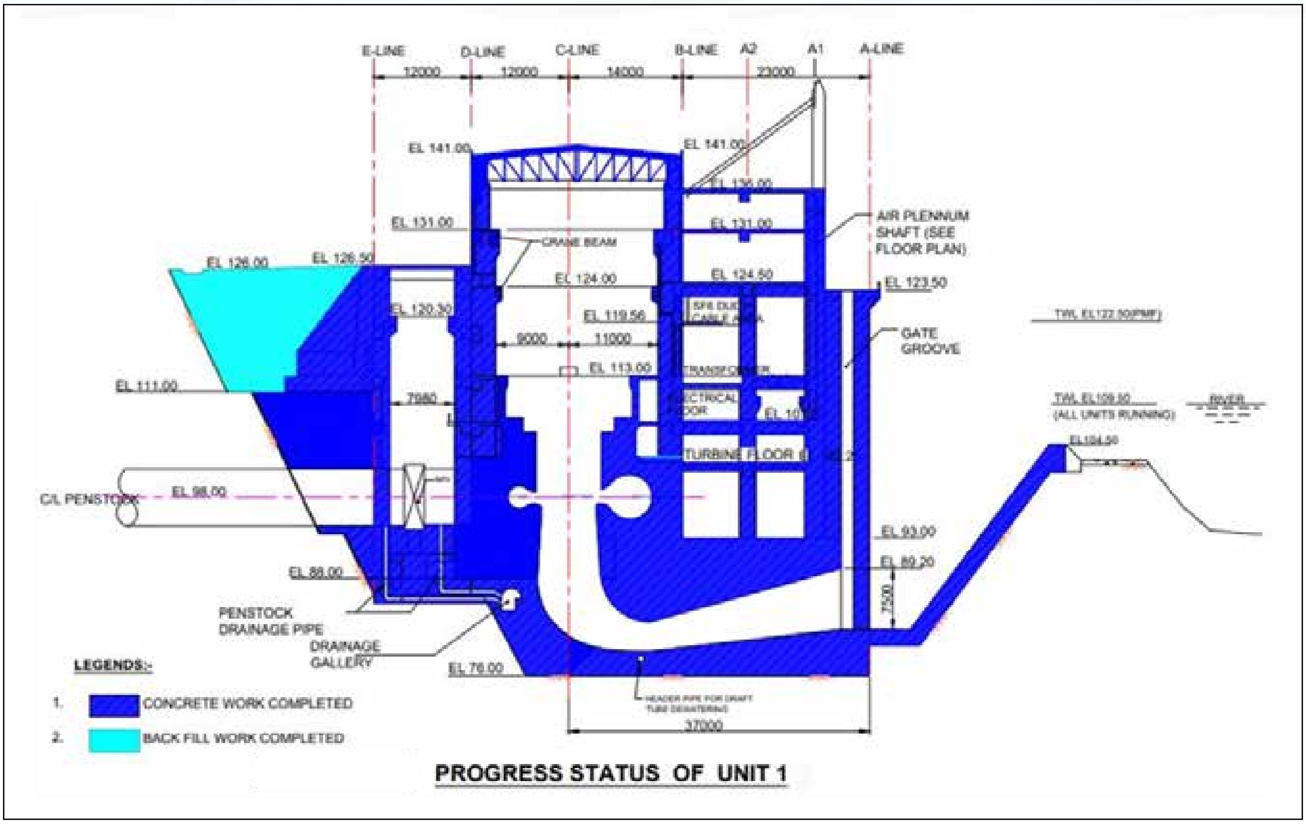

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–1

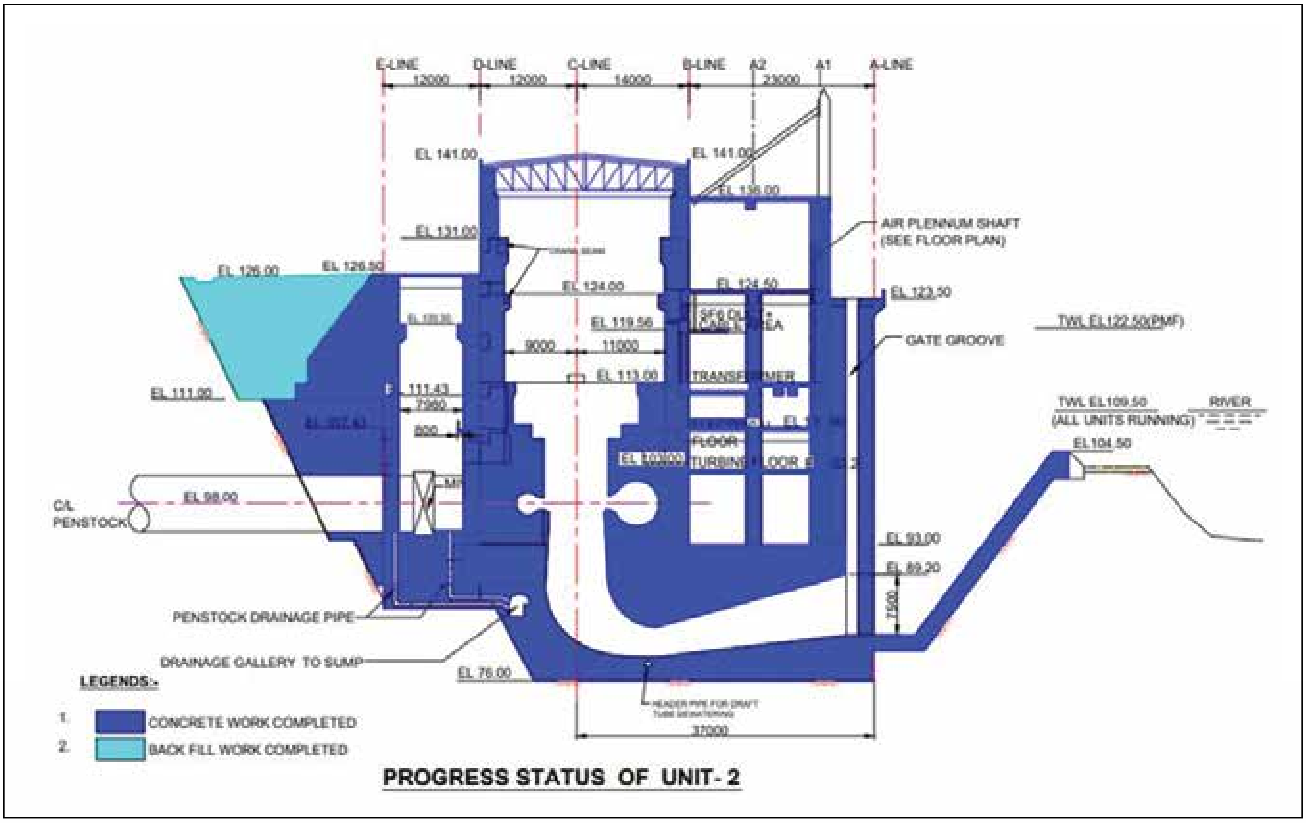

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–2

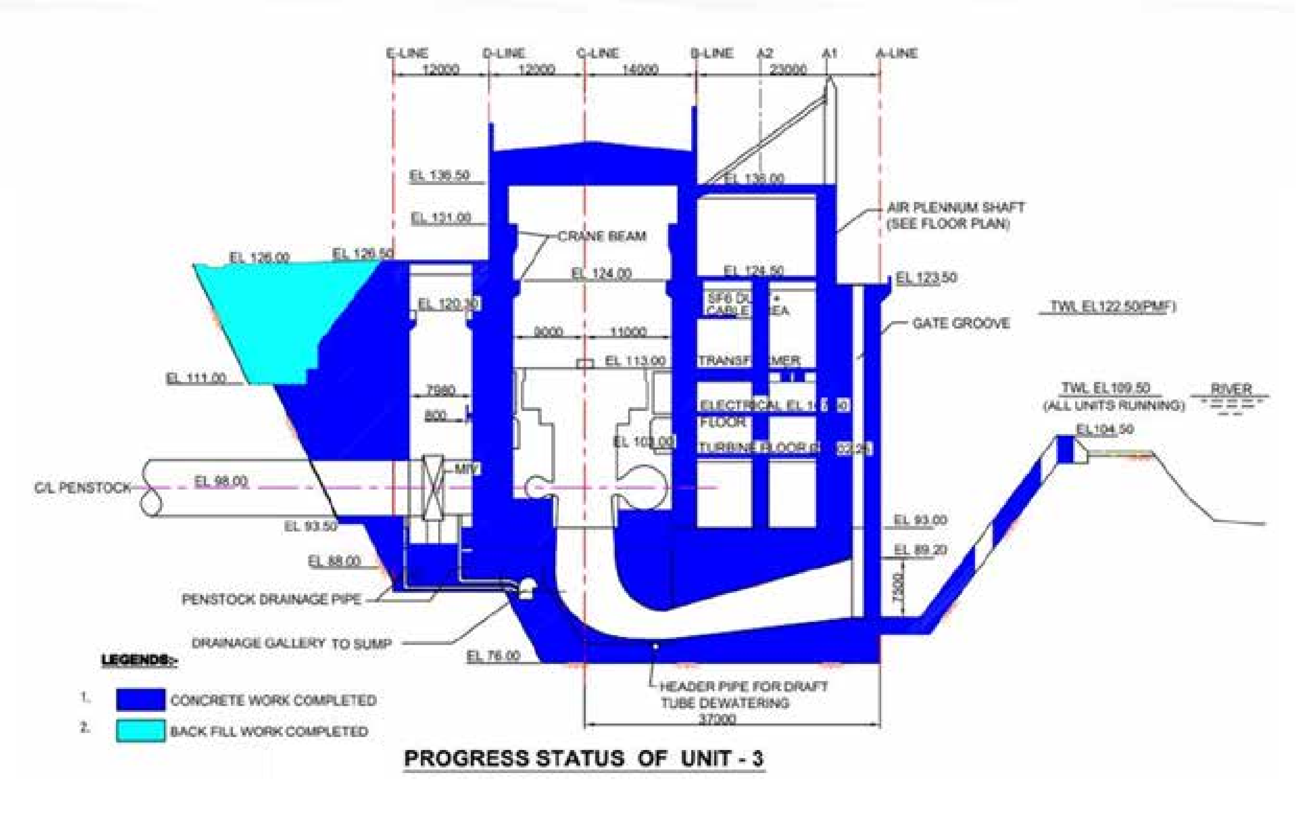

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–3

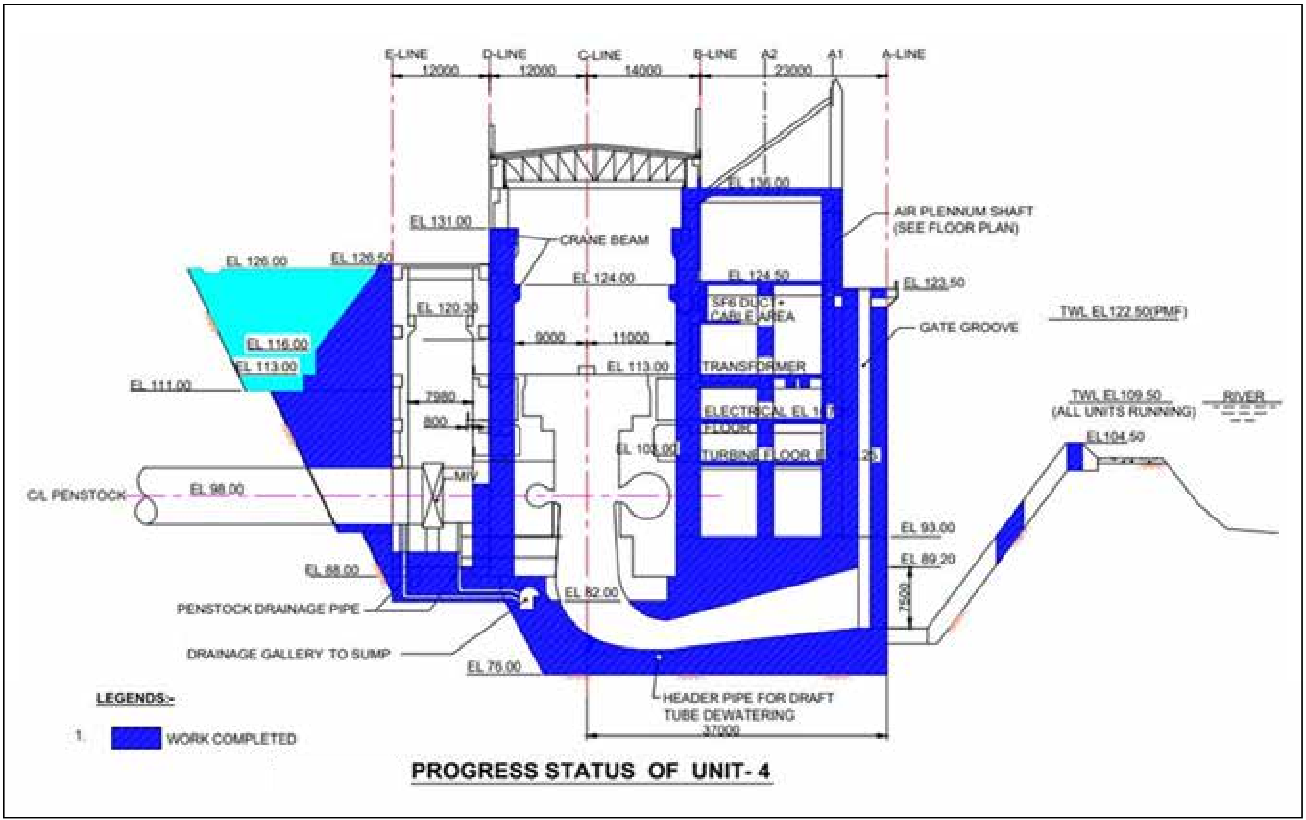

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–4

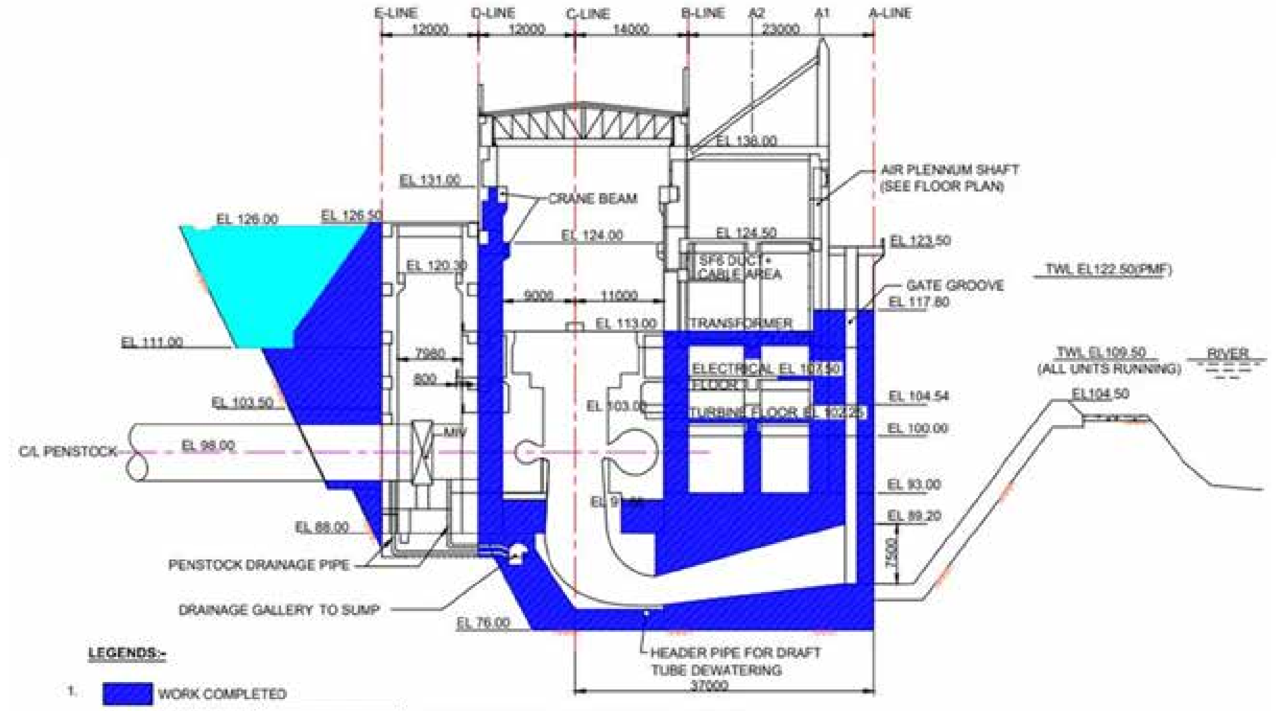

PROGRESS STATUS OF UNIT- 5

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–5

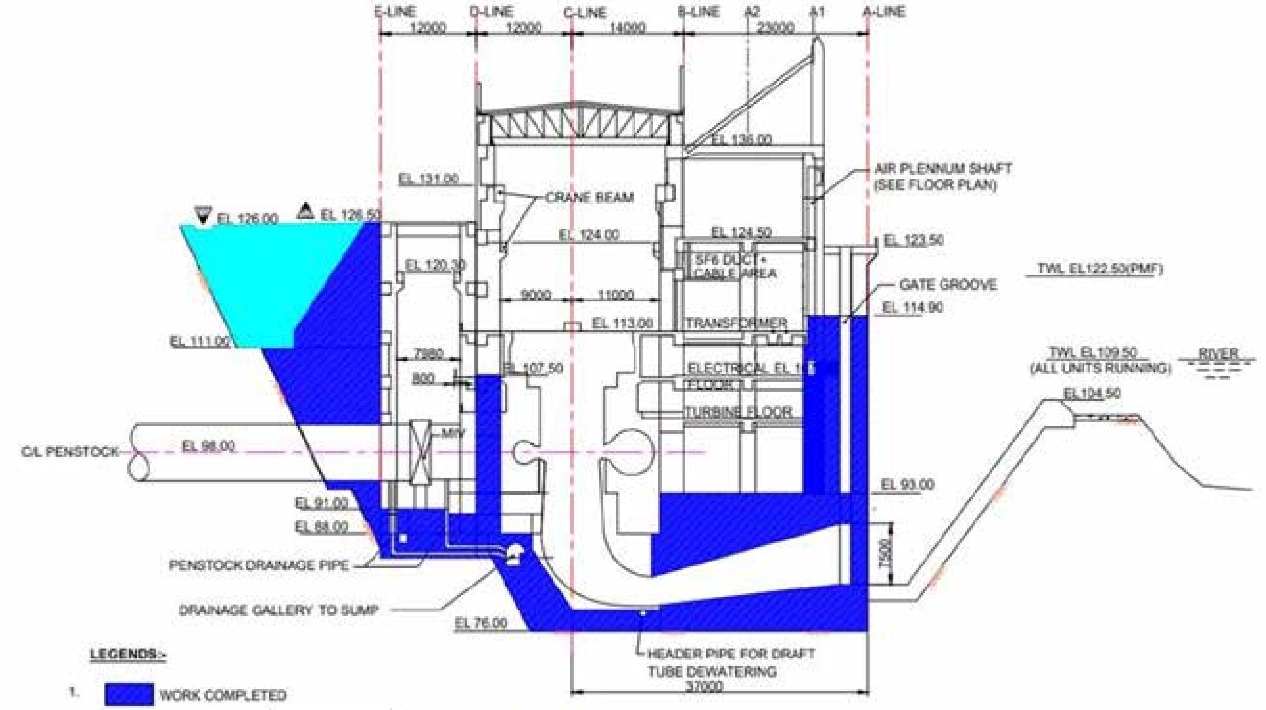

PROGRESS STATUS OF UNIT- 6

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–6

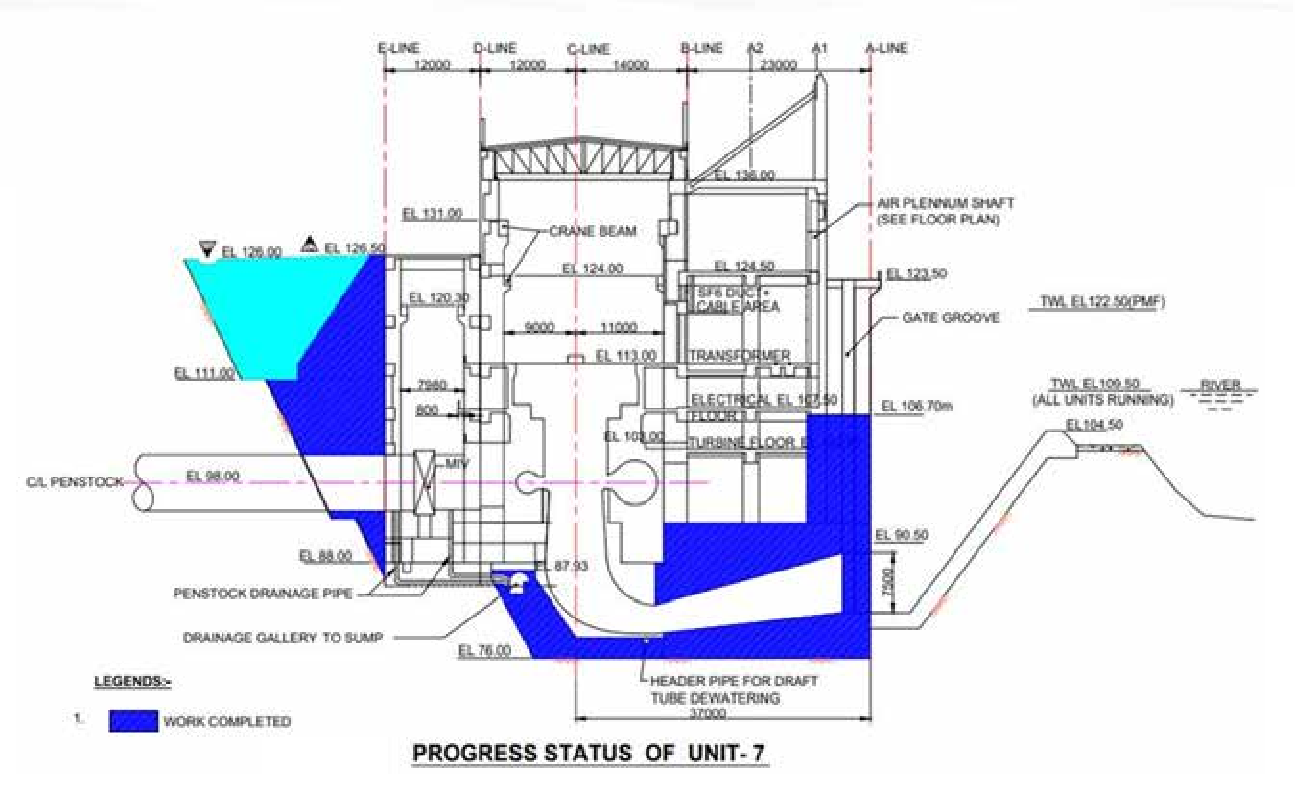

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–7

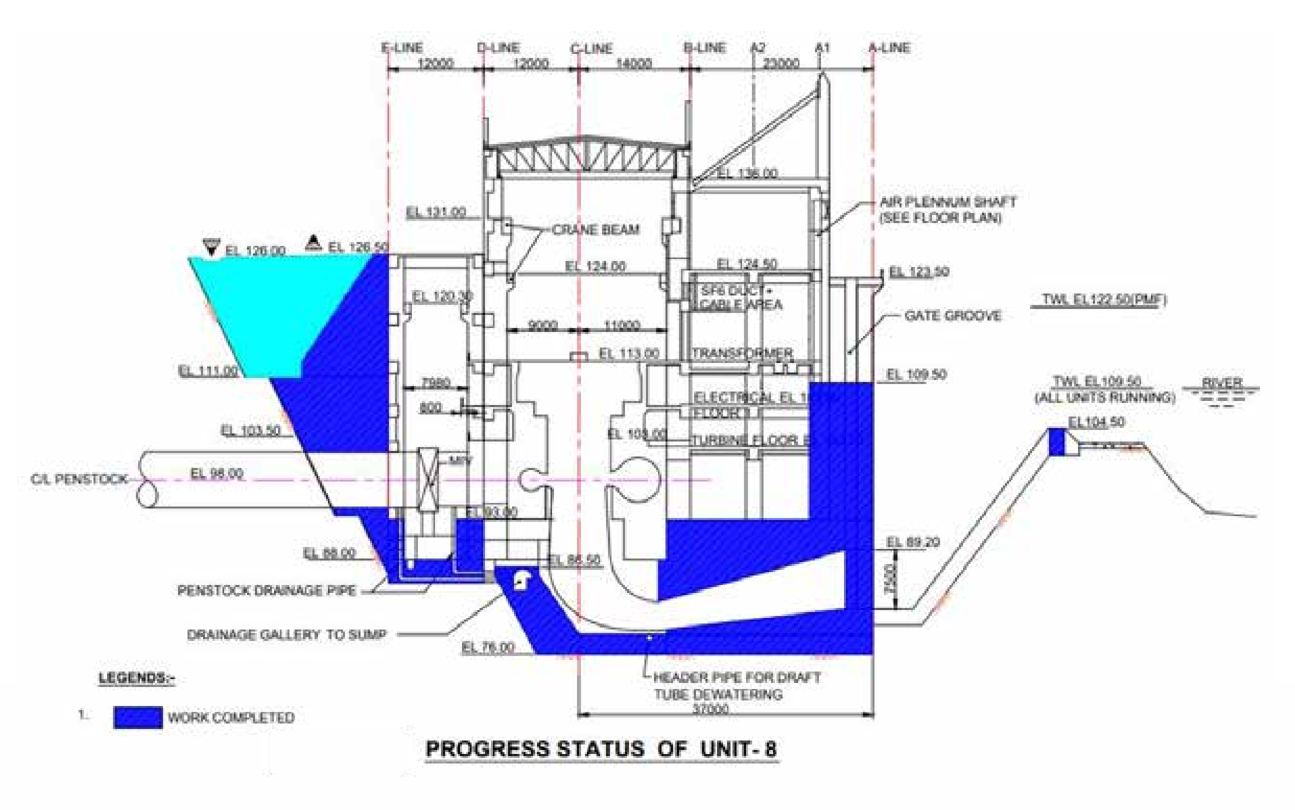

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर हाउस यूनिट–8

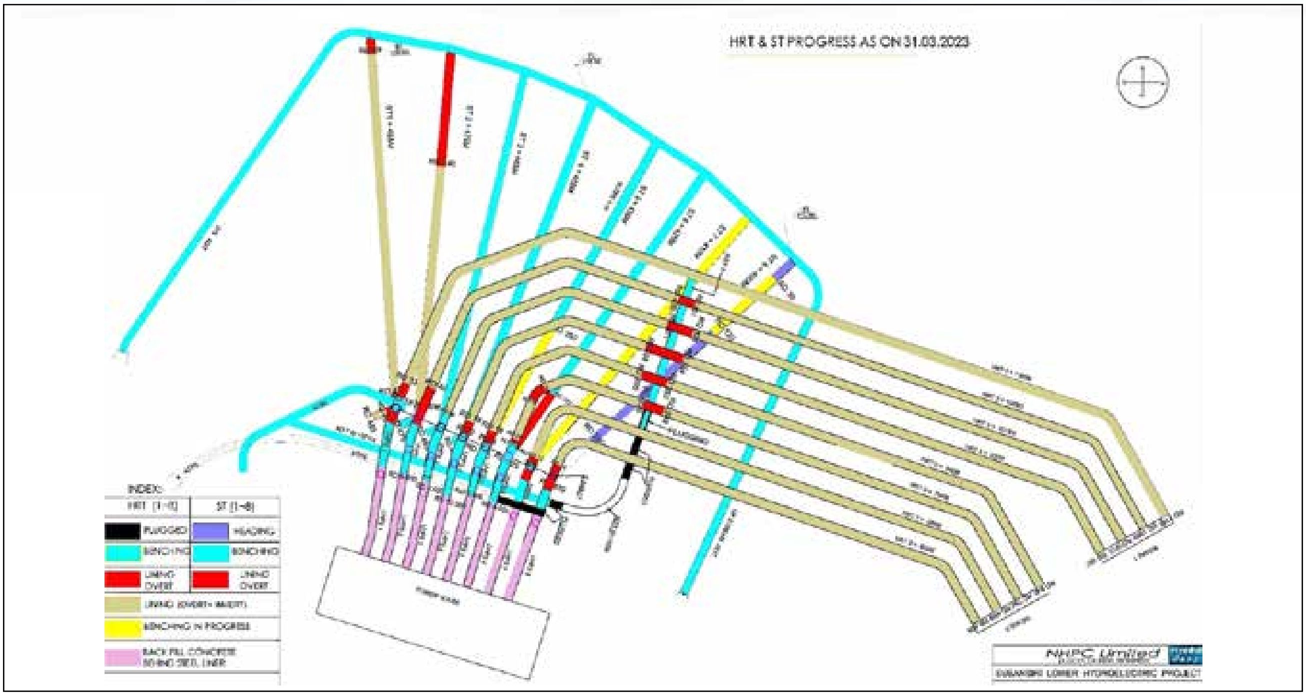

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार एचआरटी और एसटी की स्थिति

अक्तूबर, 2019 में कार्य शुरू होने से लेकर अब तक परियोजना के समक्ष मार्च, 2022 के अंतिम सप्ताह से सितंबर–अक्तूबर, 2022 तक के दौरान क्षेत्र में अप्रत्याशित वर्षा सहित अनेक प्रमुख चुनौतियां आईं, जिनसे विभिन्न कार्य पैकेजों में कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परियोजना की प्रगति अपस्ट्रीम की ओर सितंबर–अक्तूबर–2022 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसके कारण बांध पर ओवरटॉपिंग हुई और डायवर्जन टनल इनलेट क्षेत्र में केविटी निर्माण होने के साथ–साथ, बांध के अपस्ट्रीम तक पहुंच मार्ग भी टूट गया। पावर हाउस की कॉफ़र दीवार भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई जिसके परिणामस्वरूप पावर हाउस में आंशिक रूप से बाढ़ आ गई।

सभी सिविल कार्य और ईएंडएम तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्य पूरा होने की उन्नत अवस्था में हैं। शेष कार्य को पूरा करके परियोजना को शीघ्र चालू करने के लिए सभी प्रयास और आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

परियोजना के प्रमुख कार्यों के कार्यान्वयन के अलावा, सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात को लगाकर विभिन्न जीविका संबंधी हस्तक्षेप करके बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थानीय लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए डाउनस्ट्रीम विकास कार्य और बांध के 30 कि.मी. डाउनस्ट्रीम तक डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, असम/अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास कार्यक्रम किए गए हैं।

परियोजना में नदी में पानी के नियंत्रित डिस्चार्ज के जरिए बाढ़ नियंत्रण करके, हर वर्ष क्षेत्र में आ रही भारी बाढ़ से काफी राहत मिलेगी। बाढ़ की अवधि (अर्थात जून, जुलाई और अगस्त) के दौरान रिजरवायर को पूर्ण रिजरवायर स्तर (एफआरएल) से 15 मी. नीचे प्रचालित किया जाएगा, जिसमें 442 क्यमेक मी. का एक फ्लड कुशन प्रदान किया जाएगा अर्थात बाढ़ की अवधि के दौरान रिजरवायर का एक तिहाई हिस्सा बाढ़ का पानी सोखने के लिए खाली रखा जाएगा।

इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए संपन्नता आई है और क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है (निर्माण कार्य में लगे 5000 लोगों का लगभग 90% भाग स्थानीय है), विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष रोजगार की उत्पत्ति, जैसे निरीक्षण वाहनों, ठेकेदार, उप–ठेकेदार, छोटे ठेकेदार लगाने, आरएंडएम कार्य तथा अन्य कार्य करना आदि कार्य किए गए हैं।

सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम), पांच उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़) और पांच पश्चिमी राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा) को सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत से लाभ होगा।

5.1.3 दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना – 2880 मेगावाट (12×240 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना, देश में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से है, जो एक जलविद्युत व बाढ़ धीमी करने की योजना है। परियोजना में दिबांग नदी पर एक 278 मी. ऊंचा कंक्रीट बांध बनाकर 230 मी. के सकल हेड का उपयोग करना शामिल है। 2,880 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ अनुमानित ऊर्जा उत्पादन 90% आश्रित वर्ष के लिए 11,223 मिलियन यूनिट होता है। इसके अतिरिक्त, बांध के पीछे सृजित रिजरवायर से डाउनस्ट्रीम में बाढ़ को धीमा करने के लाभ मिलेंगे, जिसके लिए रिजरवायर को मानसून अवधि में एफआरएल से 40.10 मी. नीचे

रखा जाएगा। रिजरवायर में बैक वाटर दिबांग नदी और इसकी सहायक नदियों में 41 कि.मी. दूरी तक जाएगा। बाढ़ को धीमा करने से कृषि भूमि का कटाव रुकेगा, फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा और आगे सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण उपायों पर खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए की बचत होगी।

मुख्य विशेषताएं:

स्थान/जिला	ग्राम मुनली (जिला लोअर दिबांग घाटी), अरुणाचल प्रदेश
बांध	278 मी. ऊंचाई, 798 मी. लम्बाई में कंक्रीट ग्रेविटी
पावर हाउस	भूमिगत, आकार 24.5 मी. (चौड़ाई) x 56.3 मी. (ऊंचाई) x 419.0 मी. (लंबाई) की 12 यूनिटें, 240 मेगावाट प्रत्येक, फ्रांसिस टरबाइन
डाइवर्जन टनल	पांच 12 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप (लंबाई: 1175 मी. से 1325 मी.)
हेड रेस टनल	छः 9 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप, कंक्रीट लाइन (लंबाई: 300 मी. से 600 मी., कुल 2700 मी.)
प्रेशर शॉफ्ट	छः स्टील लाइन, 7.5 मी. व्यास, सर्कुलर शेप, झुकाव (लंबाई: 231 मी. प्रत्येक)
पेनस्टॉक	12 स्टील लाइन, 5.2 मी. से 4.0 मी. व्यास, सर्कुलर शेप
वार्षिक ऊर्जा	11,223 मिलियन यूनिट
रिजरवायर की क्षमता	सकल भंडारण: एमडब्ल्यूएल पर 3,510.0 एमक्यूमेक
	सकल भंडारण: एफआरएल पर 3,247.9 एमक्यूमेक
	वास्तविक भंडारण: एफआरएल पर 1,282.6 एमक्यूमेक

मुख्य कार्यों की स्थिति:

- परियोजना द्वारा परियोजना निर्माण कार्यों के लिए वर्तमान में, प्राप्त भूमि का कब्जा प्रमाण–पत्र 1519.59 हेक्टेयर (99.91:) लोअर दिबांग घाटी में और 1701.23 हेक्टेयर (98%) दिबांग घाटी जिले में है।
- एक सिविल पैकेज अर्थात लॉट-II (परियोजना बांध स्थल तक पहुँच सड़क, लेफ्ट बैंक रोड नेटवर्क, दिबांग ब्रिज, डैम साइट राइट बैंक रोड नेटवर्क और एडीसी मोड से पत्थर कैंप तक अस्थायी हॉलेज रोड का निर्माण, जिसमें डायवर्जन टनल के सभी सिविल और एचएम कार्य शामिल हैं) सीसीईए अनुमोदन की तिथि अर्थात 27 फरवरी, 2023 को प्रदान कर दिए गए हैं। अन्य सिविल, एचएम, ईएंडएम पैकेज, निविदा के विभिन्न चरणों में हैं।

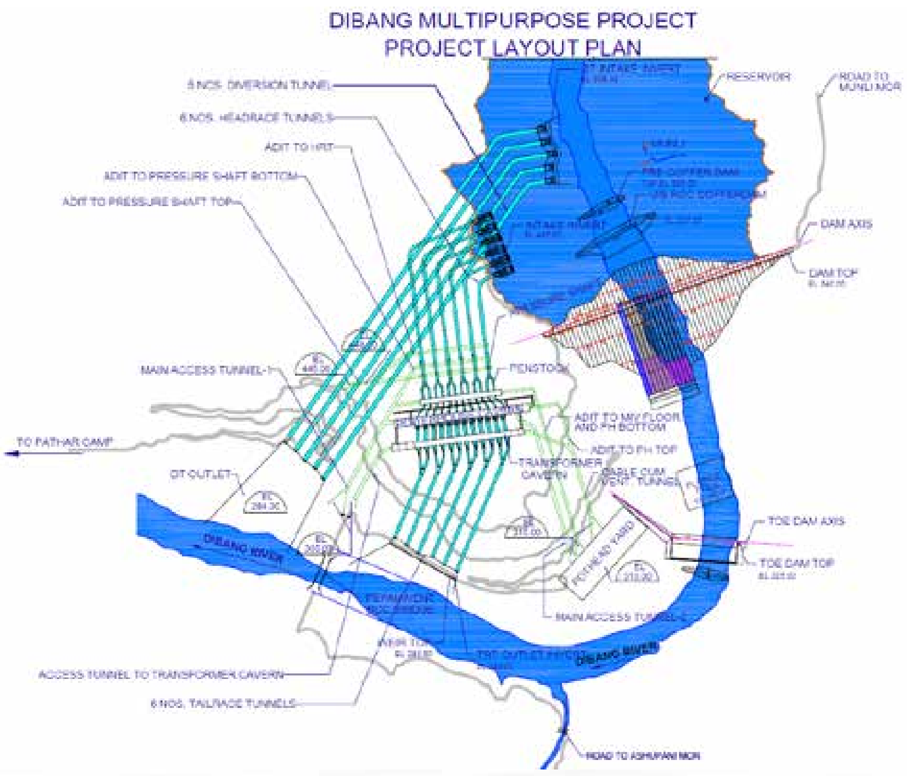

परियोजना ले–आउट

5.2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां:

5.2.1 लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के तहत तीस्ता स्टेज–VI जलविद्युत परियोजना: 500 मेगावाट (4×125 मेगावाट) सिक्किम –

एनएचपीसी द्वारा एलटीएचपीएल को अक्तूबर, 2019 में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के जरिए अधिग्रहीत किया गया था और यह एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जो कि सिक्किम में 500 मेगावाट तीस्ता–VI जल विद्युत परियोजना विकसित कर रही है। यह परियोजना सिक्किम के सिरवानी गांव में रन–ऑफ–द–रिवर (आरओआर) योजना है जो तीस्ता नदी बेसिन की विद्युत संभाव्यता का केस्केड तरीके से उपयोग करने के लिए है। परियोजना के प्रमुख घटकों में 26.5 मी. ऊंचा बैराज और भूमिगत पावर हाउस शामिल है जिसमें 125 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटें हैं। इस परियोजना में एक 90% आधार वर्ष में 2,400 मिलियन यूनिट अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है।

मुख्य विशेषताएं

स्थान	सिरवानी पावर हाउस, तारखोला, सिक्किम में तीस्ता नदी बैराज
बैराज	26.5 मी. ऊंचाई, 105 मी. लंबाई, 5 रेडियल गेट, 15 मी. (चौड़ाई) × 17.5 मी. (ऊंचाई)
एचआरटी	2, एचआरटी, डी–शेप 8 मी. व्यास, लम्बाई 71 मी. और 92.6 मी., संशोधित हॉर्स शू–शेप 9.8 मी. व्यास, लम्बाई 13712 मी. और 13815 मी.
प्रेशर शॉफ्ट	4 प्रेशर शॉफ्ट, 5.4 मी. व्यास (स्टील लाइन), लम्बाई 151 मी. से 198 मी. तक अलग–अलग
सर्ज शॉफ्ट	2, 16 मी. व्यास, 89.30 मी. गहराई
पावर हाउस	अंडरग्राउंड, 142.75 मी. (लंबाई) × 18.5 मी. (चौड़ाई) × 52.44 मी. (ऊंचाई); 125 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटें
टीआरटी	04, (8.5 मी. × 7.5 मी.), डी–शेप, प्रत्येक की 247 मी. लंबाई
सकल शीर्ष/ वार्षिक उत्पादन	116 मी./2400 मि.यू.

प्रमुख कार्यों की स्थिति:

बैराज का निर्माण कार्य, एचआरटी की खुदाई और पावर हाउस निर्माण कार्य पूरी गति पर चल रहे हैं, यद्यपि समय–समय पर विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परियोजना की समग्र प्रगति 50.68% है।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल	संचयी प्रगति	प्रगति %
1	बैराज एवं हेड रेगुलेटर कंक्रीटिंग	क्यूमेक	250997	232108	92
2	डिसिल्टिंग बेसिन कंक्रीटिंग	क्यूमेक	257081	84642	33
3	एचआरटी हेडिंग खुदाई	आरएम	27511	14331	52
4	एचआरटी बेंचिंग खुदाई	आरएम	27511	3728	14
5	एचआरटी ओवर्ट कंक्रीट लाइनिंग	आरएम	27511	3314	12
6	एचआरटी इनवर्ट कंक्रीट लाइनिंग	आरएम	27511	1338	5
7	पावर हाउस खुदाई	क्यूमेक	366090	366090	100
8	एचएम कार्य	%	100	57.39	57.39
9	ईएंडएम कार्य	%	100	44.20	44.20

परियोजना ले–आउट

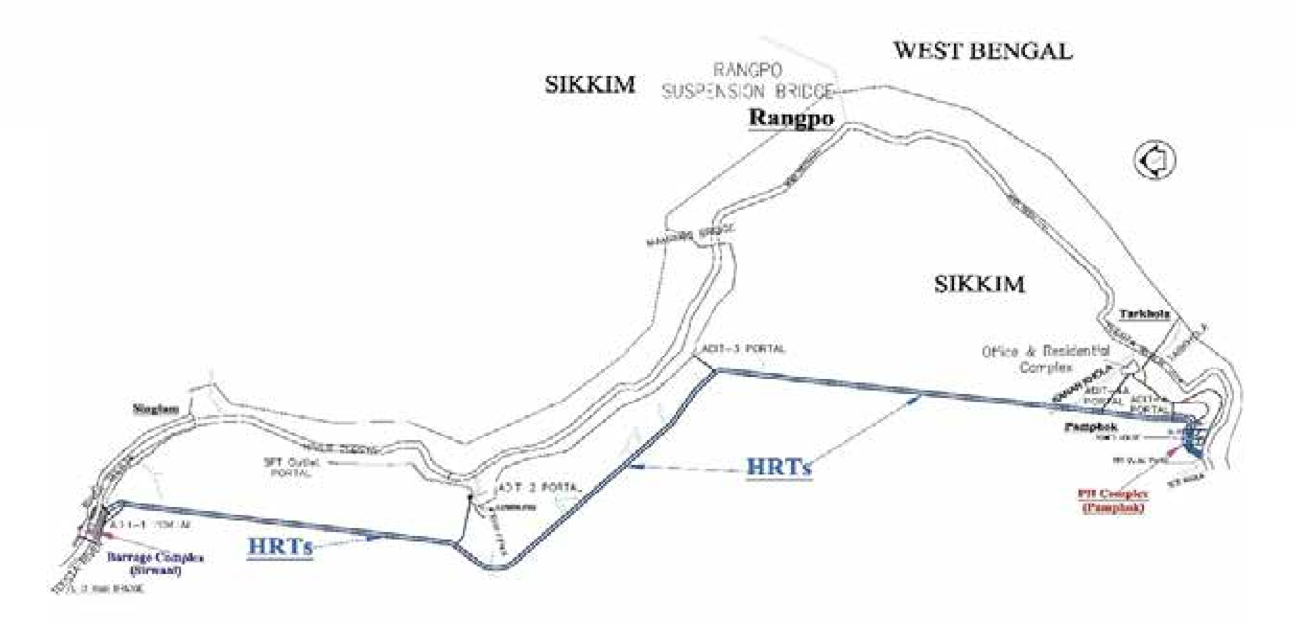

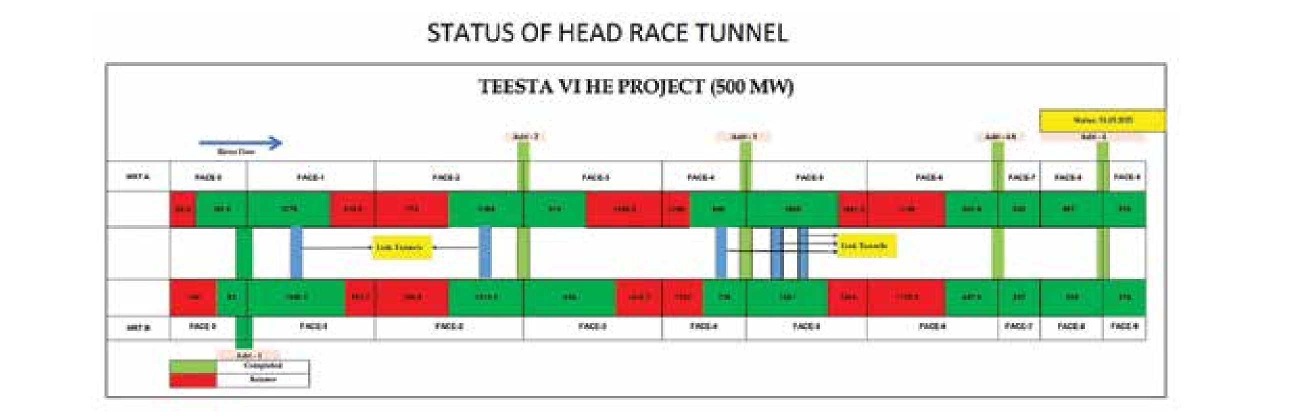

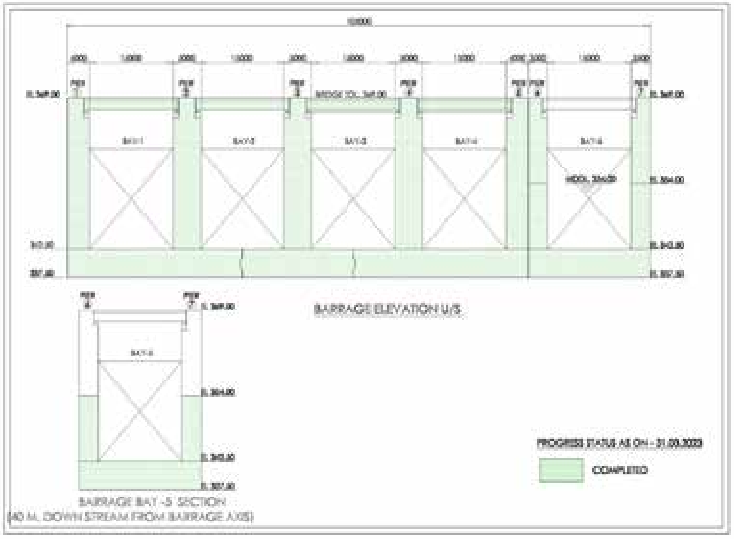

पावर हाउस की कंक्रीटिंग की स्थिति

STATUS OF POWER HOUSE

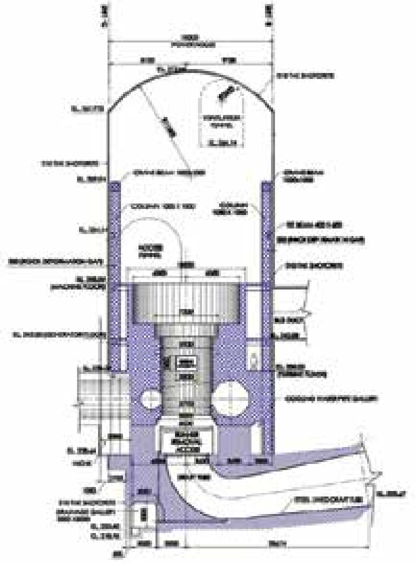

CROSS SECTION OF UNIT # 1

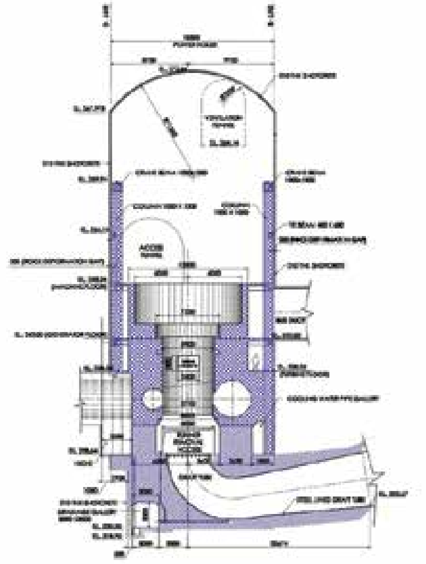

CROSS SECTION OF UNIT # 2

BALANCE CONCRETE COMPLETED CONCRETE

STATUS OF POWER HOUSE

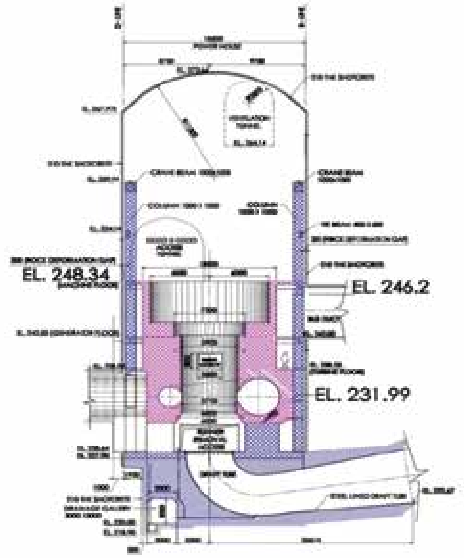

CROSS SECTION OF UNIT # 3

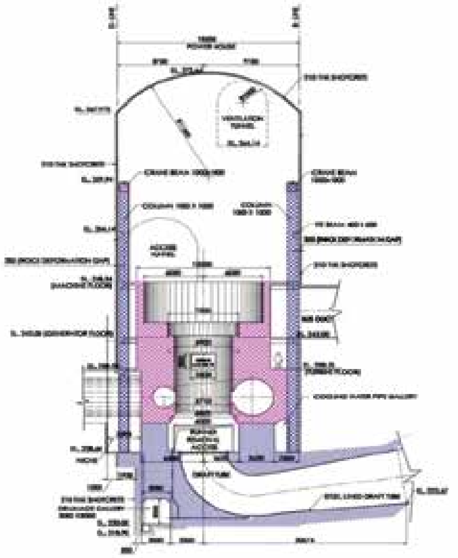

CROSS SECTION OF UNIT # 4

BALANCE CONCRETE COMPLETED CONCRETE

5.2.2 जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) के तहत रंगित–IV जलविद्युत परियोजनाः 120 मेगावाट (3×40 मेगावाट) :

एनएचपीसी द्वारा मार्च, 2021 में सीआईआरपी के माध्यम से जेपीसीएल को अधिग्रहीत किया गया था और यह एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सिक्किम में रंगित–IV जलविद्युत परियोजना विकसित कर रही है। यह परियोजना पश्चिमी सिक्किम के रिशी ग्राम के समीप रंगित नदी पर स्थित है और एक रन–ऑफ–द–रिवर योजना है, जिसमें 120 मेगावाट (3×40 मेगावाट) विद्युत उत्पादन के लिए एक 44 मी. ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित डिजाइन ऊर्जा 90% आश्रित वर्ष में 507.88 मिलियन यूनिट है।

मुख्य विशेषताएं

स्थान/जिला	ऋषि ग्राम, पश्चिम सिक्किम, सिक्किम
बांध	44 मी. ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध
हेड रेस टनल	1, 6.4 मी. व्यास, संशोधित 6488 मी. लम्बाई हॉर्स शू शेप
सर्ज शॉफ्ट	1, प्रतिबंधित ऑरिफिस टाइप, सभी अंडरग्राउंड, 18 मी. व्यास
प्रेशर शॉफ्ट	01, 5.5 मी. व्यास, सर्कुलर, स्टील लाइन, अंडरग्राउंड
पावर हाउस/यूनिट की संख्या और आकार/टरबाइन	सरफेस, 3 यूनिट 40 मेगावाट प्रत्येक, फ्रांसिस टरबाइन
निवल शीर्ष	103.67 मी.
वार्षिक उत्पादन	507.88 मि.यू. (90% आधार वर्ष)

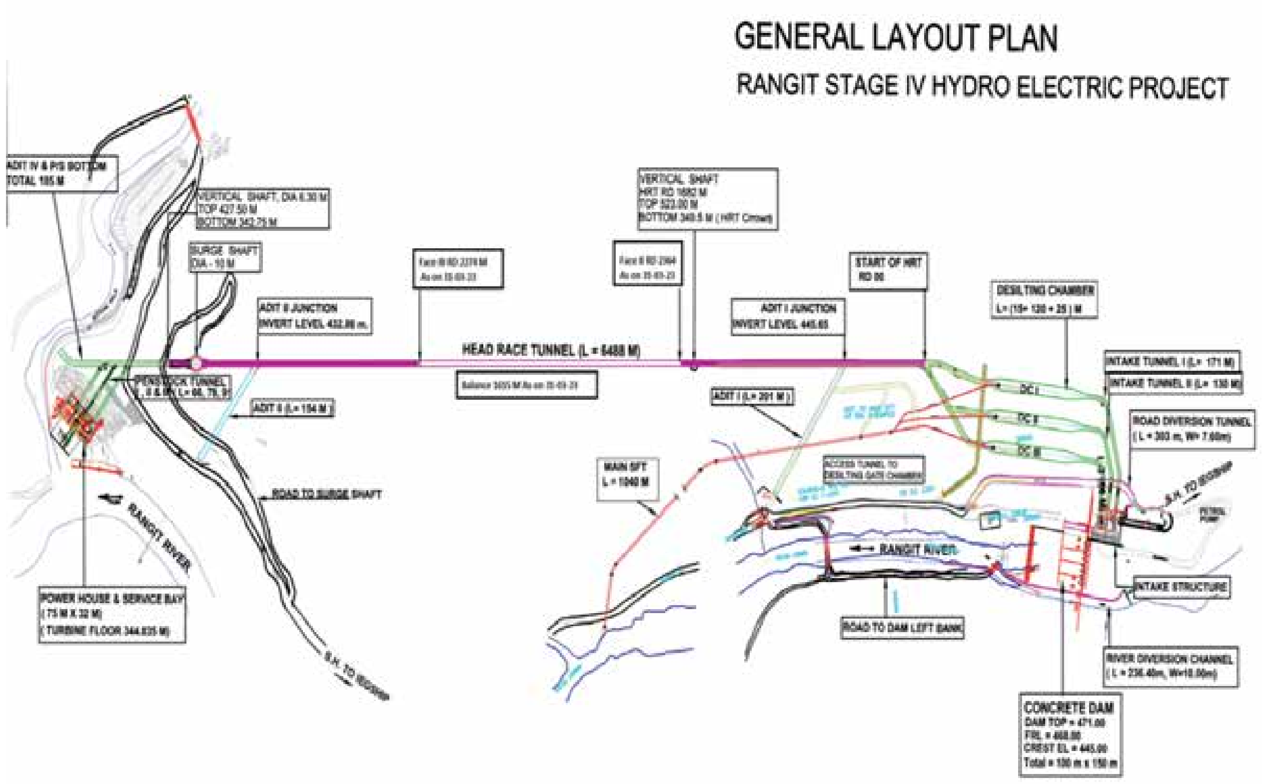

परियोजना ले–आउट

प्रमुख कार्यों की स्थिति:

बैराज का निर्माण कार्य, एचआरटी की खुदाई और पावर हाउस निर्माण कार्य पूरी गति पर चल रहे हैं, यद्यपि समय–समय पर विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परियोजना की समग्र प्रगति 63.47% है।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल	संचयी प्रगति	प्रगति %
1	बांध एवं इनटेक खुदाई	क्यूमेक	492775	449664	91.25
2	बांध एवं इनटेक कंक्रीटिंग	क्यूमेक	173229	148927	85.97
3	डिसिल्टिंग चैंबर खुदाई	आरएम	3360	2667	79.37
4	डिसिल्टिंग चैंबर कंक्रीटिंग	आरएम	3360	1496	44.53
5	एचआरटी हेडिंग खुदाई	आरएम	6488	4872	75
6	एचआरटी बेंचिंग खुदाई	आरएम	6488	4791	73.85
7	एचआरटी प्रत्यक्ष कंक्रीट लाइनिंग	आरएम	6488	654	10.0
8	एचआरटी इनवर्ट कंक्रीट लाइनिंग	आरएम	6488	0	-
9	सर्ज शाफ्ट कंक्रीटिंग	आरएम	59	45	76.72
10	एचएम कार्य	%	100	16.40	16.40
11	ई एंड एम कार्य	%	100	33.03	33.03

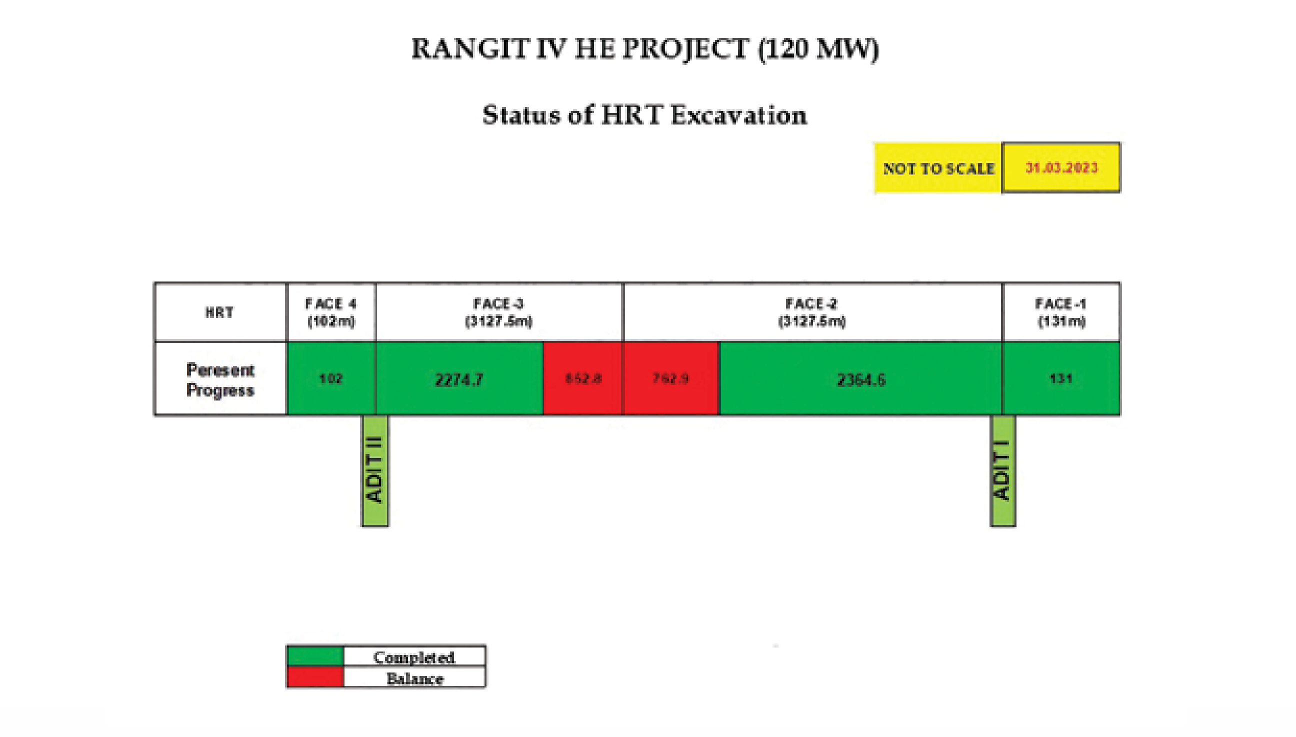

STATUS OF DAM CONCRETING

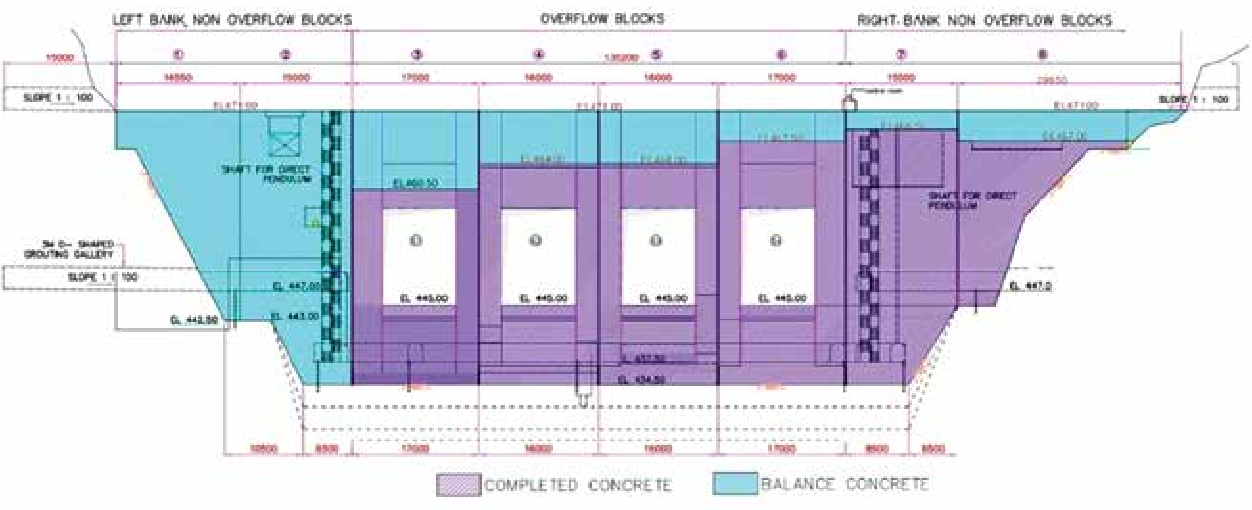

STATUS OF INTAKE STRUCTURE

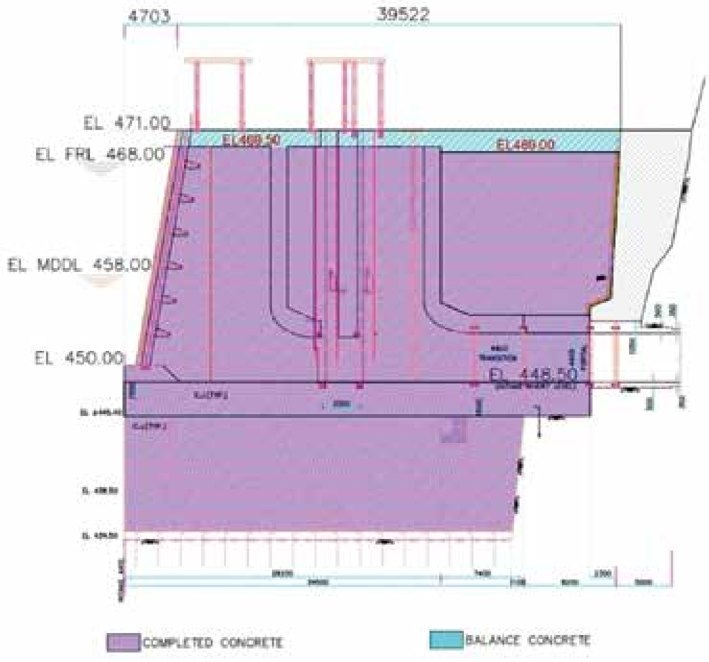

RANGIT-IV HYDRO ELECTRIC PROJECT (120 MW)

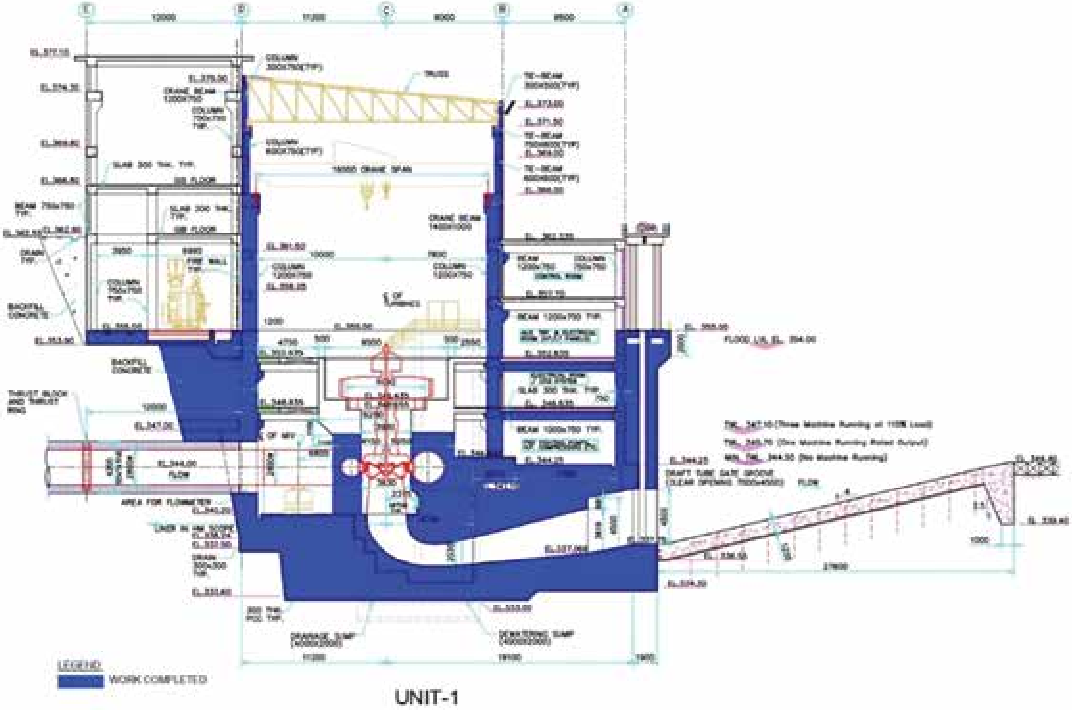

UNIT-1

RANGIT-IV HYDRO ELECTRIC PROJECT (120 MW)

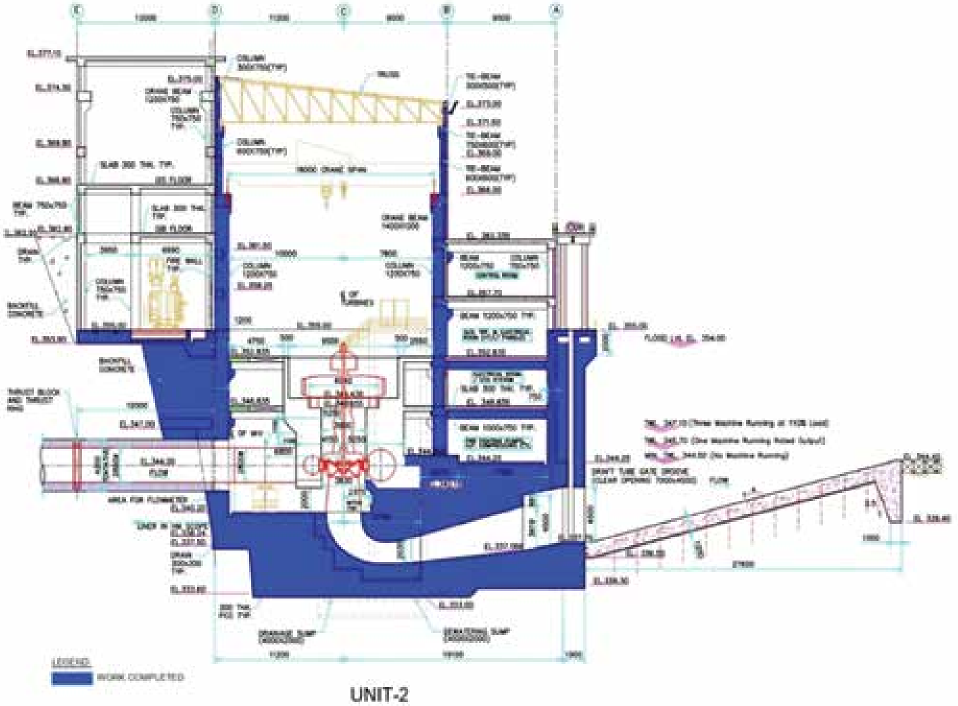

UNIT-2

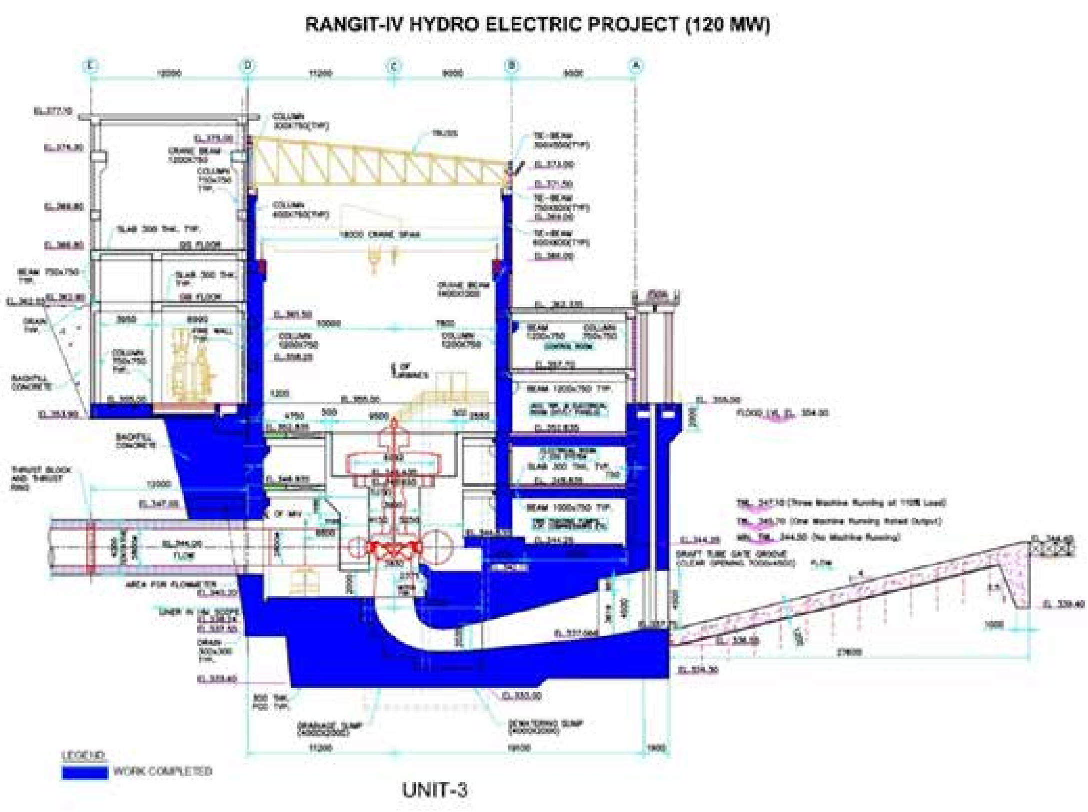

5.3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के अंतर्गत

5.3.1 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अधीन पकल दुल जल विद्युत परियोजना – 1000 मेगावाट (4×250 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर :

यह परियोजना जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी, मरुसूदर नदी पर विकसित की जा रही है। परियोजना की एक भंडारण योजना के रूप में योजना है और 0.1 मिलियन एकड़ फुट (एमएएफ) के भंडारण के साथ सिंधु जल संधि के तहत अनुमत भंडारण के लिए उपयोग किया जाएगा। योजना में भंडारण के लिए एक 167 मी. ऊंचा कंक्रीट फेस रॉकफिल (सीएफआरडी) बांध (भारत में सबसे ऊंचा) बनाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक 9.6 कि.मी. लम्बाई के दो एचआरटी के जरिए भूमिगत पावर हाउस तक पानी ले जाया जाएगा, जिसमें 250 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटों के जरिए वार्षिक रूप से 3,230.18 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन करने के लिए 397.30 मी. के नेट रेटेड हेड का उपयोग किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध (167 मी. ऊंचाई, 305 मी. लंबाई)
एचआरटी	दो, 7.2 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप/सर्कुलर, एचआरटी–1 – 9612 मी., एचआरटी–2 – 9619 मी. लंबाई
सर्ज शॉफ्ट	दो 13 मी. व्यास और 200 मी. ऊंचाई
पावर हाउस	भूमिगत, 166 मी. × 20.20 मी. × 50.5 मी., हाउसिंग 04 यूनिटें
रेटेड हेड	397.30 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90% आधार वर्ष में 3230.18 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	28.10.2014

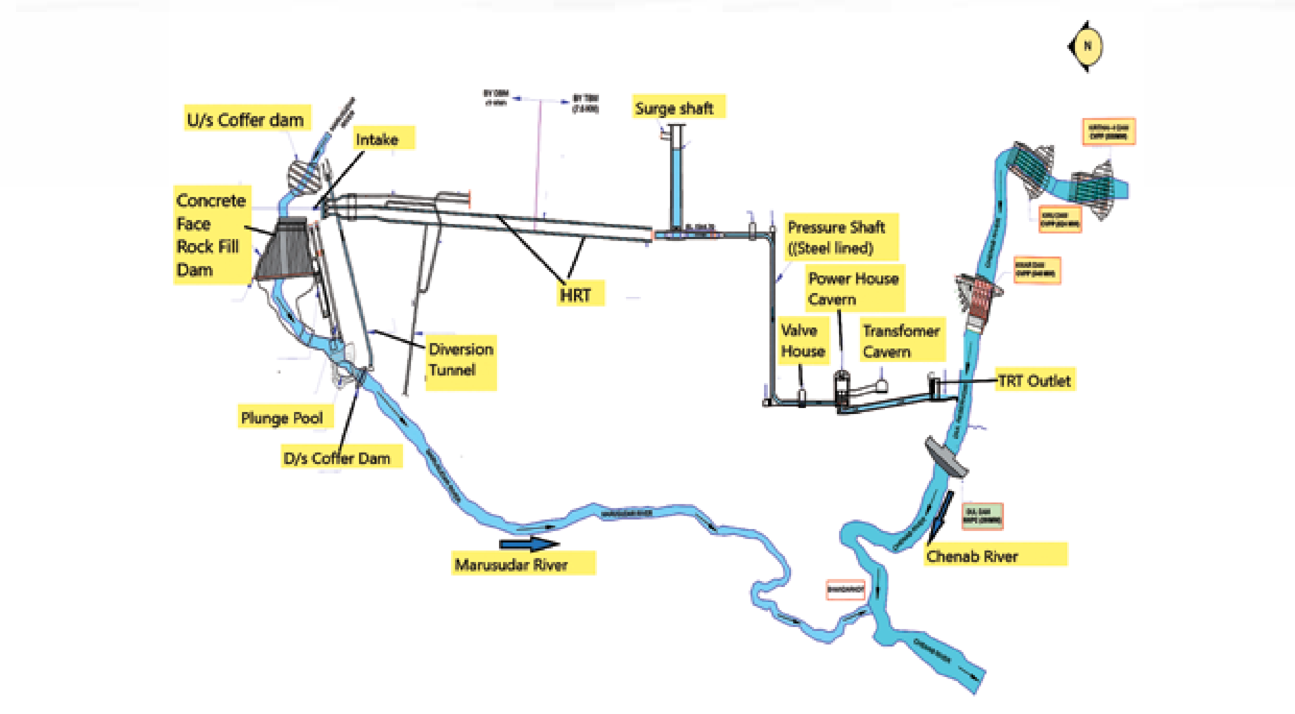

परियोजना ले–आउट

प्रमुख कार्यों की स्थिति

पावर हाउस केवर्न, एमआईवी केवर्न, ट्रांसफार्मर हॉल केवर्न की खुदाई समाप्त हो गई है और वाल्व हाउस केवर्न, प्रेशर शॉफ्ट, सर्ज शॉफ्ट, टेल रेस टनल और पोटहेड यार्ड की खुदाई प्रगति पर है। डाइवर्जन टनल (डीटी) का निर्माण और नदी डाइवर्जन, डीबीएम के जरिए एचआरटी की खुदाई, सरफेस स्पिल्वे की सरफेस खुदाई का कार्य, टनल स्पिल्वे और पावर इंटेक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉफर बांध की फिलिंग एवं ग्राउंटिंग कार्य तथा सीएफआरडी की रॉक फिलिंग का कार्य प्रगति पर है।

विस्तृत इंजीनियरिंग, निर्माण, निरीक्षण, ईएंडएम तथा एचएम घटकों की आपूर्ति प्रगति पर है।

टीबीएम–1 की असेंबली का कार्य पूरा हो गया है और टीबीएम–2 की असेंबली, लाइनिंग के लिए सेगमेंट कास्टिंग का कार्य और एचआरटी एडिट खुदाई कार्य प्रगति पर है।

चल रहे प्रमुख कार्यों की स्थिति:

क्रम सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल मात्रा	मार्च, 2023 तक संचयी	प्रगति %
1	पावर हाउस कंक्रीटिंग	क्यूमेक	56800	13014	23
2	अपर सर्ज गैलरी की खुदाई	मी.	514	254.8	49.5
3	पीएस–4 की कटाई	मी.	291	53.6	18.4
4	पीएस–3 की कटाई	मी.	291	53	18.2
5	वाल्व हाउस की खुदाई	क्यूमेक	17000	9855	58
6	केबल सुरंग – खुदाई	मी.	198	75.5	38
7	पॉट हेड और स्विच यार्ड – खुली खुदाई	क्यूमेक	95000	47943	50.4
8	डीबीएम द्वारा एचआरटी की खुदाई	मी.	4416.8	3646.5	82.5
9	एचआरटी की कंक्रीट लाइनिंग	मी.	4416.8	446	10
10	पावर इनटेक खुदाई	क्यूमेक	377500	202416	53.6
11	टनल स्पिलवे सरफेस की खुदाई	क्यूमेक	320000	174415	54.5
12	सरफेस स्पिलवे खुदाई	क्यूमेक	763000	330092	43.2
13	कट ऑफ में उत्खनन	क्यूमेक	560000	473541	84.5
14	सीएफआरडी की रॉक फिलिंग	क्यूमेक	7546000	839813	11.1
15	टनल स्पिलवे–1 हेडिंग खुदाई	मी.	456	264.5	58
16	प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनर यूनिट–1 से 4 का स्थापन	मी.	2100	331.75	15.8

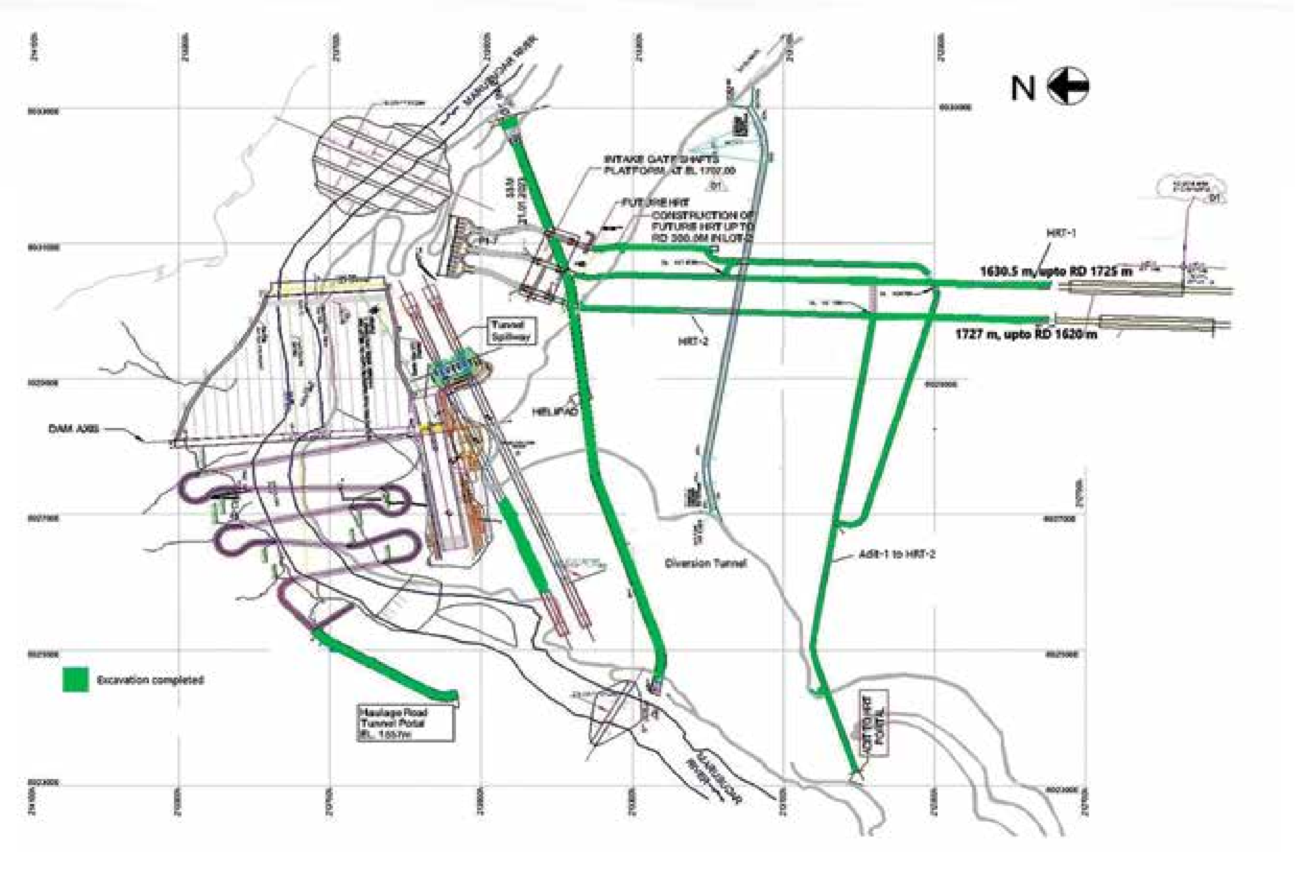

बांध क्षेत्र सुरंग काय

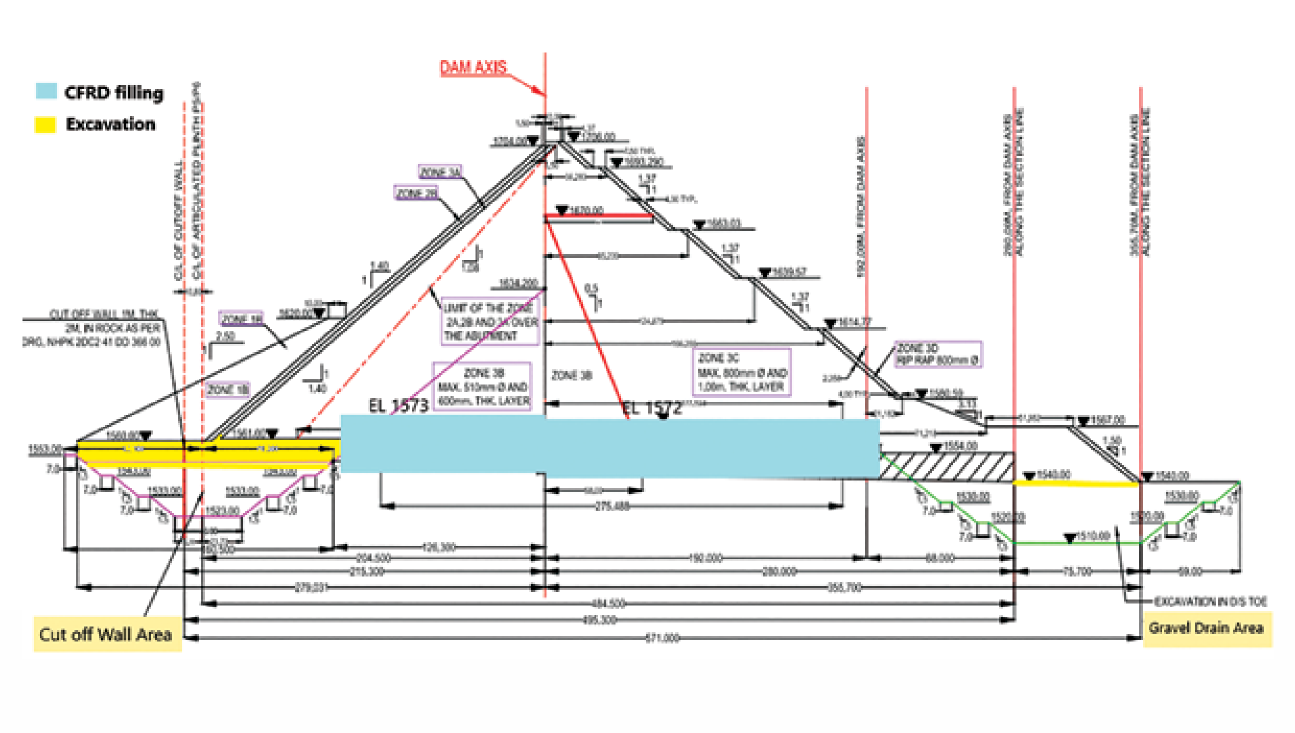

सीएफआरडी बांध क्षेत्र कार्य

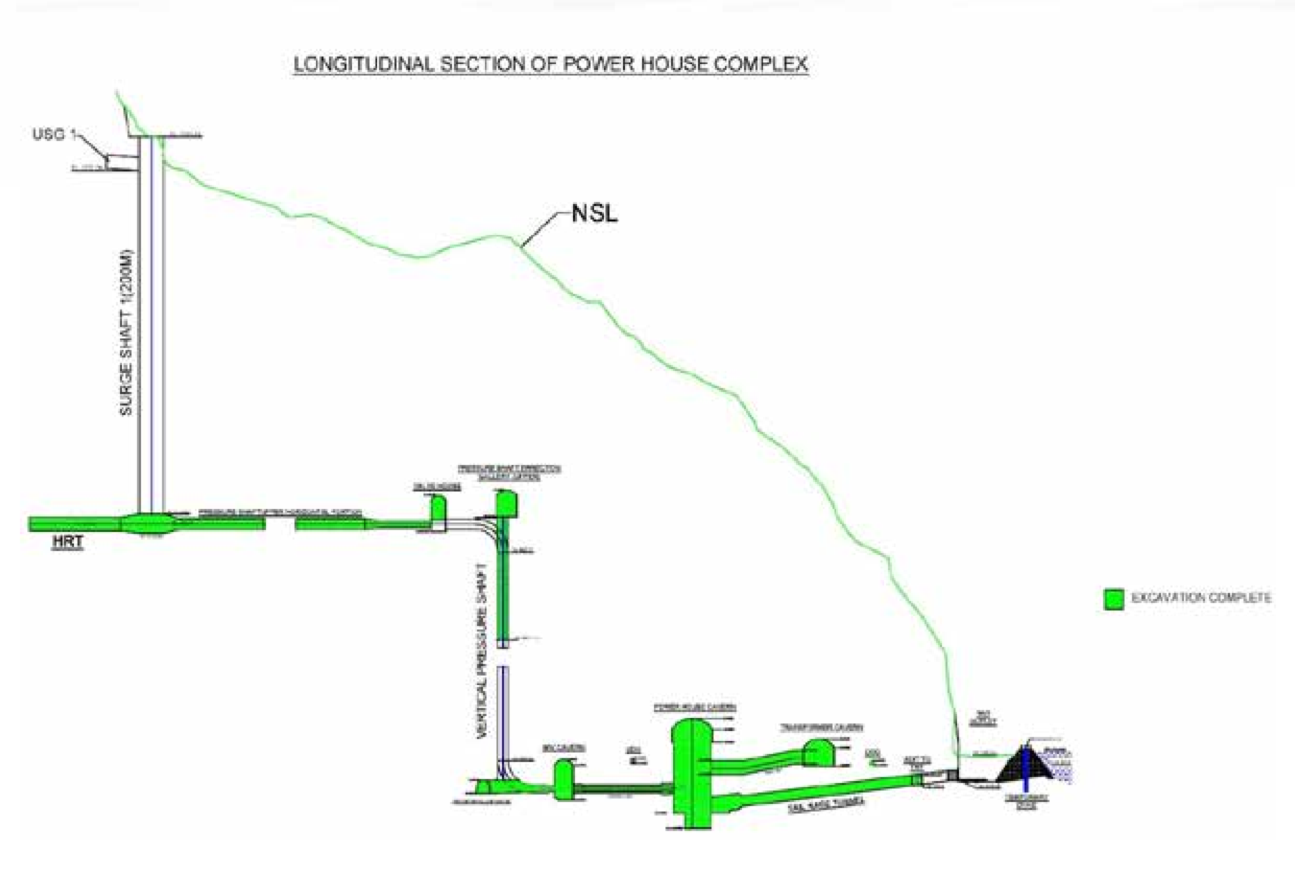

पावर हाउस क्षेत्र की खुदाई

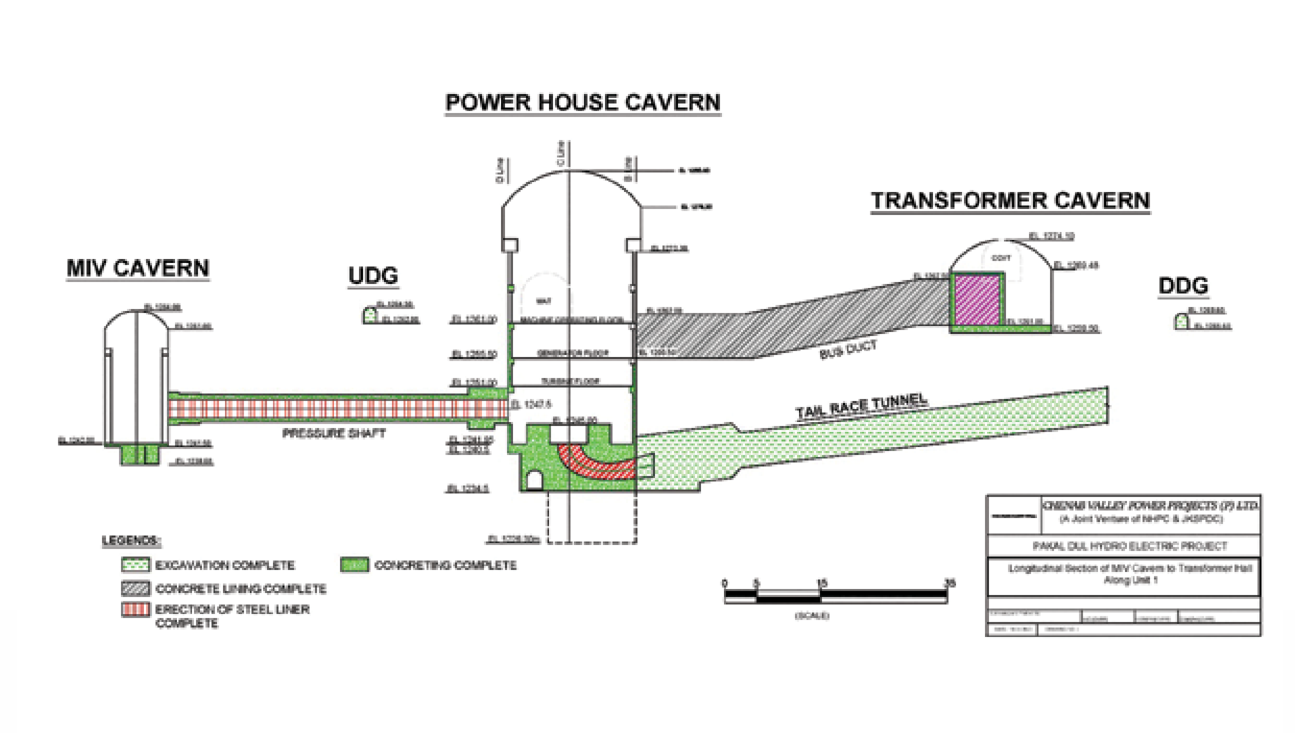

पावर हाउस कंक्रीटिंग (X–सेक्शन)

पावर हाउस कंक्रीटिंग (एल–सेक्शन)

सीएफआरडी बांध फिलिंग

पावर हाउस ई एंड एम कार्य

पावर हाउस ई एंड एम कार्य

टीबीएम–1 असेम्बली

5.3.2 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अंतर्गत कीरू जल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट)

कीरू जल विद्युत परियोजना जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के बांध स्थल के 25 कि.मी. अपस्ट्रीम पर स्थित है। इस परियोजना के लिए चिनाब नदी पर रन–ऑफ–रिवर योजना के रूप में योजना बनाई गई है तथा जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में किश्तवाड़ जिले में कीरू/पथरनक्की ग्राम में स्थित है। परियोजना के प्रमुख घटकों में 135 मी. हाई कंक्रीट ग्रेविट बांध, 4 (5.5 मी. व्यास) प्रेशर शॉफ्ट/पेनस्टॉक और प्रत्येक 156 मेगावाट की 4 यूनिटों वाला एक अंडरग्राउंड पावर हाउस शामिल है। परियोजना में एक 90% आधार वर्ष में 2,272 मिलियन यूनिट अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (135 मी. ऊंचाई, 193 मी. लंबाई)
प्रेशर शॉफ्ट/पेनस्टॉक	चार 5.5 मी. व्यास, अंडरग्राउंड सर्कुलर, स्टील लाइन, 316 मी. से 322 मी. लंबाई
टेल रेस टनल	चार 7 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप, 164 मी. से 190 मी. तक विभिन्न लंबाई
पावर हाउस	भूमिगत, 04 यूनिटें, आकार 182 मी. × 23.6 मी. × 51.2 मी.
रेटेड हेड	117.98 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90% आश्रित वर्ष में 2272.02 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	08.03.2019

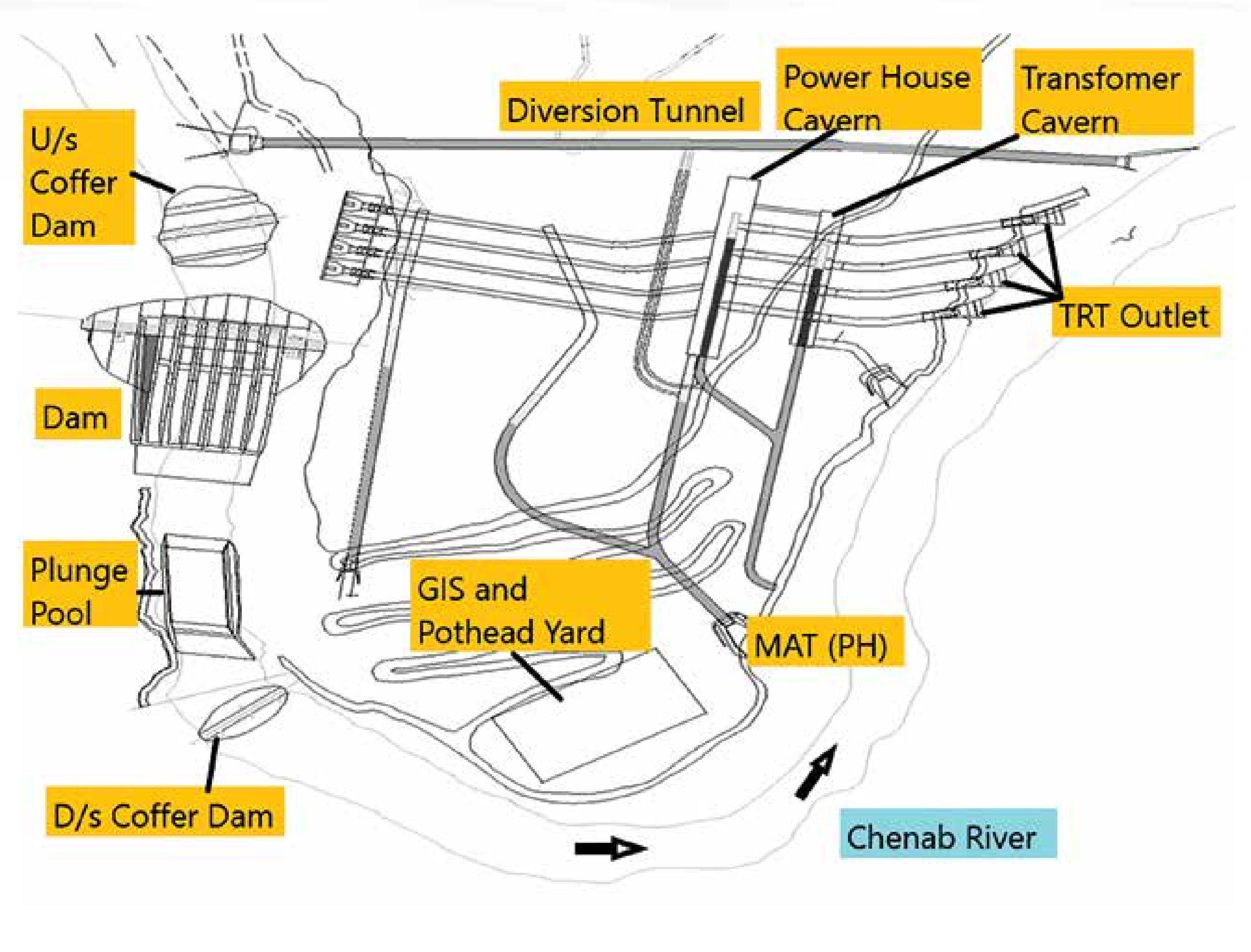

परियोजना ले–आउट

प्रमुख कार्यों की स्थिति:

कॉफ़र बांधों का निर्माण, नदी तल की खुदाई और बांध की नींव की कंक्रीटिंग का कार्य दिसंबर, 2021 में नदी के डाइवर्जन के बाद पूरा हो गया। बांध की ब्लॉक–वार कंक्रीटिंग का कार्य चल रहा है।

पावर हाउस की खुदाई सर्विस बे तक पूरी हो गई है और आगे की खुदाई पावर हाउस के निचले हिस्से तक चल रही है। ट्रांसफार्मर कैवर्न की खुदाई पूरी हो चुकी है और प्रेशर शाफ्ट की खुदाई चल रही है।

विस्तृत इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निरीक्षण, ईएंडएम की आपूर्ति और स्थापन तथा एचएम घटक कार्य प्रगति पर है।

चल रहे प्रमुख कार्यों की स्थिति:

क्रम सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल मात्रा	मार्च, 2023 तक संचयी	प्रगति :
1	बांध कंक्रीटिंग	क्यूमेक	209000	33335	16
2	पावर इनटेक खुदाई	क्यूमेक	56000	21130	37.7
3	पावर हाउस बेंचिंग खुदाई	क्यूमेक	180000	107685	59.8
4	इंक्लाइंड प्रेशर शाफ्ट (चौड़ा करना/काटना)	मी.	500	54.9	11
5	पावर हाउस में ईएल 1392 मीटर पर ग्राउटिंग व ड्रेनेज गैलरियों की खुदाई	मी.	250.5	79.5	31.7
6	टीआरटी–4 की खुदाई	मी.	217	164	75.5
7	टीआरटी–3 की खुदाई	मी.	119	16	13.4

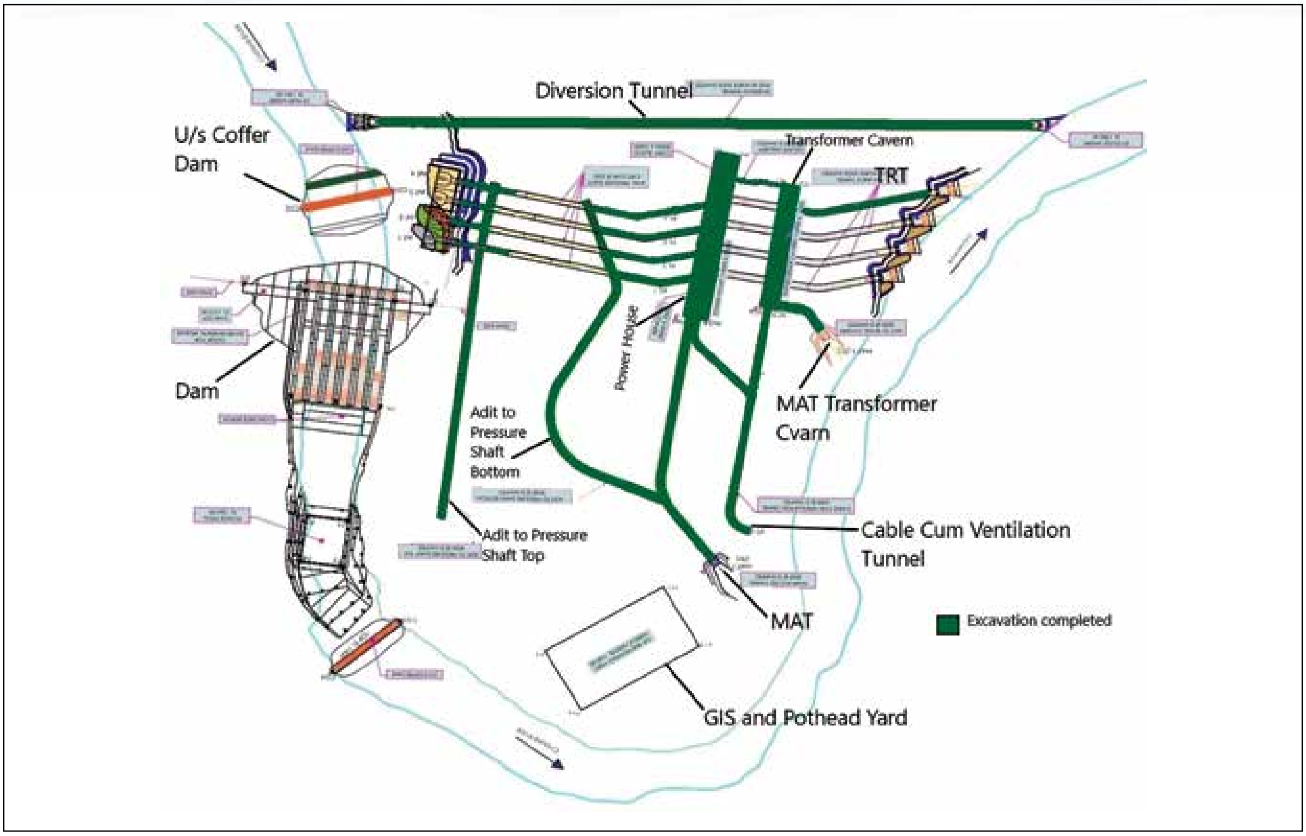
Diversion Tunnel
U/s Coffer Dam
Transformer Cavern
TRT
Dam
Power House
Adit to Pressure Shaft Bottom
MAT Transformer Cvarn
Cable Cum Ventilation Tunnel
Adit to Pressure Shaft Top
MAT
Excavation completed
GIS and Pothead Yard

खुदाई

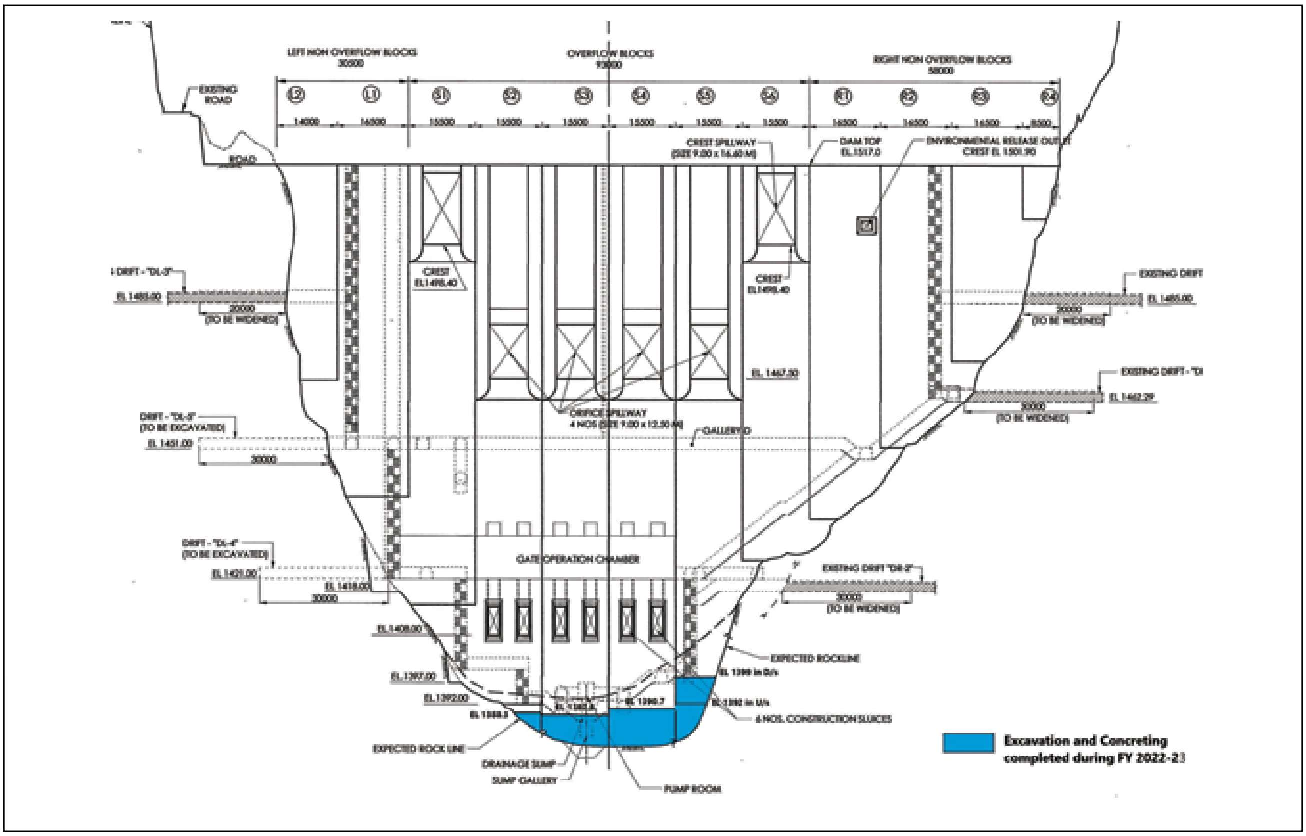
LEFT NON OVERFLOW BLOCKS
30500
OVERFLOW BLOCKS
93000
RIGHT NON OVERFLOW BLOCKS
58000
EXISTING ROAD
ROAD
CREST SPILLWAY
(SIZE 9.00 x 16.60 M)
DAM TOP
EL 1517.0
ENVIRONMENTAL RELEASE OUTLET
CREST EL 1501.90
CREST
EL1498.40
EL 1485.00
20000
(TO BE WIDENED)
EL 1467.50
EXISTING DRIFT
EL 1462.29
30000
(TO BE WIDENED)
ORIFICE SPILLWAY
4 NOS (SIZE 9.00 x 12.50 M)
GALLERY
DRIFT - "DL-5"
(TO BE EXCAVATED)
EL 1451.00
30000
DRIFT - "DL-4"
(TO BE EXCAVATED)
EL 1421.00
EL 1418.00
30000
GATE OPERATION CHAMBER
EXISTING DRIFT "DR-2"
30000
(TO BE WIDENED)
EL 1408.00
EXPECTED ROCKLINE
EL 1397.00
EL 1392.00
EL 1388.5
6 NOS. CONSTRUCTION SLUICES
EXPECTED ROCK LINE
DRAINAGE SUMP
SUMP GALLERY
PUMP ROOM
Excavation and Concreting completed during FY 2022-23

बांध कंक्रीटिंग

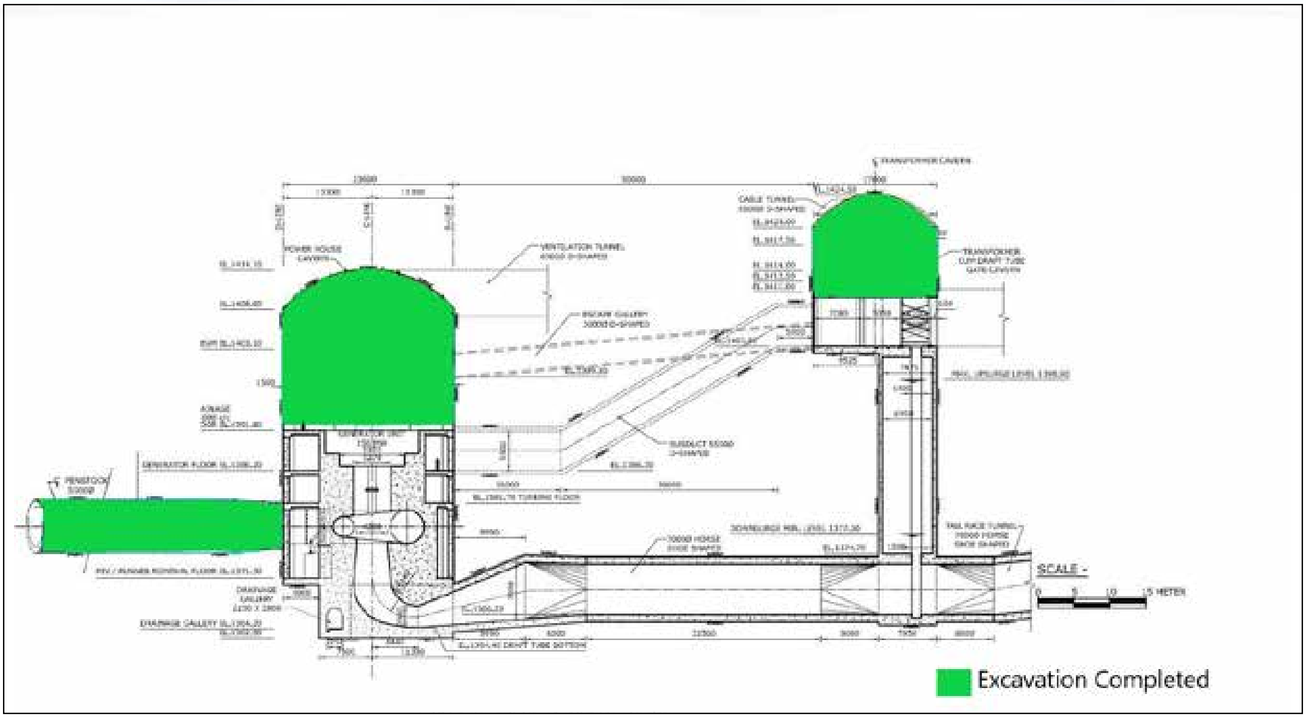

पावर हाउस की खुदाई (एक्स–सेक्शन)

बांध कंक्रीटिंग

पावर हाउस की खुदाई

5.3.3 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अंतर्गत क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट)

इस परियोजना की योजना रन–ऑफ–द–रिवर योजना के रुप में बनाई गई है, जो जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में पडयर्ना ग्राम के समीप चिनाब नदी पर है। परियोजना का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऊधमपुर और नजदीकी हवाई अड्डा जम्मू है।

परियोजना के प्रमुख घटकों में 109 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 4 (5.65 मीटर व्यास) प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक और 135 मेगावाट की 4 यूनिटों वाला एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है। परियोजना में अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक 90% आधार वर्ष में 1975.54 मेगावाट यूनिट है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (109 मी. ऊंचाई, 195 मी. लंबाई)
प्रेशर शॉफ्ट/पेनस्टॉक	चार 5.65 मी. व्यास, भूमिगत सर्कुलर स्टील लाइन
टेल रेस टनल	दो 9.5 मी. व्यास हॉर्स शू शेप, कंक्रीट लाइन टीआरटी – लम्बाई 2786 मी. और 2963 मी.
पावर हाउस	भूमिगत, 04 यूनिटें, आकार 140 मी. × 23.3 मी. × 50 मी.
रेटेड हेड	102.5 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90% आधार वर्ष में 1975.54 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	10.05.2022

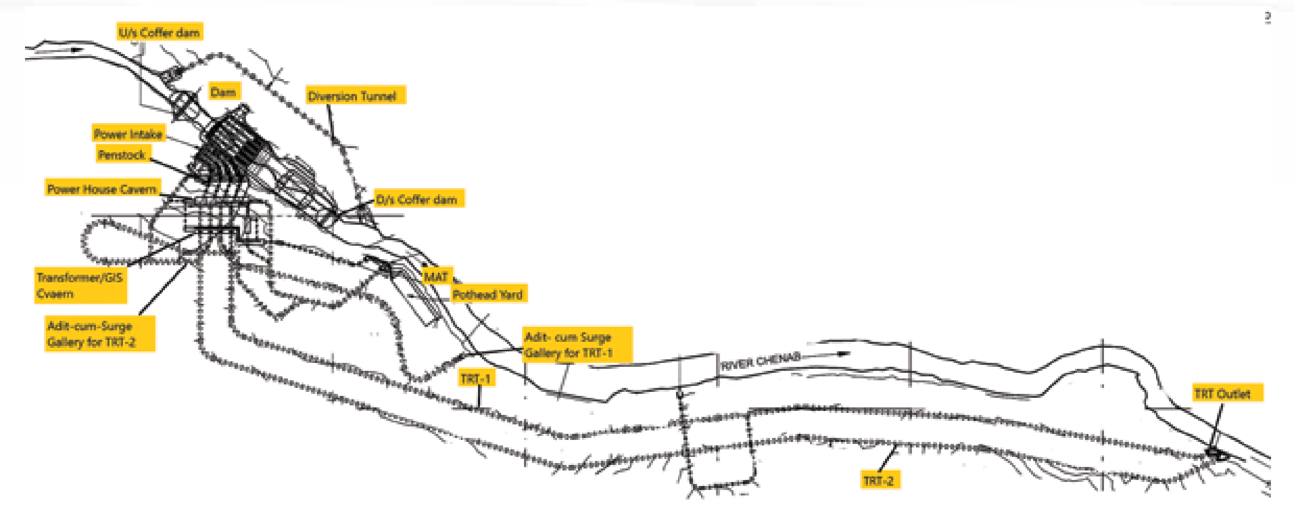

परियोजना ले–आउट

प्रमुख कार्यों की स्थिति:

सिविल कार्य दिनांक 11 मई, 2022 को अवार्ड किए गए थे। डायवर्जन टनल की खुदाई, एमएटी, पोटहेड यार्ड की खुदाई, सीवीटी और डैम एबटमेंट स्ट्रिपिंग का कार्य चल रहा है।

ईएंडएम और एचएम पैकेजों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।

चल रहे प्रमुख कार्यों की स्थिति:

क्रम सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल मात्रा	मार्च, 2023 तक संचयी	प्रगति %
1	डीटी खुदाई (शीर्ष)	मी.	686	403	58.7
2	एमएटी खुदाई	मी.	609	166.5	27.3
3	बांध एबटमेंट स्ट्रिपिंग	क्यूमेक	304500	13100	4
4	पोटहेड यार्ड खुदाई	क्यूमेक	142500	6300	4.4
5	सीवीटी खुदाई	मी.	280	46	16.4
6	सर्ज गैलरी एडिट	मी.	766	21	2.7

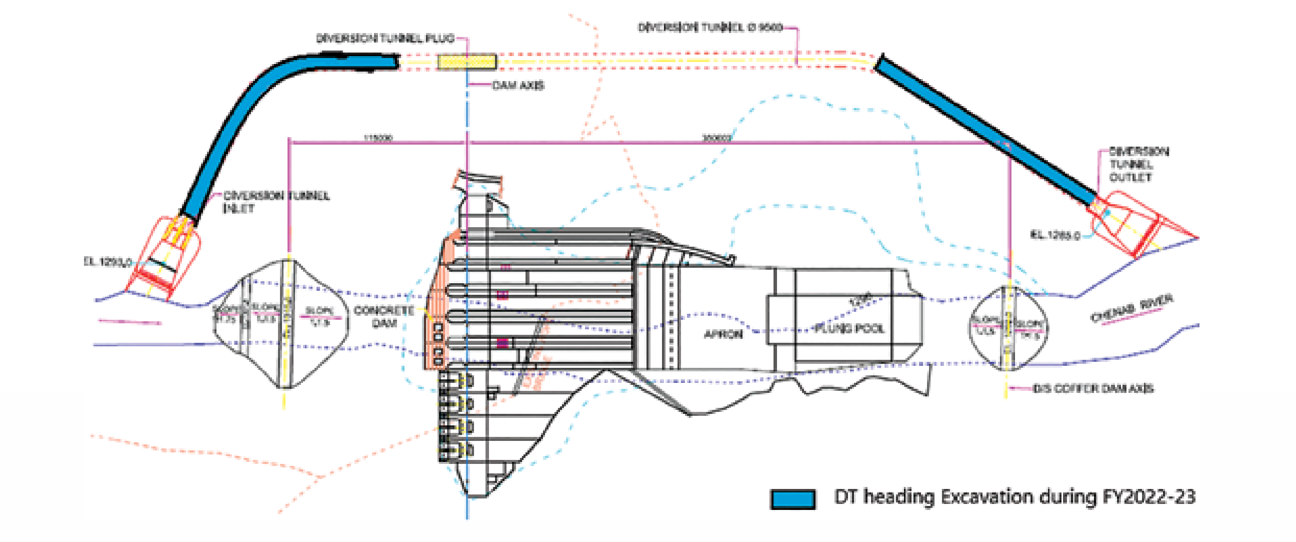

डाइवर्जन टनल की खुदाई

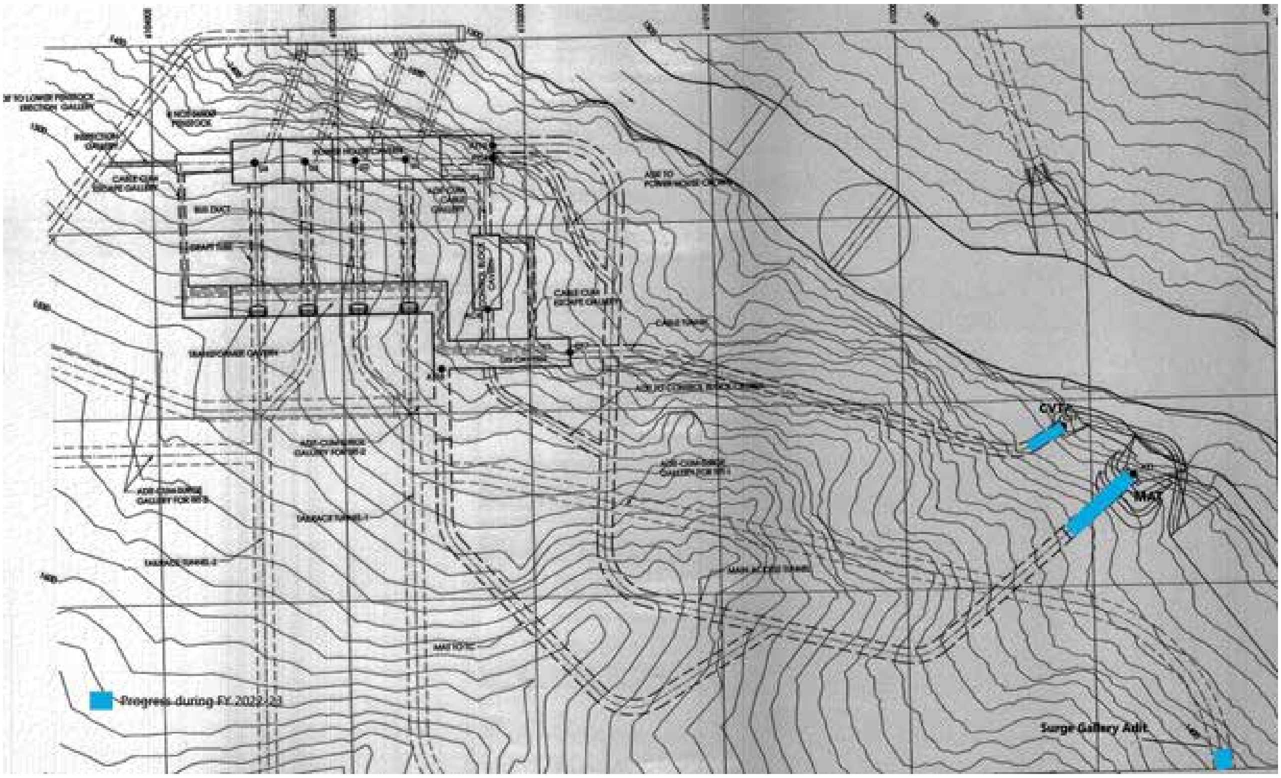

एमएटी, सीवीटी और सर्ज गैलरी एडिट टनल की खुदाई

डाइवर्जन टनल की खुदाई

5.3.4 रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) के अंतर्गत रतले जल विद्युत परियोजना (850 मेगावाट)

इस परियोजना की योजना रन–ऑफ–द–रिवर योजना के रुप में बनाई गई है, जो दरबशाला के समीप जम्मू संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है। परियोजना का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऊधमपुर और नजदीकी हवाई अड्डा जम्मू है।

यह परियोजना चिनाब नदी पर रन–ऑफ–रिवर योजना है और यह जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। परियोजना के प्रमुख घटकों में 133 मी. ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध और एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है, जिसमें 205 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटें हैं। इसके अतिरिक्त, 30 मेगावाट की एक यूनिट पर्यावरणीय प्रवाह के निर्धारित निरंतर रिलीज के उपयोग करने का प्रस्ताव है। परियोजना में एक 90% आधार वर्ष में 3,137 मेगावाट का अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (133 मी. ऊंचाई, 194.8 मी. लंबाई)
प्रेशर शॉफ्ट/पेनस्टॉक	मुख्यः चार 6.6 मी. व्यास, सर्कुलर स्टील लाइन – लम्बाई 172 मी. से 211 मी., सहायक कार्यः 1 सर्कुलर स्टील लाइन – लम्बाई 162 मी.
टेल रेस टनल	मुख्यः चार 8.7 मी. व्यास, सर्कलुर लंबाई 314.4 मी. से 378.6 मी., सहायक कार्यः एक 4.7 मी. व्यास सर्कुलर, लम्बाईः 290 मी.
पावर हाउस	भूमिगत, 168 मी. × 24.5 मी. × 49 मी. की 4 यूनिटें (205 मेगावाट) + 1 यूनिट (30 मेगावाट)
नेट हेड	मुख्यः 97.37 मी., सहायक कार्य 98.9 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90% आधार वर्ष में 3137 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	11.02.2021

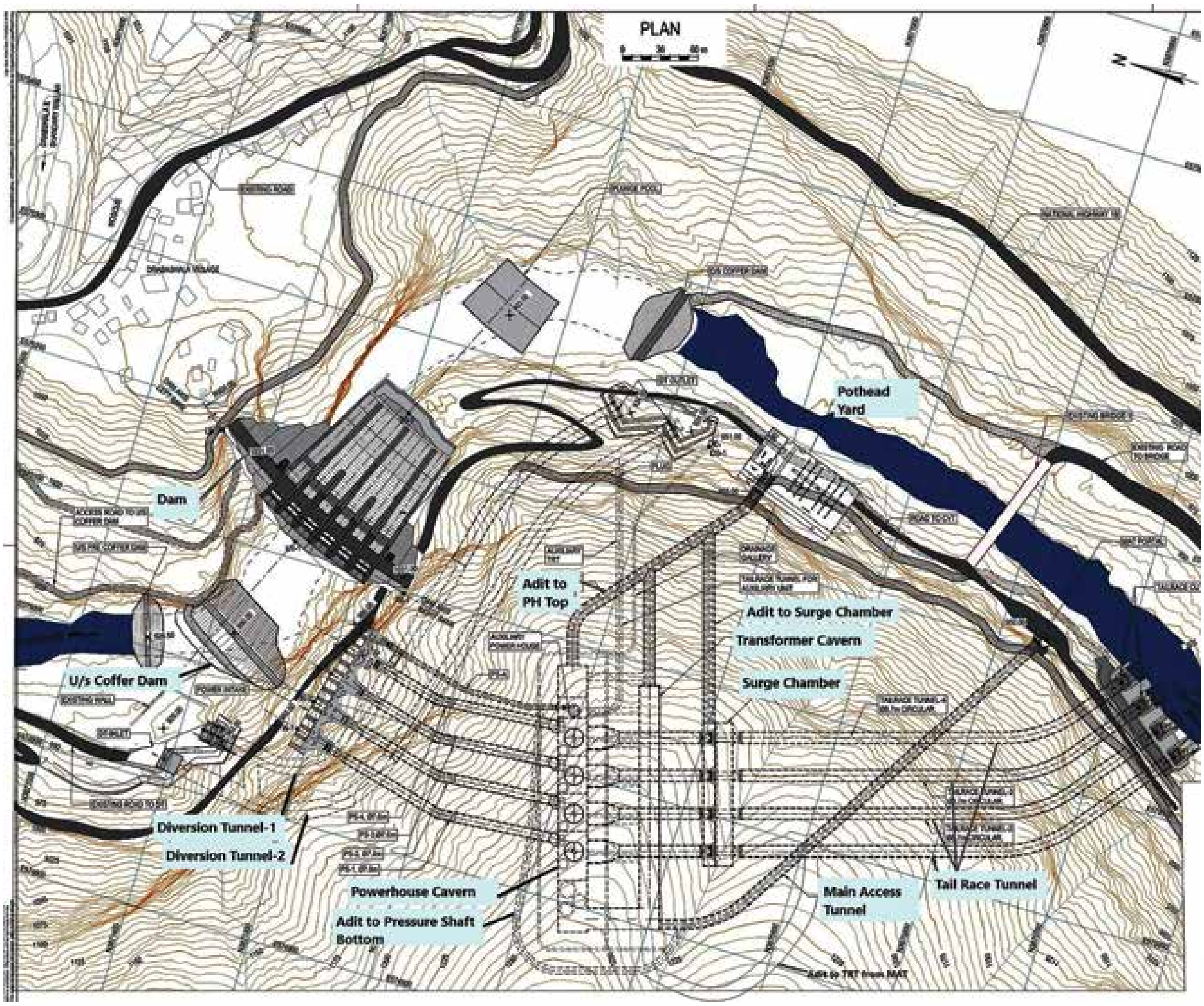

परियोजना ले–आउट

प्रमुख कार्यों की स्थितिः

परियोजना के लिए ईपीसी संविदा जनवरी, 2022 में अवार्ड की गई थी और डायवर्जन टनलों (डीटी) की खुदाई पूरी हो चुकी है और लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है। पावरहाउस कैवर्न, ट्रांसफार्मर कैवर्न, पहुँच टनलों की खुदाई और बांध एबटमेंट स्ट्रिपिंग का कार्य चल रहा है।

चल रहे प्रमुख कार्यों की स्थितिः

क्रम सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल मात्रा	मार्च, 2023 तक संचयी	प्रगति :
1	डीटी की ओवर्ट लाइनिंग – 1	मी.	488	70	14.3
2	डीटी की इनवर्ट लाइनिंग – 2	मी.	552	188	34
3	डैम एबटमेंट स्ट्रिपिंग	क्यूमेक	200000	3640	1.8
4	पावर हाउस कैवर्न की खुदाई	क्यूमेक	187950	12000	6.3
5	खुदाई – पीएच तक पहुंच टनलें और एडिट (एमएटी, सीवीटी, एटीसी, और अन्य पहुंच टनलें)	क्यूमेक	100200	66600	66.4

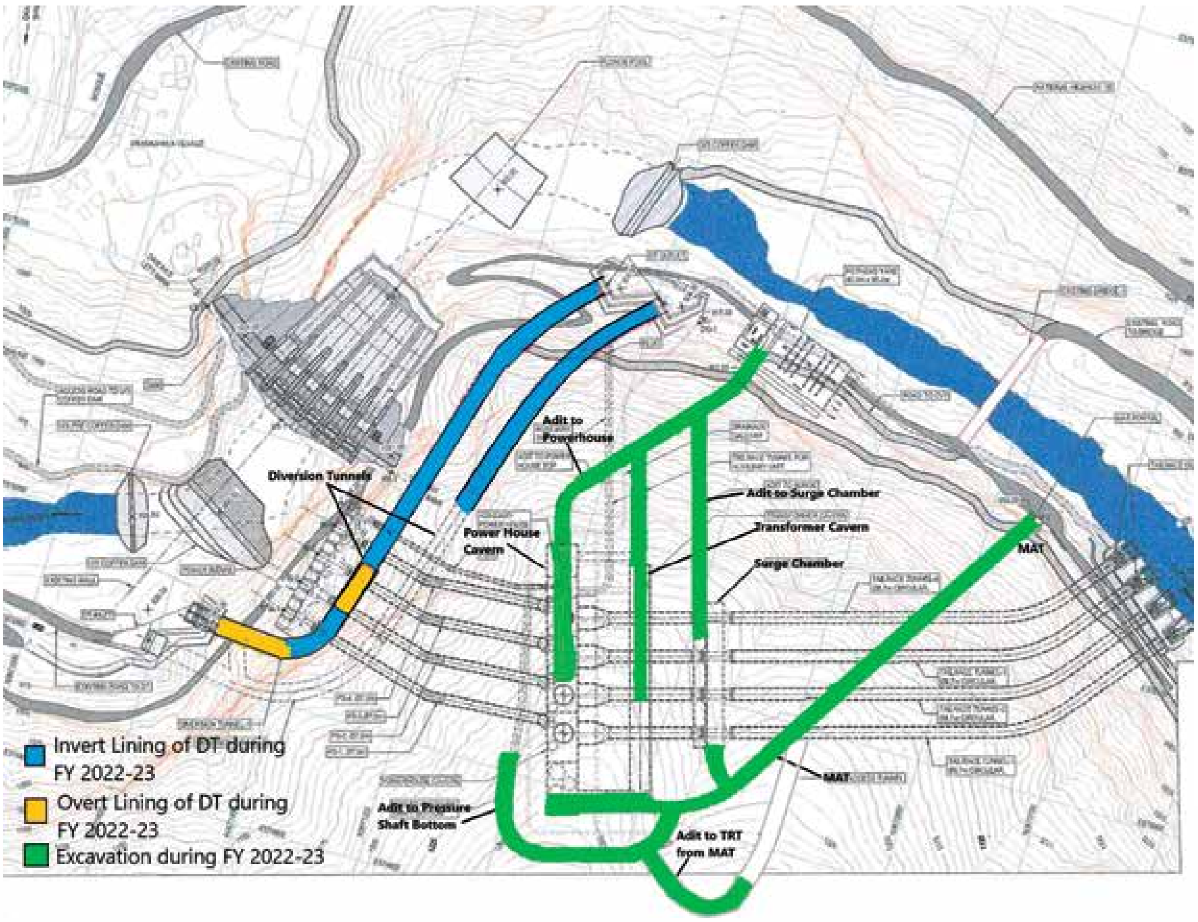

खुदाई और लाइनिंग कार्य

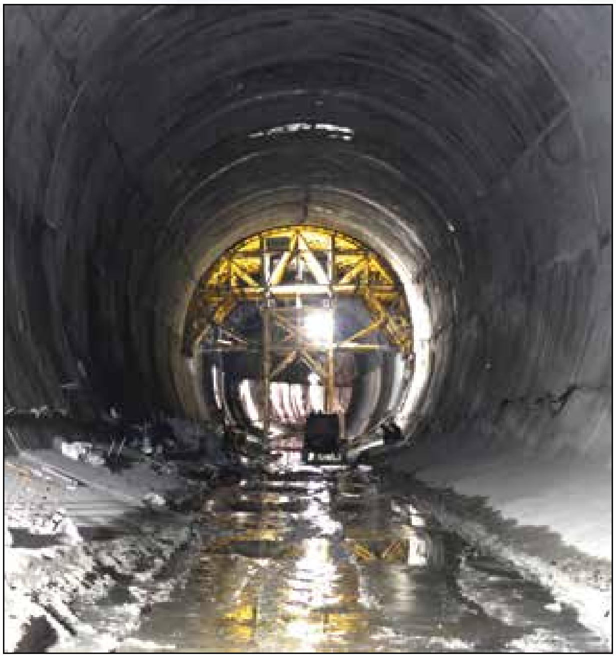

डीटी लाइनिंग

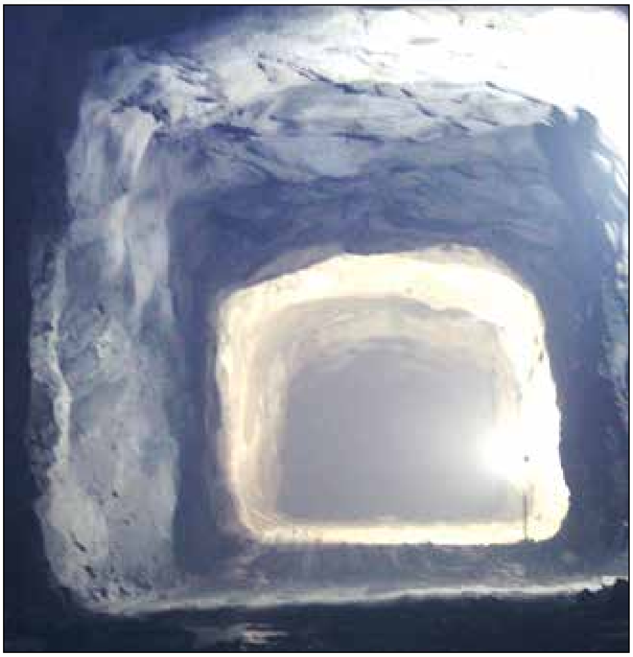

पावर हाउस कैवर्न की खुदाई

डैम एबटमेंट स्ट्रिपिंग

6. मंजूरी/अनुमोदन की प्रक्रिया में जलविद्युत परियोजनाएं

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों सहित जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति, जो मंजूरी/अनुमोदन की विभिन्न प्रक्रियाओं के अधीन हैं, नीचे तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)	संस्थपित क्षमता (मेगावाट)
क.	**एकल आधार पर**		
1.	तीस्ता-V	सिक्किम	520
2.	सावलकोट	जम्मू व कश्मीर	1856
3.	डुगर	हिमाचल प्रदेश	500
4.	उड़ी-I चरण-II	जम्मू व कश्मीर	240
		उप–जोड़ (क)	**3116**
ख.	**सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से**		
I	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार का एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना	मणिपुर	66
II	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (जेकेएसपीडीसी का एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	930
उप–जोड़ (ख)			**996**
कुल (क + ख)			**4112**

6.1 एनएचपीसी एकल

6.1.1 तीस्ता-IV जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट), सिक्किम

परियोजना के लिए सभी स्वीकृतियां, केवल वन स्वीकृति (एफसी-II) को छोड़कर प्राप्त कर ली गई है, जो कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन के कारण लंबित है। एनएचपीसी द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

6.1.2 सावलकोट जल विद्युत परियोजना (1856 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

इस परियोजना की योजना, चिनाब नदी पर रि–ऑफ–द–रिवर के रुप में बनाई गई है, जो कि तंगर के समीप जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के ऊधमपुर जिले में स्थित है।

परियोजना के प्रमुख घटकों में 192.5 मीटर ऊंचा आरसीसी ग्रेविटी बांध और प्रत्येक 225 मेगावाट की 6 यूनिटों वाला एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है। इसके अतिरिक्त, 56 मेगावाट की यूनिट की परिकल्पना की गई है, ताकि पर्यावरणीय प्रवाह की निर्धारित रिलीज का निरंतर उपयोग हो सके। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक 90% आधार वर्ष में 7,994.73 एमयू है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	192.5 मी. ऊंचाई और 240 मी. लम्बाई, आरसीसी ग्रेविटी बांध
पावर हाउस	भूमिगत, वर्टिकल फ्रांसिस टरबाइन • 6×225 मेगावाट + 1 ×56 मेगावाट क्षमता (स्टेज-I के लिए 1406 मेगावाट) • 2×225 मेगावाट (स्टेज-II के लिए 450 मेगावाट) • कुल 1856 मेगावाट
वार्षिक ऊर्जा	7994.73 मिलियन यूनिट
डाइवर्जन टनल	13.5 मी. × 19 मी., 3 हॉर्स शू शेप, (965 मी., 1130 मी., 1280 मी.)
हेड रेस टनल	स्टेज-I के लिए दो 12.8 मी. व्यास और स्टेज-II के लिए एक 10.8 मी. व्यास (सर्कुलर टाइप) (लंबाई: लगभग 200 मी. प्रत्येक)

प्रेशर शॉफ्ट/ पेनस्टॉक	स्टेज-I के लिए छः और स्टेज-II के लिए दो • पीएस–1 से पीएस–5: 6 मी. व्यास प्रत्येक • पीएस–6: 6.7 मी. व्यास • 56 मेगावाट के लिए 2.75 मी. व्यास पेनस्टॉक लम्बाई: 130 मी. – 140 मी. – झुकाव के लिए और 50 मी. – 115 मी. – हॉरिजेंटल के लिए
नेट रेटेड हेड	• यूनिट–1, 2, 3, 4, 7 और 8 के लिए 155.7 मी. • यूनिट 5, 6 और पर्यावरणीय यूनिट के लिए 153.5 मी.

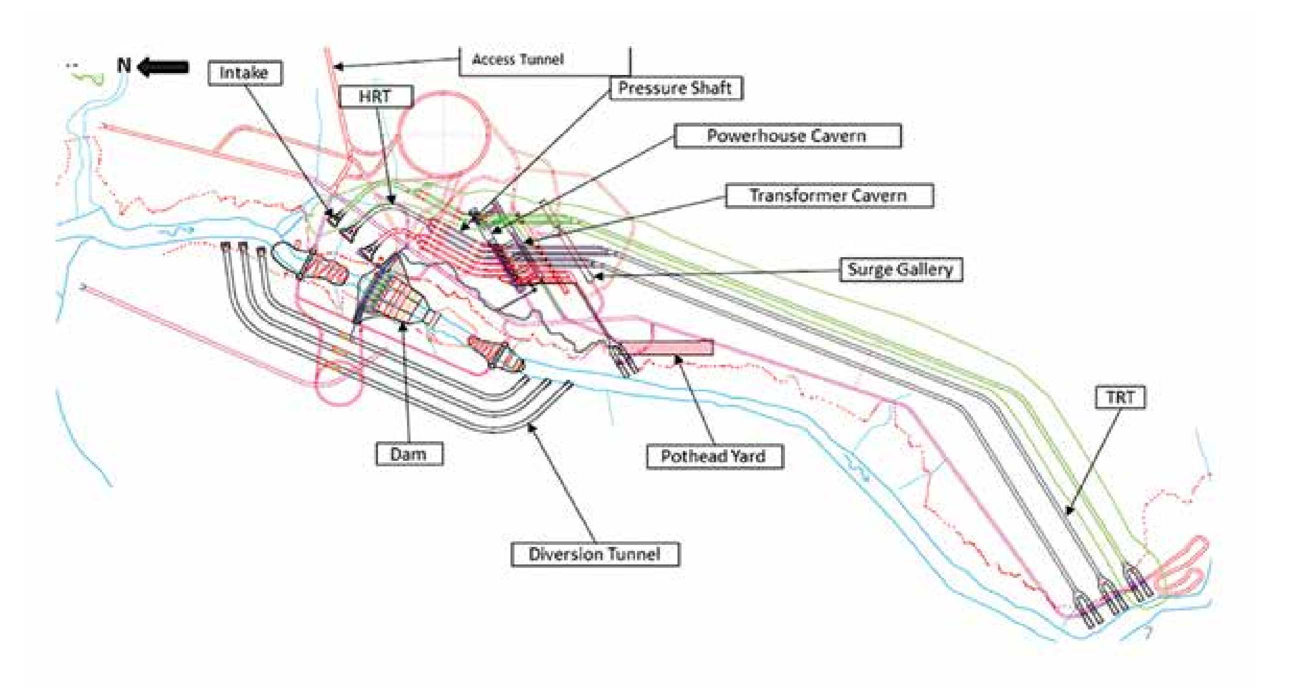

परियोजना लेआउट

प्रमुख कार्यों की स्थिति:

- एनएचपीसी द्वारा सावलकोट (1856 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच 03 जनवरी, 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना एनएचपीसी को दिनांक 11 दिसंबर, 2021 को सौंप दी गई है।
- वन मंजूरी (एफसी–1) – एनएचपीसी द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को परिवेश पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड किया गया और आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।
- सीईए द्वारा टीईए मूल्यांकन, सिंधु जल संधि, और निवेश अनुमोदन निर्माण–पूर्व क्रियाकलापों और एफआरए प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त किया गया।
- निवेश–पूर्व क्रियाकलापों के लिए निवेश अनुमोदन 973 करोड़ रुपये 12 जुलाई, 2022 को प्रदान किया गया।
- आईडीसी और अवसंरचना लागत सहित 22,704.80 करोड़ रुपये की सीईए से पुनरीक्षित परियोजना पूरी होने की उम्मीद है।
- अवसंरचना कार्यों सहित निर्माण–पूर्व क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

बांध स्थल तक पहुंच मार्ग टनल की लाइनिंग का कार्य प्रगति पर

6.1.3 डुगर जल विद्युत परियोजनाः 500 मेगावाट, हिमाचल प्रदेशः

डुगर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एनएचपीसी को 70 वर्ष की अवधि के लिए बनाओ–अपनाओ–चलाओ और सौंपो (बीओओटी) आधार पर आवंटित की गई है। यह परियोजना रन–ऑफ–रिवर योजना है, जिसमें चिनाब नदी की जलविद्युत संभाव्यता हासिल करने का प्रस्ताव है और यह हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में पांगी घाटी में स्थित है।

मुख्य विशेषताएंः

बांध	बांध के टॉप पर 128 मी. ऊंचाई और 210.65 मी. लम्बाई में कंक्रीट ग्रेविटी बांध
पावर हाउस	भूमिगत, 164.5 मी. (लंबाई) × 22 मी. (चौड़ाई) ग 46.7 मी. (ऊंचाई); 4×103 मेगावाट (मुख्य यूनिट) और 2×44 मेगावाट (सहायक यूनिट)
वार्षिक ऊर्जा	1759.85 मिलियन यूनिट
डाइवर्जन टनल	11.5 मी. व्यास, दो, हॉर्स शू शेप (463 मी., 577 मी.)
प्रेशर शॉफ्ट	दो, 7.25 मी. व्यास और 312.4 मी. और 272.7 मी. लंबाई में मुख्य यूनिट के लिए और एक 5.10 मी. व्यास और 251.7 मी. लंबाई में सहायक यूनिट के लिए (सर्कुलर स्टील लाइन)।
पेनस्टॉक	चार 4.85 मी. व्यास और 37.2 मी. लंबाई मे मुख्य यूनिट के लिए और दो 3.7 मी. व्यास तथा 29.90 मी. लंबाई में सहायक यूनिट के लिए
नेट रेटेड हेड	89.92 मी.

प्रमुख कार्यों की स्थितिः

- सीईए ने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को सहमति प्रदान की। परियोजना की पूर्णता लागत अप्रैल, 2021 के कीमत स्तर पर 4250.20 करोड़ रुपये है।
- पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्ताव पर दिनांक 29 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में ईएसी द्वारा चर्चा की गई थी और एफसी-I अनुमति के अध्यधीन पर्यावरणीय मंजूरी के लिए सिफारिश की गई थी।
- राज्य सरकार ने दिनांक 04 जुलाई, 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को एफसी-I अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा था।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने स्थल निरीक्षण के लिए दिनांक 03 नवंबर, 2022 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिमला को प्रस्ताव प्रेषित किया। स्थल निरीक्षण पूरा हो गया है।

6.1.4 उड़ी-I, चरण-II (240 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी के बीच जनवरी, 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उड़ी-I, चरण-II की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2023 को सहायक अवसंरचना के लिए 26.20 करोड़ रुपये और आईडीसी के लिए 249.45 करोड़ रुपये सहित 2,526.79 करोड़ रुपये के पूर्णता स्तर पर अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना के लिए वन मंजूरी (एफसी-I और-II), पर्यावरणीय मंजूरी, पीआईबी अनुमोदन और सीसीईए का अनुमोदन लंबित है।

6.2 संयुक्त उद्यम कंपनियों के अंतर्गत

6.2.1 किरथई-II जल विद्युत परियोजना (930 मेगावाट)

इस परियोजना की योजना चिनाब नदी पर रन–ऑफ–द–रिवर योजना के रूप में योजना बनाई गई है, जो कि पॉडर गांव के समीप चिनाब नदी पर कीरू जल विद्युत परियोजना के 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर किश्तवाड़ जिला, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है।

परियोजना के प्रमुख घटकों में 121 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध और प्रत्येक 140 मेगावाट की 6 यूनिटों वाला एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है। इसके अतिरिक्त, 90 मेगावाट का उपयोग पर्यावरणीय प्रवाह की निर्धारित रिलीज का निरंतर उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक 90% आधार वर्ष में 3,329.52 एमयू होने का अनुमान है।

मुख्य विशेषताएं:

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (121 मी. ऊंचाई, 219.8 मी. लंबाई)
एचआरटी	हॉर्स शू, 10.5 मी. व्यास, 4.29 कि.मी. लंबाई
डिसिल्टिंग चैम्बर	चार, 440 मी. × 19 मी. × 24.87 मी.
सर्ज शाफ्ट	31.6 मी. व्यास, और 91.88 मी. ऊंचाई
प्रेशर ााफ्ट	प्रत्येक 5.25 मी. व्यास की तीन स्टील लाइन 827 मी. लंबाई
पावर हाउस	भूमिगत, (6 × 140 = 840 मेगावाट) + सरफेस (2 × 10+2 × 35 = 90 मेगावाट) मुख्य पीएच कैवर्न मापः 187.5 मी. × 22 मी. × 49.7 मी.
वार्षिक ऊर्जा	3,329.52 एमयू
नेट हेड	220.62 मी.
निर्माण अवधि	5 वर्ष

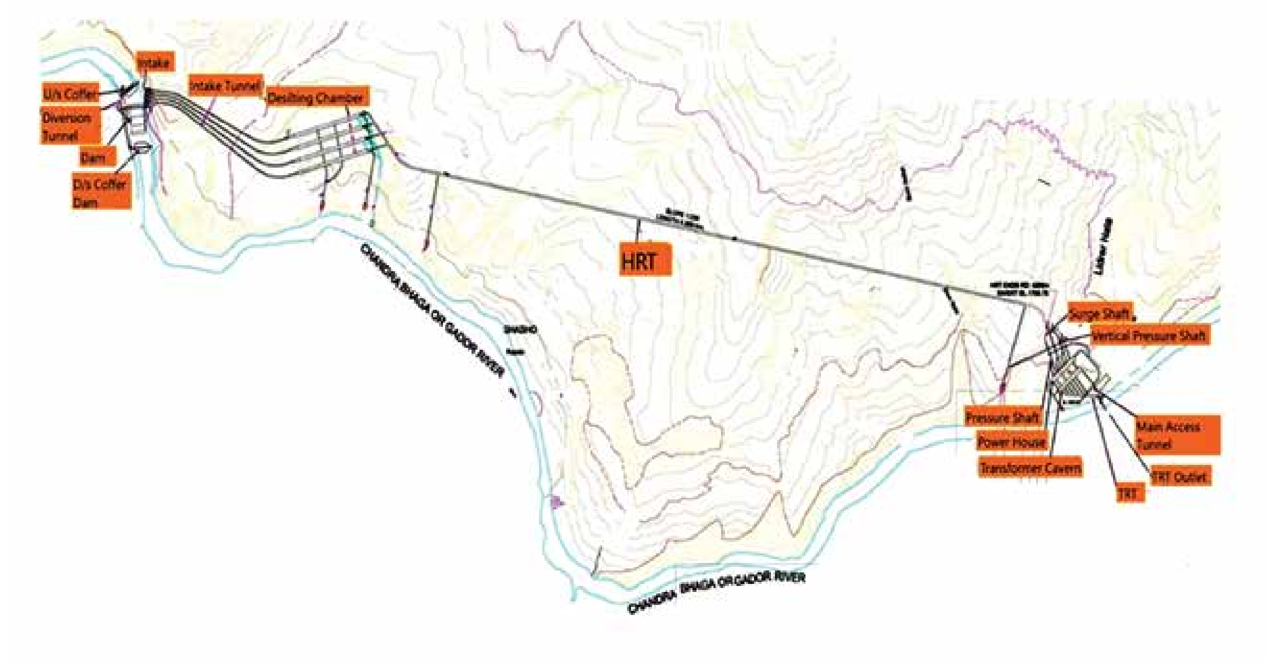

परियोजना लेआउट

प्रमुख कार्यों की स्थिति:

- सीवीपीपीपीएल के जरिए किरथई-II जल विद्युत परियोजना (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 03 जनवरी, 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं और इस परियोजना के लिए सीवीपीपीपीएल को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु एनएचपीसी और सीवीपीपीपीएल के बीच दिनांक 19 मार्च, 2021 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- परियोजना के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सीईए द्वारा दिनांक 14 जून, 2019 को सशर्त टीईसी प्रदान की गई है।
- दिनांक 19 अक्तूबर, 2022 को परिवेश पोर्टल पर वन मंजूरी-I के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जांच का कार्य चल रहा है।

7. सर्वेक्षण और जांच (एसएंडआई) के अधीन परियोजनाएं

आपकी कंपनी उत्तराखंड में गौरीगंगा-IIIए, जल विद्युत परियोजना के लिए (150 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में बरसर परियोजना (800 मेगावाट) और दुलहस्ती स्टेज-II (260 मेगावाट) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच में लगी हैं, जिनकी समग्र संस्थापित क्षमता 1210 मेगावाट है।

8. राज्य सरकार द्वारा एनएचपीसी को आबंटन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दर्शाई गई नई जलविद्युत परियोजनाएं

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने एनएचपीसी को संभावित आवंटन के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिसंबर, 2021 में चार रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात सुबनसिरी अपर (2000 मेगावाट) – एकल आधार, एनएचपीसी द्वारा; सुबनसिरी मिडिल (कमला) (1800 मेगावाट) – एकल आधार, एनएचपीसी द्वारा; सियांग लोअर (2700 मेगावाट) – एनएचपीसी द्वारा नीपको के साथ संयुक्त उद्यम में; अपर सियांग (10000 मेगावाट) – एनएचपीसी द्वारा नीपको के साथ संयुक्त उद्यम में पहचान की गई है और उल्लिखित की गई है।

8.1 सुबनसिरी मिडिल जल विद्युत परियोजना (एसएमपी) और सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना (एसयूपी)

एनएचपीसी ने उल्लिखित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कार्य दल का गठन किया है तथा तकनीकी और कानूनी दृष्टि से जांचने के लिए पेशेवर परामर्शदाता मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (ईवाई) को अनुबंधित किया है। विगत डीपीआर और तकनीकी–वाणिज्यिक जांच को देखने पर, क्षमता और डिजाइन ऊर्जा इस प्रकार हैः

- ➢ सुबनसिरी मिडिलः 1720 मेगावाट / 6832.2 एमयू
- ➢ सुबनसिरी अपरः 1500 मेगावाट / 5914.63 एमयू

एनएचपीसी द्वारा सुबनसिरी मिडिल और सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट क्रमशः जुलाई, 2022 और सितंबर, 2022 में विद्युत मंत्रालय की मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल ने मार्च, 2023 में सुबनसिरी मिडिल (कमला) जल विद्युत परियोजना और सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना को संबंधित आईपीपी से क्रमशः 202.94 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये की अधिग्रहण लागत पर, विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन अधिग्रहीत करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल, 2023 में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा सुबनसिरी मिडिल (कमला) और सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना के अधिग्रहण के लिए 'अनापत्ति' के बारे में सूचित किया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चार पक्षीय / पांच पक्षीय करार का प्रारूप तथा सुबनसिरी मिडिल और सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना के लिए करार ज्ञापन का प्रारूप प्रदान किया है। परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डीपीआर तैयार हो जाने पर मामला–दर–मामला आधार पर दोनों परियोजनाओं के लिए अपेक्षित रियायतों पर विचार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सूचित की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा मई, 2023 में सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना के लिए एनओसी जारी की गई थी। करार पर हस्ताक्षर होने के बाद और एनएचपीसी को परियोजनाएं अंतरित होने के बाद, एनएचपीसी द्वारा परियोजनाओं की डीपीआर तैयार / अद्यतन की जाएगी।

8.2 सुबनसिरी लोअर परियोजना – 2700 मेगावाटः

सियांग लोअर जल विद्युत परियोजना सियांग नदी की जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए एक बाढ़ नियंत्रण व विद्युत उत्पादन योजना है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित है। अद्यतन डीपीआर के अनुसार, परियोजना से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक 90% आधार वर्ष में 13236.47 एमयू होने का अनुमान है। इस योजना की विशेषताओं में 111 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध और 2700 मेगावाट क्षमता का एक सतही पावर हाउस शामिल है। एनएचपीसी द्वारा अनुबंधित पेशेवर सलाहकार मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (ईवाई) ने सियांग लोअर एच.ई. परियोजना की प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परियोजना के तकनीकी–वाणिज्यिक पहलुओं को सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के मापदंडों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही तैयार किया जा सकता है।

8.3 सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना–10000 मेगावाटः

अप्रैल, 2022 में जल शक्ति मंत्रालय ने एनएचपीसी को अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना (यूएसएमएसपी) की पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। एनएचपीसी द्वारा निम्नलिखित 3 विकल्पों, उग्गेंग (11,600 मेगावाट), डिट्टे डिम्मे (11200 मेगावाट) और पारोंग (11,200 मेगावाट) स्थलों पर विचार करने के लिए परियोजना की पीएफआर तैयार की गई है और दिसंबर, 2022 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति ने यह सुझाव दिया है कि डीपीआर तैयार करने के लिए पीएफआर में प्रस्तुत वैकल्पिक परियोजना स्थानों में परियोजना स्थल की सहमति के लिए आगे भूवैज्ञानिक जांच करनी आवश्यक है। यह सिफारिश की कि सभी तीन स्थलों पर, जैसाकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा सुझाव दिया गया था, ड्रिलिंग कार्य किए जाने की आवश्यकता है। एसयूएमपी के 3 वैकल्पिक स्थलों के लिए 401.08 लाख रुपये पर लिए ड्रिलिंग लागत अनुमान का एनएचपीसी का प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 09 मई, 2023 द्वारा कार्यालय आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है। पारोंग और डिट्टे डिम्मे स्थल पर ड्रिलिंग कार्य के लिए आबंटन पत्र दिनांक 05 मई, 2023 को जारी किया गया था और उग्गेंग स्थल के लिए दिनांक 04 मई, 2023 को जारी किया गया था।

9. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

आपकी कंपनी वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधनों से 50% विद्युत विकसित करने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए योगदान देकर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा विकास गाथा का हिस्सा बनना चाहती है। निवल शून्य कार्बन भविष्य के लिए विभिन्न नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों की दुनिया भर में तलाश की जा रही है और आपकी कंपनी

इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एनएचपीसी नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास और प्रगति के अनुसार अब अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में वृद्धि के लिए रोड मैप और कार्यनीतियां बना रहा है। एनएचपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक अलग वर्टिकल के रूप में फरवरी, 2022 में अपनी एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी अर्थात एनएचपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी आरईएल) को भी शामिल किया है।

9.1 सौर विद्युत परियोजनाएं

9.1.1 चल रही सौर परियोजनाएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
क.	**ईपीसी मोड में**		
I.	**एकल आधार पर**		
(i)	सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 600 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, कच्छ, गुजरात	गुजरात	600
(ii)	सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 300 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, बीकानेर, राजस्थान	राजस्थान	300
(iii)	सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 100 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, एन.पी. कुंटा, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	100
	उप–जोड़ (I)		**1000**
II.	**संयुक्त उद्यमों के माध्यम से**		
(i)	बीएसयूएल के माध्यम से 65 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, काल्पी	उत्तर प्रदेश	39*
(ii)	एनएचडीसी के माध्यम से 88 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, ओंकारेश्वर जलाशय	आंध्र प्रदेश	88
(iii)	एनएचडीसी के माध्यम से 8 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर सांची (नागोरी/गुलगांव)।		
	उप–जोड़ (II)		**135**
	उप–जोड़ (क) (I+II)		**1135**
ख.	**मध्यवर्ती खरीददार के रुप में:**		
(i)	मैसर्स ओ2 पावर एसजी प्रा. लिमिटेड द्वारा जैसलमेर में 380 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना	राजस्थान	380
(ii)	मैसर्स ईडन रिन्यूबल पासी प्रा. लिमिटेड द्वारा जैसलमेर में 300 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना		300
(iii)	मैसर्स अडानी सोलर एनर्जी बारमेड़ वन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बारमेड़ में 600 मेगावाट		600
(iv)	मैसर्स एबीसी रिन्यूबल एनर्जी प्रा. लिमिटेड द्वारा बारमेड़ में 400 मेगावाट		400
	उप–जोड़ (ख)		**1680**
	कुल (क+ख)		**2815**

*65 मेगावाट में से 26 मेगावाट क्षमता जुलाई, 2022 में आंशिक रूप से चालू की गई थी।

(i) एमएनआरई/इरेडा की सीपीएसयू योजना, फेस-II, ट्रांच-III के तहत प्रदान की गई परियोजनाएं

आपकी कंपनी सीपीएसयू योजना (चरण-II) के भाग-III के अंतर्गत कुल 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिसमें बीकानेर, राजस्थान में 300 मेगावाट की परियोजना, कच्छ, गुजरात में 600 मेगावाट की परियोजना और एन.पी. कुंटा, आंध्र प्रदेश में 100 मेगावाट की परियोजना शामिल है। संबंधित परियोजनाओं के लिए ईपीसी संविदा अवार्ड कर दी गई है। परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं और घरेलू निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों की उपलब्धता और विद्युत निकासी के लिए संगत आईएसटीएस सब–स्टेशनों के चालू किए जाने के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2024–25 में चरणों में चालू किए जाने की संभावना है।

(ii) 65 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, काल्पी:

यह परियोजना बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा विकसित की जा रही है। कुल 65 मेगावाट में से, 26 मेगावाट क्षमता जुलाई, 2022 में आंशिक रूप से चालू की गई थी। लगभग 56 मेगावाट (डीसी क्षमता) के एसपीवी मॉड्यूल की आपूर्ति दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से बीसीडी लागू होने और आपूर्ति चेन में रुकावट आने के कारण प्रभावित हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी हैं, जिनके बीसीडी की ग्रैंडफादरिंग के लिए एमएनआरई के साथ मामला उठाया गया है। बीसीडी से छूट के अध्यधीन, परियोजना छूट से तीन माह के भीतर पूरी हो जाने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर क्रियाकलाप 56 मेगावाट एसपीवी मॉड्यूलों की प्रमुख आपूर्ति लंबित रहने को छोड़कर, पूरे हो चुके हैं।

(iii) 88 मेगावाट फ्लोटिंग सौर, ओंकारेश्वर जलाशय और 8 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर सांची, मध्य प्रदेश:

ये परियोजनाएं एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम) द्वारा विकसित की जा रही हैं। एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए ईपीसी संविदा प्रदान कर दिए गए हैं और ये परियोजनाएं वर्ष 2023–24 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(iv) "मध्यस्थ खरीददार के रूप में" चयनित विकासकर्ताओं के माध्यम से विकासाधीन परियोजनाएं:

आपकी कंपनी ने "मध्यस्थ खरीददार" के रूप में पांच चयनित विकासकर्ताओं को कुल 2000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। कुल 2000 मेगावाट में से, 320 मेगावाट की परियोजना दिसंबर, 2022 को चालू कर दी गई है। शेष 1680 मेगावाट की परियोजनाओं में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले और संगत आईएसटीएस सब–स्टेशनों के चालू होने की वजह से विलंब हुआ। विकासकर्ताओं ने ओवरहेड पारेषण लाइन बिछाने के लिए अनुमति चाहने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को अनुरोध किया है। फरवरी, 2023 में 380 मेगावाट के लिए और जनवरी, 2023 में 600 मेगावाट के लिए समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया। सीटीयू द्वारा आईएसटीएस/एलटीए का प्रचालन शुरु किए जाने और 300 मेगावाट तथा 400 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए समिति का अनुमोदन प्राप्त किए जाने के अध्यधीन, उपर्युक्त 1680 मेगावाट की परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान संबंधित आईएसटीएस कमीशनिंग के एक माह के भीतर चालू किए जाने के लिए तैयार की गई है।

9.1.2 स्वीकृति के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं/नई परियोजनाएं

आपकी कंपनी, नवीनतम प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और उन्नतियों के अनुसार, अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाएं बढ़ाने के लिए रोड मैप और कार्यनीतियां तैयार कर रही है।

आपकी कंपनी अखिल भारत आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है और संभाव्यता से संपन्न राज्यों जैसे राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरल आदि में परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं को एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित करने के प्रयास जारी हैं, ताकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीपीएसयू के लिए उपलब्ध लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त किए जा सकें।

9.1.3 अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्कों (यूएमआरईपीपी–सौर पार्क योजना का मोड 8) के अंतर्गत परिकल्पित परियोजनाएं

आपकी कंपनी देश भर के विभिन्न संभाव्यता संपन्न समृद्ध राज्यों में यूएमआरईपीपी के विकास की संभावनाएं तलाश रही है। यूएमआरईपीपी परियोजनाओं के विकास की स्थिति इस प्रकार है:

(i) ओडिशा में 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर परियोजना:

आपकी कंपनी ने ओडिशा में विभिन्न जलाशयों और अन्य सौर परियोजनाओं में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के साथ एक प्रमोटर करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रेंगाली जलाशय, ओडिशा में 300 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए चिन्हित की गई है और इसके लिए ईपीसी संविदा, निविदा प्रक्रिया चल रही है। एनएचपीसी और जीईडीसीओएल के बीच प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी को निविदा को अंतिम रूप दिए जाने और निर्धारित ईपीसी कीमत के आधार पर प्राप्त टैरिफ के लिए पीपीए तैयार किए जाने के बाद शामिल किया जाएगा।

(ii) राजस्थान में 10000 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क/परियोजनाएँ:

राजस्थान में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी आरईएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) और राजस्थान सरकार के बीच दिनांक 24 अगस्त, 2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के कार्यक्षेत्र में, एनएचपीसी आरईएल द्वारा राजस्थान राज्य में राजस्थान सरकार से भूमि, कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक मंजूरियों की सुविधा के साथ यूएमआरईपीपी के अंतर्गत 10000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा पार्क/परियोजनाएं विकसित की जानी हैं। पहले चरण अर्थात 100 मेगावाट के लिए भूमि की पहचान की जा रही है।

(iii) केरल में 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर परियोजना:

आपकी कंपनी ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) से सहमति लेने के बाद वेस्ट कल्लाडा, केरल में 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना के लिए ईपीसी संविदा हेतु निविदा आमंत्रित की है।

(iv) उत्तर प्रदेश में सौर विद्युत और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना:

उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के प्रस्ताव के साथ सौर विद्युत और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2023 को एनएचपीसी आरईएल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश

में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए दिनांक 31 जनवरी, 2023 को एनएचपीसी आरईएल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) 1200 मेगावाट जालौन सौर पार्क

यह सौर पार्क उत्तर प्रदेश में सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच स्थापित एक संयुक्त उद्यम, बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) द्वारा विकसित किया जाएगा।

9.1.4 पावर एक्सचेंज के जरिए विद्युत की बिक्री के लिए 75 मेगावाट क्षमता की आईएसटीएस संबद्ध सौर विद्युत परियोजना का विकास

आपकी कंपनी भी पावर एक्सचेंज के जरिए ऊर्जा बिक्री के लिए सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास का विकल्प तलाश रहा है। इस मोड के प्रथम चरण में, 75 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजना के लिए भारत में कहीं भी आधार पर ईपीसी बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

9.2 गीगावाट पैमाने पर वर्टिकल इंटीग्रेटेड सौर विनिर्माण यूनिट की स्थापना

आपकी कंपनी ने बेंगलुरु अथवा उसके आसपास के किसी उपयुक्त स्थान पर एनएचपीसी और बीईएल की संयुक्त रूप से गीगावाट पैमाने पर वर्टिकल इंटीग्रेटेड सौर विनिर्माण यूनिट की स्थापना के लिए दिनांक 23 अगस्त, 2022 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीईएल के साथ परामर्श करके आगे की कार्रवाई के लिए तौर–तरीकों पर कार्रवाई योजना तैयार करने की कार्रवाई चल रही है।

9.3 ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य, ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए भारत को एक ''वैश्विक हब'' बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी शुरूआती अवस्था में है और शून्य कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य में भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है। एनएचपीसी ग्रिड संतुलन सेवाओं की पूर्ति के लिए और साथ ही अन्य क्षेत्रों में हाइड्रोजन की अंतिम मांग तलाशने के लिए भी विद्युत क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उभरते अवसरों को प्राप्त करने की इच्छुक हैं। अवसरों का लाभ उठाने के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में कारोबार हासिल करने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रवेश करने और संभावना तलाशने की योजना बनाई है, जिन्हें देश भर के संभाव्यता संपन्न राज्यों में विकसित किए जाने की योजना है।

शुरूआत में, आपकी कंपनी ने पायलट आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निम्नानुसार कार्रवाई शुरू की है:

क. निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (एनबीपीएस) गेस्ट हाउस, लेह में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल माइक्रोग्रिड (25 केडब्ल्यूई)

ख कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी

ग. चम्बा, हिमाचल में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन।

दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को एनबीपीएस गेस्ट हाउस, लेह में 25 केडब्ल्यूई ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल माइक्रोग्रिड पायलट परियोजना के लिए अवार्ड पत्र जारी किया गया है। अन्य दो पायलट परियोजनाएं भी निविदा के चरणों में हैं।

उपर्युक्त पायलट परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, एनएचपीसी भविष्य में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था उभरने में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार में उपयुक्त उद्यम का प्रस्ताव करता है।

10. विविधीकरण

आपकी कंपनी ने स्वच्छ ऊर्जा के सतत विकास के अपने प्रमुख विजन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा विकास के क्षेत्र में विविधीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, देश में स्वच्छ ऊर्जा पारगमन और ऊर्जा बाजार की ट्रेजेक्ट्री की ओर रुख करने के लिए, एनएचपीसी एक कारोबारी विकास योजना के रूप में देश में पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास के लिए अपने कारोबारी पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर रही है।

एनएचपीसी विभिन्न राज्यों यथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) में 16,045 मेगावाट पीएसपी क्षमताओं के विकास के लिए प्रयास कर रही है।

एनएचपीसी द्वारा किये गये प्रयास इस प्रकार हैं:

- एनएचपीसी 04 पीएसपी यथा कालू–1150 मेगावाट, सावित्री–2250 मेगावाट, केंगाडी–1550 मेगावाट और जालोंड–2400 मेगावाट कुल 7350 मेगावाट के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श कर रही है और यह ग्रिडको लिमिटेड, ओडिशा सरकार के साथ 03 पीएसपी यथा अपर इंद्रावती–600 मेगावाट, अपर कोलाब–320 मेगावाट, और बालिमेला–500 मेगावाट कुल 1420 मेगावाट के विकास के लिए भी परामर्श कर रही है।
- एनएचपीसी ने मध्य प्रदेश राज्य की 03 पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं यथा इंदिरासागर–ओंकारेश्वर पीएसपी (525 मेगावाट), टेकवा–2 पीएसपी (800 मेगावाट) और सतपुड़ा–2 पीएसपी (1500 मेगावाट) कुल 2825 मेगावाट के संबंध में पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरासागर–ओंकारेश्वर पीएसपी (525 मेगावाट) और टेकवा–2 पीएसपी (800 मेगावाट) के संबंध में सर्वेक्षण और जांच करने, पीएफआर/डीपीआर तैयार करने और कार्यान्वयन करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। एनएचपीसी इन तीन परियोजनाओं के संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर/आवंटन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ परामर्श कर रही है।
- एनएचपीसी ने जलविद्युत और पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं की तलाश और स्थापना करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना करने हेतु जुलाई, 2022 में डीवीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, संयुक्त रूप से विकास करने के लिए दो पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं, नामतः पंचेत

हिल पीएसपी (1000 मेगावाट) और लुगुपहाड़ पीएसपी (1500 मेगावाट) की पहचान की है। एनएचपीसी ने पंचेत हिल पीएसपी (1000 मेगावाट) के संबंध में पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है, और डीवीसी द्वारा लुगुपहाड़ के संबंध में डीपीआर तैयार की जा रही है।

- एनएचपीसी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मार्च, 2023 में या तो स्टैंडअलोन मोड में या आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम मोड में 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ आंध्र प्रदेश राज्य में पीएसपी के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल 1950 मेगावाट पीएसपी के विकास के लिए एपीजेनको के साथ मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

11. विद्युत व्यापार कारोबार और विद्युत व्यापार लाइसेंस

आपकी कंपनी ने अपने कारोबारी विस्तार और विविधीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में, विद्युत व्यापार में कारोबार शुरू किया है और वर्ष 2018 में समग्र भारत में विद्युत की अंतरराज्यीय ट्रेडिंग के लिए सीईआरसी से श्रेणी-I लाइसेंस प्राप्त कर लिया। एनएचपीसी डीईईपी (उचित विद्युत कीमत पता लगाना) ई–बोली पोर्टल में पंजीकृत है और उसने भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में ट्रेडर सदस्यता प्राप्त की है। विद्युत व्यापार के भाग के रूप में, कंपनी अपने विभिन्न ग्राहकों अर्थात क्रेताओं/वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों), उत्पादक/विक्रेताओं, यूटिलिटियों आदि को उचित और स्मार्ट कारोबारी समाधान प्रदान कर रही है।

एनएचपीसी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत आईएसटीएस ग्रिड संबद्ध सौर फोटो वोल्टाइक परियोजना स्कीम से 2,000 मेगावाट सौर विद्युत के कार्यान्वयन के लिए मध्यस्थ खरीददार/नोडल एजेंसी है। व्यापार मार्जिन से वार्षिक आय वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25 वर्षों के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये होगी।

एनएचपीसी ने एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल), मध्य प्रदेश – 1000 मेगावाट, जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल), जम्मू और कश्मीर – 300 मेगावाट, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), छत्तीसगढ़–400 मेगावाट और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल), पंजाब – 300 मेगावाट के साथ 2000 मेगावाट विद्युत के लिए विद्युत बिक्री करार (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी ने विद्युत की खरीद के लिए सोलर पावर डेवलपर (एसपीडी) के साथ बैक टू बैक आधार पर विद्युत क्रय करार (पीपीए) भी पर हस्ताक्षर किए थे। वित्तीय वर्ष 2022–23 में, 2000 मेगावाट में से सौर विद्युत विकासकर्ता द्वारा 320 मेगावाट सौर परियोजना चालू की गई है और शेष क्षमता को शुरु करने के लिए प्रक्रिया चल रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान, एनएचपीसी ने पिछले वर्ष के दौरान 44.48 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ 133.36 एमयू के कारोबार की तुलना में 261 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ 693 एमयू का कारोबार किया है।

12. सहायक कंपनियों और एसोसिएट कंपनियों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सहायक/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कंपनी निगमित या बंद नहीं की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत एओसी-I में सहायक कंपनियों और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से संबंधित विवरण और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के समग्र निष्पादन में इन कंपनियों के अलग–अलग योगदान का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के अंतर्गत दिया गया है।

सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किए जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, कोई भी शेयरधारक, जो उपर्युक्त वित्तीय विवरणों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है, कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर देख सकता है।

आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित सहायक कंपनियां और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं:

12.1 सहायक कंपनियां:

i) एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी):

एनएचडीसी को एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में अगस्त, 2000 में निगमित किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एनएचडीसी का शेयरधारिता पैटर्न क्रमशः एनएचपीसी (51.08%), मध्य प्रदेश सरकार (26%) और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी) (22.92%) था। एनएचडीसी के पास मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर (1,000 मेगावाट) और ओंकारेश्वर (520 मेगावाट) दो प्रचालनरत पावर स्टेशन हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएचडीसी ने इंदिरा सागर पावर स्टेशन से 3661.09 एमयू और ओंकारेश्वर पावर स्टेशन से 1782.60 एमयू को मिलाकर अपने पावर स्टेशनों से 5443.69 एमयू का उत्पादन किया।

इसके अतिरिक्त, एनएचडीसी ओंकारेश्वर जलाशय में 88 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना और सांची में 8 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना के विकास में लगा हुआ है। एनएचडीसी लिमिटेड को ग्राम नर्मदा नगर, पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 525 मेगावाट × 6 घंटे की अनुमानित भंडारण क्षमता के साथ एक पम्प्ड जलविद्युत भंडारण स्थल भी आवंटित किया गया है।

ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल):

एलडीएचसीएल दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी की 74.82 प्रतिशत और मणिपुर सरकार की 25.18% शेयरहोल्डिंग के साथ एनएचपीसी की सहायक कंपनी है। एलडीएचसीएल को मणिपुर के नोनी जिले में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना (66 मेगावाट) के निष्पादन के लिए अक्तूबर, 2009 में निगमित गया था। इस परियोजना के लिए सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त हो गई हैं और मणिपुर सरकार के साथ पीपीए पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तथापि, परियोजना के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) का अनुमोदन अभी प्राप्त होना शेष है।

iii) **बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल):**

बीएसयूएल, एनएचपीसी तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी और यूपीएनईडीए की शेयरधारिता क्रमशः 86.94% और 13.06% थी। बीएसयूएल को तहसील काल्पी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में सौर विद्युत परियोजना तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य परंपरागत और गैर–परंपरागत विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के लिए फरवरी, 2015 में निगमित किया गया था। वर्ष के दौरान, बीएसयूएल द्वारा तहसील कालपी, जिला जालौन में कुल 65 मेगावाट की काल्पी सौर परियोजना में से 26 मेगावाट क्षमता शुरु की गई है। बीएसयूएल द्वारा विकसित की गई सौर परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

बीएसयूएल कार्यान्वयन के विभिन्न मोड में अर्थात ईपीसी मोड में उत्तर प्रदेश में 1400 मेगावाट (लगभग) सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास तथा विकासक मोड में संयंत्र की स्थापना करके सौर पार्क के विकास की प्रक्रिया में है। परियोजनाओं अर्थात मिर्जापुर एसपीपी (100 मेगावाट), माधौगढ़ एसपीपी (45 मेगावाट) और जालौन सोलर पार्क (1200 मेगावाट) में निवेश के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) में प्रस्तावा तैयार किया जा रहा है।

iv) **लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल):**

एलटीएचपीएल को अक्तूबर, 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के जरिए एनएचपीसी द्वारा अधिग्रहित किया गया था और अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में विचाराधीन राशि के रूप में 897.50 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया गया था। एलटीएचपीएल, एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एलटीएचपीएल सिक्किम में 500 मेगावाट की तीस्ता-VI एचई परियोजना का निष्पादन कर रही है और निर्माण कार्य पूरी गति पर है। तीस्ता-VI एचई परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है। एलटीएचपीएल के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय के लिए विद्युत मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 फरवरी, 2023 के आदेश द्वारा, हस्तांतरित कंपनी अर्थात एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और कर्जदारों की बैठक के आयोजन के लिए एलटीएचपीएल और एनएचपीसी के बीच विलयन की योजना पर विचार और अनुमोदन के लिए पहले ही अनुदेश जारी किए हैं। एलटीएचपीएल का एनएचपीसी के साथ विलय किया जा रहा है।

v) **जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल):**

जेपीसीएल को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के माध्यम से एनएचपीसी द्वारा मार्च, 2021 में अधिग्रहित किया गया था और अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में विचाराधीन राशि के रूप में 165 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया गया था। जेपीसीएल एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जेपीसीएल सिक्किम में रंगित-IV जलविद्युत परियोजना विकसित कर रही है और निर्माण कार्य पूरी गति पर है। रंगित-IV जलविद्युत परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र प्रदान की गई है। जेपीसीएल का एनएचपीसी के साथ विलय की प्रक्रिया चल रही है।

vi) **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल):**

सीवीपीपीपीएल दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी तथा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की क्रमशः 52.74% और 47.26% शेयरधारिता के साथ एक संयुक्त उद्यम है। एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी ने नवंबर, 2022 में सीवीपीपीपीएल के पूरक प्रमोटर्स करार पर हस्ताक्षर किए हैं। करार के अनुसार,एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी की सीवीपीपीपीएल में क्रमशः 51% और 49% शेयरधारिता है। सीवीपीपीपीएल जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में चार जलविद्युत परियोजनाएं अर्थात पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट), कीरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट), क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) और किरथई-II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट) विकसित कर रही है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना, कीरू जलविद्युत, क्वार जलविद्युत और किरथई-II जलविद्युत की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र प्रदान की गई है।

vii) **रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल):**

आरएचपीसीएल को एनएचपीसी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) के एक संयुक्त उद्यम के रूप में जून, 2021 में निगमित किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी की शेयरधारिता क्रमशः 51% और 49% थी। आरएचपीसीएल जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट) विकसित कर रहा है। रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र प्रदान की गई है।

viii) **एनएचपीसी रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी आरईएल):**

एनएचपीसी आरईएल को फरवरी, 2022 में सौर, पवन, लघु जलविद्युत और ग्रीन हाइड्रोजन उद्यम स्थापित करने के लिए एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एनएचपीसी आरईएल अपने क्रियाकलापों के विस्तार के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं तलाश कर रहा है।

12.2 एसोसिएट कंपनी:

i) **नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल):**

एनएचपीटीएल को मई, 2009 में निगमित किया गया था, जो पांच (5) कंपनियों अर्थात एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (प्रत्येक की 20% शेयरधारिता के साथ) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। एनएचपीटीएल को देश में शॉर्ट–सर्किट टेस्ट सुविधा के लिए एक ऑनलाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी लगाने के लिए स्थापित किया गया था। 400 केवी स्तर पर और 765 केवी स्तर पर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) के लिए लेबोरेटरी बीना, मध्य प्रदेश में पहले ही संचालित की जा रही है। मीडियम

वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) के लिए लेबोरेटरी अभी तक चालू नहीं की गई है।

13. वैश्विक पहलें

आपकी कंपनी भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप की इच्छा के साथ जलविद्युत कारोबार में अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए नेपाल में कदम रखा है कि भारत के पड़ोसी देशों में अपने भौगोलिक फुटप्रिंट बढ़ाएं और वे सीपीएसयू आगे चलकर वैश्विक संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कंपनी में परिवर्तित होंगे तथा यह विदेशी प्रचालनों से पर्याप्त राजस्व अर्जित करेगी।

तदनुसार, वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने नेपाल में अपने कारोबार में पैर जमाने के लिए प्रमुख प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने नेपाल में वेस्ट सेटी (750 मेगावाट) और एसआर6 (450 मेगावाट) एचईपी के विकास के लिए निवेश बोर्ड नेपाल (आईबीएन) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू की शर्तों के अनुसार, एनएचपीसी दोनों योजनाओं के संबंध में अध्ययन–पूर्व/ब्यौरों की समीक्षा करेगी और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए योजनाओं हेतु डीपीआर तैयार करेगी। तदुपरांत, परियोजना विकास करार पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हस्ताक्षर किए जाने प्रस्तावित हैं। इस संबंध में, सर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के बाद, वेस्ट सेटी योजना के लिए शुरूआती रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और आईबीएन ने डीपीआर तैयार करने के लिए आगे कार्रवाई शुरू करने हेतु कहा है। एसआर6 एचईपी के मामले में, सर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया गया है और शुरूआती रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एनएचपीसी के वरिष्ठ स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों ने नेपाल का दौरा किया और नेपाल में जलविद्युत योजनाओं के विकास को शुरू करने के लिए एनएचपीसी की पहल में मदद प्रदन करने को लिए नेपाल सरकार के उच्चतम पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। एनएचपीसी ने नेपाल में अर्थात काठमांडू और दिपायल में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं और मैनपावर की भी तैनाती कर दी है।

एनएचपीसी ने फुकोट करनाली एचई परियोजना (480 मेगावाट) के संयुक्त विकास के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीयूसीएल), नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, यह परियोजना कर्नाली प्रांत, नेपाल के कालीकट जिले में स्थित एक रन–ऑफ–द–रिवर जलविद्युत परियोजना है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामय उपस्थिति में दिनांक 01 जून, 2023 को समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया।

एमओयू का आदान–प्रदान

आपकी कंपनी ने नेपाल में 14.1 मेगावाट देवीघाट जलविद्युत परियोजना और भूटान में 60 मेगावाट कुरिचु जलविद्युत परियोजना को डिपॉजिट आधार पर शुरू किया है। कंपनी ने पहले ही नेपाल, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान, नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे देशों में अपने पैर जमाए हैं और विभिन्न अन्य देशों में अपने कारोबार का आगे विस्तार कर रही है।

14. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

एनएचपीसी अपने कारोबार को एक सुदृढ़ पर्यावरणीय विवेक के साथ के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचपीसी अपनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन चरणों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचपीसी अपने कारोबार का संचालन एक मजबूत पर्यावरणीय विवेक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से, सतत विकास सुनिश्चित करते हुए, सुरक्षित कार्यस्थल और अपने कर्मचारियों, ग्राहकों व समुदाय के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने के उददेश्य से करती है। इसे पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा के लिए अपने दायित्व की जानकारी है। जांच की अवस्था में, परियोजनाओं का कार्य–निष्पादन करते समय पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का आकलन और पहचान की जाती है। पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) प्रस्तावित की जाती हैं और आवश्यक उपाय करके परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के लिए प्रतिपूर्ति करने हेतु कार्यान्वित की जाती हैं। सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा पर्यावरणीय कानूनों की अनुपालना की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

एनएचपीसी लिमिटेड में, सुरक्षा मैनुअल और सुरक्षा नीति तैयार की गई है जिसमें क्षेत्र, कानूनों की प्रयोज्यता, मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), प्रचालन नियंत्रण प्रक्रियाएं, कार्य और जिम्मेदारियां आदि प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए प्रदान की गई हैं। सभी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं ने अपनी संकट एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।

कार्यस्थल पर शून्य खतरे की संभावना का लक्ष्य रखकर एनएचपीसी लिमिटेड के सभी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में सुरक्षा नीति एवं सुरक्षा मैनुअल लागू किए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, सभी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यगत स्थितियां संहिता, 2020/कारखाना अधिनियम, 1948, भवन और अन्य निर्माण कामगार अधिनियम 1996, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2008, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता और अन्य लागू अधिनियमों, नियमों एवं मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

खतरों की पहचान, आकलन और नियंत्रण के लिए पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में वार्षिक आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परीक्षण किए जा रहे हैं। किसी भी संभावित खतरे, आपदा और जोखिम के लिए कर्मचारियों/हितधारकों की जानकारी हेतु और साथ ही उन्हें तैयार करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के मॉक ड्रिल/प्रशिक्षण/जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

सभी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं पर नदी के अपस्ट्रीम से पूर्व चेतावनी प्राप्त करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है/स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। बांध से पानी छोड़ने से पूर्व आसपास के क्षेत्रों/डाउनस्ट्रीम में जनता को जागरूक करने के लिए बांध और पावर हाउस में हूटर लगाए गए हैं।

आपकी कंपनी के अधिकतर पावर स्टेशन आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस–450001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं, इस प्रकार यह अपने हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बनाना और सतत विकास सुनिश्चित करता है। सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

15. परामर्शी सेवाएं

एनएचपीसी, एक बहु–आयामी संगठन है, जिसके पास बड़ी और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं की योजना बनाने और उनके कार्य–निष्पादन के लिए पर्याप्त आंतरिक विशेषज्ञता और अत्याधुनिक तकनीक है। एनएचपीसी की तकनीकी "जानकारी और सूचना", प्रवीणता और अनुभव के कारण यह जल विद्युत और संगत कार्यों के क्षेत्र में "संकल्पना से प्रचालन और रखरखाव के साथ–साथ शुरू से अंत तक" विभिन्न "विश्व स्तरीय" परामर्शी सेवाएं प्रदन करने में अग्रणी स्थिति में है। एनएचपीसी अपने ग्राहकों को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में डिजाइन और इंजीनियरिंग, भूतकनीकी इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण और जांच, निर्माण प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव, अनुबंध प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में नवीनतम परीक्षण उपकरण और निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अति दक्ष और अनुभवी पेशेवरों की सहायता परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

अब तक एनएचपीसी ने विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए परामर्शी प्रभाग की शुरूआत से लेकर अब तक 400 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व के साथ 13 अंतर्राष्ट्रीय परामर्श अनुबंधों और 100 से अधिक घरेलू परामर्शी अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पिछले पांच वर्षों में, परामर्श सेवाओं से औसत वार्षिक कारोबार 40 करोड़ रुपये रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड को अपने विभिन्न ग्राहकों को प्रदान की गई परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए 75.57 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में, विभिन्न ग्राहकों के लिए 20 से अधिक परामर्शी अनुबंध चल रहे हैं, जिसमें एनएचपीसी के संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां भी शामिल हैं।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से भारत और उसके पड़ोसी देशों में अपनी पहुंच और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए परामर्श कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जल–विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जल विद्युत क्षेत्र में अपने साथी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। सर्वोत्तम ओएंडएम प्रक्रियाएं, जिन्होंने एनएचपीसी को सर्वोत्तम संयंत्र उपलब्धता हासिल करने में समर्थ बनाया है, इसकी दक्षता बढ़ाई है और इसके विभिन्न पावर स्टेशनों में संयंत्र/उपकरण के जीवन–काल में वृद्धि की है, परामर्श के माध्यम से भी साझा की जाती हैं।

16. नई परियोजनाओं का वित्तपोषण

कंपनी की आंतरिक प्राप्तियां नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी संघटक को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। एनएचपीसी सीईआरसी मानदंडों के अनुसार, अपने निम्न गियर्ड पूंजीगत ढांचे तथा मजबूत क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है। एनएचपीसी योजनागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने हेतु बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा दी गई विदेशी विकास सहायता सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण विकल्पों की तलाश कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने बैंकों से दीर्घावधिक ऋण के जरिए 1100 करोड़ रुपये, डिबेंचर की प्रकृति में अप्रतिभूतित गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय विमोचनयोग्य कर योग्य बांडों (एडी सीरीज) जारी करके 996 करोड़ रुपये और परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के दायरे में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 10 वर्षों के लिए उड़ी-I पावर स्टेशन के नकदी रहित मुद्रीकरण (इक्विटी पर रिटर्न, द्वितीयक ऊर्जा से राजस्व और क्षमता प्रोत्साहन सहित) के निमित्त 1876.37 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

17. क्रेडिट रेटिंग

- **घरेलू रेटिंग**

  एनएचपीसी के पास अपने सूचीबद्ध बॉन्डों के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात आईसीआरए, सीएआरई और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा निर्दिष्ट दृष्टिकोण के साथ 'एएए' की उच्चतम घरेलू क्रेडिट रेटिंग है जो निवेशकों के लिए कम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग**

  एनएचपीसी की एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग के द्वारा स्थिर आउटलुक के साथ बीबीबी(–) की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग है।

18. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

एनएचपीसी समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यापार में सतत विकास हासिल करने के लिए एक कार्यनीतिक उपाय के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी को मानती है। सुदूर स्थित पावर स्टेशनों/परियोजनाओं सहित कंपनी के सभी स्थल एमपीएलएस–वीपीएन/आईएलएल/वीसैट–केयू बैंड/आईएसएटी फोन का उपयोग करते हुए मल्टीमोड संचार संपर्कों के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े हुए हैं। इन मल्टीमोड लिंक को एक विफलता से सुरक्षित तरीके से कार्य करने के लिए एसडीडब्ल्यूएएन (सॉफ़्टवेयर डिफ़ाइंड वाइड एरिया नेटवर्क) प्रौद्योगिकी के माध्यम से एकीकृत किया गया है। कारपोरेट

कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं के बीच आईपी टेलीफोनी की स्थापना की गई है। वीएमएस (वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम) को हाल ही में परियोजनाओं/पावर स्टेशनों की बेहतर निगरानी/प्रबंधन के लिए प्रचालनात्मक किया गया है। एसएसएल–वीपीएन के माध्यम से सुरक्षित तरीके से एनएचपीसी नेटवर्क को जोड़ने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए टू–फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) भी कार्यान्वित किया गया है।

एनएचपीसी ने अपने विभिन्न व्यापारिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करते हुए अपने सभी स्थानों पर उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) अनुप्रयोग लागू किया है। एनएचपीसी व्यापारिक प्रक्रियाओं को और मजबूत करने तथा व्यापार सूचना को शामिल करने के लिए न्यू एज ईआरपी को लागू करने के लिए पीएमसीए (परियोजना प्रबंधन परामर्शी एजेंसी) को नियुक्त किया है। ईआरपी के अलावा, एनएचपीसी ने दैनिंदिनी व्यापार आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए अनेक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/मोबाइल ऐपों को लागू किया है। एनएचपीसी की द्विभाषी वेबसाइट और एकीकृत इंट्रानेट बाहरी/आंतरिक सूचना की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए शक्तिशाली सूचना संप्रेषण प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, ई–प्रोक्योरमेंट, सरकारी ई–मार्केट (जेम), विक्रेता भुगतान पोर्टल और ई–रिवर्स बोली प्रणाली कंपनी में प्रचालनात्मक हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएचपीसी ने नदियों के जल स्तर/बहाव की निगरानी के लिए एक इंटरनेट क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन "अर्ली वार्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस)–एएबीएचएएस" शुरू किया है ताकि परियोजनाओं/पावर स्टेशनों स्थलों पर आपदा की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समुचित समय पूर्व अलार्म बज सके। देश में संवेदनशील जलविद्युत परियोजनाओं की निगरानी के लिए एनएचपीसी कॉर्पोरेट कार्यालय में एक मास्टर कंट्रोल रूम सुविधा भी स्थापित की गई है।

संगठन की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए आईटी एवं साइबर सुरक्षा नीति और साइबर–संकट प्रबंधन योजना लागू है। सर्वर, डेटा स्टोरेज, संचार उपकरण आदि सहित महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना सुरक्षित स्थानों पर संस्थापित की गई है और उनका प्रबंधन आंतरिक संसाधनों द्वारा किया जा रहा है।एनएचपीसी को कॉर्पोरेट कार्यालय में आईएसएमएस 27001:2013 प्रमाणन दिया गया है जो सूचना परिसंपत्तियों की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता आश्वस्त करता है। एनएचपीसी के सभी पावर स्टेशनों में आईएसएमएस आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन की प्रक्रिया चल रही है। वीएपीटी लेखापरीक्षा भी बहुमूल्य सूचना और महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षित रखने के लिए उत्पादन करने वाले सभी पावर स्टेशनों पर की जा रही है। एक केंद्रीकृत अंतिम बिंदु सुरक्षा सॉफ्टवेयर समाधान भी साइबर खतरों के विरुद्ध सर्वरों/डेस्कटॉप को संरक्षित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। एनएचपीसी की संशोधित आईटी और साइबर सुरक्षा नीति हाल ही में एनएचपीसी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित की गई है और इसे कार्यान्वित किया गया है। एनएचपीसी को संघटक सदस्य संगठनों में साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय सीईआरटी अर्थात सीईआरटी–हाइड्रो के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

19. मानव संसाधन

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के पास 4776 कर्मचारियों का एक मजबूत और समर्पित कार्यबल है, जिसमें 3,084 कार्यपालक और 1,692 गैर–कार्यपालक शामिल थे। उपरोक्त कार्यबल में 502 महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।

आपकी कंपनी दृढ़तापूर्वक अपने कर्मचारियों के जीवनपर्यन्त अध्ययन और सक्षमता के विकास के प्रति उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाकर और संगठनात्मक क्षमताओं में वृद्धि कर उनकी समग्र क्षमता का निर्माण करने पर केंद्रित है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक फैकल्टी तथा बाहरी एजेंसियों के माध्यम से आसान बनाया जाता है।

एनएचपीसी का विजन एनएचपीसी को प्रतिभा बाजार में कर्मचारियों की पसंद बनाने के लिए पूर्ण संभाव्यता जुटाने हेतु मानव संसाधन विकास के लिए अपने कर्मचारियों को विकसित और शिक्षित करना है। एनएचपीसी ने इन–हाउस विशेषज्ञों के माध्यम से और प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम इत्यादि के सहयोग से, सभी श्रेणी जैसे नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए शुरूआती स्तरीय प्रशिक्षण, वर्तमान कर्मचारियों को नये/उन्नत प्रशिक्षण और प्रबंधकों को प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवसंरचना स्थापित की है। आपकी कंपनी वरिष्ठ और उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नियुक्त करती है ताकि वे नवीनतम सूचना के साथ अपने आप को पंक्तिबद्ध कर सकें और जलविद्युत के क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य को समझ सकें। एनएचपीसी अपने अधिकारियों को अपनी उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए उच्चतर योग्यता और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रायोजित भी करती है। कोविड–19 महामारी के दौरान, आपकी कंपनी ने वेबिनार के माध्यम से ज्ञान साझा करने संबंधी सत्रों के अलावा अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्चुअल कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

उन्नत प्रौद्योगिकियों के कारण, भावी प्रशिक्षण जरूरतों पर विचार करते हुए, एनएचपीसी आधुनिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रविधियों को अपनाने और तद्नुसार, अवसंरचना का विकास करने की जरूरत को मानती है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की योजना बनाने, निष्पादित करने और प्रबंधन, ओएंडएम और आरएंडडी आदि के क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण संयुक्त उद्यम स्थापित करके या भारत व विदेश में संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग करके किए जाएंगे।

कंपनी में औद्योगिक संबंध वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे हैं। कर्मचारियों ने कंपनी के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

आपकी कंपनी समावेशी विकास के संवर्द्धन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) उम्मीदवरों/भूतपूर्व सैनिकों/ईडब्ल्यूएस के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती है। अनुसूचित जाति/जनजाति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भर्ती में नियमावली के अनुसार अपेक्षित रियायतें/छूट दी जाती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

20. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएण्डआर)

आपकी कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान विस्थापित जनसंख्या की कठिनाइयों को समझती है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाओं को "उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक संधारणीयता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। एनएचपीसी ने परियोजना प्रभावित परिवारों और इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के निकट निवास कर रहे स्थानीय लोगों हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यों के कुछ प्रकार को आरक्षित करने हेतु एक नीति बनाई है।

21. सतर्कता

सतर्कता कार्य का उद्देश्य प्रणाली में सुधार लाकर और पारदर्शिता में वृद्धि करके कंपनी की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि करना है। आपकी कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अगुवाई में एक सतर्कता विभाग है, जो इसके प्रचालनों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्णय लेने में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। सतर्कता शिकायतों और अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी तथा प्रबंधन में सभी प्रक्रियाओं के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। सतर्कता विभाग विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग (डीओपीटी) तथा सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कदाचार का एक सतर्कता मामला निपटाया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, एक सतर्कता मामला आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में है, इनमें अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है। निवारक सतर्कता के भाग के रूप में, समय–समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/व्यापक जांचों के आधार पर नियमित रूप से परिपत्र और दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और अन्य सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

22. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने यह प्रमाणित किया है कि कंपनी ने एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और यह नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा आईसीएआई की ओर से जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के आधार पर है।

23. जोखिम प्रबंधन

एनएचपीसी का यह मानना है कि उसने विद्युत क्षेत्र में मौजूद अनेक अनिश्चितताओं का प्रकटन किया है। विद्युत क्षेत्र की संवेदनशीलता कारोबार के वित्तीय और गैर–वित्तीय परिणामों को प्रभावित करती है। संगठन के उद्देश्यों को हासिल करने में विश्वास बढ़ाने के लिए, एनएचपीसी ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है ताकि कंपनी में प्रतिस्पर्धी और संधारणीय प्रबंधन हो सके और कंपनी की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि हो। नीतिगत विवरण इस प्रकार है:–

क. सभी जोखिमों की पहचान, आकलन, उपशमन, निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा स्थापित करके शेयरधारक मूल्य का संरक्षण सुनिश्चित करना।

ख. संगठन के सभी स्तरों पर विचारपूर्वक निर्णय लेने के लिए स्पष्ट और सशक्त आधार प्रदान करना।

ग. निरंतर शिक्षण और सुधार करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना और समुचित कार्यान्वयन व निगरानी के जरिए इस नीति के उद्देश्यों को हासिल करना।

घ. यह सुनिश्चित करना कि नए–नए उभरते जोखिमों की प्रभावी पहचान और प्रबंधन हो।

ङ. समय–समय पर प्रणालीबद्ध निगरानी और प्रभावी सुधार प्रक्रिया के जरिए नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन की प्रणालियां लाना।

24. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित की है ताकि एमएसई द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन में सहायता दी जा सके। इस नीति के अनुपालन में, एमएसई से खरीद की जाने वाली वस्तुओं सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर अपलोड किया गया है। एमएसई को प्रोत्साहित करने के लिए निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा, खरीद प्राथमिकता, विलंबित भुगतान पर ब्याज और पूर्व अनुभव – पूर्व टर्नओवर मानदण्ड से छूट जैसे लाभ इन एमएसई को बढ़ावा वेने के लिए दिए हैं जोकि गुणवत्ता तथा तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा करने के अध्यधीन है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएचपीसी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25% के अधिदेश की तुलना में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई)

द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद की 50.16% खरीद की है। इस खरीद में 4.54% एससी/एसटी एमएसई से और 4.15% महिला एमएसई से भी शामिल हैं, जबकि क्रमशः 4% और 3% का उप–लक्ष्य था।

इस अवधि के दौरान, 2663 एमएसई लाभान्वित हुए हैं जिनमें से 133 एमएसई और 342 एमएसई का स्वामित्व क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का था।

25. राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न कार्यालयों/स्थानों/यूनिटों में दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राजभाषा नीति की स्थिति की समीक्षा के लिए, कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), फ़रीदाबाद की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। उपर्युक्त के अलावा, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का राजभाषा निरीक्षण किया गया और समय–समय पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों/स्थानों/यूनिटों में राजभाषा के निरीक्षण को देखते हुए राजभाषा कार्यान्वयन में तेजी आई।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने अपने कर्मचारियों को हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनएचपीसी राजभाषा सम्मेलन, हिंदी कवि सम्मेलन, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी कवि सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपर्युक्त के अलावा, हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिंदी कार्यशालाएं और विभागीय कंप्यूटर कार्यशालाएं भी नियमित रूप से आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, हिंदी में कार्य करने के प्रति कर्मचारियों का रुझान बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, फ़रीदाबाद में एक 'ऑनलाइन हिंदी प्रश्नमंच प्रतियोगिता' का भी आयोजन किया गया। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 'राजभाषा ज्योति' और 'नगर सौरभ' नामक राजभाषा गृह पत्रिकाएँ भी नियमित रूप से प्रकाशित की गईं।

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने और सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए, कर्मचारियों हेतु आंतरिक पत्रिकाओं के लिए लेख/पेपर में योगदान के लिए, हिंदी पुस्तकें पढ़ने के लिए और हिंदी में लेखन, टिप्पण एवं प्रारूपण आदि द्वारा कार्यालयी कार्य हेतु आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं।

आपकी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में तैयार की गई है और नियमित रूप से अद्यतन किया गया।

26. खेल और अन्य क्रियाकलाप

एनएचपीसी ने संगठन में हमेशा ही खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। एनएचपीसी के कर्मचारियों ने विभिन्न खेल–कूद प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत रूप से और टीम के रूप में भाग लिया। एनएचपीसी की खेल छात्रवृत्ति योजनाधारकों ने कई टूर्नामेंटों में प्रतिभागिता कर शानदार प्रदर्शन किया।

एनएचपीसी ने फरीदाबाद में दिसंबर, 2022 में पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 12वें इंटर सीपीएसयू एथलेटिक्स टूर्नामेंट की मेजबानी की। विद्युत क्षेत्र के सात सीपीएसयू/संगठनों अर्थात विद्युत मंत्रालय, एनएचपीसी, डीवीसी, पीजीसीआईएल, सीईए, बीबीएमबी और आरईसी ने उपर्युक्त टूर्नामेंट में भाग लिया। एनएचपीसी की टीमों ने पीएससीबी के तत्वावधान में आयोजित सभी इंटर सीपीएसयू टूर्नामेंटों में भाग लिया। एनएचपीसी की टीम ने इंटर सीपीएसयू एथलेटिक्स, कैरम, बैडमिंटन और क्रिकेट टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त किए।

एनएचपीसी ने माह नवंबर, 2022 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में छह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और मध्य प्रदेश) में राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था। राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं ने दिनांक 11 दिसंबर, 2022 को नोएडा और गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया।

एनएचपीसी ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। आयोजन के दौरान, एनएचपीसी के विभिन्न स्थानों से आये सांस्कृतिक टीमों ने अपने–अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

आपकी कंपनी ने बसंत ऋतु के आगमन पर एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में 4 मार्च, 2023 को उत्साहपूर्वक और पूरे जोश के साथ वसंत उत्सव 2023 का आयोजन किया और भारत की समृद्ध व विविध संस्कृति का प्रदर्शन किया।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने देश भर में अपने सभी स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सक्रिय योगदान दिया। इन कार्यक्रमों में एनएचपीसी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। विभिन्न प्रकार के आयोजनों के इतर शैक्षणिक भ्रमण, प्रतियोगिताओं, जागरूकता अभियानों, सांस्कृतिक आयोजनों, देशभक्ति के कार्यक्रमों, खेल, स्वास्थ्य और चिकित्सा पहलों के जरिए भारत की कल्पना को साकार करने और राष्ट्रीय गौरव की साझा थीम थी। एनएचपीसी के कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं, पावर स्टेशनों, यूनिटों में दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2022 तक 'हर घर तिरंगा अभियान' पूरे जोश के साथ मनाया गया। इसी प्रकार, एनएचपीसी को विद्युत मंत्रालय द्वारा पूरे देश में उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य– पावर@2047 कार्यक्रम के आयोजन के लिए 75 जिले आवंटित किए गए थे। एनएचपीसी द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए विद्युत क्षेत्र की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आवंटित जिलों में विभिन्न क्रियाकलापों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

एनएचपीसी की विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक सशक्त उपस्थिति रही। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी के ट्विटर पर 21,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 79,600 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 1,00,000 फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 2400 सब्सक्राइबर हैं। कंपनी के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों से संबंधित सूचना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नियमित रूप से डाली जाती है ताकि जनता के बीच सूचना का व्यापक प्रसार हो सके। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों जैसे एनएचडीसी, सीवीपीपीपीएल और विद्युत मंत्रालय आदि के ट्वीट भी लाइक और री–ट्वीट किए जाते हैं।

27. पुरस्कार और सम्मान

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, एनएचपीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल किया:–

- एनएचपीसी को दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में ईक्यू पीवी इन्वेस्ट टेक इंडिया कांफ्रेंस एंड अवाड्र्स के दौरान ईक्यू इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड श्रेणी में "पीएसयू डेवलपर ऑफ द ईयर" का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- एनएचपीसी को मई, 2022 में नई दिल्ली में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह एवं माननीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री, श्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020–21 हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। एनएचपीसी को बैठक के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2018–19 हेतु द्वितीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

- एनएचपीसी को दिनांक 25 जून, 2022 को इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा 'इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिसेज: 2020–21' के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र और विशेष प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- एनएचपीसी को दिनांक 18 दिसंबर, 2022 को काठमांडू, नेपाल में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स अवाड्र्स, 2021 में वित्तीय वर्ष 2020–21 (अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र श्रेणी) के लिए सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्वर्ण पदक मिला।

- एनएचपीसी को दिनांक 22 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित प्रकाशमय '15वें एनर्शिया अवाड्र्स 2022' में 'भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी – जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र' के विजेता का सम्मान प्रदान किया गया।

- एनएचपीसी को दिनांक 10 फरवरी, 2023 को कोलकाता में 33वीं राष्ट्रीय सम्मेलन, डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) में महानिदेशक स्कोप से मिनी–रत्न श्रेणी के लिए 'दूसरा सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार' प्रदान किया गया।

- एनएचपीसी को दिनांक 16 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में गवर्नेंस नाउ–9वें पीएसयू पुरस्कार और सम्मेलन में "उभरती प्रौद्योगिकियों के डेटा सेंटर का प्रयोग" पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार एनएचपीसी को एक मजबूत डिजिटल भारत और

जीवंत डेटा सेंटर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में उसके प्रयासों की मान्यता में प्रदान किया गया था।

- एनएचपीसी को एक मजबूत डिजिटल इंडिया और जीवंत डेटा सेंटर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एनएचपीसी के प्रयासों की मान्यता के लिए एक्सप्रेस कंप्यूटर (आईटी बिजनेस पब्लिकेशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप) द्वारा "डेटा सेंटर चैंपियन –2022" से सम्मानित किया गया है।

- एनएचपीसी को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'क' क्षेत्र में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत 'द्वितीय पुरस्कार' प्रदान किया गया।

28. सूचना का अधिकार अधिनियम

एनएचपीसी में नागरिकों को सूचना प्रदान करने और जवाबदेही तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कार्यान्वित किया गया है। एनएचपीसी ने भारत के सभी नागरिकों की सुलभता के लिये विभिन्न दस्तावेज/रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर डाला है। एनएचपीसी ने कॉरपोरेट कार्यालय में अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सभी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत, 719 आवेदन और 70 प्रथम चरण की अपीलें प्राप्त हुई थीं। उपर्युक्त में से, 702 (98%) आवेदन और 69 (99%) प्रथम चरण की अपीलों का उत्तर दिया गया/निपटान किया गया था। दूसरे चरण की 12 अपीलें केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के समक्ष आवेदकों द्वारा दायर की गई थीं, जिन्हें भी एनएचपीसी के पक्ष में निपटाया जा चुका है।

29. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी पिछले कुछ वर्षों से अपने विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों के जरिए समाज के बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों से हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और कल्याण संबंधी चिंताओं को दूर करके बड़े पैमाने पर समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कंपनी की सीएसआर पहल में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल–कूद को बढ़ावा देने, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उसे संरक्षित करने के संबंध में कार्यक्रम शामिल हैं। सीएसआर और संधारणीयता परियोजनाओं का चयन करते समय, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबके तक अधिकतम लाभ पहुँचे।

आपकी कंपनी नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने, स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलाने, अवसंरचना सुविधाओं, आईटीआई में सुधार, बेरोजगार युवाओं और दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास, देश के विभिन्न भागों में प्राथमिक/सामुदायिक/जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस प्रदान करके, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में वृद्धि करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में, अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों में मुकाबला करने के लिए सरकार की मदद करने हेतु पीएम केयर्स में 30 करोड़ रुपये का अंशदान भी दिया है।

आपकी कंपनी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुकूल उपयोग के लिए अपने सीएसआर लक्ष्य को ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने की संकेंद्रित सोच से समाज पर अधिकाधिक सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पड़ा है। समय के साथ, आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों की छाप इसके अपेक्षित दायरे तक पहुँची है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 और 2022 की अनुपालना में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति अपनाई है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सीएसआर बजट राशि का कम से कम 80% आवंटित करने में एनएचपीसी की परियोजनाओं के समीप के स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जा रही है। तथापि, जरूरतों के अनुसार और राष्ट्रीय योजनाओं व अभियान के संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का भी चयन किया जा रहा है, जहां सीएसआर बजट की लगभग 20% राशि समाज/परिवेश के व्यापक लाभ के लिए खर्च की जा सकती है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार सीएसआर पहलों में शिक्षा, व्यावसायिक कौशलों, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्नयन आदि को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। सीएसआर व्यय के लिए अनुसूची-VII के अलावा अन्य क्रियाकलापों पर व्यय नहीं किया जाता।
- सीएसआर और संधारणीयता योजनाओं का चयन इस तरह से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके अधिक से लाभ अधिक समाज के गरीब/पिछड़े और जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और परिवेश के स्तर में सुधार लाने में योगदान हो सके।
- एनएचपीसी संसाधनों, विशेषज्ञता और क्षमताओं का सामाजिक–आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए अनुकूल उपयोग करने हेतु मेगा परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और निगरानी करने में अन्य सीपीएसयू के साथ साझेदारी करने के लिए स्वतंत्र है।
- इस नीति में सीएसआर क्रियाकलापों के उचित चयन, आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निम्नलिखित के संबंध में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीएसआर नीति में संशोधन किया गया था:

क. सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी अनुबंधित करना,

ख. प्रभाव मूल्यांकन करने पर व्यय।

सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1681895733.pdf पर उपलब्ध है। आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-I** पर दी गई है।

भोजन प्रसंस्करण संयंत्र, खलसी, लेह

जिला अस्पताल, कारगिल में 500 एलपीएम ऑक्सीजन संयंत्र

30 सम्बन्धित पक्षकारों के साथ संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्षकार के साथ कोई वास्तविक लेन–देन नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्षकार लेन–देन सामान्यतः इसकी सहायक कंपनी तथा एसोसिएट कंपनियों के साथ परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने, जनशक्ति सेवाएं, अंतर–कारपोरेट ऋण, कारपोरेट ऋण आदि उपलब्ध करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षकारों के साथ की गईं सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेन–देन परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ज) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्षकार लेन–देन का फार्म एओसी–2 में प्रकटन किया जाना लागू नहीं होता है।

एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता हैं जिसके इंड एएस–24 के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटनों को निर्धारित किया गया है।

31. सतर्कता तंत्र – व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति

आपकी कंपनी ने एक 'व्हिसल ब्लोअर नीति' तैयार की है जिसमें कंपनी के निदेशक, कर्मचारी, ठेकेदार और विक्रेता लागू विधियों, नियमों, विनियमों अथवा कंपनी की आचार

संहिता के उल्लंघन में किए गए किसी भी ऐसे अनैतिक व्यवहारों की सूचना देने के लिए स्वतंत्र हैं, जो कंपनी के प्रचालन, व्यवसाय प्रदर्शन और/या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह नीति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की भी अनुमति देती है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर नीति से संबंधित मुद्दों संबंधी लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था। व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाता है ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सके। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और नीति के अंतर्गत सूचित शिकायतों से निपटने के लिए समन्वयक के रुप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके त्वरित निपटान को समर्थ बनाने के लिए धोखाधड़ी निवारण और पहचान नीति तैयार की है। नीति के तहत स्थापित किए गए तंत्र का संगठन के भीतर सभी स्तरों पर उचित रूप से प्रचार–प्रसार किया जाता है और उसे कंपनी के इंट्रानेट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

व्हीसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188102.pdf पर भी उपलब्ध है।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण

आपकी कंपनी मानती है कि कार्यस्थल पर विविधता, सहभागिता, संरेखण, नवाचार और उच्च निष्पादन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और सभी को समान रूप से उचित सम्मान दिया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी एक नीति तैयार की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी के सभी स्थानों पर 'आंतरिक शिकायत समितियों' का गठन किया गया है। कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद की समिति का नेतृत्व एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक सदस्य के रूप में गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आपकी कंपनी ने ''एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली'' के तहत इसे कदाचार के रूप में शामिल करके महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी प्रतिबंधित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में किए गए प्रकट निम्नानुसार हैं:

क.	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1
ख.	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	1
ग.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	1
घ.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1*

*शिकायत की जांच आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की जा रही है।

33. डिबेंचर ट्रस्टी

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियामवली, 2015 (सेबी एलओडीआर) की अपेक्षाओं के अनुपालन में, कंपनी द्वारा जारी बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखला हेतु इसके द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट की संदर्भ सूचना में दिया गया है।

34. कोविड–19

एनएचपीसी ने कोविड–19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अपने विभिन्न प्रचालन जारी रखे, जबकि इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में ग्राहकों के लिए व्यवसाय को जारी रखने के साथ–साथ कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई करना रहा। एनएचपीसी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा अन्य हितधारकों को कोविड–19 महामारी के लिए सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक सहायता उपाय लागू किए।

एनएचपीसी के विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि जैसी ऑक्सीजन सहायता सुविधाएं भी मौजूद है।

कंपनी ने 24×7 हेल्प–डेस्क समन्वित सहायता उपाय जैसे परीक्षण लैब के साथ संपर्क, डॉक्टरों के साथ वीडियो परामर्श, कोविड अवकाश का प्रावधान, दवाइयां और काउंसलिंग सहायता भी प्रदान की। इन संक्रमण और महामारी संबंधी अनिश्चितताओं के बीच, हमारे कर्मचारियों की भलाई एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा। पिछले 24 माह के दौरान निरंतर प्रयास से, एनएचपीसी ने अपने कर्मचारियों के लिए अनेक भलाई की पहल की और मानसिक स्वास्थ्य, स्वयं की देखभाल, महिलाओं के स्वास्थ्य, कार्य–जीवन के बीच संतुलन और विभिन्न गंभीर बीमारियों आदि के संबंध में विशेषज्ञों के साथ विभिन्न सत्रों का आयोजन किया।

35. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

35.1 औद्योगिक संरचना और विकास

भारत एक संसाधन संपन्न और विविधता वाला देश है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुरता है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है।

भारत संधारणीयता के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी देश के रूप में उभरकर आया है और अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों

(एनडीसी) के अंतर्गत निरंतर कार्रवाई की है। भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॅाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार की प्रतिबद्धता में वर्ष 2030 तक 1 बिलियन टन भारत की कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन कटौती करना, दशक के अंत तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से भी कम लाना और वर्ष 2070 तक नेट–जीरो कार्बन उत्सर्जन करना भी शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सरकार की वर्धित सहायता और अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ निवेशकों के परिप्रेक्ष्य से आकर्षक बन गया है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र पिछले दशक में विद्युत की कमी वाले राष्ट्र से एक विद्युत अधिशेष वाला राष्ट्र बनकर काफी आगे आ गया है। अनेक समन्वित उपायों से उत्पादन क्षमता मार्च, 2015 की 275 गीगावाट से मार्च 2023 में 416 गीगावाट तक 49.8% की वृद्धि पर आ गई है। सीएजीआर पर 4% की विद्युत उत्पादन वृद्धि अनुबद्ध वृद्धि हुई है जिसके कारण अपनी ऊर्जा और उच्चतम कमी को वर्ष क्रमशः 2014 में 4.2% और 4.5% से वर्ष 2022 में 0.4% और 1% कम करने में सक्षम हो सका है।

मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता 416.06 गीगावॅाट थी, जिसमें 46.85 गीगावॅाट बृहत जलविद्युत सहित 237.27 गीगावॅाट थर्मल, 6.78 गीगावॅाट न्यूक्लियर, 172.01 गीगावॅाट नवीकरणीय ऊर्जा शामिल थी।

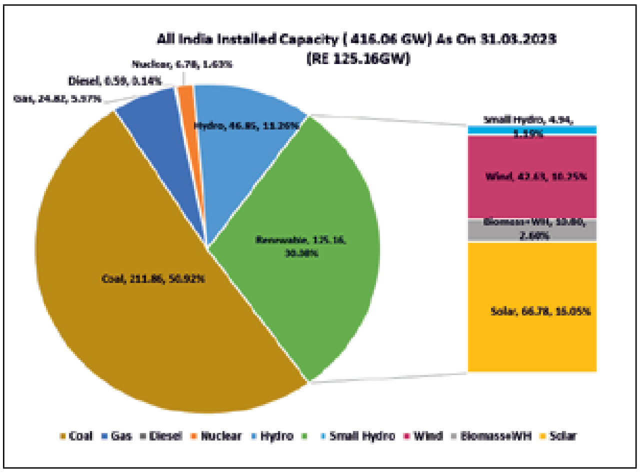

[1]स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

वर्ष 2014–15 से अक्तूबर, 2022 तक विभिन्न स्रोतों से कुल 177,783.21 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वृद्धि हासिल हुई है, जिसमें परंपरागत स्रोतों (कोयला, गैस और न्यूक्लियर) से 87,509.61 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 90,273.6 मेगावाट शामिल है। 87,509.61 मेगावाट की परंपरागत क्षमता वृद्धि में 85509.61 मेगावाट कोयला और गैस तथा 2000 मेगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 90273.6 मेगावाट में, 6169 मेगावाट बृहत जलविद्युत, 58,992.35 मेगावाट सौर, 20,801.4 मेगावाट पवन, 3191.03 मेगावाट बायोमास और 1119.82 मेगावाट लघु जलविद्युत शामिल है, जो वर्ष 2014–15 से हासिल की गई है।

वर्ष 2014–15[1] से 5.97% की सीएजीआर पर प्राप्त उत्पादन संस्थापित क्षमता दर्शाई गई है।

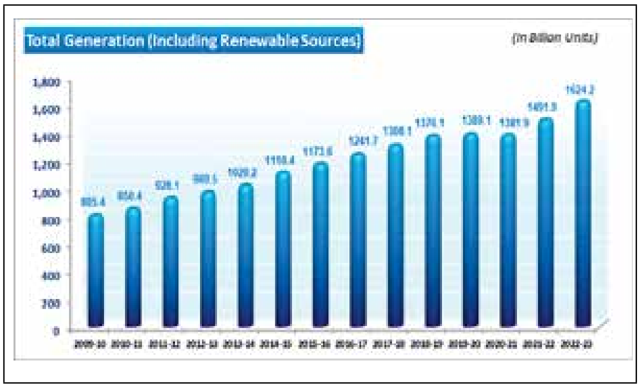

[1]स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

35.2 कार्यनीतिक विविधीकरण

एनएचपीसी भारत की अग्रणी जल विद्युत उत्पादन कंपनी में से एक है और नवीकरणीय ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भावी भारी अवसरों को देखते हुए, एनएचपीसी की इन क्षेत्रों में अपने आप को कार्यनीतिक रूप से बदलने की योजना है। विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाएं और पायलट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो कि विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी गीगावाट स्केल वर्टिकल इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूलों और सेलों के निर्माण में भी प्रवेश करने की योजना बना रही है और इस संबंध में भारत इलेक्ट्रॅानिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित हुआ है। एनएचपीसी लिमिटेड का नवीकरणीय ऊर्जा एवं ग्रीन हाइड्रोजन प्रभाग का मुख्यालय अहमदाबाद में अंतरित किया गया है, जिसके लिए पश्चिम क्षेत्र में उपलब्ध भारी अवसरों और गुजरात राज्य में सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के लिए संभावना तथा विभिन्न बंदरगाहों के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के निर्यात के लिए पर्याप्त क्षमता का लाभ उठाने का एक दीर्घकालिक विजन है। यद्यपि एनएचपीसी अपने प्रमुख कारोबार के रूप में जलविद्युत परियोजनाओं का विकास जारी रखेगी, तथापि यह नवीकरणीय ऊर्जा विकास के साथ ही भंडारण समाधानों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

35.3 भारत में जलविद्युत संभाव्यता

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987 में देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुनः आकलन किए गए थे। अध्ययन के अनुसार, संस्थापित क्षमता के संदर्भ में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट का अनुमान है, जिसमें से 1,46,401 मेगावाट संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जलविद्युत योजनाएं शामिल हैं।

[1]स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

35.4 जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

भारत सरकार द्वारा विगत में देश में जलविद्युत विकास के लिए कई नीतिगत पहल की गयी हैं, जैसे राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2016, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 आदि। विगत कुछ वर्षों की अवधि के दौरान, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय जारी किए थे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- वृहत जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी, अर्थात 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किया गया है। तथापि, एलएचपी सांविधिक मंजूरियों जैसे वन मंजूरी, पर्यावरणीय मंजूरी, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) मंजूरी आदि के लिए भिन्न व्यवहार हेतु स्वतः पात्र नहीं होगी, जो लघु जल–विद्युत परियोजनाओं (अर्थात <25 मेगावाट परियोजनाओं) के लिए उपलब्ध है। विद्युत मंत्रालय एलएचपी के लिए प्रशासनिक मंत्रालय बना रहेगा।
- गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक पृथक कंपनी के रूप में जलविद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) अधिसूचित किया गया है। एचपीओ में दिनांक 08 मार्च, 2019 के बाद चालू की गई सभी एलएचपी परियोजनाएं (अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तारीख) तथा पावर स्टेशन की चालू की गई एकीकृत क्षमता (अर्थात दीर्घावधिक पीपीए के बिना) शामिल होगी।
- दिनांक 08 मार्च, 2019 के बाद शुरू की गई नई परियोजनाएं एचपीओ के अंतर्गत शामिल हैं, बशर्ते कि टैरिफ (एलटी) 31 मार्च, 2021 तक शुरू की गई परियोजनाओं के लिए 5.50 रुपये/केडब्ल्यूएच से अधिक न हो। अगले वित्तीय वर्षों के लिए टैरिफ में 5% वृद्धि की अनुमति होगी। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा ऊर्जा भंडारण दायित्व (ईएसओ) की ट्रेजेक्ट्री की अधिसूचना के साथ–साथ एचपीओ की ट्रेजेक्ट्री संशोधित की है।
- परियोजना के जीवनकाल में 40 वर्षों की वृद्धि करने, ऋण अदायगी अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाने और जलविद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए बढ़ते टैरिफ को शुरू करके टैरिफ की बैक लोडिंग करते हमें टैरिफ का निर्धारण करने के लिए विकासकर्ताओं को लचीलापन प्रदान करना।
- बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता बढ़ाना।
- 200 मेगावाट तक की परियोजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये/मेगावाट और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये/मेगावाट की दर से सहायक अवस्थापना अर्थात सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीईए द्वारा सक्षमीकरण अवसंरचना अर्थात सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता हेतु प्रारुप दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2021 में बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता और सहायक अवसंरचना अर्थात सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता हेतु अंतिम दिशानिर्देशों की अधिसूचना भी जारी की गई है।

  सीईआरसी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 प्रारूप सीईआरसी अधिसूचित किया है, जिसमें 1.5 के गुणक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के लिए जलविद्युत पर विचार किया गया है। यदि इन प्रारूप विनियमों को अंतिम रूप दिए जाता है, तो यह भावी हाइड्रो पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

  विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 02 दिसंबर, 2022 को पीआईबी विज्ञप्ति के माध्यम से नई जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के पारेषण के संबंध में आईएसटीएस प्रभारों की छूट को बढ़ाया है, जिसके लिए निर्माण कार्य प्रदान किया गया है और 30 जून, 2025 को या उससे पूर्व पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, 30 जून, 2025 से 30 जून, 2028 तक आईएसटीएस प्रभारों की छूट की ट्रेजेक्ट्री भी विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट की गई है।

35.5 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकारी पहलें

भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, 50% आवश्यकताएं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने, एक बिलियन टन संचयी उत्सर्जनों में कटौती और वर्ष 2030 तक तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता 45% तक कम करने जैसे उत्साहवर्धक लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा, वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत में विशिष्ट वातावरण के लाभ के साथ, ग्रीन हाइड्रोजन में देश को एक वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए मंच तैयार है और वर्ष 2030 तक घरेलू खपत के लिए 60 गीगावॉट से अधिक/5 मिलियन टन की सबसे अधिक इलेक्ट्रोलाइसिस क्षमता (ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन) हासिल करने के प्रयास जारी हैं। इससे भारत को 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, लगभग 1 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास में रखा गया है ताकि विश्व के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर और आवश्यक गति से आगे बढ़ाया जा सके।[1]

विभिन्न चुनौतियों के बीच, वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय स्रोतों का लक्ष्य पूरा करने के लिए संस्थापित क्षमता में अचानक से वृद्धि करनी होगी। भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए और जलवायु के अनुकूल ऊर्जा पारेषण के ऐसे उपाय के लिये, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और वहनीयता मिलेगी, प्रमुख कदम उठाये हैं। इन उपायों में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020, पीएम–कुसुम और रूफ टॉप सोलर योजना, सीपीएसयू योजनाओं जैसी

[1]स्रोतः नीति आयोग

बड़े पैमाने की सौर विद्युत विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं, सौर पार्क योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं आदि का प्रस्ताव शामिल है, जिनमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पम्प्ड भंडारण जलविद्युत संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश और अन्य योजनाओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

केंद्रीय बजट 2022–23 में ग्रिड–इंटरैक्टिव और ऑफ–ग्रिड परियोजनाओं, दोनों सहित सौर विद्युत क्षेत्र के लिए 3365 करोड़ रुपये का एक बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है। बजट में उच्च दक्षता वाले सौर फोटो वोल्टिक मॉड्यूलों के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षेत्र को एक प्रमुख प्रोत्साहन मिलता है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकिय उन्नतियों के साथ उपर्युक्त पहलों से सौर विद्युत क्षेत्र का कारोबार अधिक आकर्षक हो गया है। एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास तथा साथ ही गीगावाट स्केल सौर पीवी मॉड्यूलों के निर्माण के कारोबार में प्रवेश करने के लिए अवसरों की तलाश के लिए अपने प्रयास कर रही है।

35.6 विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022

विद्युत मंत्रालय ने फरवरी, 2021 में पहली बार विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार) नियमावली, 2021 (एलपीएससी) अधिसूचित किये थे। एलपीएससी में, विद्युत मंत्रालय ने एलपीएससी की आधार दर एमसीएलआर दर +5% रखी थी, जिसे 6 माह तक हर अगले माह 0.5% तक बढ़ाया जाएगा। यह भी अधिसूचित किया गया था कि प्राप्त भुगतान को पहले विलंबित भुगतान अधिभार में समायोजित किया जाएगा और उसके बाद सबसे अधिक पुराने बकाया बिल से शुरू होने वाले मासिक प्रभारों में समायोजित किया जाएगा।

अब, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया है। अन्य नियमों के साथ एलपीएससी की दर और प्राप्त भुगतान का समायोजन वही रखा गया, विद्युत मंत्रालय ने इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित खंड शामिल किए हैं:

क. बकाये का परिसमापन:

विद्युत ने डिस्कॉमों को इन नियमों के अधिसूचित होने तक की संचित पुरानी बकाया देयताओं को समान मासिक किश्तों में (12 से 48 ईएमआई, जो बकाया राशि पर निर्भर करेगी) परिसमाप्त करने की अनुमति दी है और इन नियमों की अधिसूचना के एक माह के भीतर उत्पादक कंपनी अथवा पारेषण लाइसेंसधारी को एक योजना प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, यदि डिस्कॉम समान मासिक किश्तों में अपनी बकाया देयताओं को परिसमाप्त करने के लिए सहमत होती हैं और समय पर भुगतान करती हैं, तो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से बकाया देयताओं पर एलपीएससी का भुगतान नहीं करना होगा। यदि डिस्कॉम अपनी पुरानी बकाया राशि को पुनः तय करने का विकल्प नहीं लेती हैं, तब प्राप्त भुगतान को पहले इन बकाया भुगतानों में समायोजित किया जाएगा।

ख. भुगतान सुरक्षा व्यवस्था का प्रचालनीकरण और इसके परिणाम:

विद्युत मंत्रालय ने इन नियमों के दायरे के अंतर्गत बिना शर्त, अपरिवर्तनीय और पर्याप्त भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) बनाए रखने के प्रावधान लाया है। किसी भी डिस्कॉम को बिना शर्त, अपरिवर्तनीय और पर्याप्त भुगतान सुरक्षा तंत्र को बनाए रखना होगा और यदि पीएसएम का रखरखाव नहीं किया जाता है, तो उत्पादन कंपनियों, विद्युत व्यापार लाइसेंसधारी और पारेषण लाइसेंसधारी डिस्कॉमों को विद्युत की आपूर्ति नियंत्रित करेंगे। विद्युत की आपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब पर्याप्त पीएसएम बनाए रखा जाएगा या अग्रिम भुगतान किया जाएगा। यदि उत्पादक डिस्कॉमों को बिना पर्याप्त पीएसएम के विद्युत की आपूर्ति करता है, तो वह डिस्कॉमों से एलपीएससी वसूलने का अधिकार खो देगा।

विद्युत का नियंत्रण:

यदि बकाया देयताओं का भुगतान डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि (बिल की तारीख से 45 दिन और 30 दिन) तक नहीं किया जाता है, तो उत्पादक 25% अनुबंधित विद्युत को नियंत्रित कर सकता है और एक्सचेंज में बेच सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि डिस्कॉम पीएसएम स्थापित नहीं करती अथवा 30 दिनों तक चूक जारी नहीं रखती, तो उत्पादक 100% अनुबंधित विद्युत को नियंत्रित कर सकता है और एक्सचेंज में बेच सकता है।

चूक की अवधि के दौरान, क्षमता प्रभारों का दायित्व डिस्कॉमों के पास है और एक्सचेंज में ऐसी विद्युत की बिक्री से प्राप्त लाभ को पहले निर्धारित प्रभारों, उसके बाद बकाया देयताओं में समायोजित किया जाएगा और शेष राशि की डिस्कॉमों के साथ 75:25 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाएगी।

ग. चूककर्ता कंपनी को प्राप्ति पर नियंत्रण:

यदि बिल प्रस्तुत करने की तारीख से ढाई माह तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता, तो आपूर्ति को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा:

1. पावर एक्सचेंजों सहित विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए अल्पावधिक प्राप्ति, पहले से अनुमोदित अल्पावधिक प्राप्ति सहित पूरी तरह से नियंत्रित की जाएगी।
2. एसटीए के नियंत्रण के एक माह के बाद, यदि देय राशि का भुगतान नहीं होता है, तो एसटीए के नियंत्रण के अलावा, एलटीए और एमटीए को भी 10% तक नियंत्रित किया जाएगा और नियंत्रण को हर आने वाले माह में 10% तक बढ़ाया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान करने पर, नियंत्रण के 2 दिनों के भीतर सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा।
3. क्षमता प्रभारों के भुगतान की देनदारी ऐसी निकासी में कटौती करने के लिए नियंत्रित कंपनी की रहेगी।

घ. उत्पादन कंपनी का आपूर्ति दायित्वः

यदि कोई उत्पादन कंपनी डिस्कॉमों को अनुबंधित क्षमता प्रदान करने में विफल होती है, और अनुबंधित विद्युत की बिक्री किसी अन्य कंपनी को डिस्कम की सहमति के बिना करती है, तो उत्पादन कंपनी को पावर एक्सचेंज में भागीदार से वंचित किया जाएगा और 3 माह की अवधि के लिए दीप पोर्टल पर वंचित किया जाएगा, जिसे दूसरी चूक होने पर 6 माह के लिए हर अगली चूक के लिए एक वर्ष हेतु बढ़ाया जाएगा।

ङ. वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत की मांग नहीं करना

वितरण लाइसेंसधारी को डीएएम से 2 घंटे पहले उत्पादन कंपनी को विद्युत की मांग के लिए अपना शेड्यूल भेजेगा, ऐसा न करने पर जेनको मांग न की गई विद्युत पावर एक्सचेंज में बेच सकता है। विद्युत की बिक्री से लाभ (एक्सचेंज में बिक्री राशि में से ऊर्जा प्रभार, पारेषण प्रभार और अन्य आकस्मिक प्रभार कम करके) निम्नलिखित तरीके से समायोजित की जाएगीः

(i) उत्पादन कंपनी को 3 पैसे प्रति यूनिट तक का भुगतान;

(ii) निर्धारित प्रभारों की वसूली;

(iii) अतिदेय राशि का परिसमापन;

(iv) शेष राशि वितरण लाइसेंसधारी और उत्पादन कंपनी के बीच 50:50 के अनुपात में साझा की जाएगी।

निर्धारित प्रभारों की देनदारी वितरण लाइसेंसधारी की होगी। मस्ट रन की स्थिति में, मुआवजा करार में निर्दिष्ट दर पर या विद्युत (मस्ट–रन विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 में यथानिर्दिष्ट दर पर होगा।

35.7 सीईआरसी विनियमः

क. सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 और तत्संबंधी संशोधन

सीईआरसी ने मार्च, 2019 में सीईआरसी (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 जारी किया है, जो ये विनियम 1 अप्रैल, 2019–31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए लागू होगा।

ख. सीईआरसी सहायक सेवाएं विनियम, 2022:

सीईआरसी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 जारी किया है, जो 31 जनवरी, 2022 से लागू हो गया है।

ग. सीईआरसी उल्लंघन समाधान व्यवस्था विनियम, 2022 :

➢ सीईआरसी ने उल्लंघन समाधान व्यवस्था और संगत मामले विनियम, 2022 अधिसूचित किया है। विनियम में एक वाणिज्यिक व्यवस्था के जरिए मांग की गई है कि ग्रिड के प्रयोक्ता ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता की दृष्टि से विद्युत की निकासी और विद्युत के प्रवेश की समय सारणी का उल्लंघन न करें और उनका पालन करें। ये विनियम दिनांक 02 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हुए हैं, तथापि, अधिसूचित विनियम के प्रचालन में कठिनाई के कारण, विभिन्न प्रावधानों में माननीय आयोग द्वारा विभिन्न स्वतः प्रेरित आदेश के अंतर्गत छूट दी गई है और वर्तमान में लागू 5/एसएम/2023 में दिनांक 09 अप्रैल, 2023 के सीईआरसी के आदेश के साथ पठित दिनांक 06 फरवरी, 2023 का 1/एसएम/2023 में सीईआरसी का दिनांक 08 फरवरी, 2023 से प्रभावी है।

➢ किसी भी उल्लंघन का प्रबंधन सहायक सेवाएं विनियम के तहत भार वितरण केंद्र द्वारा किया जाएगा और ऐसे उल्लंघन के संबंध में गणना, प्रभार और संगत मामलों का निपटान विनियमों के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- किसी समय ब्लॉक के लिए विचलन हेतु शुल्क की सामान्य प्रभारों की दर निम्नलिखित के अधिकतम के समान होगीः

I. सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड मार्केट सेगमेंट की भारित औसत एरिया क्लीनिंग कीमत (एसीपी); अथवा

II. सभी पावर एक्सचेंजों के रियल टाइम मार्केट सेगमेंट का भारित औसत एसीपी;

- विनियमों में वे दरें निर्दिष्ट हैं, जिन पर उत्पादक को विचलन और विचलन और अनुषंगी सेवाएं पूल खाते से अधिक विद्युत के लिए वापस भुगतान किया जाएगा और जिन दरों पर उत्पादक विभिन्न आवृत्ति दरों के लिए विचलन और अनुषंगी सेवाएं पूल खाते को भुगतान किया जाएगा।
- अस्थिर विद्युत के विचलन के शून्य प्रभार होंगे और यदि अस्थिर विद्युत शेड्यूल की जाती है, तो ऐसी विद्युत के लिए विचलन के प्रभार एक सामान्य विक्रेता के लिए लागू प्रभार होंगे।
- किसी उत्पादन यूनिट के सीओडी से पूर्व स्टार्ट–अप विद्युत की निकासी के लिए विचलन हेतु प्रभार अथवा किसी उत्पादन स्टेशन को बंद करने के दौरान अनुषंगी यूनिटों को चलाने के लिए विद्युत की निकासी हेतु विचलन का प्रभार संदर्भ प्रभार दर अथवा संविदा दर पर अथवा संदर्भ प्रभार संविदा दर न होने पर, संबंधित समय ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के डे अहेड मार्केट सेगमेंट की भारित औसत एसीपी, जैसा भी मामला हो, पर देय होंगे।
- जबरन कटौती के लिए, विचलन हेतु प्रभार 8 गुना ब्लॉकों के लिए संदर्भ दर अथवा शेड्यूल में संशोधन होने तक, जो भी पहले हो, सीमित होगी।

35.8 स्वॉट विश्लेषण

(i) क्षमताएं

- **आंतरिक डिजाइन एवं इंजीनियरिंग क्षमता सहित संकल्पना से लेकर चालू किए जाने तक की क्षमताएं**

एनएचपीसी के पास अपनी परियोजनाओं की डिजाइन और इंजीनियरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित भरपूर डिजाइन प्रभाग है। जलविद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाली आंतरिक डिजाइन टीम होने से एनएचपीसी को अन्य जल विद्युत कंपनियों में अग्रणी स्थान हासिल हुआ है। एनएचपीसी डाटा तैयार करने और इनहाउस रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थल पर नवीनतम भू–भौतिकी तकनीकों का उपयोग कर रही है। एनएचपीसी भारत

में एकमात्र जलविद्युत यूटिलिटी है, जिसके पास टनल सिस्मिक प्रेडिक्शन, टोलोग्राफी और रेजिस्टिविटी इमेजिंग जैसी तकनीकों में विशेषज्ञता है, जो एक प्रभावी और आर्थिक तरीके से सब–सरफेस सूचना प्रदान करती है। इसने आधुनिक परीक्षण उपकरणों और एक विवेकशील दूरसंवेदी प्रयोगशाला के साथ आंतरिक रॉक मैकेनिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरी भी विकसित की है। इसकी इंजीनियरिंग क्षमताओं में संकल्पना की अवस्था से लेकर परियोजनाएं पूर्ण होने तक की अवस्था है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभवी श्रमशक्ति**

  एनएचपीसी के पास देश भर में जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। एनएचपीसी के पास सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल है, जिनके पास जलविद्युत परियोजनाओं की संकल्पना, निर्माण, चालू करने और प्रचालन में क्षमताएं और विशेषज्ञता है। उनका कौशल, औद्योगिक ज्ञान और अनुभव का कंपनी के लिए काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।

- **मजबूत वित्तीय स्थिति**

  एनएचपीसी के पास दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 10,045.03 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी और 74,715 करोड़ रुपये का निवेश आधार है। एनएचपीसी के पास इसकी सूचीबद्ध बॉण्डों के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए स्थायी आउटलुक के साथ "एएए" क्रेडिट रेटिंग है। एनएचपीसी के पास एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग द्वारा स्थिर आउटलुक के साथ बीबीबी(–) की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है। कंपनी अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण व्यापक पूंजी वाली वृहद जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है।

- **मजबूत प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन**

  एनएचपीसी ने 7,071 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता के साथ बाइस जल विद्युत परियोजनाओं (इसकी सहायक कंपनी अर्थात एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा दो परियोजनाओं सहित), एक सौर विद्युत परियोजना और एक पवन विद्युत परियोजना का सफलतापूर्वक तैयार और कार्यान्वित किया है। एनएचपीसी अपने पावर स्टेशनों के समूह के साथ भारत में जलविद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है।

- **निर्माण और प्रचालन में व्यापक अनुभव**

  एनएचपीसी के पास आंतरिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अनेक भू–तकनीकी चुनौतियों का सामना करके जटिल भौगोलिक क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। इसने भारत में दूर–दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँच न होने, खराब लॉजिस्टिक, प्रतिकूल मौसम और प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाओं जैसी विभिन्न चुनौतियों के साथ जलविद्युत परियोजनाओं की कुछ चुनौतियों का मुकाबला करते हुए परियोजनाएं सफलतापूर्वक निर्मित की हैं। अपनी सक्षम, कुशल और अनुभवी पेशेवरों की एक मजबूत टीम के साथ कंपनी ऐसी बाधाओं को पार करते हुए हर प्रकार की और हर तरह की जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन करने में सक्षम है।

- **भूकंपीय सुरक्षा आकलन**

  एनएचपीसी अपने पावर स्टेशनों की भूकंपीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसने अपने सभी पावर स्टेशनों की ऑनलाइन भूकंपीय निगरानी के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में अपनी तरह का एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत वास्तविक समय भूकंपीय डेटा सेंटर विकसित किया है। डेटा सेंटर संबंधित पावर स्टेशनों के क्षेत्र में किसी भी भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड करता है और उसका त्वरित आकलन करता है। जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए यह एक बड़ा कदम है और प्रत्येक पावर स्टेशन के लिए बांध सुरक्षा समीक्षाएं की जाती हैं।

(ii) अवसर

- **अप्रयुक्त जलविद्युत संभाव्यता**

  जल–ताप मिश्रण की खराब स्थिति, पीकिंग कमी और फ्रीक्वेंसी भिन्नताओं के कारण नीति निर्माताओं ने जलविद्युत के विकास की ओर अपने रुख को बदला है। भारत की भारी अप्रयुक्त जलविद्युत संभाव्यता, जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जलविद्युत विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। एनएचपीसी के पास भारत और पड़ोसी देशों में आने वाले वर्षों में अपनी अप्रयुक्त जलविद्युत संभाव्यता से अपनी क्षमता बढ़ाने का एक अवसर है।

  एनएचपीसी पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं, नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के निष्पादन और सड़क, रेल एवं अवसंरचना सुरंगों आदि के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के अवसरों का भी लाभ उठा सकती है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनएचपीसी की सतत क्षमता**

  एनएचपीसी द्वारा अपनी जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता में विगत वर्षों में प्रदर्शित की गई क्षमता से, जहां अधिकांश अन्य कंपनियां सामान्यतः विफल रही हैं, जलविद्युत क्षेत्र में नई आशा की किरण आई है। परिणामस्वरूप, एनएचपीसी की जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण विशिष्टता से भविष्य में इसके विकास के नए द्वार खुल रहे हैं।

- **नवीकरणीय ऊर्जा**

  भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक के लिए गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% विद्युत विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार की पहलों और नीतिगत सहायता से सौर पीवी का उपयोग करके भारत में विद्युत का उत्पादन गति पकड़ रहा है। भारत सरकार द्वारा सीओपी26 के निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, अर्थात वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को स्वच्छ उत्पादन स्रोतों की ओर रुख करना होगा। इसे हासिल करने के लिए एक मध्यावधिक लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म विद्युत क्षमता जोड़ना है, और साथ ही साथ,

ग्रिड में सौर और पवन उत्पादन के एकीकरण में सुविधा प्रदान करना है। वर्ष 2029–30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण संबंधी सीईए रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कुल 500 गीगावॉट आरई क्षमता की आवश्यकताओं में से, 280 गीगावॉट क्षमता वृद्धि सौर विद्युत से की जानी है।

थर्मल/कोयला–आधारित उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से धीरे–धीरे बाहर करने के साथ ही, विद्युत क्षेत्र में व्यस्ततम सहायता और अन्य संतुलन/सहायक सेवाओं के जरिए आरई की अस्थिरता और अनिरंतरता में सहायता की जरूरत है। चूंकि प्रणाली में अधिक परिवर्तनीय आरई जोड़ी गई है, अतः अवशिष्ट भार में परिवर्तनों की मात्रा और आवृत्ति में परिवर्तनों में वृद्धि हुई है। प्रणाली में इन परिवर्तनों के अनुसार पर्याप्त लचीले संसाधनों की आवश्यकता है। इसमें सौर/पवन परियोजनाओं के साथ भंडारण का विकल्प जैसे पम्प्ड भंडारण/बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाने की जरूरत है ताकि चौबीसों घंटे/व्यस्ततम विद्युत आवश्यकताओं के साथ एक स्थायी बाजार समाधान मिल सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य मांग पैदा करके और इलेक्ट्रोलाइज़र के विनिर्माण को प्रोत्साहन देकर ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए भारत को एक 'वैश्विक हब' बनाना है। इस प्रकार, आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए अत्यधिक अवसर मौजूद हैं।

एनएचपीसी इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों को सुनिश्चित करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं विकसित करने के लिए सभी संभाव अवसर तलाश रही है।

- **ग्रिड संतुलन की आवश्यकता**

  व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए, विशेषकर सौर विद्युत में बड़े पैमाने पर विकास के लिए भारत सरकार की वर्तमान पहल को देखते हुए, जलविद्युत के लिए ग्रिड संतुलन/स्थायित्वता आवश्यक होगी। वर्तमान परिदृश्य में जलविद्युत के विकास के लिए, इसे तेजी से बढ़ने और होने वाली मौजूद गुण एवं प्रणाली के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के कारण एनएचपीसी के लिए अवसरों की उत्पत्ति होगी।

(iii) खतरे/दोष/चुनौतियां/चिंताएं

- **भौगोलिक अनिश्चितताएं**

  मौजूदा पावर स्टेशनों की विभिन्न मेगा–संरचनाओं, दुर्गम क्षेत्र और लॉजिस्टिक समस्याओं तथा जांच की सीमाओं के कारण सामने आ रही नई चुनौतियों से परियोजानओं के निष्पादन के लिए गंभीर परिणाम पैदा होते हैं। हाई सुपरइंकम्बेंट कवर के अंतर्गत टनल की खुदाई से भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दबाव संबंधी समस्याएं और पानी का भारी बहाव होता है। विनाशकारी घटनाएं जैसे अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाएँ गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं।

- **समय और लागत आधिक्य**

  अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जो भूस्खलन, पहाड़ी ढाल के गिरने और सड़क अवरुद्ध होने, बाढ़, बादल फटने आदि जैसी विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती है। इन आपदाओं के कारण निर्माण समय में काफी बाधा आती है। इसके अतिरिक्त, व्यापक सर्वेक्षण और जांच के बावजूद, भौगोलिक अनिश्चितताएं ठीक की जानी चाहिए, विशेषकर हेड रेस टनल जैसी लम्बी सुरंग में। एनएचपीसी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ काफी अनुभव और विशेषज्ञता के साथ विगत में भी कई बार ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं का मुकाबला किया है। तथापि, इन असामान्य और अप्रत्याशित भौगोलिक अनिश्चितताओं के कारण समय और लागत आधिक्य हो सकता है। अनेक बार, राज्यों में कानून व व्यवस्था की समस्याओं के कारण समय आधिक्य होता है और उसके बाद लागत आधिक्य होता है।

- **समय लेने वाली मंजूरी प्रक्रियाएं**

  कोई भी जल विद्युत परियोजना कार्यान्वित करने से पूर्व इसे विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक मंजूरियां प्रदान करके विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनापत्ति दी जाती है। प्रायः परियोजनाएं लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं के कारण उलझ जाती हैं, जिनमें अनेक एजेंसियों/ संगठन, राज्य आदि शामिल होते हैं। अपेक्षित मंजूरियां प्राप्त करना एक जटिल, बोझिमल और समय लगने वाली प्रक्रिया होती है, जिनके कारण कभी–कभी असामान्य विलंब होता है, जिससे अंततः परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।

- **विद्युत क्रय करार (पीपीए) करने में कठिनाईयां**

  वर्तमान विद्युत व्यापार परिदृश्य में उच्च टैरिफ वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री कठिन होती जा रही है। लाभार्थी लम्बी अवधि/मध्यम अवधि के पीपीए के लिए विकल्प की बजाए पावर एक्सचेंज अथवा ई–खरीद के जरिए अपनी अतिरिक्त विद्युत मांग को तरजीह देना चाहते हैं। चूंकि जलविद्युत परियोजनाएं स्थल विशिष्ट होती हैं और उनका टैरिफ स्थान/डिजाइन पैरामीटर और अधिक प्रारंभिक निवेश पर निर्भर करती है, अतः नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अपेक्षाकृत अधिक होता है। उपर्युक्त कारणों से एनएचपीसी लम्बी अवधि के पीपीए के जरिए नई परियोजनाओं से विद्युत वितरण करने में समस्याओं का सामना कर रहा है।

- **उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ**

  जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में लम्बी अवधि शामिल होती है और इसमें शुरूआत में काफी निवेश की जरूरत होती है, जिसके परिणामस्वरूप शुरूआत में अधिक टैरिफ होता है। जलविद्युत परियोजनाओं का नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम भी सीईआरसी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार भिन्नताओं के अध्यधीन होते हैं। कभी–कभी शुरूआत में अधिक लागत और टैरिफ के कारण निवेश स्वीकृति प्राप्त करने में नुकसानदायक सिद्ध होती है और इसमें काफी वित्तीय

रि–इंजीनियरिंग और विभिन्न हितधारकों से विभिन्न छूट की जरूरत होती है ताकि परियोजना को पुनःव्यवस्थित किया जा सके।

- **कानून एवं व्यवस्था**

  एनएचपीसी के समक्ष इसकी कुछ परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या आ जाती है क्योंकि वे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित होती हैं और दूर–दराज के स्थानों पर होती हैं। उन परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर तैनात कार्मिकों की सुरक्षा का जोखिम होता है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध**

  भारत में जलविद्युत परियोजनाओं को कुछ प्रेशर ग्रुप के विरोध का सामना करना पड़ता है। इससे जलविद्युत के विरोध का सामना करना पड़ता है। इससे जलविद्युत परियोजना विकासकर्ताओं के बीच आशंकाओं की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनकी कुछ परियोजनाएं ठप हो रही होती हैं।

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रवेश सीमित करने वाली राज्य जलविद्युत नीतियां**

  कई राज्य जलविद्युत नीतियां विकासकर्ताओं को जलविद्युत परियोजनाएं आबंटित करने के लिए आवश्यक निःशुल्क विद्युत से अधिक निःशुल्क विद्युत, अपफ्रंट प्रीमियम आदि के भुगतान के पक्ष में होती है। सीपीएसई के समक्ष इन विद्युत परियोजनाओं को लेने में समस्याएं आ रही हैं क्योंकि उन्हें भारत सरकार के मानदंडों का अनुसरण करना होता है।

- **कुछ ही संविदाकारों पर निर्भरता**

  जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में मैनपावर, मशीनरी और पर्याप्त धन का निवेश आवश्यक होता है। भारत में कुछ ही संविदाकार हैं, जो विशेषकर दूरदराज के और कठिन स्थानों पर, जहां पहुँचना एक बड़ी समस्या है, काम कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले संविदाकारों की सीमित संख्या, देश में कुछ ही मौजूदा संविदाकारों पर निर्भरता बढ़ाती हैं।

35.9 जोखिम एवं चिंताएं

एनएचपीसी के पास एक कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए वर्ष 2009 से एक सुस्पष्ट और सक्रिय जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में समय–समय पर संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में 2022 में नीति संशोधन के बाद कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई थी। वर्तमान में, 67 प्रमुख जोखिम हैं, जिनका कंपनी के कारोबार पर नुकसानदायक प्रभाव हो सकता है और उनको कम करने के उपाय चिन्हित किए गए हैं और जोखिम रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, दो समितियां गठित की गई हैं:

(i) एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, जिसमें प्रमुख समितियों के प्रबंधन में बोर्ड की सहायता के लिए निदेशक होते हैं। समिति अन्य के साथ–साथ यह सुनिश्चित करती है कि उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां कंपनी के कारोबार से जुड़े जोखिमों की निगरानी करने और जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए शामिल हैं।

(ii) जोखिम आकलन समिति, जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और विभिन्न प्रभागों के जोखिम समन्वयक – विभागाध्यक्ष शामिल हैं, जो अपने प्रभागों और कारपोरेट कार्यालय के पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/प्रभागों के लिए जोखिम न्यूनीकरण हेतु जिम्मेदार है। विभागाध्यक्ष और क्षेत्रों/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के प्रमुख जोखिमों और उनके जोखिम उपशमन उपायों की पहचान के संबंध में जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी अनुदेशों का कार्यान्वयन और समीक्षा करते हैं।

35.10 दृष्टिकोण

आपकी कंपनी ने कुछ प्रभावी पहलें की हैं और विद्युत कारोबार में सतत विकास तथा निरंतर प्रदर्शन के लिए प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सरल बनाया है। इसने इलेक्ट्रो–मैकेनिकल, सिविल और हाइड्रो–मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई और संगत प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं। एनएचपीसी ने निर्माण समय के विलंब और अधिक लागत में कमी करने के लिए सामयिक पद्धतियों को अपनाया है। इसके पावर स्टेशन अपने रिजरवायर की सिल्टिंग की समस्या को कम करने के लिए एक अनुकूल तरीके से चलाए जाते हैं। निर्माण, पर्यवेक्षण, कमीशनिंग के बाद निगरानी और बाधारहित प्रचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया है। वर्तमान में कंपनी के सभी पावर स्टेशन आधे या पूरे ऑटोमेटेड हैं। कई पावर स्टेशनों में स्काडा प्रणाली के साथ उन्नत वितरित नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। एनएचपीसी अपने कुछ पावर स्टेशनों के रिमोट प्रचालन के लिए भी आगे संभावनाएं देख रही है।

वर्तमान में, एनएचपीसी लिमिटेड के पास संयुक्त उद्यम मोड में तीन परियोजनाओं सहित 25 पावर स्टेशनों से 7097.2 मेगावाट का संस्थापना आधार है और यह विविधीकरण के जरिए विस्तार की संभावनां देख रही है।

35.11 घटक–वार अथवा उत्पाद–वार कार्य निष्पादन

कंपनी के प्रमुख कारोबारी कार्यों में विद्युत का उत्पादन शामिल है। अन्य प्रचालन जैसे विद्युत व्यापार, अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी सेवाएं ''प्रचालन घटक'' पर इंड एएस–108 के अनुसार सूचित करने योग्य घटक नहीं है। कंपनी में एक एकल भौगोलिक घटक है, क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

35.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और इसकी पर्याप्तता

कंपनी के कारोबार के सुगम और सक्षम प्रचालन के लिए तथा संगत कानूनों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में मजबूत आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं हैं। एनएचपीसी की स्पष्ट रूप से परिभाषित संगठनात्मक संरचना, मैनुअल और स्टैंडर्ड प्रचालन प्रक्रियाएं हैं, जिनसे इसके कारोबार का व्यवस्थित, नैतिक और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित होता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने निर्णय लेने में आसानी के लिए शक्तियों का व्यापक प्रत्यायोजन

किया है, जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि उन्हें बदलते कारोबारी वातावरण में और निर्णय लेने में तेजी के लिए अनुकूल बनाया जा सके।

कंपनी में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो एक वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में काम करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 की अनुपालना में, बोर्ड ने एक महाप्रबंधक (वित्त) को कंपनी का मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और आवधिक व विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए अनुभवी कार्यबल है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग अपनी लेखापरीक्षा टिप्पणियां और की गई कार्रवाई कि रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत करता है। समिति की सिफारिशों का पुनःअनुपालन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की अनुपालना में, मैसर्स ए.एम.ए.ए. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के कार्यान्वयन के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी में वर्तमान आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में मौजूद प्रभावकारिता को स्वीकार किया है।

35.13 वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

लाभ एवं हानि मदें

राजकोषीय वर्ष 2022 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षा वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार हैः

आय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
उत्पादित विद्युत की यूनिट (मिलियन यूनिट में)	**24619**	**24494**
आय		
(i) ऊर्जा की बिक्री	8,404.65	7,451.55
(ii) वित्त पट्टे से आय	327.80	344.95
(iii) प्रचालनरत पट्टे से आय	392.40	384.07
(iv) संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व	60.94	46.16
(v) विद्युत व्यापार से राजस्व	4.60	0.27
(vi) अन्य प्रचालनरत आय	125.95	82.22
प्रचालनों से राजस्व [(i) से (vi)] का जोड़	**9,316.34**	**8,309.22**
जोड़ेंः अन्य आय	834.56	1,026.18
कुल आय	**10,150.90**	**9,335.40**

कुल आय राजकोषीय वर्ष 2022 में 9,335.40 करोड़ रुपये थी, जो राजकोषीय वर्ष 2023 में 8.74% बढ़कर 10,150.90 करोड़ रुपये हो गई है, इसका प्राथमिक कारण उत्पादन में वृद्धि, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व में वृद्धि, राजकोषीय वर्ष 2023 में अन्य आय में कमी को आंशिक रूप से पूरा करके अन्य प्रचालनात्मक आय में होना है।

ऊर्जा की बिक्री

कंपनी की आय का प्रमुख स्रोत बड़े ग्राहकों को विद्युत की बिक्री से है, जो मुख्यतः दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों के अनुसरण में राज्य सरकारों/निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी से है। विद्युत की दर का निर्धारण सीईआरसी द्वारा पावर स्टेशन–वार निर्धारित की जाती है। सीईआरसी ने दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या एल–1/236/2018/सीईआरसी के तहत टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए टैरिफ अधिसूचना जारी की है और समय–समय पर आगे संशोधन किए गए। सीआरसी द्वारा वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ के लंबित अनुमोदन के चलते पावर स्टेशनों की बिक्रियों को उक्त टैरिफ अधिसूचना के अनुसार और सीईआरसी टैरिफ नियम 2019–24 के अनुसार पावर स्टेशनों की पूंजी लागत के लिए अनंतिम रूप से मान्य किया गया है।

उक्त विनियमों में अन्य के साथ–साथ यह प्रावधान है कि टैरिफ याचिकाएं दायर करने के प्रयोजन के लिए टैरिफ के एक घटक इक्विटी रिटर्न (आरओई) को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर का प्रयोग करते हुए जोड़ा जाना है। बिक्रियों को मान्य करने के प्रयोजन के लिए, आरओई को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रभावी कर दर का प्रयोग करते हुए जोड़ा जाना है।

टैरिफ विनियमों में प्रोत्साहनों के लिए भी प्रावधान है, जिसमें सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता (एनएपीएएफ) से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक हासिल करने पर प्रोत्साहन, संयंत्र की डिजाइन ऊर्जा (द्वितीयक ऊर्जा) से अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और जहां कंपनी का पावर स्टेशन ग्रिड स्थायित्वता को बनाए रखने के लिए योगदान देता है, वहां अनिर्धारित प्रभारों के माध्यम से प्रोत्साहन शामिल है।

इन बिक्रियों में जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित पावर स्टेशनों के संबंध में जल उपकर के संबंध में प्रतिपूर्ति शामिल है।

राजकोषीय वर्ष 2022 में, संस्थापित 5551 मेगावाट क्षमता से 24494 मिलियन यूनिट (वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पार्बती-II जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 361 मिलियन यूनिट अनिश्चित विद्युत को छोड़कर) के निमित्त 5551 मेगावाट क्षमता में से राजकोषीय वर्ष 2023 में 24619 मिलियन यूनिट विद्युत (वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पार्बती-II जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 288 मिलियन यूनिट अनिश्चित विद्युत को छोड़कर) उत्पादित की गई। तद्नुसार, उत्पादित यूनिटों की संख्या में 0.51% की वृद्धि थी। राजकोषीय वर्ष 2022 में बिक्री की गई 21,516 मिलियन यूनिटों के लिए 3.67 रुपये प्रति यूनिट की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में बेची गई 21,654 मिलियन यूनिटों के लिए औसत बिक्री कीमत (विगत वर्ष की बिक्री के घटकों और गृह राज्य के लिए निःशुल्क विद्युत को समायोजन करने के बाद) 3.97 रुपये प्रति यूनिट थी। राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान, राजकोषीय वर्ष 2022 में 750.28 करोड़ रुपये की तुलना में प्रोत्साहन के निमित्त 675.68 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं।

मुख्यतः पावर स्टेशनों में अधिक उत्पादन के कारण ऊर्जा की बिक्री राजकोषीय वर्ष 2022 के 7,451.55 करोड़ रुपये से 12.79% बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2023 में 8,404.65 करोड़ रुपये हो गई है, जिसका प्रथामिक कारण पावर स्टेशनों में अधिक उत्पादन होना, प्रभावी कर दर में वृद्धि होना और विगत वर्षों के संबंध में बिक्रियां बढ़ना रहा है। कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) राजकोषीय वर्ष 2022 में 88.19% की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में 88.75% था। राजकोषीय वर्ष 2023 के लिए संयंत्र उपलब्धता कारक सामान्य वार्षिक पीएएफ 77.35% की तुलना में 14.74% अधिक था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व में विगत वर्षों के संबंध में, लेकिन जिसमें वर्तमान वर्ष में मान्य की गई बिक्रियां शामिल हैं और इनमें ऐसे पांच पावर स्टेशनों की बिक्री शामिल नहीं है, जिनकी ऊर्जा की बिक्री अब इंड एएस–116–पट्टों के संदर्भ में प्रचालनरत/वित्त पट्टे के रूप में लेखांकित की गई है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार सामान्य ऋणों के अनुरुप ब्याज भुगतानों और ऋण अदायगी के संबंध में विनियम दर भिन्नता, जो स्टेशनों/यूनिटों के टैरिफ के लिए मानी गई थी, ऋणों और उन पर ब्याज की अदायगी पर लाभार्थियों से/को भुगतान/वसूल की जानी थी। आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्श समिति की राज्य के अनुसरण में, वास्तविक निपटान पर बाद में ग्राहकों को/से भुगतान/वसूलने योग्य और बैलेन्स शीट की तारीख को विदेशी मुद्रा ऋणों के विवरणों पर विदेशी विनिमय दर भिन्नता को लाभ व हानि के विवरणों में उसे समायोजित करने की बजाए खातों में एक आस्थगित देनदारी/परिसंपत्ति सृजित करके शामिल किया है।

वर्ष दर वर्ष तुलना के प्रयोजन के लिए, विगत वर्ष की बिक्रियों का प्रभाव ऊर्जा की बिक्रियों से अलग किया गया है ताकि ऊर्जा की समायोजित बिक्रियां की जा सकें।

ऐसे समाायोजनों के बाद ऊर्जा की बिक्री से राजस्व इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपये में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
निवल बिक्रियां (5 पावर स्टेशनों के संबंध में पट्टों के रूप में आय सहित)	**9,124.85**	**8,180.57**
घटाएंः विगत वर्षों की बिक्रियां	532.55	288.68
ऊर्जा की समायोजित बिक्रियां	**8,592.30**	**7,891.89**

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में निर्माण अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी अनुबंधों के संबंध में कार्यों से प्राप्त राजस्व शामिल है। इन कार्यों में मुख्यतः चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड, जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड और रत्ले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में परामर्शी कार्य शामिल हैं। अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से आय राजकोषीय वर्ष 2022 में 46.16 करोड़ रुपये से 32.02% बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2023 में 60.94 करोड़ रुपये हो गई, जो राजकोषीय वर्ष 2023 में परामर्शी कार्यों में वृद्धि होने के कारण थी।

विद्युत व्यापार से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में विद्युत व्यापार क्रियाकलाप से राजस्व शामिल है, जिन्हें कंपनी ने राजकोषीय वर्ष 2019 के दौरान शामिल किया था। विद्युत व्यापार से राजस्व राजकोषीय वर्ष 2022 में 0.27 करोड़ रुपये से बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2023 में 4.60 करोड़ रुपये हो गया, जो राजकोषीय वर्ष 2023 में विद्युत व्यापार क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण था। इस क्रियाकलाप के अंतर्गत आय निवल व्यापार मार्जिन आधार पर बुक की गई थी। राजकोषीय वर्ष 2023 में, कंपनी ने डिस्कॉमों के साथ कंपनी द्वारा किए गए/किए जा रहे विद्युत व्यापार अनुबंधों में प्रमुख–एजेंट संबंध की एक समीक्षा की है। ऐसे मूल्यांकनों और बाहरी परामर्शदाताओं से राय के आधार पर, यह आकलन किया गया था कि राजकोषीय वर्ष 2023 और राजकोषीय वर्ष 2022 में विद्युत के व्यापार के लिए किए जा रहे अनुबंधों के मामले में, कंपनी ने एक एजेंट के रूप में क्षमता से कार्य किया और तदनुसार, विद्युत के व्यापार से राजस्व को, ग्राहक को प्रदत्त विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद कंपनी द्वारा निव आय के रूप में मान्य किया गया था।

अन्य प्रचालनात्मक आय

अन्य प्रचालनात्मक आय राजकोषीय वर्ष 2023 में 125.95 करोड़ रुपये थी अर्थात राजकोषीय वर्ष 2022 में 82.22 करोड़ रुपये की तुलना में 53.19% की वृद्धि हुई। अन्य प्रचालनात्मक आय के घटक इस प्रकार हैंः

(करोड़ रुपये में)

अन्य प्रचालनात्मक आय	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
स्व–सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय (+)	0.00	52.70
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	3.68	3.61
लाभार्थी राज्यों से ब्याज	122.27	25.91
कुल	**125.95**	**82.22**

($) राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान कार्बन क्रेडिट की बिक्री नहीं की गई थी।

अन्य आय

अन्य आय राजकोषीय वर्ष 2022 में 1026.18 करोड़ रुपये से 18.67% तक कम होकर राजकोषीय वर्ष 2023 में 834.56 करोड़

रुपये थी। अन्य आय के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं और उन पर निम्नानुसार चर्चा की गई हैः

(करोड़ रुपये में)

अन्य आय	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	72.26	66.30
सावधि जमा/निवेशों पर ब्याज	73.92	59.85
लाभांश (मुख्यतः एनएचडीसी–एक सहायक कंपनी से)	376.85	301.71
विलंब भुगतान अधिभार	53.41	229.00
कारोबार में रुकावट के कारण बीमा कंपनी से हानि की वसूली	42.14	161.86
देयताएं/प्रावधान, जिन्हें पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं	31.06	28.13
बीमा दावे से आय	19.33	21.34
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि के समापन पर ब्याज	63.87	0.00
विनिमय दर भिन्नता	0.50	49.28
अन्य विविध आय	101.22	108.71
कुल	**834.56**	**1026.18**

राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान, 53.41 करोड़ रुपये लाभार्थियों से विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के रूप में अर्जित किए गए, जो राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान 229 करोड़ रुपये था। एलपीएस के कारण कम आय वर्तमान राजकोषीय वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य की बेहतर वसूली के कारण है।

राजस्व वर्ष 2023 के दौरान, मुख्यतः सहायक कंपनी (एनएचडीसी लि.) से निवेशों से लाभांश के रूप में 376.85 करोड़ रुपये अर्जित किए गए, जबकि राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान यह राशि 301.71 करोड़ रुपये थी।

व्यय

(करोड़ रुपये में)

व्यय	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
उत्पादन व्यय	936.46	841.24
कर्मचारी लाभ व्यय	1,301.35	1,440.78
वित्त लागत	476.16	531.75
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,145.44	1,126.22
अन्य व्यय	1,707.89	1,348.55
कुल व्यय	**5,567.30**	**5,288.54**

राजकोषीय वर्ष 2023 में कुल व्यय 5.27% बढ़कर 5,567.31 करोड़ रुपये हो गया, जो राजकोषीय वर्ष 2022 में 5,288.54 करोड़ रुपये था, यह मुख्यतः 95.22 करोड़ रुपये तक उत्पादन व्यय में वृद्धि, 19.22 करोड़ रुपये तक मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय में वृद्धि, 55.59 करोड़ रुपये तक वित्त लागत में कमी करके आंशिक रुप से पूरा करते हुए 359.34 करोड़ रुपये तक अन्य व्यय में वृद्धि और 139.43 करोड़ रुपये तक कर्मचारी हितलाभ व्ययों में कमी के कारण थी। कुल आय की प्रतिशत के रूप में हमारा कुल व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में 56.65% की तुलना में राजस्व वर्ष 2023 में 54.85% था।

उत्पादन व्यय

उत्पादन व्यय में जल उपकर तथा भंडार एवं कलपुर्जों के उपभोग पर व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2023 में कुल व्यय का लगभग 16.82 प्रतिशत थे जबकि व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में यह कुल व्यय का लगभग 15.91 प्रतिशत था। वास्तविक रूप में ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में 841.24 करोड़ रूपये की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में 936.46 करोड़ रूपये हो गए थे। उत्पादन व्यय में 95.22 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कुछ पावर स्टेशनों पर राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान जल उपकर लगाए जाने के कारण हुई है।

कर्मचारी हितलाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय में वेतन व मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में योगदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवार्षता योजना में अंशदान, वेतन संशोधन का प्रभाव और अन्य कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में 27.24 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में हमारे कुल व्यय का 23.37 प्रतिशत हैं। कर्मचारी लागत राजकोषीय वर्ष 2022 में 1,440.78 करोड़ रूपए से घटकर राजकोषीय वर्ष 2023 में 1,301.35 करोड़ रूपये हो गई है अर्थात राजकोषीय वर्ष 2023 में 139.43 करोड़ रूपए की कमी हुई है। यह कमी मुख्यतः राजकोषीय वर्ष 2022 में प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा किए गए कुछ निवेशों की क्षति होने पर मान्य किए गए और राजकोषीय वर्ष 2023 में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के प्रभाव के कारण है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी की वेतनपंजी में 4776 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 5092 थी। इनमें से राजकोषीय वर्ष 2023 और राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान पावर स्टेशनों के प्रचालन एवं रखरखाव में क्रमशः 2428 और 2694 कर्मचारी कार्यरत थे।

वित्त लागत

''वित्त लागत'' में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को भारतीय रुपये में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा (जापानी येन) के उधार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त लागत में

विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए भारत सरकार को गारंटी शुल्क के तौर पर खर्च की गई कुछ राशि भी शामिल होती है।

वित्त लागत राजकोषीय वर्ष 2023 में कुल व्यय का 8.55 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में यह कुल व्यय का 10.05 प्रतिशत था। वित्त लागत राजकोषीय वर्ष 2022 में 531.75 करोड़ रूपये से 10.45 प्रतिशत कम होकर राजकोषीय वर्ष 2023 में 476.16 करोड़ रूपये हो गई। वित्त लागत में कमी मुख्य रूप से राजकोषीय 2023 में ऋणों की चुकौती और भारित औसत ब्याज दर में परिवर्तन के कारण हुई है।

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है और इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 07.03.2019 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और प्रविधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवादस्वरुप कुछ ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों की लागत के 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विहित दरों या प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यह्रास की लागत में राजकोषीय वर्ष 2022 में 1,126.22 करोड़ रूपए की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में 1.71 प्रतिशत बढ़कर 1,145.44 करोड़ रूपए हो गई है। मूल्यह्रास व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से पावर स्टेशनों में अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में 21.30 प्रतिशत से कम होकर राजकोषीय वर्ष 2023 में 20.57 प्रतिशत हो गया है।

अन्य व्यय

अन्य व्ययों में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, सीएसआर, अन्य प्रशासनिक ऊपरी खर्चे, प्रावधान आदि शामिल है। ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में कुल व्यय के 25.50 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में लगभग 30.68 प्रतिशत को दर्शाते हैं। पूर्ण संदर्भ में, ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में 1,348.55 करोड़ रूपये से 26.65 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2023 में 1,707. 89 करोड़ रूपये हो गए हैं। अन्य खर्चों में 359.34 करोड़ रूपये की वृद्धि मुख्य रूप से सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश की क्षति के लिए प्रावधान, वित्तीय परिसंत्तियों पर उचित मूल्य हानि, परिसंत्तियों पर हुई हानि, सीएसआर व्यय, लाभार्थी राज्यों को ब्याज, यात्रा और परिवहन व्यय, बीमा व्यय में आंशिक रुप से कमी करके पूरा किए गए सुरक्षा व्यय आदि में वृद्धि के कारण थी।

विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (विनियामक आय)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन ''संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एएस 114–विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ''विनियामक परिसंपत्तियां'' को सृजित किया गया है और तदनुरूपी ''विनियामक आय'' के रूप में (–)144.41 करोड़ रूपये को मान्यता दी गई है। इसमें किशनगंगा पावर स्टेशन 199.36 करोड़ रूपये, मौद्रिक मदों के प्रति विनिमय अंतर 1.10 करोड़ रूपये, वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन (–)56.09 करोड़ रूपये और टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन (–)215.98 करोड़ रूपये, तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन के लिए (–)462.87 करोड़ रूपये, ऐसे पावर स्टेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ बातचीत के आधार पर तय किया गया है, लाभार्थियों को प्रत्यावर्तित एमएटी क्रेडिट के लिए विनियामक देयता 390.07 करोड़ रुपये पर मान्य की गई है, के संबंध में टैरिफ के समायोजन के कारण मूल्यह्रास शामिल है। दर विनियमित आय को राजकोषीय वर्ष 2023 में नीचे उल्लिखित पांच कारकों के चलते लेखाबहियों में मान्य किया गया है:

(i) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ को मन्द किए जाने के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष

कंपनी ने किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यह्रास को मन्द किया है ताकि टैरिफ को बिक्री योग्य बनाया जा सके जिसकी सीईआरसी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इससे कंपनी पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल में प्रचालन के पहले दस वर्षों के दौरान टैरिफ में शामिल किए गए निम्नतर मूल्यह्रास की वसूली के लिए पात्र बनती है। तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के मध्य अंतर की वसूली का अधिकार है और राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान 199.36 करोड़ रूपये (राजकोषीय वर्ष 2022 में 198.35 करोड़ रूपये) की टैरिफ राशि के माध्यम से वसूलीयोग्य राशि को विनियामक आय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष

लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित की गई की सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर और जो आगे सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य है अथवा उन्हें देय है, उन्हें 1 अप्रैल, 2016 से ''विनियामक आस्थगित लेखा शेष'' के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन

(सीओडी) के पश्चात लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हों।

तदनुसार, कंपनी ने भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान (–)1.10 करोड़ रूपए (राजकोषीय वर्ष 2022 में 0.17 करोड़ रूपये) की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता प्रदान की है।

(iii) आस्थगित कर देयताओं के प्रति प्राप्ति योग्य विलंबित कर/विलंबित कर समायोजन के पुनर्वर्गीकरण के कारण देय विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए उत्पादक आय से उत्पन्न होने वाले विलंबित कर को वर्ष में लाभग्राहियों से वसूला जाना होता है और यह वर्तमान कर के रूप में मूर्तरूप में आता है। टैरिफ अवधि 2014–19 और 2019–24 हेतु विलंबित कर अदा किए गए वास्तविक कर पर आधारित प्रभावी कर दर द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देकर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक भविष्य के वर्षों में लाभग्राहियों से वसूली योग्य विलंबित कर को विलंबित कर देयता का एक समायोजन माना गया था।

इस प्रक्रिया की समीक्षा राजकोषीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (आईसीएआई की एईसी) के मत के आधार पर की गई है। ऐसा विलंबित लेखा शेष जो आईसीएआई की एईसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जो इंड एएस 12 – आयकर के अंतर्गत विलंबित कर परिसंपत्ति में परिणत होता हो बल्कि इंड एएस 114 – विनियामक विलंबित लेखे के संदर्भ में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा को पूरा करता हो।

राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान बहियों में मान्यता प्राप्त विनियमित परिसंपत्तियों (+)/देयता (–) निम्नानुसार हैः

टैरिफ अवधि 2009 तक के लिए प्राप्य के आस्थगित कर के संबंध में 56.09 करोड़ रूपए का उपयोग राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान किया गया है (राजकोषीय वर्ष 2022 – 49.52 करोड़ रूपए) तथा आस्थगित कर देयताओं (टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित) के निमित्त आस्थगित कर समायोजन के संबंध में (–)215.98 करोड़ रुपये उन पावर स्टेशनों के संबंध में विनियामक आय से समायोजित किए गए हैं जहां वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान लाभार्थियों के साथ बातचीत के आधार पर टैरिफ तय किया गया है (राजकोषीय वर्ष 2022 – 10.72 करोड़ रूपए)।

(iv) सीपीएसयू के वेतन संशोधन के लिए तीसरी पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष का सृजन

दिनांक 01 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन होने के कारण पावर स्टेशनों के संबंध में उत्पन्न व्यय की मदों के संबंध में दर विनियमित आय भी सृजित की गई है, जो दर विनियमित क्रियाकलापों और सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2014–19 संबंधी आईसीएआई के मार्गदर्शन नोट के साथ पठित इंड एएस 114 के अनुसार यथाअनुमत है।

कंपनी की लाभप्रदता पर उपर्युक्त के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए और विगत में सीईआरसी द्वारा यथाअनुमत के अनुसार कंपनी ने दिनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि तक वेतन संशोधन के संबंध में व्यय के लिए विनियामक परिसंपत्तियां सृजित की हैं। इन शेष राशियों को उस वर्ष से समायोजित किया जाना है, जिसें वे सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूलनीय बनी थीं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में दो पावर स्टेशनों के संबंध में 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ को ठीक करने हेतु याचिका आदेश प्राप्त हुआ था। तद्नुसार, आरडीए शेष की 116.53 करोड़ रुपये की राशि राजकोषीय वर्ष 2022 में पीएंडएल के माध्यम से समायोजित की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में, शेष पावर स्टेशनों के संबंध में 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ की ट्रूइंग–अप हेतु याचिका आदेश प्राप्त हुआ है। तदनुसार, राजकोषीय वर्ष 2023 में आरडीए शेष की 462.87 करोड़ रुपये की राशि पी एंड एल के माध्यम से समायोजित की गई है।

(v) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और उस पर विनियामक आस्थगित लेखा (ऋण) शेष का मान्यकरण

वर्तमान में एनएचपीसी मुख्यतः दिनांक 31.03.2017 से पूर्व चालू हुए पावर स्टेशनों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–Iए के तहत कटौती का दावा करने के कारण एमएटी के तहत आयकर देयताओं का भुगतान कर रही है।

राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान, 2,424.58 करोड़ रुपये के उपलब्ध एमएटी ऋण में से कंपनी ने एमएटी के रूप में 1,478.62 करोड़ रुपये की राशि मान्य की है, जिसमें से 1,313.27 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दिए जाने थे। तद्नुसार, लाभार्थियों को दिए जाने वाले एमएटी ऋण को आगे विनियामक आस्थगित लेखा (ऋण) शेष के रूप में मान्य किया गया था।

राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान, 417.30 करोड़ रुपये का मैट क्रेडिट मान्य किया गया है और 328.93 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। साथ ही, 125.59 करोड़ रुपये का विनियामक आस्थगन लेखा (क्रेडिट) शेष मान्य किया गया है है और इसका वर्ष के दौरान उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि पावर स्टेशनों के संबंध में, टैरिफ लाभार्थियों के साथ बातचीत के आधार पर तय किया गया है, 390.07 करोड़ रुपये की विनियामक देयता होने के कारण समायोजित किया गया है।

कर–पूर्व लाभ और दर विनियमित आय

ऊपर दिए गए कारणों के चलते हमारा कर पूर्व लाभ राजकोषीय वर्ष 2022 में 4,046.86 करोड़ रूपये से 13.26 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2023 में 4,583.60 करोड़ रूपये हो गया है।

कर व्यय

राजकोषीय वर्ष 2023 में, हमने कर व्ययों हेतु 605.40 करोड़ रूपये प्रदान किए थे, जबकि राजकोषीय वर्ष 2022 में यह राशि (–)761.27 करोड़ रूपये थी। राजकोषीय वर्ष 2023 में कर व्ययों में वृद्धि 1332.18 करोड़ रूपये के आस्थगित कर व्यय में वृद्धि और वर्तमान वर्ष के करों में 34.49 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण है।

दर विनियमित आय सहित कर पश्चात लाभ

हमारा कर पश्चात लाभ राजकोषीय वर्ष 2022 के 3,537.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 8.37% बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2023 में 3,833.79 करोड़ रुपये हो गया।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

ओसीआई में सेवानिवृत्ति पश्चात निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन का बीमांकिक लाभ/हानि शामिल है और इक्विटी तथा ऋण लिखतों में उचित मूल्य लाभ/हानि राजकोषीय वर्ष 2022 में 12.76 करोड़ रूपये की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में (–)3.37 करोड़ रूपये थे।

कुल व्यापक आय (टीसीआई)

टीसीआई अर्थात ओसीआई सहित कुल लाभ राजकोषीय वर्ष 2022 में 3,550.47 करोड़ रूपये था, जो राजकोषीय वर्ष 2023 में 7.88 प्रतिशत बढ़कर 3,830.42 करोड़ रूपये था।

नकदी तथा पूंजी संसाधन

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रूपये या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2023 तथा 2022 की स्थिति के अनुसार नकदी तथा बैंक शेष क्रमशः 382.67 करोड़ रूपये और 937.78 करोड़ रूपये थे।

नकदी प्रवाह

(करोड़ रुपये में)

	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अंतर्वाह/(बर्हिवाह)	3,893.85	4,258.62
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी अंतर्वाह/(बर्हिवाह)	(2,929.30)	(2,990.17)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नक़दी अंतर्वाह/(बर्हिवाह)	(1,519.66)	(476.24)

प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2023 में प्रचालनरत क्रियाकलापों से निवल नकदी 3,893.85 करोड़ रूपये थी तथा कर पूर्व लाभ तथा विनियामक आय 4,583.60 करोड़ रूपये थी। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1,145.44 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास, 476.16 करोड़ रूपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 148.52 करोड़ रूपये, एफईआरवी के खाता पर बिक्री समायोजनों के प्रति 32.47 करोड़ रूपये, परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते दावों पर हानि के लिए 1.36 करोड़ रुपये, उचित मूल्य समायोजन के लिए 93.45 करोड़ रुपये, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 50.42 करोड़ रूपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 31.06 करोड़ रूपये, लाभांश आय के कारण 376.85 करोड़ रूपये, विलंबित भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय गारंटी शुल्कों के प्रति 233.65 करोड़ रूपये, विनिमय दर भिन्नता (लाभ) के प्रति 0.50 करोड़ रूपये, सरकारी अनुदानों के परिशोधन के लिए 33.20 करोड़ रूपये जैसी गैर–नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी बहिर्वाह पर 1070.33 करोड़ रूपये का प्रभाव हुआ है जो माल–सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य वित्तीय देयताओं और प्रावधानों एवं विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

राजकोषीय वर्ष 2022 में, प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 4,258.62 करोड़ रूपये और कर पूर्व लाभ तथा विनियामक आय से पूर्व लाभ 4,046.86 करोड़ रूपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1,126.22 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास, 531.75 करोड़ रूपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 42.54 करोड़ रूपये, टैरिफ समायोजन (हानि) के लिए 34.70 करोड़ रुपये, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 44.02 करोड़ रूपये, परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्चलेखन किए गए दावों के प्रति 12.55 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 48.25 करोड़ रूपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 28.13 करोड़ रूपये, लाभांश आय के कारण 301.71 करोड़ रूपये, विलंबित भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय गारंटी शुल्कों के प्रति 384.34 करोड़ रूपये, विनिमय दर भिन्नता (लाभ) के लिए 49.28 करोड़ रुपये, उचित मूल्य समायोजन के लिए 0.40 करोड़ रूपये, सरकारी अनुदानों के परिशोधन के लिए 33.20 करोड़ रूपये सहायक कंपनियों से परामर्शी शुल्कों के समायोजन के लिए 2.04 करोड़ रुपये जैसी गैर–नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी बहिर्वाह पर 1.95 करोड़ रूपये का प्रभाव हुआ है जो माल–सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य वित्तीय देयताओं और प्रावधानों एवं विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2023 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 2,929.30 करोड़ रूपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों, सीडब्ल्यूआईपी तथा परियोजना लागत के भाग के रुप में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के लिए 2,763.81 करोड़ रुपये, संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 107.94 करोड़ रूपये, सहायक कंपनियों में निवेश के प्रति 530.60 करोड़ रूपए, सावधि जमा में निवेश के प्रति 14.28 करोड़ रूपए और सहायक कंपनियों को ऋण के निमित्त 60.00 करोड़ रूपए के व्यय को दर्शाता है जिसमें 166.27 करोड़ रुपये तक विलंबित भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय और गारंटी शुल्क, लाभांश आय के प्रति 376.85 करोड़ रूपये, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण पर ब्याज के प्रति 2.82 करोड़ रुपये तथा परिसंपत्तियों की बिक्री पर 1.39 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

राजकोषीय वर्ष 2022 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 2,990.17 करोड़ रूपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों, सीडब्ल्यूआईपी तथा परियोजना लागत के भाग के रुप में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन के लिए 2,997.93 करोड़ रुपये, संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 451.56 करोड़ रूपये तथा सहायक कंपनियों में निवेश के प्रति 744.18 करोड़ रूपए के व्यय को दर्शाता है जिसमें 329.78 करोड़ रुपये तक विलंबित भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय और गारंटी शुल्क, लाभांश आय के प्रति 301.71 करोड़ रूपये, सावधि जमाओं से ब्याज के प्रति 569.04 करोड रुपये, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण पर ब्याज के प्रति 0.19 करोड़ रुपये तथा परिसंपत्तियों की बिक्री पर 2.78 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2023 में, वित्तपोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी प्रवाह 1,519.66 करोड़ रूपये थी। बांड जारी करके और बैंकों से ऋण के जरिए 3,972.37 करोड़ रूपये जुटाए। 1,898.66 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया। पट्टा देयता और ब्याज के पुनर्भुगतान के कारण हमारा नकदी बहिर्वाह 3.29 करोड़ रूपये था। ब्याज भुगतान से संबंधित राशि 1,681.52 करोड़ रूपये थी। राजकोषीय वर्ष 2023 में कुल लाभांश 1,908.56 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

राजकोषीय वर्ष 2022 में, वित्तपोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी प्रवाह 476.24 करोड़ रूपये थी। बांड जारी करके और बैंकों से ऋण के जरिए 4,114.26 करोड़ रूपये जुटाए। 1,398.18 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया। पट्टा देयता और ब्याज के पुनर्भुगतान के कारण हमारा नकदी बहिर्वाह 3.80 करोड़ रूपये था। ब्याज भुगतान से संबंधित राशि 1,521.05 करोड़ रूपये थी। राजकोषीय वर्ष 2022 में कुल लाभांश 1,667.48 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

तुलन पत्र की मदें

तुलन पत्र की मुख्य बातें

परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2023	2022
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार, निवेश परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति	45,383.31	41,389.11
गैर–वर्तमान निवेश	5,546.96	5,414.34
व्यापार प्राप्य	399.45	0.00
दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	1,089.80	1,017.59
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,547.09	4,502.78
गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	30.27	9.52
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	3,602.77	3,753.96
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	**60,599.65**	**56,087.30**
वर्तमान परिसंपत्तियां		
मालसूची	150.48	130.30
वर्तमान निवेश	151.35	0.00
व्यापार प्राप्य	5,487.59	4,621.48
नकदी और बैंक शेष	638.22	1,160.71
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	114.59	55.68
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	614.32	731.73
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	132.83	123.17
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	405.97	441.14
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	**7,695.35**	**7,264.21**
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	6,420.12	6,948.11
कुल परिसंपत्तियां और विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	**74,715.12**	**70,299.62**

इक्विटी और देयताएं

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2023	2022
इक्विटी		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,045.03
अन्य इक्विटी	25,362.93	23,441.07
निवल मूल्य	**35,407.96**	**33,486.10**
गैर–वर्तमान देयताएं		
दीर्घावधिक ऋण	25,254.69	23,166.61
पट्टा देयताएं	11.70	12.88
अन्य वित्तीय देयताएं	2,143.07	2,088.04
दीर्घावधिक प्रावधान	50.92	48.05

विवरण	31 मार्च को	
	2023	2022
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	1,937.34	2,100.74
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	1,944.56	2,026.16
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	**31,342.28**	**29,442.48**
वर्तमान देयताएं		
अल्पावधि ऋण	2,885.65	2,848.76
पट्टा देयताएं	2.39	2.27
व्यापार देय	215.45	189.57
अन्य वित्तीय देयताएं	1,541.05	1,370.72
अन्य वर्तमान देयताएं	734.91	510.70
अल्पावधिक प्रावधान	1,662.23	1,135.75
कुल वर्तमान देयताएं	**7,041.68**	**6,057.77**
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	923.20	1,313.27
कुल इक्विटी, देयताएं और विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	**74,715.12**	**70,299.62**

वित्तीय स्थिति

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई), प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), परिसंपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू), निवेश परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति

हमारे पीपीई जिसमें भूमि, बांध, सुरंग, पावर हाउस भवन, निर्माण उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपस्कर, कंप्यूटर आदि सहित भवन शामिल हैं, मूल्यह्रास एवं परिशोधन के लिए प्रावधान के बाद 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 17,435.03 करोड़ रूपये और 19,024.55 करोड़ रूपये थे।

हमारी विद्युत परियोजनाओं पर प्रगतिशील पूंजीगत कार्य जिसमें हाइड्रोलिक कार्य, हमारी विद्युत परियोजनाओं में विद्युत गृह भवन, निर्माण उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी और एस एंड आई कार्यों सहित भवन शामिल है, 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 25,315.01 करोड़ रूपये और 20,573.84 करोड़ रूपये थे।

उपयोग अधिकार के तहत वन भूमि सहित आरओयू और अन्य पट्टे की संपत्ति 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 2,625.70 करोड़ रूपये और 1,783.12 करोड़ रूपये थी।

निवेश संपत्ति में बंगलौर में 4.49 करोड़ रुपये राशि का एक भूखंड शामिल है।

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्तियां क्रमशः 3.08 करोड़ रूपये और 3.11 करोड़ रूपये थी।

निवेश (वर्तमान और गैर–वर्तमान)

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर वहन किया जाता है जिनमें सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्डों में इक्विटी निवेश शामिल होता है। 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को हमारा कुल निवेश क्रमशः 5,698.31 करोड़ रुपये और 5,414.34 करोड़ रुपये था। निवेश में वृद्धि सहायक कंपनियों में निवेश और इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के उचित मूल्य में वृद्धि का निवल प्रभाव है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने सहायक कंपनियों में 417.63 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है। कंपनी ने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) में किए गए निवेश के संबंध में 105.56 करोड़ रुपये और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) में किए गए निवेश के संबंध में 30.40 करोड़ रुपये का पूर्ण क्षति प्रावधान भी किया है।

ऋण (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

ऋणों में हमारे कर्मचारियों को और अरूणाचल प्रदेश सरकार, लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल), एवं नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) को प्रदान किए गए ऋण ब्याज सहित शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ऋण क्रमशः 1,204.39 करोड़ रूपये और 1,073.27 करोड़ रूपये थे अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में इसमें 12.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान अरूणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण वृद्धि, एलटीएचपीएल को ऋण और कर्मचारी ऋणों में वृद्धि के कारण है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 5,161.41 करोड़ रूपये है जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 5,234.51 करोड़ रुपये थी अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष के आकड़ों से 1.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के कारण प्राप्य राशि, प्राप्य पट्टा किराया, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावा, शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन और सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य शामिल है।

कर परिसंपत्तियां (वर्तमान एवं गैर–वर्तमान)

31 मार्च, 2023 तथा 2022 के अनुसार कर परिसंपत्तियां क्रमशः 163.10 करोड़ रूपये तथा 132.69 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों से 22.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर परिसपंत्तियों में अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 तक वर्तमान कर के लिए उपरोक्त प्रावधान शामिल है।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां, अग्रिम (पूंजी के साथ–साथ पूंजी के अलावा अन्य) और माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार के अग्रिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 तथा 2022 के अनुसार हमारी अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 3,602.77 करोड़ रूपये तथा 3,753.96 करोड़ रूपये थी। राजकोषीय वर्ष 2022 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में 4.03% की कमी मुख्य रूप से माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार को पूंजीगत अग्रिमों में कमी और आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव वाली परिसंपत्तियों में कमी, अग्रिम में वृद्धि के आंशिक रूप से समायोजन के कारण हुई है।

माल–सूची

माल–सूचियों का मूल्यांकन लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2023 और 2022 के अनुसार हमारी माल–सूचियों का मूल्य क्रमशः 150.48 करोड़ रुपये और 130.30 करोड़ रुपये आंका गया था।

व्यापार प्राप्य (वर्तमान एवं गैर–वर्तमान)

इसमें मुख्यतः विद्युत की बिक्री और बिल न किए गए राजस्व वाली प्राप्तियाँ शाामिल हैं। इसमें बिल 31 मार्च, 2023 और 2022 को प्राप्य व्यापार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) क्रमशः 5,887.04 करोड़ रुपये और 4,621.48 करोड़ रुपये थे। राजकोषीय वर्ष 2022 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2023 में व्यापार प्राप्य में 27.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बिल न किए गए राजस्व के संबंध में प्राप्य और जो प्राप्य देय नहीं हैं, उसमें वृद्धि के कारण है।

नकदी और बैंक शेष

तुलन–पत्र की तिथि को नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि और 2000 मेगावाट स्कीम के अंतर्गत प्राप्त भुगतान सुरक्षा निधि के रुप में धारित राशि शामिल है।

31 मार्च, 2023 और 2022 को कंपनी के पास नकदी और बैंक शेष के रूप में क्रमशः 382.67 करोड़ रुपये और 937.78 करोड़ रुपये थे। राजकोषीय वर्ष 2023 के दौरान इसमें 555.11 करोड़ रुपये की कमी प्रचालन क्रियाकलापों में 3,893.85 करोड़ रूपए के नकदी अंतर्वाह के कारण हुई है जिसे निवेश क्रियाकलापों तथा वित्त–पोषण क्रियाकलापों के कारण क्रमशः 2,929.30 करोड़ रूपए और 1,519.66 करोड़ रूपए के नकदी बहिर्वाह से समायोजित किया गया है।

नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष 31 मार्च, 2023 और 2022 को क्रमशः 255.55 करोड़ रूपए और 222.93 करोड़ रुपये थे।

हमारे नकदी तथा बैंक शेष में अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किये जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए 84.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 86.76 करोड़ रुपये), 2000 मेगावाट स्कीम के अंतर्गत प्राप्त भुगतान सुरक्षा निधि के रुप में धारित 16.30 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं और इसमें 154.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 136.17 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश, अदा न किया गया ब्याज तथा अन्य निर्धारित शेष शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त जमा तथा अग्रिम, पूर्व प्रदत्त व्यय और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां शामिल है। 31 मार्च, 2023 तथा 2022 को हमारी अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 405.97 करोड़ रुपये और 441.14 करोड़ रुपये की थी, अर्थात राजकोषीय वर्ष 2022 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में 7.97ः की कमी हुई है, जो मुख्य रूप से संविदाकारों को सामग्री समस्या के कारण प्राप्य और जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्राप्य में कमी के कारण है।

विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन'' संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एएस 114–विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ''विनियामक परिसंपत्तियां'' को सृजित किया गया है और तदनुरूपी ''विनियामक आय'' को मान्यता दी गई है।

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की यथास्थिति अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष निम्नवत थे:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष	3,470.59	3,470.59
तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	0.00	456.38
किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ को मंद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यह्रास	960.82	761.46
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	2.65	1.55
2009 तक की अवधि के लिए वसूलीयोग्य विलंबित कर के प्रति समायोजन	1,347.95	1,404.04
टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	638.11	854.09
कुल	**6,420.12**	**6,948.11**

निवल मूल्य

राजकोषीय वर्ष 2023 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले राजकोषीय वर्ष के 33,486.10 करोड़ रूपये से 5.74 प्रतिशत बढ़कर 35,407.96 करोड़ रूपये हो गया है जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण है।

दीर्घावधिक उधारियां

दीर्घावधिक उधारियों में राजकोषीय वर्ष 2023 में बांड, प्रतिभूतित सावधि ऋण और अप्रतिभूतित ऋण (बांड, सावधि ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण) के क्रमशः 13,099.23 करोड़ रुपये, 5,313.60 करोड़ रुपये और 6841.86 करोड़ रुपये शामिल हैं

जबकि राजकोषीय वर्ष 2022 में ये क्रमशः 14,517.90 करोड़ रुपये, 2,658.00 करोड़ रुपये और 5,990.71 करोड़ रुपये थे। प्रतिभूतित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ–साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रति प्रतिभूतित हैं।

पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 9.00 प्रतिशत की सीमा तक दीर्घावधि ऋण में वृद्धि मुख्यतः प्रतिभूति बांडों को जारी करने, आंशिक रूप से प्रतिभूतित बॉण्डों के मोचन तथा ऋण की चुकौती से समायोजित करके, पावर स्टेशन की इक्विटी पर रिटर्न के प्रतिभूतिकरण सहित घरेलू बैंकों से ऋण के कारण है।

पट्टा देयताएं (वर्तमान और गैर–वर्तमान)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं 14.09 करोड़ रुपये थीं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 15.15 करोड़ रुपये थीं।

अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर–वर्तमान)

अन्य वित्तीय देयताएं में सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांडों, भारत के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता, अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं, ईएमडी/प्रतिधारण राशि, आदि के लिए देय राशि शामिल है। 31 मार्च, 2023 को अन्य वित्तीय देयताएं 3,684.12 करोड़ रूपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 3,458.76 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों में 6.52 प्रतिशत की वृद्धि है, जो मुख्यतः पूंजीगत कार्यों/आपूर्तिकर्ताओं के निमित्त देयताओं में वृद्धि के कारण है।

प्रावधान (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन), प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान, माध्यस्थम मामलों/न्यायालयी मामलों के संबंध में प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल है। कुल प्रावधान 31 मार्च, 2023 को 1,713.15 करोड़ रूपये के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले राजकोषीय वर्ष हेतु यह 1,183.80 करोड़ रूपये थे, अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 44.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो मुख्यतः माध्यस्थम अवार्ड/न्यायालयी मामलों के संबंध में प्रावधान में वृद्धि, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान के कारण थी, जिसे टैरिफ समायोजन के प्रावधान और अन्य प्रावधानों में कमी से आंशिक रूप से समायोजित किया गया था।

आस्थगित कर देयताएं

31 मार्च, 2023 स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयताएं 1,937.34 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 2,100.74 करोड़ रूपये की थी।

अन्य गैर–वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य गैर–वर्तमान देयताएं 1,944.56 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 2,026.16 करोड़ रूपये की थी। अन्य गैर–वर्तमान देयताओं में अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) और सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

अल्पावधिक ऋण

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि ऋण 2,885.65 करोड़ रूपये हैं जबकि यह पिछले राजकोषीय वर्ष में 2,848.76 करोड़ रूपये था। अल्पावधि ऋणों में व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध छूट वाले बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि और दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है।

व्यापार देय

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार देय व्यापार 215.45 करोड़ रूपये है जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष हेतु यह 189.57 करोड़ रूपये थे अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 13.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अन्य वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, अन्य वर्तमान देयताएं 734.91 करोड़ रुपये थीं, जबकि इसकी तुलना में पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 510.70 करोड़ रुपये थीं अर्थात पिछले राजकोषीय के आंकड़ों की तुलना में 43.90% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण भुगतानयोग्य जल उपयोग प्रभारों, भुगतानयोग्य सांविधिक बकायों और जमा कार्यों के विरुद्ध देयताओं में वृद्धि है।

विनियामक आस्थगन लेखा क्रेडिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों के लिए लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार और साथ ही इंड–एएस 114–विनियामक आस्थगन लेखा के प्रावधानों के आलोक में, 'विनियामक आस्थगन लेखा क्रेडिट शेष' तैयार किए गए हैं तथा लाभार्थियों को दिए जाने वाले एमएटी क्रेडिट के संबंध में 'विनियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन' मान्य किया गया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 'विनियामक आस्थगन लेखा क्रेडिट शेष पिछले वित्तीय वर्ष के 1,313.27 करोड़ रुपये की तुलना में 923.20 करोड़ रुपये था।

तुलन–पत्र से इतर मद

आकस्मिक देयताएं

निम्नलिखित तालिका में राजकोषीय वर्ष 2023 और 2022 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	8,556.95	9,546.17
भूमि मुआवजे के मामले	145.09	217.01
विवादित आयकर मामले और अन्य मदें	1,470.30	1,357.74
कुल	**10,172.34**	**11,120.92**

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 11,120.92 करोड़ रूपये की आकस्मिक देयताएं 8.53 प्रतिशत घटकर यह 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 10,172.34 करोड़ रूपये हो गई थी, जो मुख्य रुप से पूंजीगत कार्यों के निमित्त सृजित प्रावधान के कारण थी।

प्रमुख वित्तीय अनुपात (एकल आधार)

क्र. सं.	अनुपात	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022	अंतर प्रतिशत
1.	देनदार टर्नओवर अनुपात (प्रचालनों से राजस्व/औसत देनदार)	1.76	1.80	(-) 2.22
2.	मालसूची टर्नओवर अनुपात (प्रचालनों से राजस्व/औसत देनदार)	64.78	62.26	4.05
3.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर) # (कर पश्चात लेकिन ब्याज पूर्व लाभ तथा मूल्यह्रास/ब्याज)	8.21	7.18	14.35
4.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) # (कर पश्चात लेकिन ब्याज पूर्व लाभ तथा मूल्यह्रास/पुट विकल्प के अंतर्गत भुगतान को छोड़कर मूलधन का पुर्नभुगतान और ब्याज)	4.05	3.62	11.88
5.	वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसंपत्तियां वर्तमान देयताएं)	1.09	1.20	(-) 9.17
6.	ऋण इक्विटी अनुपात (प्रदत्त ऋण पूंजी/शेयरधारकों की इक्विटी)	0.85	0.84	1.19
7.	प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन (प्रचालनात्मक लाभ/प्रचालनों से राजस्व)	42.52%	43.74%	(-) 2.79
8.	निवल लाभ मार्जिन (निवल लाभ/प्रचालनों से राजस्व)	41.15%	42.58%	(-) 3.36
9.	पीई अनुपात (प्रति शेयर बाजार मूल्य'/प्रति शेयर आय)	10.52	7.90	33.16
10.	ईबीआईटीडीए (करोड़ रुपये में)	5,743.43	5,588.13	2.78
11.	ईबीआईटीडीए मार्जिन (ईबीआईटीडीए/प्रचालनों से राजस्व)	61.65%	67.25%	(-) 8.33

#आईएससीआर और डीएससीआर की गणना के लिए, परिचालन परियोजनाओं के ऋण के प्रति ब्याज की राशि और मूलधन की चुकौती पर विचार किया गया है।

*बाजार मूल्य प्रति शेयर के लिए संबंधित राजकोषीय वर्ष के 31 मार्च को समापन मूल्य पर विचार किया गया है।

पीई अनुपात (प्रति शेयर बाजार मूल्य/प्रति शेयर आय)

कंपनी का पीई अनुपात, राजकोषीय वर्ष 2023 के अंत में पिछले राजकोषीय वर्ष 2022 के 7.90 में 33.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए 10.52 हो गया, जो कि मुख्य रूप से राजकोषीय वर्ष 2023 में कंपनी के प्रति शेयर बाजार कीमत में वृद्धि के कारण था।

निवल मूल्य पर आय (पीएटी/औसत शेयरधारक इक्विटी)

राजकोषीय वर्ष 2023 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पर रिटर्न पिछले राजकोषीय वर्ष 2022 के 10.87 प्रतिशत में 2.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 11.13 प्रतिशत हो गया था, जो कि मुख्यतः कर पश्चात लाभ में वृद्धि के कारण था, जिसे प्रतिधारित आय में वृद्धि से आंशिक समायोजित किया गया था।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की व्यावसायिक एवं वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम के रूप में दिनांक 01 अगस्त, 2000 को निगमित किया गया था। वर्तमान में, एनएचडीसी लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी 3,000 करोड़ रुपये की है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) को चालू किया है। 31 मार्च, 2023 तथा 2022 को समाप्त हुए राजकोषीय वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड की कुल आय क्रमशः 1,509.35 करोड़ रुपये और 1,085.29 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2023 तथा 2022 को समाप्त हुए राजकोषीय वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड का कर पश्चात लाभ क्रमशः 774.43 करोड़ रुपये और 512.96 करोड़ रुपये था। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1,962.58 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1,002.42 करोड़ रूपए है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)

एलडीएचसीएल को दिनांक 23 अक्तूबर, 2009 को एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से निगमित किया गया था। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 141.09 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 105.56 करोड़ रूपए (74.82%) है और निवेश स्वीकृति (पीआईबी और सीसीईए) में विलंब तथा अत्यधिक अनुमानित टैरिफ को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड की लेखाबहियों में पूर्ण क्षति प्रावधान मान्य किया गया है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया हैं।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को दिनांक 02 फरवरी, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार (यूपीएनईडीए) के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत से कम नहीं थी। कम्पनी की प्राधिकृत

शेयर पूंजी 450.00 करोड़ रूपये है। कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी 99.17 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 86.22 करोड़ रूपये (86.94%) है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने 65 मेगावाट कालपी सौर पीवी विद्युत उत्पादन परियोजना, उत्तर प्रदेश में से 26 मेगावाट विद्युत चालू कर दी है।

लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएचपीसी ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत एलटीएचपीएल का अधिग्रहण अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया था। अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना के अनुसार किया गया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,500.00 करोड़ रूपए है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1,724.41 करोड़ रूपए है, जिसमें एनएचपीसी द्वारा 100 प्रतिशत अंशदान किया गया है। कंपनी तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है।

जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)

एनएचपीसी ने, दिनांक 31 मार्च, 2021 को दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत जेपीसीएल का अधिग्रहण किया था और यह कंपनी उक्त तारीख से एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार अधिग्रहण किया गया था और इसे एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 350.00 रुपये करोड़ है। कंपनी की कुल चुकता पूंजी 281.49 करोड़ रुपये है, जिसमें एनएचपीसी का 100% योगदान है। कंपनी 120 मेगावाट रंगित-IV जलविद्युत परियोजना के निर्माण में लगी है।

रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)

आरएचपीसीएल को दिनांक 01 जून, 2021 को एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित किया गया था। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1,600.00 करोड़ रुपये है। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 270.00 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 137.70 करोड़ रुपये (51.00%) है। कंपनी 850 मेगावाट रतले जलविद्युत परियोजना के निर्माण में लगी है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)

सीवीपीपीपीएल को एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रुप में दिनांक 13 जून, 2011 को निगमित किया था, जिसके पास चिनाब नदी बेसिन में पाकल दुल, कीरु और क्वार जल–विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 5,200 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी है। कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 3,692.39 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 1,947.50 करोड़ रूपये है। सीवीपीपीपीएल में दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त इक्विटी निवेश के कारण कंपनी की शेयरधारिता 52.74% है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, एनएचपीसी लिमिटेड ने 4.19 करोड़ रुपये की राशि के लिए सीवीपीपीपीएल में पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 2% इक्विटी अधिग्रहीत की है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीवीपीपीपीएल का एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी के बीच दिनांक 21 नवंबर, 2022 को अनुपूरक प्रमोटर्स करार हस्ताक्षरित करने के कारण, एनएचपीसी लिमिटेड ने सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में प्रमुख प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है और उस तारीख से सीवीपीपीपीएल का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तदनुसार, उक्त तारीख से सीवीपीपीपीएल को एक सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है।

एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी आरईएल)

एनएचपीसी आरईएल को दिनांक 16.02.2022 को एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 499.00 करोड़ रुपये और 20.00 करोड़ रुपये है। कंपनी गैर–परंपरागत/नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएल को दिनांक 22 मई, 2009 को प्रत्येक की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। राजकोषीय वर्ष 2013 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट–सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन–लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है तथा इसकी प्राधिकृत पूंजी 153 करोड़ रूपए है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 152 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 30.40 करोड़ रूपये है। कंपनी ने राजकोषीय वर्ष 2018 के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ कर दिया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त राजकोषीय वर्ष के लिए कंपनी ने 111.29 करोड़ रूपए (सीडब्ल्यूआईपी के बट्टे खाते प्रावधान सहित) की हानि वहन की है जबकि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हानि 20 करोड़ रूपए थी। तदनुसार, कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार (–)40.10 करोड़ रुपये का नकारात्मक रहा, जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष के लिए 71.19 करोड़ रुपये था।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण:

समेकित वित्तीय विवरण इंड–एस 110 – 'समेकित वित्तीय विवरण' और इंड–एएस 28 – 'एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किये गये हैं जो इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित आधार पर नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

ब्यौरा	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
कुल आय	11,284.90	10,108.26
कुल व्यय	6,028.22	5,679.43
कर पश्चात लाभ (अनियंत्रित कर समायोजित करने के पश्चात)	3,889.98	3,523.57

समेकित तुलन पत्र का सार

(करोड़ रुपये में)

ब्यौरा	राजकोषीय वर्ष 2023	राजकोषीय वर्ष 2022
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	68,640.03	61,189.62
वर्तमान परिसंपत्तियां	10,765.14	8,846.15
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	6,682.29	7,248.73
कुल	**86,087.46**	**77,284.50**
कुल इक्विटी	41,714.47	37,783.85
गैर वर्तमान देयताएं	34,946.72	30,877.62
वर्तमान देयताएं	7,942.32	6,606.31
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	1,483.95	2,016.72
कुल	**86,087.46**	**77,284.50**

35.14 मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध के संदर्भ में उल्लेखनीय विकास

आपकी कंपनी के पास प्रतिबद्ध पेशेवरों की एक अत्यधिक प्रतिभाशाली टीम है और यह कंपनी सर्वोत्तम प्रतिभा को शामिल करने, इसे विकसित करने और धारित रखने में सक्षम है। एनएचपीसी देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह उनके ज्ञान और कौशल में सुधार के अवसर प्रदान करके प्रतिभा को पोषित करने और इसे धारित रखने की दिशा में कार्य कर रही है। पूरे संगठन में जॉब रोटेशन और इंटर–लोकेशन ट्रांसफर करियर के नियोजित विकास की सुविधा प्रदान करती है और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। कर्मचारियों के साथ सूचना साझा करने, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगने के माध्यम से कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

(i) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कोर दक्षताओं में सुधार हो सके। कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम या तो आंतरिक रूप से आयोजित किए जाते है या प्रमुख प्रबंधन या अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने प्रचालन के क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते है। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा प्रभावकारिता में सुधार हो।

(ii) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 4776 (3,084 कार्यपालक, 293 पर्यवेक्षक और 1,399 कामगार) थी।

(iii) महिला कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी उपाय

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत नीचे तालिका में दिया गया है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र कर्मचारी संख्या का %
4776	502	10.51

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदम:

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं) की देखभाल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता के लिए महिला कर्मचारी 730 दिवस तक वेतन सहित ''चाइल्ड केयर लीव'' की पात्र है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता–पिता/सास–ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है।
- कर्मचारियों की पदोन्नति/भर्ती के लिए गठित चयन बोर्ड/समिति में महिला प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
- महिला कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार मातृत्व छुट्टी का लाभ ले सकती हैं।
- एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय,फरीदाबाद में शिशु गृह (क्रेच) सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट दी गई है।
- कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

- दिनांक 14 मार्च, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर को मनाने के लिए और लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुई प्रगति का जश्न मनाने के साथ–साथ हमारी उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों की उपलब्धियों और उनके महत्वपूर्ण योगदानों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान, प्रतिष्ठित महिला वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर अपने व्याख्यान दिए और खेलों, नेतृत्व तथा सामाजिक गतिविधियों में निष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी उपाय और आरक्षण

आपकी कंपनी डीओपीटी द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण और छूट प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करते समय छूट मानक और आरक्षण भी लागू होता है। प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ समय–समय पर बैठकें करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संपर्क अधिकारियों की अध्यक्षता में अलग से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे तालिका में दिया गया है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अ.जा.	%	अ. ज.जा.	%	अ. पि. व.	%
4776	732	15.33	345	7.22	874	18.30

(iv) दिव्यांग कर्मचारियों का कल्याण:

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तालिका में दिया गया है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	दिव्यांग कर्मचारी			दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
4776	12	3	102	117	2.45

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

डीओपीटी/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों/कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं:–

- दिव्यांग कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी शारीरिक/मानसिक रूप से आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है। ऐसे कर्मचारियों को स्थानांतरण/पदोन्नति के समय तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।
- शारीरिक दिव्यांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों/ उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत प्रतिपूर्ति कर कर दी जाती है।
- कर्मचारियों/उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में उन्हें आश्रित मानते समय चिकित्सा और अन्य लाभों के लिए आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।
- सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के संबंध वाली एक या अधिक 40 प्रतिशत दिव्यांग अथवा उससे अधिक होने वाले मानसिक या शारीरिक रूप से आश्रित बच्चों को एनएचपीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जीवन पर्यन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

35.15 पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय समावेशन, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा बचत

(i) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण

एनएचपीसी परियोजनाओं हेतु अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर, पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के सुधार के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मतस्यिकी प्रबंधन, अन्यों में पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनरूद्धार आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है। कारपोरेट कार्यालय में सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों और क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन पहलों की निगरानी करने तथा उन्हें सुकर बनाने के लिए पर्यावरण और विविधता प्रबंधन प्रभाग की स्थापना की गई है।

कारपोरेट पर्यावरण नीति के अंतर्गत अनुपालन:

आपकी कंपनी ने निगम पर्यावरण नीति, 2022, जैव विविधता नीति, 2023, अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2023 और जल संरक्षण नीति, 2023 भी बनाई है ताकि स्वच्छ ऊर्जा के

सतत विकास की दृष्टि से पर्यावरणीय संरक्षण उपायों को लागू किया जा सके। मार्च, 2022 तथा सितम्बर, 2022 को समाप्त अवधि हेतु परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए पर्यावरणीय पहलुओं संबंधी छमाही मासिक अनुपालना रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारत सरकार तथा इसके संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी गई थी। इन रिपोर्टों का कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर भी अपलोड किया गया था। कंपनी ने परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए उड़ी (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र), रंगित (सिक्किम), धौलीगंगा (उत्तराखंड) और तीस्ता-V (सिक्किम) के संबंध में निर्माण पश्च पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किया है। वर्तमान में लोकतक पावर स्टेशन (मणिपुर) और उड़ी-II पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र) निर्माण पश्चात ईआईए अध्ययन प्रक्रियाधीन है। एनएचपीसी ने प्रचालन परियोजनाओं के लिए इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए) के सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल के माध्यम से तीस्ता-V पावर स्टेशन, सिक्किम का संधारणीयता आकलन भी किया है। मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार, 20 मापदंडों में से, जिन पर तीस्ता-V पावर स्टेशन का मूल्यांकन किया गया था, यह सभी मापदंडों पर मूल कार्य प्रणाली को पूरा करता है, 6 मापदंडों पर सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को पूरा करता है और 9 मापदंडों पर मूल अच्छे कार्य प्रणाली से अधिक है।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा विकासः

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की तलाश के लिए अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बचतः

आपकी कंपनी भारत सरकार की ''मेक इन इंडिया'' नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। स्थानीय फर्मों के साथ–साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिभागिता से व्यापक तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता मिलेगी।

(iv) प्रौद्योगिकी समावेशन :

प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

35.16 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

35.17 सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक विवरण युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऐसे विवरणों में बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों से अनुरोध है कि इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करें। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

36. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा की आय और व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण इस प्रकार है:

क. ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के संबंध में किए गए उपाय और प्रभाव

- प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने, ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए गए उपायों की प्रभावकारिता की निगरानी करने और प्रबंधन/प्रयोक्ताओं को वर्टिकल और हॉरिजेंटल फीडबैक देने के लिए कारपोरेट स्तर पर कार्यबल कारपोरेट कार्यालय में ऊर्जा की बचत के लिए समय–समय पर उपाय सुझाता है।
- हमारे पावर स्टेशनों में इलेक्ट्रिकल उपस्करों जैसे जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि की क्षमता का आकलन करने और ऊर्जा बचत उपायों की सिफारिश करने के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा की जा रही है। ऊर्जा लेखापरीक्षाओं की सिफारिश को नियमित रूप से कार्यान्वित किया जाता है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नीर शक्ति सदन को चार स्टार रेट वाले भवनों तथा ज्योति सदन को तीन स्टार रेट वाले भवनों के रूप में माना गया है।
- पुरानी अदक्ष स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाकर स्ट्रीट लाइटिंग में ऊर्जा दक्षता प्राप्त की जा रही है। स्ट्रीट लाइटों के लिए एस्ट्रोनोमिकल टाइमर स्विच में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। सौर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं। ऊर्जा संरक्षण उपायों के रूप में, विभिन्न प्रकार की पारंपरिक लाइट फिटिंग सीएफएल, एफटीएल, पारंपरिक आउटडोर और इनडोर लाइटों के स्थान पर उच्च प्रभावकारी/ल्यूमेन स्तरीय और कम वाट क्षमता वाली एलईडी लाइट फिटिंग लगाई जा रही है।
- ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीर शक्ति सदन कार्यालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं।
- पुराने और बिना–स्टार रेटिंग वाले, खर्चीले मरम्मत योग्य एयर कंडीशनरों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से उच्च स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर लगाए गए है।

- पुराने उपकरणों को बदलने के लिए अधिकतम उपलब्ध स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा दक्ष उपकरणों की खरीद की गई है। पांच स्टार रेटिंग वाले 400 बीएलडीसी सीलिंग पंखे खरीदे गए हैं और लगाए गए हैं तथा बिना स्टार रेटिंग वाले पंखों को हटाया गया है।
- वर्ष के दौरान सक्षम प्रचालन की गारंटी के लिए 900 टीआर और 1200 टीआर एमवीएसी प्रणाली/उपकरणों का मासिक रख–रखाव किया जा रहा है। एचवीएसी फिल्टर को नियमित रूप से व्यस्ततम ठंडे और गर्म मौसम के दौरान बदला अथवा साफ किया जाता है क्योंकि गंदे फिल्टर की लागत उपयोग के लिए अधिक होती है। उपकरण अधिक कार्य करते हैं और कम आंतरिक वायु गुणवत्ता रहती है।
- स्थान को ठंडा रखने के लिए एचवीएसी प्रणाली के प्रचालन को बीईई संस्तुत इष्टतम तापमान निर्धारण अर्थात 24–25 डिग्री सेल्सियस करके नियंत्रित किया जा रहा है।
- ऊर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में, ज्योति सदन के शौचालयों में नवीकरण के दौरान मूवमेंट डिटेक्टर लगाए गए हैं।
- एनएचपीसी द्वारा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के लिए समीपवर्ती क्षेत्र के स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

80 केडब्ल्यूपी और 150 केडब्ल्यूपी क्षमता के ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र कारपोरेट कार्यालय, सेक्टर–33, फरीदाबाद के भवन के रूफटॉप पर संस्थापित की गई है। रिहायशी परिसर, सेक्टर–41, फ़रीदाबाद में 1000 केडब्ल्यूपी ग्रिड संबद्ध रूफ टॉप सौर पीवी संयंत्र लगाया गया है। अधिकतम आउटपुट के लिए प्रणाली का नियमित रख–रखाव किया जा रहा है। संयंत्र की सफाई नियमित आधार पर की जा रही है (सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले), जिससे कि अधिकतम आउटपुट मिल सके। अधिकतम सक्रिय अवधि प्राप्त करने के लिए नियमित आधार पर बचावपरक रख–रखाव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के विभिन्न स्थानों पर 3362.16 किलोवाट संचयी क्षमता के रूफ–टॉप सौर विद्युत पैनल लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के विभिन्न स्थानों पर 722.48 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश लगभग 37.86 लाख रुपये है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास

क) वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूरी हुई आरएंडडी परियोजनाएं

- **आईआईटी रूड़की के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर चमेरा-I पावर स्टेशन के जलाशय से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों का मापन:** CO_2, CH_4 और N_2O तीन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसे हैं, जो प्राकृतिक रूप से जलीय प्रणालियों द्वारा उत्सर्जित की जा रही हैं। इनमें पहली दो गैसे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चमेरा-I जलाशय से CO_2, CH_4 और N_2O के उत्सर्जन पर अध्ययन किया गया था। CO_2 और CH_4 का उत्सर्जन ताजा जल के जलाशय से औसत कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों की रेंज के आधार पर अनुमत सीमा के भीतर पाया गया था। ग्रीष्म ऋतु में N_2O उत्सर्जन अधिक होता है। चमेरा-I जलाशय में, अन्य मौसमों की तुलना में गर्मी के मौसम में तलछट और जल स्तंभ में अधिक टीएन (कुल नाइट्रोजन) होता है, इस प्रकार N_2O छोड़ने के लिए जैविक पदार्थों के माइक्रोबियल क्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं।
- **रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रंगित जल विद्युत परियोजना, सिक्किम का परियोजना पश्चात पर्यावरणीय मूल्यांकन:** समय के साथ कार्यान्वित उपायों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए टेम्पोरल रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके पर्यावरणीय पहलुओं का परियोजना पश्चात मूल्यांकन किया गया था। यह अध्ययन पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं अर्थात प्रतिपूरक वनरोपण योजना, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान, रिजरवायर रिम ट्रीटमेंट, पुनर्स्थापन योजना, धार्मिक स्मारक की शिफ्टिंग, निःशुल्क ईंधन प्रावधान और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना की प्रभावकारिता के मूल्यांकन पर केंद्रित किया गया था। निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i) स्नो कवर में सामान्य भिन्नता पाई गई थी।

ii) कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के अंतर्गत शोधित प्रत्येक सब–वाटरशेड (एसडब्ल्यूएस) का गहन विश्लेषण परियोजना के लिए कार्यान्वित प्रबंधन योजना की समग्र प्रभावकारिता प्रदान करता है। सभी एसडब्ल्यूएस में भूमि उपयोग श्रेणियों में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में शुरू की गई कैट योजना लाभकारी रही है।

iii) वर्ष 1994 के दौरान की स्थिति की वर्तमान स्थिति से तुलना करने पर, यह पाया गया था कि भूस्खलन की संख्या न केवल कम हुई है, बल्कि सक्रिय स्लाइड भी अपने क्षेत्र के संबंध में कम होने की प्रवृत्ति दर्शा रही हैं।

iv) कैट योजना (12,775 हेक्टेयर का समग्र क्षेत्र) के अंतर्गत छह एसडब्ल्यूएस का सुधार किया गया था; सभी सुधार किए गए एसडब्ल्यूएस का कटाव विश्लेषण यह दर्शाता है कि केवल 2.15% क्षेत्र नकारात्मक परिवर्तन को दर्शा रहा है, जो कि दस वर्षों (2010 से 2020) के समय के दौरान

सामान्य है। सकारात्मक परिवर्तन दर्शाने वाला क्षेत्र लगभग 5.33% है और बिना परिवर्तन वाला क्षेत्र लगभग 92.52% है।

- **आईआईआरएस, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, देहरादून के सहयोग से रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस प्रौद्योगिकी के उपयोग से एनएचपीसी की नौ चालू की गई/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के समीप भूस्खलन का अध्ययन:** यह अध्ययन आईआईआरएस देहरादून, के साथ संयुक्त रूप से एनएचपीसी के 09 पावर स्टेशनों में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि क्या परियोजना का निर्माण होने से परियोजना क्षेत्र में भूस्खलनों पर कोई प्रभाव पड़ा है। अध्ययन की रिपोर्ट आईआईआरएस, देहरादून द्वारा तैयार की हई थी, जो यह दर्शाती है कि परियोजना के निर्माण का अध्ययन क्षेत्र में भूस्खलन क्रियाकलापों पर कोई प्रभाव नहीं है।

- **जल विद्युत परियोजनाओं में भौगोलिक अनिश्चितताओं का अनुकूल उपयोग करने के लिए प्रतिरोधकता इमेजिंग और ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार में उभरती भूभौतिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से लक्षित समाधान:**

  जलविद्युत परियोजनाओं में, जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अनुकूल समय तथा किफायती तरीके से परियोजना के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परियोजना में यह निष्कर्ष किया गया है कि प्रतिरोधकता इमेजिंग का, जहां कहीं भी व्यवहार्य है, टनल अलाइनमेंटों पर प्रभावी उपयोग किया जा सकता है ताकि भौगोलिक अनिश्चितताओं/अप्रत्याशित घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। इससे टनल के साथ भौगोलिक स्थितियों का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी।

- **प्रौद्योगिकी उन्नयन/अनुसंधान एवं विकास हस्तक्षेप के अंतर्गत धौलीगंगा पावर स्टेशन के एक सर्ज शाफ्ट गेट के लिए हाइड्रोलिक मोटर संचालित रोप ड्रम हाइस्टिंग प्रणाली की शुरूआत**

  एक प्रौद्योगिकी उन्नयन/हस्तक्षेप के रूप में हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव की शुरूआत होने से, गेट होइस्ट का सुरक्षित और बेहतर निष्पादन हो पाएगा। धौलीगंगा पावर स्टेशन पर इसका सफल प्रदर्शन होने से अन्य एनएचपीसी पावर स्टेशनों में इसी प्रकार के हस्तक्षेप/प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

- **रिजरवायर प्रचालन तकनीकों के माध्यम से तलछट प्रबंधन द्वारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में डिसिल्टिंग बेसिन को हटाने के लिए न्यूमेरिकल और फिजीकल मॉडल अध्ययन**

  यह अध्ययन सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे के सहयोग से तीस्ता-VI परियोजना में किया गया है। विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिसिल्टिंग बेसिन तीस्ता-VI जलाशय में आवश्यक है क्योंकि 90% से अधिक तलछट बहाव का ग्रेन डायमीटर 0.25 मिमी और उससे अधिक के लिए प्रवेश करता है।

ख) जारी आरएंडडी परियोजनाएं:

- निर्माण के दौरान भौगोलिक घटनाएं किसी भी जलविद्युत परियोजना के लिए समय और लागत आधिक्य का एक प्रमुख कारण होती हैं। इन घटनाओं को कम करने के लिए और किफायती तरीके से निर्माण क्रियाकलाप करने के लिए, भौगोलिक तकनीकें जैसे सुरक्षित, आर्थिक और प्रभावी अर्थमेट के डिजाइन के लिए प्रतिरोधकता इमेजिंग और भौगोलिक अनिश्चितताओं के लिए ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार, भूकंपीय टोमोग्राफी आदि विभिन्न एनएचपीसी परियोजनाओं के लिए नवीनतम प्रयुक्त तकनीकें हैं।

वर्तमान में दो आरएंडडी परियोजनाएं चल रही हैं।

i) **"जलविद्युत परियोजनाओं में भौगोलिक अनिश्चितताओं के अनुकूलन के लिए भूकंपीय टोमोग्राफी में उभरती भूभौतिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से लक्षित समाधान"** – यह एक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। सुबनसिरी लोअर परियोजना, तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती चरण-II परियोजनाओं में फ़ील्ड सर्वेक्षण किया गया है। ये प्रौद्योगिकियाँ सब–सरफेस रॉक मॉस के अधिक संक्षिप्त ब्यौरे प्रदान कर सकती हैं, जिससे इनके समय पर पूरा करने में निर्माण की अवश्ता के दौरान अनिश्चितताएं कम हो सकती हैं।

ii) **"हिमालयी क्षेत्र के लिए स्थल विशिष्ट पीक ग्राउंड एक्सेलेरेशन एटिनुएशन संबंध विकसित करने के लिए एनएचपीसी के पावर स्टेशन में दर्ज मोशन एक्सेलेरोग्राफ डेटा का विश्लेषण"** हिमालयी एटिनुएशन संबंध विकसित करने के लिए भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी रूड़की के साथ परामर्श करके, हमारी संरचनाओं में भूकंपीय डिजाइन के अनुकूलन के लिए आगे उपयोग किया जा सकता है।

- सेवा-II पावर स्टेशन, जम्मू व कश्मीर में सामाजिक–आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। यह अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन प्रभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

- **आईआईटी रूड़की के सहयोग से शुरू की गई परियोजनाएँ:**

(i) जल विद्युत संयंत्र के इष्टतम प्रचालन के लिए हाइड्रो एब्रेसिव इरोजन और तलछट बहाव की बैरासिउल पावर स्टेशन में आईआईटी, रुड़की के माध्यम से संयुक्त रूप से निगरानी की जा रही है। रनर और गाइड वेनों के लिए मानसून पूर्व और पश्चात 3डी स्कैनिंग की गई है।

(ii) चमेरा-III पावर स्टेशन के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का विकास। बांध की सुरक्षा के लिए पूर्वानुमान मशीन के प्रचालन के लिए बेहतर योजना, दैनिक आधार पर शेड्यूल तैयार करने महत्वपूर्ण होता है। यह सूचना डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के लिए लाभकारी होगी। कैचमेंट में हाइड्रो–मेट्रोलॉजिकल डेटा और कैचमेंट में जलवायु परिवर्तन की जानकारी होगी। इस कार्य के लिए उपकरणों की खरीद की जा रही है।

- **आईआईटी कानपुर के सहयोग से शुरू की गई परियोजनाएँ: 3डी एफईएम विश्लेषण पर आधारित कैवर्न के व्यवहार और ओपनिंग सहित सहायक लेआउट के तीव्र अनुमान के लिए डिजाइन दिशानिर्देश/चार्ट का विकास**

  इस परियोजना का उद्देश्य भूमिगत कैवर्न वाली विभिन्न भावी परियोजनाओं के भूमिगत कैवर्न का सुरक्षित और आर्थिक डिजाइन तैयार करना है। इसका लक्ष्य विस्तृत गणना विश्लेषण किए बिना इष्टतम केवर्न डाइमेंशनल पैरामीटर तथा बाहरी सहायता आवश्यकताओं के लिए उन्नत 3डी न्यूमेरिकल विश्लेषण पर उपयोग में आसान डिजाइन चार्ट/दिशानिर्देश विकसित करना है।

- **एनआईटी दुर्गापुर के सहयोग से शुरू की गई परियोजनाएँ:**

  उच्च वोल्टेज विद्युत उपकरण के लिए आंशिक डिस्चार्ज निगरानी समाधान विकसित होने से एनएचपीसी को अपनी वर्तमान निवारक रख–रखाव प्रक्रिया से "भावी रख–रखाव प्रक्रिया" के लिए आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। इससे प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार होगा और ब्रेकडाउन की अवधि कम होगी।

ग) विद्युत क्षेत्र के विकास से संबंधित सहयोगात्मक अनुसंधान

विद्युत क्षेत्र की सहायता और विकास के लिए विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार, नीतिगत पहलों, सुधारों, पुनर्गठन के संबंध में अध्ययनों/अनुसंधानों से नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त होंगे। इसके लिए, इन अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए विद्युत मंत्रालय और सीपीएसयू जैसे एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पीएफसी और आरईसी के साथ संयुक्त रूप से एक संघ बनाया जाएगा। एनएचपीसी विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान कर रहा है।

घ) आईआईटी दिल्ली और आईआईटी जम्मू के साथ हस्ताक्षरित एमओए

एनएचपीसी ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी जम्मू के साथ क्रमशः दिनांक 21 नवंबर, 2022 और दिनांक 26 सितंबर, 2022 को एमओए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके अंतर्गत दोनों आईआईटी अपनी विभिन्न विशेषज्ञता, हाइड्रो, जल विज्ञान के व्यापक क्षेत्र में एनएचपीसी को उसके विभिन्न विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों, हाइड्रो, हाइड्रोलॉजी, जल संसाधन, भूगर्भ शास्त्र, भूकंप, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

ii) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभों की प्राप्ति

क. रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिक्किम में रंगित जल विद्युत परियोजना के परियोजना पश्चात पर्यावरणीय मूल्यांकन ने यह दर्शाया है कि परियोजना क्षेत्र में शुरू की गई कैट योजना लाभकारी रही है।

ख. एनएचपीसी की चालू की गई/निर्माणाधीन नौ जलविद्युत परियोजनाओं की आसपास रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूस्खलन के अध्ययन ने यह दर्शाया है कि अध्ययन क्षेत्र में भूस्खलन क्रियाकलापों पर परियोजना के निर्माण का कोई प्रभाव नहीं है।

ग. जलविद्युत परियोजनाओं में अनुकूलन और भौगोलिक अनिश्चितताओं के लिए प्रतिरोधकता इमेजिंग एवं ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार में उभरती भूभौतिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से लक्षित समाधान यह दर्शाते हैं कि भूवैज्ञानिक भौगोलिक/घटनाओं को कम करने के लिए, जहां कहीं व्यवहार्य है, टनल अलाइनमेंट पर प्रतिरोधकता इमेजिंग का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इससे टनल के साथ–साथ भौगोलिक स्थितियों के बेहतर आकलन में आगे मदद मिलेगी।

घ. प्रौद्योगिकी उन्नयन/अनुसंधान एवं विकास हस्तक्षेप के अंतर्गत धौलीगंगा पावर स्टेशन के एक सर्ज शाफ्ट गेट के लिए हाइड्रोलिक मोटर चालित रोप ड्रम हाइस्टिंग प्रणाली शुरू होने से एनएचपीसी के अन्य पावर स्टेशनों में इसी प्रकार के हस्तक्षेपों/प्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए अन्य उपाय शुरूआती चरण में हैं, जिनके लाभ अध्ययनों के पूरा होने और वास्तविक कार्यान्वयन होने के बाद प्राप्त होंगे।

(iii) वर्तमान वर्ष और विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

शून्य।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 11.30 करोड़ रुपये था, जिसमें स्थापना व्ययों के निमित्त 9.37 करोड़ रुपये शामिल थे।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	विदेशी मुद्रा में व्यय:		
i)	ब्याज	18.78	23.47
ii)	अन्य विविध मामले	24.85	6.43

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोई भी विदेशी विनिमय अर्जन नहीं था।

37. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

37.1 सचिवालयी लेखापरीक्षा

मैसर्स अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है। सचिवालयी लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कतिपय टिप्पणियां की हैं।

सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-II में दी गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार हैं:

अर्हता / टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 तक तथा दिनांक 13.12.2022 से 09.03.2023 तक की अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी।	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 34 के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) सहित निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामले पर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन (डीआईएन 10064794) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की दिनांक 10.03.2023 से नियुक्ति होने के बाद, बोर्ड की संरचना में सेबी एलओडीआर, 2015 के प्रावधानों की अनुपालना की गई थी।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24क की अनुपालना में, एनएचडीसी लिमिटेड की सचिवालयी लेखापरीक्षक रिपोर्ट, जो कि एनएचपीसी की असूचीबद्ध सहायक कंपनी की विषय–वस्तु है, वार्षिक रिपोर्ट में भी दी गई है।

37.2 सांविधिक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की गई है। सीएंडएजी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निम्नलिखित संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की थी:

1. मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कं., एलएलपी, नई दिल्ली
2. मैसर्स चतुर्वेदी एंड कं., कोलकाता
3. मैसर्स पी. सी. बिंदल एंड कं., श्रीनगर

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में असंशोधित राय दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कोई धोखाधड़ी किए जाने की सूचना नहीं दी गई है।

37.3 सीएंडएजी द्वारा लेखाओं की समीक्षा

सीएंडएजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के बाद, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। आपकी कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल और समेकित वित्तीय विवरणों, दोनों के लिए सीएंडएजी की कोई टिप्पणी नहीं हैं। सीएंडएजी की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई हैं।

37.4 लागत लेखापरीक्षा

कंपनी द्वारा कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक लागत रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसी कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई है, आपके बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पावर स्टेशनों के लागत लेखांकन रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखाकारों की नियुक्ति की है:

फर्म का नाम	पावर स्टेशन
मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली (प्रमुख लागत लेखापरीक्षक)	टनकपुर और धौलीगंगा दुलहस्ती और सलाल
मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, दिल्ली	बैरास्यूल, चमेरा-II और चमेरा-III
मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, दिल्ली	चुटक, निम्मो बाजगो और चमेरा-I
मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी, दिल्ली	टनकपुर, धौलीगंगा और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर
मैसर्स के. जी. गोयल एंड कंपनी, जयपुर	उड़ी-I, उड़ी-II और किशनगंगा
मैसर्स एजेएस एंड एसोसिएट्स, देहरादून	सेवा-II और पार्बती-III

मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु
मैसर्स वाई.एस. ठाकर एंड कंपनी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	लोकतक, टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एक्सबीआरएल फॉर्मेट में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 7 सितंबर, 2022 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर दाखिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

38. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) और धारा 92(3) के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16908019760.pdf पर उपलब्ध है।

39. ऋणों, निवेशों और कारपोरेट गारंटियों के विवरण

दिए गए ऋणों, दी गई गारंटियों अथवा प्रदान की गई प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (उप–धारा 1 को छोड़कर) एनएचपीसी के अवसंरचना सुविधाओं को प्रदान करने में लगे होने के कारण उस पर लागू नहीं है।

40. कर्मचारियों के विवरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत प्रकटन अपेक्षाओं से छूट दी गई है। अतः ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी के कर्मचारियों को पारिश्रमिक, वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभों संबंधी नीति प्रासंगिक डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है। कंपनी का वेतन ढांचा और भत्ते वेबसाइट https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1676010521.pdf पर भी उपलब्ध हैं।

41. बोर्ड तथा बोर्ड की समितियां

निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ग्यारह (11) बार बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की बैठकों और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है। बोर्ड की विभिन्न समितियों व उनकी बैठकों तथा उनकी संरचना का ब्यौरा निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

42. बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

एनएचपीसी में बोर्ड, ''बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति'' है। इस नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:

1. कंपनी का प्रत्येक निदेशक बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों का पूर्व–निर्धारित मानदंडों के आधार पर निष्पादन तय करता है।
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा करती है और यह निर्धारित करती है कि क्या स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जाए।
3. स्वतंत्र निदेशक गैर–स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी के अध्यक्ष और समग्र बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा करते हैं।
4. बोर्ड मूल्यांकन किए जा रहे निदेशक को छोड़कर स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

   वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों, समस्त बोर्ड और बोर्ड की अनिवार्य समितियों का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कार्य–निष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया है।

43. निदेशक की जिम्मेदारी का विवरण

निदेशकों की जिम्मेदारी के विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134(3)(ग) की अपेक्षा के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

क. वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानदंडों का अनुसरण किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें निरंतर लागू किया था और ऐसे निर्णय लिए गए थे और अनुमान लगाए गए थे, जो इतने तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी लाभ और हानि की वास्तविक एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

ग. निदशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित

लेखा रिकॉर्ड के रख–रखाव के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए थे।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को एक लाभकारी संस्था आधार पर तैयार किया था।

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया था और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, और

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसे आंतरित वित्तीय नियंत्रण किए थे, जो पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

44. सचिवालयी मानदंड

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी ''निदेशक मंडल की बैठकों'' और ''सामान्य बैठकों'' के संबंध में लागू सचिवालयी मानकों का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

45. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटन या सूचना आवश्यक नहीं है, क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन–देन नहीं किया गया था:

1. लाभांश, मतदान अथवा किसी संबंधी में भिन्न अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का मामला।
2. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)
3. नियमों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश, जो कंपनी की एक लाभकारी संस्था की स्थिति या भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करते हैं।
4. वित्तीय समाप्त होने के बाद इस रिपोर्ट की तारीख तक ऐसा कोई वास्तविक परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धता का होना, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।
5. अधिनियम के अध्याय–ट के अंतर्गत यथा अपेक्षित सार्वजनिक सभाओं से संबंधित ब्यौरे।
6. एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर तथा उसके कारणों सहित का ब्यौरा।
7. दिवाला और दिवालापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन अथवा लंबित कार्यवाही।

46. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्यवाही

निदेशक मंडल की संरचना और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में वर्ष 2022–23 के दौरान और उसके बाद इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तिथि तक निम्नलिखित बदलाव हुए:

1. श्री अभय कुमार सिंह (डीआईएन 08646003) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अगस्त, 2022 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं रहे।
2. श्री रघुराज माधव राजेंद्रन (डीआईएन 07772370), सरकार नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार दिनांक 05 दिसंबर, 2022 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
3. श्री मोहम्मद अफजल (डीआईएन 09762315) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में दिनांक 06 दिसंबर, 2022 से कंपनी के बोर्ड में सरकार नामिती निदेशक नियुक्त किया गया था।
4. श्री राजीव कुमार विश्नोई (डीआईएन 08534217) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसरण में दिनांक 13 दिसंबर, 2022 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री विश्नोई कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
5. श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन (डीआईएन 10064794) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसरण में दिनांक 10 मार्च, 2023 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
6. श्री यमुना कुमार चौबे (डीआईएन 08492346) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मई, 2023 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) नहीं रहे।
7. श्री उत्तम लाल (डीआईएन 10194925) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसरण में, दिनांक 13 जून, 2023 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और बैठक शुल्क का ब्यौरा निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ख) के तहत विनिर्दिष्ट स्वतंत्र के मानदंडों को पूरा करते हैं।

उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें एक उद्देश्यपरक स्वतंत्र निर्णय के साथ और बाहरी प्रभाव के बिना अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनकी योग्यता को अथवा प्रभारित करने योग्य किसी मौजूदा अथवा तर्कसंगत रूप से प्रत्याशित किसी परिस्थिति अथवा स्थिति की जानकारी नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों ने यह भी घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा रखे गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में उनका नाम शामिल करने के संबंध में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवां संशोधन नियमावली, 2019 के नियम 6(1) और 6(2) का पालन किया है।

चूंकि श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन, स्वतंत्र निदेशक और श्री उत्तम लाल, निदेशक (कार्मिक) को निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तावित है। श्री गोवर्थनन और श्री उत्तम लाल का संक्षिप्त प्रोफाइल एजीएम के नोटिस में दिया गया है। श्री बिश्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं) रोटेशन से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और योग्य होने पर उन्होंने आगामी एजीएम में अपनी पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है। श्री बासु का संक्षिप्त प्रोफाइल एजीएम के नोटिस में दिया गया है।

47. आभार

निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों की उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक सराहना करना चाहता है। उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास ने कंपनी को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन रखने और अपने क्षेत्र से संबंधित नेतृत्व को मजबूत रखने में सक्षम बनाया। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता, सराहनीय और प्रशंसनीय रही। एनएचपीसी को अपने कर्मचारियों के निरंतर अथक प्रयासों, विशेष रुप से कंपनी के पावर स्टेशनों और परियोजनाओं पर किए गए प्रयासों पर गर्व है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय व राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड अपने सभी हितधारकों, महत्वपूर्ण ग्राहकों, ठेकेदारों, वेंडरों और परामर्शदाताओं का उनके निरंतर सहयोग और कंपनी में जताए गए विश्वास के लिए भी धन्यवाद करता है।

बोर्ड सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों और कंपनी के लागत लेखापरीक्षक से प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन और जानकारी के लिए भी आभार प्रकट करता है। बोर्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग तथा कंपनी में निरंतर विश्वास जताने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 27 जून, 2023
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–I

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर के संबंध में जारी सामान्य परिपत्र और इसके संशोधनों; और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश/कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुरूप एक सीएसआर और संधारणीयता नीति निरूपित की है तथा इसे समय–समय पर संशोधित किया है। इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति में व्यापक रुप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में, कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष में, तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत राशि को खर्च करेगी, इस राशि को वर्ष के दौरान सीएसआर एवं संधारणीय विकास कार्यों हेतु वार्षिक बजट के रूप में रखा जाता है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एनएचपीसी उन योजनाओं/क्रियाकलापों को करती है जो समाज को प्रत्यक्ष सामाजिक, आर्थिक अथवा पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं।
- एनएचपीसी की परियोजनाओं के आस–पास स्थानीय क्षेत्रों को बजट राशि की कम से कम 80 प्रतिशत राशि को आवंटित करके प्राथमिकता दी गई है। तथापि, आवश्यकताओं के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं तथा अभियान के संबंध में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का चयन किया जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के वृहतर लाभ हेतु सीएसआर बजट की लगभग 20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जा सकता है।
- सीएसआर पहलों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार शिक्षा तथा कौशल विकास का संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति आदि संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची VII के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है।
- सीएसआर और संधारणीय योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार में भी योगदान दे।
- आपकी कंपनी संसाधनों के इष्टतम उपयोग, सामाजिक–आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव में वृद्धि करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।
- कार्यान्वयन के लिए सीएसआर और संधारणीयता योजनाएं उन विभिन्न हितधारकों, जिला/सब–डिवीजन/ ब्लॉक/ पंचायतों आदि के प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श/सहयोग से बनाई जाती हैं, जिनमें एनएचपीसी की यूनिटें प्रचालनरत हैं।
- सीएसआर और संधारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आपकी कंपनी में एक त्रि–स्तरीय प्रबंधन संरचना मौजूद है।
- चल रहे क्रियाकलाप से संबंधित खर्च न की गई किसी भी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तीस दिन की अवधि के भीतर उस वित्तीय वर्ष के लिए किसी अनुसूचित बैंक में खर्च न किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में अंतरित कर दिया जाता है। इस राशि को इस तरह के अंतरण की तारीख से 03 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के निमित्त अपने दायित्व के अनुसरण में व्यय किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर, कंपनी इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में निर्धारित निधि में अंतरित करेगी।
- यदि खर्च न की गई राशि किसी जारी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो संबंधित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में निर्धारित निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। उपयोग न करने के कारणों का बोर्ड रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।
- सीएसआर क्रियाकलापों से बचा कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यापारिक लाभ का भाग नहीं बनेगा और उसे उसी परियोजना में वापस कर दिया जाएगा अथवा खर्च न किए गये सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसे सीएसआर नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में निर्धारित निधि में अंतरित की जाएगी।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	दिनांक 31.03.2023 के अनुसार स्थिति (सक्रिय/समाप्त)
1.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	समिति की अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)	6	6	सक्रिय
2.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य		6	सक्रिय
3.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य		6	सक्रिय
4.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य		6	सक्रिय
5.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)– पदेन सदस्य		6	सक्रिय
6.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)– पदेन सदस्य		6	सक्रिय

3. कृपया वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को दर्शाया गया हैः

कंपनी की वेबसाइट पर वेब–लिंक, जहां सीएसआर समिति की संरचना दर्शाई गई हैः

https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16859406840.pdf

कंपनी की वेबसाइट पर वेब–लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति दर्शाई गई हैः

https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1681895733.pdf

कंपनी की वेबसाइट पर वेब–लिंक जहां सीएसआर परियोजनाएं दर्शाई गई हैंः

https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1672987992.pdf

4. नियम 8 के उप–नियम (3), यदि लागू हो, के अनुसरण में की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब लिंक (लिंकों) सहित कार्यकारी सार उपलब्ध कराएं।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में, 22 जनवरी, 2021 को अथवा उसके बाद शुरू की गई अथवा पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाना है। एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के परिव्यय वाली और जो प्रभाव अध्ययन शुरू किए जाने से कम से कम एक वर्ष पूर्व पूरा की गई हों, सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के प्रभाव आकलन किए जा रहे हैं। तदनुसार, सीएसआर परियोजना ''**बांदीपोरा निशात गार्डन का विकास**'' का प्रभाव आकलन एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा गया है।

''बांदीपोरा निशात गार्डन का विकास'' की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का सार **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न है और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध हैः

https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16853471190.pdf

5. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभः **3607.15 करोड़ रु.**

(ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः **72.14 करोड़ रु.**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेषः **0.00 रु.**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई होः **60.04 करोड़ रु.**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व [(ख)+(ग)–(घ)]: **12.10 करोड़ रु.**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों): **122.04 करोड़ रुपये।**

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: **5.15 करोड़ रु.**

(ग) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, पर खर्च की गई राशि: **0.12 करोड़ रु.**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: **127.31 करोड़ रु.**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)	खर्च न की गई राशि (करोड़ रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
127.31	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं

(च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (करोड रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	72.14
(ii)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में खर्च की गई अतिरिक्त राशि	60.04
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	127.31
(iv)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(iii)+(ii)-(i)]	115.21
(v)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(vi)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iv)+(v)]	115.21

7. **(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे:**

क्रम सं.	पिछला (पिछले) वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (करोड़ रुपये में)	धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)	धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (करोड़ रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (करोड़ रुपये में)	अंतरण की तारीख		
1.	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	0.00
2.	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	0.00
3.	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	0.00
	कुल			**0.00**				

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित की गई अथवा अधिग्रहीत की गई है: (हाँ)

यदि हाँ, तो सृजित/अधिग्रहीत पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: **49**

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित की गई अथवा अधिग्रहीत की गई ऐसी परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरे दें:

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के संक्षिप्त विवरण संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित,	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिन कोड	सृजन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि की राशि	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
संलग्न अनुबंध–ख के अनुसार (कुल = 26.9307 करोड़ रुपये)							

(सभी फील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए गए अनुसार लिया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल परिसंपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है – लागू नहीं।

हस्ता./–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
डीआईएन : 08534217

हस्ता./–
(डॉ. रश्मि शर्मा रावल)
(स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष–सीएसआर समिति)
डीआईएन : 09410683

तारीख : 29 मई, 2023
स्थान: नई दिल्ली

सीएसआर परियोजनाः बांदीपोरा निशात गार्डन का विकास

परियोजना प्रस्तावक	एनएचपीसी लिमिटेड
परियोजना निष्पादनकर्ता	जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन राज्य सरकार के बांदीपोरा जिले का पुष्प कृषि विभाग।
परियोजना के निष्पादन का वर्षः	2017–18 से 2020–21
शुरू करने की तारीख	05.03.2018
पूरा होने की तारीख	07.01.2021
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
क्रियाकलाप	• पार्क में रोशनी, चमकवाला व्यू प्वाइंट, सम्प, खुला कुआँ, बायो टॉयलेट का निर्माण, बच्चों के खेलने के लिए उपकरण आदि। • व्यू प्वाइंट, कैफेटेरिया, चौकीदार के लिए कुटी, शौचालय ब्लॉक, चारदीवारी, वाटर चैनल और पूल, बोरवेल, पानी के फव्वारे आदि का नवीकरण।
कुल व्यय	203 लाख रुपये + लागू कर

कार्यकारी सार

बांदीपुरा निशात गार्डन के विकास के संबंध में यह प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एनएचपीसी द्वारा बांदीपुरा में समाज और पर्यावरण के संबंध में किए गए प्रभावों की एक निष्पक्ष और स्पष्ट छवि देती है। समुदाय से एक बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश प्राप्त हुआ, जो उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सभी कॉर्पोरेट क्षेत्रों हेतु एक उदाहरण निर्धारित करेगा। संधारणीयता लक्ष्य सत्यापित किए गए थे और मूल्यांकन के दौरान सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज की गई जो संतोषजनक है और एक बड़ी हरित पहल साबित हुई है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम संस्थान (आईआरडीपी) ने निशात गार्डन बांदीपोरा का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया है।

एनएचपीसी लिमिटेड ने न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की है बल्कि निशात गार्डन के माध्यम से हरित जीवन का एक नया आयाम भी पेश किया है। यद्यपि गार्डन कई पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं, तथापि हितधारकों का प्राथमिक जोर मानसिक और शारीरिक स्वस्थता पर पौधों के गहन प्रभाव पर होता है, जो जीवन की समग्र गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

अधिकतर लोग पहले से ही जानते थे और अन्य लोगों ने महामारी के दौरान गार्डन में व्यायाम करने जैसे शौकों को पाया था। गार्डन में घूमने से प्रकृति का आनंद लेने और व्यक्ति को जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का अवसर मिलता है। निशात गार्डन बच्चों के लिए एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर प्रस्तुति है जो उन्हें पौधों, फूलों और जल निकायों की देखभाल करना सिखाती है। बच्चों को उनके दोस्तों और परिवारों के साथ खेलते हुए देखा गया, जिसका समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

एनएचपीसी की पहल से पिछले दो वर्षों में बांदीपुरा जिले में पर्यटन के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं जो कई तरह से लोगों के विकास के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर रहा है।

अनुबंध–ख

वित्तीय वर्ष 2022–23 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित अथवा अधिग्रहीत की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर राशि (रुपये में)	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	बालिका निकेतन बालिका अनाथालय, अम्फाला, जम्मू, जम्मू और कश्मीर–180005 संघ राज्य क्षेत्र की मौजूदा इमारत पर दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण।	180005	31–03–2023	25.00.000	सीएसआर 00014916	वेद मंदिर समिति	वेद मंदिर समिति, अम्फल्ला, जम्मू और कश्मीर 180005
2	वार्ड नंबर 9, थानपाल, जिला रियासी, जम्मू–कश्मीर में 25 सोलर स्ट्रीट लाइटें।	182312	16–03–2023	3,37,500	–	वार्ड पंच	पंचायत दर्पण, ग्राम थानपाल, जिला रियासी, जम्मू–कश्मीर।
3	मैकेनिक ट्रेड्स आईटीआई रियासी, जिला रियासी, जम्मू–कश्मीर के लिए पुराने/प्रयुक्त वाहनों एक टाटा सूमो को उन्नत किया गया।	182311	16–02–2023	42,304	–	प्रधानाचार्य आईटीआई	आईटीआई रियासी, जिला रियासी, जम्मू और कश्मीर।
4	जिला बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर में 2 डीजल इंजन सेंट्रीफ्यूगल पंप	193502	19–09–2022	10,73,266	–	सहायक कार्यकारी अभियंता	सिंचाई सब–डिवीजन, जिला बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर
5	डीसी कार्यालय से परियोजना क्षेत्र और चक गांव जिला बारामूला, जम्मू और कश्मीर तक बांदीपोरा–गुरेज़ रोड के साथ किशनगंगा पावर स्टेशन के आसपास 245 सोलर स्ट्रीट लाइटें।	193502	25–03–2023	42,87,100	–	सहायक आयुक्त, पंचायत	सहायक आयुक्त पंचायत कार्यालय, मिनी सचिवालय, जिला बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर
6	500 एलपीएम क्षमता वाले प्रत्येक 02 ऑक्सीजन संयंत्र के लिए सीएसआर सहायता (क) जिला अस्पताल, कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सांकू, कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	194103	30–08–2022	40,00,000	सीएसआर 00052647	उपायुक्त	उपायुक्त/सीईओ, एलएएचडीसी, कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र।
7	खुबानी बाग, मिंजी ग्राउंड, कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लिफ्टिंग सिंचाई योजना (02–03 स्टेज स्क्विरेल केज टाइप इंडक्शन मोटर चालित, एपीएफ कंट्रोल पैनल, अर्थिंग, स्टोरेज टैंक 263 केवीए सब स्टेशन, आरसीसी फाउंडेशन आदि)	194103	27–03–2023 (प्रगति पर)	19,07,400	सीएसआर 00052647	उपायुक्त	उपायुक्त/सीईओ, एलएएचडीसी, कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र।

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर राशि (रुपये में)	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
8	सिविल अस्पताल, डलहौजी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश में एक आरओ सिस्टम।	176304	31-03-2023	75,000	–	एसएमओ	सिविल अस्पताल, डलहौजी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश।
9	तहसील कार्यालय, डलहौजी जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश में एक आरओ सिस्टम।	194103	30-08-2022	40,00,000	सीएसआर 00052647	तहसीलदार	तहसील कार्यालय, डलहौजी जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
10	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भंडार, शिक्षा खंड–सुंडला, तह–सलूणी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश में दो कमरों का निर्माण।	194103	27-03-2023	2,14,467	–	हेडमास्टर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भंडार, शिक्षा खंड– सुंडला, तह–सलूणी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश।
11	सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए एक मोबाइल मेडिकल यूनिट। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता संगठन, हिंदू सभा स्कूल के पास, तहसील सुनाम, संगरूर, पंजाब–148028	19,07,400	06-02-2023	27,11,788	सीएसआर 00020695	सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता संगठन	डी–306, एलजीएफ, पीएनबी बिल्डिंग, वेस्ट विनोद नगर, मेन रोड, दिल्ली–110092
12	पंजाब के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी। विद्या धाम, गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू, बाय–पास रोड, जालंधर, पंजाब।	144009	08-01-2023	21,65,757	सीएसआर 00021438	सर्वहितकारी एजुकेशनल सोसायटी	सी/ओ कुलवंत राय, सर्वहितकारी विद्या मंदिर, मिनी मार्केट के पास, सेक्टर 43–बी, चंडीगढ़ 160043
13	एसर इंटेल कोर i5 आल इन वन पीसी 21.5'' डिस्पले विंडोज 11 प्रोफेशनल–10 संख्या और लेजर प्रिंटर–10 संख्या अटल ज्ञान केन्द्र, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	175125	15-11-2022	6,05,091	–	बीडीओ कार्यालय जेई कुल्लू	बीडीओ कार्यालय, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
14	एसर डेस्कटाप कम्प्यूटर इंटेल कोर i3–02 संख्या, 02 संख्या प्रिंटर्स, 20 संख्या विजिटर चेयर और 10 संख्या राइटिंग बोर्ड्स, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट हाई स्कूल शिल्हा और प्राइमरी स्कूल शिल्हा, बर्शनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	175105	28-03-2023 (प्रगति पर)	1,69,813	–	प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिल्हा	प्रधानाचार्य राजकीय हाईस्कूल शिल्हा, पंचायत बर्शनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर राशि (रुपये में)	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
15	प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को 15 कंप्यूटर और यूपीएस	175125	31-08-2020	22,680	–	प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर	प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
16	ग्राम जाहिला, पंचायत बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 1 गारबेज पिट उपलब्ध कराना।	175134	29-03-2023	61,828	–	ग्राम प्रधान	जाहिला, बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
17	ग्राम सोती, पंचायत बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 1 गारबेज पिट उपलब्ध कराना।	175134	31-03-2023 (प्रगति पर)	49,462	–	ग्राम प्रधान	सोती, बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
18	अटल ज्ञान केंद्र बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को कंप्यूटर (05), प्रिंटर (02) उपलब्ध कराना।	175134	01-08-2022	1,26,619	–	ग्राम प्रधान	देवरी, बनोगी, कनौन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
19	दोहक गांव, ग्राम पंचायत बड़गांव गलू तहसील झंडूत्ता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में विरासत की सुरक्षा/संरक्षण के लिए सामुदायिक क्षेत्र का विकास।	174031	31-03-2023 (प्रगति पर)	28,98,000	–	ग्राम प्रधान	दोहक, झंडूत्ता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
20	ग्राम देवरी, पंचायत बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 1 वर्षा शेड उपलब्ध कराना।	175134	31-03-2023 (प्रगति पर)	1,01,904	–	ग्राम प्रधान	देवरी, बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
21	ग्राम मनहुम, पंचायत बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 1 वर्षा शेड उपलब्ध कराना।	175134	31-03-2023 (प्रगति पर)	1,01,904	–	ग्राम प्रधान	मनहम, बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
22	ग्राम सोती, पंचायत बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 1 वर्षा शेड उपलब्ध कराना।	175134	31-03-2023 (प्रगति पर)	1,01,904	–	ग्राम प्रधान	सोती, बनोगी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
23	तकदाह इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होम बस्टी, वार्ड नंबर 8, तकदाह ग्राम पंचायत, पीओ–तकदाह, पीएस–रंगली–रंगलियोट, दार्जिलिंग सदर, जिला–दार्जिलिंग, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन, पश्चिम बंगाल	734222	31-03-2023 (प्रगति पर)	6,00,00,000	–	प्रमुख सचिव, जीटीए	लालकोठी, सचिवालय भवन, जीटीए, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल–734101

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर राशि (रुपये में)	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
24	लीमाटक इंग्लिश मॉडल जूनियर हाई स्कूल, सिलेन हेंगलेप, चुराचांदपुर, मणिपुर में 30×60 फीट के क्लास रूम का निर्माण	795128	31-03-2023 (प्रगति पर)	3,44,163	–	प्रधानाचार्य	लीमाटक इंग्लिश मॉडल जूनियर हाई स्कूल सिलेन हेंगलेप, चुराचांदपुर, मणिपुर
25	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मारियांग, अपर सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक एम्बुलेंस	791002	09-02-2023	10,37,076	–	जिला चिकित्सा अधिकारी	जिला अपर सियांग, यिंकियोंग, अरुणाचल प्रदेश
26	चोंगखाम सर्कल, नामसाई जिला, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक एम्बुलेंस	792102	09-02-2023	10,37,076	–	जिला चिकित्सा अधिकारी	नामसाई जिला, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश
27	विवेकानन्द विद्यालय, कोठामंगलम, एर्नाकुलम, केरल में 03 क्लासरूम, एक स्टाफ रूम, एक कार्यालय कक्ष और चार शौचालयों के निर्माण सहित किंडरगार्टन सुविधा का विकास।	686691	31-03-2023 (प्रगति पर)	63,20,000	सीएसआर 00022461	सेवाकिरण चैरिटेबल सोसायटी	श्रीकरियूर, पीओ– कोठमंगलम, एर्नाकुलम, केरल – 686692
28	ग्राम–सोनबरसा, परसोंडा, शाहपुर ब्लॉक, आरा, भोजपुर जिला, बिहार में सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	802165	12-09-2022	8,10,134	–	ग्राम प्रधान/ मुखिया	परसोदा पंचायत, शाहपुर ब्लॉक, आरा, भोजपुर जिला, बिहार।
29	ग्राम–लक्ष्मणपुर, बहोरनपुर पंचायत, शाहपुर ब्लॉक, आरा, भोजपुर जिला, बिहार में 291 मीटर पीसीसी सड़क 3 मीटर चौड़ाई का निर्माण	802166	14-02-2023	21,31,870	–	ग्राम प्रधान/ मुखिया	बहोरनपुर पंचायत, शाहपुर ब्लॉक, आरा, भोजपुर जिला, बिहार।
30	संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन, मकान नंबर 24, 25, गोयला डेयरी, कुतुब विहार–৭, एच ब्लॉक, नई दिल्ली, दिल्ली 110071 को एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन	110071	26-08-2022	25,31,715	सीएसआर 00011691	संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन	संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन, मकान नंबर 24, 25, गोयला डेयरी, कुतुब विहार-**I**, एच ब्लॉक, नई दिल्ली, दिल्ली 110071
31	डॉ हेडगेवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च और बहारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट, अमरावती महाराष्ट्र में न्यूनतम इनवेसिव एंडोस्कोपीक सर्जरी सेटअप प्रदान करना	444606	07-11-2022	34,48,721	सीएसआर 00008650	जन कल्याण सेवा संस्था	नंदा मार्केट, दस्तूर नगर रोड, अमरावती, महाराष्ट्र 444606

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर राशि (रुपये में)	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
32	हेटिच रोटोसिलेंटा 630 आरएस रेफ्रिजरेटर फ्लोर स्टैंडिंग सेंट्रीफ्यूज ब्लड बैंक काई वामनराव ओका ब्लड सेंटर, विष्णुनगर, घंटाली मंदिर चौक, नौपाड़ा, ठाणे, महाराष्ट्र।	400602	30-04-2023	25,00,000	सीएसआर 00000424	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति महाराष्ट्र प्रांत, भागेश्वर निवास, 1609, सदाशिव पेठ, पुणे, महाराष्ट्र, 411030
33	गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001	174001	31-03-2023 (प्रगति पर)	10,00,00,000	–	निदेशक–प्रधानाचार्य	गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश –174001
34	जमालपुर, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश 23130245 को सोलर हाई मास्ट लाइट (4 × 18 वाट)	231302	31-03-2023 (प्रगति पर)	31,21,888	–	यूपी लघु उद्योग निगम लिमिटेड	बी–25, एसआईएल, एंसिलरी एस्टेट, नादर गंज, अमौसी, लखनऊ–226008
35	सुनाम, उधम सिंह वाला, जिला–संगरूर, पंजाब के प्रमुख स्थानों पर 20 हैवी लैंपों की संस्थापना	148028	28-12-2022	20,83,200	सीएसआर 00020695	सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता संगठन	डी–306, एलजीएफ, पीएनबी बिल्डिंग, वेस्ट विनोद नगर, मेन रोड, दिल्ली–110092
36	बद्रीनाथ धाम, जिला चमोली, उत्तराखंड–246422 में सिविक अमनेटी बिल्डिंग का निर्माण	246422	31-03-2023 (प्रगति पर)	4,48,09,000	सीएसआर 00009855	श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट (एसकेयूसीटी)	उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड पं. दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन ओएनजीसी हेलीपैड के पास, गढ़ी कैंट देहरादून, उत्तराखंड–248001

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर राशि (रुपये में)	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
37	रामनाथ आश्रम शाला, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश में स्मार्ट क्लास	485334	07-12-2022	11,68,180	सीएसआर 00008614	दीन दयाल अनुसंधान संस्थान	7ई, स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झाँसी मार्ग, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055
38	कृष्णा देवी वनवासी बालिका आवासीय विद्यालय, मझगवां, जिला सतना, मध्य प्रदेश में स्मार्ट क्लास	485331	07-12-2022	11,68,180			
39	सुरेंद्र पॉल ग्रामोदय विद्यालय, चित्रकूट जिला सतना, मध्य प्रदेश में स्मार्ट क्लास	485334	07-12-2022	11,68,180			
40	परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय, गनीवां, ब्लॉक पहाड़ी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट क्लास।	210206	07-12-2022	11,68,180			
41	रामनाथ आश्रम शाला, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश में एक प्रतीक्षालय का निर्माण	485334	25-03-2023	8,53,519			
42	कृष्णा देवी वनवासी बालिका आवासीय विद्यालय, मझगवां, जिला सतना, मध्य प्रदेश में एक प्रतीक्षालय का निर्माण।	485331	25-03-2023	8,53,519			
43	परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय, गनिया, ब्लॉक पहाड़ी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में एक प्रतीक्षालय का निर्माण।	210206	25-03-2023	8,53,519			

क्रम सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर राशि (रुपये में)	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
44	रामनाथ आश्रम शाला, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश में एक जल शोधक।	485334	15-01-2023	32,300	सीएसआर 00008614	दीन दयाल अनुसंधान संस्थान	7ई, स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झाँसी मार्ग, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055
45	कृष्णा देवी वनवासी बालिका आवासीय विद्यालय, मझगवां, जिला सतना, मध्य प्रदेश में एक वाटर प्यूरीफायर।	485331	15-01-2023	32,300			
46	सुरेंद्रपाल ग्रामोदय विद्यालय, चित्रकूट जिला सतना मध्य प्रदेश में एक वाटर प्यूरीफायर।	485334	15-01-2023	32,300			
47	गुरुकुल संकुल, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश में एक वाटर प्यूरीफायर।	485334	15-01-2023	32,300			
48	परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय, गनीवां, पहाड़ी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में एक वाटर प्यूरीफायर।	210206	15-01-2023	32,300			
49	आरोग्यधाम, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश में 150 केवीए सौर संयंत्र।	485334	15-03-2023	81,08,500			
			कुल	**26,93,06,907**			

अनुबंध–II

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने एनएचपीसी लिमिटेड, (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया था।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के मेरे सत्यापन और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश –

   (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

   (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

   (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

   (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2021;

   (ङ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

   (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;

   (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018।

(vi) कंपनी पर लागू होने वाले अन्य विशिष्ट लागू कानूनों के अंतर्गत अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली पर कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रमाण–पत्र के आधार पर विश्वास किया जा रहा है।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय–समय पर यथासंशोधित सचिवालयी मानक।

(ii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015)।

(iii) सीपीएसई हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित अभिमत के अधीन है:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 तथा दिनांक 13.12.2022 से 09.03.2023 तक की अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने पर, दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 तथा दिनांक 13.12.2022 से

09.03.2023 तक की अवधि को छोड़कर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी को सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 57(1) और 57(4) के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए बीएसई लिमिटेड से दिनांक 28.09.2022 और 27.09.2022 को ई–मेल के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुआ था। तथापि, कंपनी ने बीएसई लिमिटेड से लगाए गए जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध किया था क्योंकि कंपनी ने उपरोक्त नियमों का पालन किया था। बीएसई लिमिटेड ने दिनांक 02.11.2022 के ईमेल द्वारा विनियम 57(1) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना पहले ही वापस ले लिया था।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी ने सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के अनुसार एसडीडी अनुपालन किया है।

सामान्यतः, सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची, कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट, सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए कम से कम सात दिन पूर्व अथवा उससे कम के नोटिस पर पर्याप्त रूप से भेजे गए थे और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में किए गए सभी निर्णय सभी निदेशकों/सदस्यों की एकमत सहमति से अथवा अपेक्षित बहुमत से लिए गए थे।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग तथा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर व्यापक प्रभाव होने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीईओ49100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण–पत्र सं.: 2725/2022
हस्ता./–
सीएस अंजली
भागीदार
एसीएस सं. : 65330
सीपी सं. : 26496
यूडीआईएन : **ए065330ई000490117**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.06.2023

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो ''अनुबंध–क'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

"अनुबंध–क"

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,

सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड,

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे समक्ष लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्यों को दर्शाया जा सके। हम मानते है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखाबहियों की सटीकता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले शामिल किए गए अभिमतों/ टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।
4. जहां–कहीं अपेक्षित हो हमनें कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्र के मौजूद होने या न होने पर अपना मत व्यक्त करने तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस

कंपनी सचिव

आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीईओ49100

समकक्ष समीक्षा प्रमाण–पत्र सं.: 2725/2022

हस्ता./–

सीएस अंजली

भागीदार

एसीएस सं. : 65330

सीपी सं. : 26496

प्रपत्र एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचडीसी लिमिटेड,
एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू,
श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462013 भारत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम एनएचडीसी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया था।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर, हम एतदद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और एनएचडीसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (**लागू नहीं** क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं);

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम (**लागू नहीं** क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां डीमैट रूप में धारित नहीं हैं);

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम (**लागू नहीं** क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत शासित कोई भी विदेशी लेन–देन नहीं किया है);

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित विनियम और दिशा–निर्देश (**लागू नहीं** क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं):–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ और स्वेट इक्विटी) दिशानिर्देश, 2021

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2021; और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018;

(vi) कंपनी पर अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (उद्योग पर यथालागू) के अंतर्गत अनुपालनाओं/ प्रक्रियाओं/प्रणालियों पर कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रमाण पत्रों/अर्धवार्षिक विधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर विश्वास किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए समय–समय पर यथासंशोधित सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार, यदि लागू हो (**लागू नहीं** क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं);

iii. सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि :–

- एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और सभी निदेशक संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। एमसीए की दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए छूट दी गई है। कंपनी के निदेशक मंडल का महिला निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों के साथ विधिवत गठन किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए कम से कम 7 दिवस पूर्व अथवा उससे कम समय के नोटिस पर पर्याप्त रूप से भेजे जाते है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।
- बोर्ड/समिति की बैठकों में हल किए गए सभी निर्णय, सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से अथवा बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज अपेक्षित बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नियमों और विनियमों/ दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न नीतियां बनाई हैं और इन्हें अपनाया है जो निम्नानुसार है:

- संबंधित पक्षकार नीति;
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति;
- सतर्कता तंत्र नीति;
- जोखिम प्रबंधन नीति; तथा
- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए व्यापार आचरण और नैतिक संहिता।

उपर्युक्त नीतियां, जहां भी आवश्यक हैं, कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इस संबंध में परियोजनाओं पर सभी परियोजना प्रमुखों और कारपोरेट स्तर पर विभागों के प्रमुखों से त्रैमासिक/वार्षिक अनुपालन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक प्रणाली विकसित की गई है। हमें यह भी समझाया गया है कि एनएचडीसी के वित्त प्रभाग ने सेबी के दिनांक 18.10.2019 के परिपत्र के संगत खंड (खंडों) की प्रयोज्यता के संबंध में एनएचडीसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और लेखांकन मानदंडों के अनुपालन तथा वार्षिक वित्तीय विवरणी, लागत रिकॉर्ड के अनुपालन की इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि यह अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा/लागत लेखापरीक्षा के अध्यधीन है। यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं थी।

कृते अमित कुमार जैन एण्ड एसोसिएटस

हस्ता./–
सीएस अमित कुमार जैन
भागीदार कंपनी सचिव
एम. सं. एफ–6522 सी.पी. सं. : 7136
यूडीआईएनः एफ006522ई00048569

दिनांक : 14.06.2023
स्थान : भोपाल

अनुलग्नक – क

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचडीसी लिमिटेड,
एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू,
श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462013 भारत

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकार्डो की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयी रिकार्डों में सही तथ्यों को दर्शाया जा सके। हम मानते है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा लेखाबहियों की सटीकता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जहां–कहीं अपेक्षित हो हमनें कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते अमित कुमार जैन एण्ड एसोसिएटस

हस्ता./–
सीएस अमित कुमार जैन
भागीदार कंपनी सचिव
एम. सं. एफ–6522 सी.पी. सं. : 7136
यूडीआईएन: एफ006522ई00048569

दिनांक : 14.06.2023
स्थान : भोपाल

निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. निगमित अभिशासन संबंधी कंपनी का सिद्धांत

आपकी कंपनी इस बात में विश्वास करती है कि प्रभावी निगमित अभिशासन की कार्यपद्धतियां वाणिज्यिक उद्यम के सफल प्रचालन के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करने हेतु आवश्यक हैं। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी का सिद्धांत सभी हितधारकों, जिसमें विनियामक, कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज शामिल है, के लिए पारदर्शिता, जिम्मेदारी, नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी, कंपनी के लिए लागू सभी विनियामक प्रावधानों जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सर्वश्रेष्ठ निगमित अभिशासन कार्यपद्धतियों को कार्यान्वित करती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निगमित अभिशासन और प्रकटन अपेक्षाओं के साथ अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट नीचे दी गई है:

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की भूमिका में कंपनी के लक्ष्यों की योजना बनाना और उन्हें कार्यनीतिक बनाना तथा प्रयोजनों की प्रगति की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना शामिल है। बोर्ड संरचना का विविध दृष्टिकोण, विशेषज्ञता, परिप्रेक्ष्य और ज्ञान की एक श्रृंखला सामने लाता है जो विभिन्न हितधारकों की व्यापक चिंताओं को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। सभी सांविधिक और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री सूचना बोर्ड के समक्ष इसके दायित्वों के प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए रखी जाती है।

आपकी कंपनी का बोर्ड, निरंतर रूप से आपकी कंपनी के विजन और मिशन के अनुरूप स्थायी दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करता है।

(i) बोर्ड का आकार और संरचना:

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में दस निदेशक थे, जिनमें से चार कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित), एक सरकारी नामिति निदेशक और पांच स्वतंत्र निदेशक थे।

एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और यह विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति/उनका नामांकन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 तक और उसके बाद दिनांक 13.12.2022 से 09.03.2023 तक स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं होने की स्थिति में, सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। कंपनी ने अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा समय–समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया है। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 02.03.2023 के पत्र द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन (डीआईएन: 10064794) की, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, नियुक्ति से सूचित किया। तदनुसार, निदेशक मंडल ने दिनांक 10.03.2023 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री गोवर्धनन को नियुक्त किया था। तत्पश्चात, निदेशक मंडल की संरचना सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुरूप थी।

(ii) निदेशकों की कार्य अवधि:

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा भारत सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। सरकारी नामित निदेशक नामांकन प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा नामांकन प्राधिकारी के अधिकारी रहने तक बोर्ड में बने रहते हैं।

(iii) नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का जीवन–वृत्त:

आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन–वृत्त वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है।

(iv) निदेशकों का कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता

आपकी कंपनी ज्ञान, व्यावसायिक अनुभव और योग्यता, लिंग, आयु, सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, और समय–समय पर संगत माने जाने वाले किसी भी अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एकसमान कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता वाले बोर्ड के विविध लाभों की पहचान करती है और उन्हें अपनाती है।

बोर्ड की सभी नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। कार्यात्मक निदेशकों की भर्ती के लिए, लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा कार्य विवरण, वांछनीय अर्हता और अभ्यर्थियों के अनुभव को दर्शाते हुए रिक्ति जारी की जाती है। बोर्ड स्तर की समितियों में बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करते समय विद्युत क्षेत्र और विद्युत व्यापार, वित्त, विधि, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव पर विधिवत रूप से विचार किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुबंध–क में दिया गया मैट्रिक्स निदेशकों के मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/क्षमताओं का सार प्रस्तुत करता है।

(v) बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की ग्यारह बैठकें हुई। वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और उसमें उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड की जनशक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या		उपस्थिति का प्रतिशत
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	455	27 अप्रैल, 2022	9	6	3	100
2.	456	13 मई, 2022	9	4	3	77.77
3.	457	25 मई, 2022	9	7	1	88.88
4.	458	02 जुलाई, 2022	9	9	0	100
5.	459	10 अगस्त, 2022	9	9	0	100
6.	460	25 अगस्त, 2022	9	8	1	100
7.	461	13 अक्तूबर, 2022	8	7	0	87.50
8.	462	10 नवंबर, 2022	8	7	1	100
9.	463	06 जनवरी, 2023	9	8	1	100
10.	464	07 फरवरी, 2023	9	8	0	88.88
11.	465	28 मार्च, 2023	10	7	3	100

बोर्ड की किन्हीं दो बैठकों के बीच समय का अधिकतम अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं था।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, निदेशकों, बोर्ड की बैठकों/अंतिम एजीएम में उनकी उपस्थिति, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या, अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में उनके निदेशक की पदधारिता और अन्य कंपनियों के निदेशक की पदधारिता की संख्या तथा बोर्ड स्तर की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या नीचे दी गई है।

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित और भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम (25 अगस्त, 2022) में उपस्थिति	कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या*	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता की संख्या**		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप मे	
कार्यात्मक निदेशक							
राजीव कुमार विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[1]	3/3	उपलब्ध नहीं	शून्य	6	शून्य	शून्य	शून्य
अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[2]	6/6	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
यमुना कुमार चौबे, निदेशक (तकनीकी)	10/11	हाँ	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य
राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त)	11/11	हाँ	17,488	4	2	शून्य	शून्य
बिश्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं)	11/11	हाँ	10,275	6	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित और भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम (25 अगस्त, 2022) में उपस्थिति	कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या*	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता की संख्या**		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप मे	
सरकारी नामित निदेशक							
रघुराज माधव राजेंद्रन, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय के रुप में[3]	5/8	नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
मोहम्मद अफजल, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय[4]	2/3	उपलब्ध नहीं	शून्य	3	शून्य	1	1. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नामित निदेशक) 2.पीटीसी इंडिया लिमिटेड (सरकारी नामित निदेशक)
स्वतंत्र निदेशक							
उदय सखाराम निर्गुडकर	11/11	हाँ	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
अमित कंसल	11/11	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रश्मि शर्मा रावल	11/11	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीजी जोसफ	11/11	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रेमकुमार गोवर्थनन[5]	1/1	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*भारतीय कंपनियों में धारित निदेशक पद पर विचार किया गया है।

**अन्य कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

[1] विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 13.12.2022 से नियुक्त किया गया।

[2] अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2022 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद पर नहीं रहे।

[3] विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिनांक 05.12.2022 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद पर नहीं रहे।

[4] विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिनांक 06.12.2022 से कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया।

[5] विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिनांक 10.03.2023 से कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया।

टिप्पणियां:

– कंपनी के निदेशकों में से कोई भी निदेशक एक समय में सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं थे।

– कंपनी के निदेशकों में से कोई भी निदेशक सभी कंपनियों, जिसमें वह एक निदेशक है, में दस से अधिक (10) समितियों में सदस्य अथवा पांच से अधिक (5) बोर्ड स्तर की समितियों का अध्यक्ष नहीं है। बोर्ड स्तरीय समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता अथवा सदस्यता पर ही विचार किया गया है।

– कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों में से कोई भी पूर्णकालिक निदेशक तीन (3) से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

– कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।

– कंपनी के निदेशकों का आपस में परस्पर संबंध नहीं है।

– एनएचपीसी ने अद्यतन तिथि तक कोई परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किया है, अतः किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक ने ऐसा कोई दस्तावेज धारित नहीं किया है।

(vi) बोर्ड की स्वतंत्रता

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त/नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव के संबंध में विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। कंपनी के बोर्ड में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने विधि द्वारा अपेक्षित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा किया और वे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा रखे गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में पंजीकृत थे। किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

(vii) निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम:

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के संबंध में एक नीति कार्यान्वित की है, जिसमें कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशक शामिल हैं। कंपनी के निदेशकों को समय–समय पर लोक उद्यम विभाग, स्कोप, आईआईसीए और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा निगमित अभिशासन, निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व तथा अन्य उद्योग से संबंधित मामलों पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है। इससे वे अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी और दक्ष निर्वहन के लिए ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में सक्षम होते हैं।

परिचयात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1688128343.pdf पर देखा जा सकता है:

(viii) कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी कंपनियों को उस के तरीके के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट में सूचना प्रदान करने से छूट दी थी, जिसमें बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन, यदि निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, किया गया है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के सभी शीर्ष प्रबंधन पदधारियों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु निर्धारित तंत्र के अनुसार, कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नामित निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन भी नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार, एनएचपीसी ने "बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति" लागू की थी। कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मानदंड को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों, संपूर्ण बोर्ड और बोर्ड की अनिवार्य समितियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया है।

3. बोर्ड की समितियां:

बोर्ड की समितियां कंपनी की अभिशासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बोर्ड को विशिष्ट क्षेत्रों/क्रियाकलापों पर तार्किक निर्णय लेने में सहायता करती हैं। उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मामलों पर समितियों की सिफारिशें बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाती हैं। सेबी एलओडीआर और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

जहां–कहीं समितियों द्वारा अपेक्षित हो, समितियों के समक्ष रखे गए मामलों पर आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने बोर्ड की समिति (समितियों) की उन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिनका अनिवार्य रूप से समिति (समितियों) द्वारा उसके अनुमोदन के लिए सिफारिश किया जाना आवश्यक है।

अनिवार्य और गैर–अनिवार्य समितियों के सदस्यों, आयोजित बैठकों, विचारार्थ विषयों आदि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

3.1 लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

1.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रित होते है। आंतरिक लेखापरीक्षा को भी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की उन बैठकों में आमंत्रित किया गया था जिनमें क्रमशः वित्तीय विवरणों तथा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की गई थी। कंपनी सचिव, समितियों के सचिव के रूप में कार्य करते है।

विचारार्थ विषय:

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन है। यह लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की भी सिफारिश करती है और लेखापरीक्षकों द्वारा उनके द्वारा दी गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन करती है। यह समिति प्रबंधन के साथ तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की पर्याप्तता की समीक्षा करती है। यह व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्य पद्धति की समीक्षा करती है। यह संबद्ध पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन भी करती है और कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर तथा निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में उल्लिखित कार्य करती है। समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16859405160.pdf पर उपलब्ध हैं।

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की सात बैठकें हुई। बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	डॉ. अमित कंसल[1]	डॉ. रश्मि शर्मा रावल[1]	श्री जीजी जोसेफ	श्री यमुना कुमार चौबे
1.	25 मई, 2022	👤	👤	👤	👤	[👤]
2.	01 जुलाई, 2022	👤	👤	👤	👤	👤
3.	10 अगस्त, 2022	👤	👤	👤	👤	👤
4.	10 नवंबर, 2022	👤	👤	👤	👤	👤
5.	06 जनवरी, 2023	👤	👤	👤	👤	👤
6.	07 फरवरी, 2023	👤	👤	👤	👤	👤
7.	17 मार्च, 2023	👤	👤	[👤]	👤	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		7	7	7	7	7
भाग ली गई बैठकें		7	7	7	7	7
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100	100

[1] दिनांक 27.04.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

👤 व्यक्तिगत रुप से उपस्थित [👤] वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

विचारार्थ विषय

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों को हल करना है। यह शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी करती है और कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी निगमित अभिशासन दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित कार्य करती है। समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16859405160.pdf पर उपलब्ध हैं।

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति ने चार बैठकें कीं। बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	डॉ. अमित कंसल[1]	डॉ. रश्मि शर्मा रावल[1]	श्री जीजी जोसेफ	श्री यमुना कुमार चौबे	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल
1.	02 मई, 2022	👤	👤	👤	👤	👤	👤
2.	10 नवंबर, 2022	👤	👤	👤	👤	👤	👤
3.	06 दिसंबर, 2022	👤	👤	👤	👤	👤	🖥
4.	17 मार्च, 2023	👤	👤	🖥	👤	👤	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		4	4	4	4	4	4
भाग ली गई बैठकें		4	4	4	4	4	4
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100	100	100

[1]दिनांक 27.04.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

👤 व्यक्तिगत रुप से उपस्थित 🖥 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्रीमती रूपा देब, कंपनी सचिव, सेबी एलओडीआर के विनियम 6 के अनुसार कंपनी की अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतें:

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, विभिन्न माध्यमों जैसे ई–मेल, पत्रों, सेबी स्कोर्स इत्यादि से प्राप्त शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतों पर, विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों को छोड़कर, तेजी से कार्रवाई की गई थी। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	इक्विटी शेयरधारक	बांडधारक
1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभिक शेष	2*	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	864	43
वर्ष के दौरान निपटाई गईं	864	43
31, मार्च 2023 को लंबित	2*	शून्य

*लंबित न्यायालयी मामलों से संबंधित

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण, एनएचपीसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को बोर्ड तथा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकारी नामिति निदेशक को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना नीचे दी गई है:

1.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

विचारार्थ विषय:

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना तथा स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के निष्पादन मूल्यांकन हेतु मानदंड, बोर्ड की विविधता के संबंध में एक नीति तैयार करना है। यह निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा उन्हें हटाने की सिफारिश भी करती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी निगमित अभिशासन दिशा–निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कार्य करती है। समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16859405160.pdf पर उपलब्ध हैं।

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों और इसमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	डॉ. अमित कंसल[1]	श्री जीजी जोसेफ
1.	07 अप्रैल, 2022	👤	👤	लागू नहीं	👤
2.	24 मई, 2022	👤	👤	👤	🎥
3.	01 जुलाई, 2022	👤	👤	👤	👤
4.	28 सितंबर, 2022	👤	👤	👤	👤
5.	12 अक्तूबर, 2022	👤	👤	👤	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		5	5	4	5
भाग ली गई बैठकें		5	5	4	5
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100

[1]दिनांक 27.04.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

👤 व्यक्तिगत रुप से उपस्थित 🎥 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
6.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

विचारार्थ विषयः

समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय बोर्ड को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं सिफारिश करना है। यह समय–समय पर कंपनी द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए नीति तंत्र की निगरानी भी करती है। यह सीएसआर क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट की सामग्री का अनुमोदन करती है और समय–समय पर निदेशक मंडल को उनकी सूचना, विचार एवं आवश्यक निर्देशों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समय–समय पर संशोधित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन भी करती है। इस समिति के विचारार्थ विषय https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16859405160.pdf पर उपलब्ध हैं।

बैठकें और उपस्थितिः

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की छः बैठकें हुईं। बैठकों और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए है।

क्र. स.	बैठक की तिथि	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	डॉ. अमित कंसल	श्री जीजी जोसेफ	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	श्री बिश्वजीत बसु
1.	07 अप्रैल, 2022	👤	👤	👤	👤	📹	👤
2.	24 मई, 2022	👤	👤	👤	📹	👤	👤
3.	01 जुलाई, 2022	👤	👤	👤	👤	👤	👤
4.	06 अगस्त, 2022	👤	👤	👤	👤	📹	👤
5.	14 नवंबर, 2022	👤	👤	👤	👤	📹	👤
6.	06 दिसंबर, 2022	👤	👤	👤	👤	📹	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		6	6	6	6	6	6
भाग ली गई बैठकें		6	6	6	6	6	6
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100	100	100

👤 व्यक्तिगत रुप से उपस्थित 📹 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के समापन पर बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित किए गए अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियां एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेंगी। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित की गई शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में एनएचपीसी शामिल थी।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

1.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

विचारार्थ विषयः

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना है। यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के व्यापार से संबद्ध जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यपद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं। यह किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ अथवा प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणों का भी अनुमोदन और समीक्षा करती

है तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथापेक्षित कार्य करती है। समिति का विस्तृत विचारार्थ विषय https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16859405160.pdf पर उपलब्ध हैं।

बैठकें तथा उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं। बैठकों और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. स.	बैठक की तिथि	डॉ. अमित कंसल	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	श्री जीजी जोसफ[1]	श्री यमुना कुमार चौबे	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल
1.	10 अगस्त, 2022	👤	👤	👤	👤	👤	👤
2.	12 अक्तूबर, 2022	👤	👤	👤	👤	👤	👤
3.	07 फरवरी, 2023	👤	👤	👤	👤	👤	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		3	3	3	3	3	3
भाग ली गई बैठकें		3	3	3	3	3	3
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100	100	100

[1] दिनांक 27.04.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

👤 व्यक्तिगत रुप से उपस्थित

4. बोर्ड/समिति बैठकों हेतु कार्यपद्धति:

कंपनी अपने कार्यों की विशेषज्ञता के लिए निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों हेतु सर्वोत्तम उद्योग परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया जाना सुनिश्चित करती है। इससे बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठकों में एक सूचित तथा दक्ष निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28 दिसंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012–जीएम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और और सेबी एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसरण में, गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, स्वतंत्र निदेशक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें उस तिथि तक सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया था।

6. धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने संबंधी नीति

कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की नीति उपलब्ध है। यह नीति धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम, उसकी रिपोर्टिंग (यदि पता चला है या संदिग्ध है) और धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर निष्पक्ष व्यवहार के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराती है जिसमें कर्मचारियों के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं, या एनएचपीसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे किसी अन्य पक्षकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सभी रिपोर्टों की अत्यधिक प्राथमिकता के साथ जांच की जाती है

परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों के प्रमुख और कारपोरेट कार्यालय में विभाग प्रमुख (आंतरिक लेखापरीक्षा) को संबंधित स्थलों हेतु नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

7. एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने हेतु संहिता

समय–समय पर यथासंशोधित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, कंपनी ने "आंतरिक कार्मिकों द्वारा ट्रेडिंग के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना हेतु आचार संहिता" और "इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए उचित प्रकटन परिपाटियों की संहिता" तैयार और कार्यान्वित की है।

यह संहिता निम्नानुसार परिभाषित नामित व्यक्तियों पर लागू होती है:

i) कंपनी के सभी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी;

ii) कंपनी के महाप्रबंधक तथा उससे उच्च स्तर के सभी कार्यपालक और कारपोरेट कार्यालय में वित्त विभाग, कंपनी सचिवालय और निदेशकों के सचिवालय में कार्य कर रहे सभी कार्यपालक;

iii) कंपनी की वास्तविक सहायक कंपनियों के निदेशक, केएमपी तथा कर्मचारी (प्रमुख/प्रमुख अभियंता तथा उससे उच्च स्तर के कार्यपालक); और

iv) कंपनी के ऐसे अन्य कर्मचारी जिनमें वास्तविक सहायक कंपनियां, निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर नामित अस्थायी/तदर्थ कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर व्यापारिक प्रतिबंध लागू होंगे।

एनएचपीसी की प्रतिभूतियों में व्यापार हेतु ट्रेडिंग विंडो नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल निकटतम संबंधियों के लिए बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदनशील सूचना के रखे जाने के प्रस्तावित/प्रत्याशित होने के समय बंद रहती थी। उपर्युक्त के अलावा, ट्रेडिंग विंडो प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय परिणामों पर विचार करने के बाद 48 घंटे तक बंद रहती है।

इस संहिता के अंतर्गत श्री सौरभ चक्रवर्ती, प्रबंधक (कंपनी सचिव) को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह संहिता कपंनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188619.pdf

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) का साझाकरण और अभिग्रहण करना

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने यूपीएसआई की गति को पकड़ने और गोपनीयता करार को अपलोड करने के लिए, एक इन–हाउस वेब आधारित स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) तैयार किया है। यह डेटाबेस यूपीएसआई करते समय एसडीडी में दर्ज प्रविष्टि का ऑडिट ट्रेल, ऑडिट लॉग रिपोर्ट, समय और तारीख की मोहर आदि रखता है। सभी विभागाध्यक्षों (एचओडी) को उन व्यक्तियों के नाम, जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया गया है, उनका पैन, यूपीएसआई की प्रकृति/उद्देश्य और एसडीडी पोर्टल पर गोपनीयता करार को अपलोड करने जैसे ब्यौरे के साथ यूपीएसआई के अभिग्रहण का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभागाध्यक्षों के लिए तिमाही आधार पर यह भी प्रमाणित करना आवश्यक है कि यूपीएसआई के प्राप्तकर्ताओं को पहले से सूचित किया गया था कि साझा की जा रही सूचना एक यूपीएसआई है और यूपीएसआई साझा करने से पूर्व एसडीडी में प्रविष्टि दर्ज की गई है।

8. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियत सीमा के भीतर स्वंतत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

वर्तमान में, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 40,000/– रुपये और समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 30,000/– रुपये के बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैठक शुल्क को 30,000/– रुपये से बढ़ाकर 40,000/– रुपये कर दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक तथा बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क के ब्यौरे क्रमशः **तालिका–क** और **तालिका–ख** में दिए गए हैं।

तालिका कः वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	लाभ*	कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	कुल
श्री राजीव कुमार विश्नोई[1]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अभय कुमार सिंह[2]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	20,54,004	79,56,714	18,80,936	1,18,91,654
श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	58,31,905	22,14,085	30,97,380	1,11,43,370
श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) और सीएफओ	52,44,679	11,95,557	26,11,110	90,51,346
श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	47,60,682	23,01,485	26,22,432	96,84,599

*लाभों में परिलब्धियां, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान), छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी आदि, जिन्हें वेतन में शामिल नहीं किया गया था, शामिल हैं।

[1]दिनांक 13.12.2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है। तदनुसार, उन्हें एनएचपीसी लिमिटेड से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

[2]दिनांक 31.08.2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

टिप्पणीः

1. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, सूचना अवधि और विच्छेद शुल्क, यदि कोई हो, सहित कार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार शासित होती हैं।
2. उपरोक्त के अलावा, कंपनी के लागू नियमों के अनुसार कार्यात्मक निदेशक भी चिकित्सा लाभ हेतु पात्र हैं।

तालिका ख – वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क**		कुल
	बोर्ड बैठक	स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों सहित समिति की बैठकें	
डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर*	3,50,000	8,40,000	11,90,000
डॉ. रश्मि शर्मा रावल	3,50,000	8,40,000	11,90,000
डॉ. अमित कंसल	3,50,000	8,10,000	11,60,000
श्री जीजी जोसफ	3,50,000	8,40,000	11,90,000
श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन	40,000	60,000	1,00,000

*नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष होने के नाते, उन्हें विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और उन्हें मानदेय भी दिया गया था।

**बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन /आवास/वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। बैठक शुल्क की राशि में कंपनी द्वारा पूर्ण वापसी प्रभार तंत्र के अंतर्गत बैठक शुल्क पर अदा किए गए कर की राशि शामिल नहीं है।

ऊपर यथा–उल्लिखित को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188668.pdf पर उपलब्ध हैं।

9. सहायक कम्पनियां

वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों की बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त और सहायक कंपनियों द्वारा किए गए करारों और बहुत अधिक कारोबार का ब्यौरा एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष इसकी सूचना के लिए रखे गए थे। वित्तीय विवरणी, विशेष रूप से, इन सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई थी।

10. सामान्य बैठकें:

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीख, समय और स्थान तथा उनमें पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 12: वार्षिक आम बैठकें:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2021–22	25 अगस्त, 2022	अपराह्न 12.30 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित बैठक	क) कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर (डीआईएनः 07592413) को नियुक्त करना। ख) कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. अमित कंसल (डीआईएनः 07722428) को नियुक्त करना। ग) कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रश्मि शर्मा रावल (डीआईएनः 09410683) को नियुक्त करना। घ) श्री जिजी जोसेफ (डीआईएनः 09415941) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2020–21	29 सितम्बर, 2021	अपराह्न 03:00 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित बैठक	क) कंपनी की उधार लेने की सीमा को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करना। ख) कंपनी की चल और अचल संपत्तियों पर बंधक और/अथवा प्रभार सृजित करना।
2019–20	29 सितम्बर, 2020	अपराह्न 03:00 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों से आयोजित बैठक	शून्य

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने पोस्टल बैलेट के जरिए सदस्यों से अनुमोदन मांगा था। लागू एमसीए के परिपत्रों के अनुसार पोस्टल बैलेट नोटिस सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिचालित किए गए थे। पोस्टल बैलेट नोटिस में प्रस्तावित कार्य इस प्रकार थे:

1. श्री मोहम्मद अफजल (डीआईएन: 09762315), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को कंपनी के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना (साधारण संकल्प)
2. श्री राजीव कुमार विश्नोई (डीआईएन: 08534217) को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना (साधारण संकल्प)।

सदस्यों को दिनांक 20.01.2023 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) से दिनांक 18.02.2023 शाम 05:00 बजे (आईएसटी) तक रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई। पोस्टल बैलेट का परिणाम दिनांक 20.02.2023 को घोषित किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्यों को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान वर्तमान में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

11. प्रकटन:

(i) संबंधित पार्टी लेन–देन:

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 23 के अनुपालन में संबद्ध पार्टी लेन–देनों की वास्तविकता और संबद्ध पार्टी लेन–देन में व्यवहार संबंधी नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए सभी अनुबंध/ व्यवस्था/लेन–देन को निष्पक्ष आधार पर किया गया था और उसका उद्देश्य कंपनी के हितों को बढ़ाना था। कोई वास्तविक रूप से बहुत अधिक संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं हुआ था जिसमें व्यापक रूप से कंपनी के हित के साथ टकराव संभावित हो।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबद्ध पार्टी लेन–देनों की वास्तविकता और संबद्ध पार्टी लेन–देन में व्यवहार संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर https://www.nhpcindia.com/ assests/pzi_public/gallery/1683188346.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ii) सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं:

कंपनी ने विनियम 17 से 27 तक (दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 तक और दिनांक 13.12.2022 से 09.03.2023 तक की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के संबंध में छोड़कर) और सेबी एलओडीआर के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) सहित सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशा–निर्देशों की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों, अध्याय 3 के कुछ खंडों को छोड़कर, की अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण गैर–अनुपालन हुआ था, जो बोर्ड और कंपनी के नियंत्रण से इतर था।

क) स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर शास्तियां, प्रतिबंध:

पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसी स्टाक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई और/अथवा कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, सेबी एलओडीआर के विनियम 17, 17(2क), 18, 19, 20 और 21 के अंतर्गत अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 29.11.2021 तक) बोर्ड स्तरीय समितियों

की संरचना और गठन (दिनांक 06.12.2021 तक) आदि के संबंध में गैर–अनुपालन के लिए विभिन्न तिमाहियों हेतु जुर्माना (जुर्मने) लगाने के लिए आपकी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से पत्र प्राप्त हुआ था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य को देखते हुए उपर्युक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। बीएसई और एनएसई ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही तक लगाई जुर्माना राशि (31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी एलओडीआर के विनियम 21 के गैर–अनुपालन के लिए बीएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने को छोड़कर) को पहले ही माफ कर दिया है। शेष अवधि के लिए जुर्माने को माफ करने के संबंध में एनएसई/बीएसई से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। विनियम 57(4) के अंतर्गत बीएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने को वापस लेने का आवेदन पत्र बीएसई के पास लंबित है।

ख) घटना अथवा सूचना का प्रकटन

बोर्ड ने निदेशक (वित्त) को सेबी एलओडीआर के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंजों को प्रकटन किए जाने के प्रयोजन हेतु किसी घटना अथवा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया है। स्टाक एक्सचेंज को प्रकट किए जाने हेतु किसी घटना अथवा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और ये कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

ग) राष्ट्रपति के निदेश

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, कंपनी को बोर्ड स्तरीय और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर–यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के दिनांक 01.01.2017 से वेतन संशोधन से संबंधित लाभप्रदता की समीक्षा के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केवल एक निदेश प्राप्त हुआ है।

घ) लेखांकन व्यवहारः

प्रबंधन के मत में, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है।

ङ) व्हीसल ब्लोअर नीतिः

कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की सूचना देने और जांच एवं सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक व्हिसल ब्लोअर नीति कार्यान्वित की है। इस नीति में कर्मचारियों, जो सूचना देते हैं, का उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित सुरक्षात्मक उपाय का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से इंकार नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत सूचित नहीं की गई थी।

च) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटनः

कंपनी में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराना प्रबंधन का हमेशा से एक प्रयास रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को "एनएचपीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली" के अंतर्गत कदाचार के रूप में शामिल किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष के अंत में दायर की गईं, निपटाई गईं और लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

छ) लेखा बहियों में डेबिट की गईं व्यय की कोई मदें नहीं थीं, जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नही थीं।

ज) निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति के कोई व्यय नहीं किए गए थे।

झ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्त व्यय के ब्यौरे और इसमें वृद्धि के कारण नीचे दिए गए हैंः

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2022–23	2021–22	वृद्धि के कारण
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	22.76	19.76	प्रशासनिक खर्चों में भिन्नता का मुख्य कारण सुरक्षा व्यय, सीएसआर व्यय में वृद्धि, विचलन पर बाजार – हानि से मार्क और वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि तथा वित्त व्यय में भिन्नता पावर स्टेशनों पर ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण है।
वित्त व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	266.06	196.57	

ञ) वस्तु मूल्य जोखिम अथवा विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग क्रियाकलाप

कंपनी वस्तुओं का कारोबार नहीं करती है और इसलिए 15 नवंबर, 2018 के सेबी के परिपत्र के अनुसार प्रकटन दिया जाना अपेक्षित नहीं है। निदेशक मंडल ने 15 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 423वीं बैठक में कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया था, जिसमें विदेशी मुद्रा में कंपनी के कुल जोखिम और अंतर्ग्रस्त जोखिम पर विचार किया गया था। कंपनी के लाभ पर विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं

हुआ था क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019–24 के दौरान टैरिफ के माध्यम से वसूल किया जाता है।

ट) सूचीबद्ध कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और उस नेटवर्क फर्म/नेटवर्क कंपनी की सभी कंपनियों को, जिनका सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग है, को सभी सेवाओं हेतु अदा किया गया कुल शुल्कः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षकों को समेकित आधार पर अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे निम्नानुसार थेः

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
i) सांविधिक लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षक के रूप में	
लेखापरीक्षा शुल्क	1.12
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.28
अन्य क्षमता में	
कराधान मामले	-
अन्य मामले/सेवाएं	0.74
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.39
ii) लागत लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.23
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.01
iii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.03
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.01
कुल लेखापरीक्षा व्यय	**2.81**

ढ) वास्तविक सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीतिः

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ग) के अनुसार वास्तविक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति बनाई गई है। यह नीति वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैः https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188280.pdf

ड) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 32(7क) के अंतर्गत यथानिर्धारित अधिमानी आवंटन अथवा अर्हक संस्थान नियोजन के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है।

ढ) अन्य प्रकटन

(i) सेबी एलओडीआर की अनुसूची V और निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है और वह इस रिपोर्ट का भाग बनने वाले अनुबंध–ख के रूप में संलग्न है जिसमें इस आशय का एक प्रमाण–पत्र भी शामिल है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अनर्हक नहीं किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की किसी प्रतिभूति को व्यापार करने से निलंबित नहीं किया गया था।

(iii) गैर–बाध्यकारी अपेक्षाओं को अपनानाः

क) बोर्डः कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

ख) शेयरधारकों के अधिकारः पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध–वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, आवधिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं और इस रिपोर्ट में ''संचार के साधन'' शीर्ष के अंतर्गत यथाउल्लिखित प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से तिमाही आधार पर कंपनी के वित्तीय निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

ग) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मतः कंपनी का प्रयास हमेशा ही गैर–अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।

घ) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पृथक पदः कंपनी में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से नियुक्त एक ही व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है।

ङ) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंगः श्री कुप्पिले लक्ष्मणन आचार्युलु, महाप्रबंधक (वित्त) कम्पनी के मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक हैं। संगठन ढांचे के अनुसार, श्री आचार्युलु कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

ण) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया गया था, जिनमें निदेशकों की रुचि थी।

त) सूचीबद्ध इकाई की उन वास्तविक सहायक कंपनियों के ब्यौरे जिसमें निगमन की तारीख और स्थान एवं ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों का नाम और नियुक्ति की तारीख शामिल हैः

वास्तविक सहायक कंपनी का नाम और शेयरधारिता पैटर्न	निगमन की तारीख और स्थान	सांविधिक लेखापरीक्षकों का नाम और नियुक्ति की तारीख
एनएचडीसी लिमिटेड [एनएचपीसी (51.08%), मध्य प्रदेश सरकार (26%) और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली) (22.92%)]।	01 अगस्त, 2000 पंजीकृत कार्यालयः एनएचडीसी परिसर, होटल लेक व्यू अशोक के पास, श्यामला हिल्स, भोपाल– 462013 कंपनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए दिनांक 29 अगस्त, 2022 के पत्र के माध्यम से मैसर्स भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी, भोपाल को एनएचडीसी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

12. सीईओ/सीएफओ अनुपालन प्रमाणनः

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के अनुसार, श्री राजीव कुमार विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाण पत्र **अनुबंध–ग** के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

13. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम सेबी एलओडीआर में निर्दिष्ट समय–सीमा अथवा समय–समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट ऐसी विस्तारित समय सीमा के भीतर घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं और राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के शेयरधारकों को तिमाही आधार पर ई–मेल के माध्यम से कंपनी के निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा क्रियाकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों को कंपनी की वेबसाइट पर तथा सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से हितधारकों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। संस्थागत निवेशकों और/अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतिकरण दिए जाते हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

निगमित अभिशासन के तहत कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न प्रकटनों को शेयरधारकों द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर समर्पित "निवेशक कार्नर" भाग के तहत प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी के तिमाही गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित अवधि के भीतर सूचित किए जाते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ये परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और जनसत्ता जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। व्यापक परिचालन के लिए परिणाम अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे।

14. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का ब्यौरा

दिनांकः गुरुवार, 31 अगस्त, 2023

समयः अपराह्नः 03.00 बजे (भारतीय मानक समय)

देश में कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 05.05.2022, 08.04.2020, 13.04.2020 और 05.05.2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 28.12.2022 के परिपत्र और सेबी द्वारा दिनांक 05.01.2023 के परिपत्र के माध्यम से दी गई रियायतों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से किया जाएगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक में प्रतिभागिता के संबंध में आवश्यक विवरण/अनुदेशों के लिए वार्षिक आम बैठक का नोटिस देखें।

(ii) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय कलैंडर:

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणामों को बोर्ड की बैठक के समापन से निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए चौथी तिमाही के परिणाम/ वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2023 को या उससे पूर्व आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणामों को बोर्ड की बैठक के समापन से निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
एजीएम – 2024	अगस्त/ सितम्बर, 2024 (संभावित)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बहियों को **बुधवार, 23 अगस्त, 2023 से गुरुवार, 31 अगस्त, 2023** तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 1.40/– रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा फरवरी, 2023 में की थी। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 0.45 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश को अनुमोदित किया जाता है तो वर्ष के लिए कुल लाभांश 1.85/– रुपये प्रति इक्विटी शेयर होता है।

वे सदस्य लाभांश प्राप्ति के पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभग्राही स्वामियों की सूची में **मंगलवार, 22 अगस्त, 2023** (रिकार्ड तिथि) की स्थिति के अनुसार दर्ज होंगे। वार्षिक आम सभा में घोषणा किए जाने की स्थिति में अंतिम लाभांश का भुगतान कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कर दिया जाएगा।

(v) लाभांश इतिहास

सूचीकरण से लेकर कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांश का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	घोषित लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक/बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	भुगतान की तिथि
2009-10	676.54	22 सितम्बर, 2010	01 अक्तूबर, 2010
2010-11	738.04	19 सितम्बर, 2011	28 सितम्बर, 2011
2011-12	861.05	17 सितम्बर, 2012	26 सितम्बर, 2012
2012-13	738.04	16 सितम्बर, 2013	25 सितम्बर, 2013
2013-14	332.13	26 सितम्बर, 2014	07 अक्तूबर, 2014
2014-15	664.27 (221.43 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	16 जनवरी, 2015 और 23 सितम्बर, 2015	12 फरवरी, 2015 और 03 अक्तूबर, 2015
2015-16	1,660.60 (1,018.50 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	10 फरवरी, 2016 और 22 सितम्बर, 2016	2 मार्च, 2016 और 3 अक्तूबर, 2016
2016-17	1,984.62 (1,882.02 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 जनवरी, 2017 और 27 सितम्बर, 2017	27 जनवरी, 2017 और 5 अक्तूबर, 2017
2017-18	1,436.31 (1,149.05 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 फरवरी, 2018 और 27 सितम्बर, 2018	8 मार्च, 2018 और 22 अक्तूबर, 2018
2018-19	1,466.58 (713.20 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	8 फरवरी, 2019 और 23 सितम्बर, 2019	5 मार्च, 2019 और 18 अक्तूबर, 2019

वित्तीय वर्ष	घोषित लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक/बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	भुगतान की तिथि
2019-20	1506.75 (1,185.31 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	7 फरवरी, 2020 और 29 सितम्बर, 2020	3 मार्च, 2020 और 22 अक्तूबर, 2020
2020-21	1,607.21 (1,255.63 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	11 फरवरी, 2021 और 29 सितम्बर, 2021	05 मार्च, 2021 और 21 अक्तूबर, 2021
2021-22	1818.15 (1,315.90 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	11 फरवरी, 2022 और 25 अगस्त, 2022	04 मार्च, 2022 और 17 सितंबर, 2022
2022-23	1406.30 (अंतरिम लाभांश)	07 फरवरी, 2023	02 मार्च, 2023

vi. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

एनएचपीसी की प्रतिभूतियां निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पताः फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001 स्क्रिप कोडः 533098 आईएसआईएनः INE848E01016 (इक्विटी शेयर)	पताः एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लाक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई – 400051 स्क्रिप कोडः एन एच पी सी आईएसआईएनः INE848E01016 (इक्विटी शेयर)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड को देय तिथियों के भीतर किया गया है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक कस्टोडियन शुल्क भी दोनों डिपोजिटरियों अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड को अदा किया जा चुका है।

vii) बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन

एनएचपीसी शेयर मूल्य की बीएसई सूचकांक और एनएसई निफ्टी के साथ तुलना क्रमशः **तालिका क** और **तालिका ख** दी गई है।

तालिका कः बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेंसेक्स			
माह	उच्च	न्यून	बंद
अप्रैल–22	60,845.10	56,009.07	57,060.87
मई–22	57,184.21	52,632.48	55,566.41
जून 22	56,432.65	50,921.22	53,018.94
जुलाई–22	57,619.27	52,094.25	57,570.25
अगस्त–22	60,411.20	57,367.47	59,537.07
सितम्बर–22	60,676.12	56,147.23	57,426.92
अक्टूबर–22	60,786.70	56,683.40	60,746.59
नवंबर–22	63,303.01	60,425.47	63,099.65
दिसंबर–22	63,583.07	59,754.10	60,840.74
जनवरी–23	61,343.96	58,699.20	59,549.90
फरवरी–23	61,682.25	58,795.97	58,962.12
मार्च–23	60,498.48	57,084.91	58,991.52

बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
माह	उच्च (रु.)	न्यून (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल–22	37.55	27.55	33.25
मई–22	34.10	30.05	33.65
जून 22	34.40	28.85	30.85
जुलाई–22	34.80	30.60	34.15
अगस्त–22	39.20	33.40	38.40
सितम्बर–22	40.40	34.05	35.65
अक्टूबर–22	46.90	35.10	42.55
नवंबर–22	45.25	41.00	42.05
दिसंबर–22	43.45	36.80	39.70
जनवरी–23	44.35	38.70	43.90
फरवरी–23	44.35	37.80	39.00
मार्च–23	43.75	38.70	40.20

तालिका खः एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेंसेक्स				बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
माह	उच्च	न्यून	बंद	माह	उच्च (रु.)	न्यून (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल—22	18,114.65	16,824.70	17,102.55	अप्रैल—22	37.60	27.55	33.20
मई—22	17,132.85	15,735.75	16,584.55	मई—22	34.10	30.05	33.65
जून 22	16,793.85	15,183.40	15,780.25	जून 22	34.40	28.80	30.75
जुलाई—22	17,172.80	15,511.05	17,158.25	जुलाई—22	34.90	30.60	34.15
अगस्त—22	17,992.20	17,154.80	17,759.30	अगस्त—22	39.20	33.35	38.40
सितम्बर—22	18,096.15	16,747.70	17,094.35	सितम्बर—22	40.40	34.05	35.70
अक्टूबर—22	18,022.80	16,855.55	18,012.20	अक्टूबर—22	46.90	35.05	42.60
नवंबर—22	18,816.05	17,959.20	18,758.35	नवंबर—22	45.20	41.00	42.05
दिसंबर—22	18,887.60	17,774.25	18,105.30	दिसंबर—22	43.50	36.75	39.75
जनवरी—23	18,251.95	17,405.55	17,662.15	जनवरी—23	44.40	38.70	43.90
फरवरी—23	18,134.75	17,255.20	17,303.95	फरवरी—23	44.35	37.75	39.15
मार्च—23	17,799.95	16,828.35	17,359.75	मार्च—23	43.80	38.70	40.20

viii. सूचकांक की तुलना में निष्पादन

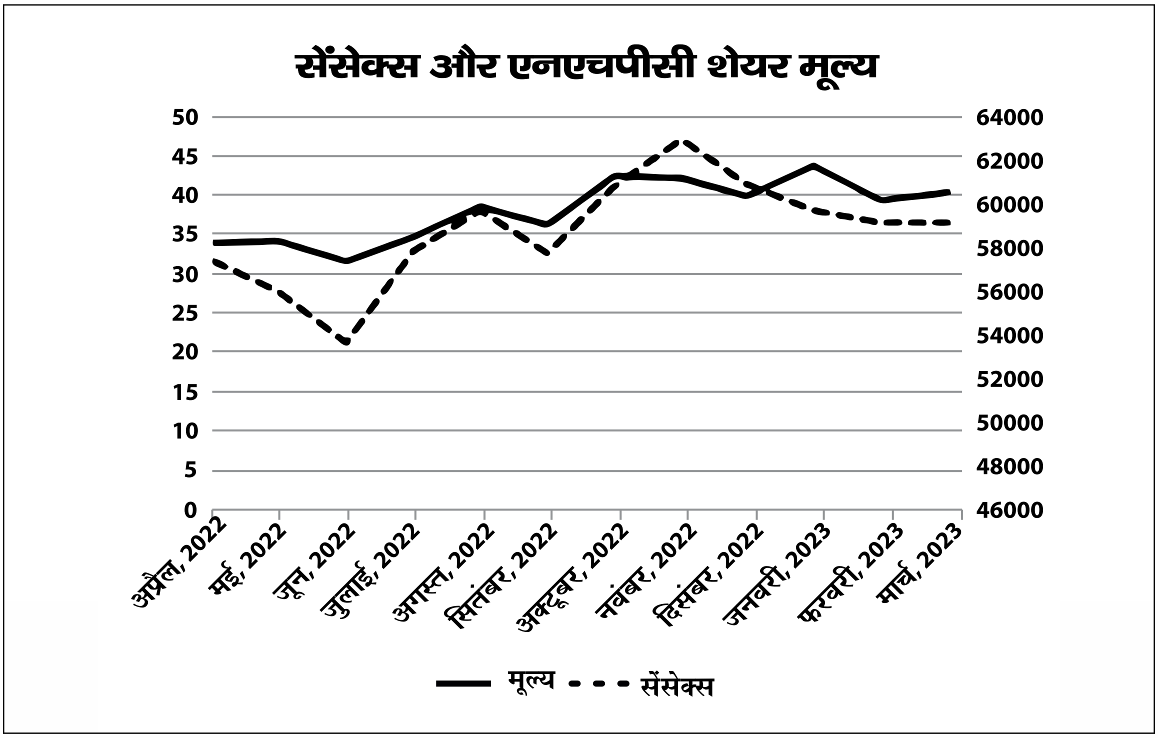

टिप्पणीः ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है।

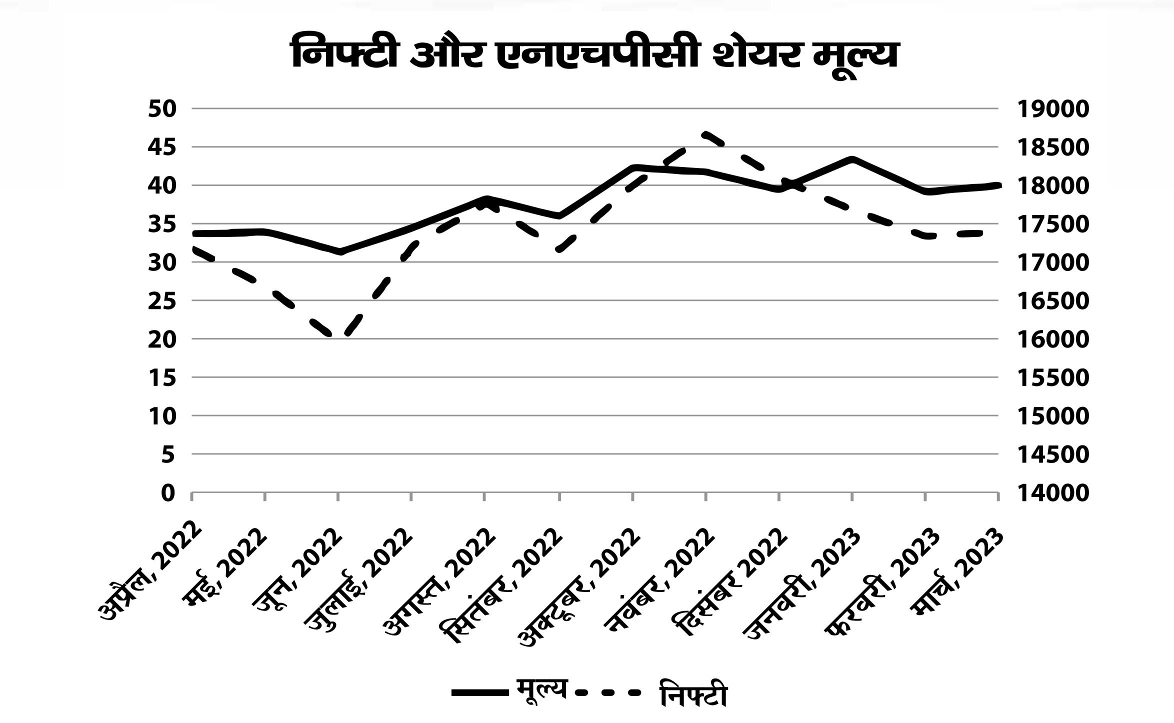

टिप्पणीः ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है।

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों हेतु	कर मुक्त बॉण्ड हेतु
मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055, भारत दूरभाषः 011 4254 1234, 011 2354 1234 फैक्सः 011 4254 1201, 011 2355 2001 ई–मेलः alankit.nhpc@alankit.com टोल फ्री नंबरः 1860 121 2155	मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31–32, गाचीबाउली फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना– 500032 दूरभाष नं.: 040 6716 2222 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com

अन्य बॉण्डों हेतु
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी–25/1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल फेज–।। नई दिल्ली – 110020 दूरभाष सं.: 011–26387320, 26387321 ई–मेलः investorservices@rcmcdelhi.com वेबसाइटः www.rcmcdelhi.com

x. क्रेडिट रेटिंग

कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग	ऋण जिनके संबंध में रेटिंग प्राप्त की गई है
		कारपोरेट घरेलू रेटिंग	
1.	इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च	इंड एएए/ स्थिर	-
		घरेलू रेटिंग (उपकरण)	
1	इंडिया रेटिंग	इंड एएए/ स्थिर	पी, क्यू, आर (आर1, आर2 और आर3), कर मुक्त, एस (एस1 और एस2), टी, यू, यू1, वी2, एक्स, वाई, वाई1, एए, एए1, एबी, एसी और एडी सीरीज, भारत सरकार बाण्ड और दीर्घावधि बैंक सुविधाएं/ एफआईएस
		इंड एएए/ स्थिर / इंड ए1 +	कार्यशील पूंजी सीमा
2	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए (स्थिर)	क्यू, आर (आर1, आर2 और आर3), डब्ल्यू2, वाई, वाई1 और कर मुक्त बाण्ड
3	केयर	केयर एएए: स्थिर	क्यू, एस (एस1 और एस2), टी, यू, यू1, वी2, डब्ल्यू2, कर मुक्त, एक्स, एए, एए1, एबी, एसी और एडी सीरीज तथा भारत सरकार बाण्ड
		कारपोरेट अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग	
1	एस एण्ड पी	बीबीबी – आउटलुक: स्थिर	-

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली

निदेशक मंडल ने आरटीए को वास्तविक शेयर वाले शेयरधारकों से शेयरों के अंतरण/ ट्रांसमिशन के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया था। शेयरों के रि–मैटीरियलाइजेशन, समेकन और डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राप्त अनुरोधों की निगरानी एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन–पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा की जाती है। सेबी ने 01.04.2019 से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के वास्तविक अंतरण को प्रतिबंधित किया है और केवल डीमैट रूप में ही अंतरण के लिए अधिदेशित किया है। तथापि, निवेशकों के लिए वास्तविक रूप से शेयर धारित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 40 के अनुसरण में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से यह पुष्टि करते हुए कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सभी प्रमाण–पत्र अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, अथवा आमंत्रण/आवंटन राशि के पृष्ठांकन हेतु निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए हैं, के आशय का प्रमाण–पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था।

(xii) शेयरों और अदा न किए गए/अदावाकृत राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, भुगतान न किए गए/दावा न किए गए कुल 3,68,05,624/– रुपये (वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 1,51,90,038/– रुपये और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 2,16,15,586/– रुपये) का लाभांश और तद्नुरुपी 6,26,378 इक्विटी शेयर जिसके लिए लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक के लिए भुगतान नहीं की गई/दावा न की गई रही, उन्हें कंपनी द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने वित्ततय वर्ष 2015–16 के भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश की तुलना में 4,48,713 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया था।

आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण को प्रभावी रूप देने से पूर्व कंपनी ने ऐसे सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रुप से संबोधित पत्र और समाचार–पत्र में सूचना के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किए जाने थे।

आईईपीएफ में अंतरित अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश और तद्नुरुपी शेयर, कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा और आईईपीएफ प्राधिकारी से लाभांश तथा शेयरों का दावा करने हेतु कार्यपद्धति कंपनी की वेबसाइट में https://www.nhpcindia.com/welcome/sub_page/117 लिंक पर और निवेशक

शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात www.iepf.gov.in पर भी उपलब्ध है। शेयरधारक अपने अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश एवं तद्नुरुपी शेयरों का दावा उनकी वेबसाइट www.iepf.gov.in पर निर्धारित फार्म अर्थात आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन कर आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से संबंधित अदा न किए गए/दावा न किए गए अंतरिम लाभांश को वर्ष 2022–23 के दौरान पहले ही आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से संबंधित अदा न किए गए/दावा न किए गए अंतिम लाभांश और तद्नुरुपी शेयर वर्ष 2023–24 के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किये जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान से संबंधित और शेष अदा न किए गए/दावा न किए गए अंतिम लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि 27 अक्तूबर, 2023 है। सदस्य अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश हेतु अपने दावे कंपनी के आरटीए को आईईपीएफ में अंतरित किए जाने से पूर्व कर सकते हैं। इस प्रकार अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के प्रति कोई दावा नहीं बनेगा।

(xiii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर क्रमशः **तालिका क** तथा **तालिका ख** में दिए गए हैं:

(i) तालिका कः 31 मार्च, 2023 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %*	कुल शेयर	शेयरों का %*
1-500	6,22,508	74.51	8,98,10,992	0.89
501-1000	1,36,049	16.28	10,29,39,645	1.02
1001-2000	40,030	4.79	5,96,87,418	0.59
2001-3000	13,411	1.61	3,40,87,958	0.34
3001-4000	6,179	0.74	2,20,48,992	0.22
4001-5000	4,852	0.58	2,28,15,288	0.23
5001-10000	7,228	0.87	5,29,84,084	0.53
10,001 और उससे अधिक	5,247	0.63	9,66,06,60,428	96.17
कुल	**8,35,504**	**100**	**10,04,50,34,805**	**100.00**

*2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

ii) तालिका खः 31 मार्च, 2023 को श्रेणी–वार शेयर धारिता पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2023 को			परिवर्तन % वृद्धि/(कमी)*
	शेयर धारकों की सं.	कुल शेयर	शेयर धारिता का %*	शेयर धारकों की सं.	कुल शेयर	शेयर धारिता का %*	
भारत सरकार	1	7,12,67,72,676	70.95	1	7,12,67,72,676	70.95	0.00
म्युचुअल फंड्स	29	75,62,87,189	7.53	19	92,03,61,891	9.16	1.63
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	189	57,19,22,469	5.69	225	74,07,19,422	7.37	1.68
वित्तीय संस्थान/बैंक	10	6,14,50,720	0.61	3	1,01,082	0.00	(0.61)
बीमा कंपनियां	12	71,48,57,635	7.12	16	44,20,29,247	4.40	(2.72)
निवासी व्यक्ति/एचयूएफ	8,41,077	54,94,08,115	5.47	8,27,339	52,27,10,931	5.21	(0.26)
प्रवासी भारतीय	5,396	1,23,25,979	0.12	6,169	1,40,22,254	0.14	0.02
समाशोधन सदस्य	167	85,20,382	0.08	50	1,78,497	0.00	(0.08)

श्रेणी	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2023 को			परिवर्तन % वृद्धि/(कमी)*
	शेयर धारकों की सं.	कुल शेयर	शेयर धारिता का %*	शेयर धारकों की सं.	कुल शेयर	शेयर धारिता का %*	
आईईपीएफ	1	36,35,162	0.04	1	46,89,768	0.05	0.01
कारपोरेट निकाय	1,361	23,47,64,077	2.34	1,429	20,49,61,754	2.04	(0.30)
न्यास	43	15,69,071	0.02	47	14,66,773	0.01	(0.01)
अन्य	235	35,21,330	0.03	205	6,70,20,510	0.67	0.64
कुल	**8,48,521**	**10,04,50,34,805**	**100**	**8,35,504**	**10,04,50,34,805**	**100**	

*2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

iii) 31 मार्च, 2023 को शीर्ष दस शेयरधारक

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड के शीर्ष दस शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत*
1	भारत के राष्ट्रपति	7,12,67,72,676	70.95
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	34,80,82,900	3.47
3	एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड	21,00,00,000	2.09
4	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	20,67,79,313	2.06
5	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	15,53,24,170	1.55
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी बैलेन्सड एडवान्टेज फंड	8,19,44,835	0.82
7	एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	8,05,58,026	0.80
8	फ्रैंकलिन टेम्पलटन इन्वेस्टमेंट फंड – टेम्पलटन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड	8,05,36,791	0.80
9	आईशेयर्स II पब्लिक लिमिटेड कंपनी – आईशेयर्स ग्लोबल क्लीन एनर्जी यूसीआईटीएस ईटीएफ	6,15,83,310	0.61
10	आईशेयर्स ग्लोबल क्लीन एनर्जी ईटीएफ	5,19,08,337	0.52
	कुल	**8,40,34,90,358**	**83.66**

*2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

(xiv) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों डिपोजिटरीज अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का पुनर्मिलान यह पुष्टि करते हुए किया गया है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी वास्तविक रूप में धारित शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में रखे गए शेयरों की कुल संख्या को तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा गया है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति स्टाक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की जाती है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार डीमैटिरियलाइज्ड और वास्तविक रूप में धारित शेयरों की संख्या नीचे दी गई है:

विवरणज	कुल शेयर	इक्विटी का %*
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	9,57,38,43,932	95.31
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	47,11,36,789	4.69
वास्तविक रूप में शेयर	54,084	0.00
कुल	**10,04,50,34,805**	**100.00**

*2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

डिपोजिटरीज के नाम और पते निम्नानुसार हैं:

नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, ए–विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परेल, मुंबई–400013	**सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड** मैराथन फ्यूचरेक्स, ए–विंग, 25वां तल, एन एम जोशी मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई – 400 013

(xv) डीमैट सस्पेंस खाता

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उचिन्त खाते में शेयरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में सस्पेंस खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	4	1,048
उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	-	-
उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से अंतरित किए गए	-	-
उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान आईईपीएफ खाते से अंतरित किए गए	-	-
वर्ष के अंत में सस्पेंस खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	4	1,048

टिप्पणी: इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि ये शेयर सस्पेंस खाते में है। इसके अतिरिक्त, इन शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित समय के भीतर आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

(xvi) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव:

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किए हैं, जिनका इक्विटी पर प्रभाव पड़ता हो।

(xvii) एनएचपीसी पावर स्टेशनों के स्थल:

1	बैरास्यूल	बैरास्यूल पावर स्टेशन, सुरंगनी, जिला–चंबा, हिमाचल प्रदेश–176 317
2	लोकतक	लोकतक पावर स्टेशन, डाकघर–लोकटक, कोमकेरेप, मणिपुर–795 124
3	सलाल	सलाल पावर स्टेशन, डाकघर ज्योतिपुरम, जिला रियासी, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–182 312
4	टनकपुर	टनकपुर पावर स्टेशन, डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड– 262 310
5	चमेरा-I	चमेरा-I पावर स्टेशन, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176 325
6	उड़ी-I	उड़ी-I पावर स्टेशन, गिंगल, डाकघर–मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–193 122
7	रंगित	रंगित पावर स्टेशन, डाकघर–रंगित, दक्षिण सिक्किम–737 111
8	चमेरा-II	चमेरा-II पावर स्टेशन, करियां, जिला–चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176 310
9	धौलीगंगा	धौलीगंगा पावर स्टेशन, पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचूला, जिला–पिथौरागढ़, उत्तराखंड–262 545

10	दुलहस्ती	दुलहस्ती पावर स्टेशन, चेनाब नगर, सेक्टर-II, किश्तवाड़, जम्मू–कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–182 206
11	तीस्ता-V	तीस्ता-V पावर स्टेशन, डाकघर–सिंगताम, पूर्वी सिक्किम– 737 134
12	सेवा-II	सेवा-II पावर स्टेशन, माश्का, ज़िला कठुआ, जम्मू–कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र– 176 325
13	चमेरा-III	चमेरा-III पावर स्टेशन, ग्राम धारवाला, पी.ओ.–9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176311
14	चुटक	चुटक पावर स्टेशन, पीओ–मिंजी, जिला कारगिल लद्दाख संघ–राज्य क्षेत्र –194103
15	तीस्ता लो डैम-III	तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन, रम्बी बाजार, पीओ–रियांग, जिला–दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल–734321
16	निम्मो बाजगो	निम्मो बाजगो पावर स्टेशन, अलची, जिला – लेह, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र– 194101
17	उड़ी-II	उड़ी-II पावर स्टेशन, एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला– बारामुला, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र– 193122
18	पार्बती-III	पार्बती-III पावर स्टेशन, गांव बहाली, पी.ओ. लारजी, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश–175122
19	तीस्ता लो डैम-IV	तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशन, कलीझोरा, डाकघर कलीझोरा बाजार, जिला–दार्जलिंग पश्चिम बंगाल–734320
20	किशनगंगा	किशनगंगा पावर स्टेशन, एनएचपीसी कार्यालय और आवासीय परिसर, करालपोरा, जिला बांदीपुरा, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–193 502
21	जैसलमेर पवन पावर स्टेशन	गांव लखमाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान
22	तमिलनाडु सौर पावर स्टेशन	गांव रेंगनाथापुरम, ए. वाडीपाटी रोड, पेरियाकुलम तालुक, जिला थेनी, तमिलनाडु–625 602

(xviii) निगमित अभिशासन में हरित पहलें

वैश्विक कोविड–19 महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूटों के अनुरूप और "हरित पहल" को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को वितरित किया है जिनके ई–मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत थे। वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

(xix) पत्राचार के लिए पताः

श्रीमती रुपा देब, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी,

पांचवां तल, नीर शक्ति सदन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर,

सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121 003

ई–मेलः companysecretary@nhpc.nic.in

पत्राचार हेतु दूरभाष संख्या तथा ई–मेल पता नीचे दिया गया है:

पंजीकृत कार्यालय	दूरभाष संख्या: 0129–2588110
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ	दूरभाष संख्या: 0129–2250437 ई–मेल: investorcellnhpc@gmail.com
मुख्य निवेशक रिलेशन अधिकारी	श्री सत्येंद्र नाथ उपाध्याय, कार्यपालक निदेशक (वित्त) दूरभाष सं.: 0129–2254685 ई–मेल: snupadhyay@nhpc.nic.in

सेबी के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई–मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

15. आचार संहिताः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता का सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन किया गया था।

सेबी एलओडीआर और निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के तहत घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु क्रमशः व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ता/–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

तारीखः 29 मई, 2023
स्थानः दिल्ली

अनुबंध–क

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के मुख्य कौशल/विशेषज्ञताएं/दक्षताएं								
			विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत व्यापार	सूचना प्रौद्योगिकी	वित्त	विधिक	जोखिम प्रबंधन	मानव संसाधन	शैक्षणिक	अनुसंधान एवं विकास	जन संपर्क
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓		✓			✓	✓	✓	✓
2.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓		✓				
3.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	✓	✓						✓	✓
4.	श्री उत्तम लाल	निदेशक (कार्मिक)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	श्री मोहम्मद अफजल	सरकार नामित निदेशक	✓	✓	✓	✓		✓			✓
6.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
7.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक			✓		✓	✓	✓	✓	✓
9.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक			✓		✓	✓			✓
10.	श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन	स्वतंत्र निदेशक	✓			✓		✓		✓	✓

अनुबंध–ख

निगमित अभिशासन संबंधी प्रमाणपत्र

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

1. हमने एनएचपीसी लिमिटेड (सीआईएनः L40101HR1975GOI032564) द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच, सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (जिसे इसके बाद ''सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015'' कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची अ के पैरा ग तथा घ और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों में किए गए निर्धारण अनुसार की है।

2. निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यन्वयन के तरीकों की समीक्षा तक ही सीमित रही है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर मत की अभिव्यक्ति।

3. हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वात्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, निम्नलिखित को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची अ के पैरा ग तथा घ और निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार किया हैः

   भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 तथा दिनांक 13.12.2022 से 09.03.2023 तक की अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी।

4. कंपनी के प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि एनएचपीसी के सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है।

   हम यह भी सूचित करते हैं कि नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के गैर–अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिनके विरूद्ध कंपनी ने छूट हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। एनएसई ने दिनांक 01.03.2023 के पत्र के माध्यम से और बीएसई लिमिटेड ने दिनांक 20.06.2023 के ई–मेल के माध्यम से 31 मार्च, 2022, 30 जून, 2022 और 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 57(1) और 57(4) के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए बीएसई लिमिटेड से क्रमशः दिनांक 28.09.2022 और 27.09.2022 को ई–मेल के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुआ था। तथापि, कंपनी ने बीएसई लिमिटेड से लगाए गए जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध किया था क्योंकि कंपनी ने उपरोक्त नियमों का पालन किया था। बीएसई लिमिटेड ने दिनांक 02.11.2022 के ईमेल द्वारा विनियम 57(1) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना पहले ही वापस ले लिया था।

   हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

5. हमारी मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के अनुसार, आवश्यक समझे गए और कंपनी एवं इसके निदेशकों/अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों/अभ्यावेदनों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे उल्लिखितानुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	08534217
2.	श्री यमुना कुमार चौबे	08492346
3.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	08645380
4.	श्री बिश्वजीत बासु	09003080
5.	श्री मोहम्मद अफजल	09762315
6.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	07592413
7.	डॉ. अमित कंसल	07722428
8.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	09410683
9.	श्री जीजी जोसफ	09415941
10.	श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन	10064794

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी2003डीईओ49100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण–पत्र संख्याः 2725/2022

हस्ता./–
सीएस अंजली
भागीदार
एसीएस सं.: 65330
सीपी सं.: 26496

दिनांकः 23 जून, 2023
स्थानः नई दिल्ली
यूडीआईएनः ए065330ई000490601

सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का अनुपालन प्रमाण–पत्र

क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि:

1. इन विवरणों में वास्तविक दृष्टि से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

2. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के प्रचालन में पाई गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की सूचना लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचना दी है:

(i) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिनका प्रकटन वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी किया गया है; और

(iii) धोखाधड़ी के महत्त्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आए हों और उनमे प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/–
(आर. पी. गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08645380

हस्ता/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08534217

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 29 मई, 2023

व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

तीस्ता-V और तीस्ता-VI परियोजनाएं, सिक्किम

बीआरएसआर का परिचय

पिछले दशक में विश्व स्तर पर प्रकटन अपेक्षाओं में तेजी आई है, जिससे कंपनियों को पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) उत्तरदायित्वों की पहचान और वार्षिक प्रकटन में उनके पारदर्शी समावेश के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

इन वैश्विक विकासों के अनुरूप, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ईएसजी मानकों के संबंध में प्रकटन को बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों में, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा संधारणीयता रिपोर्टिंग के लिए नई अपेक्षाओं की शुरुआत की। व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) नामक नए रिपोर्टिंग प्रारूप का उद्देश्य किसी व्यवसाय के वित्तीय परिणामों और उसके ईएसजी निष्पादन के बीच संबंध स्थापित करना है।

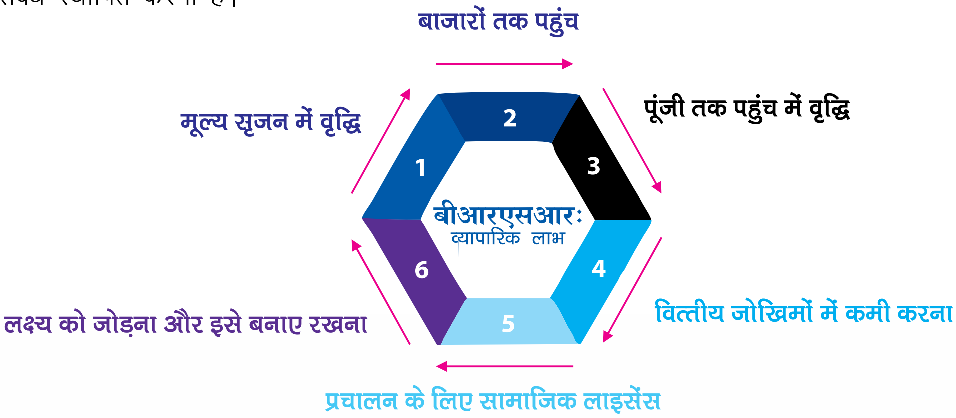

सेबी ने यह अधिदेशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्वैच्छिक आधार पर और वित्तीय वर्ष 2022–23 से अनिवार्य आधार पर रिपोर्टिंग के लिए शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण द्वारा) पर बीआरएसआर लागू होगा।

व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022–23

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध एंटिटी का विवरण

1. **सूचीबद्ध एंटिटी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) :** L40101HR1975GOI032564
2. **सूचीबद्ध एंटिटी का नाम :** एनएचपीसी लिमिटेड
3. **निगमन का वर्ष :** 1975
4. **पंजीकृत कार्यालय का पता :** एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फ़रीदाबाद, हरियाणा–121003 (भारत)
5. **कारपोरेट कार्यालय का पता :** एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फ़रीदाबाद, हरियाणा–121003 (भारत)
6. **ईमेल :** brsr@nhpc.nic.in
7. **टेलीफ़ोन :** 0129–2588110
8. **वेबसाइट :** www.nhpcindia.com
9. **वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है :** 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक
10. **स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं :** कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं।
11. **प्रदत्त पूंजी :** 10,045.03 करोड़ रुपए (31.03.2023 तक की स्थितिनुसार)
12. **उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट के संबंध में किसी भी प्रश्न पूछने के लिए संपर्क किया जा सकता है**

    नाम : श्री संजय दरबारी

    पदनाम : कार्यपालक निदेशक (योजना)

    ईमेल आईडी sanjaydarbari@nhpc.nic.in

    दूरभाष सं : (0129) 2254674
13. **रिपोर्टिंग सीमा –** क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण एकल आधार पर (अर्थात, केवल एंटिटी के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात, एंटिटी और सभी एंटिटियों के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, के साथ) किए गए।

    पर्यावरणीय, सामाजिक, वित्तीय और अभिशासन संबंधी प्रकटीकरण एकल आधार पर किए जाते हैं।

II. उत्पादों/सेवाओं की सूची

14. **व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन)**

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	कारोबार गतिविधि संबंधी विवरण	एंटिटी के टर्नओवर का %
1	विद्युत उत्पादन एवं संबंधित गतिविधियाँ	जल विद्युत संयंत्रों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन, विद्युत ट्रेडिंग और परामर्श सेवाएं	100%

15. **एंटिटी द्वारा बेचे गए उत्पाद/ सेवाएं (एंटिटी के टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन)**

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	योगदान दिए गए कुल कारोबार का %
1	विद्युत उत्पादन एवं संबंधित गतिविधियाँ	3510	100%

16. **उन स्थानों की संख्या जहां एंटिटी के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं :**

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	29 **जलविद्युत : 20 संयंत्र** (और 3 निर्माणाधीन) **सौर : 1 संयंत्र** (और 4 निर्माणाधीन) **पवन : 1 संयंत्र**	6	35
अंतरराष्ट्रीय	0	2	2

17. **एंटिटी द्वारा प्रदत्त बाज़ार**

क. **स्थानों की संख्या**

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	23 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1 (नेपाल)

ख. **एंटिटी के कुल कारोबार में निर्यात के प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?**

निर्यात का योगदान नगण्य है ।

ग. **ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त जानकारी**

एनएचपीसी लिमिटेड एक मिनी–रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह भारत में सबसे बड़ी जलविद्युत उत्पादक कंपनियों में से एक है। यह विभिन्न वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को विद्युत की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। एनएचपीसी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों को जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण, नवीनीकरण और उन्नयन संबंधी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है ।

IV. **कार्मिक**

18. **वित्त वर्ष के अंत में विवरण:**

क. **कार्मिक और कामगार (दिव्यांगजन सहित):**

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
	कार्मिक					
1.	स्थायी (घ)	3005	2718	90%	287	10%
2.	स्थायी के अलावा अन्य	7	7	100%	0	0%
3.	कुल कार्मिक (घ + ड़.)	3012	2725	90%	287	10%
	कामगार					
4.	स्थायी (च)	1375	1174	85%	201	15%
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	7288	6507	89%	781	11%
6.	कुल कार्मिक (च+छ)	8663	7681	89%	982	11%

ख. **दिव्यांग कार्मिक और कामगार :**

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
	दिव्यांग कार्मिक					
1.	स्थायी (घ)	102	98	96%	4	4%
2.	स्थायी के अलावा अन्य	0	0	0%	0	0%
3.	**कुल दिव्यांग कार्मिक (घ + ड़.)**	102	98	96%	4	4%
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	11	8	73%	3	27%
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	13	12	92%	1	8%
6.	**कुल दिव्यांग कार्मिक (च + छ)**	24	20	83%	4	17%

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	10	1	10%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	1	1	100%

20. स्थायी कार्मिकों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों का प्रकटीकरण करें)

	वित्त वर्ष 2022–2023			वित्त वर्ष 2021–2022			वित्त वर्ष 2020–2021		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्मिक	1.51%	0.99%	1.46%	0.13%	0.33%	0.46%	0.19%	0.0%	0.19%
स्थायी कामगार	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग अनुषंगी/सहयोगी कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम का नाम (क)	इंगित करें कि क्या होल्डिंग/ अनुषंगी / सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कालम 'क', में इंगित एंटिटी सूचीबद्ध एंटिटी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	एनएचडीसी लिमिटेड	सहायक कंपनी	51.08%	नहीं
2	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	74.82%	नहीं
3	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	सहायक कंपनी	86.94%	नहीं
4	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	पूर्णतया स्वामित्व वाली कंपनी	100%	नहीं
5	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	51.00%	नहीं
6	जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पूर्णतया स्वामित्व वाली कंपनी	100%	नहीं
7	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	पूर्णतया स्वामित्व वाली कंपनी	100%	नहीं
8	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	सहायक कंपनी	52.74%	नहीं
9	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	अनुषंगी कंपनी	20.00%	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हां/नहीं) : हां।

(i) टर्नओवर (रुपए में) : 9,316.3 करोड़ रुपए

(ii) निवल मूल्य (रुपए में) : 35,407.9 करोड़ रुपए

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी कारोबार आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर परिवाद /शिकायत

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हां, एनएचपीसी के पास 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली' मौजूद है। किसी भी शिकायत के लिए संपर्क विवरण लिंक https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568899.pdf में दिया गया है।	0	0	-	0	0	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ। विभिन्न शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण नीचे दिए गए लिंक में दिया गया है: https://www.nhpcindia.com/welcome/page/145	43	0	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/ब्याज वारंट/बॉण्ड न मिलने जैसी प्राप्त समेकित शिकायतों के संबंध में बॉण्डों के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से डेटा उपलब्ध कराया गया है।	112	0	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/ब्याज वारंट/बॉण्ड न मिलने जैसी प्राप्त समेकित शिकायतों के संबंध में बॉण्डों के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से डेटा उपलब्ध कराया गया है।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
शेयरधारक	हाँ। शेयरधारक अपनी शिकायतें सीधे ईमेल/पत्र के माध्यम से कंपनी/आरटीए को भेज सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारक सेबी स्कोर्स पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण नीचे दिए गए लिंक में दिया गया है : https://www.nhpcindia.com/welcome/page/145	864	2	लाभांश वारंट न मिलने, स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें, सेबी शिकायतें जैसी प्राप्त समेकित शिकायतों के संबंध में इक्विटी शेयर रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से डेटा उपलब्ध कराया गया है।	1,085	2	लाभांश वारंट न मिलने, स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें, सेबी शिकायतें जैसी प्राप्त समेकित शिकायतों के संबंध में इक्विटी शेयर रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से डेटा उपलब्ध कराया गया है।
कार्मिक और कामगार	हाँ, एनएचपीसी के पास 'कार्मिक शिकायत निवारण कक्ष' है। संपर्क व्यक्ति का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर दिया गया है: https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568899.pdf	9	1	-	21	5	-
ग्राहक	हाँ, एनएचपीसी के पास एक 'केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण व मॉनिटरिंग प्रणाली' है। संपर्क व्यक्ति का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर दिया गया है– https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568899.pdf	00	00	-	00	00	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां, एनएचपीसी में इंटीग्रिटी पैक्ट लागू किया जा रहा है। बोलीदाता निविदाओं के संबंध में अपनी शिकायतें, यदि कोई हो, स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर्स (आईईएम) के समक्ष उठा सकते हैं। निविदा दस्तावेजों के साथ–साथ आईईएम का विवरण निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध कराया गया है : https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568899.pdf शिकायतों के लिए ईमेल है: iem.nhpc@gmail.com	2	0	-	2	0	-

24. एंटिटी के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और संधारणीयता के मुद्दे जो आपके कारोबार के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें।

महत्वपूर्ण भौतिक प्रभावों के साथ–साथ इसके प्रभाव (जोखिम/अवसर) को कम/अधिकतम करने की कार्य योजना कंपनी की वेबसाइट (भौतिकता विश्लेषण) के निम्नलिखित लिंक : https://www.nhpcindia.com/ assests/pzi_public/gallery/16875014380.pdf पर उपलब्ध है।

खंड ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लाए गए उत्तरदायी कारोबार आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) नौ सिद्धांतों की वकालत करते हैं जिन्हें पी1–पी9 कहा जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है

पी 1	कारोबार को ईमानदारी और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से व्यवहार और अभिशासन करना चाहिए
पी 2	कारोबार को सामान और सेवाएँ ऐसे तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो संधारणीय और सुरक्षित हो
पी 3	कारोबार को अपने मूल्य शृंखला के कार्मिकों सहित सभी कामगारों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
पी 4	कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
पी 5	कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
पी 6	कारोबार को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा और बहाल करने के लिए प्रयास करने चाहिए
पी 7	कारोबार को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा उत्तरदायी और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए
पी 8	कारोबार को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए
पी 9	कारोबार को उत्तरदायी तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	क. क्या आपकी एंटिटी की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हां/ नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नही)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक ,यदि उपलब्ध हो	नीचे तालिका 1 देखें								
2.	क्या एंटिटी ने नीति को प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। (हां नहीं)	हां, एनएचपीसी ने आंतरिक रूप से उपयोग की जाने वाली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) में अपनी सभी नीतियों के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।								
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

<table>
<tr><th colspan="2">प्रकटीकरण प्रश्न</th><th>पी 1</th><th>पी 2</th><th>पी 3</th><th>पी 4</th><th>पी 5</th><th>पी 6</th><th>पी 7</th><th>पी 8</th><th>पी 9</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>आपकी एंटिटी द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए आलेख्यपत्र किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों (उदाहरण के लिए, फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानक (उदाहरण के लिए, एसए 8000, ओएचएसएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम</td><td colspan="9">नीचे तालिका 2 देखें</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">निर्धारित समयसीमा के साथ एंटिटी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हो</td><td colspan="9">क. एनएचपीसी लिमिटेड का ईएसजी लक्ष्य जल, पवन और सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। ऐसा करने पर, कंपनी के लक्ष्य सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सरकार के उद्देश्यों के साथ एकीकृत हो जाते हैं। अपने कारोबार संचालन के माध्यम से, एनएचपीसी का लक्ष्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, संधारणीयता को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना है।</td></tr>
<tr><td colspan="9">ख. एनएचपीसी लिमिटेड अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण और समाज पर समान ध्यान देते हुए सतत विकास में विश्वास करती है। अपने घोषित पर्यावरण संरक्षण लक्ष्य के साथ, एनएचपीसी लिमिटेड जल बचत उपायों को लागू करने के लिए समर्पित है। हमने अपने कारोबार संचालन से निकलने वाले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ-साथ जल संरक्षण के अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए उचित नीतियां और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। एनएचपीसी लिमिटेड सरकार के लागू अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप नैतिक प्रथाओं के माध्यम से कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयास करती है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति एंटिटी का प्रदर्शन और उन्हें पूरा न कर पाने के कारण भी बताएं।</td><td colspan="9">क. जीवन-चक्र के आधार पर विभिन्न स्रोतों से CO_2 उत्सर्जन के संयुक्त राष्ट्र आईपीसीसी औसत मूल्यों के आधार पर, कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की तुलना में उत्पन्न प्रति 1 एमयू जलविद्युत में 800 TCO_2 उत्सर्जन में कमी ।
ख. एनएचपीसी ने जल संरक्षण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के अपने लक्ष्य के अनुरूप अपनी जल संरक्षण नीति और अपशिष्ट प्रबंधन नीति स्थापित की है। हम वार्षिक आधार पर अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करते हैं और अपने वार्षिक प्रकटीकरण में अपनी प्रगति की रिपोर्ट करते हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="11">अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="10">ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का वक्तव्य (सूचीबद्ध एंटिटी के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)
एनएचपीसी फर्म को सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। हम पारिस्थितिक रूप से उत्तरदायी, समावेशी कार्यस्थल के साथ एक सुशासित मॉडल संगठन बनने की आकांक्षा रखते हैं। एनएचपीसी को भारत सरकार द्वारा देश भर में जलविद्युत उत्पादन के लिए केंद्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 1975 में संगठन की स्थापना के बाद से, हम बड़े पैमाने पर देश को संधारणीय विद्युत संसाधन प्रदान करने और भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं।
एनएचपीसी ने अवसरों की व्यवस्थित रूप से पहचान करने, जोखिमों का प्रबंधन करने और एनएचपीसी में सभी हितधारकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए लचीलापन, संस्कृति में बदलाव और दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने के लिए कंपनी के भीतर पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के संबंध में राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य से संगठनों को दीर्घकालिक लाभ हुआ है और हमने नौ सिद्धांतों को अपने प्रचालन में एकीकृत किया है। हम नैतिक, उत्तरदायी और संधारणीय कारोबार और ईएसजी कार्यनीति के माध्यम से भारत के विकास चक्र में एक महत्वपूर्ण प्रवक्ता के रूप में बने रहेंगे।"</td></tr>
</table>

प्रकटीकरण प्रश्न		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
8.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	डीआईएन 08645380 नाम : श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल पदनाम : निदेशक (वित्त) टेलीफोन नंबर : (0129) 2278021 ईमेल आईडी : rpgoyal@nhpc.nic.in नाम : श्री संजय दरबारी पदनाम : कार्यपालक निदेशक (योजना) ईमेल आईडी : sanjaydarbari@nhpc.nic.in टेलीफोन नंबर : (0129) 2254674								
9.	क्या एंटिटी के पास संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी एक समिति है जो सीएसआर और संधारणीयता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। समिति में 6 सदस्य शामिल हैं (31 मार्च, 2023 की स्थितिनुसार) जो एनएचपीसी द्वारा की गई ईएसजी पहल की प्रगति की समीक्षा करते हैं।								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण

समीक्षा का विषय	क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति द्वारा/कोई अन्य समिति की गई थी, कृपया निर्दिष्ट करें									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपरोक्त नीतियां के विरुद्ध प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	वार्षिक								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन , और किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	वार्षिक								

11. क्या एंटिटी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं), यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	एनएचपीसी स्वतंत्र मूल्यांकन/ऑडिट और विनियामक अनुपालन पर विचार करती है, जहां उपयुक्त हो, दोनों से अर्थात सर्वोत्तम प्रथाओं और विधिक दृष्टिकोण से नीतियों और प्रक्रियाओं की जांच करती है।								

समीक्षा का विषय	क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति द्वारा/कोई अन्य समिति की गई थी, कृपया निर्दिष्ट करें									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
										कुछ स्वतंत्र आकलन नीचे सूचीबद्ध हैं **(क) सीएजी ऑडिट :** (i) लेन–देन ऑडिट : इसमें कंपनी द्वारा उनकी नियमितता, औचित्य, ईमानदारी, अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता की जांच करने और कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में विफलता, अपव्यय, कुप्रबंधन, अन्य अनियमितताओं और धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामलों पर रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किए गए लेनदेन को शामिल किया गया है। (ii) निष्पादन लेखापरीक्षा : लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि लेखापरीक्षिती संगठन ने उन उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है और क्या प्रचालन अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में, ऑडिट को उपक्रमों के निर्माण और संचालन के संबंध में प्रबंधन के विभिन्न निर्णयों की सुदृढ़ता या अन्यथा का आकलन करना होता है। यह अपनी प्रकृति से, यह पूरी तरह से वित्तीय ऑडिट नहीं है और न ही हो सकता है। (iii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट : व्यापक परिप्रेक्ष्य में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तात्पर्य है, कंपनी के मामलों के लिए उत्तरदायी और उत्तरदायी प्रबंधन। इसमें नैतिक प्रबंधन शामिल है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा एक कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसकी सभी गतिविधियों के परिणामस्वरूप हितधारकों का हिस्सा बनने वाले चयनित व्यक्तियों या समूह को लाभ पहुंचाने के बजाय सभी हितधारकों का संतुलित इष्टतम कल्याण हो। (ख) आईएमएस नीति (अर्थात आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2017) की समीक्षा और मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी अर्थात मैसर्स एक्यूसी मिडिल ईस्ट एफजेडई, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। तदनुसार निगम मुख्यालय के अनुसार, एनएचपीसी एक आईएमएस प्रमाणित कंपनी है। (ग) स्वतंत्र एजेंसी मेसर्स एएमएए एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए एनएचपीसी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता की समीक्षा और परीक्षण किया गया था।								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है, अर्थात, सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	
एंटिटी अपने कारोबार के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	लागू नहीं
एंटिटी उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	

प्रश्न	
एंटिटी के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	लागू नहीं
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

तालिका 1 : नीतियों का वेब लिंक

सिद्धांत 1	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16851556070.pdf
	संबंधित पार्टी लेनदेन नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188346.pdf
	व्हिसिल ब्लोअर नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188102.pdf
	धोखाधड़ी की रोकथाम और जांच नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188229.pdf
	सत्यनिष्ठा समझौता	https://www.nhpcindia.com/welcome/page/299
	व्यापारिक लेन–देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188154.pdf
सिद्धांत 2	कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16844978530.pdf
	संधारणीय खरीद/सोर्सिंग नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16857057861.pdf
सिद्धांत 3	शिकायत नीति और प्रक्रियाएँ	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568899.pdf
	संरक्षा नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16857028460.pdf
सिद्धांत 4	सीएसआर और संधारणीय विकास नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1681895733.pdf
	हितधारक सहभागिता नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16857057860.pdf
सिद्धांत 5	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता (बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए)	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16851556070.pdf
	शिकायत नीति और प्रक्रियाएँ	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568899.pdf
सिद्धांत 6	कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16844978530.pdf
	ऊर्जा संरक्षण नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16855998400.pdf
	जल संरक्षण नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16844974380.pdf
	अपशिष्ट प्रबंधन नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16844974930.pdf
	जैव विविधता नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16844972780.pdf
सिद्धांत 7	सार्वजनिक नीति वकालतनीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16854351810.pdf
सिद्धांत 8	सीएसआर और संधारणीय विकास नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1681895733.pdf
सिद्धांत 9	धोखाधड़ी रोकथाम एवं पहचान नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188229.pdf
	आईटी एवं साइबर सुरक्षा नीति	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16857087030.pdf

तालिका 2 : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संहिता/प्रमाणपत्र/लेबल/मानक

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015)	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683611130.pdf
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001:2015)	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683611687.pdf
व्यावसायिक सुदृढ़ता और सुरक्षा नीति (आईएसओ 45001:2018)	https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683611803.pdf

खंड ग : सिद्धांतवार प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कंपनियों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को आवश्यक और नेतृत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए प्रत्येक एंटिटी द्वारा अनिवार्य आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतकों का प्रकटीकरण स्वेच्छा से उन कंपनियों द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से उत्तरदायी होने के नाते अपने अनुसंधान में उच्चस्तरीय प्रगति में रुचि रखते हैं।

सिद्धांत 1 : कारोबार का ईमानदारी और नैतिक, पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से स्वयं करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज प्रतिशत

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के दौरान शामिल किए गए विषय/सिद्धांत और इसके बारे में प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	1	स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी सचिव (केएमपी) ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा बेहतर बोर्ड बनाने पर आयोजित मास्टर क्लास में भाग लिया था। मास्टर क्लास में विभिन्न विषयों जैसे निदेशकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, प्रभावी बोर्ड प्रशासन और संभावनाएं, बोर्ड समितियों की प्रभावशीलता, संधारणीयता और जलवायु जोखिम आदि शामिल किया गया था। उत्तरदायी कारोबार आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के तहत ईएसजी से संबंधित विषयों और सिद्धांतों को भी शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम से ईएसजी के महत्व के बारे में उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है और यह कंपनी की प्रतिष्ठा, वित्तीय प्रदर्शन और समग्र सफलता को कैसे प्रभावित करता है।	44%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1		100%
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	201	कार्मिकों के लिए तकनीकी/प्रबंधन विकास कार्यक्रम/व्यवहार/स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए। प्रभाव : कार्मिकों की अपने कार्य के प्रति रुचि और प्रेरणा में सुधार, कार्मिकों की क्षमता में वृद्धि, कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि और एक टीम के रूप में कार्य करने में सुधार।	55%

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के दौरान शामिल किए गए विषय/सिद्धांत और इसके बारे में प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
कामगार	51	सुरक्षा/व्यवहार/स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम प्रभाव : कार्मिकों की अपने कार्य के प्रति व्यस्तता और प्रेरणा में सुधार, कार्मिकों की क्षमता में वृद्धि, कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि और एक टीम के रूप में काम करने में सुधार।	30%

2. **वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/सज़ा/अवार्ड कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (एंटिटी द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में (टिप्पणी एंटिटी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और एंटिटी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण का विवरण।**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियां/न्यायिक संस्थान का नाम	राशि (भारतीय रुपए में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां/नहीं)
शास्ति /जुर्माना	-	शून्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
समझौता	-	शून्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग शुल्क	-	शून्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर–मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम		मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां नहीं)
कैद	-	शून्य		लागू नहीं	लागू नहीं
सज़ा	-	शून्य		लागू नहीं	लागू नहीं

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की गई है।**

मामले का विवरण	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
लागू नहीं	

4. **एंटिटी के पास भ्रष्टाचार निरोधक या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ तो संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करें, और नीति का एक वेब–लिंक प्रदान करें**

एनएचपीसी कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों को गुणवत्ता प्रबंधन का एक अभिन्न अंग मानता है। इसमें व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता है, जो एनएचपीसी ने दिनांक 20.11.2014 के परिपत्र के माध्यम से जारी संहिता के अनुसार बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू है। प्रतिज्ञा और अभ्यास 4(क)(ii) के अनुसार, निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक 'जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे; नीति का वेबलिंक https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16851556070.pdf है।

इसके अलावा, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए कंपनी के पास धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति है। यह नीति एनएचपीसी के कार्मिकों (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थ/अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कार्मिक) के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या एनएचपीसी के साथ किसी भी प्रकार का कारोबार करने वाली बाहरी एजेंसी के किसी के प्रतिनिधियों से जुड़ी किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188229.pdf लिंक पर नीति देखें।

एनएचपीसी के पास एक व्हिसिल ब्लोअर नीति भी है जो अनैतिक/अनुचित आचरण के मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रियाओं और उसे सुधार करने के लिए कदमों को सूचीबद्ध करती है। कार्मिक, निदेशक, संविदाकार, विक्रेता आदि कंपनी में अनैतिक गतिविधियों के संबंध में रिपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188102.pdf पर नीति का लिंक देखें।

5. **ऐसे निदेशकों/केएमपी/कार्मिकों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी विधिक प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी :**

	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
निदेशक	0	0
के.एम.पी	0	0
कार्मिक	0	1
कामगार	0	0

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण :**

	वित्त वर्ष 2022–23		वित्त वर्ष 2021–22	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतें की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतें की संख्या	0	-	0	-

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

चूंकि नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई नहीं लगाई गई थी, अतः इसके लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी ।

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के दौरान शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार)
0	0	0

2. **क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए एंटिटी के पास प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।**

हाँ। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एनएचपीसी के बोर्ड सदस्यों को कार्य सूची (एजेंडा आइटम) में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप हितों के टकराव के मामले हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुरूप, बोर्ड के सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष की पहली बोर्ड बैठक में किसी कंपनी, निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी चिंता या रुचि का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। पहले से किए गए प्रकटीकरणों में किसी भी बदलाव के मामले में, उसे संबंधित विभागों की जानकारी के लिए कंपनी के इंट्रानेट पर डाला जाता है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 23 के अनुपालन में, एनएचपीसी की एक नीति है जो कंपनी और निदेशकों सहित उसके संबंधित पक्षों के बीच लेन–देन के लिए नियमों और विनियमों को सूचीबद्ध करती है। नीति का लिंक– https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1683188346.pdf है।

fLk)kar 2 % dkj¨ckj d¢ fy, ,Lkh oLrq,vk v©j Lksokvk dh miyC/krk djok;h tkuh pkfg,] t¨ Lk/kkj.kh; v©j Lkqjf{kr g¨A

आवश्यक संकेतक

1. एंटिटी द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमशः अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	वित्त वर्ष 2022 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	3.17%	0.00%	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान शुरू की गई जलविद्युत परियोजना के कारण पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों का आकलन/विश्लेषण, जैसे रंगित जल विद्युत परियोजना सिक्किम का परियोजना पश्चात पर्यावरणीय मूल्यांकन, सेवा-I। जल विद्युत परियोजना, जम्मू व कश्मीर के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन और नौ चालू/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास भूस्खलन का अध्ययन से किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और लाभों का इष्टतमीकरण करने के लिए किया जा सकता है/किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण/परिणाम सिद्धांत 6 में देखा जा सकता है।
पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)	100%	100%	परियोजना विकास/निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों पर किया गया पूंजीगत व्यय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के उन्नयन में योगदान देता है। यह निर्माण चरण के दौरान आजीविका के अवसर सृजित करता है और बाद में प्रेरित प्रभावों के माध्यम से परियोजना के संचालन चरण के दौरान महत्वपूर्ण रोजगार और सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों में योगदान देता है। इसके अलावा, एक जलविद्युत परियोजना की परियोजना लागत का 40–50% का बड़ा हिस्सा मुफ्त विद्युत, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, करों, शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान, प्रतिपूरक वनरोपण, आर एंड आर लागत, अवसंरचनात्मक का विकास (सड़कें/पुल) आदि के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष योगदान देता है ।

2. **क) क्या एंटिटी के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां नहीं)**

हां, एनएचपीसी के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं । एनएचपीसी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने और उन्हें अपनी विकास यात्रा में शामिल करने पर जोर देती है । एनएचपीसी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कार्यान्वयन के लिए योग्य, सक्षम और प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों के चयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) प्रणाली का अनुपालन करती है। तकनीकी–वाणिज्यिक बोलियों की जांच आईसीबी प्रथाओं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की दिशानिर्देशों, भारत सरकार के निर्धारित मानदंडों/पहलों का अनुपालन किया जाता है। भारत की विभिन्न अन्य विक्रेता प्रथाएँ जैसे सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियाँ, श्रम कानूनों का कार्यान्वयन, पर्यावरण नीतियां, आदि का भारत सरकार के निर्देश सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आदेश 2017 और तत्संबंधी नवीनतम संशोधनों का का अनुपालन किया जा रहा है। एनएचपीसी के अधिकारी नियमित आधार पर सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ पारदर्शी तरीके से बातचीत करते हैं।

ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत निवेशों को संधारणीय रूप से प्राप्त किया गया ?

एनएचपीसी के अधिकांश विक्रेता और आपूर्तिकर्ता सुदृढ़ ईएसजी प्रथाओं वाली प्रतिष्ठित कंपनियां हैं।

चूंकि एनएचपीसी ने संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं, इसलिए सभी खरीद को एक संधारणीय और सुरक्षित स्रोत माना जाता है। हालाँकि, ये प्रकृति में संपूर्ण हैं और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं।

3. **(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों का पुन उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन की समाप्ति पर निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

यह लागू नहीं है क्योंकि एनएचपीसी जल (जलविद्युत), सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के खपत रहित उपयोग से विद्युत उत्पादन करती है। हालाँकि, सुविधाओं के उपयोग के कारण उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान प्रचलित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

4. **क्या विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) एंटिटी की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान करने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी दें।**

नहीं। एनएचपीसी जल (जलविद्युत), सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के खपत रहित उपयोग से विद्युत उत्पादन करती है। विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) एनएचपीसी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या एंटिटी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	योगदान दिए गए कुल टर्नओवर का %	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन आयोजित किया गया था	क्या किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम साझा किया गया (हां/नहीं)
लागू नहीं					

2. यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसको को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	कृत कार्रवाई
लागू नहीं		

3. उत्पादन में (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएँ प्रदान करने में (सेवा उद्योग के लिए) को उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) का पुनः चक्रित या पुन उपयोग इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

	पुनः चक्रित या पुन उपयोग किए इनपुट सामग्री को कुल सामग्री	
	वित्त वर्ष 2022 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22
लागू नहीं। एनएचपीसी जल (जलविद्युत), सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के खपत रहित उपयोग से विद्युत उत्पादन करती है।		

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुन उपयोग, पुनः चक्रित और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित है।

	वित्त वर्ष 2022 – 23			वित्त वर्ष 2021 – 22		
	पुन उपयोग	पुनः चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटान	पुन उपयोग	पुनः चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं। एनएचपीसी जल (जलविद्युत), सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के खपत रहित उपयोग से विद्युत उत्पादन करती है।					
ई– अपशिष्ट						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए सुधार योग्य उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी निर्दिष्ट करें	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में सुधार योग्य उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं। एनएचपीसी जल (जलविद्युत), सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के खपत रहित उपयोग से विद्युत उत्पादन करती है।	

सिद्धांत 3 : कारोबार के मूल्य शृंखला में शामिल सभी कार्मिकों के हितों का सम्मान और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कार्मिकों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण

कवर किए गए कार्मिकों का %											
श्रेणी	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ङ)	%(ङ/क)	सं. (च)	%(च/क)
स्थायी कार्मिक											
पुरुष	2718	2718	100%	2718	100%	0	0%	2718	100%	2718	100%
महिला	287	287	100%	287	100%	287	100%	0	0%	287	100%
कुल	3005	3005	100%	3005	100%	287	100%	2718	100%	3005	100%
स्थायी कार्मिकों के अलावा											
पुरुष	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
महिला	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
कुल	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ख. कामगारों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण

कवर किए गए कामगारों का %											
श्रेणी	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ङ)	% (ङ/क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	1174	1174	100%	1174	100%	0	0%	1174	100%	1174	100%
महिला	201	201	100%	201	100%	201	100%	0	0%	201	100%
कुल	1375	1375	100%	1375	100%	201	100%	1174	100%	1375	100%
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	6507	6507	100%	6507	100%	-	0%	-	0%	6507	100%
महिला	781	781	100%	781	100%	781	100%	-	0%	781	100%
कुल	7288	7288	100%	7281	100%	781	100%	-	0%	7288	100%

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	कुल कार्मिकों के % के रूप में कवर किए गए कार्मिकों की संख्या	कुल श्रमिक % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा कर दिया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कार्मिक % के रूप में कवर किए गए कार्मिकों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा कर दिया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
उपदान	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
ईएसआई	0%	0%	0	0%	0%	0

3. **कार्यस्थलों की पहुंच**

क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार एंटिटी के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कार्मिकों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

हाँ। एनएचपीसी के सभी कार्यालय नियामक अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग कार्मिकों और कामगारों के लिए सुलभ हैं।

4. **क्या एंटिटी के पास दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति के लिए एक वेब–लिंक प्रदान करें।**

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार एनएचपीसी के पास कोई अलग नीति नहीं है, लेकिन समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

एनएचपीसी की अन्य संगठनात्मक नीतियों में बताए गए कुछ प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं।

- दिव्यांग कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए शिकायत निवारण समिति में कम से कम एक दिव्यांगजन कार्मिक को शामिल करना अनिवार्य है।
- छुट्टी नीति के तहत दिव्यांगता संबंधी सम्मेलनों/प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए दिव्यांग कार्मिक को 10 दिनों का विशेष आकस्मिक छुट्टी दिया जाता है।
- दिव्यांग कार्मिकों को रोटेशनल ट्रांसफर से छूट दी गई है और पदोन्नति के समय पोस्टिंग के स्थान में प्राथमिकता दी जाती है।
- एनएचपीसी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों की सेवा के दौरान शारीरिक रूप से घायल होने वाले कार्मिकों के पुनर्वास के लिए, वैकल्पिक और उपयुक्त कारोबार में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. **पैतृक छुट्टी लेने वाले स्थायी कार्मिकों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर**

	स्थायी कार्मिक		स्थायी कामगार	
लिंग	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिकों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हां / नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कामगार	हाँ। एनएचपीसी के पास एक कार्मिक शिकायत निवारण कक्ष है जहां कार्मिक /कामगार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए, विभिन्न नोडल अधिकारियों की सूची और उनके संपर्क नंबर को नीचे दिए गए लिंक से देखा जा सकता है https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568959.pdf
स्थायी कामगारों के अलावा	
स्थायी कार्मिक	
स्थायी कार्मिकों के अलावा अन्य	

7. **सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कार्मिकों और कामगारों की सदस्यता**

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
श्रेणी	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कार्मिक / कामगार	संबंधित श्रेणी के कार्मिकों / कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन (ख) का हिस्सा हैं	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी (ग) में कुल कार्मिक / कामगार	संबंधित श्रेणी के कार्मिकों / कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन (घ) का हिस्सा हैं	% (घ/ग)
कुल स्थायी कार्मिक	3005	0	0%	3009	0	0%
पुरुष	2718	0	0%	2720	0	0%
महिला	287	0	0%	289	0	0%
कुल स्थायी कामगार	1375	0	0%	1720	0	0%
पुरुष	1174	0	0%	1479	0	0%
महिला	201	0	0%	241	0	0%

8. कार्मिकों एवं कामगारों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण

श्रेणी	कुल (क)	वित्त वर्ष 2022–23 स्वस्थ्य और सुरक्षा उपाय पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	वित्त वर्ष 2021–22 स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कार्मिक										
पुरुष	2725	347	13%	779	29%	2720	336	12%	1736	64%
महिला	287	40	14%	75	26%	289	24	8%	146	54%
कुल	**3012**	**387**	**13%**	**854**	**28%**	**3009**	**360**	**12%**	**1882**	**63%**
कामगार										
पुरुष	7,681	123	2%	36	0%	7986	51	1%	52	1%
महिला	982	20	2%	18	2%	1022	4	0%	4	0%
कुल	8,663	143	2%	54	1%	9008	55	1%	56	1%

9. कार्मिकों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
श्रेणी	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कार्मिक						
पुरुष	2,725	2,725	100%	2720	2720	100%
महिला	287	287	100%	289	289	100%
कुल	3,012	3,012	100%	3009	3,349	100%
कामगार						
पुरुष	7,681	1,174	15%	7986	1479	19%
महिला	982	201	20%	1022	241	24%
कुल	8,663	1,375	16%	9008	1720	19%

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

क. क्या एंटिटी द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं) । यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का दायरा बताएं?

हाँ। एनएचपीसी के पास एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) है जो आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। आईएमएस एनएचपीसी के सभी कार्मिकों और कामगारों को कवर करता है।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और एंटिटी द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

एनएचपीसी ने ''खतरा पहचान, जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए)'' प्रक्रिया लागू की है जिसमें खतरों की पहचान, प्रत्येक खतरे से जुड़े जोखिम का आकलन करना और जोखिम नियंत्रण कार्य योजना विकसित करना शामिल है। एचआईआरए प्रक्रिया में कार्यस्थल तक पहुंच रखने वाले और प्रसंस्करण, रखरखाव, सामग्री प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला, प्रशिक्षण, चिकित्सा, पर्यावरण, कैंटीन और अग्निशमन जैसी नियमित और गैर–नियमित जैसी विभिन्न गतिविधियों को करने वाले सभी कार्मिकों और कामगारों को शामिल किया गया है। सभी अनुभागीय प्रमुख कार्य क्षेत्र में सभी कार्मिकों, कामगारों, संविदाकारों और आगंतुकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएच एंड एस) जोखिमों की पहचान, मात्रा का निर्धारण, अनुमोदन और जोखिम नियंत्रण योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

एनएचपीसी ने एचआईआरए (खतरा पहचान, जोखिम मूल्यांकन) प्रक्रिया और एआईएसए (पहलू–प्रभाव और महत्व विश्लेषण) नीति लागू की है। एचआईआरए प्रक्रिया में संभावित खतरों की पहचान करना, उनकी संभावना का आकलन करना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए नियंत्रण उपाय स्थापित करना शामिल है। ऐसे जोखिमों को रोकने के लिए श्रमिकों को काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

घ. क्या एंटिटी के कार्मिकों/कामगारों के पास गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)

हाँ। सभी एनएचपीसी कार्मिकों और कामगारों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त है।

11. **निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण**

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति घंटे काम किया)	कार्मिक	0.09	0.0
	कामगार	0.63	0.21
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कार्मिक	1	0
	कामगार	21	6
मरने वालों की संख्या	कार्मिक	2	0
	कामगार	7	7
उच्च परिणाम कार्य–संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कार्मिक	0	0
	कामगार	0	1

12. **एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए एंटिटी द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।**

एनएचपीसी सभी परियोजना स्थलों और कार्यालयों में सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जागरूक करने करने और असुरक्षित प्रथाओं के कारण किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं को खत्म करने के लिए कार्मिकों के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए, प्रत्येक पावर स्टेशन/परियोजना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ऑडिट करती है। हमारे सभी कार्यस्थलों पर सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) विनियम, फैक्टरी अधिनियम और नियम और एनएचपीसी सुरक्षा मैनुअल दिशानिर्देशों सहित सभी विधायी नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

संकट और आपदा की तैयारी के लिए, एनएचपीसी के पास एक संकट और आपदा प्रबंधन योजना है जिसमें नियमित आवृत्ति पर मॉक ड्रिल आयोजित करना शामिल है। अधिकांश पावर स्टेशन ओएचएसएएस –18001:2007/ आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं, इस प्रकार यह अपने कार्मिकों के जीवन की गुणवत्ता में सतत विकास और संवर्धन सुनिश्चित करता है। एनएचपीसी अपने विद्युत स्टेशनों की भूकंपीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसने अपने सभी पावर स्टेशनों की ऑनलाइन भूकंपीय निगरानी के लिए अपने निगम मुख्यालय में अत्याधुनिक केंद्रीकृत रियल टाइम सेसमिक डेटा सेंटर विकसित किया है। डेटा सेंटर संबंधित पावर स्टेशनों के आसपास किसी भी भूकंप की घटना को रिकॉर्ड करता है और त्वरित मूल्यांकन प्रदान करता है।

13. **कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :**

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
काम करने की स्थिति	0	0	-	0	0	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	-	0	0	-

14. **वर्ष के लिए आकलन**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (एंटिटी या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	एनएचपीसी निगम मुख्यालय, पावर स्टेशन और क्षेत्रीय कार्यालयों का 100%।
काम करने की स्थिति	एनएचपीसी निगम मुख्यालय, पावर स्टेशन और क्षेत्रीय कार्यालयों का 100%।

15. **सुरक्षा–संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों और काम करने की परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी कोई घटना घटित न हो। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों और काम करने की परिस्थितियों के आकलन से सुरक्षा संबंधी घटनाओं का पता करने के लिए संचालन नियंत्रण प्रक्रिया (ओसीपी) जैसी कई सुधारात्मक प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। ऐसी किसी भी घटना के मामले में दुर्घटना के मूल कारण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। समिति की टिप्पणियाँ, घटना का कारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए समिति की सिफारिशें मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) रिपोर्ट में निर्दिष्ट हैं। दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी सुझाव और निवारक उपाय सभी पावर स्टेशनों और परियोजनाओं के साथ साझा किए जाते हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या एंटिटी (क) कार्मिकों (हां /नहीं) और कामगारों (हां /नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है

हां , सभी नियमित कार्मिक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और कार्मिक जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के अंतर्गत कवर होते हैं। इसके अलावा, गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए), मोटर वाहन अग्रिम (एमवीए), और मृतक के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा अग्रिम का भी बीमा किया जाता है। एनएचपीसी के पास कार्मिक पारिवारिक आर्थिक पुनर्वास योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना भी है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, एंटिटी द्वारा किए गए उपायों को प्रस्तुत करें ।

सभी संविदाओं के लिए, कार्मिक भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा और सभी लागू करों की कटौती के लिए निविदा दस्तावेज़ में वैधानिक प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही, स्रोत पर कर कटौती की दो चरणों वाली जांच (एक अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा और दूसरा वित्त विभाग द्वारा) की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैधानिक देय का भुगतान मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा काटा और जमा किया गया है।

3. उन कार्मिकों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें कार्य–संबंधी गंभीर चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र. 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है

	प्रभावित कार्मिकों/कामगारों की कुल संख्या		उन कार्मिकों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है।	
	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
कार्मिक	2	0	शून्य	शून्य
कामगार	7	8	शून्य	शून्य

4. क्या एंटिटी निरंतर रोजगार योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन असिस्टेंट प्रोग्राम्स प्रदान करती है? (हां नहीं)

हाँ। एनएचपीसी ने' परामर्शदाता के रूप में एनएचपीसी के सेवानिवृत्त कार्यकारी (बोर्ड स्तर से नीचे) की नियुक्ति के लिए योजना शुरू की है। योजना के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके सेवा कार्यकाल के दौरान अर्जित उनके व्यापक अनुभवों, विशेष कौशल और विशिष्ट डोमेन ज्ञान का उपयोग करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी युवा अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करते हैं, जिससे ज्ञान साझा करने और सीखने का माहौल तैयार करने को बढ़ावा मिलता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य प्रणाली	खरीद अनुबंधों के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों से अपेक्षा करता है कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य प्रणाली और कामकाजी परिस्थितियों जैसे मौजूदा नियमों का अनुपालन करें। प्रदर्शन का मूल्यांकन कामकाजी परिस्थितियों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नियमों के अनुपालन के आधार पर किया जाता है। हालाँकि स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, सामग्री मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कभी–कभी जांच की जाती है।
काम करने की स्थिति	

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य प्रणाली और मूल्य श्रृंखला भागीदारों के कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

चूंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं की सामयिक जांच से उत्पन्न होने वाले कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंताएं रिपोर्ट नहीं की गई हैं, अतः जोखिमों को दूर करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

सिद्धांत 4 : कारोबार में अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **एंटिटी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   प्रमुख हितधारकों की पहचान एनएचपीसी की व्यावसायिक कार्यनीति और संधारणीयता दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव पर आधारित है। एनएचपीसी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों सहित आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग और पहचान की है। इन हितधारकों में शेयरधारक, निवेशक, डिस्कॉम, कार्मिक, स्थानीय समुदाय, आपूर्तिकर्ता, संविदाकारों, सरकार और मीडिया शामिल हैं। हाशिये पर पड़े और कमजोर हितधारकों की पहचान करने के लिए, समग्र संदर्भ का डेस्क अनुसंधान (वृत्तचित्र अध्ययन), समुदाय की आवश्यकता का आकलन, सहकर्मी से तुलना और प्रमुख कार्मिकों का साक्षात्कार भी आयोजित किया जाता है।

2. **आपकी एंटिटी के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कारोबार की आवृत्ति बताएं।**

हितधारक	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/प्रतिवर्ष त्रैमासिक अन्य कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारक	नहीं	ई–मेल, समाचार पत्र विज्ञापन, त्रैमासिक एरनिंग कॉल, एजीएम, आय प्रस्तुति, निवेशक बैठकें और वेबसाइट	त्रैमासिक एवं आवश्यकता आधारित स्थिति	• कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिकता • लागत अनुकूलन और लाभप्रदता में सुधार • निवेश पर रिटर्न • जोखिम प्रबंधन • नवप्रवर्तन और • डिजिटाइजेशन • संधारणीयता और ईएसजी पर केंद्रित
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	नहीं	ई–मेल, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, कंपनी की वेबसाइट	वैधानिक आवश्यकता के अनुसार	वैधानिक आवश्यकता के अनुसार जानकारी
डिस्कॉम	नहीं	बैठकें, ईमेल, विद्युत क्रय समझौते, उद्योग बैठकें	मासिक	विद्युत की गुणवत्ता एवं नियमित उपलब्धता
कार्मिक	नहीं	ईमेल, मीटिंग, कंपनी इंट्रानेट, कार्मिक शिकायत तंत्र, सोशल मीडिया, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम	मासिक	• स्वास्थ्य और सुरक्षा • पारिश्रमिक और • मूल्यांकन • सीखना और विकास • विविधता और समावेशन
स्थानीय समुदाय	हाँ	सीएसआर कार्यक्रम समुदायों के साथ बैठकें, शिकायत निवारण तंत्र	मासिक	• स्थानीय समुदाय विकास • रोजगार सृजन
आपूर्तिकर्ता और संविदाकार	हाँ	आपूर्तिकर्ता बैठक,अनुबंध दस्तावेज़ और समझौते, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र	मासिक	• गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की खरीद और उपकरण • नैतिक कारोबार • आचरण भुगतान की शर्तें

हितधारक	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/प्रतिवर्ष त्रैमासिक अन्य कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
सरकार	नहीं	सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात और बैठक एम.ओ.यू., सेमिनार और संघ व उद्योग मंडल के साथ बातचीत।	निरंतर	• अधिनियम और नीति • अनुपालन • सरकार की पहलों का कार्यान्वयन • पर्यावरण • अनुपालन • विनियामक अनुपालन
मिडिया	नहीं	मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस विज्ञप्ति, कंपनी की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म	निरंतर	• पारदर्शिता और सूचना की प्रासंगिकता • नए कारोबार के अवसर • वित्तीय और प्रचालन प्रदर्शन

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्शों से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

   एनएचपीसी में हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण नियमित आधार पर प्रतिक्रिया मांगता है जो कंपनी को समाज के लिए साझा प्रगति और साझा समृद्ध भविष्य की अवधारणा को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। कंपनी के पास महत्वपूर्ण हितधारक समूहों को उत्पादक संवाद में शामिल करने और विशेष रूप से एनजीआरबीसी सिद्धांतों द्वारा कवर किए गए मामलों पर व्यावहारिक आलोचना एकत्र करने के लिए संस्थागत प्रक्रियाएं हैं। यह कंपनी के जोखिम मूल्यांकन और कार्यनीति निर्माण प्रक्रियाओं के लिए एक उपयोगी इनपुट के रूप में कार्य करता है।

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो दृष्टांतों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को एंटिटी की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।**

   हाँ, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुपालन में, परियोजना स्थल पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सार्वजनिक परामर्श किया जाता है और पर्यावरण और सामाजिक सरोकार पर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ली जाती है। परियोजना के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है और कार्यवाही पर विचार–विमर्श किया जाता है। उनसे प्राप्त इनपुट को अंतिम ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट में शामिल किया जाता है और अनुमोदन के लिए एमओईएफ एंड सीसी को प्रस्तुत किया जाता है। एक बार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद, ईएमपी को परियोजना स्थल पर लागू किया जाता है और पर्यावरण सुरक्षा उपायों पर एक अनुपालन रिपोर्ट भी एमओईएफ एंड सीसी को प्रस्तुत की जाती है।

   एनएचपीसी लिमिटेड के पास एक समर्पित कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति भी है जो सभी सरकारी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की रूपरेखा भी बताती है। हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर परियोजना का अनुमोदित ईआईए/ईएमपी अंततः परियोजना स्थल पर गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रमुख मार्गदर्शक कारक बन जाता है।

3. **कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाएं गए कदम का विवरण प्रदान करें।**

   कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

   दिव्यांग कार्मिक : एनएचपीसी एक ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास करता है जो दिव्यांग कार्मिकों और विशेष जरूरतों वाले कार्मिकों के लिए अनुकूल हो। इसका उद्देश्य इन कार्मिकों को उनके लाभ के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों, मंचों और प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से आत्मविश्वासी बनाना है।

   लड़कियां/महिलाएं और एससी/एसटी समुदाय : परियोजना स्थानों के पास, एनएचपीसी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों की सुविधा के लिए एससी/एसटी और छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

   परियोजना स्तर की टीमें स्थानीय समुदायों से उनकी प्रतिक्रिया और चिंताएं जानने के लिए बातचीत भी करती हैं।

सिद्धांत 5 कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कार्मिकों और कामगारों जिनको निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और एंटिटी की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	कुल (क)	शामिल किए गए कार्मिकों और कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (घ)	शामिल किए गए कार्मिकों और कामगारों की संख्या (ख)	% (घ/ग)
कार्मिक						
स्थायी	3005	0	0%	3339	0	0%
स्थायी के अलावा	7	0	0%	0	0	0%
कुल कार्मिक	3012	0	0%	3339	0	0%
कामगार						
स्थायी	1375	0	0%	1753	0	0%
स्थायी के अलावा	7288	0	0%	7288	0	0%
कुल कामगार	8663	0	0%	9041	0	0%

2. कार्मिकों और कामगारों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23					वित्त वर्ष 2021–22				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	सं. (ड.)	% (ड./घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कार्मिक										
स्थायी										
पुरुष	2718	0	0%	2718	100%	3037	0	0%	3037	100%
महिला	287	0	0%	287	100%	312	0	0%	312	100%
स्थायी के अलावा										
पुरुष	7	0	0%	7	100%	0	0	0%	0	0%
महिला	0	0	0%	0	100%	0	0	0%	0	0%
कामगार										
स्थायी										
पुरुष	1174	0	0%	1174	100%	1510	0	0%	1510	100%
महिला	201	0	0%	201	100%	243	0	0%	243	100%
स्थायी के अलावा										
पुरुष	6507	6236	96%	271	4%	6507	6236	96%	271	4%
महिला	781	772	99%	9	1%	781	772	99%	9	1%

3. **निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण**

श्रेणी	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी की मजदूरी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी की मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)*	9	7333170	1	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0	0	1	4345413
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	2715	3024022	286	2786515
कामगार	1174	2061792	201	1689134

* निदेशक मंडल के 10 निदेशकों में से 6 निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक थे जिनमें 1 महिला भी शामिल थी, जिनको कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

4. **क्या आपके पास कारोबार द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए उत्तरदायी कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हां नहीं)**

हाँ। कॉर्पोरेट मानव संसाधन विभाग मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करने और कारोबार के कारण उत्पन्न या उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का निपटान करने के लिए उत्तरदायी है।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।**

मानव अधिकारों और सभ्य श्रम प्रथाओं से संबंधित कार्मिकों की चिंताओं और शिकायतों का निपटान करने के लिए, एनएचपीसी की यूनिटों में उचित प्रणालियों और तंत्रों के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के दो घंटे शिकायत निवारण के लिए आरक्षित होते हैं, जब सभी विभाग प्रमुख जनता की शिकायतें सुनते हैं।

6. **कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या**

शिकायत	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	1	1		0	1	
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0		0	0	
बाल श्रम	0	0		0	0	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0		0	0	
वेतन	0	0		0	0	
अन्य मानव	0	0		0	0	
मानव अधिकार संबंधी मुद्दे						

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

एनएचपीसी कार्यस्थल में उत्पीड़न, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समर्पित है, और इस तरह के व्यवहार के प्रति शून्य सहनशीलता रखती है। एनएचपीसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़े मामलों में शिकायतकर्ता की पहचान का प्रकटीकरण नहीं करने का प्रावधान है।

8. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/ नहीं)**

हाँ, मानवाधिकार आवश्यकताओं का अनुपालन हमारे सभी व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का एक हिस्सा है।

9. **वर्ष के लिए आकलन**

.

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (एंटिटी या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन या अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
वेतन	100%

10. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

एनएचपीसी एक मानवाधिकार नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है जो हमारे सभी कार्मिकों और मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर लागू होगी। इसका कार्यान्वयन लागू कानूनों के पालन और मानवाधिकारों की भावना को बनाए रखने पर केंद्रित होगा।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकार प्रतिवेदनों /शिकायतों के समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण**

एनएचपीसी मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों/शिकायतों के समाधान के लिए एक मानवाधिकार नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

2. **किए गए किसी भी मानवाधिकार संबंधी उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज का विवरण ।**

कोई मानवाधिकार संबंधी उचित परिश्रम नहीं किया गया है। हालाँकि, एनएचपीसी लिमिटेड यह सुनिश्चित करती है कि मूल्य श्रृंखला भागीदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं।

3. **क्या दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार एंटिटी का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हां, दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ हैं।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण**

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
बाल श्रम	100%
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	100%
वेतन	100%

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

चूंकि मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन से कोई जोखिम/चिंताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, अत किसी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

सिद्धांत 6 : व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसे सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण

मापदंड	यूनिट	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल विद्युत की खपत (क)	जीजे (गीगाजोल्स)	2,80,614.3	2,83,378.3
कुल ईंधन की खपत (ख)	जीजे (गीगाजोल्स)	35,067.5	40,040.9
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	जीजे (गीगाजोल्स)	16,249.92	13,525.2
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	**जीजे (गीगाजोल्स)**	**3,31,931.0**	**3,36,944.5**
टर्नओवर के प्रति रुपये की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/करोड़ रुपये में टर्नओवर)	जीजे/करोड़ रुपये	35.63	40.55

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

2. क्या एंटिटी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं?(हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, बताएं।

नहीं, एनएचपीसी के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में चिन्हित कोई साइट/सुविधाएं नहीं हैं।

3. निम्नलिखित प्रारूप में, जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण प्रदान करें

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलो लीटर में)		
(i) सतही जल	13,56,012.16	14,09,661.82
(ii) भूजल	4,40,470.7	4,53,421.3
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	13,322.0	2,203.00
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	0.0	0.0
(v) अन्य	0.0	0.0
जल निकासी की कुल मात्रा (i + ii + iii + iv + v)	**18,09,804.9**	**18,65,286.17**
जल खपत की कुल मात्रा ¼fdy¨ yhVj e½	14,06,250.54	16,64,510.9
प्रति रुपया जल की तीव्रता टर्नओवर (जल की खपत/करोड़ रुपए में टर्नओवर)	150.9	200.3

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

4. क्या एंटिटी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

नहीं, एनएचपीसी ने अपने प्रचालन में 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' तंत्र लागू नहीं किया है।

5. कृपया एंटिटी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें

मापदण्ड	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
NOx	µg/m3	663.84	711.80
NOx	µg/m3	156.74	123.27
विशेष पदार्थ (पीएम)	µg/m3	612.26	654.85
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	-	0.0	0.0

मापदण्ड	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
वालेटाइल कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	-	0.0	0.0
खतरनाक हवा प्रदूषक (एचएपी)	-	0.0	0.0
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	-	0.0	0.0

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

6. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें**

मापदण्ड	यूनिट	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में जीएचजी के विवरण, यदि उपलब्ध हो)	एनएचपीसी जलविद्युत और सौर व पवन जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में लगी हुई है, जो ऊर्जा के स्वच्छ और हरित स्रोत हैं। इसके अलावा, डीजी सेट आदि को सहायक और संबद्ध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है जो नगण्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते है। तथापि, एनएचपीसी अपने जीएचजी उत्सर्जन की ट्रैकिंग प्रक्रिया पर आंतरिक रूप से विचार–विमर्श कर रहा है।		
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में जीएचजी के विवरण, यदि उपलब्ध हो)			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन का टर्नओवर प्रति रुपया			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक एंटिटी द्वारा चुना जा सकता है			

टिप्पणी क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

7. **क्या एंटिटी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।**

एनएचपीसी की नवीकरणीय स्रोतों जैसे जल (जलविद्युत), सौर और पवन के खपत रहित उपयोग से विद्युत उत्पादन करने की व्यावसायिक गतिविधि स्वयं में एक ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) कम करने की गतिविधि है।

8. **एंटिटी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें**

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट **(क)**	15,755.13	11,764.26
ई–अपशिष्ट **(ख)**	10,463.15	7,520.9
बायो–मेडिकल अपशिष्ट **(ग)**	25,028.15	27,821.1
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट **(घ)**	23,557.0	28,240.0
बैटरी अपशिष्ट **(ङ)**	17,090.00	13,148.62
रेडियोधर्मी अपशिष्ट **(च)**	0.00	0.00
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। **(छ)**	4,867.5	51,178.5
उत्पन्न अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट **(ज)**। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना द्वारा अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा विवरण)	2,07,012.71	1,09,710.00
कुल (क+ख + ग + घ + ङ+ च + छ+ ज)	**2,99,973.39**	**2,44,628.08**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों (मीट्रिक टन में) के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	23,540.12	20,084.00
(ii) पुन उपयोग	18,397.75	22,630.00
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	18,412.00	13,148.62
कुल	**60,349.87**	**55,862.62**

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	60.87	396.81
(ii) लैंडफिलिंग	1,07,703.28	94,693.29
(iii) अन्य निपटान	33,795.68	72,045.19
कुल	**1,41,559.82**	**1,67,135.28**

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण /मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं ।

नहीं।

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

एनएचपीसी के पास सोल्ड वेस्ट, खतरनाक अपशिष्ट और ई–अपशिष्ट सहित अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए उचित हैंडलिंग और निपटान तंत्र है। संबंधित हितधारकों (एसपीसीबी, पीसीसी, एमओईएफ एंड सीसी, जिला प्रशासन और शहरी/स्थानीय निकायों) के साथ समन्वय और सहयोग से, एनएचपीसी लिमिटेड यह सुनिश्चित करती है कि इसकी सभी सुविधाएं निवारक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन करती हैं। कार्यालयों और कॉलोनियों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को जनशक्ति द्वारा एकत्र करके सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है, जबकि पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच, कार्डबोर्ड आदि को स्क्रैप कलेक्टरों द्वारा एकत्र किया जाता हैं और शेष अपशिष्ट का निपटान लैंडफिल साइट में किया जाता है। हमने पार्बती में अपने संयंत्र में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लिमिटेड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ई–अपशिष्ट केवल अधिकृत ई–अपशिष्ट हैंडलर के माध्यम से निपटाया जाता है।

10. यदि एंटिटी के पास पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्र भूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय हैं जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	प्रचालनों/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है?(हाँ/नहीं)
1	लागू नहीं। इस रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, कोई भी परियोजना उपरोक्त प्रश्न–1 उल्लेखित क्षेत्र में नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित परिणाम (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
डुगर जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट), जिला–चंबा, हिमाचल प्रदेश। परियोजना मंजूरी के चरण में है। ईसी और एफसी प्रगति पर हैं	एसओ 1533(ई)	14.09. 2006	हाँ	हाँ	अंतिम ईआईए ईएमपी रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को parivesh.nic.in के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

12. क्या एंटिटी भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/विनियम/दिशानिर्देशों जैसे कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाएं गए नियमों का अनुपालन करती है (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें

हां, एनएचपीसी लिमिटेड के सभी संयंत्र में लागू पर्यावरणीय कानूनों/विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता हैं।

क्र. सं.	उन कानून/विनियम/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी विनियामक एजेंसियों द्वारा किए गए किसी भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
लागू नहीं				

नेतृत्व संकेतक

1. **नवीकरणीय और गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :**

मापदण्ड	यूनिट	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
नवीकरणीय स्रोतों से			
विद्युत की कुल खपत (क)	जीजे (गीगाजोल्स)	0	0
कुल ईंधन की खपत (ख)	एल (लीटर्स)	0	0
ऊर्जा खपत अन्य स्रोत (ग)	जीजे (गीगाजोल्स)	16,249.92	13,525.2
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	जीजे (गीगाजोल्स)	16,249.92	13,525.2
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से			
विद्युत की कुल खपत (घ)	जीजे (गीगाजोल्स)	280,614.3	283,378.3
कुल ईंधन खपत (ङ)	जीजे (गीगाजोल्स)	35,067.5	40,040.9
अन्य स्रोत से ऊर्जा खपत (च)	-	0	0
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ + ङ + च)	जीजे (गीगाजोल्स)	315,681.8	323,419.2

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

2. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :

क्र. सं.	मापदण्ड	वित्त वर्ष 2023 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22
	गंतव्य और उपचार के स्तर से पानी का डिस्चार्ज (किलो लीटर में)		
(i)	सतही पानी के लिए	403,554.36	200,775.25
	– कोई उपचार नहीं	0	0
	– उपचार के साथ – सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	403,554.36	200,775.25
(ii)	भूजल को	0	0
	– कोई उपचार नहीं	0	0
	– उपचार के साथ–कृपया उपचार के स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii)	समुद्री जल	0	0
	– कोई उपचार नहीं	0	0
	– उपचार के साथ–कृपया उपचार के स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv)	तीसरे पक्ष को भेजा गया	0	0
	– कोई उपचार नहीं	0	0
	– उपचार के साथ–कृपया उपचार के स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v)	अन्य	0	0
	– कोई उपचार नहीं	0	0
	– उपचार के साथ–कृपया उपचार के स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
	कुल डिस्चार्ज पानी (किलो लीटर में)	**403,554.36**	**200,775.25**

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

3. **वाटर स्ट्रेस के क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और डिस्चार्ज (किलो लीटर में) :**

वाटर स्ट्रेस के क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) प्रचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और डिस्चार्ज :

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलो लिटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	
(ii) भूजल		
(iii) थर्ड पार्टी वाटर		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
टर्नओवर प्रति रुपया पानी की तीव्रता (पानी की खपत/टर्नओवर)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन एंटिटी द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर से पानी का डिस्चार्ज (किलो लीटर में)		
(i) सतही पानी में	लागू नहीं	
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार के स्तर को निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार के स्तर को निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार के स्तर को निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार के स्तर को निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार के स्तर को निर्दिष्ट करें		
कुल डिस्चार्ज पानी (किलो लीटर में)		

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

4. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें :**

मापदण्ड	यूनिट	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में जीएचजी के विवरण, यदि उपलब्ध हो)	CO_2 के समतुल्य मीट्रिक टन	एनएचपीसी अपने स्कोप 3 उत्सर्जन की ट्रेकिंग करने की प्रक्रिया पर आंतरिक रूप से विचार–विमर्श कर रही है।	
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन टर्नओवर के प्रति रुपया			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक एंटिटी द्वारा चुना जा सकता है			

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

5. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और सुधार संबंधी गतिविधियों के साथ–साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर एंटिटी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।**

चूंकि एनएचपीसी के पास पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रचालन/कार्यालय नहीं हैं, अत जैव विविधता पर एंटिटी का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए, कोई सुधार संबंधी गतिविधियां नहीं की गईं।

6. **यदि एंटिटी ने संसाधन दक्षता में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/अपशिष्ट/उत्पन्न कचरे के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इस तरह की पहलों के परिणाम के साथ–साथ इसका विवरण प्रदान करें :**

क्र. सं.	शुरू की गई पहल	पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम
1	रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रंगित एचई परियोजना सिक्किम का पोस्ट प्रोजेक्ट पर्यावरणीय मूल्यांकन	लागू उपायों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए अस्थायी दूरस्थ सेंसिंग डेटा का उपयोग करके पर्यावरणीय पहलुओं का समय सीमा में पोस्ट प्रोजेक्ट मूल्यांकन किया गया था। इस अध्ययन में पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं जैसे कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना, जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना, जलाशय रिम सुधार, बहाली योजना, धार्मिक स्मारक का स्थानांतरण, मुक्त ईंधन प्रावधान और एवं पुनर्वास पुनर्स्थापन योजना की प्रभावकारिता के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।	निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं : (i) स्नो कवर में सामान्य भिन्नता पाई गई। (ii) कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के अंतर्गत सुधार किए गए प्रत्येक सब–वाटरशेड (एसडब्ल्यूएस) का गहन विश्लेषण परियोजना के लिए लागू प्रबंधन योजना की समग्र प्रभावकारिता प्रदान करता है। सभी एसडब्ल्यूएस में भूमि उपयोग श्रेणियों में थोड़ी भिन्नताएं हैं लेकिन यह निष्कर्षों से स्पष्ट है कि क्षेत्र में की गई सीएटी योजना लाभकर रही है। (iii) वर्ष 1994 के दौरान प्रचलित स्थिति के साथ वर्तमान स्थिति की तुलना करते समय, यह पाया गया कि भूमि–स्लाइडस न केवल संख्या में कम हो गई है, बल्कि सक्रिय स्लाइड भी अपने क्षेत्र में कम दिख रही हैं । (iv) सीएटी योजना (12,775 हेक्टेयर का समग्र क्षेत्र) के अंतर्गत छह एसडब्ल्यूएस का सुधार किया गया था; सभी सुधार किए गए एसडब्ल्यूएस के इरोजन विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 2.15% क्षेत्र नकारात्मक परिवर्तन दिखा रहा है जो दस वर्ष (2010 से 2020 तक) की समय सीमा में बहुत कम है। सकारात्मक परिवर्तन दिखाने वाले क्षेत्र लगभग 5.33% हैं और बिना किसी बदलाव के क्षेत्र लगभग 92.52% है।
2	आईआईआरएस, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, देहरादून के सहयोग से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एनएचपीसी की नौ चालू / निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास भूस्खलन का अध्ययन।	यह अध्ययन आईआईआरएस देहरादून के साथ संयुक्त रूप से एनएचपीसी के 09 पावर स्टेशन में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि क्या परियोजना के निर्माण का परियोजना क्षेत्र में भूस्खलन पर कोई प्रभाव पड़ता है।	आईआईआरएस, देहरादून द्वारा तैयार किए गए अध्ययन की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि परियोजना के निर्माण से अध्ययन क्षेत्र में भूस्खलन गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

क्र. सं.	शुरू की गई पहल	पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम
3	जल विद्युत परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक अनिश्चितताओं के अनुकूलन के लिए रेजिस्टिविटी इमेजिंग और ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार में उभरती भूभौतिकीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से लक्षित समाधान (24.07.2018)	जलविद्युत परियोजना में अन्वेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इष्टतम समय और लागत प्रभावी तरीके से परियोजना के निर्माण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्वेषण में अनिश्चितताओं को कम करने के लिए, रेजिस्टिविटी इमेजिंग और ग्राउंड पेनट्रेशन राडार में उभरती भूभौतिकीय प्रौद्योगिकियां अत्यधिक सहायक हो सकती हैं।	परियोजना से निष्कर्ष निकाला कि भू–वैज्ञानिक अनिश्चितताओं/आश्चर्य को कम करने के लिए जहां भी संभव हो, टनल अलाइन्मन्ट पर रेजिस्टिविटी इमेजिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इससे टनल के साथ–साथ भूवैज्ञानिक स्थितियों के बेहतर मूल्यांकन में सहायता मिलेगी।
4	प्रौद्योगिकी उन्नयन/ आर एंड डी हस्तक्षेप के अंतर्गत धौलीगंगा पावर स्टेशन के एक सर्ज शाफ्ट गेट के लिए हाइड्रोलिक मोटर संचालित रोप ड्रम होइस्टिंग सिस्टम की शुरूआत	यह अनुसंधान एवं विकास परियोजना धौलीगंगा पावर स्टेशन में शुरू की गई है।	एक प्रौद्योगिकी उन्नयन हस्तक्षेप के रूप में हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव की शुरूआत से गेट होस्ट की बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रदर्शन होगा। इसका धौलीगंगा पावर स्टेशन में इसका सफल प्रदर्शन अन्य एनएचपीसी पावर स्टेशनों में इसी तरह के हस्तक्षेप/अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
5	जलाशय प्रचालन तकनीकों के माध्यम से तलछट प्रबंधन द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं में डी–सिल्टिंग बेसिन के उन्मूलन के लिए संख्यात्मक और भौतिक मॉडल अध्ययन (07.03.2019)	यह अध्ययन सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे के सहयोग से तीस्ता–VI परियोजना में किया गया है।	विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तीस्ता–VI जलाशय में अलवणीकरण बेसिन आवश्यक है क्योंकि 90% से अधिक निलंबित तलछट भार कण व्यास के 0.25 मिमी और उससे अधिक के लिए ग्रहण करता है।

7. क्या एंटिटी के पास व्यावसायिक निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

एनएचपीसी ने अपनी संकट और आपदा प्रबंधन योजना (सी एंड डीएमपी) तैयार की है। इसे सभी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में लागू किया जा रहा है। इस योजना में पावर स्टेशनों/परियोजनाओं की आपातकालीन तैयारी का उल्लेख किया गया है और यह आवासीय कॉलोनी क्षेत्र सहित पावर स्टेशन क्षेत्र के परिसर के भीतर होने वाली विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए लागू है। सी एंड डीएमपी सभी संभावित संकट और आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, आतंकवादी हमले, भूस्खलन आदि और साइट की शर्तों के अनुसार निवारक कार्रवाई को कवर करती है । सी एंड डीएमपी में ऑनसाइट–आपातकालीन स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी संबंधितों, प्रबंधकीय, प्रचालन और सहायक सेवाओं, अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के कार्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है ।

8. एंटिटी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को प्रकट करें।इस संबंध में एंटिटी द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं ।

मूल्यांकन नहीं किया गया

9. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।

हमने पर्यावरणीय प्रभावों के लिए अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए मूल्यांकन नहीं किया है।

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और नियामक निकायों को प्रभावित करने वाले व्यवसायों को पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. व्यापार और उद्योग चैम्बर्स/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या**

   एनएचपीसी 2 व्यापार और उद्योग चैम्बर्स/संघों का सदस्य है।

   ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैम्बर्स/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं जो एंटिटी का सदस्य/ से संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग चैम्बर्स/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई) – स्कोप	राष्ट्रीय
2	पावर फाउंडेशन	राष्ट्रीय

2. **विनियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर एंटिटी द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई या चल रही कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	कृत सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य	शून्य	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **एंटिटी द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण**

क्र. सं.	वकालत की गई नीति	ऐसी वकालत की विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में है (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध है
शून्य					

भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत कंपनियों में से एक होने के नाते, एनएचपीसी ने जलविद्युत विकास में गति देने के लिए नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विगत वर्षों में, एनएचपीसी ने पूरे हिमालय में जल विद्युत क्षमता के दोहन में शामिल विभिन्न विषयों में एक इन–हाउस विशेषज्ञता विकसित की है। एनएचपीसी के विशेषज्ञ विद्युत नीति, विद्युत अधिनियम, जल नीति, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड स्थिरता आदि से संबंधित क्षेत्रों में भारत सरकार और अन्य सांविधिक निकायों द्वारा की गई चर्चा, कार्यनीति/नीति निर्माण अभ्यास में भाग लेते हैं।

सिद्धांत 8 : सभी कारोबारियों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

   भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन नियमित रूप से किया जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका भुगतान एनएचपीसी द्वारा जारी किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान, कोई एसआईए आयोजित नहीं किया गया था।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया है (हाँ/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित परिणाम(हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई एसआईए आयोजित नहीं किया गया है ।					

2. **आपकी एंटिटी द्वारा चल रही परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर) किया जा रहा है**

क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर किया जा रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एंड आर के तहत कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
1	पार्बती-II जल विद्युत परियोजना	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	947	35.6%	₹ 10,90,125
2	सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना	असम	धेमाजी	77	100%	₹ 27,75,36,359

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें

एनएचपीसी और सीएसआर टीम की आंतरिक परियोजना टीमें समुदाय सदस्यों की किसी भी समस्या, शिकायतों और शिकायतों पर चर्चा, पहचान और समाधान करने के लिए नियमित रूप से समुदाय के साथ बातचीत करती हैं। शिकायत मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

एनएचपीसी के पास एक 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' भी है जिसका उपयोग स्थानीय समुदायों द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट)

	वित्त वर्ष 2022 – 23	वित्त वर्ष 2021 – 22
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 50.16%	एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल खरीद का 43.99%
जिला और पड़ोसी जिलों में सीधे प्राप्त	एनएचपीसी हमारे परिचालन की मात्रा पर विचार करते हुए जिलों और पड़ोसी जिलों से और उनके भीतर प्राप्त सामग्री के डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है ।	

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1)

चिन्हित किए गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी एंटिटी द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें।

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिले	खर्च की गई राशि (भारतीय रूपये लाख में)
1	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	498.84 रुपए
2	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	756.29 रुपए
3	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम (ग्यालशिंग)	390.57 रुपए
कुल			**1,645.70 रुपए**

3. (क) क्या आपके पास एक अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

हाँ।

(ख) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)

(ग) कुल खरीद (मूल्य से) का यह कितना प्रतिशत है?

एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 50.16%।

4. पारंपरागत ज्ञान के आधार पर आपकी एंटिटी (चालू वित्त वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण

क्र. सं.	पारंपरागत ज्ञान के आधार पर बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां या नहीं)	साझा किया गया लाभ (हाँ या नहीं)	लाभ शेयर की गणना का आधार
लागू नहीं				

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरागत ज्ञान का उपयोग शामिल है।

प्राधिकरण का नाम	प्राधिकरण का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण

सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट के लिंक https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/16909740840.pdf पर उपलब्ध है।

सिद्धांत 9: कारोबार को जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें एहियमियत देनी चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उत्तर देने के लिए स्थापित तंत्र का वर्णन करें।

बी2बी उद्योग में होने के कारण, एनएचपीसी विभिन्न लाभार्थी डिस्कॉमों को विद्युत आपूर्ति करती है। अतः, इसे उपभोक्ताओं से सीधे शिकायतें प्राप्त नहीं होती हैं। विभिन्न नियमों और विनियमों जिसके तहत विद्युत क्षेत्र शासित होता है, की व्याख्या के संबंध में कोई भी शिकायत/मुद्दों को ग्राहकों द्वारा उपयुक्त मंच (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग/विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण) पर उठाया जाता है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय से एक 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' जुड़ी हुई है। किसी भी शिकायत के लिए संपर्क विवरण लिंक https://www.nhpcindia.com/assests/pzi_public/gallery/1689568899.pdf में दिया गया है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवा से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर जिसके बारे में जानकारी है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं क्योंकि एनएचपीसी विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में है, जानकारी वाली कोई वस्तु या सेवाएं नहीं हैं।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

विद्युत अधिनियम, 2003 और तत्संबंधी संशोधनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के माध्यम से भारत में विद्युत क्षेत्र एक विनियमित उद्योग है। कंपनी अपने पावर स्टेशनों से विभिन्न डिस्कॉमों को विद्युत की आपूर्ति करने में इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित के संबंध में कोई उपभोक्ता शिकायत प्राप्त नहीं हुई :

आर एंड आर के लिए परियोजना का नाम	वित्त वर्ष 2023–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
डेटा गोपनीयता	0	0	-	0	0	-
विज्ञापन	0	0	-	0	0	-
साइबर सुरक्षा	0	0	-	0	0	-
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	0	0	-	0	0	-
अवरोधक व्यापार प्रथाएं	0	0	-	0	0	-
अनुचित व्यापार व्यवहार	0	0	-	0	0	-
अन्य	0	0	-	0	0	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण

	संख्या	रिकॉल के कारण
स्वैच्छिक रिकॉल	(लागू नहीं)	
फोर्स्ड रिकॉल		

5. क्या एंटिटी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का एक वेब–लिंक प्रदान करें।

हाँ। एनएचपीसी के पास एक सुदृढ़ सुरक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने, सूचना की सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा करने के लिए एक सुव्यवस्थित आईटी और साइबर सुरक्षा नीति है। एनएचपीसी को कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए सूचना सुरक्षा प्रबधन प्रणाली (आईएसओ 27001:2013) नीति से प्रमाणित किया गया है जो गोपनीयता, अखंडता और सूचना परिसंपत्तियों की उपलब्धता का आश्वासन देता है। यह एक आंतरिक नीति है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

कमियों की पहचान करने और समय–समय पर मूल्यवान जानकारी और महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए सभी जनरेटिंग पावर स्टेशनों पर वीएपीटी ऑडिट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीएपीटी) ऑडिट किया जाता है । साइबर खतरों से सर्वरों/डेस्कटॉप की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत इंड पॉइंट सिक्युरिटी सॉफ़्टवेयर सलुशन लागू किया गया है । एनएचपीसी के पास अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के हिस्से के रूप में एक व्यापक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) है जो साइबर सुरक्षा उल्लंघनों और असुरक्षित आईटी संचार प्रणालियों के जोखिमों से उत्पन्न प्रशमन उपाय प्रदान करती है। यह एक आंतरिक दस्तावेज है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा लगाए गए दंड /कार्रवाई के संबंध में विवरण दें ।**

एनएचपीसी की एक सुव्यवस्थित आईटी और साइबर सुरक्षा नीति है। विज्ञापन, आवश्यक सेवाओं के वितरण, साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता से संबंधित कोई मामला नहीं है। उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर किसी भी नियामक प्राधिकरण यानी सीईआरसी, एसईआरसी और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां एंटिटी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी तक पहुँचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

एनएचपीसी एक विद्युत उत्पादन कंपनी है और विभिन्न डिस्कॉमों को अपनी विद्युत बेचती है जो इसे अंतिम उपभोक्ताओं को बेचती है। यह अपने उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन नहीं करती है। हालांकि, एनएचपीसी अपनी गतिविधियों को निम्नलिखित के माध्यम से जानकारी प्रदान करती है:

- वेबसाइट (https://www.nhpcindia.com/)
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
- फेसबुक : https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited
- ट्विटर : https://twitter.com/nhpcltd
- इंस्टाग्राम : https://www.instagram.com/nhpclimited
- कू : https://www.kooapp.com/profile/nhpclimited
- यूट्यूब : https://www.youtube.com/@NHPCLimited1
- ब्रोशर और बुकलेट
- प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में प्रतिभागिता
- कार्यक्रमों का आयोजन और प्रायोजन
- कारपोरेट/डाक्यूमेंटरी फिल्में
- विज्ञापन
- विभिन्न वैधानिक अनुपालन (सूचीबद्ध कंपनी के लिए लागू अनुपालन सहित)
- मीडिया इंटरैक्शन / प्रेस विज्ञप्ति / प्रेस सम्मेलन
- सरकार/संसद/अन्य निकायों द्वारा समय–समय पर मांगी गई जानकारी

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

एनएचपीसी एक बी2बी परिचालन मॉडल का अनुपालन करता है और यह उपभोक्ता के लिए वितरण सेवाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। तथापि, यह निम्नलिखित तरीके से ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए उचित प्रयास करता है :

क. मीडिया में प्रेस विज्ञप्तियों/सूचनाओं के माध्यम से एनएचपीसी अपने बांध से पानी छोड़ने के बारे में समय–समय पर जनता को सूचित करती है।

ख. पावर स्टेशनों के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं। पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में कार्य/दौरा करते समय कार्मिकों/कामगारों और आगंतुकों के लिए एनएचपीसी पावर स्टेशनों द्वारा सुरक्षा निर्देशों/सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

ग. आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में, एनएचपीसी ने आम जनता के बीच कई नुक्कड़ नाटकों/रैलियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण/सुरक्षा आदि जैसे विषयों को बढ़ावा दिया है।

3. उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किया गया है।

एनएचपीसी अपने विभिन्न जल विद्युत स्टेशनों, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों से डिस्कॉमों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति करने के व्यवसाय में रत है। आगामी माह के लिए विद्युत की आपूर्ति में निर्धारित व्यवधान के लिए, प्रचालन समन्वय समिति (ओसीसी) की बैठकों के दौरान ग्राहकों को जानकारी दी जाती है, जो प्रत्येक क्षेत्र में आयोजित की जाती है जहां सभी जनरेटर और ग्राहक उपस्थित रहते हैं।इसके अलावा, ग्राहकों को डे–एहेड़ आधार पर विद्युत निर्धारित की जाती है और इस प्रकार किसी भी विद्युत संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति में कोई भी अनियोजित व्यवधान ग्राहकों के लिए डे–एहेड़ आधार पर जाना जाता है।

इसके अलावा, एनएचपीसी व्यवधान/बंद करने के संबंध में डिस्कॉमों के साथ सीधे संवाद नहीं करता है। विद्युत उत्पादन के लिए अनुसूची संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) को अग्रिम रूप से भेजी जाती है। घोषित उत्पादन अनुसूची में किसी भी परिवर्तन, जब भी आवश्यक हो, की सूचना भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुसार संबंधित आरएलडीसी को समय–समय पर दी जाती है।

4. क्या एंटिटी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है?(हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी एंटिटी ने एंटिटी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, एंटिटी के प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से एंटिटी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया?(हां/नहीं)

उत्पाद की जानकारी: एनएचपीसी सीधे उपभोक्ता को विद्युत नहीं बेचता है अतः उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी पावर स्टेशनों द्वारा लगाए गए टैरिफ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के आदेशों द्वारा शासित होते हैं। टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय, पावर स्टेशन के वार्षिक नियत प्रशुल्क (एएफसी) का विवरण एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों सहित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

उपभोक्ता संतुष्टि के लिए सर्वेक्षण: एनएचपीसी अपने लाभार्थियों से नियमित फीडबैक लेता है जो ग्राहकों को अधिक प्रभावी तरीके से सेवा प्रदान करने में सहायक होती है। वर्ष के लिए प्राप्त फीडबैक संतोषजनक है। एनएचपीसी क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) के माध्यम से लाभार्थी राज्यों के साथ भी जुड़ा हुआ है जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एक सांविधिनिक निकाय है। यह लाभार्थी डिस्कॉमों से नियमित बातचीत करने और बकाया संबंधी मुद्दों का निपटान करने के लिए एक सामान्य मंच है। एनएचपीसी अपने लाभार्थी डिस्कॉमों से बातचीत करने और बकाया संबंधी मुद्दें, यदि कोई हो, का निपटान करने के लिए आवधिक ग्राहक बैठक भी आयोजित करता है।

5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. प्रभाव के साथ डेटा उल्लंघनों की संख्या: शून्य

ख. डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत जिसमें ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल है : शून्य

****

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 29 मई, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की ओर से
हस्ता./–
(संजय के. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 29 मई, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड और अनुबंध-I में उल्लिखित सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है, परंतु अनुबंध-II में उल्लिखित सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की ओर से
हस्ता./–
(संजय के. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2023

अनुबंध-I

उन सहायक कंपनियों, एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी:

सहायक कंपनियां:

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	एनएचडीसी लिमिटेड
2	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
3	जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड
4	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुबंध-II

उन सहायक कंपनियों, एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी:

सहायक कंपनियां:

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड
3	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
4	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

संयुक्त उद्यम:

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल है, और यह उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे एतद्पश्चात ''एकल वित्तीय विवरण'' कहा गया है) सहित है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते है और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित (''इंड एएस'') के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तथा 31 मार्च, 2023 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, और कुल व्यापक आय (लाभ और अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह का भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए संगत नैतिक अपेक्षाओं सहित हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरण की हमारी समग्र लेखापरीक्षा और उन पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में हल किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग मत प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों हेतु नीचे उल्लिखित मामलों का निर्धारण किया है।

क्रम सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
1.	**विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेषों और टैरिफ अधिसूचना लंबित होने पर राजस्व का प्रोद्भवन** कंपनी के प्रचालनरत क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अध्यधीन हैं जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु प्रभारित टैरिफ अनुमेय पूंजी तथा अन्य लागत एवं व्ययों और उसके प्रति निर्धारित प्रतिफल पर आधारित होता है। कंपनी अपने उपभोक्ताओं को पूर्व–अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ के आधार पर बीजक देती है जो ट्रूइंग–अप के अध्यधीन है। कंपनी विनियामक के साथ सहमत पूर्व–अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ दरों के आधार पर उपभोक्ताओं को बीजक की राशि के रूप में राजस्व प्राप्त करती है। चूंकि कंपनी इक्विटी पर नियत आय की पात्र है, अतः विनियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व और पात्रता के बीच के अंतर को विनियामक परिसंपत्ति/देयताओं के रूप में मान्यता दी गई है। 31 मार्च, 2023 के अनुसार, कंपनी ने एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 14.1 में दिए गए अनुसार, 6420.12 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2022 तक 6948.11 करोड़ रुपये) विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेषों में मान्यता दी है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के मूल्य के वहन करने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैः** • आय के प्रोद्भवन और उनके प्रति वसूली योग्य राशियों के निर्धारण हेतु प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता को समझना तथा उनका परीक्षण करना। • सीईआरसी विनियमों के अनुरूप वसूली योग्य राशि को प्राप्त करना तथा समझना और ऐसे आकलनों हेतु प्रबंधन द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के मद्देनजर तत्संबंधी आकलन, परीक्षण और तर्कसंगतता का मूल्यांकन। • उक्त में सीईआरसी दिशा–निर्देशों का मूल्यांकन और विगत में कंपनी द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति तथा विभिन्न कारणों से वि–अनुमेय किए जाने की प्रवृत्ति और प्रबंधन द्वारा तत्संबंधी पालन और अनुपालन तथा दी गई स्थिति और व्यापार परिवेश में ली गई मान्यताओं हेतु तर्क शामिल है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</th><th>प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना</th></tr>
<tr><td></td><td>इसमें सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के संबंध में एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22क) में निर्दिष्ट किए अनुसार कार्य रोके जाने की तिथि अर्थात 16.12.2011 से 30.09.2019 तक की अवधि तक के लिए इससे संबंधित ब्याज लागत और अन्य आरोप्य व्ययों के कारण कुल 3470.59 करोड़ रूपए के प्रोद्भवन शामिल हैं।

विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष टैरिफ विनियमों और पिछले टैरिफ ऑर्डर के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और विनियामकों द्वारा उनके सत्यापन एवं अनुमोदन के अध्यधीन होते हैं। विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेष लागू विनियामक ढांचे के तहत विनियामक की वास्तविक अथवा अपेक्षित कार्रवाई के परिणामस्वरूप कंपनी के भावी आर्थिक लाभ की संभावना के संबंध में अनुमानों और अवधारणाओं के आधार पर बिना छूट के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं और इसलिए इनकी वसूली टैरिफ विनियमों और संबंधित अनुमोदनों एवं अधिसूचनाओं पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार किए गए प्रोद्भवन उस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण और प्रोपराइटरी है जिसमें कंपनी प्रचालनरत है। विशिष्ट अधिसूचना और दर–निर्धारण के अभाव में, ये प्रबंधन की मान्यताओं तथा अनुमानों पर आधारित हैं जो सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने और परियोजनाओं के प्रचालनों के प्रारंभ होने के अध्यधीन हैं।</td><td>• सुबनसिरी परियोजना के मामले में नकदी उत्पादक यूनिट एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(18) के मूल्य पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा मानी गई विभिन्न मान्यताओं तथा प्रगतिधीन परियोजना और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों के वहनीय मूल्य के संबंध में तत्संबंधी पर्याप्तता का मूल्यांकन।

• भारतीय लेखा मानक 114 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन, विनियामक आस्थगन शेषों की मान्यता के लिए आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित गतिविधियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी।

• कंपनी द्वारा अपनाई गई मान्यता प्राप्त राशियों और मापन नीतियों की पर्याप्तता एवं तर्कसंगतता और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसके संबंध में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा करना।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निम्नलिखित की वहनीय राशि का क्षति आकलनः

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

प्रत्येक पावर स्टेशन/परियोजना को कंपनी की नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के रूप में माना गया है और उसके हानि संकेतकों एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(18) में दिए गए अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) और पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंध में किया गया है। यह आकलन किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और विधिक परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालनरत है, में कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, अथवा निकट भविष्य में उसके होने की कोई प्रत्याशा नहीं है। आकलन के आधार पर, कपंनी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्ष 2022–23 के दौरान क्षति हेतु परीक्षण में कंपनी के सीजीयू के संबंध में कोई बड़ी क्षति का संकेतक या क्षति विद्यमान नहीं है। उक्त आकलन के आधार पर, पीपीई अथवा सीडब्ल्यूआईपी के निमित्त क्षति हेतु कोई प्रावधान कंपनी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है।</td><td>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी और सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश/को ऋण की वहनीय राशि के क्षति मूल्यांकन की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:

• इंड एएस 36 के अनुरूप कंपनी को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारकों और क्षति के संकेतकों (अथवा तत्संबंधी प्रत्यावर्तन) का महत्वपूर्ण मूल्यांकन;

• इस संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं के विश्लेषण द्वारा वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण हेतु सीजीयू के संबंध में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में निम्नलिखित शामिल हैः

– मूल्यांकन को निकालने हेतु पूर्वानुमान के संबंध में सततता और किसी अंतर के संभाव्य प्रभाव का आकलन करना;

– मॉडलों में प्रयुक्त मूल्य अवधारणाएं;

– नकदी प्रवाह प्रक्षेपण अथवा छूट दर में सीजीयू में निहित जोखिम का पता लगाना।

– पूंजी की धारित औसत लागत की मान्यता/अनुमानन और प्रयोग में होने वाले मूल्य को निकालने हेतु छूट की दर।</td></tr>
</table>

क्रम सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
	किया गया क्षति व्यवहार जो उपरोक्त के अनुसार निश्चित परिसंपत्तियों की वहनीय राशि को औचित्यपूर्ण बताता है, जिसमें उपरोक्त पैरा 1 के अंतर्गत ली गई सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना से संबंधित विनियामक आस्थगन लेखा शेष शामिल हैं, कंपनी के प्रचालनों हेतु महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। क्षति के मूल्यांकन में नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के उपयोग में मूल्य का आकलन शामिल होता है और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमानों, उत्पादन पूर्वानुमान, मात्रा पूर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तथा अवधारणाएं आवश्यक होती हैं। **ख. कंपनी का सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश और उनको ऋण** कंपनी ने एक सहायक कंपनी (लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और एक संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड) में निवेश किया है, जिसका मूल्य 135.96 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने संयुक्त उद्यम को 18.40 करोड़ रुपये का ऋण भी प्रदान किया है। कंपनी लागत पर (हानि मूल्यांकन के अधीन) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश का लेखांकन करती है। प्रबंधन नियमित रूप से यह समीक्षा करता है कि क्या इंडस्ट्रीज एएस 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के संदर्भ में निवेश की हानि के कोई संकेतक हैं। यदि ऐसे संकेतक मौजूद हैं, तो कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार क्षति संबंधी हानि निर्धारित और मान्यता प्राप्त है। सहायक कंपनी के मामले में, निवेश मंजूरी (पीआईबी और सीसीईए) में विलंब और उच्च अनुमानित टैरिफ के कारण, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों में किए गए निवेश के संबंध में 105.56 करोड़ रुपये की क्षति संबंधी छूट को मान्यता दी है। दूसरी ओर, संयुक्त उद्यम को लगातार हानियां हो रही हैं, और तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश के संबंध में 16.33 करोड़ रुपये और संयुक्त उद्यम को प्रदान किए गए ऋण के संबंध में 18.40 करोड़ रुपये की क्षति संबंधी छूट को मान्यता दी है। एकल वित्तीय विवरण का नोट 34(18) देखें। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वसूली में काफी अनिश्चितता के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम से 2.10 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 1.67 करोड़ रुपये) की ब्याज आय को मान्यता नहीं दी है।	• परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सरकार की नीति तथा अनुमोदन, निदेशक मंडल के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा। • निर्माण की समयावधि, उत्पादन की मात्रा और उनके प्रति प्रत्याशित टैरिफ पर आधारित परिणामी राजस्व के लिए प्रबंधन प्रक्षेपणों पर विश्वास किया गया हैं। • उनके एकल वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों की हानि के किसी भी प्रकटन की पहचान करने के लिए सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण प्राप्त किए और पढ़े। • एकल वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन।

क्रम सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
3.	आकस्मिक देयताएं – संविदाकारों से दावे के प्रति (एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(1)(क)(प)) पूंजीगत कार्यों के प्रति संविदाकारों द्वारा 9971.13 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न दावे दर्ज किए गए हैं जिसमें 1116.93 करोड़ रुपये की राशि उसके लिए प्रदान की गई है, 8556.95 करोड़ रुपये का प्रकटन आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया है तथा शेष दावों के संबंध में, निपटान में किसी बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना जाता है। इसमें माध्यस्थम कार्यवाही और/अथवा न्यायालय के समक्ष मामले शामिल हैं जिनमें निर्णय कंपनी के विरूद्ध आया है। इसके अतिरिक्त, इन राशियों को एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(1)(ङ)(i) और (ii) में संदर्भित कुछ मामलों में नीति आयोग के निर्देशों अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार अदा /जमा किया गया है। कंपनी के विरूद्ध किए गए दावे काफी हैं। ये माध्यस्थम अथवा अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है और इसके परिणामी तथा संभावित प्रभाव हैं। प्रावधान/प्रकटन दायित्व के होने की संभाव्यता के प्रबंधन के आकलन के आधार पर अपेक्षित है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है: • विधि विभाग से मामले की स्थिति प्राप्त की गई और मामले पर उनका मत जाना; • संविदात्मक निबंधन एवं शर्तों और अभी तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता हेतु प्रबंधन के तर्क तथा कंपनी के प्रति की गई मांगों के एवज में उपलब्ध न करवाई गई शेष राशि का मूल्यांकन किया गया; • प्रबंधन के साथ बैठक और पत्राचार, ज्ञापनों तथा संबंधित मामलों पर टिप्पणियों का अनुवर्तन करना/उनकी समीक्षा करना। • समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और अंतिम निर्णय/फैसला लंबित होने तक प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान और उससे उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर विश्वास किया गया है; • इंड एएस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटन और प्रावधान की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता की समीक्षा।
4.	**दिनांक 31.3.2023 तक सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं और उनके अंतर्गत निर्माण–पूर्व चरण पर किया गया व्यय** एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 2.2.3 में दिए गए अनुसार परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने पर 1293.90 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। इसमें इन परियोजनाओं पर आरोप्य ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागतें शामिल हैं। इसमें से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति, अनुमोदन के संबंध में अनिश्चितता के कारण 964.21 करोड़ रूपये (वर्ष के दौरान 2.19 करोड़ रूपये सहित) उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 329.69 करोड़ रूपये शेष बचते हैं जिन्हें चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चल रहे पूंजीगत कार्य में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल है जहां निर्माण क्रियाकलापों को अभी लिया जाना है। ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परियोजनाओं को छोड़ नहीं दिया जाता है, तथापि, ऐसे मामलों में यहां ऊपर दिए गए अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जहां प्रबंधन की दृष्टि से शुरू की गई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अनिश्चितताएं होती हैं। संबंधित परियोजनाओं को न लिए जाने की स्थिति में, सर्वेक्षण तथा जांच पर किए गए व्यय और तत्संबंधी निर्माण से पूर्व किए गए/आवंटित व्यय, चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं पर किए गए व्यय की राशि को वहन करने के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है:** • प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण और जांच चरण के तहत परियोजनाओं की स्थिति और उन्हें स्थगित रखने का कारण प्राप्त किया। • (क) सर्वेक्षण और जांच परियोजनाओं और कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए इस तरह के खर्चों के लिए प्रावधान करने/बट्टे खाते में डालने के लिए अपनाई जाने वाली नीति के लिए, (ख) निर्माण–पूर्व चरण के तहत परियोजना के लिए और उधार और अन्य लागत का आवंटन और उसके निमित्त आवंटित प्रबंधन द्वारा किए गए खर्चों के लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझना और परीक्षण करना। • अनिश्चितताओं और भविष्य में उसके कार्यान्वयन तथा उसके संभावित आर्थिक प्रयोग विलंब के बावजूद पूंजीगत कार्य के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्रगति पर जारी रखने के संबंध में प्रबंधन के औचित्य का मूल्यांकन करना। • किसी परियोजना का निर्माण से पूर्व अथवा निर्माणाधीन चरण की समयावधि तथा संबंधित परियोजना के प्रत्येक मामले में उसके लिए दिए गए स्थल, आकार एवं प्रकृति के लिए अपेक्षित सामान्य अवधि के प्रबंधन के तर्क का मूल्यांकन करना • व्यवसाय की प्रकृति, जिसमें कंपनी प्रचालनरत है, के तकनीकी और प्रोपराइटरी होने के कारण, मामले पर प्रबंधन के तर्क और प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया गया है।

क्रम सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
5.	**एमएटी क्रेडिट और विनियामक आस्थगित (क्रेडिट) शेषों को मान्य करना** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने पास उपलब्ध 945.96 करोड़ रुपये के गैर–मान्यता प्राप्त एमएटी क्रेडिट की वसूली का आकलन किया है। इस प्रकार के आकलन के आधार पर, कंपनी ने एमएटी क्रेडिट की राशि के रूप में 417.31 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2022 तक 1478.62 करोड़ रुपये) की एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी है जो कंपनी द्वारा भावी वर्षों में आयकर के कम बहिर्वाह के रूप में प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा। मान्यता प्राप्त मैट क्रेडिट में से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 328.94 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। तदनुसार, एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति के संबंध में, 923.20 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2022 तक (1313.27 करोड़ रुपये) की ऐसी विनियामक आस्थगन (क्रेडिट) शेष राशि को भी मान्यता दी है, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार भविष्य में लाभार्थियों को दी जाएगी। एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित इस आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह की पात्रता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य लाभ के सृजन पर निर्भर है। एमएटी क्रेडिट और विनियामक आस्थगन (क्रेडिट) शेष राशि की मान्यता, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत समय सीमा के भीतर ऐसे कर क्रेडिट की वसूली पर विचार करने के लिए एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता हेतु भावी कर योग्य लाभ के पूर्वानुमान में निर्णय की, इसकी वास्तविकता और आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में एकल वित्तीय विवरणों के इच्छुक प्रयोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में संगत प्रकटन एकल वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 20.0(ख) के साथ पठित टिप्पणी 14.2, 18, 30.1, 31, 34(22)(ङ) में दिए गए हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिनके आधार पर हम मान्यता प्राप्त एमएटी क्रेडिट की उपयुक्तता और इसके निमित्त सृजित विनियामक आस्थगित (क्रेडिट) शेष के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • कराधान से संबंधित कंपनी के नियंत्रण की प्रचालनात्मंक प्रभाव्यता को समझना और उसकी जांच करना और आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहनीय राशि का मूल्यांकन करना। • अप्रयुक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में कम्पनी की लेखांकन नीति और ऐसी नीति में अपेक्षित बदलाव के लिए चालू वर्ष के घटनाक्रम, यदि कोई हो, तथा इनके प्रति प्रबंधन विचार की समीक्षा करना। • कंपनी द्वारा तैयार आंतरिक पूर्वानुमान और भावी कर योग्य आय पूर्वानुमानों के आधार पर कंपनी को विधिक रूप में उपलब्ध कर क्रेडिट पात्रता का मूल्यांकन करना। • मान्यताप्राप्त एमएटी क्रेडिट के उपयोग की संभाव्यता की औचित्यपरक स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से लगाए गए अनुमानों की संगतता एवं व्याप्त अनिश्चितता तथा विवेक के उपयोग की समीक्षा करना। • विनियामक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कंपनी प्रचालन करती है और लाभार्थियों को दिए जाने वाले उत्पादन क्रियाकलाप से सृजित एमएटी क्रेडिट तथा दिए गए वर्तमान विनियामक प्रावधानों और उसकी प्रयोज्यता अवधि के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव के संबंध में कंपनी द्वारा तैयार किए प्राक्कलन से संबंधित प्रभाव की समीक्षा। • एकल वित्तीय विवरण में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर उल्लिखित अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाए जाने की प्रत्याशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर अभिचिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर उल्लिखित अन्य सूचना पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई वास्तविक मिथ्या कथन है, तो हमें शासन के प्रभार होने वालों को संप्रेषित करना और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाइयों का वर्णन करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कार्यों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटन करने और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि लेखांकन संबंधी मानक (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वास्तविक मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और तब वास्तविक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों की वास्तविक मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति प्रत्युत्तर वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक मिथ्याकथन विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्याकथन, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कन्सर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है। और
- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटन देते हो, का मूल्यांकन करना।

वास्तविकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में अभिचिन्हित किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिचिन्हित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध मत संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते है जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हो।

शासन के प्रभारी होने वालों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को रोकते हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से तर्कसंगत रूप से अधिक होंगे।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

i. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा यथाअपेक्षित, हम आदेश, लागू सीमा तक, के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में ''अनुबंध–क'' में विवरण देते हैं।

ii. कंपनी की लेखाबहियों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क्रम सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत में वित्तीय विवरण ईआरपी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफ़लाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमने अपनी लेख परीक्षा प्रक्रिया के दौरान ऐसे किसी भी लेखांकन लेनदेन को पाया हैं, जिसके वित्तीय प्रभाव के साथ लेखाओं की अखंडता पर प्रभाव होते हो, जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए हैं।

क्रम सं.	निर्देश	उत्तर
2	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित रुप से पता लगाया जाता है? (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण की किसी पुर्नगठन अथवा ऋण/कर्ज/ ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) को दिए गए ऋण के संबंध में, जहां ब्याज दिनांक 30.04.2021 से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक किश्तों में प्राप्य था और मूलधन दिनांक 31.10.2022 से शुरू होकर 20 समान छमाही किश्तों में चुकाया जाना था, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1.67 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 2.10 करोड़ रुपये की राशि का उपार्जित ब्याज संयुक्त उद्यमों द्वारा की गई नकद हानियों के कारण वसूली की महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए लेखाबहियों में लेखांकित किया गया है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि)/प्राप्य को उनके निबंधन और शर्तो के अनुसार उचित रुप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने स्कीम की निबंधन और शर्तो के अनुसार केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का लेखांकन और उपयोग किया है।

iii. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित हमारी टिप्पणियों तथा अनुबंध के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई है, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और कंपनी की इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते है।

(घ) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(ङ) एक सरकारी कंपनी होने के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(अ) के संदर्भ में, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में ''**अनुबंध ख**'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता पर एक असंशोधित मत व्यक्त करती है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 और कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) संशोधन नियमावली, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम अपनी राय तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रस्तुत करते हैं कि:

(i) कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है – एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(1) देखें;

(ii) कंपनी को व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं के निमित्त कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है और इससे इस संबंध में प्रावधान करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(iv) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(v) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(v) क. प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से, कंपनी द्वारा विदेशी कंपनियों ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में अथवा अन्यथा दर्ज हो, को किसी धनराशि के रूप में कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा उसमें निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा किस्म की निधि से) नहीं किया गया है, कि वह मध्यवर्ती निम्नलिखित करेगाः

- क्या कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिचिन्हित अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उधार अथवा निवेश में ("अंतिम लाभार्थी") अथवा
- अंतिम लाभार्थियों की अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना।

ख. प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से, कंपनी ने, विदेशी कंपनियों ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में अथवा अन्यथा दर्ज हो, से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, वह कंपनी निम्नलिखित करेगीः

- क्या वित्तपोषक पक्षकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिचिन्हित अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उधार अथवा निवेश ("अंतिम लाभार्थी") अथवा
- अंतिम लाभार्थियों की अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना; और

ग. परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गईं ऐसी लेखापरीक्षा प्रकियाओं के आधार पर, हमारे जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (अ)(क) और (अ)(ख) के अंतर्गत अभ्यावेदन में किसी सामग्री की गलतबयानी की गई हो।

(vi) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित अथवा अदा किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

(vii) लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखाबहियों का रख–रखाव करने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी**	**कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377	एफआरएन : 302137ई	एफआरएन : 003824एन
(भुवनेश महेश्वरी)	**(एस सी चतुर्वेदी)**	**मनुश्री बिंदल**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 012705	सदस्यता सं. 517316
यूडीआईएन : 23088155BGYWED5558	यूडीआईएन : 23012705BGWLYC7299	यूडीआईएन : 23517316BGYPFX8650

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''क''

(समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ (i) में संदर्भित)

(i) क. (अ) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

(आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया हैं।

ख. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कुछ यूनिटों में भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। कुछ मामलों में बही अभिलेखों के साथ वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों का मिलान प्रगति पर है। वास्तविक सत्यापन और परिणामी समायोजन में पाई गई विसंगतियों को मिलान के पूरा होने पर सही किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, वे वास्तविक नहीं हैं।

ग. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा देखे गए अभिलेखों और हमें उपलब्ध करवाए गए हक विलेखों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि हक विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल स्थिति के अनुसार कंपनी के नाम पर निम्नलिखित को छोड़कर, धारित हैं, जहां कंपनी के पास हक विलेख उपलब्ध नहीं है:

तुलनपत्र में प्रासंगिक मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	किसके नाम पर धारित हक विलेख	क्या हक विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (1458.45 हेक्टेयर)	6.52	हिंद सरकार, (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (7.0844 हेक्टेयर)	36.08	विभिन्न पार्टियां	नहीं	27.09.2021	भूमि एनएचपीसी पार्बती-II एचईपी के कब्जे में है, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (4.69 हेक्टेयर)	6.33	विभिन्न पार्टियां	नहीं	10.04.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (0.09 हेक्टेयर)	0.01	प्रेम शेरिंग लेपचा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संबंध में, संपत्ति के वर्तमान मालिक का निधन हो गया है। हक् विलेख का निष्पादन लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (0.10 हेक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।

तुलनपत्र में प्रासंगिक मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	किसके नाम पर धारित हक विलेख	क्या हक विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (74.95 हेक्टेयर)	0.00	भारत सरकार की 74.08 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.87 हेक्टेयर	नहीं	जनवरी, 1978 से	बैरास्यूल पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (122.93 हेक्टेयर)	140.86	जम्मू व कश्मीर सरकार, एनएचपीसी के कब्जे में	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में भूमि। दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (28.13 हेक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006–21	उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में भूमि, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (219.56 हेक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (70.98 हेक्टेयर)	3.37	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2021	सौर परियोजना गंजम के संबंध में, पट्टा करार प्रक्रियाधीन है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (3.99 हेक्टेयर)	0.27	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी)	नहीं	31.07.2003	चुटक पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (7.72 हेक्टेयर)	0.19	जेकेएसपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू व कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस मामला में जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू–कश्मीर) के साथ लगातार पत्राचार किया जा रहा है। संबंधित राज्य विभाग से अभी भी एनओसी प्राप्त होने का इंतजार है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (11.32 हेक्टेयर)	0.15	7.87 हेक्टेयर निजी भूमि और 3.45 हेक्टेयर सरकारी भूमि	नहीं	1991–92	उड़ी-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय/राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।

तुलनपत्र में प्रासंगिक मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	किसके नाम पर धारित हक विलेख	क्या हक विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (0.22 हेक्टेयर)	0.05	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.2010	निम्मो बाजगो पावर स्टेशन के संबंध में, पट्टा विलेख का ड्राफ्ट तहसीलदार, लेह को कंपनी के पक्ष में टाइटल डीड के निष्पादन के लिए दिया गया है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (1.56 हेक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

घ. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 और उसके निमित्त बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई या लंबित नहीं है।

(ii) (क) सूचित किए गए अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा मार्गस्थ माल–सूची को छोड़कर कंपनी की माल–सूची को वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उपयुक्त थे। वास्तविक स्टॉक और बुक अभिलेखों के बीच सत्यापन करने पर कोई विसंगति नहीं देखी गई, जो माल–सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% अथवा उससे अधिक थी। वास्तविक सत्यापन के दौरान देखी गई छोटी विसंगतियों को लेखा बहियों में अच्छी तरह से निपटाया गया था।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से कुल पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की है। हमारी राय में, ऐसे बैंकों के साथ कंपनी द्वारा भरी गई त्रैमासिक विवरणियों या विवरण कंपनी के बही लेखों के अनुरूप हैं।

(iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश किया है तथा उनको ऋण प्रदान किए हैं और सहायक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में बैंक को गारंटी दी गई है।

(क) (अ) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कुल राशि, और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऐसे ऋणों और गारंटियों के संबंध में तुलन पत्र की तारीख पर बकाया राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

विवरण	गारंटियां (करोड़ रुपये में)	ऋण
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि		
– सहायक कंपनी	863.00	315.00
– संयुक्त उद्यम	-	-
उपरोक्त मामलों के संबंध में बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया शेष राशि		
– सहायक कंपनी	833.58*	60.00
– संयुक्त उद्यम	-	-

*उपार्जित ब्याज सहित

(आ) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऋण प्रदान नहीं किया है या ऋण की प्रकृति में अग्रिम या गारंटी प्रदान नहीं की है, या सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य पार्टियों को प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत निवेश किए गए थे और गारंटियां प्रदान की गई थीं और ऋण दिए गए थे, की प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, दिए गए ऋणों के मामले में, मूलधन की चुकौती और ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) को दिए गए ऋण के मामले को छोड़कर, भुगतान या प्राप्तियां नियमित हैं जहां जहां ब्याज दिनांक 30.04.2021 से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक किश्तों में प्राप्य था और मूलधन दिनांक 31.10.2022 से शुरू होकर 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाना था, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1.67 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 2.10 करोड़ रुपये की राशि का उपार्जित ब्याज संयुक्त उद्यमों द्वारा की गई नकद हानियों के कारण वसूली की महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए लेखाबहियों में लेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 18.82 करोड़ रुपये की हानि छूट, जिसमें पिछली अवधि के लिए पहले से ही कुल मिलाकर 0.42 करोड़ रुपये के उपार्जित ब्याज को संदिग्ध मानते हुए बनाया गया है। इसका प्रकटन एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(8) में किया गया है।

(घ)

मामलों की संख्या	अतिदेय मूलधन राशि (करोड़ रुपये में)	अतिदेय ब्याज (करोड़ रुपये में)	कुल अतिदेय (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	0.92	0.42*	1.34	कंपनी द्वारा अतिदेय ब्याज और मूलधन की वसूली के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।

*3.77 करोड़ रुपये की मान्य न की गई ब्याज आय को छोड़कर

(ङ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर,ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया है जो वर्ष के दौरान देय हो, नवीनीकृत या विस्तारित किया गया हो या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नए ऋण दिए गए हों।

(च) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई भी ऋण या तो मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्तों या अवधि निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है।

(iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अभिप्राय में कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। अतिदेय अर्जित राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा के संबंध में, प्रबंधन का यह विचार है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाओं के निष्पादन के लिए प्रतिधारण राशि की प्रकृति में आपूर्तिकारों/संविदाकारों की अतिदेय अर्जित राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा बहियों में दर्शाए गए हैं और तद्नुसार, उन्हें कंपनी (जमा को स्वीकार करना) संशोधन नियमावली, 2016 के नियम 2, उप नियम (1), खंड (ग) में संशोधन के कारण मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए।

(vi) हमने ये नियम लागू होने वाले कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख–रखाव के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों की व्यापक रुप से समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया विहित रिकार्ड को अनुरक्षित रखा गया है। तथपि हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से उन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण हैं।

(vii) क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा इन पर यथालागू अन्य वास्तविक सांविधिक देय शामिल है, को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है।

31 मार्च, 2023 को वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर, अन्य सांविधिक देयों यदि कोई हो, के विवादित देयों का विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि जिससे यह संबंधित है	फोरम जिसमें मामला लंबित है	सकल विवादग्रस्त राशि	सविरोध के तहत जमा राशि (रुपए करोड़ में)
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर	2009-10	श्रम अधिकारी सह उपकर निर्धारण अधिकारी, चंबा	9.24	9.24
उत्तराखंड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012	जल उपकर	2015-16 to 2022-23	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	106.00	-
	जल उपकर	2015-16 से 2022-23	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	118.42	-
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	2015-16 से 2022-23	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	71.57	-
	हरित ऊर्जा उपकर	2015-16 से 20222-23	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	32.68	-
जम्मू व कश्मीर शहरी अचल संपत्ति कर अधिनियम, 1962	संपत्ति कर	01.04.1991 से 31.03.1997	राज्य बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, जम्मू	0.05	0.01
	संपत्ति कर	01.04.1997 से 31.03.2002	राज्य बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, जम्मू	0.15	0.01
केंद्रीय बिक्री कर और विभिन्न राज्यों के वैट अधिनियम	बिक्री कर/वैट	2014-15	राज्य बिक्री विभाग, उत्तराखंड, संयुक्त आयुक्त (अपील)	0.02	0.01
	बिक्री कर/वैट	1994-95	जम्मू व कश्मीर राज्य बिक्री कर अपीलीय अधिकरण श्रीनगर	234.61	-
	बिक्री कर/वैट	2004-05	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	0.17	0.17
	बिक्री कर/वैट	2005-06	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.44	1.44
	बिक्री कर/वैट	2006-07	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	4.99	4.85

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि जिससे यह संबंधित है	फोरम जिसमें मामला लंबित है	सकल विवादग्रस्त राशि	सविरोध के तहत जमा राशि (रुपए करोड़ में)
	बिक्री कर/वैट	2007-08	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	3.48	2.73
	बिक्री कर/वैट	2008-09	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.67	1.24
	बिक्री कर/वैट	2009-10	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.59	1.52
	बिक्री कर/वैट	2010-11	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.21	1.21
	बिक्री कर/वैट	2011-12	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	2.14	2.14
	बिक्री कर/वैट	2012-13	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	2.74	-
	बिक्री कर/वैट	2012-13	जेएंडके बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, श्रीनगर	16.41	4.64
	बिक्री कर/वैट	2013-14	जेएंडके बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, श्रीनगर	8.56	2.41
	बिक्री कर/वैट	2014-15	जेएंडके बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, श्रीनगर	25.56	8.01
	बिक्री कर/वैट	2015-16	जेएंडके बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, श्रीनगर	37.15	16.26
	बिक्री कर/वैट	2016-17	जेएंडके बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, श्रीनगर	7.98	4.48
	बिक्री कर/वैट	2017-18	जेएंडके बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, श्रीनगर	3.14	1.69
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2004-2009	सीईएसटीएटी, चंडीगढ़	19.65	1.70
	सेवा कर	2008-09 से जून 2017	सीईएसटीएटी, चंडीगढ़	28.67	28.67
	सेवा कर	2013-14 से 2017-18	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़	101.00	-

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि जिससे यह संबंधित है	फोरम जिसमें मामला लंबित है	सकल विवादग्रस्त राशि	सविरोध के तहत जमा राशि (रुपए करोड़ में)
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2019-20	सीईएसटीएटी, कोलकाता	25.15	-
आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	2016-17	सीआईटी (अपील), फेसलेस सेंटर	4.30	0.86
	आय कर	2020-21	सीआईटी (अपील), फेसलेस सेंटर	5.74	-
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	ईपीएफ (प्रशासन प्रभारों और क्षति प्रभारों सहित)	01.04.1989 से 31.12.2004	माननीय उच्च न्यायालय	0.00*	-
	ईपीएफ (प्रशासन प्रभारों और क्षति प्रभारों सहित)	01.11.1995 से 31.12.2004	माननीय उच्च न्यायालय	0.00*	-
कुल				**875.50**	**93.27**

*0.01 करोड़ रुपये से कम

(viii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, पूर्व में दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या प्रकट किया गया हो।

(ix) क) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

घ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, अल्पावधि के आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

ङ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(ङ) लागू नहीं होता है।

च) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(च) लागू नहीं होता है।

(x) (क) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xi) (क) कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा संबंधी मानकों में उल्लिखित वास्तविकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अंतर्गत केंद्र सरकार सहित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः, आदेश के खंड 3(xii) (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू है, के अनुपालन में हैं और ऐसे संव्यवहार का विवरण एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 34(8) में लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षानुसार प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार समय–समय पर निगम मुख्यालय, पावर स्टेशनों/परियोजनाओं, परियोजना कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में विभिन्न अनुभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार व प्रबंधन द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या इससे संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर,

क. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

ख. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

ग. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

घ. समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है।

तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) लागू नहीं हैं।

(xvii) कंपनी को चालू और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की नियत अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां, एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी के तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियां जब कभी तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख

तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियां जब कभी देय हो जाएगी कंपनी द्वारा चुका दी जाएगी।

(xx) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत किसी भी परियोजना के अनुसरण में कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) लागू नहीं होते हैं।

(xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155
यूडीआईएन : 23088155BGYWED5558

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705
यूडीआईएन : 23012705BGWLYC7299

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल
भागीदार
सदस्यता सं. 517316
यूडीआईएन : 23517316BGYPFX8650

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख''

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ (iii)(च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2023 को एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("परामर्शी नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में उल्लिखित किए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित एकल वित्तीय विवरण मानदण्ड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा परामर्शी नोट और लेखांकन संबंधी मानकों, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी वास्तविक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई वास्तविक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गईं प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के इस निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें एकल वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अभिप्राय

किसी कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ–गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलत बयानी होना तथा जिसका पता नहीं भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अध्यधीन है कि एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

मत

हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी वास्तविक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और यह एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था, जो आईसीएआई द्वारा जारी एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155
यूडीआईएन : 23088155BGYWED5558

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705
यूडीआईएन : 23012705BGWLYC7299

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल
भागीदार
सदस्यता सं. 517316
यूडीआईएन : 23517316BGYPFX8650

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 के अनुसार एकल तुलन–पत्र

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियां			
(1) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	2.1	17,435.03	19,024.55
ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	2.2	25,315.01	20,573.84
ग) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	2.3	2,625.70	1,783.12
घ) निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	3.08	3.11
च) **वित्तीय परिसंपत्तियां**			
i) निवेश	3.1	5,546.96	5,414.34
ii) व्यापार प्राप्य	3.2	399.45	-
iii) ऋण	3.3	1,089.80	1,017.59
iv) अन्य	3.4	4,547.09	4,502.78
छ) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	30.27	9.52
ज) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	3,602.77	3,753.96
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**60,599.65**	**56,087.30**
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) माल–सूची	6	150.48	130.30
ख) **वित्तीय परिसंपत्तियां**			
i) निवेश	7.1	151.35	-
ii) व्यापार प्राप्य	7.2	5,487.59	4,621.48
iii) नकदी और नकदी समतुल्य	8	382.67	937.78
iv) नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	255.55	222.93
v) ऋण	10	114.59	55.68
vi) अन्य	11	614.32	731.73
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	132.83	123.17
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	405.97	441.14
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**7,695.35**	**7,264.21**
(3) विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष	14.1	6,420.12	6,948.11
कुल परिसंपत्तियां		**74,715.12**	**70,299.62**
इक्विटी तथा देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03
(ख) अन्य इक्विटी	15.2	25,362.93	23,441.07
कुल इक्विटी		**35,407.96**	**33,486.10**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(2) देयताएं			
गैर–वर्तमान देयताएं			
क) **वित्तीय देयताएं**			
i) ऋण	16.1	25,254.69	23,166.61
iक) पट्टा देयताएं	16.2	11.70	12.88
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	2,143.07	2,088.04
ख) प्रावधान	17	50.92	48.05
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	1,937.34	2,100.74
घ) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	19	1,944.56	2,026.16
कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**31,342.28**	**29,442.48**
(3) वर्तमान देयताएं			
क) **वित्तीय देयताएं**			
i) ऋण	20.1	2,885.65	2,848.76
iक) पट्टा देयताएं	20.2	2.39	2.27
ii) व्यापार देय	20.3		
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि		37.12	23.12
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया राशि		178.33	166.45
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	1,541.05	1,370.72
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	734.91	510.70
ग) प्रावधान	22	1,662.23	1,135.75
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
कुल वर्तमान देयताएं		**7,041.68**	**6,057.77**
(4) विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	923.20	1,313.27
कुल इक्विटी तथा देयताएं		**74,715.12**	**70,299.62**
एकल वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1-34		

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रुपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. : 088155

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. : 012705

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. : 517316

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का एकल विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	9,316.34	8,309.22
ii) अन्य आय	24.2	834.56	1,026.18
कुल आय		**10,150.90**	**9,335.40**
व्यय			
i) उत्पादन व्यय	25	936.46	841.24
ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,301.35	1,440.78
iii) वित्त लागत	27	476.16	531.75
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,145.44	1,126.22
v) अन्य व्यय	29	1,707.89	1,348.55
कुल आय		**5,567.30**	**5,288.54**
आपवादिक मदों, विनियामक आस्थगित लेखा शेषों और करों से पूर्व लाभ		**4,583.60**	**4,046.86**
आपवादिक मदें		-	-
नियामक आस्थगित लेखा शेषों और करों विसे पूर्व लाभ		**4,583.60**	**4,046.86**
कर व्यय	30.1		
i) वर्तमान कर		760.72	726.23
ii) आस्थगित कर		(155.32)	(1,487.50)
कुल कर व्यय		**605.40**	**(761.27)**
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		**3,978.20**	**4,808.13**
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन (कर का निवल)	31	(144.41)	(1,270.42)
वर्ष के लिए लाभ (क)		**3,833.79**	**3,537.71**
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
(क) रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(3.79)	9.51
घटाएं – परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन		(2.45)	(3.73)
– विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन– रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनः मापन		6.49	2.33
उप जोड़ (क)		**5.15**	**15.57**
(ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		3.36	5.40
उप जोड़ (ख)		**3.36**	**5.40**
कुल (प) त्र (क)+(ख)		**8.51**	**20.97**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल)			
– ऋण दस्तावेजों में निवेश		(11.88)	(8.21)
कुल (ii)		**(11.88)**	**(8.21)**
अन्य व्यापक आय (ख) = (i) + (ii)		**(3.37)**	**12.76**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय को शामिल करते हुए)		**3,830.42**	**3,550.47**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) (इक्विटी शेयर, 10 रूपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)	34 (12)		
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन से पूर्व		3.96	4.79
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन के पश्चात		3.82	3.52
एकल वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1-34		

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रुपा देब)	**(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)**	**(राजीव कुमार विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08645380	डीआईएनः 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी**	**कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377	एफआरएन : 302137ई	एफआरएन : 003824एन
(भुवनेश महेश्वरी)	**(एस सी चतुर्वेदी)**	**(मनुश्री बिंदल)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. : 088155	सदस्यता सं. :012705	सदस्यता सं. :517316

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह का विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
क. प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ		4439.19		2776.44
घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		(144.41)		(1270.42)
कर पूर्व लाभ		**4583.60**		**4046.86**
जोड़ें:				
मूल्यह्रास और परिशोधन	1145.44		1126.22	
वित्त लागत (ईएसी का निवल)	476.16		531.75	
निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	121.89		14.07	
अन्य प्रावधान (ईएसी का निवल)	26.63		28.47	
प्रशुल्क समायोजन (हानि)	-		34.70	
विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	32.47		44.02	
परिसंपत्तियों की बिक्री/ बट्टे खाते में डाले गए दावों पर हानि/(लाभ)	1.36		12.55	
उचित मूल्य समायोजन	93.45		-	
		1897.40		1791.78
		6481.00		**5838.64**
घटाएं:				
पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	50.42		48.25	
प्रावधान (निवल लाभ)	31.06		28.13	
सहायक कंपनियों से परामर्शी प्रभारों के निमित्त समायोजन	-		2.04	
लाभांश आय	376.85		301.71	
ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान अधिभारों सहित)	233.65		384.37	
विनिमय दर अंतर	0.50		49.28	
उचित मूल्य समायोजन	-		0.40	
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	33.20		33.20	
		725.68		847.38
प्रचालनरत परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजनों एवं करों से पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**5755.32**		**4991.26**
प्रचालनरत परिसपंत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन:				
माल–सूची	(20.43)		(5.93)	
व्यापार प्राप्य	(1325.88)		(88.99)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	263.32		364.41	
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	13.77		(271.61)	
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	(1.11)		0.17	
		(1070.33)		(1.95)
करों पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**4684.99**		**4989.31**
घटाएं: अदा किया गया कर		791.14		730.69
प्रचालनरत क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**3893.85**		**4258.62**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
"संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद, चल रहे पूंजीगत कार्य, और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्यों का भाग बनने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) और परियोजना लागत का भाग बनने वाले विनियामक आस्थगन लेखे की शेष राशि में परिवर्तन – अनुदान का निवल"		(2763.81)		(2997.93)
परिसंपत्तियों की बिक्री		1.39		2.78

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संयुक्त उद्यम में निवेश (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन सहित)	(107.94)	(451.56)
सहायक कंपनियों में निवेश (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन सहित)	(530.60)	(744.18)
सहायक कंपनियों को ऋण (निवल)	(60.00)	-
सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को ऋण पर ब्याज (निवल)	2.82	0.19
सावधि जमाओं में निवल निवेश	(14.28)	569.04
लाभांश आय	376.85	301.71
ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान अधिभार सहित)	166.27	329.78
निवेश क्रियाकलापों से/में प्रयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(2929.30)**	**(2990.17)**
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अदा किया गया लाभांश	(1908.56)	(1667.48)
अल्पावधिक उधार से आय	3972.37	3516.39
दीर्घावधिक उधार से आय	-	597.87
उधार की पुर्नभुगतान	(1898.66)	(1398.18)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1681.52)	(1521.05)
पट्टा देयता का मूल पुर्नभुगतान	(2.18)	(2.69)
पट्टा देयता पर अदा किया गया ब्याज	(1.11)	(1.11)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से/में प्रयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(1519.66)**	**(476.24)**
घ. नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**(555.11)**	**792.21**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	937.78	145.57
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	382.67	937.78

नकदी प्रवाह का उपर्युक्त विवरण इंड एएस 7 – नकदी प्रवाह का विवरण में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के अनुसार तैयार किया गया है।

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल हैं। नकदी तथा नकदी समतुल्य का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
बैंकों के पास शेष		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
– चालू खातों में	382.66	937.78
– जमा खाते में	-	-
(तीन माह से कम मूल परिपक्वता वाली जमा राशियाँ)		
हस्तगत नकदी	0.01	0.00
नकदी तथा नकदी समतुल्य	**382.67**	**937.78**

2 वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण पूंजीकृत 1209.62 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 993.62 करोड़ रूपये) की ऋण लागत की राशि शामिल है।

3 दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त ऋण की राशि: 925.00 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1425.00 करोड़ रूपये) है।

4 कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण नकदी में 114.81 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 94.96 करोड़ रूपए) की राशि का व्यय किया है।

5 **निवल ऋण पुनर्मिलान**

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
उधार (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	28773.01	26651.47
पट्टा देयता	14.09	15.14
कुल	**28787.10**	**26666.61**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	*उधार (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल	*उधार (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल
01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार आरंभिक निवल ऋण	**26651.47**	**15.14**	**26666.61**	**24,010.85**	**12.65**	**24023.50**
उधार से आय	3972.37	-	3972.37	4,114.26	-	**4114.26**
उधार/ पट्टा देयता का पुर्नभुगतान	(1898.66)	(2.18)	(1900.84)	(1398.18)	(2.69)	**(1400.87)**
अदा किया गया ब्याज	(1681.52)	(1.11)	(1682.63)	(1521.05)	(1.11)	**(1522.16)**
अन्य गैर–नकद संचलनः		-	-	-	-	-
– पट्टा देयता में वृद्धि	-	1.13	1.13	-	5.18	**5.18**
– विदेशी मुद्रा समायोजन	(7.45)	-	(7.45)	(58.77)	-	**(58.77)**
– ब्याज और वित्त प्रभार	1679.10	1.11	1680.21	1,497.62	1.11	**1498.73**
– उचित मूल्य समायोजन	57.70	-	57.70	6.74	-	**6.74**
31 मार्च की स्थिति के अनुसार अंतिम निवल ऋण	**28,773.01**	**14.09**	**28,787.10**	**26,651.47**	**15.14**	**26,666.61**

*उधार के लिए टिप्पणी संख्या 16.1, 20.1 और 20.4 देखें

6. विगत अवधियों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनःसमूहित/पुनःव्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत/पुनः उल्लिखित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रुपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	15.1	10,045.03
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
1 अप्रैल, 2022 के अनुसार पुनः उल्लिखित शेष	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय		
	पूंजी मोचन आरक्षित	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	कुल
1 अप्रैल, 2022 को शेष	**2,255.71**	**1,366.25**	**9,724.72**	**9,970.45**	**37.20**	**86.74**	**23,441.07**
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 के अनुसार पुनः उल्लिखित शेष	**2,255.71**	**1,366.25**	**9,724.72**	**9,970.45**	**37.20**	**86.74**	**23,441.07**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	3,833.79	-	-	3,833.79
अन्य व्यापक आय	-	-	-	5.15	(11.88)	3.36	(3.37)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**3,838.94**	**(11.88)**	**3.36**	**3,830.42**
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरित राशि	-	(236.95)	-	236.95	-	-	-
लाभांश	-	-	-	(1,908.56)	-	-	(1,908.56)
31 मार्च, 2023 को शेष	**2,255.71**	**1,129.30**	**9,724.72**	**12,137.78**	**25.32**	**90.10**	**25,362.93**

आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी संख्या 15.2.1 देखें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रुपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 003824एन

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29 मई, 2023

31 मार्च, 2022 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	15.1	10,045.03
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार पुनः उल्लिखित शेष	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय		
	पूंजी मोचन आरक्षित	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	कुल
1 अप्रैल, 2021 को शेष	**2,255.71**	**1,641.95**	**9,724.72**	**7,853.15**	**45.41**	**81.34**	**21,602.28**
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	(44.20)	-	-	(44.20)
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार पुनः उल्लिखित शेष	**2,255.71**	**1,641.95**	**9,724.72**	**7,808.95**	**45.41**	**81.34**	**21,558.08**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	3,537.71	-	-	3,537.71
अन्य व्यापक आय	-	-	-	15.57	(8.21)	5.40	12.76
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**3,553.28**	**(8.21)**	**5.40**	**3,550.47**
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरित राशि	-	(275.70)	-	275.70	-	-	-
लाभांश	-	-	-	(1,667.48)	-	-	(1,667.48)
31 मार्च, 2022 को शेष	**2,255.71**	**1,366.25**	**9,724.72**	**9,970.45**	**37.20**	**86.74**	**23,441.07**

आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी संख्या 15.2.1 देखें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रुपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 003824एन

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29 मई, 2023

टिप्पणी संख्या 1: कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग कंपनी

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित तथा शेयरों (सीआईएनः एल40101एचआर1975जीओआई032564) द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई) बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं और खरीदे–बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003 है। कंपनी मुख्यतः विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को थोक विद्युत की बिक्री में लगी हुई है। अन्य व्यापार, जिसमें कंपनी लगी हुई है, में परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य सेवाएं और विद्युत का व्यापार शामिल है।

(II) तैयार करने का आधार

(क) अनुपालन का विवरण

इन एकल वित्तीय विवरणों को लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 29 मई, 2023 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित केः

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक लागत नकद या नकद समतुल्य की राशि है अथवा उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य है अथवा दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, अथवा नकद या नकद समतुल्य की अपेक्षित राशि पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त होता है अथवा मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी दायित्व के अंतरण के विधिवत लेन–देन के प्रति अदा किया जाता है।

(ग) नए और संशोधित मानकों के अनुप्रयोग

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 23 मार्च, 2022 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2022 अधिसूचित की है जिसमें भारतीय लेखांकन मानकों में कतिपय संशोधन किए गए हैं। प्रमुख संशोधनों और उनके कंपनी पर प्रभाव का सार नीचे दिया गया हैः

(i) इंड एएस 16 – इच्छित उपयोग से पूर्व आय

यह संशोधन लाभ और हानि के विवरण में परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित मदों की निवल बिक्री आय के आधिक्य का मिलान करने वाली कंपनी को प्रतिबंधित करता है। इसके बजाय, इसे संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागत के भाग के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष आरोप्य लागत से घटाया जाएगा। इन संशोधनों कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) इंड एएस 37 – भारी अनुबंध – एक अनुबंध को पूरा करने की लागत

ये संशोधन निर्धारित करते हैं कि अनुबंध की "पूरा करने की लागत" में "अनुबंध की प्रत्यक्ष संबंधित लागत" शामिल है। अनुबंध की प्रत्यक्ष संबंधित लागत, दोनों अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें (उदाहरणः प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) और अनुबंध की प्रत्यक्ष संबंधित लागत की अन्य लागतों का आवंटन हैं।

यह संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iii) इंड एएस 103 : कारोबार संयोजन

इस संशोधन में यह उल्लेख किया गया है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, अर्जित पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानकों (वैचारिक कार्य अवसंरचना) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक कार्य अवसंरचना में प्रदान की गई परिसंपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। अतः, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में उन लागतों को मान्यता

नहीं देता है। इसके बजाय, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपने संयोजन के बाद के वित्तीय विवरणों में उन लागतों को मान्यता देता है।

इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/पुनरीक्षण या तो लागू नहीं होते हैं या वित्तीय विवरणों पर उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

(घ) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय राष्ट्रीय रूपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। सभी वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रूपये (2 दशमलव तक) तक, जहां इसे अन्यथा दर्शाया गया है को छोड़कर, इसे पूर्णांकित किया गया है।

(ङ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन–पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर काफी प्रभाव हो, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) पट्टा

यदि कोई व्यवस्था इंड एए 116 – पट्टे की अपेक्षाओं के अनुसार पट्टा मानी जाती है तो कम्पंनी उसका उसका मूल्यांकन करती है। एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को राशि के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, एक कंपनी यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के लिए ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हैं अथवा नहीं:–

क. अभिचिन्हित परिसम्पति के उपयोग से सभी सारभूत आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार; तथा

ख. अभिचिन्हित परिसम्पति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार।

अभिचिन्हित परिसम्पति के नियंत्रण के लिए, ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान सारभूत रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना अपेक्षित है। यदि ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पति के उपयोग की विधि एवं परिसम्पति के उपयोग का उद्देश्य निदेशित करने का अधिकार है तो ग्राहक को अभिचिन्हित परिसम्पति का उपयोग, पूर्ण अवधि के दौरान, निदेशित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

कम्पनी पट्टा काल (प्रत्याशित नवीकरण सहित) तथा लागू छूट दर के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय का भी प्रयोग करती है।

कम्पनी पट्टे की अवधि का निर्धारण पट्टे की गैर–निरस्तीकरण अवधियों, जो वैकल्पिक रुप से पट्टे के विस्तार के लिए शामिल की गई हैं, के संबंध में निर्धारण, यदि कम्पनी औचित्यपरक रूप से इस विकल्प का उपयोग करना चाहती है, किया जाता है, तथा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प के रूप में शामिल की गई अवधियों के साथ, यदि कम्पनी इस विकल्प का उपयोग औचित्यपरक कारणों से करना चाहती है, किया जाता है। कम्पनी द्वारा ऐसा निर्धारण करने के लिए, क्या किसी पट्टे के विस्तार अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उन सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लिया जाता है जो पट्टे को विस्तारित करने के विकल्पं का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग न करने की स्थितियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के सृजन से जुड़ी हुई हैं। यदि पट्टे की गैर–निरस्तीकरण अवधियों में कोई परिवर्तन होता है तो कम्पनी पट्टा काल में संशोधन करती है।

छूट दर वह दर है जो मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे अथवा समान विशिष्टताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर से सम्बद्ध है।

कंपनी लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय करार करती है। विद्युत क्रय करार (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल का एक प्रमुख भाग के लिए है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के सभी वास्तविक उचित मूल्य को वित्त पट्टे के रूप में माना जाता है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालनरत पट्टा माना जाता है। वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टों के लिए विद्युत स्टेशन में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालनरत पट्टों के मामले में, प्रचालनरत पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोंजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख–रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परंसपत्तियों, निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुरूप हैं और मोबाइल फोन को जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं को छोड़कर, के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग–ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाता है।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्यों और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली-योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्यों और अमूर्त परिसंपत्तियों, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भावी नकदी प्रवाहों के मामले में, की वसूली-योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन से वसूली-योग्य राशि के मापन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा आहरण दर और छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि इसके दायित्वों के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी परिकलनों पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार, सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, वहां लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरो को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहां लागत अनुमानों में संशोधन के कारण टैरिफ लंबित हैं, वहां टैरिफ का परिकलन सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत निर्धारित मापदंडों और कार्यपद्धतियों के आधार पर किया जाता है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सीईआरसी को आवेदन किए जाने पर राजस्व की अनुमानित राशि को मान्यता दी जाती है जो इस सीमा तक होती है कि इसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में कोई नीचे की ओर समायोजन नहीं होगा।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में लिए गए मूल्यांकन इंड एएस 37 – "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वसूली-योग्य राशि

कंपनी के प्रचालनरत क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अध्यधीन हैं जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यह्रास, निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और इंड एएस 114 "विनियामक आस्थगित लेखे" किसी कंपनी को दर आधार में, स्व–निर्मित (मूर्त) संपत्ति, संयंत्र और

उपस्कर अथवा आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यथा इंड एएस के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। कंपनी अनुमान लगाती है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आस्थगित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार वसूलीयोग्य हैं। तथापि, टैरिफ विनियमों में मौजूदा टैरिफ अवधि के बाद परिवर्तन ऐसे शेषों की वसूलनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) व्यापार प्राप्य की क्षति

व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में, पहले से प्रावधान की गई सीमा तक को छोड़कर, हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

झ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और कंपनी के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूलीयोग्य राशि के मापन पर वास्तविक प्रभाव हो सकता है।

ञ) वसूली-योग्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य में क्षति के संबंध में बीमा दावे की वसूली-योग्य राशि बीमा नीतियों की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा अवधारणाओं पर आधारित है।

ट) कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) की लागत

कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) की लागत प्रबंधन अनुमान के अनुसार मापी जाती है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है। इन लेखांकन नीतियों को ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेन–देन, अन्य घटनाओं और लागू होने वाली शर्तों के बारे में संगत और विश्वसनीय सूचना होती है। इन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव सारहीन हो।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति को तुलन–पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। कंपनी ने इंड एएस में परिसमापन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में इंड एएस 101 "इंड एएस को पहली बार अपनाया जाना" द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है। अतः, 1 अप्रैल, 2015 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति की अग्रेणीत राशि को इंड–एएस में पारगमन पर बनाए रखा गया था।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

ख) पीपीई को प्रारंभ में जहां–कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बहाली लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है और इसके लिए आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालित करने में सक्षम होती है। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन के लिए उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अध्यधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले निपटान भी शामिल हैं।

ग) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर विद्युत स्टेशन के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय को मान्यता मानदण्ड पूरा करने पर संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई/अभ्यर्पित इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

घ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानियां, यदि कोई हों, कम लागत पर वहन किया जाता है।

ङ) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे

पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रुप में माना जाता है।

च) कंपनी के नियंत्रण वाली परिसंपत्तियां, भले ही कंपनी का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।

छ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।

ज) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहनीय राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल–सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को "भंडार तथा कलपुर्जे" माना जाता है।

झ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।

ञ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों (व्यापार छूट तथा छूट की कटौती के पश्चात) सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य, परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा सारसंभाल प्रभार, संस्थापना तथा संयोजन लागतें आदि शामिल होती हैं।

ख) लागतों में कर्मचारी हितलाभ, व्यावसायिक शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख–रखाव तथा उन्नयन पर व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू किए जाने से पूर्व की निवल आय/व्यय को सीधे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें "निर्माण पर आरोप्य व्यय" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा "चल रहे पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एएस 16–"संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर" में "आरोप्यता" और "मापन की इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया इस तरह का व्यय लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन–देन लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग अथवा निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के बीच अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में माना जाता है।

निवेश संपत्ति में अथवा से अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब साक्ष्य द्वारा समर्थित उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

क) अनुसंधान पर व्यय, जैसे और जब किया जाता है, व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और

वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भावी आर्थिक लाभ की संभावना हो और कंपनी की मंशा विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने की हो तथा उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।

ख) वे अमूर्त परिसंपत्तियां, जो कंपनी द्वारा अधिगृहीत की गई हों और जिनका निश्चित उपयोगी जीवन–काल होता है, उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक होने वाले सीधे आरोप्य व्यय शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अमूर्त परंसपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।

ग) तत्पश्चात व्यय को परिसंपत्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता तब दी जाती है, जब यह संभावना हो कि भावी लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

घ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन–देन प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली लेन–देन की तिथि को वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर रिकार्ड किया जाता है। प्रत्येक संसूचना तिथि को, विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए लेन–देन से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत पर समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से वसूली-योग्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें "आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव वसूली-योग्य/देय लेखा" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।

घ) 1 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से वसूली-योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।

ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर–मौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां कंपनी ने किसी विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल का भुगतान किया है या उसे प्राप्त किया है, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके एक हिस्से को) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख, वह तारीख होती है जब कंपनी अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर–मौद्रिक देयता को प्रारंभिक मान्यता देती है।

6.0 विनियामक आस्थगित लेखे

क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चे की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात इंड एएस के अनुसार संगत पीपीई की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष " के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से वसूली-योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को "विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली-योग्य अथवा उन्हें देय हैं।

घ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे

शेषों से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नही होते हैं, तो विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।

ङ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन–देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन–देन मूल्य उचित मूल्य को नहीं दर्शाता, यह अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योगय न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए काफी है–

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर काफी है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु काफी है, अलक्ष्य हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आर्वतक आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के बीच उत्पन्न हुए हैं।

8.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत घटा क्षति, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

9.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ नकदी, किसी अन्य कंपनी के इक्विटी दस्तावेज अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से कंपनी के पक्ष में हों। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बनती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्य, कर्मचारियों को ऋण, प्रतिभूति जमा, वसूलीयोग्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है–

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और
- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु कंपनी का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु, लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय के अंतर्गत रिकार्ड की जाती हैं। ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी दस्तावेज में निवेश हेतु, यह इस पर निर्भर है कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ अथवा हानि, लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है।

कंपनी, यदि व्यापार प्राप्यों में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो अपने लेन–देन मूल्य पर व्यापार प्राप्यों को मापती है।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

किसी "ऋण दस्तावेज" को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

i) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल में धारित है जिसका उददेश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और

ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में ब्याज आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण दस्तावेज

किसी "ऋण दस्तावेज" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हों:

i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और

ii) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति हानियों, प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर, ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया गया है।

इक्विटी निवेश

सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त कंपनियों में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों को एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत करती है। कंपनी लिखत–दर–लिखत आधार पर ऐसा चयन करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता।

एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है।

लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, कंपनी इक्विटी में संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है।

व्यापार प्राप्यः

व्यापार प्राप्य में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जबः

i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा

ii) वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रख है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक दायित्व ले लेती है।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अतरित किया है, कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

विमान्य किए जाने पर, वहनीय राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

ङ) वित्तीय परिसंपत्तियो की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है–

(i) वे वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) वे वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

(iii) इंड एएस 115–ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।

(iv) इंड एएस 116–पट्टे के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

कंपनी इंड एस 116 और इंड एस 115 के क्षेत्र में लेन–देनों से परिणामी संविदा परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्यां तथा व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु इंड एएस 109 "वित्तीय लिखत" के अंतर्गत अनुमेय "सरलीकृत पद्धति" का पालन करती है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबध में क्षति हानि की मान्यता हेतु, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु, कंपनी लिखत–दर–लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, कंपनी 12 माह ईसीएल पर आधारित क्षति हानि प्रावधान को मान्यता देने के लिए प्रत्यावर्तन करती है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि/प्रत्यावर्तन की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप मे मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल–सूची

माल–सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रख–रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें हैं।

स्क्रैप का मूल्यांकन निवल वसूली-योग्य मूल्य पर किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) का मूल्यांकन कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली-योग्य मूल्य पर मालसूची को अवलेखन और माल–सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा अवलेखन या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए अंतिम लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

12.0 वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य कंपनी को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा कंपनी के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान–प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य कम लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देयताओं को बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई देयताओं के रुप में वर्गीकृत किया जाता। प्राप्तियों (लेन–देन लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करके ऋणों की अवधि में समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) अनुवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में लाभ तथा हानि क विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहनीय राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन–पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसपंत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

ङ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज वे दस्तावेज होते हैं जिनका धारण कम्पनी विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए करती है तथा जो लाभ एवं हानि के माध्यम से लेखांकन के लिए बचाव के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी अनुदान से संबद्ध शर्तों का

अनुपालन करेगी। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई कंपनी उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करती है जिसके लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किया जाना वांछित है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बर्हिप्रवान दायित्वों के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन–पत्र तिथि को बाध्यत दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्षकार से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ख) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों उत्पन्न होती है और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नही है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बर्हिवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बर्हिवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों उत्पन्न होती हैं और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नही है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन विकासों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से दर्शाया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/ परामर्शी कार्य सेवाओं और अन्य आय से जुटाया जाता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, संविदाकारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, अन्य निकाय कारपोरेट में कंपनी में इक्विटी में निवेश से लाभांश, बॉण्डों में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय, आदि शामिल हैं।

क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

i) राजस्व को उस प्रतिफल पर मापा जाता है जो किसी ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के एवज में प्राप्त होने की प्रत्याशा है और इसमें तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (अथवा तब) निश्पादन दायित्व पूरा हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब (अथवा तब) वह किसी ग्राहक को उत्पादों अथवा सेवाओं पर नियंत्रण अंतरित करती है।

ii) विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त पट्टे/प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में माने गए पावर स्टेशनों के संबंध में न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों को छोड़कर) को लागू सीमा तक विद्युत अपीलीय अधिकरण के आदेशों द्वारा यथा संशोधित सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में, जहां अनंतिम/अंतिम टैरिफ को अभी अधिसूचित किया जाना है या जहां प्रोत्साहन/हतोत्साहन सीईआरसी (नियम और शर्तें) के अनुसार प्रभार्य/देय हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां इसकी अत्यधिक प्रत्याशा है कि मान्यता प्रदान किए गए संचयी राजस्व की राशि में बहुत अधिक प्रत्यावर्तन

नहीं होगा। प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूट की राजस्व की राशि में से कटौती की जाती है।

iii) ग्राहकों को आवधिक और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को, विद्युत की बिक्री से राजस्व में ग्राहकों को प्रदान की गई लेकिन अभी बिल न की गई बिक्री (बिल न किया गया राजस्व) हेतु प्रोदभवन शामिल होता है।

iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय के निमित्त वसूली/प्रतिदेय और आयकर के निमित्त वसूली को विनियामक मानदंडों के आधार पर वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदत्त आस्थगित कर की मदों के लिए वसूली को उक्त को मूर्त रूप देने पर लेखांकित किया जाता है।

v) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि वास्तविक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

vi) 31 मार्च, 2009 तक आस्थगित आय के रूप में माने गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्यों से राजस्व

i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्यों से राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या जिसे सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है। इनपुट पद्धति उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल प्रत्याशित लागत से संबंधित निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के प्रति वहन की गई लागत के आधार पर राजस्व को मान्यता प्रदान करती है।

ii) संविदा में संशोधन, यदि कोई हो, को तब लेखांकित किया जाता है जब किसी संविदा के क्षेत्र अथवा मूल्य (या दोनों) में कोई परिवर्तन होता है, जिसे संविदा के पक्षकारों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और जब संविदा के पक्ष ऐसे किसी संशोधन को मंजूरी देते है जो या तो संविदा के पक्षों के लिए नए प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों को बनाता हो या मौजूदा में संशोधन करता हो। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग–अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर है। संविदा संशोधनों को तब एकल आधार पर दर्ज किया जाता है जब वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं के अतिरिक्त होने के कारण संविदा का क्षेत्र बढ़ता है अथवा संविदा का मूल्य प्रतिफल एक ऐसी राशि से बढ़ता है जो वादा की गई अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को दर्शाता है और उस मूल्य में कोई उचित समायोजन संविदा विशेष की परिस्थितियों में किसी उचित समायोजन को प्रतिबिंबित करता है। जोड़ी गई सेवाएं जो भिन्न नहीं हैं, उन्हें संचयी कैच–अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो भिन्न हैं, उन्हें सदंर्शी रूप से, अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर किए जाने पर एक अलग संविदा के रूप में लेखांकित किया जाता है या उनका मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर नहीं किए जाने पर विद्यमान संविदा की समाप्ति तथा नई संविदा के सृजन के रूप में किया जाता है।

ग) विद्युत के व्यापार से राजस्व

(i) विद्युत के व्यापार से राजस्व के लेखांकन में यह निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों का मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या कंपनी को एक प्रमुख की क्षमता में या एक एजेंट के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। कंपनी ग्राहक को अंतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त करने की स्थिति में एक प्रधान प्रकृति में कार्य करती है। नियंत्रण के संकेतकों में इसका मूल्यांकन शामिल है कि क्या कंपनी विद्युत उपलब्ध करवाने के वायदे को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसके पास मूल्य स्थापित करने का विवेक है या यह मालसूची जोखिम को वहन करती है। जहां कंपनी ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त नहीं करती है और इसका निष्पादन दायित्व किसी अन्य पक्षकार द्वारा विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है, यह एक एजेंट की प्रकृति में कार्य करती है।

(ii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए किसी संविदा में प्रधान के रूप में कार्य करती है, संतुष्ट किए जाने वाले निष्पादन दायित्व को आवंटित लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(iii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, ग्राहक को प्रदान की गई विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद बचाए गए निवल प्रतिफल को प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। इन लेन–देनों से उत्पन्न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को समायोजित नहीं किया जाता हैं।

घ) **अन्य आय**

(i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

(ii) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण दस्तावेज हेतु, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय दस्तावेज (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, परन्तु प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती।

(iii) विद्युत के व्यापार की संविदाओं से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों से वसूलीयोग्य ब्याज/अधिभार और संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियों/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में भविष्य में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

(ङ) **कार्बन क्रेडिट/सीईआर/वीईआर की बिक्री से राजस्व**

राजस्व को कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) के अंतरण/बिक्री पर इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की मात्रा में भविष्य में महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी हितलाभ

i) **अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ**

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन छूटरहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और दायित्व का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

कोई परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई कंपनी पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है तथा उसका और राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होता। परिभाषित अशंदान योजनाओं में अंशदानों हेतु दायित्वों को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो। किसी निर्धारित अशंदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन हितलाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना (ईडीसीएसएस) और अलग–अलग ट्रस्टों के माध्यम से प्रशासित सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं**

परिभाषित हितलाभ योजना किसी परिभाषित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। कंपनी की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता, कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं। ये सभी योजनाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर मिलने वाले भत्ते, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति–चिन्ह और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के अलावा, विभिन्न न्यासों के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं।

उपदान और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन–पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

भविष्य निधि योजना के मामले में, तुलन पत्र में देयता को मान्यता तब दी जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य से अधिक होता है। रिपोर्टिंग

अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य के अधिशेष परिसम्पति के रूप में स्वीकृत नहीं किए जाते हैं क्योंकि कम्पनी के पास ऐसे लाभों के लिए न तो योजना से धनवापसी के रूप में योजना से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है और न ही योजना में अंशदान को कम करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का परिकलन बीमांकक द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की अवधि के अनुसार शर्तें होती हैं।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनःमापन लाभ (भविष्य निधि योजना के मामले में, को छोड़कर) तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना के अंतर्गत हितलाभों में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भावी हितलाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 उधार लागतें

ऋण लागतों में (क) इंड एएस 109 'वित्तीय दस्तावेज' में वर्णित ब्याज पद्धति के प्रभावी उपयोग से परिकलित ब्याज व्यय (ख) इंड एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार मान्यताप्राप्त वित्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार तथा (ग) विदेशी मुद्रा ऋणों से उस सीमा तक उत्पन्न विनिमय अंतर जो ब्याज लागतों में समायोजित के रूप में मानी गई हैं।

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य ऋण लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती है। अर्हक परिसम्पतियां वे होती हैं जिन्हें किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उनके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार किया जाना आवश्यक होता है। अन्य सभी ऋण लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे व्यय की गई हैं

जब कम्पनी किसी अर्हक परिसम्पति के विशिष्ट उद्देश्य से ऋण निधियां प्राप्त करती है तो व्यय की गई ऋण लागतों का पूंजीकृत किया जाता है। जब कम्पनी सामान्य ऋण निधियां प्राप्त करती है और उनका उपयोग अर्हक परिसम्पाति की प्राप्ति के उद्देश्य से करती है तो ऋण लागतों के पूंजीकरण का आकलन उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत पर किया जाता है जो अवधि के दौरान बकाया हैं तथा जिनका उपयोग अर्हक परिसम्पाति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण अथवा उत्थापन के लिए किया गया है। तथापि, अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से प्राप्त किए गए ऋण पर लागू ऋण लागतों को आकलन में तब शामिल किया जाता है जब उस परिसम्पति का उपयोग वांछित उद्देश्य से करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं अथवा बिक्री पूर्ण हो जाती है।

अर्हक परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए लंबित ऋणों के अस्थाई निवेश से अर्जित आय के पूंजीकरण के लिए अर्हक ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब रोक दिया जाता है जब अर्हक परिसम्पति को उसके वांछित उपयोग करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं।

अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं

18.0 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई) से वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/कटौतियों पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) (i) कंपनी की प्रचालनरत यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंत से पांच वर्ष पूर्व तक पूंजीकृत किया गया मूल्यह्रास, नीति संख्या 18.0 (घ) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के लिए को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धति को अपनाते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

(ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास को सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार विस्तारित जीवन–काल की अवधि के लिए संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

(iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण पावर स्टेशन का जीवनकाल और/या दक्षता बढ़ जाती है, उसकी अपरिशोधित मूल्यह्रास राशि तथा उसके व्यय को संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी–रेखा पद्धति पर संदर्शी रूप से प्रभारित किया जाता है।

ग) (i) कंपनी की प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पुराने तथा प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक नीति संख्या 18.0(घ) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के लिए को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों अपनाते हुए प्रभारित किया गया है।

(ii) प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त मदों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

घ) (i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) पर आधारित सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है:

– निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

– कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण

(ii) प्रबंधन के आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यह्रास को 1 रूपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि में उचित आधार पर दिया गया है।

(iii) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली/उपस्कर पर मूल्यह्रास 10 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के साथ पच्चीस वर्ष की अवधि में उचित आधार पर दिया गया है।

(iv) प्रबंधन द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में प्रदान किए गए फर्नीचर और अन्य उपकरणों पर मूल्यह्रास 10% के अवशिष्ट मूल्य के साथ पांच वर्ष की अवधि में उचित आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ङ) अस्थायी संस्थापन को 1/– रुपये डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित (100%) किया जाता है।

च) 5,000/– रूपये या उससे कम परन्तु 750/– रूपये से अधिक की परिसंपत्तियों उस वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति 1/– रूपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/–रूपये तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उपयोग के वर्ष में व्यय पर प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों की पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

झ) प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त यूनिटों की पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित पीपीई का मूल्यह्रास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यह्रास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।

ट) भूमि के संबंध में उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में किया जाता है।

ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।

ड) जहां विनिमय उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों की लागत में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसपंत्तियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यह्रास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।

ढ) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहनीय राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

ण) उपयोगी जीवन, मूल्यह्रास की पद्धति और परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जहां मूल्यह्रास को प्रबंधन आकलन के अनुसार प्रभारित किया जाता है, उसकी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, उसे परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल पर संदर्शी रूप से समायोजित किया जाता है।

19.0 माल–सूची के अतिरिक्त गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

क. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र है। जब किसी परिसंत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूलीयोग्य राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार लेन–देनों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी लेन–देन की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।

ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

घ. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रही ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ङ. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा लंबे समय से मौजूद नहीं है। यदि वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहनीय राशि ऐसी वहनीय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को निर्धारित किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, उस सीमा तक छोड़कर जिस सीमा तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, जिस मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं हैं।

ख) आस्थगित कर

(i) आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि के बीच अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुरूपी कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन–पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के रूप में मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती–योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर ऋण हेतु उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां तक यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी लेन–देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो लेन–देन के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हों।

(ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नही है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके लिए अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन–पत्र तिथि द्वारा अधिनियमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित है। आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि की वसूली या निपटान करेंगे।

(iv) आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(v) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित आयकर परिसपंत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य कंपनी अथवा विभिन्न करयोग्य कंपनियों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।

(vi) समायोजन लेखे से आस्थगित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

(vii) जब आय कर सुधारों के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता होती है तो कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार किया जा सकता है। यदि कम्पनी कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार न किए जाने का निर्धारण करती है तो अनिश्चित अथवा करयोग्य आय के प्रभाव, कर आधारों, तथा अप्रयुक्त कर हानियों एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट को मान्यता दे दी जाती है। ऐसी अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता प्रत्येक मामले में उस पद्धति के उपयोग से दी जाती है जिनसे प्रतिफल, अत्यधिक प्रत्याशित प्रतिफल अथवा संभावित मूल्य की अनिश्चितता को सर्वोत्तम तरीके में दर्शाता हो। प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के समाधान के उत्तम उपसर्ग के आधार पर कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनिश्चित कर सुधार अलग–अलग अथवा एक साथ मिलाकर अथवा अन्य अनिश्चित कर सुधारों के साथ किया जा सकता है।

21.0 तृतीय पक्षकारों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल–सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एएस 108–प्रचालनरत खंड के अनुसार, खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालनरत खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एएस 108 के अभिप्राय के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता " अथवा "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य तथा विद्युत का व्यापार इंड एएस–108 के अनुसार सूचना योग्य खंड का भाग नहीं होते हैं।

ग) कंपनी का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

23.0 पट्टे

कंपनी अनुबंध के प्रारंभ में अनुबंध के पट्टा होने अथवा उसमें पट्टा अंतर्विष्ट होने का मूल्यांकन करती है। कोई अनुबंध पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, माना जाता है यदि अनुबंध से अभिचिन्हित परिसम्पति, किसी कालावधि के लिए, के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार किसी प्रतिफल के विनिमय के रूप में प्राप्त हुआ हो। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या किसी अनुबंध से अभिचिन्हित परिसम्पंति के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार सम्प्रेषित होता है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या:

– अनुबंध में अभिचिन्हित परिसम्पति का उपयोग निहित है – इसकी निर्दिष्टि सुस्पष्ट अथवा अव्यक्त हो सकती है तथा यह वास्तविक रूप से सुस्पष्ट अथवा परिसंपत्तियों की क्षमता की वास्तविक स्पष्टता की सारभूत प्रस्तुति से युक्त होनी चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास सारभूत प्रतिस्थापन अधिकार है तो परिसंपत्ति अभिचिन्हित नहीं की जाती है;

– कंपनी के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त होने का सारभूत अधिकार है; तथा

– कंपनी को परिसम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग का अधिकार है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब इसके पास निर्णय निर्धारण के अधिकार होते हैं, जो परिसंपत्ति के उपयोग के उद्देश्य में कैसे और किस लिए जैसी प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए काफी संगत होते हैं। बहुत ही कम मामलों में जब कैसे और किस लिए जैसे परिसम्पति के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं तो कम्पनी को परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार तब होता है जबः

  - कंपनी के पास परिसम्पत्ति के प्रचालन का अधिकार हो; अथवा
  - कंपनी परिसंपत्ति की निर्दिष्टि करे कि उसे पूर्व निर्धारित कैसे और किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके।

किसी अनुबंध, जिसमें पट्टा घटक है, के पुनःमूल्यांकन के प्रारंभ में कंपनी अपने संबद्ध एकल मूल्यों के आधार पर पट्टे के अनुबंध के प्रत्येक घटक के लिए प्रतिफल का निर्धारण करती है। तथापि, भूमि एवं भवन के पट्टों, जिनमें वह पट्टेदार है, के लिए कंपनी ने कोई अलग गैर–पट्टा संघटक का चयन न करने का निर्णय लिया है तथा पट्टा एवं गैर–पट्टा संघटकों को एकल पट्टा घटक के रुप में माना जाता है।

(i) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी द्वारा परिसम्पति एवं पट्टा दायित्व के उपयोग के अधिकार को मान्यता दी जाती है। परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व का प्रारंभिक मापन, कम्पनी द्वारा वहन की गई कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पट्टा समाप्त होने के समय परिसम्पति का विखंडन करने तथा हटाए जाने की लागतों के कोई अनुमान, तथा पट्टा प्रारंभ तिथि को पट्टा भुगतानों के समायोजित अग्रिम शामिल हैं।

राज्य सरकार से उपयोग के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) तथा सहायता और पुनर्वास के साथ–साथ भूमि से विस्थापितों को हटाए जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर किए गए खर्च अथवा जलाप्लावन के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के स्थान पर तथा जहां परियोजना के उद्देश्य से ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण भूमि के अधिग्रहण की एक पूर्व विशिष्ट शर्त है, का लेखांकन उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है।

उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुवर्ती मूल्यह्रास पट्टा प्रारम्भ तिथि से परिसंपत्ति के अधिकार के उपयोग के अंत से पूर्व उपयोज्यता काल अथवा पट्टा अवधि समाप्त होने पर सीधी रेखा आधार पर उपयोग के अधिकार से युक्त परिसंपत्ति के लिए किया जाता है। उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल

का निर्धारण संपत्ति और उपस्कर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में से अक्षमता हानियों, यदि कोई हो, को कम करके आवधिक रूप से न्यून किया जाता है तथा इसका समायोजन पट्टा देयता के निश्चित पुनःमापन के लिए किया जाता है। हानि का आकलन उपर्युक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 19.0 में दिए गए अनुसार इंस एएस 36–परिसंपत्तियों की हानि के सिद्धांतों का प्रयोग करके किया जाता है।

पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य में से पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि इस दर का निर्धारण त्वरित रूप में नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील ऋण दर को घटाकर किया जाता है। सामान्यतः कम्पनी छूट दर के लिए अपनी वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करती है।

पट्टा भुगतानों में निम्नलिखित से युक्त पट्टा देयता का मापन शामिल है:–

– मूलभूत नियत भुगतान सहित नियत भुगतान;
– परिवर्तनीय पट्टा भुगतान, जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, का प्रारंभिक मापन उनके प्रारंभ की तिथि के सूचकांक अथवा दर के उपयोग से किया जाता है;
– अवशेष मूल्य गारंटी के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां; तथा
– किसी क्रय विकल्प के अंतर्गत उपयोग में लाया जाने वाला मूल्य जिसके उपयोग प्रति कंपनी औचित्यपरक रूप में आश्वस्त है, वैकल्पिक नवीकरण अवधि के पट्टा भुगतान, यदि कम्पनी विस्तार के विकल्प के उपयोग के प्रति औचित्यपरक कारणों से आश्वस्त हैं तथा कालावधि से पूर्व पट्टा समापन के जुर्माने जिनके प्रति कंपनी पट्टे का पूर्व समापन न किए जाने के प्रति आश्वस्त है।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्मापन तब किया जाता है जब किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टे के भुगतान में कोई परिवर्तन हो, यदि कंपनी के अनुमान में एक अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की संभावित राशि में परिवर्तन हो, अथवा यदि कंपनी अपने आकलन में यह परिवर्तन करती है कि क्या यह एक खरीद, विस्तार अथवा समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी अथवा जब एक पट्टा अनुबंध संशोधित किया गया है, और उस स्थिति में पट्टा संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है, जिसमें पट्टा देयता का संशोधन की प्रभावी तारीख को संशोधित छूट दर का प्रयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों में छूट देकर संशोधित पट्टे की अवधि के आधार पर पुनर्मापन किया गया है।

जब पट्टा देयता का मापन इस विधि से किया जाता है तो उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहनीय राशि के संबंध में अनुवर्ती समायोजन किया जाता है अथवा यदि उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहनीय राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

कंपनी निवेश संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाली अपनी उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों की प्रस्तुति एक अलग रेखा मद के उपयोग से तुलन पत्र में करती है।

कंपनी ने उन अल्प–कालिक अवधियों की उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता न देने का निर्धारण किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह अथवा उससे कम है तथा पट्टों का परिसंपत्ति मूल्य न्यून है। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को सीधी रेखा आधार पर पट्टा अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(ii) पट्टाकार के रूप में कंपनी

जब कंपनी पट्टाकार के रुप में कार्य करती है, तो कंपनी पट्टे के प्रारंभ में यह निर्धारण करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा अथवा कोई प्रचालनरत पट्टा है। किसी पट्टे का वित्त के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उसके संबंध में कंपनी द्वारा ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित किए जाते हैं। पट्टे का वर्गीकरण प्रचालनरत पट्टे के रूप में तब होता है जब ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित नहीं किए जाते हैं।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु, पावर स्टेशन में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान संविदा राशियों (31 मार्च, 2009 तक सीईआरसी टैरिफ विनियम 2004–09 के अनुसार और आस्थगित आय के रूप में मानी गई मान्यताप्राप्त मूल्यह्रास के निमित्त अग्रिम (एएडी) सहित) से निहित पट्टा प्राप्तियों को अलग करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय (प्रचालनों से राजस्व का भाग बनने वाली) के बीच आवंटित की जाती है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर–गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्यों पर संभावित ऋण हानियों के लिए प्रावधान को मान्यता देते हुए इंड एएस 109–वित्तीय दस्तावेजों की हानि अपेक्षाओं को लागू करती है।

वित्त पट्टा आय का परिकलन ऋण–हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनके लिए ब्याज आय का परिकलन उनकी परिशोधन लागत (अर्थात हानि प्रावधान की कटौती के बाद) के संदर्भ में किया जाता है, को छोड़कर, पट्टा प्राप्यों की सकल वहनीय राशि के संदर्भ में किया जाता है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे अथवा गैर–पट्टे के घटक होते हैं तो कंपनी अनुबंध के प्रतिफल के निर्धारण के लिए इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व लागू करती है।

प्रचालनरत पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में, प्रचालनरत पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल में इनका मूल्यह्रास किया जाता है।

24.0 व्यवसाय संयोजन

व्यवसाय संयोजनों का लेखांकन अधिग्रहण की तिथि को अधिग्रहण लेखांकन विधि के उपयोग से किया गया है जो कंपनी को नियंत्रण के अंतरित किए जाने की तिथि है। अधिग्रहण के अंतर्गत अंतरित किए गए प्रतिफल तथा अभिचिन्हित अधिग्रहित परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं को मान्यता अधिग्रहण की तिथि को उनके उचित मूल्य पर की जाती है। साख का प्रारंभिक मापन, अधिग्रहित अभिचिन्हितयोग्य परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं के निवल से अधिक प्रतिफल का अंतरण किए जाने के कारण, लागत पर किया जाता है। जब निवल अभिचिन्हितयोग्य अधिगृहीत परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं का उचित मूल्य, निवल परिसंपत्तियों एवं आकस्मिक देयताओं का उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकन करने के पश्चात, अंतरित प्रतिफल से अधिक होता है तो अतिरेक की स्वीकृति पूंजी आरक्षित के रूप में की जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

25.0 पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियां

पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लिखित कर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः उल्लिखित किया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर अर्जन

(क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने हेतु लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ग) प्रति शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को आस्थगित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी–समतुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि, अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि, तुलनपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत 'ऋणों' में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एएस 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा

- नकदी या नकदी समतुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वहः

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को आस्थगित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक वास्तविक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर–वास्तविक न हों।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएंः जारी किए गए लेकिन अभी प्रभावी नहीं मानक

दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना द्वारा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2023 अधिसूचित की है, जो कतिपय भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन करती है, तथा 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है। प्रमुख संशोधनों और उनके कंपनी पर प्रभाव का सार नीचे दिया गया हैः

(i) **इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति** – इस संशोधन में कंपनियों के लिए अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी वास्तविक लेखांकन नीतियों का प्रकटन करना अपेक्षित है। अन्य सूचना के साथ, लेखांकन नीति की सूचना, तब महत्वपूर्ण होती है जब उससे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

(ii) **इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां** – इस संशोधन ने 'लेखांकन अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और कंपनियों को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

(iii) **इंड एएस 12 – आय कर** – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता उत्पन्न हो जाते हैं। छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेद हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

(iv) अन्य मानकों (इंड एएस 101, इंड एएस 102, इंड एएस 103, इंड एएस 107, इंड एएस 109 और इंड एएस 115) में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं हैं या कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं डालते हैं।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि–फ्रीहोल्ड **(टिप्पणी 2.1.1, 2.1.2 और 2.1.3 देखें)**	1,135.18	62.50	-	(690.52)	507.16	-	-	-	-	507.16	1,135.18
सड़कें और पुल	310.37	0.75	-	(0.15)	310.97	87.36	11.60	-	98.96	212.01	223.01
भवन	2,267.40	38.17	1.46	(1.06)	2303.05	562.45	79.58	(0.38)	641.65	1,661.40	1,704.95
रेलवे साइडिंग्स	13.06	-	-	-	13.06	13.06	-	-	13.06	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	15,811.42	12.45	-	(4.76)	15819.11	5,453.95	659.95	0.26	6,114.16	9,704.95	10,357.47
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,975.36	83.32	16.50	(3.60)	8038.58	2,707.87	341.02	(5.33)	3,043.56	4,995.02	5,267.49
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	55.94	2.17	0.76	0.05	57.40	17.87	2.36	(0.54)	19.69	37.71	38.07
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	71.35	2.63	0.05	-	73.93	28.30	2.86	(0.03)	31.13	42.80	43.05
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	39.69	0.58	0.20	(0.30)	39.77	15.71	1.92	(0.06)	17.57	22.20	23.98
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	53.25	0.87	0.26	(2.08)	51.78	29.40	3.00	(0.99)	31.41	20.37	23.85
जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	62.83	0.68	0.16	1.18	64.53	15.06	2.93	0.44	18.43	46.10	47.77
विद्युतीय संस्थापनाएं	20.48	0.56	0.04	0.30	21.30	3.16	0.90	(0.01)	4.05	17.25	17.32
वाहन	27.03	1.59	0.56	-	28.06	10.51	1.57	(0.17)	11.91	16.15	16.52
विमान/नौकाएं	1.97	-	0.12	0.01	1.86	0.72	0.14	(0.03)	0.83	1.03	1.25
फर्नीचर और फिक्सचर	38.82	8.18	0.40	(0.11)	46.49	15.30	2.43	(0.12)	17.61	28.88	23.52
कम्प्यूटर और सहायक	55.43	16.05	1.29	(0.03)	70.16	39.37	6.93	(0.88)	45.42	24.74	16.06
संचार उपस्कर	13.48	2.06	0.29	-	15.25	4.58	0.66	(0.18)	5.06	10.19	8.90
कार्यालय उपस्कर	122.80	18.45	2.04	0.50	139.71	46.64	6.92	(0.92)	52.64	87.07	76.16
कुल	**28,075.86**	**251.01**	**24.13**	**(700.57)**	**27,602.17**	**9,051.31**	**1,124.77**	**(8.94)**	**10,167.14**	**17,435.03**	**19,024.55**
विगत वर्ष	27,102.36	1,035.16	24.46	(37.20)	28,075.86	7,927.76	1,109.73	13.82	9,051.31	19,024.55	

टिप्पणी:–

2.1.1 कंपनी के नाम पर धारित न की गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध-I** के रूप में दिया गया है।

2.1.2 'भूमि फ्रीहोल्ड' के अंतर्गत सकल ब्लॉक में समायोजन में दिबांग बेसिन परियोजना से संबंधित 690.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जिसे 'परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार' के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

2.1.3 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही जिसमें 8 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हैक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा करार किया गया है।

2.1.4 उधारियों के निमित्त प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों संबंधी सूचना हेतु एकल वित्तीय विवरण की **टिप्पणी सं. 34(9)** देखें।

2.1.5 परिसम्पतियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 34(18)** देखें।

2.1.6 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक में समायोजन में शामिल विदेशी विनिमय दर अंतर निम्नानुसार है:–

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)
सड़कें और पुल	(0.15)	(1.22)
भवन	(1.09)	(8.63)
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(4.91)	(38.73)
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(1.28)	(10.07)
संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	(0.01)	(0.08)
जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.01)	(0.04)
कुल	**(7.45)**	**(58.77)**

2.1.7 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास के अनुसार सम्पति, संयंत्र एवं उपस्करा (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-II में दिया गया है।

टिप्पणी 2.1 का अनुबंध-I:– 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख:–

तुलन–पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति का मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर – फ्रोहोल्ड भूमि	भूमि (1458.45 हेक्टेयर)	6.52	हिंद सरकार (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (7.0844 हेक्टेयर)	36.08	विभिन्न पक्षकार	नहीं	27.09.2021	भूमि एनएचपीसी पार्बती-II के कब्जे में है। कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (4.69 हेक्टेयर)	6.33	विभिन्न पक्षकार	नहीं	10.04.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन के कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (0.09 हेक्टेयर)	0.01	प्रेम शेरिंग लेप्चा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संबंध में, संपत्ति के वर्तमान स्वामी का निधन हो गया है। स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है।
	भूमि (0.10 हेक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पक्षकार	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (74.95 हेक्टेयर)	0.00	भारत सरकार 74.08 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.87 हेक्टेयर	नहीं	जनवरी, 1978 से	बैरास्यूल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
कुल	**1545.36 हेक्टेयर**	**48.94**				

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-II संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	1,135.18	62.50	-	(690.52)	507.16	-	-	-	-	507.16	1,135.18
सड़कें और पुल	402.84	0.75	-	(0.16)	403.43	179.83	11.60	(0.01)	191.42	212.01	223.01
भवन	2,980.83	38.17	2.69	(1.10)	3,015.21	1,275.88	79.58	(1.65)	1,353.81	1,661.40	1,704.95
रेलवे साइडिंग्स	31.98	-	-	-	31.98	31.98	-	-	31.98	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	21,501.97	12.45	-	(4.41)	21,510.01	11,144.50	659.95	0.61	11,805.06	9,704.95	10,357.47
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,857.86	83.32	21.35	(3.52)	10,916.31	5,590.37	341.02	(10.10)	5,921.29	4,995.02	5,267.49
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	106.81	2.17	2.01	0.06	107.03	68.74	2.36	(1.78)	69.32	37.71	38.07
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	98.30	2.63	0.07	-	100.86	55.25	2.86	(0.05)	58.06	42.80	43.05
संयंत्र तथा मशीनरी – अन्य	54.87	0.58	0.81	(0.32)	54.32	30.89	1.92	(0.69)	32.12	22.20	23.98
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	106.55	0.87	0.67	(2.73)	104.02	82.70	3.00	(2.05)	83.65	20.37	23.85
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवरेज	72.58	0.68	0.32	1.31	74.25	24.81	2.93	0.41	28.15	46.10	47.77
विद्युतीय संस्थापनाएं	21.64	0.56	0.05	0.32	22.47	4.32	0.90	-	5.22	17.25	17.32
वाहन	35.64	1.59	1.08	-	36.15	19.12	1.57	(0.69)	20.00	16.15	16.52
विमान / नौकाएं	2.15	-	0.12	-	2.03	0.90	0.14	(0.04)	1.00	1.03	1.25
फर्नीचर और फिक्सचर	62.45	8.18	0.62	(0.12)	69.89	38.93	2.43	(0.35)	41.01	28.88	23.52
कम्प्यूटर और सहायक	77.12	16.05	3.29	(0.07)	89.81	61.06	6.93	(2.92)	65.07	24.74	16.06
संचार उपस्कर	18.33	2.06	0.49	-	19.90	9.43	0.66	(0.38)	9.71	10.19	8.90
कार्यालय उपस्कर	172.56	18.45	4.12	0.58	187.47	96.40	6.92	(2.92)	100.40	87.07	76.16
कुल	**37,739.66**	**251.01**	**37.69**	**(700.68)**	**37,252.30**	**18,715.11**	**1,124.77**	**(22.61)**	**19,817.27**	**17,435.03**	**19,024.55**
विगत वर्ष	36,813.80	1,035.16	49.01	(60.29)	37,739.66	17,639.20	1,109.73	(33.82)	18,715.11	19,024.55	

टिप्पणी:–

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' संबंधी सृजित 10496.48 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10496.48 करोड़ रूपए) राशि के भूमिगत कार्यों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संगत शीर्षों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि–फ्रीहोल्ड **(टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)**	405.40	730.10	0.05	(0.27)	1135.18	-	-	-	-	1,135.18	405.40
सड़कें और पुल	309.01	4.00	1.15	(1.49)	310.37	76.14	11.64	(0.42)	87.36	223.01	232.87
भवन	2,252.69	23.53	0.11	(8.71)	2267.40	484.77	77.71	(0.03)	562.45	1,704.95	1,767.92
रेलवे साइडिंग्स	13.06	-	-	-	13.06	13.06	-	-	13.06	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	15,767.74	83.87	2.55	(37.64)	15811.42	4,802.34	650.98	0.63	5,453.95	10,357.47	10,965.40
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,819.44	158.45	13.24	10.71	7975.36	2,352.98	338.07	16.82	2,707.87	5,267.49	5,466.46
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	54.14	1.79	0.30	0.31	55.94	15.31	2.39	0.17	17.87	38.07	38.83
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	70.62	0.84	0.08	(0.03)	71.35	25.35	2.98	(0.03)	28.30	43.05	45.27
संयंत्र तथा मशीनरी – अन्य	39.24	0.73	0.25	(0.03)	39.69	13.75	2.11	(0.15)	15.71	23.98	25.49
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	52.32	1.43	0.50	-	53.25	26.19	3.32	(0.11)	29.40	23.85	26.13
जलापूर्ति प्रणाली/ नालियां और सीवर प्रणाली	59.06	3.94	-	(0.17)	62.83	12.56	2.50	-	15.06	47.77	46.50
विद्युतीय संस्थापनाएं	17.14	3.39	0.05	-	20.48	2.30	0.88	(0.02)	3.16	17.32	14.84
वाहन	23.30	4.22	0.49	-	27.03	9.39	1.29	(0.17)	10.51	16.52	13.91
विमान/नौकाएं	1.93	0.05	0.01	-	1.97	0.58	0.14	-	0.72	1.25	1.35
फर्नीचर और फिक्सचर	37.49	1.67	0.34	-	38.82	13.37	2.07	(0.14)	15.30	23.52	24.12
कम्प्यूटर और सहायक	49.87	7.00	1.56	0.12	55.43	34.18	6.19	(1.00)	39.37	16.06	15.69
संचार उपस्कर	13.21	0.80	0.53	-	13.48	4.21	0.60	(0.23)	4.58	8.90	9.00
कार्यालय उपस्कर	116.70	9.35	3.25	-	122.80	41.28	6.86	(1.50)	46.64	76.16	75.42
कुल	**27,102.36**	**1,035.16**	**24.46**	**(37.20)**	**28,075.86**	**7,927.76**	**1,109.73**	**13.82**	**9,051.31**	**19,024.55**	**19,174.60**
विगत वर्ष	28,694.70	254.86	52.20	(1,795.00)	27,102.36	7,225.94	1,219.68	(517.86)	7,927.76	19,174.60	

टिप्पणी:–

2.1.1 कंपनी के नाम पर धारित न की गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध-I** के रूप में दिया गया है।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हैक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा करार किया गया है।

2.1.3 उधारियों के निमित्त प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों संबंधी सूचना हेतु एकल वित्तीय विवरण की **टिप्पणी सं. 34(9)** देखें।

2.1.4 परिसम्पतियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 34(18)** देखें।

2.1.5 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक में समायोजन में शामिल विदेशी विनिमय दर अंतर निम्नानुसार हैः–

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)
सड़कें और पुल	(1.22)	(1.03)
भवन	(8.63)	(7.29)
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(38.73)	(32.76)
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(10.07)	(8.52)
संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	(0.08)	(0.07)
जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.04)	(0.04)
कुल	**(58.77)**	**(49.71)**

2.1.6 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास के अनुसार सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध-II** में दिया गया है।

टिप्पणी 2.1 का अनुबंध-I:– 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख :–

तुलन–पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति का मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का का संबंधी अथवा प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर – फ्रोहोल्ड भूमि	भूमि (1458.45 हेक्टेयर)	6.52	हिंद सरकार (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (7.0844 हेक्टेयर)	36.07	विभिन्न पक्षकार	नहीं	27.09.2021	भूमि एनएचपीसी पार्बती-II के कब्जे में है। कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (4.69 हेक्टेयर)	6.33	विभिन्न पक्षकार	नहीं	10.04.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन के कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (0.09 हेक्टेयर)	0.01	प्रेम शेरिंग लेप्चा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संबंध में, संपत्ति के वर्तमान स्वामी का निधन हो गया है। स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है।
	भूमि (0.10 हेक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पक्षकार	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (74.95 हेक्टेयर)	0.00	भारत सरकार 74.08 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.87 हेक्टेयर	नहीं	जनवरी, 1978 से	बैरास्यूल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
कुल	**1545.36 हेक्टेयर**	**48.93**				

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-II संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	405.40	730.10	0.05	(0.27)	1,135.18	-	-	-	-	1,135.18	405.40
सड़कें और पुल	402.23	4.00	1.91	(1.48)	402.84	169.36	11.64	(1.17)	179.83	223.01	232.87
भवन	2,966.45	23.53	0.44	(8.71)	2,980.83	1,198.53	77.71	(0.36)	1,275.88	1,704.95	1,767.92
रेलवे साइडिंग्स	31.98	-	-	-	31.98	31.98	-	-	31.98	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	21,464.61	83.87	7.78	(38.73)	21,501.97	10,499.21	650.98	(5.69)	11,144.50	10,357.47	10,965.40
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,726.38	158.45	16.08	(10.89)	10,857.86	5,259.92	338.07	(7.62)	5,590.37	5,267.49	5,466.46
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	105.41	1.79	0.37	(0.02)	106.81	66.58	2.39	(0.23)	68.74	38.07	38.83
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	97.59	0.84	0.10	(0.03)	98.30	52.32	2.98	(0.05)	55.25	43.05	45.27
संयंत्र तथा मशीनरी – अन्य	54.88	0.73	0.71	(0.03)	54.87	29.39	2.11	(0.61)	30.89	23.98	25.49
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	109.93	1.43	4.81	-	106.55	83.80	3.32	(4.42)	82.70	23.85	26.13
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवरेज	68.81	3.94	0.01	(0.16)	72.58	22.31	2.50	-	24.81	47.77	46.50
विद्युतीय संस्थापनाएं	18.33	3.39	0.08	-	21.64	3.49	0.88	(0.05)	4.32	17.32	14.84
वाहन	32.90	4.22	1.48	-	35.64	18.99	1.29	(1.16)	19.12	16.52	13.91
विमान/नौकाएं	2.17	0.05	0.07	-	2.15	0.82	0.14	(0.06)	0.90	1.25	1.35
फर्नीचर और फिक्सचर	61.40	1.67	0.62	-	62.45	37.28	2.07	(0.42)	38.93	23.52	24.12
कम्प्यूटर और सहायक	76.23	7.00	6.14	0.03	77.12	60.54	6.19	(5.67)	61.06	16.06	15.69
संचार उपस्कर	18.76	0.80	1.23	-	18.33	9.76	0.60	(0.93)	9.43	8.90	9.00
कार्यालय उपस्कर	170.34	9.35	7.13	-	172.56	94.92	6.86	(5.38)	96.40	76.16	75.42
कुल	**36,813.80**	**1,035.16**	**49.01**	**(60.29)**	**37,739.66**	**17,639.20**	**1,109.73**	**(33.82)**	**18,715.11**	**19,024.55**	**19,174.60**
विगत वर्ष	38,607.69	254.86	63.47	(1,985.28)	36,813.80	17,138.93	1,219.68	(719.41)	17,639.20	19,174.60	

टिप्पणी:–

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' संबंधी सृजित 10496.48 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10496.48 करोड़ रूपए) राशि के भूमिगत कार्यों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संगत शीर्षों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2: चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2023 को
सड़कें और पुल	16.15	54.65	-	0.71	70.09
भवन	1,101.00	397.15	(0.47)	37.59	1,460.09
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,463.64	2,178.79	(0.14)	11.84	8,630.45
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,688.02	369.15	-	32.50	3,024.67
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	3.73	0.87	-	1.91	2.69
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	3.10	0.48	-	1.74	1.84
संयंत्र तथा मशीनरी – अन्य	0.73	0.53	-	0.15	1.11
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	0.23	1.32	-	0.38	1.17
संचार उपस्कर	-	0.21	-	0.21	-
कार्यालयी उपस्कर	0.13	2.67	0.04	2.48	0.36
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही परिसंपत्तियां	11.62	32.59	(0.68)	36.45	7.08
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	200.14	31.94	0.11	-	232.19
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी 32 और 2.2.7 देखें)**	10,910.53	1,799.27	-	1.41	12,708.39
उप जोड़	**21,399.02**	**4,869.62**	**(1.14)**	**127.37**	**26,140.13**
घटाएंः चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान **(टिप्पणी 2.2.3 देखें)**	962.05	2.13	-	-	964.18
उप जोड़ (क)	**20,436.97**	**4,867.49**	**(1.14)**	**127.37**	**25,175.95**
निर्माण भंडार	137.14	27.96	(25.71)	-	139.39
घटाएंः निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	0.27	0.06	-	-	0.33
उप जोड़ (ख)	**136.87**	**27.90**	**(25.71)**	**-**	**139.06**
कुल (क + ख)	**20,573.84**	**4,895.39**	**(26.85)**	**127.37**	**25,315.01**
विगत वर्ष	17,852.56	2,990.02	0.40	269.14	20,573.84

टिप्पणीः–

2.2.1 (क) 31 मार्च, 2023 को सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	4,812.26	2,861.57	1,876.67	15,764.51	25,315.01
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**4,812.26**	**2,861.57**	**1,876.67**	**15,764.51**	**25,315.01**

2.2.1 (ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी का समापन शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
पार्बती-II	9,920.38	-	-	-	9,920.38
सुबनसिरी लोअर परियोजना	12,357.07	1,590.10	-	-	13,947.17
कुल	**22,277.45**	**1,590.10**	**-**	**-**	**23,867.55**

2.2.2 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के निमित्त **1270.60 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **1029.14 करोड़** रुपये) शामिल हैं। **(टिप्पणी–32 भी देखें)**

2.2.3 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर **1293.90 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **1234.99 करोड़** रूपये) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से बरसर **226.94 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **226.80 करोड़**

रुपये), कोटली भेल परियोजना के लिए **374.12 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **372.48 करोड़** रुपये), तवांग बेसिन परियोजनाएं **237.15 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **237.15 करोड़** रुपये), धौलीगंगा इंटरमीडिएट परियोजना और गौरीगंगा परियोजना **82.28 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **82.07 करोड़** रुपये) और सुबनसिरी अपर परियोजनाओं **43.72 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **43.52 करोड़** रुपये), जहां अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं, के लिए कुल **964.21 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **962.02 करोड़** रुपये) की राशि प्रदान की गई है। तथापि, मंजूरी मिलने की तर्कसंगत निश्चितता वाली अन्य परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि **329.69 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **272.97 करोड़** रुपये) को चले रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत अग्रेणीत किया गया है। **(टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)**।

2.2.4 परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार के तहत वर्गीकृत ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' संबंधी सृजित **3275.45 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **2838.40 करोड़** रुपये) राशि के भूमिगत कार्यों को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.5 उधारियों के निमित्त प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 34(9)** देखें।

2.2.6 परिसम्पतियों की हानियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 34(18)** देखें।

2.2.7 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य पर व्यय के लिए **202.93 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **158.50 करोड़** रुपये) शामिल हैं, जिसके निमित्त भारत सरकार से **78.05 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **74.07 करोड़** रुपये) की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान को 'अन्य गैर–वर्तमान देनदारियों' **(टिप्पणी–19.1)** के अंतर्गत मान्यता दी गई है और परियोजना के उपयोगी जीवनकाल में व्यवस्थित आधार पर परियोजना के चालू होने के बाद लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाएगा।

टिप्पणी सं. 2.2: चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2022 को
सड़कें और पुल	8.28	11.87	0.42	4.42	16.15
भवन	921.72	206.28	0.39	27.39	1,101.00
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,581.94	962.06	(2.14)	78.22	6,463.64
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,658.90	129.46	(0.09)	100.25	2,688.02
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	2.41	1.74	-	0.42	3.73
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	2.38	1.02	-	0.30	3.10
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	1.67	1.76	-	2.70	0.73
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	1.65	2.36	-	3.78	0.23
कम्प्यूटर	-	0.48	-	0.48	-
कार्यालय उपस्कर	-	0.13	0.24	0.24	0.13
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही परिसंपत्तियां	11.24	30.75	-	30.37	11.62
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	182.02	18.12	-	-	200.14
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी 32 और 2.2.7 देखें)**	9,359.51	1,569.61	1.98	20.57	10,910.53
उप जोड़	**18,731.72**	**2,935.64**	**0.80**	**269.14**	**21,399.02**
घटाएं: चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान **(टिप्पणी 2.2.3 देखें)**	954.58	7.47	-	-	962.05
उप जोड़ (क)	**17,777.14**	**2,928.17**	**0.80**	**269.14**	**20,436.97**
निर्माण भंडार	75.75	61.87	(0.48)	-	137.14
घटाएं: निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	0.33	0.02	(0.08)	-	0.27
उप जोड़ (ख)	**75.42**	**61.85**	**(0.40)**	**-**	**136.87**
d|y ¼d $ [k½	**17,852.56**	**2,990.02**	**0.40**	**269.14**	**20,573.84**
विगत वर्ष	16,097.65	2,039.04	(94.12)	190.01	17,852.56

टिप्पणी:–

2.2.1 (क) 31 मार्च, 2022 को सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शेड्यूल (करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	2,896.08	1,917.55	1,247.18	14,513.03	20,573.84
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**2,896.08**	**1,917.55**	**1,247.18**	**14,513.03**	**20,573.84**

2.2.1 (ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी का समापन समय (करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
पार्बती-II	9,147.00	-	-	-	9,147.00
सुबनसिरी लोअर परियोजना	7,189.75	3,289.47	-	-	10,479.22
कुल	**16,336.75**	**3,289.47**	**-**	**-**	**19,626.22**

2.2.2 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के निमित्त **1029.14 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **996.87 करोड़** रुपये) शामिल हैं। **(टिप्पणी–32 भी देखें)**

2.2.3 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर **1234.99 करोड़** रूपये (पिछले वर्ष **1192.72 करोड़** रूपये) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से बरसर **226.80 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **226.78 करोड़** रुपये), कोटली भेल परियोजना के लिए **372.48 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **368.72 करोड़** रुपये), तवांग बेसिन परियोजनाएं **237.15 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **233.68 करोड़** रुपये), धौलीगंगा इंटरमीडिएट परियोजना और गौरीगंगा परियोजना **82.07 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **81.88 करोड़** रुपये) और सुबनसिरी अपर परियोजनाओं **43.52 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **43.52 करोड़** रुपये), जहां अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं, के लिए कुल **962.02 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **954.58 करोड़** रुपये) की राशि प्रदान की गई है। तथापि, मंजूरी मिलने की तर्कसंगत निश्चितता वाली अन्य परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि **272.97 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **238.14 करोड़** रुपये) को चले रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत अग्रेणीत किया गया है। **(टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)**।

2.2.4 परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' संबंधी सृजित **2838.40 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **2317.10 करोड़** रुपये) राशि के भूमिगत कार्यों को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 34(9)** देखें।

2.2.6 परिसम्पतियों की हानियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 34(18)** देखें।

2.2.9 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य पर व्यय के लिए **158.50 करोड़** रुपये शामिल हैं, जिसके निमित्त भारत सरकार से **74.07 करोड़** रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान को 'अन्य गैर–वर्तमान देनदारियों' **(टिप्पणी–19.1)** के अंतर्गत मान्यता दी गई है और परियोजना के उपयोगी जीवनकाल में व्यवस्थित आधार पर परियोजना के चालू होने के बाद लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाएगा।

टिप्पणी सं. 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि – पट्टाधारित **(टिप्पणी 2.3.1(क) देखें)**	315.82	0.16	0.58	(0.25)	315.15	55.87	11.35	(0.34)	66.88	248.27	259.95
पट्टे के अधीन भवन	5.08	0.14	1.95	-	3.27	3.64	0.49	(1.61)	2.52	0.75	1.44
वाहन	9.37	1.94	2.57	-	8.74	4.71	1.61	(2.57)	3.75	4.99	4.66
भूमि – उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.3.1(ख) और 2.3.2 देखें)**	1,572.45	176.00	-	688.14	2,436.59	55.38	11.38	(1.86)	64.90	2,371.69	1,517.07
कुल	**1,902.72**	**178.24**	**5.10**	**687.89**	**2,763.75**	**119.60**	**24.83**	**(6.38)**	**138.05**	**2,625.70**	**1,783.12**
विगत वर्ष	1,846.69	55.11	1.18	2.10	1,902.72	93.77	24.42	1.41	119.60	1,783.12	

टिप्पणी:–

2.3.1 (क) कंपनी के नाम पर धारित न की गई पट्टाधारित भूमि के पट्टा विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध-I** के रूप में दिया गया है।

(ख) भूमि–उपयोग के अधिकार में वह वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग ने केवल परियोजना द्वारा उपयोग के लिए डायवर्ट किया है।

2.3.2 'भूमि के उपयोग का अधिकार' के अंतर्गत सकल ब्लॉक में समायोजन दिबांग बेसिन परियोजना से संबंधित भूमि के संबंध में है जिसे 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर' से पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

2.3.3 परिसंपतियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी संख्या 34(18)** देखें।

2.3.4 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यमह्रास के अनुसार उपयोग का अधिकार वाली परिसम्पतियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-1:- 31 मार्च, 2023 को कंपनी के नाम पर धारित न की गई लीज होल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख/म्यूटेशन

तुलन–पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य (मानी गई लागत पर) (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार– लीजहोल्ड भूमि	भूमि (122.93 हेक्टेयर)	140.86	एनएचपीसी के कब्जे के अधीन जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (28.13 हेक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006-2011	उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (219.56 हेक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (70.98 हेक्टेयर)	3.37	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2021	सौर परियोजना गंजम के संबंध में, पट्टा करार प्रक्रियाधीन है।
	भूमि (3.99 हेक्टेयर)	0.27	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी)	नहीं	31.07.2003	चुटक पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (7.72 हेक्टेयर)	0.19	जेकेएसपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू व कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए मामला जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू–कश्मीर) के साथ नियमित पत्राचार के अधीन है। संबंधित राज्य विभाग से एनओसी अभी भी प्रतीक्षित है।
	भूमि (11.32 हेक्टेयर)	0.15	7.87 हेक्टेयर निजी भूमि और 3.45 हेक्टेयर सरकारी भूमि	नहीं	1991-92	उड़ी-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय/राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।
	भूमि (0.22 हेक्टेयर)	0.05	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.2010	निम्मो बाजगो पावर स्टेशन के संबंध में, एनएचपीसी के पक्ष में स्वामित्व विलेख के निष्पादन के लिए पट्टा विलेख का प्रारूप तहसीलदार, लेह को प्रदान किया गया है।
	भूमि (1.56 हेक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
कुल	**466.41 gDVi; j**	**169.59**				

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-II परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि – पट्टाधारित	328.71	0.16	0.59	-	328.28	68.76	11.35	(0.10)	80.01	248.27	259.95
पट्टे के अधीन भवन	5.08	0.14	1.95	-	3.27	3.64	0.49	(1.61)	2.52	0.75	1.44
वाहन	9.37	1.94	2.57	-	8.74	4.71	1.61	(2.57)	3.75	4.99	4.66
भूमि–उपयोग का अधिकार	1,597.68	176.00	-	690.00	2,463.68	80.61	11.38	-	91.99	2,371.69	1,517.07
कुल	**1,940.84**	**178.24**	**5.11**	**690.00**	**2,803.97**	**157.72**	**24.83**	**(4.28)**	**178.27**	**2,625.70**	**1,783.12**
विगत वर्ष	1,886.93	55.11	1.18	(0.02)	1,940.84	134.01	24.42	(0.71)	157.72	1,783.12	

टिप्पणी सं. 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – पट्टाधारित **(टिप्पणी 2.3.1 (क) देखें)**	311.94	4.09	0.45	0.24	315.82	44.37	11.40	0.10	55.87	259.95	267.57
पट्टे के अधीन भवन	5.40	0.41	0.73	-	5.08	3.05	1.14	(0.55)	3.64	1.44	2.35
वाहन	4.40	4.97	-	-	9.37	3.14	1.57	-	4.71	4.66	1.26
भूमि – उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.3.1(ख) देखें)**	1,524.95	45.64	-	1.86	1,572.45	43.21	10.31	1.86	55.38	1,517.07	1,481.74
कुल	**1,846.69**	**55.11**	**1.18**	**2.10**	**1,902.72**	**93.77**	**24.42**	**1.41**	**119.60**	**1,783.12**	**1,752.92**
विगत वर्ष	1,904.18	3.04	18.12	(42.41)	1,846.69	77.20	25.30	(8.73)	93.77	1,752.92	

टिप्पणी:–

2.3.1 (क) कंपनी के नाम पर धारित न की गई लीजहोल्ड भूमि के पट्टा विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-I के रूप में दिया गया है।

(ख) भूमि–उपयोग के अधिकार में वह वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग ने केवल परियोजना द्वारा उपयोग के लिए डायवर्ट किया है।

2.3.2 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी संख्या 34(18) देखें।**

2.3.3 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यमह्रास के अनुसार उपयोग का अधिकार वाली परिसम्पतियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-I :- 31 मार्च, 2022 को कंपनी के नाम पर धारित न की गई लीज होल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख/म्यूटेशन

तुलन–पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य (मानी गई लागत पर) (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
	भूमि (122.93 हेक्टेयर)	140.86	एनएचपीसी के कब्जे के अधीन जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (28.13 हेक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006-2011	उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (219.56 हेक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (70.98 हेक्टेयर)	3.21	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2021	सौर परियोजना गंजम के संबंध में, पट्टा करार प्रक्रियाधीन है।
	भूमि (3.99 हेक्टेयर)	0.27	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी)	नहीं	31.07.2003	चुटक पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार– लीजहोल्ड भूमि	भूमि (7.72 हेक्टेयर)	0.19	जेकेएसपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू व कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए मामला जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू–कश्मीर) के साथ नियमित पत्राचार के अधीन है। संबंधित राज्य विभाग से एनओसी अभी भी प्रतीक्षित है।
	भूमि (11.32 हेक्टेयर)	0.15	7.87 हेक्टेयर निजी भूमि और 3.45 हेक्टेयर सरकारी भूमि	नहीं	1991-92	उड़ी-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय/राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।
	भूमि (0.22 हेक्टेयर)	0.05	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.2010	निम्मो बाजगो पावर स्टेशन के संबंध में, एनएचपीसी के पक्ष में स्वामित्व विलेख के निष्पादन के लिए पट्टा विलेख का प्रारूप तहसीलदार, लेह को प्रदान किया गया है।
	भूमि (1.56 हेक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
	भूमि (2.72 हेक्टेयर)	0.00	सरकारी भूमि	नहीं	2004	सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
कुल	**469.13 हेक्टेयर**	**169.43**				

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-II परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – पट्टाधारित	325.09	4.09	0.45	(0.02)	328.71	57.52	11.40	(0.16)	68.76	259.95	267.57
पट्टे के अधीन भवन	5.40	0.41	0.73	-	5.08	3.05	1.14	(0.55)	3.64	1.44	2.35
वाहन	4.40	4.97	-	-	9.37	3.14	1.57	-	4.71	4.66	1.26
भूमि–उपयोग का अधिकार	1,552.04	45.64	-	-	1,597.68	70.30	10.31	-	80.61	1,517.07	1,481.74
कुल	**1,886.93**	**55.11**	**1.18**	**(0.02)**	**1,940.84**	**134.01**	**24.42**	**(0.71)**	**157.72**	**1,783.12**	**1,752.92**
विगत वर्ष	1,946.54	3.04	18.12	(44.53)	1,886.93	119.56	25.30	(10.85)	134.01	1,752.92	

टिप्पणी सं. 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
विगत वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

टिप्पणी:–

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य

2.4.2 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
निवेश संपत्ति के उचित मूल्य	98.01	78.90

2.4.3 निवेश संपत्ति में वह फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, कंपनी संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। प्रकट किया गया उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम (2) के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है और इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर-II में माना गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
विगत वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

टिप्पणी:–

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य

2.4.2 निवेश संपत्ति के उचित मूल्य के संबंध में प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
निवेश संपत्ति के उचित मूल्य	78.90	72.87

2.4.3 निवेश संपत्ति में वह फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, कंपनी संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। प्रकट किया गया उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम (2) के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है और इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर-II में माना गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	19.82	3.58	1.67	-	21.73	16.71	3.46	(1.52)	18.65	3.08	3.11
कुल	**19.82**	**3.58**	**1.67**	**-**	**21.73**	**16.71**	**3.46**	**(1.52)**	**18.65**	**3.08**	**3.11**
विगत वर्ष	15.59	4.23	-	-	19.82	12.07	4.63	0.01	16.71	3.11	

टिप्पणी:–

2.5.1 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यमह्रास के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-I में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध– I अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	56.97	3.58	4.78	-	55.77	53.86	3.46	(4.63)	52.69	3.08	3.11
कुल	**56.97**	**3.58**	**4.78**	**-**	**55.77**	**53.86**	**3.46**	**(4.63)**	**52.69**	**3.08**	**3.11**
विगत वर्ष	52.87	4.23	0.05	(0.08)	56.97	49.35	4.63	(0.12)	53.86	3.11	

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	15.59	4.23	-	-	19.82	12.07	4.63	0.01	16.71	3.11	3.52
कुल	**15.59**	**4.23**	**-**	**-**	**19.82**	**12.07**	**4.63**	**0.01**	**16.71**	**3.11**	**3.52**
विगत वर्ष	10.96	5.03	0.17	(0.23)	15.59	10.24	2.22	(0.39)	12.07	3.52	

टिप्पणी:–

2.5.1 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यह्रास के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध-I** में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध– I अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	52.87	4.23	0.05	(0.08)	56.97	49.35	4.63	(0.12)	53.86	3.11	3.52
कुल	**52.87**	**4.23**	**0.05**	**(0.08)**	**56.97**	**49.35**	**4.63**	**(0.12)**	**53.86**	**3.11**	**3.52**
विगत वर्ष	48.59	5.03	0.47	(0.28)	52.87	47.87	2.22	(0.74)	49.35	3.52	

टिप्पणी सं. 3.1: गैर–चालू निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
क. **उद्धृत इक्विटी दस्तावेज – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कारपोरेट निकाय**				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) **(टिप्पणी संख्या 3.1.1क देखें)** (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	102.06	12000000	98.70
d|y ¼d½		**102.06**		**98.70**
ख. **अनुद्धृत इक्विटी दस्तावेज – लागत पर**				
(i) सहायक कम्पनियां (पूर्णतः प्रदत्त)				
- एनएचडीसी लिमिटेड (1000/–रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	10024200	1,002.42	10024200	1,002.42
- लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	105562309	105.56	103342309	103.34
- बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	86220893	86.22	84220893	84.22
- लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1724410000	1,724.41	1440500000	1,440.50
- जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	281486000	281.49	281486000	281.49
- रत्ले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	137700000	137.70	136140000	136.14
- एनएचपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	20000000	20.00	-	-
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)				
प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/– अंकित मूल्य पर प्राप्त किया गया कीमत	1943311286	1,943.31	-	-
प्रत्येक 10.27 रुपये पर अधिग्रहित 10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य **(टिप्पणी 3.1.5 देखें)**	4080000	4.19	-	-
घटाएं: निवेश के मूल्य में हानि (एलडीएचसीएल) (टिप्पणी सं 3.1.6 देखें)		**105.56**		**-**
उप–जोड़ ख (i)		**5,199.74**		**3,048.11**
(ii) संयुक्त उद्यम (पूर्णतः प्रदत्त)				
- नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (पी) लिमिटेड (एनएचपीटीएल) (10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	30400000	30.40	30400000	30.40
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (10/– रूपए प्रत्येक के अंकित मूल्य पर अधिग्रहित)	-	-	1835371286	1,835.37
प्रत्येक 10.27 रुपये पर अधिग्रहित 10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य **(टिप्पणी 3.1.5 देखें)**	-	-	4080000	4.19
घटाएं: निवेश के मूल्य में हानि (एनएचपीटीएल) (टिप्पणी सं 3.1.6 देखें)		**30.40**		**14.07**
उप–जोड़ ख (ii)		**-**		**1,855.89**
कुल (ख) = (i+ii)		**5,199.74**		**4,904.00**
ग. **उद्धृत ऋण दस्तावेज – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर**				
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4 देखें)				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च, 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	150000	158.43

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितंबर, 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	12.53	12380	13.12
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितंबर, 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	59.31	57000	61.82
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त, 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	18.63	17940	19.39
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी, 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	37.11	35000	38.20
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त, 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	36.31	34000	37.17
उप जोड़ (क)		**163.89**		**328.13**
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट के बांड				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	14.58	120	13.79
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (1000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.56	100000	12.23
8.48 एनएचएआई कर मुक्त बाण्ड 22.11.2028 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	55.13	473	57.49
उप जोड़ (ख)		**81.27**		**83.51**
कुल (ग) (क + ख)		**245.16**		**411.64**
कुल (क + ख + ग)		**5,546.96**		**5,414.34**

3.1.1	(i) उद्धृत निवेश की समग्र राशि और बाजार मूल्य	347.22	510.34
	(ii) अनुद्धृत निवेश की समग्र राशि	5199.74	4904.00

3.1.1 क. कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 6 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) से वापसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। कंपनी पीटीसी से बाहर निकलने के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए अन्य प्रवर्तकों के साथ चर्चा कर रही है। इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक, पीटीसी में निवेश को गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा गया है।

3.1.2 212.80 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 174.31 करोड़ रूपए) लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों (गैर चालू और चालू) में निवेश को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परिपक्व हो रहे बांड के कुल चुकौती मूल्य के 15 प्रतिशत होते हुए प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है।

3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथा अपेक्षित निवेश के ब्यौरे उपर्युक्त टिप्पणी सं. 3.1 के अंतर्गत प्रकट किये गये हैं।

3.1.4 उद्धृत ऋण दस्तावेजों के संबंध में बाजार मूल्य, जिसके लिए पिछला उद्धरण उपलब्ध नहीं है, उसे फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर माना गया है।

3.1.5 दिनांक 21.11.2022 को एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में एक अनुपूरक प्रमोटर्स करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल का नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके मुताबिक, सीवीपीपीपीएल में निवेश का प्रकटन सहायक कंपनी में निवेश के अंतर्गत किया गया है।

3.1.6 **निवेश के मूल्य में हानि:** वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रमशः लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) में निवेश के संबंध में 105.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्षः शून्य) और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (पी) लिमिटेड (एनएचपीटीएल) में निवेश के संबंध में 16.33 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.07 करोड़ रुपये) का हानि प्रावधान किया है। सहायक और संयुक्त उद्यम में निवेश के संबंध में हानि प्रावधान में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आरंभिक शेष	14.07	-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	121.89	14.07
अंतिम शेष	**135.96**	**14.07**

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर–चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी 3.2.1, 3.2.2 और 3.2.3 देखें)**	399.45	-
कुल	**399.45**	**-**

3.2.1 गैर चालू व्यापार प्राप्यों का एजिंग शेड्यूल

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माने गए – देय नहीं	399.45	-
3.2.2 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अलग–अलग अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा क्रमशः फर्मों अथवा निजी कंपनियों, जिसमें कंपनी का कोई भी निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है, द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य
3.2.3 कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और अन्य संबंधित पक्षकारों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य

3.2.4 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरण का नोट 34(13) देखें।

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर–चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	परिशोधित लागत पर		
क	**संबद्ध पक्षकार को ऋण – हुई हानि – अप्रतिभूतित (टिप्पणी 34(8), 3.3.1, 3.3.2 और एवं 3.3.7 देखें)**	15.64	17.48
	घटाएँ: संबंधित पक्षकार को संदिग्ध ऋण के लिए हानि प्रावधान **(नोट 3.3.4 देखें)**	15.64	-
	उप–जोड़	**-**	**17.48**
ख	**कर्मचारियों को ऋण (उपार्जित ब्याज सहित) (टिप्पणी 3.3.2 और 3.3.3 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	178.96	137.27
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	35.66	59.92
	उप–जोड़	**214.62**	**197.19**
ग	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.3.5 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	875.18	802.92
	उप–जोड़	**875.18**	**802.92**
	कुल	**1,089.80**	**1,017.59**
3.3.1	**व्यावसायिक उद्देश्य के लिए संबंधित पक्षकारों को दिया गया ऋणः–**		
	– नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (पी) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	15.64	17.48
	कुल	**15.64**	**17.48**

चुकौती का ब्यौराः– दिनांक 11.05.2018 और 31.03.2021 को क्रमशः 6.00 करोड़ रुपये और 12.40 करोड़ रुपये राशि का ऋण दिया गया था। इस ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज 10% प्रति वर्ष, वार्षिक रूप से संयोजित है तथा ऋण की अदायगी दिनांक 31.10.2022 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में की जा सकती है। ब्याज दिनांक 30.04.2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक देय है।

3.3.2	ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
	ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो बिना किसी शर्त अथवा चुकौती की अवधि का उल्लेख किए बिना हैं।	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3.3.3	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से बकाया **(एकल वित्तीय विवरण का नोट 34(8) देखें।)**	शून्य	0.34
3.3.4	**संबंधित पक्षकार को संदिग्ध ऋण के लिए हानि छूट**		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	15.64	-
	अंतिम शेष	**15.64**	**-**
	एनएचपीटीएल के पक्ष में जारी ऋण दिनांक 31.10.2022 से शुरू होकर 20 समान अर्ध–वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना था। तथापि, दिनांक 31.10.2022 को देय ब्याज और किश्त के पुनर्भुगतान में चूक पर विचार करते हुए, कंपनी ने वर्ष के दौरान बकाया ऋण के लिए हानि प्रावधान को मान्यता दी है।		
3.3.5	व्यवसाय के लिए मंजूर अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण में निम्नलिखित शामिल है:		
	– मूलधन	225.00	225.00
	– ब्याज	650.18	577.92
3.3.6	ऋण वे गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। वहनीय मूल्य दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है।		
3.3.7	उन फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई भी निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है।	शून्य	शून्य
3.3.8	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार अपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 3.3 के तहत प्रकट किया गया है।		
3.3.9	शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।		

टिप्पणी संख्या 3.4 गैर–चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	**प्रतिभूति जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	25.33	23.19
	उप–जोड़	**25.33**	**23.19**
ख	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि **(टिप्पणी 3.4.2 देखें)**	0.35	0.35
ग	पट्टा किराया प्राप्य **(टिप्पणी 3.4.4 और 34(16)(ग) देखें)**	2,273.62	2,435.91
घ	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी 3.4.1 और 11(I) देखें)**	2,017.20	2,017.20
ङ	निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज:		
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	0.02	-
च	व्युत्पन्न बाजार से बाजार परिसंपत्ति	0.24	22.35
छ	विलंबित भुगतान के कारण प्राप्य अधिभार	5.64	-
ज	शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आबंटन **(टिप्पणी 3.4.3 देखें)**	224.69	3.78
	कुल	**4,547.09**	**4,502.78**

3.4.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें।

3.4.2 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियों में 0.35 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.35 करोड़ रुपये) का एफडीआर शामिल है जिसे कंपनी द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने के लिए जारी बैंक गारंटी के निमित्त 100% मार्जिन राशि प्रदान करने के लिए लिया गया है।

3.4.3 शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन में निम्नलिखित सहायक कंपनियों में शेयर पूंजी के अभिदान के निमित्त अंशदान शामिल है:–

	सहायक कंपनी	31 ekp] 2023 dk	31 ekp] 2022 dk
(i)	**चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)** **शेयर आवंटन की तारीख:** 122.14 करोड़ रुपये: 04.04.2023 102.55 करोड़ रुपये: 13.04.2023	224.69	-
(ii)	**लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (शेयर आवंटन की तारीख 13 अप्रैल, 2022)	-	2.22
(iii)	**रत्ले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (शेयर आवंटन की तारीख 1 अप्रैल, 2022)	-	1.56
	कुल	**224.69**	**3.78**

3.4.4 सुरक्षा के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में एकल वित्तीय विवरण का नोट 34(9) देखें।

3.4.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी संख्या 4 गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	726.90
घटाएं: वर्तमान कर के लिए प्रावधान	-	719.74
गैर–वर्तमान कर **(टिप्पणी संख्या 23 देखें)**	30.27	2.36
dqy	**30.27**	**9.52**

टिप्पणी सं. 5: अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**पूंजी अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	49.27	64.07
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		
	– बैंक गारंटी के बदले	79.25	150.04
	– अन्य	244.91	370.90
	घटाएं: लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र में बुक किए गए व्यय	2.09	19.28
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	6.08	6.07
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)**	6.08	6.07
	उप जोड़	**371.34**	**565.73**
ख.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
i)	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	50.41	51.15
	उप जोड़	**50.41**	**51.15**
ग.	**प्रोद्भूत ब्याज**		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	1.86	1.44
घ.	**अन्य**		
i)	**पूंजीगत कार्यों के निमित्त मध्यस्थता निर्णयों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूतित)**		
	ठेकेदारों को जारी – बैंक गारंटी के बदले	1,231.31	1,140.40

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	ठेकेदारों को जारी – अन्य	34.61	34.61
	न्यायालय में जमा किए गए	1,419.50	1,420.48
	उप जोड़	**2,685.42**	**2,595.49**
ii)	**पूर्व प्रदत्त व्यय**	2.79	3.06
iii)	**आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	220.22	260.15
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	221.66	224.43
	उप जोड़	**441.88**	**484.58**
iv)	कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों पर आस्थगित लागत	49.07	52.51
	कुल	**3,602.77**	**3,753.96**
5.1	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	6.07	6.07
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.01	-
	अंतिम शेष	**6.08**	**6.07**
5.2	**कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय (एकल वित्तीय विवरण का नोट 34(8) देखें।)**	शून्य	शून्य
5.3	उन फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य
5.4	शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 6: मालसूची

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(लागत अथवा निवल वसूली मूल्य के न्यूनतम पर मूल्यांकित)		
	भंडार तथा कलपुर्जे	147.49	130.26
	भंडार तथा कलपुर्जे – मार्गस्थ भंडार/लंबित निरीक्षण	0.03	0.12
	खुले औजार	3.08	2.48
	रद्दी मालसूची	0.71	1.15
	कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन यूनिटें (वीसीयू)	2.32	-
	घटाएं: अप्रचलन तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)**	3.15	3.71
	कुल	**150.48**	**130.30**
6.1	**अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	3.71	8.50
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)**	0.32	0.60
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी संख्या 6.1.2 देखें)**	0.88	5.39
	अंतिम शेष	**3.15**	**3.71**
6.1.1	वर्ष के दौरान, निवल वसूलीयोग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित मालसूची और लाभ तथा हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.32	0.60
6.1.2	पूर्ववर्ती वर्ष में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.88	5.39

टिप्पणी सं. 7.1: वित्तीय परिसंपत्तियां – चालू – निवेश

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
उद्धृत ऋण दस्तावेज – अन्य व्यापक आय (ओसीआइ) के माध्यम से उचित मूल्य पर	151.35	-
सरकारी प्रतिभूतियां		
8.35% एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च, 2024 **(टिप्पणी 7.1.1 देखें)**		
(बॉण्डों की संख्या 150000, 10000/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)		
कुल	**151.35**	**-**
7.1.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परिपक्व होने वाले बॉण्ड के निमित्त निर्धारित प्रतिभूति के लिए टिप्पणी 3.1.2 देखें।		

टिप्पणी सं. 7.2: वित्तीय परिसंपत्तियां – चालू – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
– व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी संख्या 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 और 7.2.7 देखें)**	2,730.66	2,660.17
– व्यापार प्राप्य – बिल न किए गए – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी संख्या 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5 और 7.2.9 देखें)**	2,756.93	1,961.31
– व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण **(टिप्पणी संख्या 7.2.2 और 7.2.4 देखें)**	35.37	35.33
घटाएं – व्यापार प्राप्य के लिए हानि प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 7.2.1 देखें)**	35.37	35.33
कुल	**5,487.59**	**4,621.48**
7.2.1 व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	35.33	33.76
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.04	3.95
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	2.38
अंतिम शेष	**35.37**	**35.33**
7.2.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	Nil	Nil
7.2.3 कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	11.65	17.60
7.2.4 व्यापार प्राप्तियों का समय बढ़ने की अनुसूची के लिए अनुबंध-I की टिप्पणी संख्या–7.2 देखें।		
7.2.5 निम्न के कारण प्राप्य दर्शाता है:		
जल उपयोग प्रभार	165.53	11.32
मार्च माह के लिए बिल न की गई बिक्री	428.22	585.16
2009–14 के लिए एनएपीएएफ में संशोधन – सेवा-II पावर स्टेशन **(टिप्पणी संख्या 7.2.9 देखें)**	32.97	32.97
प्रतिभूति व्यय सहित नए विनियम 2019–24 के अनुसार एएफसी बिल और वसूलीयोग्य का प्रभाव	1,871.16	1,071.80
पुनःवित्तपोषण और बॉण्ड इश्यू व्ययों के कारण बचत	(21.00)	(23.22)
आस्थगित कर कार्यान्वयन सहित कर समायोजन	(99.58)	15.94
ऊर्जा की कमी	354.32	212.20
एमईए बिक्री	7.44	6.11
विदेशी विनिमय दर अंतर	31.57	44.78
अन्य	(13.70)	4.25
कुल	**2,756.93**	**1,961.31**

7.2.6 वर्तमान प्राप्यों की अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनकी वहनीय राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

7.2.7 विभिन्न बैंकों से बिलों में छूट के माध्यम से परिसमाप्त 948.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1323.90 करोड़ रुपये) की राशि के व्यापार प्राप्यों को बिल छूट करारों की शर्तों के अनुसार विमान्यकृत किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों से चूक के मामले में क्रेडिट हानियों के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताओं के संबंध में टिप्पणी 20.1.1 देखें।

7.2.8 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

7.2.9 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अपने दिनांक 05.02.2020 के आदेश में याचिका संख्या 281/जीटी/2018 ने वर्ष 2010–14 की अवधि के लिए एनएपीएएफ को 80% की तुलना में 90% की अनुमति दी, जैसा कि याचिका संख्या 57/2010 में दिनांक 06.09.2010 के अपने पहले के आदेश में इस शर्त के साथ अनुमति दी गई थी कि प्रोत्साहन की वसूली 80% से अधिक की बजाए 90% से अधिक की अनुमति दी जाएगी। चूंकि उक्त शर्त टैरिफ विनियम 2009–14 के दायरे से बाहर है, इसलिए दिनांक 05.02.2020 के समीक्षा आदेश के विरुद्ध माननीय विद्युत अपील अधिकरण (एपटेल) के समक्ष अपील दायर की गई है। एपटेल के लंबित निर्णय, वित्तीय वर्ष 2021–2022 में एनएपीएएफ के संबंध में प्रोत्साहन के विरुद्ध 80% से अधिक और 90% तक बुक किए गए बिना बिल वाले राजस्व को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. 7.2 का अनुबंध-I

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार (करोड़ रुपये में)

विवरण	बिल न की गई	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए व्यापार प्राप्य देय और बकाया:					कुल
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	2,756.93	1,237.82	1,399.71	18.29	30.53	24.01	20.30	**5,487.59**
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण	-	-	-	-	-	-	35.37	**35.37**
कुल	**2,756.93**	**1,237.82**	**1,399.71**	**18.29**	**30.53**	**24.01**	**55.67**	**5,522.96**

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार (करोड़ रुपये में)

विवरण	बिल न की गई	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए व्यापार प्राप्य देय और बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	1961.31	55.82	2,126.43	432.95	24.03	19.09	1.85	**4,621.48**
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण	-	-	-	-	-	-	35.33	**35.33**
कुल	**1,961.31**	**55.82**	**2,126.43**	**432.95**	**24.03**	**19.09**	**37.18**	**4,656.81**

टिप्पणी सं. 8: वित्तीय परिसंपत्तियां – चालू – नकदी और नकदी समतुल्य

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	**बैंकों के पास शेष**		
	अनुसूचित बैंकों के पास		
i)	चालू खाते में	382.66	937.78
ख	**हस्तगत नकदी (टिप्पणी सं. 8.1 देखें)**	0.01	-
	कुल	**382.67**	**937.78**
8.1	इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं	0.01	-

टिप्पणी सं. 9: चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	3 माह से अधिक 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा **(टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)**	101.04	86.76
ख	जमा – भुगतान न किया गया लाभांश **(टिप्पणी संख्या 9.2 और 9.4 देखें)**	52.30	47.54
ग	जमा – भुगतान न किया गया ब्याज	87.22	87.17
ग	बैंकों के पास अन्य अभिनिर्धारित शेष **(टिप्पणी संख्या 9.3 देखें)**	14.99	1.46
	कुल	**255.55**	**222.93**
9.1	इसमें ऐसे शेष शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं:		
	(i) अन्य एजेसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु धारित हैं।	84.74	86.76
	(ii) विद्युत क्रय करार खंड के संदर्भ में 2000 मेगावाट की सौर योजना के अंतर्गत प्राप्त मूलधन और ब्याज को भुगतान सुरक्षा निधि के रूप में धारित हैं।	16.30	-
9.2	देय अप्रदत्त लाभांश की राशि 22.99 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 24.64 करोड़ रुपये) और लाभांश पर टीडीएस 29.31 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 22.90 करोड़ रुपये) शामिल है।		
9.3	इसमें ऐसे शेष शामिल है जो कंपनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं:		
	(i) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित	1.45	0.87
	(ii) माननीय उच्च न्यायालय, सिक्किम के आदेश के अनुपालन में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत कोष	0.61	0.59
	(iii) ऋणदाता (एचडीएफसी बैंक) को चमेरा-I पावर स्टेशन के आरओई के प्रतिभूतिकरण के कारण मासिक किस्त के भुगतान के लिए धारित	12.93	शून्य
9.4	वर्ष के दौरान, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को 3.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.80 करोड़ रुपये) के अप्रदत्त लाभांश का भुगतान किया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है। **(टिप्पणी 20.4.2 देखें)**		

टिप्पणी सं. 10: चालू – वित्तीय परिसंपत्ति – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**संबंधित पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित) – अप्रतिभूतित (टिप्पणी सं. 34(8), 10.1 और 10.2 देखें)**		
	ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए	60.06	0.92
	ऋण प्राप्य – क्रेडिट हानि	3.18	0.42
	घटाएं: संबंधित पक्षकार को संदिग्ध ऋण के लिए क्षति प्रावधान **(टिप्पणी सं. 10.4 देखें)**	3.18	0.42
	उप जोड़	**60.06**	**0.92**
ख.	कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) **(टिप्पणी संख्या 10.2 और 10.3 देखें)**		
	अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	22.76	17.47
	अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	31.77	37.29
	– क्रेडिट हानि – अप्रतिभूतित	0.01	0.01
	घटाएं: कर्मचारियों के संदिग्ध ऋणों के लिए क्षति प्रावधान (टिप्पणी संख्या 10.5 देखें)	0.01	0.01
	उप जोड़	**54.53**	**54.76**
	कुल	**114.59**	**55.68**
10.1	**व्यावसायिक उद्देश्य के लिए संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋण (उस पर ब्याज सहित) :–**		
	– नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (पी) लिमिटेड (एनएचपीटीएल) **(संदर्भ 'क')**	3.18	1.34
	– लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) **(संदर्भ 'ख')**	60.06	-
	कुल	**63.24**	**1.34**

(क) चुकौती का ब्यौरा:– एनएचपीटीएल को 6.00 करोड़ रुपये और और 12.40 करोड़ रुपये की राशि का ऋण क्रमश: दिनांक 11.05.2018 और 31.03.2021 जारी किया गया था। इस ऋण पर प्रति वर्ष 10% की दर से ब्याज लगेगा, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा और दिनांक 31.10.2022 से शुरू होकर 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा। ब्याज दिनांक 30.04.2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक देय है। उपर्युक्त बकाया राशि में 2.76 करोड़ रुपये के ऋण की वर्तमान परिपक्वता और दिनांक 31.03.2023 तक 0.42 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल है।

(ख) चुकौती का ब्यौरा:– 60.00 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण 8.32% प्रति वर्ष की दर पर दिनांक 27.03.2023 को प्रदान किया गया। ऋण जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर चुकाना होगा। ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर अगली तिमाही के पहले कार्य दिवस पर किया जाएगा। बकाया राशि में 31 मार्च, 2023 तक 0.06 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल है।

10.2	ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
	ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो बिना किसी शर्त अथवा चुकौती की अवधि का उल्लेख किए बिना हैं।	शून्य	शून्य
10.3	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से बकाया है **(एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(8) देखें)**	0.03	0.08
10.4	**संबंधित पक्षकार को संदिग्ध ऋण के लिए हानि प्रावधान**		
	आरंभिक शेष	0.42	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	2.76	0.42
	अंतिम शेष	**3.18**	**0.42**

	एनएचपीटीएल के पक्ष में जारी ऋण दिनांक 31.10.2022 से शुरू होकर 20 समान अर्ध–वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना था। तथापि, दिनांक 31.10.2022 को देय ब्याज और किश्त के पुनर्भुगतान में चूक पर विचार करते हुए, कंपनी ने वर्ष के दौरान बकाया ऋण के लिए एक हानि प्रावधान को मान्यता दी है।		
10.5	**संदिग्ध कर्मचारी ऋणों के लिए हानि प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
	अंतिम शेष	**0.01**	**0.01**
10.6	ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य
10.7	यह ऋण गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित अथवा परिवर्तनीय ब्याज आय सृजित करती हैं। प्रतिपक्षकारों के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन से वहनीय मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
10.8	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया गया है।		
10.9	शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 11: चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**प्रतिभूति जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	1.10	0.36
	उप जोड़	**1.10**	**0.36**
ख.	**प्राप्य राशि**	725.09	741.80
	घटाएं – संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु हानि प्रावधान **(टिप्पणी सं. 11.1 देखें)**	287.14	282.62
	उप जोड़	**437.95**	**459.18**
ग.	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	4.19	55.92
घ.	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	29.56	78.71
ङ.	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) **(टिप्पणी सं. 11.3 और 34(16)(ग) देखें)**	134.03	119.31
च.	बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज आय **(टिप्पणी सं. 11.2 देखें)**	0.47	0.68
छ.	लाभार्थी से वसूलीयोग्य ब्याज	-	10.55
ज.	निवेश (बॉण्ड) पर प्रोद्भूत ब्याज	2.53	2.53
झ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों पर वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी सं. 3.3(घ) देखें)**		
	– प्रोद्भूत ब्याज	4.49	4.49
	कुल	**614.32**	**731.73**
11.1	**संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु हानि प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	282.62	275.15
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	5.68	9.03
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.12	1.38
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.04	0.18
	अंतिम शेष	**287.14**	**282.62**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
11.2	अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष राशि पर अर्जित ब्याज शामिल है और कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	0.38	0.60

11.3 प्रतिभूति के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में एकल वित्तीय विवरण की **टिप्पणी संख्या 34(9) देखें।**

11.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 12: चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	चालू कर परिसंपत्तियां		
क.	स्रोत पर काटे गए कर सहित अग्रिम आय कर	2,099.02	1,340.04
ख.	घटाएं: चालू कर के लिए प्रावधान	1,967.99	1,218.67
	निवल चालू कर परिसंपत्तियां (क–ख)	**131.03**	**121.37**
	वापसीयोग्य आय कर	1.80	1.80
	कुल	**132.83**	**123.17**

टिप्पणी सं. 13: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
क)	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	26.16	27.68
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	84.89	84.89
	घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.1 देखें)**	84.89	84.89
	उप जोड़	**26.16**	**27.68**
ख)	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम **(टिप्पणी सं 13.7 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	0.12	0.38
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		
	– बैंक गारंटी के प्रति	0.43	0.66
	– अन्य	21.83	44.23
	घटाएं: लंबित उपयोग प्रमाणपत्र के लिए बुक किया गया व्यय	0.82	17.45
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	45.52	45.52
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.2 देखें)**	45.52	45.52
	उप जोड़	**21.56**	**27.82**
ग)	**अन्य अग्रिम – कर्मचारी**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी सं 13.6 देखें)**	1.05	0.80
	उप जोड़	**1.05**	**0.80**
घ)	**निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज:**		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	0.75	1.67
	उप जोड़	**0.75**	**1.67**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ख.	**अन्य**		
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
	घटाएं: पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.3 देखें)**	37.06	37.06
	उप जोड़	-	-
ख)	पश्च लेखन स्वीकृति/लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	2.71	12.32
	घटाएं: लंबित जांच/पश्चलेखन की प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.4 देखें)**	2.71	12.32
	उप जोड़	-	-
ग)	**पूर्वप्रदत्त व्यय**	144.57	144.65
घ)	**कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत**	11.02	11.65
ङ)	**आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	44.02	44.02
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	6.36	6.36
च)	**अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं 13.8 देखें)**	7.74	6.81
छ)	**प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट क्रेडिट**	102.34	77.24
	घटाएं: प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट क्रेडिट के निमित्त प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.5 देखें)**	84.27	44.63
	उप जोड़	**18.07**	**32.61**
ज)	अन्य (मुख्यत: संविदाकारों को जारी सामग्री के संबंध में)	124.67	137.07
	कुल	**405.97**	**441.14**
13.1	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	84.89	74.79
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	10.10
	अंतिम शेष	**84.89**	**84.89**
13.2	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)**		
	प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
	अंतिम शेष	**45.52**	**45.52**
13.3	**पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
	अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**
13.4	**जांच लंबित/पश्चलेखन प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	12.32	8.47
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	6.28
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	9.57	2.22
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.04	0.21
	अंतिम शेष	**2.71**	**12.32**
13.5	**प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट क्रेडिट के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	44.63	13.54
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	39.64	31.09
	अंतिम शेष	**84.27**	**44.63**
13.6	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय **(एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(8) देखें)**	शून्य	शून्य
13.7	उन फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य

13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।

13.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 14: विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क)	**सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष**		
	प्रारंभिक शेष	3,470.59	3,470.59
	अंतिम शेष	**3,470.59**	**3,470.59**
(ख)	**तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन**		
	प्रारंभिक शेष	456.38	570.58
	वर्ष के दौरान समायोजन (लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से) **(टिप्पणी सं. 31 देखें)**	(462.87)	(116.53)
	वर्ष के दौरान समायोजन (अन्य व्यापक आय के माध्यम से) **(टिप्पणी सं. 30.2 देखें)**	6.49	2.33
	अंतिम शेष	**-**	**456.38**
(ग)	**किशनगंगा पावर स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण अंतरीय मूल्यह्रास**		
	प्रारंभिक शेष	761.46	563.11
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	199.36	198.35
	अंतिम शेष	**960.82**	**761.46**
(घ)	**मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर**		
	प्रारंभिक शेष	1.55	1.72
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	1.10	(0.17)
	अंतिम शेष	**2.65**	**1.55**
(ङ)	**2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीयोग्य आस्थगित कर के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	1,404.04	1,453.56
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	56.09	49.52
	अंतिम शेष	**1,347.95**	**1,404.04**
(च)	**2014–2019 और उससे आगे की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	854.09	843.37
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	1.18	10.72
	वर्ष के दौरान प्रत्यवर्तित **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	217.16	-
	अंतिम शेष	**638.11**	**854.09**
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**6,420.12**	**6,948.11**
	घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	(8.56)	(290.28)
	जोड़ें: लाभार्थियों से वसूलीयोग्य आस्थगित कर	(8.56)	(290.28)
	आस्थगित कर का निवल विनियामक आस्थगित लेखा शेष	**6,420.12**	**6,948.11**

14.1.1 हानि और विनियामक आस्थगन लेखा शेष के संबंध में और अधिक प्रकटन के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) और 34(22) देखें।

टिप्पणी संख्या 14.2: विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
लाभार्थियों को दिया जाने वाला एमएटी क्रेडिट		
प्रारंभिक शेष	1,313.27	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	125.59	1,313.27
वर्ष के दौरान प्रयुक्त **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	125.59	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	390.07	-
अंतिम शेष	**923.20**	**1,313.27**

14.2.1 हानि और विनियामक आस्थगन लेखा शेष के संबंध में और अधिक प्रकटन के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(22) देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1: इक्विटी शेयर पूंजी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी (सममूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों (सममूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 रिपोर्टिंग वर्ष के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03
अंतिम शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी पात्र हैं। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए शेयर:

शेयरधारकों	31 ekp] 2023 dk		31 ekp] 2022 dk	
	शेयरों की संख्या	(प्रतिशत) में	शेयरों की संख्या	(प्रतिशत) में
– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7126772676	70.95%
– भारतीय जीवन बीमा निगम	349142900	3.48%	704952213	7.02%

15.1.4 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपये प्रत्येक के 214285714 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।

15.1.5 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	शून्य

15.1.6 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	शून्य

टिप्पणी सं. 15.2: अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2,255.71	2,255.71
	तुलन–पत्र की तारीख को	**2,255.71**	**2,255.71**
(ii)	**बांड मोचन आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1,366.25	1,641.95
	?kVk,% vf/k'k"k@ifr/kkfjr vtu ls vrj.k	236.95	275.70
	तुलन–पत्र की तारीख को	**1,129.30**	**1,366.25**
(iii)	**सामान्य आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	9,724.72	9,724.72
	तुलन–पत्र की तारीख को	**9,724.72**	**9,724.72**
(iv)	**अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	9,970.45	7,808.95
	जोड़ें – वर्ष के दौरान लाभ	3,833.79	3,537.71
	जोड़ें – वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	5.15	15.57
	जोड़ें – बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरण	236.95	275.70
	घटाएं: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)	1,908.56	1,667.48
	तुलन–पत्र की तारीख को	**12,137.78**	**9,970.45**
(v)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	37.20	45.41
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	(11.88)	(8.21)
	तुलन–पत्र की तारीख को	**25.32**	**37.20**
(vi)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	86.74	81.34
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	3.36	5.40
	तुलन–पत्र की तारीख को	**90.10**	**86.74**
	कुल	**25,362.93**	**23,441.07**

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

(i) **पूंजी मोचन आरक्षित** – यदि शेयरों की पुनः खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए तो कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन सृजित करना अपेक्षित है। इस प्रकार पुनः खरीद किए गए शेयरों के कल्पित मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस आरक्षित का कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(ii) **बॉण्ड मोचन आरक्षित –** कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी के लिए बांडों के मोचन के उद्देश्य के लिए उपलब्ध लाभों से बांड मोचन आरक्षित सृजित करना अपेक्षित था। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 कंपनी को बांड मोचन आरक्षित के सृजन से छूट देती है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे यह निर्धारित है कि कंपनी द्वारा डिबेंचर मोचन आरक्षित में जमा की गई राशि का उपयोग डिबेंचर के मोचन के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। तद्नुसार, यद्यपि 31.03.2019 तक सृजित बांड मोचन आरक्षित को अग्रेणीत किया गया है और उनका वर्ष के दौरान मोचित किए गए बांडों के लिए आगे उपयोग किया गया, आरक्षित में कोई अतिरिक्त प्रोद्भवन नहीं किया गया है।

(iii) **सामान्य आरक्षित:** सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय–समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित करके सृजित किया गया है। इसका कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(iv) **अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन:** अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन सामान्यतः कंपनी की संचित आय के अवितरित लाभ/राशि को दर्शाता है और इसमें परिभाषित हितलाभ दायित्वों संबंधी लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।

(v) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज –** कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। संगत ऋण प्रतिभूतियों के निपटान अथवा इन दस्तावेजों की परिपक्वता पर, कंपनी इस आरक्षित से राशियों को प्रतिधारित आय में अंतरित करती है।

(vi) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेज –** कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रुप से तब अंतरित करती है जब संगत इक्विटी प्रतिभूतियों का निपटान किया जाता है।

टिप्पणी सं. 16.1: गैर वर्तमान – वित्तीय देयताएं – उधारियां

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**– प्रतिभूतित ऋण**		
	– बॉण्ड	13,099.23	14,517.90
	– सावधि ऋण		
	– बैंकों से	5,313.60	2,500.00
	– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	-	158.00
ख.	**– अप्रतिभूतित ऋण**		
	– बॉण्ड	996.00	-
	& lkof/k _.k		
	– बैंकों से	853.31	930.25
	– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) **(टिप्पणी 16.1.2 देखें)**	3,722.75	3,686.39
	– अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	1,269.80	1,374.07
	कुल	**25,254.69**	**23,166.61**

16.1.1 ऋण प्रसंविदाएं – पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 भारत सरकार द्वारा सावधि ऋण (अधीनस्थ ऋण) का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि इन ऋणों पर वहनीय ब्याज दर होती है जो प्रचलित बाजार दर से कम होती है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल अधीनस्थ ऋण 4737.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4760.29 करोड़ रुपये) है। इसमें 23.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 23.11 करोड़ रुपये) की वर्तमान परिपक्वता राशि शामिल है।

16.1.3 मोचन, पुनर्भुगतान, प्रतिभूतियों और ब्याज दर का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.3

(करोड़ रूपए में)

16.1.3.क	**मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण**	**31 मार्च, 2023 को**	**31 मार्च, 2022 को**
(क)	**बॉण्ड (अपरिवर्तनीय और गैर–संचयी) – प्रतिभूतित**		
i)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 व 5) देखें)** (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 व 5) देखें)** (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii)	**बॉण्ड – यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (1 व 6) देखें)** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv)	**बॉण्ड – यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (1 व 6) देखें)** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
v)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 व 5) देखें)** (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 व 5) देखें)** (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
vii)	**बाण्ड–एसी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(12) देखें)** (6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 10 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (12.02.2007 से शुरू 10 समान वार्षिक किस्तों में मोचनयोग्य 1500 करोड़ रुपए की बॉण्ड इश्यू राशि चुकाई जाएगी)	1,500.00	1,500.00

(करोड़ रूपए में)

16.1.3.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
viii)	**बाण्ड–एबी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(11) देखें)** (6.80 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (750 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 24.04.2026 से प्रारंभ होगी।)	750.00	750.00
ix)	**बाण्ड–एए–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(10) देखें)** (6.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.03.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
x)	**बाण्ड–एए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(10) देखें)** (7.13 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2026 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
xi)	**बाण्ड–वाई–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(9) देखें)** (7.38 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 03.01.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
xii)	**बाण्ड–वाई सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(9) देखें)** (7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 07.10.2025 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
xiii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(2 व 5) देखें)** (1,000/–रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
xiv)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(2 व 5) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77

(करोड़ रूपए में)

16.1.3.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
xv)	**बाण्ड–डब्ल्यू2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(8) देखें)** (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (750 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 15.09.2023 से प्रारंभ होगी।)	750.00	750.00
xvi)	**बाण्ड–वी2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2) देखें)** (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1475 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 06.06.2023 से प्रारंभ होगी।)	1,475.00	1,475.00
xvii)	**बाण्ड–एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2) देखें)** (10,00,000/–रुपए प्रत्येक के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बॉण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य 1500 करोड़ रुपये की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ होंगे। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक 214.2857143 करोड़ रुपये की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	1,285.71	1,500.00
xviii)	**बॉण्ड – टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (1 व 6) देखें)** (12,00,000/–रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (12.07.2019 से प्रारंभ 1474.92 करोड़ रुपये के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य बांड इश्यू राशि। दिनांक 31.03.2023 को प्रत्येक 122.91 करोड़ रुपये की 8 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	983.28	1,106.19
xix)	**बॉण्ड – आर–3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(2) देखें)** (10,00,000/–रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग शामिल है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपये के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य बांड इश्यू राशि। दिनांक 31.03.2023 को प्रत्येक 89.20 करोड़ रुपये की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	446.00	535.20

(करोड़ रूपए में)

16.1.3.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
xx)	**बॉण्ड – एस–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(6) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपये के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य योग्य बांड इश्यू राशि। दिनांक 31.03.2023 को प्रत्येक 55.00 करोड़ रुपये की 7 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	385.00	440.00
xxi)	**बाण्ड–डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(8) देखें)** (50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपये के प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य योग्य बांड इश्यू राशि। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, शून्य बकाया है)	-	300.00
xxii)	**बॉण्ड – क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(3 व 7) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2023 के अनुसार प्रत्येक 105.50 करोड़ रूपए की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	422.00	527.50
xxiii)	**बॉण्ड – आर–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(2) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2023 के अनुसार प्रत्येक 31.84 करोड़ रूपए की 4 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।)	127.36	159.20
xxiv)	**बॉण्ड – पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2, 4 व 5) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड जिसे 10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा।) (2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2023 के अनुसार प्रत्येक 200 करोड़ रूपए की 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	400.00	600.00

(करोड़ रूपए में)

16.1.3.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
xxv)	**बॉण्ड –एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(6) देखें)** (10,00,000/– रुपये प्रत्येक के 8.49 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य कर योग्य बॉण्ड जिसमें 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले प्रत्येक पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग शामिल है)। (365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ है। 31.03.2023 के अनुसार प्रत्येक 36.50 करोड़ रूपए की 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	73.00	109.50
xxvi)	**बॉण्ड –आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(2) देखें)** (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय चुकौती योग्य मोचनयोग्य कर योग्य बॉण्ड जिसमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/– रूपये है और जिसमें 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले प्रत्येक पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग शामिल है)। 82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2023 के अनुसार प्रत्येक 6.85 करोड़ रूपए की 3 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।	20.55	27.40
	कुल बॉण्ड – (प्रतिभूतित) – वर्तमान परिपक्वताओं सहित	**14,517.90**	**15,679.99**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	1,418.67	1,162.09
	कुल बॉण्ड – (प्रतिभूतित) – वर्तमान परिपक्वताओं को छोड़कर (क)	**13,099.23**	**14,517.90**
(ख)	**सावधि ऋण – बैंकों से (प्रतिभूतित)**		
i)	**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(2 व 3) देखें)** (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, 7.64% प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (संशोधित तिमाही सहित रेपो दर 6.25% जमा 1.39% व्यापक) पर दिनांक 01.04.2024 से शुरु होकर दिनांक 01.12.2031 तक 10.8695652 करोड़ रुपये प्रत्येक की 92 समान मासिक किश्तों में पुनर्भुगतानयोग्य)।	1,000.00	500.00
ii)	**जेएंडके बैंक लिमिटेड (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(16) देखें)** (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, 7.75% प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (संशोधित तिमाही सहित रेपो दर 6.50% जमा 1.25% व्यापक) पर दिनांक 01.04.2024 से शुरु होकर दिनांक 01.03.2033 तक 5.5555556 करोड़ रुपये प्रत्येक की 108 समान मासिक किश्तों में पुनर्भुगतानयोग्य)।	600.00	-
iii)	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(12, 13 व 14) देखें)** (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 8.19% प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (संशोधित तिमाही सहित 3 माह का ट्रेजरी बिल 6.26% जमा 1.93% व्यापक) पर दिनांक 01.03.2024 से शुरु होकर दिनांक 01.10.2031 तक प्रत्येक 21.7391304 करोड़ रुपये की 92 समान मासिक किस्तों में पुनर्भुगतानयोग्य।)	2,000.00	2,000.00
iv)	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – 1876.37 करोड़ रुपये (उड़ी-I पावर स्टेशन की निःशुल्क नकदी का मौद्रीकरण (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(15) देखें)** (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 8.05% प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (संशोधित तिमाही सहित 3 माह एमसीएलआर अर्थात 8.00% जमा 0.05% व्यापक) पर दिनांक 31.03.2023 से शुरु होकर दिनांक 28.02.2033 तक प्रत्येक 120 समान मासिक किस्तों में पुनर्भुगतानयोग्य तथा एनएचपीसी द्वारा पिछले 12 माह की अवधि के लिए द्वितीयक ऊर्जा यूनिटों की बिक्री से पावर स्टेशन के लिए बुक किए गए वास्तविक राजस्व का 5%, संवितरण के माह सहित संबंधित 13 माह की अवधि के अंत में बैंक को भुगतान किया जाएगा)। (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, 119 मासिक किश्तें बकाया हैं)।	1,866.14	-

(करोड़ रूपए में)

16.1.3.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूतित)	**5,466.14**	**2,500.00**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	152.54	-
	कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूतित) (ख)	**5,313.60**	**2,500.00**
(ग)	**सावधि ऋण – अन्य से (प्रतिभूतित)**		
	भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (3 व 7) देखें) (9.118 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान छमाही किश्तों में 31.10.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य।) (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, 2 छमाही किश्तें बकाया हैं)।	158.00	316.00
	कुल सावधि ऋण–अन्य पक्षकार (प्रतिभूतित)	**158.00**	**316.00**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	158.00	158.00
	कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार (प्रतिभूतित) (ग)	**-**	**158.00**
(घ)	**बॉण्ड (अपरिवर्तनीय और गैर–संचयी)–अप्रतिभूतित बांड एडी सीरीज–2038** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 7.59 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय अप्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (996 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की मोचनयोग्य राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 20.02.2027 से प्रारंभ होगी)।	996.00	-
	कुल बॉण्ड – (प्रतिभूतित) वर्तमान परिपक्वताओं सहित	**996.00**	**-**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	-	-
	कुल बॉण्ड – (प्रतिभूतित) वर्तमान परिपक्वताओं को छोड़कर (घ)	**996.00**	**-**
(ङ)	**सावधि ऋण–बैंकों से (अप्रतिभूतित)**		
	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (इक्विटी पर रिटर्न का प्रतिभूतिकरण – चमेरा-I पावर स्टेशन) (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 7.79% प्रति वर्ष (3 माह का ट्रेजरी बिल अर्थात संशोधित तिमाही सहित 6.26% जमा 1.53% व्यापक) की फ्लोटिंग ब्याज दर पर दिनांक 31.03.2022 से शुरु होकर दिनांक 29.02.2032 तक 120 मासिक किश्तों में पुनर्भुगतानयोग्य और पावर स्टेशन के लिए एनएचपीसी द्वारा बुक की गई आय का 5% पिछले 12 माह की अवधि के लिए माध्यमिक ऊर्जा इकाइयों की बिक्री के निमित्त वितरण माह सहित पूर्ण की गई प्रत्येक 12 माह की अवधि के अगले माह की समाप्ति पर एचडीएफसी को भुगतान किया जाएगा)। (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, 108 मासिक किश्तें बकाया हैं)।	936.98	1,010.01
	कुल सावधि ऋण–बैंकों से (अप्रतिभूतित)	**936.98**	**1,010.01**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	83.67	79.76
	कुल सावधि ऋण – (अप्रतिभूतित) (ङ)	**853.31**	**930.25**
(च)	**सावधि ऋण– अन्य पक्षकारों से – सरकार (अप्रतिभूतित)**		
	भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i)	**किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने अर्थात दिनांक 24.05.2029 के बाद 11वें वर्ष से गैर–छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 377.429 करोड़ रुपये की 10 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)।	2,919.77	2,870.05

(करोड़ रुपए में)

16.1.3.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ii)	**निम्मो बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	438.54	433.63
	(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से गैर–छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 29.095 करोड़ रुपये की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii)	**चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	387.55	405.82
	(2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद छठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से प्रत्येक 23.11 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।) (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक 23.11 करोड़ रुपये की 19 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)।		
	कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूतित)	**3,745.86**	**3,709.50**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	23.11	23.11
	कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार (अप्रतिभूतित) (च)	**3,722.75**	**3,686.39**
¼N½	**सावधि ऋण – अन्यों से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)**		
i)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला-I (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(15) देखें)**	45.48	60.80
	(31.03.2023 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.58 करोड़ रूपए प्रत्येक की 6 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		
ii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला-II (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(15) देखें)**	248.65	299.19
	(31.03.2023 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 24.86 करोड़ रूपए प्रत्येक की 10 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		
iii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला-III (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(15) देखें)**	404.05	441.98
	(31.03.2023 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.37 करोड़ रूपए प्रत्येक की 22 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		
iv)	**एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर**	673.24	674.00
	(6 माह चक्रवृद्धि संदर्भ ब्याज दर (सीएएस+टन+ 0.75 प्रतिशत की परिवर्तनशील दर पर 25.07.2024 को एक ही किश्त में पुनर्भुगतान योग्य। ऋण का बचाव 0.931 प्रतिशत प्रति वर्ष की केवल कूपन विनिमय नियत दर पर तथा 0.90 रुपये की जेपीवाई स्ट्राइक कीमत सहित 6.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की मांग फैलाव कूपन नियत दर पर किया जाता है)		
	कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)	**1,371.42**	**1,475.97**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	101.62	101.90
	सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित) (छ)	**1,269.80**	**1,374.07**
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**25,254.69**	**23,166.61**

16.1.3.ख प्रतिभूति का विवरण

1. जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित कंपनी के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्बती-II जल विद्युत परियोजना की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन एवं बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
3. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
4. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी के धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और प्रभार रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
5. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा-III पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
7. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी के तीस्ता-V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
8. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित में कंपनी के पार्बती-II पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूति सृजन और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित है।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती-II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति बंधक और रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूति सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के किशनगंगा पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती-II परियोजना, पार्बती-III पावर स्टेशन, चमेरा-II पावर स्टेशन तथा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति साम्य बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
11. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा-II परियोजना की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति साम्य बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
12. असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की सुबनसिरी लोअर परियोजना की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
13. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कंपनी के टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
14. जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित कंपनी के उड़ी-II पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
15. कंपनी की नियत परिसंपत्तियों (वर्तमान और भावी) के प्रति रेहन के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
16. असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की सुबनसिरी लोअर परियोजना की अचल परिसंपत्तियों के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन, जैसे भवन, बांध, पावर टनल, टेल रेस टनल और अन्य संरचनाएं/इरेक्शन/निर्मित/निर्माण किये जाने वाली संरचनाएं।

टिप्पणी सं. 16.2 गैर वर्तमान – वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयताएं (टिप्पणी संख्या 34(16)(क) देखें)	11.70	12.88
कुल	**11.70**	**12.88**

टिप्पणी सं. 16.3 गैर वर्तमान – वित्तीय देयताएं – अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय **(टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें)**		
– मूलधन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	115.66	70.84
विलंबित भुगतान अधिभार पर देय	1.45	-
व्युत्पन्न एमटीएम देयता	8.76	-
कुल	**2,143.07**	**2,088.04**

16.3.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने डिबेंचर (बांड) के रूप में 10,00,000/– रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूतित गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य, करयोग्य "भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांड – सीरीज-I" के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तद्नुसार, ऐसे बांडों की राशि और बांडधारकों को देय ब्याज की राशि वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीयोग्य राशि भी **टिप्पणी संख्या 3.4** के तहत गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य राशि" के रूप में दर्शाई गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जुटाए गए भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांडों का ब्यौरा इस प्रकार है:		
भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड-I सीरीज: 8.12 प्रतिशत पर प्रत्येक 10,00,000/– रुपये के अर्द्धवार्षिक, 10 वर्ष अप्रतिभूतित गैर–संचयी, मोचनयोग्य, अपरिवर्तनीय कर योग्य बांड, (मोचन की तारीख 22.03.2029)	2,017.20	2,017.20

टिप्पणी सं. 17 गैर वर्तमान – प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधिक हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया प्रावधान)		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	25.87	6.85
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	4.24	19.60
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.93	0.58
अंतिम शेष	**28.18**	**25.87**

(करोड़ रूपए में)

		विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ख.		**अन्य**		
	i)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
		पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.41	1.37
		वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.66	0.10
		वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.11	-
		छूट की समाप्ति	0.10	0.14
		अंतिम शेष	**0.74**	**1.41**
	ii)	आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
		पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	19.70	19.09
		वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.06	0.23
		वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.32	-
		छूट की समाप्ति	0.49	0.38
		अंतिम शेष	**20.93**	**19.70**
	iii)	**प्रावधान – अन्य**		
		पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.07	1.07
		अंतिम शेष	**1.07**	**1.07**
		कुल	**50.92**	**48.05**

17.1 प्रावधानों की प्रकृति और उद्देश्य के संबंध में सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 गैर वर्तमान – आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	आस्थगित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	4,052.85	4,049.40
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	19.09	22.69
ग)	अन्य मदें	(3.10)	2.24
	आस्थगित कर देयता	**4,068.84**	**4,074.33**
	घटाएं – समायोजन प्रावधानों के अनुसरण में समायोजित आस्थगित कर परिसपंत्तियां		
क)	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	494.46	437.67
ख)	अन्य मदें	70.05	57.30
ग)	एमएटी ऋण पात्रता **(टिप्पणी सं. 18.2 देखें)**	1,566.99	1,478.62
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,131.50**	**1,973.59**
	आस्थगित कर देयता (निवल)	**1,937.34**	**2,100.74**

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन टिप्पणी 18.1 के अनुबंध में दिए गए अनुसार है।

18.2 **एमएटी ऋण पात्रता के ब्यौरे:**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर देयता	1478.62	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त	417.31	1478.62
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त	328.94	-
अंतिम शेष	**1566.99**	**1478.62**

18.3 कर कानून (संशोधित) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित आय कर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के प्रावधानों के अनुसार और 1 अप्रैल, 2019 से लागू 11 दिसंबर, 2019 को अधिनियमित कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 के रूप में प्रख्यापित, घरेलू कंपनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कुछ छूटों/कटौतियों (नई कर व्यवस्था) को छोड़ कर रियायती दरों पर आय कर के भुगतान करने का विकल्प है। कंपनी के पास 31 मार्च, 2023 तक 2095.64 करोड़ रुपये (528.65 करोड़ रुपये के एमएटी क्रेडिट की गैर–मान्यता प्राप्त राशि सहित) (पिछले वर्ष 2424.58 करोड़ रुपये) (945.96 करोड़ रुपये के एमएटी क्रेडिट की गैर–मान्यता प्राप्त राशि सहित), का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) ऋण अप्रयुक्त पड़ा है और कुछ पावर स्टेशनों से विद्युत के उत्पादन से अपने लाभ के संबंध में कर कटौती का लाभ उठा रही है। उसी के मद्देनजर, वर्तमान तथा आस्थगित कर मान्यता के लिए मौजूद कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115खकक के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्णय, कर कटौती उपलब्ध न होने पर तथा एमएटी क्रेडिट की वास्तविक समाप्ति पर लिया जाएगा। (टिप्पणी 30.1.5 देखें)

18.4 मान्यता प्राप्त एमएटी क्रेडिट के विरुद्ध बनाए गए आरडीए (क्रेडिट) शेष के लिए एकल वित्तीय विवरणों का नोट **14.2 और 34(22) देखें।**

टिप्पणी संख्या 18.1 का अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2022–23

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2022 को प्रभार/(क्रेडिट)	**4,049.40**	**22.69**	**2.24**	**4,074.33**
– लाभ और हानि के विवरण में	3.45	-	(3.30)	0.15
– अन्य व्यापक आय में	-	(3.60)	(2.04)	(5.64)
31 मार्च, 2023 को	**4,052.85**	**19.09**	**(3.10)**	**4,068.84**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	एमएटी ऋण पात्रता	कुल
01 अप्रैल, 2022 को (प्रभार)/क्रेडिट	**437.67**	**57.30**	**1,478.62**	**1,973.59**
– लाभ और हानि के विवरण में	56.79	10.31	88.37	155.47
– अन्य व्यापक आय में	-	2.44	-	2.44
31 मार्च, 2023 को	**494.46**	**70.05**	**1,566.99**	**2,131.50**

वित्तीय वर्ष 2021–22

आस्थगित कर देयता में संचलन (करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2021 को	**4,012.53**	**25.19**	**(0.05)**	**4,037.67**
प्रभार/(क्रेडिट)				
– लाभ और हानि के विवरण में	36.87	(1.38)	2.29	37.78
– अन्य व्यापक आय में	-	(1.12)	-	(1.12)
31 मार्च, 2022 को	**4,049.40**	**22.69**	**2.24**	**4,074.33**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन (करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	एमएटी ऋण पात्रता	कुल
01 अप्रैल, 2021 को	**411.79**	**36.52**	**-**	**448.31**
(प्रभार)/क्रेडिट				
– लाभ और हानि के विवरण में	25.88	20.78	1,478.62	1,525.28
– अन्य व्यापक आय में				-
31 मार्च, 2022 को	**437.67**	**57.30**	**1,478.62**	**1,973.59**

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	अग्रिम में प्राप्त आय – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	736.88	787.84
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	38.71	40.13
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी सं. 19.1 देखें)**	1,168.97	1,198.19
	कुल	**1,944.56**	**2,026.16**
19.1	**सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय**		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	1,231.39	1,190.52
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	3.98	74.07
	घटाएं: लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित **(टिप्पणी सं 24.2 देखें)**	33.20	33.20
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)	**1,202.17**	**1,231.39**
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (वर्तमान) – **(टिप्पणी सं 21 देखें)**	33.20	33.20
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (गैर–वर्तमान)	1,168.97	1,198.19
19.1.1	**अनुदान में निम्नलिखित शामिल है:**		
(i)	चुटक पावर स्टेशन, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों के उचित मूल्य लाभ को सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया है।	1,103.02	1,135.17
(ii)	सुबनसिरी लोअर एचई परियोजना के संबंध में निचले संरक्षण उपायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)।	78.05	74.07
(iii)	तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)।	21.10	22.15
	कुल	**1,202.17**	**1,231.39**

टिप्पणी सं. 20.1 चालू – वित्तीय देयताएं – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	**अन्य ऋण**		
	बैंक से – प्रतिभूतित **(टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)**	948.04	1,323.90
ख	**दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं (टिप्पणी सं 20.1.2 देखें)**		
	– बॉण्ड – प्रतिभूतित	1,418.67	1,162.09
	– सावधि ऋण – बैंक – प्रतिभूतित	152.54	-
	– सावधि ऋण – वित्तीय संस्थान – प्रतिभूतित	158.00	158.00
	– सावधि ऋण – बैंक – अप्रतिभूतित	83.67	79.76
	– अप्रतिभूतित – सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
	– अन्य – अप्रतिभूतित (विदेशी मुद्रा में)	101.62	101.90
	उप–जोड़ (ख)	**1,937.61**	**1,524.86**
	कुल	**2,885.65**	**2,848.76**

20.1.1 बैंक से 948.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1323.90 करोड़ रुपये) का सुरक्षित ऋण, व्यापार प्राप्यों के प्रति उपाय से भुनाए गए बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि के लिए है। बिल छूट के माध्यम से परिसमाप्त व्यापार प्राप्यों की निरंतर मान्यता संबंधी **टिप्पणी 7.2.7 देखें**।

20.1.2 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की शर्तें तथा प्रतिभूति के ब्यौरों के ब्यौरे **टिप्पणी संख्या 16.1.3** में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 20.2 चालू – वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वताएं **(टिप्पणी सं. 34(16)(क) देखें)**	2.39	2.27
कुल	**2.39**	**2.27**

टिप्पणी सं. 20.3 चालू – वित्तीय देयताएं – व्यापार देय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय (टिप्पणी सं 20.3.1 देखें)	37.12	23.12
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	178.33	166.45
	कुल	**215.45**	**189.57**
20.3.1	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन**		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निमित्त बकाया देयताएं	37.12	23.12

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(15) में दी गई है।

20.3.2 व्यापार देय राशियों की बढ़ी हुई अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या 20.3 का अनुबंध-I देखें।

20.3.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी संख्या 20.3 का अनुबंध-I

31 मार्च, 2023 के अनुसार

(करोड़ रूपए में)

विवरण		बिल न किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए देय और बकाया व्यापार भुगतानयोग्यः				कुल
				1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i)	एमएसएमई	13.45	18.84	4.75	-	-	-	**37.04**
(ii)	अन्य	55.36	22.01	88.45	6.16	3.54	2.81	**178.33**
(iii)	विवादित देय – बकाया	0.03	0.05	-	-	-	-	**0.08**
कुल		**68.84**	**40.90**	**93.20**	**6.16**	**3.54**	**2.81**	**215.45**

31 मार्च, 2022 के अनुसार

(करोड़ रूपए में)

विवरण		बिल न किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए देय और बकाया व्यापार भुगतानयोग्यः				कुल
				1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i)	एमएसएमई	7.69	-	13.94	1.04	0.25	0.11	**23.03**
(ii)	अन्य	31.03	3.61	100.57	9.68	6.27	15.29	**166.45**
(iii)	विवादित देय – एमएसएमई	-	-	0.04	-	0.05	-	**0.09**
कुल		**38.72**	**3.61**	**114.55**	**10.72**	**6.57**	**15.40**	**189.57**

टिप्पणी सं. 20.4 वर्तमान – अन्य वित्तीय देयताएं

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के निमित्त देयता	512.74	399.43
	पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के निमित्त देयता – सूक्ष्म एवं लघु उद्यम **(टिप्पणी सं 20.4.1 देखें)**	10.22	6.59
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निमित्त देयता	12.67	10.54
	ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	632.67	636.10
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के निमित्त देय - ब्याज **(टिप्पणी सं 16.3.1 और 11(I) देखें)**		
	बयाना राशि जमा/प्रतिधारण राशि	4.49	4.49
	सहायक कंपनियों को देय **(टिप्पणी 34(8) देखें)**	276.39	233.65
	अदा न किया गया लाभांश **(टिप्पणी सं 20.4.2 देखें)**	4.72	2.99
	अदा न किया गया ब्याज **(टिप्पणी सं 20.4.2 देखें)**	22.99	24.64
	विलंबित भुगतान अधिभार के लिए देय	0.60	0.54
	कर्मचारियों को देय	0.83	-
	अन्य को देय	35.17	26.68
		27.56	25.07
	कुल	**1,541.05**	**1,370.72**
20.4.1	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन**		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निमित्त बकाया देयताएं	10.43	7.41
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निमित्त बकाया ब्याज	-	-

व्यापार प्राप्य के अंतर्गत विविध लेनदारों का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम के व्यापार देयों के संबंध में यथापेक्षित अतिरिक्त प्रकटन एकल वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी संख्या 34(15)** में दिया गया है।

20.4.2 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान, उपर्युक्त में से, 3.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.80 करोड़ रुपये) के अदा न किये गये लाभांश का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को भुगतान किया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है। **(टिप्पणी 9.4 देखें)**

20.4.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	48.80	48.25
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	1.42	1.42
देय जल उपयोग प्रभार	243.82	103.42
भुगतान योग्य सांविधिक देय	188.25	138.80
संविदा देयताएं – जमा कार्य	84.64	6.30
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	106.38	112.54
ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	28.40	66.77
सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी 19.1 देखें)**	33.20	33.20
कुल	**734.91**	**510.70**

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 22 वर्तमान – प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधिक हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया प्रावधान)		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.76	1.08
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.07	1.77
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1.09
अंतिम शेष	**1.83**	**1.76**
ii) निष्पादन संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	263.93	446.28
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	221.49	233.85
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	232.53	384.34
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	28.13	31.86
अंतिम शेष	**224.76**	**263.93**
घटाएं: भुगतान किया गया अग्रिम	0.95	0.39
अग्रिम का अंतिम शेष निवल	**223.81**	**263.54**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ख. अन्य		
i) **टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	148.04	109.16
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	25.64
समायोजन	-	22.71
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	135.06	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	9.47
अंतिम शेष	**12.98**	**148.04**
ii) **प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	75.89	98.69
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	96.68	0.10
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	22.35	22.90
अंतिम शेष	**150.22**	**75.89**
iii) **बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	85.17	148.18
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	26.01	21.02
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	44.23	82.64
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.98	1.39
अंतिम शेष	**65.97**	**85.17**
iv) **आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	13.52	16.18
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.89	0.17
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.89	2.88
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.04	-
छूट की समाप्ति	0.08	0.05
अंतिम शेष	**11.56**	**13.52**
v) **मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान**		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	331.77	368.45
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	705.89	6.26
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.34	27.26
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	15.68
अंतिम शेष	**1,037.32**	**331.77**
vi) **प्रावधान – अन्य**		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	216.06	158.05
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	62.93	100.11
समायोजन	-	(22.71)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	102.48	18.93
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	17.97	0.46
अंतिम शेष	**158.54**	**216.06**
कुल	**1,662.23**	**1,135.75**

22.1 प्रावधानों की प्रकृति और उद्देश्य के संबंध में सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	725.73	716.74
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	760.72	725.73
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(725.73)	(716.74)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	**760.72**	**725.73**
घटाएं: स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	790.99	728.09
निवल वर्तमान कर देयताएं (क–ख)	**(30.27)**	**(2.36)**
(उपरोक्त टिप्पणी सं. 4 के तहत प्रकट किया गया है)	**30.27**	**2.36**
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 24.1: प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रचालनात्मक राजस्व		
क.	**बिक्रियां (टिप्पणी संख्या 24.1.1 और 24.1.3 देखें)**		
	विद्युत की बिक्री	7,790.67	6,815.67
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम – वर्ष के दौरान पश्चलेखित	50.42	48.25
	प्रोत्साहन आधारित निष्पादन	675.68	750.28
	उप–जोड़ (i)	**8,516.77**	**7,614.20**
	घटाएं:		
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	32.47	44.02
	टैरिफ समायोजन **(टिप्पणी संख्या 24.1.2 देखें)**	-	34.70
	विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित) **(टिप्पणी संख्या 32 देखें)**	45.72	53.81
	उपभोक्ताओं को छूट	33.93	30.12
	उप जोड़ (ii)	**112.12**	**162.65**
	उप जोड़ (क) = (i - ii)	**8,404.65**	**7,451.55**
ख	**वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(16)(ख) देखें)**	327.80	344.95
ग	**प्रचालनात्मक पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(16)(ग) और 24.1.5 देखें)**	392.40	384.07
घ	**निविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	निविदा आय	-	0.02
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	60.94	46.14
	उप जोड़ (घ)	**60.94**	**46.16**
ङ	**विद्युत व्यापार से राजस्व**		
	व्यापार मार्जिन **(टिप्पणी संख्या 24.1.4 देखें)**	4.60	0.27
	उप जोड़ (ङ)	**4.60**	**0.27**
	उप जोड़-I (क+ख+ग+घ+ङ)	**9,190.39**	**8,227.00**
च	**अन्य प्रचालनात्मक राजस्व**		
	स्वयं सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	-	52.70
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	3.68	3.61
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	122.27	25.91
	उप जोड़-II	**125.95**	**82.22**
	कुल (I + II)	**9,316.34**	**8,309.22**

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
24.1.1	विद्युत की बिक्री में निम्नलिखित शामिल हैं:–		
	(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूलनीयोग्य राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	86.20	76.13
	(ii) विगत वर्षों की बिक्रियां	532.55	288.68
24.1.2	टैरिफ समायोजनः– केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के साथ–साथ यह है कि वर्तमान टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए विचार की गई पूंजी लागत टैरिफ अवधि के अंत में सही होने के अध्यधीन होगी, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। तद्नुसार, उल्लिखित राशि वर्ष के दौरान बहियों में दी गई है।	-	34.70
24.1.3	बिल न किए गए राजस्व का राशि को बिक्रियों में शामिल किया गया है।	1,528.81	1,184.50
24.1.4	विद्युत व्यापार व्यवसाय के संबंध में व्यापार मार्जिनः		
	(i) विद्युत की बिक्री (छूट का निवल)	260.04	44.85
	(ii) विद्युत की खरीद (छूट का निवल)	(255.44)	(44.58)
	निवल व्यापार मार्जिन	**4.60**	**0.27**
24.1.5	50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर के संबंध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) दिनांक 01.04.2019 से नवीनीकरण/विस्तार के लिए लंबित है। तथापि, मस्ट रन विद्युत संयंत्र होने के कारण लाभार्थी को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पीपीए के नवीनीकरण/विस्तार से संबंधित मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है क्योंकि राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 2.44 रुपये प्रति किलोवाट टैरिफ कंपनी को स्वीकार्य नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय के लंबित निर्णय के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से संयंत्र से विद्युत की बिक्री से निवल राजस्व को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित निवल की कुल लागत पर मान्यता दी जा रही है, जो 3.14 रुपये प्रति किलोवॉट है।		

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	**ब्याज आय**		
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर कर योग्य	5.66	5.67
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – कर योग्य	25.86	25.82
	– अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	72.26	66.30
	– जमा खाता	43.23	28.81
	– कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	27.23	29.00
	– संविदाकारों को अग्रिम	12.23	17.34
	– वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि को समाप्त करना	63.87	-
	– अन्य	2.89	0.19
ख)	**लाभांश आय**		
	– सहायक कंपनियों से लाभांश [**टिप्पणी सं. 34(8) देखें**]	369.89	292.71
	– लाभांश – अन्य	6.96	9.00
ग)	**अन्य गैर–प्रचालनात्मक आय (उस आय पर सीधे ही आरोप्य व्यय का निवल)**		
	विलंब भुगतान अधिभार	53.41	229.00
	व्यापार में रुकावट के कारण हानि की वसूली (**टिप्पणी संख्या 34(23) देखें**)	42.14	161.86
	बीमा दावे से आय	19.33	21.34

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
i'Pky[ku dh vko';drk u gksu okyh ns;rk,@gkfu iko/kku@ iko/kku ¼fVIi.kh l[;k 24-2-1 ns[ks½	32.01	28.56
संविदाकार को जारी सामग्री		
(i) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	258.04	255.19
(ii) घटाएं: वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(450.36)	(421.41)
(iii) निवल: संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	192.32	166.22
सहायता अनुदान का परिशोधन **(टिप्पणी 19.1 देखें)**	33.20	33.20
विनिमय दर परिवर्तन (निवल)	0.50	49.28
व्युत्पन्न संबंधी बाजार से बाजार लाभ	-	4.14
अन्य	43.81	45.38
उप जोड़	**854.48**	**1,047.60**
घटाएं – निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	19.09	20.97
घटाएं – ग्राहक/संविदादाता से अग्रिम/जमा तथा जमा कार्यों के प्रति अंतरित	0.83	0.45
dqy	**834.56**	**1,026.18**
24.2.1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/हानि प्रावधानों/प्रावधानों का ब्यौरा		
क) अप्रचलन और मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.87	5.37
ख) व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान	-	2.38
ग) संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान	1.04	0.18
घ) लंबित जांच/प्रतीक्षित पश्चलेखन/स्वीकृति हानियों हेतु प्रावधान	0.04	0.21
ङ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	0.98	1.38
च) मध्यस्थता अवार्ड/न्यायालयी मामलों के संबंध में प्रावधान	-	15.68
छ) अन्य	29.08	3.36
dqy	**32.01**	**28.56**

टिप्पणी सं. 25: उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	916.77	823.21
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	20.79	18.18
उप–जोड़	**937.56**	**841.39**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	1.10	0.15
dqy	**936.46**	**841.24**

टिप्पणी सं. 26: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,285.71	1,334.57
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान **(टिप्पणी संख्या 26.2 और 26.4 देखें)**	218.30	292.71
कर्मचारी कल्याण व्यय	94.44	96.08
उप जोड़	**1,598.45**	**1,723.36**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	297.10	282.58
कुल	**1,301.35**	**1,440.78**

26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निमित्त पट्टों के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की प्रकटन टिप्पणी 34(16)(क) में दिए गए है।

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
26.2	**भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है:**		
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के निमित्त	83.13	130.71
	ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के निमित्त	102.29	104.16
26.3	मजदूरी एवं वेतन में इंड एएस 116 ''पट्टों'' के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल हैं।	0.18	0.26

26.4 "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952" के लिए कंपनी को ट्रस्ट को किसी भी हानि की स्थिति में भविष्य निधि ट्रस्ट की प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित है। ईपीएफ में अंशदान में 1.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 12.76 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कि ट्रस्ट के कुछ निवेशों पर अतिदेय ब्याज है, जो क्षतिपूर्ण हो गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों में इन निवेशों की मूल राशि के लिए ट्रस्ट को भुगतान किए गए 36.24 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

26.5 कर्मचारी लाभ व्यय में कंपनी के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में लगे कर्मचारियों के संबंध में 9.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.02 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है।

टिप्पणी सं. 27: वित्त लागत

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज**		
	बॉण्ड	1,208.19	1,289.19
	सावधि ऋण	322.36	51.47
	विदेशी ऋण	18.78	23.47
	भारत सरकार ऋण	70.16	70.73
	अल्पावधिक ऋण	2.82	5.40
	पट्टा देयताएं	1.11	1.11
	छूट की समाप्ति – भारत सरकार से ऋण	59.48	55.22
	उप जोड़	**1,682.90**	**1,496.59**
ख.	**अन्य ऋण लागत**		
	मांग फैलाव/कूपन विनिमय	44.50	43.91
	बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.28	1.16
	विदेशी ऋण पर गांरटी शुल्क	9.62	11.62
	अन्य वित्त प्रभार	1.40	0.66
	छूट की समाप्ति – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	7.06	4.45
	उप जोड़	**63.86**	**61.80**

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
ग.	**आय कर पर ब्याज**	-	2.50
	कुल (क+ख+ग)	**1,746.76**	**1,560.89**
	घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	1,270.60	1,029.14
	कुल	**476.16**	**531.75**

टिप्पणी सं.: 28 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,124.77	1,109.73
मूल्यह्रास – परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	24.83	24.42
परिशोधन – अमूर्त परिसंपत्तियां	3.46	4.63
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास समायोजन **(टिप्पणी संख्या 19 और 5(घ) (iii) देखें)**	8.81	4.95
उप जोड़	**1,161.87**	**1,143.73**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	16.43	17.51
कुल	**1,145.44**	**1,126.22**

टिप्पणी सं. 29: अन्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	– भवन	73.86	66.10
	– मशीनरी	86.96	71.41
	– अन्य	172.30	162.21
ख.	**अन्य व्यय**		
	किराया **(टिप्पणी 29.3 देखें)**	13.44	15.61
	पारिश्रमिक प्रभार	42.30	31.77
	दरें और कर	18.06	15.95
	बीमा	243.55	264.78
	सुरक्षा व्यय	445.33	412.86
	विद्युत प्रभार	49.30	42.54
	यात्रा एवं वाहन	21.00	13.11
	वाहनों पर खर्च	7.73	6.48
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	17.27	15.32
	विज्ञापन एवं प्रचार	10.72	4.24
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	1.05	0.85
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.70	3.53
	परामर्शी प्रभार – देशीय	18.66	11.03
	लेखा परीक्षा खर्च **(टिप्पणी सं. 29.2 देखें)**	2.42	2.02
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण व्यय पर खर्च	0.63	0.33
	निचले संरक्षण कार्यों के कार्यों पर व्यय **(टिप्पणी 29.5 देखें)**	44.43	158.50

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	51.36	14.68
परिसंम्पत्तियों के संबंध में हानि (निवल)	1.36	12.55
बीमा दावों से हानियां	33.83	21.77
दान	2.00	1.00
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व **(टिप्पणी सं. 34(14) देखें)**	127.31	105.29
निदेशकों को बैठक शुल्क	0.48	0.14
माध्यस्थम/न्यायालयी मामलों पर ब्याज	0.15	-
लाभार्थी को ब्याज	48.55	33.92
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	-	8.04
प्रशिक्षण व्यय	9.51	4.21
सीईआरसी/आरएलडीसी/आरपीसी/आईईएक्स/ पीएक्सआईएल को याचिका शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अन्य शुल्क	10.81	9.70
केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	7.56	7.62
अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	0.40	0.35
अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	25.41	22.22
डीजी सेट के प्रचालनात्मक व्यय – आवासीय को छोड़कर	8.32	7.03
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि	124.19	-
व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	30.86	-
अन्य सामान्य व्यय	43.76	42.74
उप जोड़	**1,798.57**	**1,589.90**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	239.20	283.90
उप जोड़ (i)	**1,559.37**	**1,306.00**
ग. प्रावधान/हानि का प्रावधान		
व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान	0.04	3.95
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.01	10.11
संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु हानि प्रावधान	5.68	5.94
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए हानि प्रावधान (संबंधित पक्षकार को ऋण)	18.40	-
संदिग्ध ब्याज के लिए हानि प्रावधान	-	0.42
भण्डार तथा कलपुर्जों/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	0.32	0.58
निवेश के मूल्य में कमी के निमित्त छूट	121.89	14.07
परियोजना व्ययों/चल रहे पूंजीगत कार्यों के लिए प्रावधान	2.19	7.47
लंबित जांच हानियों/प्रतीक्षित पश्चलेखन/ संस्वीकृति के लिए प्रावधान	-	0.03
प्राप्य माल एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान	39.64	31.09
उप जोड़	**188.17**	**73.66**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	39.65	31.11
उप जोड़ (ii)	**148.52**	**42.55**
कुल (i+ii)	**1,707.89**	**1,348.55**

29.1 पट्टों के संबंध में प्रकटन एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(16)(क) में दिए गए है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
29.2 लेखा परीक्षा व्ययों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–		
i) **सांविधिक लेखा–परीक्षक**		
लेखा–परीक्षक के रूप में		
– लेखा–परीक्षा शुल्क	0.88	0.73
– कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.25	0.21
अन्य क्षमता में		
– कराधान मामले	-	0.01
– अन्य मामले / सेवाएं	0.65	0.57
– खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.37	0.26
ii) **लागत लेखा परीक्षक**		
– लेखा–परीक्षा शुल्क	0.22	0.19
– व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.01	-
iii) **माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक**		
– लेखा–परीक्षा शुल्क	0.03	0.04
– खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.01	0.01
कुल लेखापरीक्षा व्यय	**2.42**	**2.02**
29.3 किराये में इंड एएस 116 ''पट्टों'' के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं		
(i) एक माह अथवा उससे कम अवधि के पट्टों को छोड़कर अल्पावधि पट्टों पर व्यय	9.58	10.66
(ii) पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	3.86	4.96

29.4 अन्य व्ययों में कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर किए गए 1.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3.05 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है।

29.5 सुबनसिरी लोअर परियोजना में किए गए डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों पर 44.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 158.50 करोड़ रुपये) के व्यय को निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के रूप में पूंजीकृत किया गया है **(टिप्पणी 2.2.7 देखें)**।

टिप्पणी सं.: 30.1 कर व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	760.72	723.23
पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	-	3.00
कुल वर्तमान कर व्यय	**760.72**	**726.23**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(46.59)	(40.15)
– एमएटी ऋण पात्रता के कारण समायोजन	(88.37)	(1,478.62)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर देयताओं में वृद्धि (कमी)		
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(20.36)	31.27
कुल आस्थगित कर व्यय (हितलाभ)	**(155.32)**	**(1,487.50)**
निवल आस्थगित कर	**(155.32)**	**(1,487.50)**
कुल	**605.40**	**(761.27)**

(करोड़ रुपये में)

30.1.1 कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	4,265.10	4,078.99
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
गणना किए गए कर व्यय	**1,490.40**	**1,425.36**
उन राशियों के कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य नहीं हैं (कर योग्य)		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	73.23	42.42
कर छूट आय	(1.98)	(1.98)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	(345.70)	(1,474.87)
धारा 80 के तहत कटौती	(610.55)	(755.20)
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन	-	3.00
लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित आय कर व्यय	**605.40**	**(761.27)**
30.1.2 इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
रिपोर्टिंग वर्ष में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे ही इक्विटी में डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है:		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
आस्थगित कर	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**
30.1.3 कर हानियां तथा क्रेडिट		
अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर हितलाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
कंपनी को भविष्य में उपलब्ध एमएटी क्रेडिट का ब्यौरा लेकिन लेखाबहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है **(टिप्पणी सं. 30.1.5 देखें)**	528.65	945.96
30.1.4 मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर		
सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
अवितरित आय	शून्य	शून्य
उपरोक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30-1-5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम कर समायोजन (एमएटी) क्रेडिट की प्रकृति में आस्थगित कर परिसंपत्तियों का ब्यौरा जिसे लेखाबहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2014-15	46.81	2029-30	46.81	2029-30
2013-14	481.84	2028-29	481.84	2028-29
2012-13	-	-	291.72	2027-28
2008-09	-	-	125.59	2023-24
कुल	**528.65**	**-**	**945.96**	

भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में प्रत्यावर्तन की अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी सं.: 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i) **मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**		
(क) रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन	(5.83)	14.62
घटाएं: रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं के पुनः मापन पर आय कर	(2.04)	5.11
रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन (कर का निवल)	**(3.79)**	**9.51**
घटाएं: निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	(2.45)	(3.73)
– विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	6.49	2.33
रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन		
उप–जोड़ (क)	**5.15**	**15.57**
(ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश	3.36	5.40
घटाएं : इक्विटी दस्तावेजों पर आयकर	-	-
उप जोड़ (ख)	**3.36**	**5.40**
कुल (i) = (क) + (ख)	**8.51**	**20.97**
(ii) **मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा**		
– ऋण दस्तावेज में निवेश	(15.47)	(10.71)
घटाएं: ऋण दस्तावेज में निवेश पर आय कर	(3.59)	(2.50)
जोड़ (ii)	**(11.88)**	**(8.21)**
कुल = (i) + (ii)	**(3.37)**	**12.76**

टिप्पणी सं.: 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार मजदूरी संशोधन	(462.87)	(116.53)
(ii) किशनगंगा पावर स्टेशन: टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यह्रास	199.36	198.35
(iii) मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर	1.10	(0.17)

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(iv)	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीयोग्य आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	(56.09)	(49.52)
(v)	2014–2019 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीयोग्य आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	(215.98)	10.72
(vi)	एमएटी क्रेडिट की मान्यता के कारण विनियामक देयता	390.07	(1,313.27)
	कुल (क) = (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	**(144.41)**	**(1,270.42)**
	विनियामक आस्थगित लेखाओं पर कर का प्रभाव		
	घटाएं:– विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	161.75	13.56
	जोड़ें – लाभार्थियों से वसूलीयोग्य आस्थगित कर	161.75	13.56
	कुल	**(144.41)**	**(1,270.42)**

31.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 14.1 और 14.2 देखें।

टिप्पणी सं.: 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग बनने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क. उत्पादन व्यय		
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	1.10	0.15
उप जोड़	**1.10**	**0.15**
ख. कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	166.39	146.07
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	23.96	21.83
कर्मचारी कल्याण व्यय	8.93	6.55
उप जोड़	**199.28**	**174.45**
ग. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याजः (टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें)		
बॉण्ड	903.86	950.35
विदेशी ऋण	6.43	7.65
सावधि ऋण	310.55	25.22
पट्टा देयताएं	0.17	0.23
	1,221.01	**983.45**
हेजिंग लेन–देनों के संबंध में हानि	44.50	43.91
अन्य वित्त प्रभार	0.65	-
ईएसी में व्ययों का अंतरण – प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	4.23	1.58
उप जोड़	**1,270.39**	**1,028.94**
घ. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	14.16	14.80
उप जोड़	**14.16**	**14.80**
ङ. अन्य व्यय		
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
– भवन	7.74	9.01
– मशीनरी	1.83	2.09
– अन्य	31.03	27.87
किराया और हायर प्रभार	13.08	9.31

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
दरें और कर	4.11	2.42
बीमा	10.63	12.39
प्रतिभूति व्यय	33.21	28.57
विद्युत प्रभार	6.82	4.37
यात्रा एवं वाहन	3.05	1.94
वाहनों पर व्यय	1.61	0.79
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	3.03	1.86
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.41	0.42
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार:		
– स्वदेशी	5.35	4.13
क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय/पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय	0.46	0.29
डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों के कार्यों पर व्यय **(टिप्पणी 29.5 देखें)**	44.43	158.50
कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	51.00	1.06
परिसंपत्तियां/पश्चलेखित दावे	0.01	0.09
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	0.04
अन्य सामान्य व्यय	11.56	8.89
उप जोड़	**229.36**	**274.04**
च. प्रावधान	39.65	31.11
उप जोड़	**39.65**	**31.11**
छ. निगम कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	(0.30)	(0.55)
अन्य व्यय	9.84	9.86
कर्मचारी हितलाभ व्यय	97.82	108.13
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.27	2.71
वित्त लागत	0.21	0.20
उप जोड़	**109.84**	**120.35**
ज. घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां		
विद्युत उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व	45.72	53.81
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	12.23	17.34
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.04	-
पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	0.95	0.43
विविध प्राप्तियां	5.57	2.65
उप जोड़	**64.51**	**74.23**
कुल (क+ख+ग+घ+ड+च+छ–ज) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	**1,799.27**	**1,569.61**

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणियां	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) गैर–वर्तमान निवेश							
क) इक्विटी दस्तावेज में (उद्धृत)	3.1		102.06			98.70	
ख) ऋण दस्तावेज (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत	3.1		245.16			411.64	
उप जोड़			**347.22**			**510.34**	
(ii) व्यापार प्राप्य	3.2			399.45			-
(iii) ऋण							
क) संबंधित पक्षकार को ऋण	3.3			-			17.48
ख) कर्मचारी	3.3			214.62			197.19
ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3			875.18			802.92
(iv) अन्य							
– जमा	3.4			25.33			23.19
– ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.4			2,273.62			2,435.91
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य	3.4			2,017.20			2,017.20
– विलंबित भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	3.4			5.64			-
– व्युत्पन्न बाजार से बाजार परिसंपत्ति	3.4	0.24			22.35		
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4			0.37			0.35
कुल गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**0.24**	**347.22**	**5,811.41**	**22.35**	**510.34**	**5,494.24**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) वर्तमान निवेश	7.1		151.35			-	

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणियां	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(ii) व्यापार प्राप्य	7.2			5,487.59			4,621.48
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य	8			382.67			937.78
(iv) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			255.55			222.93
(v) ऋण	10						
(क) कर्मचारी ऋण				54.53			54.76
(ख) संबंधित पक्ष को ऋण				60.06			0.92
(vi) अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			480.29			612.42
(vii) अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			134.03			119.31
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**151.35**	**6,854.72**	**-**	**-**	**6,569.60**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**0.24**	**498.57**	**12,666.13**	**22.35**	**510.34**	**12,063.84**

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1			25,254.69			23,166.61
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2			11.70			12.88
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.3	8.76		2,134.31			2,088.04
(iv) ऋण – अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1			2,885.65			2,848.76
(v) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2			2.39			2.27
(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3			215.45			189.57
(vii) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
(क) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4			632.67			636.10
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	20.4			908.38			734.62
कुल वित्तीय देयताएं		**8.76**	-	**32,045.24**	**-**	**-**	**29,678.85**

ख) उचित मूल्य मापन

i) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एएस–113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर–1 : स्तर –1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर–2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन–देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) निवेश –							
– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	102.06			98.70		
– ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत'	3.1 और 7.1	396.51			411.64		
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.4		0.24			22.35	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**498.57**	**0.24**	**-**	**510.34**	**22.35**	**-**
एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम देयताएं (मांग फैलाव विकल्प)	16.3		8.76			-	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**8.76**	**-**	**-**	**-**	**-**

fVIi.kh %

*इन लिखतों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर–आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसपंत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	3.2			399.45			-
(ii) ऋण							
(क) कर्मचारी (वर्तमान ऋण सहित)	3.3 और 10		275.68			257.88	
(ख) संबंधित पक्ष को ऋण	3.3		-			17.48	
(ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		875.18			802.92	
(iii) अन्य							
– सुरक्षा जमा	3.4		25.33			23.19	
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4		0.37			0.35	
– अन्य से वसूलनीय	3.4			5.64			-
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20			2,017.20		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,017.20**	**1,176.56**	**405.09**	**2,017.20**	**1,101.82**	**-**
वित्तीय देयताएं							
(i) वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	15,950.32	7,919.87	2,760.68	16,766.32	5,326.53	2,991.21
(ii) अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.3	2,017.20		119.08	2,017.20		76.95
कुल वित्तीय देयताएं		**17,967.52**	**7,919.87**	**2,879.76**	**18,783.52**	**5,326.53**	**3,068.16**

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	3.2	399.45	399.45	-	-
(ii) ऋण					
(क) कर्मचारी (वर्तमान सहित)	3.3 and 10	269.15	275.68	251.95	257.88
(ख) संबंधित पक्ष को ऋण	3.3	-	-	17.48	17.48
(ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	875.18	875.18	802.92	802.92
(iii) अन्य					
– सुरक्षा जमा	3.4	25.33	25.33	23.19	23.19
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4	0.37	0.37	0.35	0.35
– वसूलीयोग्य – अन्य	3.4	5.64	5.64	-	-
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**3,592.32**	**3,598.85**	**3,113.09**	**3,119.02**
वित्तीय देयताएं					
(i) वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1,20.1 और 20.4	27,824.97	26,630.87	25,327.57	25,084.06
(ii) अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.3	2,134.31	2,136.28	2,088.04	2,094.15
कुल वित्तीय देयताएं		**29,959.28**	**28,767.15**	**27,415.61**	**27,178.21**

टिप्पणी :–

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
   – उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1. कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं–
   – उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
   – शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
2. स्तर – 3 पर वर्गीकृत वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋणों को छोड़कर, कंपनी के बकाया ऋणों, की भारित औसत दर पर आधारित है।
3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन–देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके माना जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन–देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती हैं:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम – प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है:

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं –

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ब्याज दर हेज और मुद्रा अदला–बदली के माध्यम से अपने मध्यम अवधि मुद्रा ऋणों को भी हेज करती है।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य :–

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करती है। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर कंपनी के अधिकार तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदा के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए अनुसार इंड एएस 116 के अनुसार निहित वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :–

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन–पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर (वार्षिक रूप से चक्रवर्ती की जाने वाली) पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :–

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

कंपनी द्वारा जारी कारपोरेट गारंटी :–

कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को 1.20 प्रतिशत की गारंटी शुल्क और लागू जीएसटी के लिए निम्नलिखित अपरिवर्तनीय और बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। गारंटी से कंपनी का एक्सपोजर उक्त क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया मूलधन होगा जिसमें अनुषंगी कंपनियों द्वारा बैंक को देय कोई ब्याज, कमीशन, शुल्क आदि शामिल है।

(क) कंपनी ने बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) के लिए सावधि ऋण सुविधा के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पक्ष में 213.25 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। उक्त सावधि ऋण का बकाया 31.03.2023 तक ब्याज सहित 134.01 करोड़ रुपए है।

(ख) कंपनी ने लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के लिए सावधि ऋण सुविधा के लिए जेएंडके बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के पक्ष में क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 350 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। उक्त अवधि ऋण का बकाया 31.03.2023 तक क्रमशः 201.36 करोड़ रुपए और 352.22 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) है।

(ग) कंपनी ने जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए सावधि ऋण सुविधा हेतु जेएंडके बैंक लिमिटेड के पक्ष में 313.00 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। उक्त सावधि ऋण की बकाया राशि 31.03.2023 तक 280.00 करोड़ रुपए है।

तथापि, रिपोर्टिंग तिथि को प्रबंधन अनुषंगी कंपनी द्वारा चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि अनुमेय को 12 माह की प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	347.22	510.34
ऋण–गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	1,089.80	1,017.59
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां (पट्टा प्राप्यों और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि को छोड़कर)	2,048.78	2,063.09
वर्तमान निवेश	151.35	-
नकदी और नकदी समतुल्य	382.67	937.78
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	255.55	222.93
ऋण – वर्तमान	114.59	55.68
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	480.29	612.42
कुल (क)	**4,870.25**	**5,419.83**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	5,887.04	4,621.48
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	2,407.65	2,555.22
कुल (ख)	**8,294.69**	**7,176.70**
कुल (क+ख)	**13,164.94**	**12,596.53**

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधानः–

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करता है और मामला दर मामाला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करता है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के पावर स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह कंपनी मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटियां शामिल हैं। कंपनी के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित ऋण पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001–02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी के बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्तूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया और अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर कर लिए है। टीपीए और विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु कंपनी की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करने के लिए साख–पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। इसके अलावा, विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 देय तिथि से 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया भुगतान न करने की स्थिति में कंपनी द्वारा क्रमिक तरीके से विद्युत के विनियमन का प्रावधान करता है, अर्थात जब किसी लाभार्थी द्वारा बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 75 दिन (45 दिन प्लस 30 दिन की देय अवधि) के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते है जो कंपनी के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके

अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करती है और मामला–दर–मामला आधार पर प्रत्यशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी व्यापार प्राप्य की गैर–वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	निवेष	वसूली योग्य राशि	ऋण	कुल
01.04.2021 को शेष	**33.76**	**-**	**275.15**	**0.01**	**308.92**
हानि भत्ते में परिवर्तन	1.57	14.07	7.47	0.42	23.53
01.04.2022 को शेष	**35.33**	**14.07**	**282.62**	**0.43**	**332.45**
हानि भत्ते में परिवर्तन	0.04	121.89	4.52	18.40	144.85
31.03.2023 को शेष	**35.37**	**135.96**	**287.14**	**18.83**	**477.30**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

i. कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिवर्तनशील दर पर	925.00	1,425.00
कुल	**925.00**	**1,425.00**

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2023 को

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 & 20.01	29147.17	2,885.65	5,524.60	6,092.28	14,644.64
पट्टा दायित्व	16.2 & 20.2	23.62	2.39	4.22	1.83	15.18
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 & 20.4	3697.29	1,543.88	23.50	7.39	2,122.52
व्यापार देय	20.3	215.45	215.45	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**33083.53**	**4,647.37**	**5,552.32**	**6,101.50**	**16,782.34**

31 मार्च, 2022 का (करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण व	16.1 व 20.01	27080.91	2,848.76	4,337.53	5,321.14	14,573.48
पट्टा दायित्व	16.2 व 20.2	24.13	2.27	4.39	3.01	14.46
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 व 20.4	3476.56	1,371.41	12.04	6.41	2,086.70
व्यापार देय	20.3	189.57	189.57	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**30771.17**	**4,412.01**	**4,353.96**	**5,330.56**	**16,674.64**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार–पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार हैः

fooj.k	31 ekp] 2023 d: vu|lkj		31 ekp] 2022 d: vu|lkj	
	Hkkfjr vk|lr C;kt nj ¼%½	¼djkM+ :i, e½	Hkkfjr vk|lr C;kt nj ¼%½	¼djkM+ :i, e½
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	8.26	6,403.12	5.64	3,510.01
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	7.80	19,417.76	7.87	19,705.49
नियत दर ऋण (एफसी)	1.35	1,371.42	1.38	1,475.97
कुल		**27,192.30**		**24,691.47**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

ii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार दर :

पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने 688.75 करोड़ रुपये की राशि का बकाया विदेशी मुद्रा (जेपीवाई) ऋण रूपांतरित किया जो 25.07.2024 को 0.75 प्रतिशत की मिश्रित संदर्भ दर (अर्थात TONA+CAS) के प्रति 6 महीने की फ्लोटिंग दर (LIBOR+0.75 प्रतिशत) के अनुसार एक किश्त में चुकाने योग्य था।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार में परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कंपनी के बैंक उधार की संविदात्मक शर्तों में संशोधन किया गया है और संविदात्मक नकदी प्रवाह के निर्धारण के लिए तैयार किया गया नया आधार आर्थिक रूप से परिवर्तन से पूर्व आधार के सामान है।

कंपनी ने इंड एएस 109 में व्यावहारिक समीचीन का विकल्प चुना है अर्थात नकदी प्रवाह में परिवर्तन जो ऐसे प्रवाह हैं जो सुधार के लिए सीधे आवश्यक हैं, और इन्हें फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के रूप में माना जाना चाहिए, जो ब्याज की बाजार दर में संचालन के समान है।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल बकाया राशि 688.75 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, मूलधन और ब्याज के कारण जोखिम की कुल राशि का बचाव व्युत्पन्न लिखतों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों के कारण कंपनी के लाभ और हानि के विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) मूल्य जोखिमः

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन–पत्र में गैर–वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

किसी सूचित तिथि को, इक्विटी और ऋण लिखत के साथ संपर्क निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

fooj.k	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी लिखत	102.06	98.70
ऋण लिखत	396.51	411.64

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूतियां	18.39	18.77	8.62	8.50

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार–चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण लिखत में निवेश हेतु (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण लिखतों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण लिखतों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूतियां	0.03	0.09	0.61	2.01
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर मुक्त बाण्ड	0.89	0.73	1.42	1.20

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	698.18	801.97
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	673.24	674.00
अन्य वित्तीय देयताएं	39.61	49.77
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	**1,411.03**	**1,525.74**

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते है। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रूपए में)	30,171.63	28,047.72
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रूपए में)	35,407.96	33,486.10
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.85	0.84

टिप्पणी : कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में शामिल है – जारी पूंजी और रिजर्व। कुल ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उसकी वर्तमान परिपक्वता सहित लीज देनदारियां, अल्पकालिक उधार और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांडों के लिए देय शामिल हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है:–

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज – गैर नकदी आय)/देय ब्याज)) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

¼x½ **लाभांश : (टिप्पणी सं. 15.2 देखें)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i) इक्विटी शेयर		
वर्ष 2021–22 के लिए 0.50 रुपये प्रति पूर्ण भुगतान शेयर का अंतिम लाभांश अगस्त, 2022 में अनुमोदित किया गया और सितंबर, 2022 में भुगतान किया गया। (31 मार्च 2021– वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.35 रुपए पूर्ण भुगतान शेयर)।	502.25	351.58
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश 1.40 रुपये (31 मार्च 2022 – 1.31 रुपये) प्रति पूर्ण भुगतान शेयर।	1,406.31	1,315.90
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उपरोक्त लाभांशों के अलावा, वर्ष के अंत से निदेशकों ने प्रति पूर्ण भुगतान किए गए शेयरों पर 0.45 रुपये (31 मार्च 2022 – 0.50 रुपये) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश सुनिश्चित एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।	452.03	502.25

टिप्पणी सं. – 33(4) :– एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय अनुपात

31 मार्च, 2023 और 21 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित है।

क्रम सं.	विवरण	अंश	हर	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	प्रतिशत अंतर	अंतर के कारण
(क)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	1.09	1.20	(8.87)	
(ख)	ऋण–इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.85	0.84	1.73	
(ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध अर्जन	ऋण सेवा	4.05	3.62	11.89	
(घ)	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात (प्रतिशत)	कर पश्चात लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	11.13	10.87	2.38	
(ङ)	मालसूची टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत मालसूची	64.78	62.26	4.05	
(च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत देनदार	1.76	1.80	(2.25)	
(छ)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	खरीद	औसत देय व्यापार	5.28	4.93	7.12	
(ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	10.02	6.10	64.17	कार्यशील पूंजी में कमी के कारण वृद्धि
(झ)	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	निवल लाभ	प्रचालनों से राजस्व	41.15	42.58	(3.35)	
(ञ)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	ब्याज और कर से पूर्व आय	नियोजित पूंजी (अमूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + विलंबित कर देयताएं)	6.70	7.26	(7.71)	
(ट)	निवेश पर प्रतिफल उद्धृत निवेश (प्रतिशत में)						
	(i) उद्धृत इक्विटी	निवेश से उत्पन्न आय	समय भारित औसत निवेश	10.46	15.43	(32.21)	वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कम लाभांश और बाजार मूल्य संचलन के कारण है।
	(ii) उद्धृत इक्विटी लिखत			3.90	4.95	(21.21)	
	(iii) अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी निवेश (अनुद्धृत)			5.52	5.12	7.81	

टिप्पणी संख्या – 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :–

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं–

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

ठेकेदारों ने कंपनी के खिलाफ दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल 9971.13 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष **10240.95 करोड़ रूपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्व अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **6393.01 करोड रूपये** (पिछले वर्ष **6040.86 करोड रूपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **1116.93 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **418.63 करोड़ रूपए**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **8556.95 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **9546.17 करोड़ रूपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बर्हिप्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/ दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू–वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **241.19 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **260.87 करोड रूपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **16.22 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **43.86 करोड़ रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **224.97 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **217.01 करोड़ रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **1954.09 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **1905.72 करोड़ रूपये**) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **17.52 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **17.52 करोड़ रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात **746.92 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **704.29 करोड़ रूपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **834.10 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **765.02 करोड रूपये**) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **102.16 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **102.24 करोड़ रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **723.38 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **653.45 करोड़ रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है : (करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/(कटौती)	01.04.2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	9971.13	1116.93	8556.95	9546.17	(989.22)	1604.15
2.	भूमि मुआवजा मामले	241.19	16.22	224.97	217.01	7.96	5.96
3.	विवादित कर मामले	1954.09	17.52	746.92	704.29	42.63	1.09
4.	अन्य	834.10	102.16	723.38	653.45	69.93	27.48
	कुल	**13000.51**	**1252.83**	**10252.22**	**11120.92**	**(868.70)**	**1638.68**

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **502.25 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **462.67 करोड़ रुपये**) की भरपाई होने की संभावना है।

(ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **1231.31 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **1140.40 करोड़ रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यस्थम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016–पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **1654.84 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **1656.11 करोड रूपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों/वर्तमान परिसंपतियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरूद्ध समायोजित में दर्शाया गया है।

(च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां – कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **1397.96 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **1067.90 करोड़ रूपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुरूपी अद्यतन ब्याज सहित **36.13 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **26.74 करोड़ रूपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **1106.28 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **828.50 करोड़ रूपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार :

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014–19/2019–24 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट दिवसों के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक कंपनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता हैं। लाभग्राहियों को अंतिम एकत्रीकरण हेतु व्यापक अनिश्चितता के चलते प्रबंधन ने **23.76 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **25.61 करोड़ रूपये**) का अनुमान लगाया है, जिसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व :

टैरिफ आदेश 2019–24 के लिए याचिका शुल्क के कारण टैरिफ आदेश सभी पावर स्टेशनों के संबंध में लंबित हैं। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि **5.69 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष में **7.26 करोड़ रुपये**) का अतिरिक्त राजस्व टैरिफ संशोधन के कारण उत्पन्न होने की संभावना है जिसकी उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण पहचान नहीं की गई है।

घ) व्यापार बाधा हानि:

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल **128.97 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **192.71 करोड़ रूपये**) की राशि को संभाव्य माना है। दावों का पावर स्टेशन–वार ब्यौरा एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(24) में दिया गया है।

ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों, जिसमें नीति आयोग के निर्देशों/अदालत में लंबित मामलों के संबंध में न्यायालय के आदेशों के अनुसार जमा की गई राशि पर ब्याज, परिसमाप्त क्षतियां, पूर्व कर्मचारियों से बकाया आदि शामिल है, जिसका प्रबंधन द्वारा **1041.79 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **826.00 करोड़ रुपए**) अनुमान लगाया गया है, को मान्यता नहीं दी गई है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य सहित)	3446.87	2130.30
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.21	0.85
	कुल	**3447.08**	**2131.15**

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2023 के अनुसार सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **1419.17 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **1344.47 करोड़ रूपये**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

ग) कंपनी की 31 मार्च, 2023 के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति शून्य करोड़ रूपये (पिछले वर्ष **762.19 करोड़ रूपये**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

4. कंपनी द्वारा जारी कारपोरेट गारंटी के संबंध में प्रतिबद्धताएं :

कारपोरेट गारंटी जिसे दी गई	गारंटी जिसके पक्ष में दी गई	कुल प्रतिबद्धता (निम्न को बकाया ब्याज सहित)	निम्न को प्रतिबद्धता से धारक कंपनी का संपर्क		कंपनी द्वारा प्रभारित गारंटी शुल्क	प्रयोजन
		31.03.2023	31.03.2023	31.03.2022	प्रतिशत में	
		(करोड़ रुपए में)				
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	बीएसयूएल को क्रेडिट सुविधा के समर्थन में एचडीएफसी बैंक	213.25	134.01	60.19	1.20 प्रतिशत	कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए
जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	जेपीसीएल को क्रेडिट सुविधा के समर्थन में जे एण्ड के बैंक	313.00	280.00	-	1.20 प्रतिशत	कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	एलटीएचपीएल को क्रेडिट सुविधा के समर्थन में जे एण्ड के बैंक और बैंक ऑफ बडौदा	553.58	553.58	-	1.20 प्रतिशत	कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए

5. भारतीय लेखांकन मानक 115 – "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटन

क. वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में विद्युत बिक्री, व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री, परामर्श तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

कंपनी का प्रमुख राजस्व विद्युत की बिक्री से आता है। कंपनी विद्युत की बिक्री थोक उपभोक्ताओं, प्रमुखतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों और राज्यों में प्रचालनात्मक निजी डिस्कॉमों को करती है। विद्युत की बिक्री आमतौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुरूप होती है।

विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है :–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत की बिक्री	कंपनी लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करती है, जो पावर स्टेशनों के संपूर्ण जीवनकाल, अर्थात् 40 वर्ष, के लिए है। विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लागू सीमा तक यथासंशोधित 5 वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया जाता है। पावर स्टेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ दरें सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अभी अनुमोदित की जानी हैं/अनंतिम रूप से अनुमोदित हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया है। एक बार लाभार्थी को बिजली पहुंचाने के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है। लाभार्थियों को समय–समय पर और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। राशियाँ विद्युत क्रय करार (पीपीए) की शर्तों के अनुसार बिल की जाती हैं और पीपीए के निबंधनों के अनुसार देय होती हैं।

¼[k½ ifj;kstuk izca/ku@fuekZ.k lafonk,@ijkeZ'kh dk;Z ¼ifj;kstuk vkSj ijkeZ'k dk;Z½

कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए परामर्श और परियोजना निष्पादन तथा रखरखाव संविदाएं संचालित करती है। सेवाएँ विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जाती हैं, जैसे डिजाइन और इंजीनियरिंग, खरीद, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण, निर्माण प्रबंधन, विद्युत संयंत्रों का संचालन और रखरखाव, ग्रामीण सड़क परियोजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं।

परामर्श और अन्य सेवाओं हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है :–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएं	कंपनी समय में परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा से राजस्व का पहचान करती है क्योंकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को प्राप्त करती है और उपभोग करती है। संविदा के अंतर्गत अंतरित परिसंपत्तियों (प्रदेय, रिपोर्ट आदि) का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। परामर्श सेवाओं से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।
ग्रामीण सड़क परियोजना/ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	कंपनी समय में योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि परिसंपत्तियों का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। योजना से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ग) विद्युत का व्यापार

कंपनी उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदती और इसे डिस्कॉमों को बेचती है। करारों की प्रकृति, जोखिम तथा रिवार्ड प्रोफाइल के आधार पर, कंपनी एजेंट के रूप में या प्रमुख के रूप में विद्युत के व्यापार से राजस्व का हिसाब करता है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैः–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	कंपनी समय में व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करती है क्योकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को लाभों को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना हेतु टैरिफ करार के शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा में निहित शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ख) राजस्व का विभाजीकरण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व का विभाजन उत्पादन और सेवाओं की प्रकृति, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता का समय द्वारा किया गया हैः

(करोड़ रूपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य		कुल	
भौगोलिक बाजार	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**	**31.03.23**	**31.03.22**
भारत	9124.85	8,180.57	60.67	45.57	4.60	0.27	125.95	82.22	9316.07	8308.63
अन्य	-	-	0.27	0.59	-	-	-	-	0.27	0.59
कुल	**9124.85**	**8,180.57**	**60.94**	**46.16**	**4.60**	**0.27**	**125.95**	**82.22**	**9316.34**	**8309.22**
राजस्व मान्यता का समय										
निश्चित समयावधि में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	9124.85	8,180.57	60.94	46.16	4.60	0.27	125.95	82.22	9316.34	8309.22
बेची गईं यूनिटें (एमयू)	21654	21516	-	-	-	-	-	-	21654	21516

(ग) संविदा शेष

व्यापार प्राप्य, बिल न किये गये राजस्व सहित और जमा कार्यों एवं संविदा देयताओं के लिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों से अग्रिम – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य – गैर–वर्तमान	399.45	-
व्यापार प्राप्य – वर्तमान	5487.59	4,621.48
संविदा देयताएं – जमा कार्य – वर्तमान	84.64	6.30
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य – वर्तमान	106.38	112.54
उपभोक्ताओं से अग्रिम और अन्य – वर्तमान	28.40	66.77

कंपनी ने प्रारंभिक संविदा देयताओं से 0.41 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) के राजस्व को मान्यता दी है।

(घ) शेष निष्पादन दायित्वों पर आबंटित लेन–देन कीमत कंपनी के प्रचालनों पर न तो लागू है और न ही वास्तविक है।

(ङ) इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपाय:

(i) कंपनी ने शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की है, जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां राजस्व मान्यता प्राप्त है, जो अब तक पूर्ण किए गए निकाय के निष्पादन के उपभोक्ता के मूल्य के साथ मेल खाती है।

(ii) कंपनी के पास सामान्य व्यापार में कोई संविदा नहीं है जहां ग्राहक को वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक है। तदनुसार, लेन–देन के मूल्य को केवल धन मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित किया गया है, जहां ऐसी मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

(च) कंपनी ने ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं व्यय की है और इसलिए ऐसी लागतों के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	(0.50)	(49.28)
(ii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	(7.45)	(58.77)
(iii)	विनियामक अंतर आस्थगित लेखा शेष में मानी गई राशि	1.10	(0.17)

7. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कारोबार "प्रचालन खंड" के संबंध में इंड एएस–108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) **प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना:** निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **2381.29 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष हेतु **2985.60 करोड़ रूपये**) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है:

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व	
		राशि (करोड़ रूपए में)	कुल राजस्व का प्रतिशत	राशि (करोड़ रूपए में)	कुल राजस्व का प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1275.49	13.69%	1525.86	18.36%
2	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार/ जेके पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1105.80	11.87%	1459.74	17.57%
	कुल	**2381.29**	**25.56%**	**2985.60**	**35.93%**

घ) **बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व :** कंपनी भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व	31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	नेपाल	0.27	0.59
	कुल	**0.27**	**0.59**

टिप्पणी : उपरोक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

ङ) **विदेशों में धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां :**

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विदेशी राष्ट्र का नाम	गैर–वर्तमान परिसंपत्ति	31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	नेपाल *	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	26.52	-
	कुल		**26.52**	**-**

*नेपाल में परियोजनाएं सर्वेक्षण और अन्वेषण चरण में है।

8. इंड एएस–24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अंतर्गत प्रकटन :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(i) अनुषंगी कंपनियां

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
क. सहायक कंपनियां	
एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी)	भारत
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	भारत
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) ˙)	भारत
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (01.06.2021 से)	भारत
एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) (16.02.2022 से)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (21.11.2022 से)	भारत

(ii) संयुक्त उद्यम :

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) (20.11.2022 तक)	भारत

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) 13.12.2022 से
2	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (01.09.2022 से 13.12.2022 तक) निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार (03.03.2022 से 02.03.2023 तक)
3	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.08.2022 को सेवानिवृत्त)
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) और सीएफओ निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार 03.03.2023 से
5	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)
6	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक) (02.12.2021 से कार्यभार मुक्त)
7	श्री तन्मय कुमार	सरकारी नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (13.09.2021 से कार्यभार मुक्त)
8	श्री रघुराज माधव राजेन्द्रन	सरकारी नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (16.09.2022 को नियुक्त और 05.12.2022 से कार्यभार मुक्त)
9	श्री मोहम्मद अफजल	सरकारी नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (06.12.2022 से नियुक्त)
10	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक (15.11.2021 को नियुक्त)
11	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक (21.11.2021 को नियुक्त)
12	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक (30.11.2021 को नियुक्त)
13	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक (01.12.2021 को नियुक्त)
14	श्री प्रेमकुमार गोवर्धनन	स्वतंत्र निदेशक (10.03.2023 को नियुक्त)
15	श्रीमती रूप देब	कंपनी सचिव (24.09.2022 को नियुक्त)
16	श्री सौरभ चक्रवर्ती	कंपनी सचिव (24.09.2022 से कार्यभार मुक्त)

(iv) रोजगार–पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(v) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

कंपनी बहुसंख्यक शेयरधारिता के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। कंपनी ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एएस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष–वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पोसको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि., पावर फाउन्डेशन ऑफ इंडिया आदि)	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन–देन किए गए:

(i) सहायक कंपनियों के साथ लेन–देन एवं उनके पास शेष:

(करोड़ रुपये में)

सहायक कंपनियों के साथ लेन–देन	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
▪ एनएचडीसी	0.86	0.01
▪ बीएसयूएल	1.45	0.03
▪ एलडीएचसीएल	0.04	1.28
▪ एलटीएचपीएल	10.12	10.34
▪ जेपीसीएल	8.35	5.87
▪ आरएचपीसीएल	7.34	4.89
▪ एनआरईएल	0.04	-
▪ सीवीपीपीपीएल (21.11.22 से)	7.92	-
कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश		
▪ एनएचडीसी	369.89	292.71
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
▪ बीएसयूएल	2.00	39.82
▪ एलडीएचसीएल	-	6.66
▪ एलटीएचपीएल	283.91	445.00
▪ जेपीसीएल	-	116.49
▪ आरएचपीसीएल	-	137.70
▪ एनआरईएल	20.00	-
▪ सीवीपीपीपीएल (21.11.22 से)	224.69	-
निम्नलिखित में प्रतिनियुक्ति पर/तैनाती पर कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूर्ति		
▪ एनएचडीसी	1.18	2.05
▪ बीएसयूएल	-	0.17
▪ एलडीएचसीएल	0.02	0.30

सहायक कंपनियों के साथ लेन–देन	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
▪ एलटीएचपीएल	1.10	1.80
▪ जेपीसीएल	1.26	0.69
▪ आरएचपीसीएल	0.80	0.70
▪ सीवीपीपीपीएल	2.69	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
▪ जेपीसीएल	55.00	-
▪ एलटीएचपीएल	260.00	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय		
▪ जेपीसीएल	0.57	-
▪ एलटीएचपीएल	2.32	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की चुकौती		
▪ जेपीसीएल	55.00	-
▪ एलटीएचपीएल	200.00	-

(करोड़ रुपये में)

सहायक कंपनियों के पास शेष	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य/(भुगतानयोग्य) – अप्रतिभूत		
▪ एनएचडीसी	(2.35)	(0.76)
▪ बीएसयूएल	1.34	(0.05)
▪ एलडीएचसीएल	1.15	0.24
▪ एलटीएचपीएल	0.79	1.02
▪ जेपीसीएल	2.41	3.40
▪ आरएचपीसीएल	1.22	5.78
▪ एनआरईएल	6.55	-
▪ सीवीपीपीपीएल		
इक्विटी में निवेश (शेयर आवेदन राशि सहित)		
▪ एनएचडीसी	1002.42	1002.42
▪ बीएसयूएल	86.22	84.22
▪ एलडीएचसीएल	105.56	105.56
▪ एलटीएचपीएल	1724.41	1440.50
▪ जेपीसीएल	281.49	281.49
▪ आरएचपीसीएल	137.70	137.70
▪ एनआरईएल	20.00	-
▪ सीवीपीपीपीएल	2172.19	-

सहायक कंपनियों के पास शेष	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
निम्नलिखित से प्राप्य ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत) (ब्याज सहित)		
▪ एलटीएचपीएल	60.06	-
निम्नलिखित को दी गई कारपोरेट गारंटी के संबंध में प्रभाव : (देखें टिप्पणी 34(4))		
▪ बीएसयूएल	134.01	60.19
▪ एलटीएचपीएल	553.58	-
▪ जेपीसीएल	280.00	-

(ii) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन–देन और शेष

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	16.58	33.22
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	107.94	451.56
सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/तैनाती पर होने वाले कर्मचारियों के कर्मचारी लाभ व्यय की प्रतिपूर्ति		
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	-	2.95
कंपनी द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज आय		
▪ एनएचपीटीएल	-	0.19

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
इक्विटी में निवेश		
▪ एनएचपीटीएल *	30.40	30.40
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	-	1839.56
निम्नलिखित से प्राप्य ऋण और अग्रिम (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
▪ एनएचपीटीएल *	18.82	18.82
प्राप्य/ (देय) – अप्रतिभूत		
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	-	60.89

* समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) भी देखें।

(iii) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संव्यवहार और शेष :**

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	3.81	5.11
रोजगार–पश्च हितलाभ	0.56	0.49
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.34	0.09

(करोड़ रुपये में)

केएमपी के साथ अन्य लेन–देन	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	0.48	0.14
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.01	0.09

(करोड़ रुपये में)

केएमपी के साथ अन्य लेन–देन	**31.03.2023 के अनुसार**	**31.03.2022 के अनुसार**
कर्मचारी ऋणों के कारण प्राप्य	0.03	0.42

(iv) **jkstxkj i'Pk fgrykHk ;kstukvksa ds lkFk ysu&nsu vkSj 'ks"k**

(करोड़ रुपये में)

रोजगार पश्च हितलाभ योजनाएं	**कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से धन वापिसी का निवल)**		**रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के शेष से प्राप्य/ (देय)**	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	289.96	320.61	(23.47)	(53.54)
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	70.00	78.53	(1.47)	7.78
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास	(15.39)	(37.39)	(17.97)	5.60
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास	4.95	5.39	(0.40)	(0.43)
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना न्यास	168.79	182.83	(33.53)	(40.35)
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण न्यास	1.48	14.78	4.23	4.98

(v) उस सरकार के साथ लेन–देन जिसका धारक कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात केंद्र सरकार)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	9.62	11.62
कंपनी द्वारा अदा किए गए अधीनस्थ ऋणों पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	70.16	70.73
विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड (भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सहित)	163.80	163.80
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0.02	40.75
कंपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	30.33	25.47
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	1354.09	1183.04
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	2.92	0.45

(vi) (क) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण) (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	4807.34	4831.02
प्राप्य – विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	2021.69	2021.69
प्राप्य (अप्रतिभूत)	84.80	54.55

(vi) (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी प्रदान किए गए ऋण का बकाया शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
विदेशी मुद्रा ऋण	698.17	801.97

(vii) कंपनी पर नियंत्रण होने वाली सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संव्यवहार :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	19.92	29.35
निर्माण सामग्री, भंडार आदि की खरीद	336.03	460.03
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	667.22	572.42
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा	1.82	0.59

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं/माल–सूची की बिक्री	80.05	72.76
बीमा दावों के प्रति कंपनी द्वारा दावों का निपटान/ प्राप्त राशि	61.22	105.20
कंपनी द्वारा अंशदान	6.00	5.00

(viii) कंपनी पर नियंत्रण होने वाली सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ शेष :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
• देय	76.60	50.73
• प्राप्य	224.59	178.24

(ग) संबंधित पक्षकार लेन–देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन की निबंधन एवं शर्तें

क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन–देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटरी मदों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल–पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मदों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

ख. एनएचपीटीएल को दिए गए **18.40 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **18.40 करोड़ रुपए**) के अप्रतिभूत ऋण पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज शामिल है जिसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना है। वसूली में महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण अर्जित ब्याज सहित **18.82 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **शून्य**) की हानि प्रावधान को मान्यता दी गई है।

ग. एलटीएचपीएल को 27.03.2023 को 8.32 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर **60.00 करोड़ रुपए** का बकाया अल्पावधि ऋण प्रदान किया गया था जिसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है।

घ. इस कंपनी द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

ङ. 31.03.2023 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

च. रोजगार–पश्च लाभ योजनाओं के लिए अंशदान न्यासों से प्रतिदाय का निवल है।

(ii) सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों में आगे निवेशों के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(3) में प्रकट किया गया है।

9. **प्रतिभूति का विवरणः उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि निम्नानुसार है:**

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां #	ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9274.93	8160.10	9777.30	-
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	13212.08	12102.92	11690.91	-
3	वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य	967.59	987.93	1065.49	-
	कुल	**23454.60**	**21250.95**	**22533.70**	**-**

#परिसंपत्तियों के समान पूल के प्रति रेहन रखी गई प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य **1866.14 करोड़ रुपए** (गत वर्ष – शून्य) है।

10. **भारतीय लेखांकन मानक–19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण**

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 01.06.2007 से प्रचालनशील है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय 2.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.70 करोड़ रुपए) है। योजना की निधियों का एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास में निवेष किया गया है और उक्त का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है।

(ii) **कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) :** कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **96.89 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **98.13 करोड़ रुपए**) है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार–पश्चात दायित्व हैं:

(क) योजनाओं का विवरण

(i) **भविष्य निधिः** यह कंपनी पूर्व–निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराता है, जो धन का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) **उपदानः** कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 × अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। तथापि, उपदान की ऐसी सीमा, औद्योगिक महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत से बढ़ने पर 25 प्रतिशत से बढ़ जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देना है। न्यास की निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

(iii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन–साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने का है। न्यास की निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता:** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(v) **अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह:** कंपनी की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/– रुपये मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(vi) **कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना :** कंपनी ने 01.04.2021 से "कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में उस कर्मचारी को और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक मदद और सहायता प्रदान करना है, बशर्ते स्थायी पूर्ण विकलांगता/मृत्यु जैसा भी मामला हो, उस समय कारित हुई हो जब कर्मचारी कंपनी की सेवा में हो। मृत्यु/स्थायी पूर्ण अक्षमता के कारण किसी कर्मचारी के कंपनी की सेवा से अलग होने पर, लाभार्थी कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित एक महीने के मूल वेतन और डीए के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक भुगतान और एचआरए सहित बाल शिक्षा भत्ता, आदि अन्य लाभों का हकदार है बशर्ते लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त मृत्यु/निःशक्तता लाभों की राशि को कंपनी के पास जमा करता है। योजना के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) **भविष्य निधि :** वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**2989.92**	**3027.73**	**(37.81)**
वर्तमान सेवा लागत	89.73	-	89.73
ब्याज व्यय/(आय)	233.82	233.82	-
कुल	**323.55**	**233.82**	**89.73**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	3.04	(3.04)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.12)	-	(0.12)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.50)	-	(0.50)
कुल	**(0.62)**	**3.04**	**(3.66)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	89.73	(89.73)
– योजना प्रतिभागी	233.28	233.28	-
हितलाभ भुगतान	(506.80)	(506.80)	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	**3039.33**	**3080.80**	**(41.47)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**2994.16**	**3002.27**	**(8.11)**
वर्तमान सेवा लागत	90.54	-	90.54
ब्याज व्यय/(आय)	231.17	234.35	(3.18)
कुल	**321.71**	**234.35**	**87.36**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	12.03	(12.03)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.35)	-	(0.35)
अनुभव (लाभ)/हानि	(14.14)	-	(14.14)
कुल	**(14.49)**	**12.03**	**(26.52)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	90.54	(90.54)
– योजना प्रतिभागी	263.01	263.01	-
हितलाभ भुगतान	(574.47)	(574.47)	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	**2989.92**	**3027.73**	**(37.81)**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3039.33	2989.92
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3080.80	3027.73
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(41.47)**	**(37.81)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(41.47)**	**(37.81)**

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित **41.47 करोड़ रूपये के निवल अधिशेष** के प्रति योजना से प्रतिदाय लेने अथवा योजना में निम्न भावी अंशदान में हितलाभों का कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, कंपनी ने

अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि कंपनी से।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है–

(करोड़ रूपए में)

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.006%	0.007%	इससे वृद्धि	0.007%	0.007%

(ii) **उपदानः** 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**569.18**	**566.40**	**2.78**
वर्तमान सेवा लागत	15.55	-	15.55
पूर्व सेवा लागत	18.24	-	18.24
ब्याज व्यय/(आय)	39.84	39.65	0.19
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**73.63**	**39.65**	**33.98**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	0.60	(0.60)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	2.98	-	2.98
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(13.24)	-	(13.24)
अनुभव (लाभ)/हानि	(9.24)	-	(9.24)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(19.50)**	**0.60**	**(20.10)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	10.00	(10.00)
हितलाभ भुगतान	(83.88)	(89.25)	5.37
31.03.2023 को अंतिम शेष	**539.43**	**527.40**	**12.03**

उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जिसके तहत औद्योगिक महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर उपदान की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाती है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 31.03.2023 को वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ता 37.20 प्रतिशत है, 01.01.2027 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए 0.24 करोड़ रुपए की उपदान सीमा पर विचार किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**602.75**	**650.34**	**(47.59)**
वर्तमान सेवा लागत	16.06	-	16.06
पूर्व सेवा लागत	33.75	-	33.75
ब्याज व्यय/(आय)	39.48	42.60	(3.12)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**89.29**	**42.60**	**46.69**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.36	(2.36)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.09	-	0.09
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(16.51)	-	(16.51)
अनुभव (लाभ)/हानि	(9.91)	-	(9.91)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(26.33)**	**2.36**	**(28.69)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	(29.33)	29.33
हितलाभ भुगतान	(96.53)	(99.56)	3.03
31.03.2022 को अंतिम शेष	**569.18**	**566.40**	**2.78**

निर्माण के कारण लाभ और हानि का विवरण/निर्माण को आरोप्य व्यय में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य/(देय) के रूप में **0.90 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **1.36 करोड़ रुपए**) की राशि शामिल है।

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	539.43	569.18
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	527.40	566.40
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**12.03**	**2.78**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**12.03**	**2.78**

(करोड़ रूपए में)

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.33%	3.38%	इससे वृद्धि	3.53%	3.60%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.40%	0.44%	इससे कमी	0.46%	0.52%

(iii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**998.37**	**1004.23**	**(5.86)**
वर्तमान सेवा लागत	16.83	-	16.83
ब्याज व्यय/(आय)	69.89	70.29	(0.40)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**86.72**	**70.29**	**16.43**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	10.86	(10.86)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(50.86)	-	(50.86)
अनुभव (लाभ)/हानि	85.21	-	85.21
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**34.35**	**10.86**	**23.49**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	12.28	(12.28)
हितलाभ भुगतान	(55.30)	(51.24)	(4.06)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**1064.14**	**1046.42**	**17.72**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**948.36**	**1043.88**	**(95.52)**
वर्तमान सेवा लागत	16.73	-	16.73
ब्याज व्यय/(आय)	62.12	68.37	(6.25)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**78.85**	**68.37**	**10.48**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	7.01	(7.01)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(56.46)	-	(56.46)
अनुभव (लाभ)/हानि	73.19	-	73.19
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**16.73**	**7.01**	**9.72**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	(67.30)	67.30
हितलाभ भुगतान	(45.57)	(47.73)	2.16
31.03.2022 को अंतिम शेष	**998.37**	**1004.23**	**(5.86)**

निर्माण के कारण लाभ और हानि का विवरण/निर्माण को आरोप्य व्यय में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य/(देय) के रूप में **1.69 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **1.22 करोड़ रुपए**) की राशि शामिल है।

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1064.14	998.37
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1046.42	1004.23
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**17.72**	**(5.86)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**17.72**	**(5.86)**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव								
	अनुमानों में परिवर्तन		अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी			
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.67%	6.67%	इससे वृद्धि	6.75%	6.71%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.78%	6.73%	इससे कमी	6.68%	6.69%

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्तेः** 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**4.52**	**-**	**4.52**
वर्तमान सेवा लागत	0.18	-	0.18
ब्याज व्यय/(आय)	0.32	-	0.32
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.50**	**-**	**0.50**
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.02)	-	(0.02)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.11)	-	(0.11)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.05	-	0.05
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.08)**	**-**	**(0.08)**
अंशदान :–			
हितलाभ भुगतान	(0.70)	-	(0.70)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**4.24**	**-**	**4.24**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**4.83**	**-**	**4.83**
वर्तमान सेवा लागत	0.19	-	0.19
ब्याज व्यय/(आय)	0.32	-	0.32
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.51**	**-**	**0.51**
पुनर्मापन			
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.17)	-	(0.17)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.19	-	0.19
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.02**	**-**	**0.02**
अंशदान :–			
हितलाभ भुगतान	(0.84)	-	(0.84)
31.03.2022 को अंतिम शेष	**4.52**	**-**	**4.52**

निर्माण के कारण लाभ और हानि का विवरण/निर्माण को आरोप्य व्यय में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य/(देय) के रूप में **0.03 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **0.03 करोड़ रुपए**) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.56%	4.34%	इससे वृद्धि	4.99%	4.75%
लागत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	5.25%	5.00%	इससे कमी	4.66%	4.44%

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति–चिन्ह : 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**2.72**	**-**	**2.72**
वर्तमान सेवा लागत	0.10	-	0.10
ब्याज व्यय/(आय)	0.19	-	0.19
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.29**	**-**	**0.29**
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.04)	-	(0.04)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.17)	-	(0.17
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.22)**	**-**	**(0.22)**
अंशदान :–			
हितलाभ भुगतान	(0.36)	-	(0.36)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**2.43**	**-**	**2.43**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**3.12**	**-**	**3.12**
वर्तमान सेवा लागत	0.11	-	0.11
ब्याज व्यय/(आय)	0.20	-	0.20
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.31**	**-**	**0.31**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.08)	-	(0.08)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.20)	-	(0.20)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.28)**	**-**	**(0.28)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.43)	-	(0.43)
31.03.2022 को अंतिम शेष	**2.72**	**-**	**2.72**

निर्माण के कारण लाभ और हानि का विवरण/निर्माण को आरोप्य व्यय में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य/(देय) के रूप में शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.91%	3.20%	इससे वृद्धि	3.00%	3.36%

(vi) कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना : 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**20.40**	**-**	**20.40**
वर्तमान सेवा लागत	1.79	-	1.79
ब्याज व्यय/(आय)	1.23	-	1.23
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**3.02**	**-**	**3.02**
पुनर्मापन			
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.28)	-	(0.28)
अनुभव (लाभ)/हानि	1.05	-	1.05
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.77**	**-**	**0.77**
अंशदान :–			
हितलाभ भुगतान	(0.86)	-	(0.86)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**23.33**	**-**	**23.33**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**-**	**-**	**-**
वर्तमान सेवा लागत	0.84	-	0.84
पिछली सेवा लागत	16.68	-	16.68
ब्याज व्यय/(आय)	-	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**17.52**	**-**	**17.52**
पुनर्मापन			
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**-**	**-**	**-**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	3.08	-	3.08
हितलाभ भुगतान	(0.20)	-	(0.20)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**20.40**	**-**	**20.40**

लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन		अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	1.70%	2.78%	इससे वृद्धि	1.77%	2.93%
लगत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.82%	1.79%	इससे कमी	0.78%	1.75%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2020 को
छूट दर	7.35%	7.00%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखन				
सरकारी बॉण्ड	1837.40	-	**1837.40**	59.64
कारपोरेट बॉण्ड	996.38	-	**996.38**	32.34
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	139.77	-	**139.77**	4.54
नकदी और नकदी समतुल्य	-	47.64	**47.64**	1.55
प्रोद्भूत ब्याज	59.61	-	**59.61**	1.93
कुल	**3033.16**	**47.64**	**3080.80**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1808.81	-	**1808.81**	59.74
कारपोरेट बॉण्ड	1035.78	-	**1035.78**	34.21
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	75.85	-	**75.85**	2.51
नकदी और नकदी समतुल्य	-	45.54	**45.54**	1.50
प्रोद्भूत ब्याज	61.75	-	**61.75**	2.04
कुल	**2982.19**	**45.54**	**3027.73**	**100.00**

उपदान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	527.38	**527.38**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.02	**0.02**	0.00
कुल	**-**	**527.40**	**527.40**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	566.39	**566.39**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	0.00
कुल	**-**	**566.40**	**566.40**	**100.00**

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
कारपोरेट बॉण्ड	412.01	-	**412.01**	39.37
एलआईसी योजना	-	619.05	**619.05**	59.16
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.03	**0.03**	-
प्रोद्भूत ब्याज	15.33	-	**15.33**	1.47
कुल	**427.34**	**619.08**	**1046.42**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
कारपोरेट बॉण्ड	424.01	-	**424.01**	42.22
एलआईसी योजना	-	564.81	**564.81**	56.24
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.02	**0.02**	-
प्रोद्भूत ब्याज	15.39	-	**15.39**	1.54
कुल	**439.40**	**564.83**	**1004.23**	**100.00**

(ङ) **जोखिम प्रदर्शन:** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है –

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

ख) निवेश जोखिम – वित्तपोषित योजनाओं के लिए परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर – बाद के मूल्यांकनों में छूट दर मे कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।

घ) मृत्यु तथा निशक्तता – मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

च) **परिभाषित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान:** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित है, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु परिभाषित लाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान **138.80 करोड़ रूपये** है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि **10.37 वर्ष** है (2020–2022 – **10.49 वर्ष**)।

छूट न दी गई परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	0–1 वर्ष के मध्य	1 – 5 वर्ष के मध्य	5 – 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023	467.67	854.12	630.11	1087.43	**3039.33**
31.03.2022	490.13	877.54	588.36	1033.89	**2989.92**

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता, स्मृतिचिन्ह और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष के मध्य	2 – 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023					
उपदान	68.14	55.02	103.12	313.15	**539.43**
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	55.31	59.05	207.01	742.77	**1064.14**
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.50	0.43	0.75	2.56	**4.24**
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.35	0.28	0.46	1.34	**2.43**
एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	0.97	1.04	3.61	17.71	**23.33**
कुल	**125.27**	**115.82**	**314.95**	**1077.53**	**1633.57**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष के मध्य	2 – 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2022					
उपदान	78.88	62.28	113.02	315.00	**569.18**
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	43.38	45.99	201.89	707.11	**998.37**
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.56	0.47	0.93	2.56	**4.52**
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.41	0.35	0.61	1.35	**2.72**
एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	0.80	0.82	2.56	16.22	**20.40**
कुल	**124.03**	**109.91**	**319.01**	**1,042.24**	**1,595.19**

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (छुट्टी हितलाभ):** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित छुट्टी (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन छुट्टी से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **52.61 करोड़ रूपए** (31 मार्च 2022 : **62.09 करोड़ रूपए**) है।

11. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल–पुर्जों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	18.78	23.47
	ii) अन्य विविध मामले	24.85	6.43
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल–पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	20.79	18.18

12. प्रति शेयर अर्जनः–

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	3.96	4.79
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	3.82	3.52
प्रति शेयर सम मूल्य (रुपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3978.20	4808.13
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3833.79	3537.71

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलानः

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	10045034805	10045034805

13. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत हैः

(क) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली विद्यमान है। बैंक खातों और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। ऊर्जा विक्रय के लिए प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि और बकाया शेष के विवरण के साथ मांग सूचना प्रेषित करती है, जिसे ऐसे लाभार्थियों से बाद के भुगतान की प्राप्ति पर स्वचालित रूप से पुष्टि के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, लाभार्थियों और अन्य ग्राहकों के साथ सामंजस्य आमतौर पर तिमाही आधार पर स्थापित किया जाता है।

(ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु **0.05 करोड़ रूपये** अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2022 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2022 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2023 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.12.2022 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.03.2023 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (बिल न किए गए को छोड़कर) '	3197.59	3064.56	3202.93
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम	2403.98	661.07	2423.14
व्यापार/अन्य देय	654.49	146.63	742.97
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	349.12	49.35	396.93

*व्यापार प्राप्तियों में लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज और ग्राहकों से अग्रिम निवल के फलस्वरूप होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।

(ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

14. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन (टिप्पणी सं 29 देखें)

(i) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	सकल राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)		
	(1) सकल राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)	72.14	65.45
	(2) सीएसआर परियोजना में से उत्पन्न अधिशेष	-	-
	(3) पिछले वर्ष से उपलब्ध समायोजन	60.04	20.20
	(4) वर्ष के लिए कुल सीएसआर बाध्यता ((1)+(2)+(3))	**12.10**	**45.25**
ख.	बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अनुमोदित राशि	173.40	138.78
ग.	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	127.31	105.29
घ.	आने वाले वर्षों के लिए उपलब्ध समयोजन (ग–क(4))	115.21	60.04
ङ.	वर्ष के दौरान व्यय नहीं की गई राशि	-	-

टिप्पणी :– भविष्य के वर्षों में इसके समायोजन में शामिल अनिश्चितता को देखते हुए, आगामी वर्षों में उपलब्ध सेट–ऑफ को विवेक के मामले के तौर पर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(ii) किए गए व्ययो ंके विभिन्न शीर्षों के तहत सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों वाले व्ययों के शीर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता	12.12	22.77
2	शिक्षा एवं कौशल विकास	66.51	35.59
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.31	0.48
4	पर्यावरण	1.37	0.28
5	कला एवं संस्कृति	4.65	-
6	खेल–कूद	0.30	-
7	ग्रामीण विकास	1.97	6.10
8	स्वच्छ विद्यालय अभियान	3.86	5.59
9	स्वच्छ भारत अभियान	0.23	0.56
10	आपदा प्रबंधन	0.72	0.06
11	केंद्र सरकार के फंड में अंशदान (पीएम केयर्स फंड में अंशदान सहित)	30.00	30.00
12	प्रशासनिक उपरिशीर्ष	5.15	3.86
13	सीएसआर प्रभाव आकलन	0.12	-
	कुल राशि	**127.31**	**105.29**

(iii) अन्य प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और व्यय की प्रकृति सहित नकद में अभी भुगतान किए जाने हेतु किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

(करोड़ रूपए में)

	उद्देश्य	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
		नकद में भुगतान (क)	नकदी में अभी भुगतान किए जाने हेतु (ख)	कुल (क + ख)	नकद में भुगतान (क)	नकदी में अभी भुगतान किए जाने हेतु (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	20.08	6.85	26.93	6.68	4.60	11.28
(ii)	उपरोक्त (i) को छोड़ कर किसी प्रयोजन हेतु	94.73	5.65	100.38	88.28	5.73	94.01
	कुल	**114.81**	**12.50**	**127.31**	**94.96**	**10.33**	**105.29**

(ख) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, 12.50 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से कुल 127.31 करोड़ रुपये की राशि संबंधित पक्षकारो को अभी भुगतान की जानी है, जो देयताओं से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल है।

15. प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना की सीमा तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटन निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2023 को	दिनांक 31.03.2022 को
(i)	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज जो तुलन–पत्र की तारीख को किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त रहता है		
	क) व्यापार प्राप्यः		
	- मूलधन (टिप्पणी सं. 20.3 देखें)	37.12	23.12
	- ब्याज	-	-
	ख) अन्यः		
	- मूलधन (टिप्पणी सं. 20.4 देखें)	10.43	7.41
	- ब्याज	-	-
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार, क्रेता द्वारा दिए गए ब्याज की राशि वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित	-	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष के लिए देय ब्याज तथा भुगतानयोग्य राशि (जो दे दी गई है, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद), परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	-	-
(iv)	तुलन–पत्र की तारीख को प्रोद्भूत ब्याज और अप्रदत्त शेष राशि	-	-
(v)	शेष देय ब्याज की राशि तथा परवर्ती वर्षों में भी देय राशि, उस तारीख तक जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटे जाने वाले व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए दी गई है	-	-

16. इंड एएस – 116 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) कंपनी पट्टाधारी के रूप में

(i) इंड एएस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

कंपनी यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। कंपनी अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में आस्तिउपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करती है। इन पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एएस–116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैंः–

क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।

ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।

ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।

घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।

ङ. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 6.58 प्रतिशत है।

(ii) पट्टे की प्रकृति : कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंत्तियों के संबंध में हैं:

(क) 3–4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।

(ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।

(घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पटटों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

(iii) राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में निम्नवत माना गया है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	9.76	10.92
2	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	3.86	4.96

(iv) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **2.95 करोड़ रुपये** (गत वर्ष **4.26 करोड़ रुपये**) है।

(v) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	15.15	12.65
पट्टा देयताओं में वृद्धि	1.12	5.19
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	1.11	1.11
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	3.29	3.80
अंतिम शेष	**14.09**	**15.15**

(ख) वित्त पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

– वित्त पट्टे के रूप में पावर स्टेशन

कंपनी ने दो पावर स्टेशनों नामतः निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और चूटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन पावर स्टेशनों के अपेक्षित जीवनकाल की वास्तविक अवधि के लिए एक समझौता किया है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर 35 वर्षों के शेष उपयोगी जीवन के लिए टीएलडीपी-III पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न संपूर्ण विद्युत के अधिग्रहण के लिए मैसर्स पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के साथ एक पूरक पीपीए निष्पादित किया है। कंपनी द्वारा इन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है और इन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य वित्तीय आस्तियों (वर्तमान और गैर–वर्तमान) में कंपनी द्वारा प्रविष्ट की गई वित्त पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भावी पट्टा रेंटल के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पट्टा प्राप्तियां शामिल हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान **327.80 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **344.95 करोड़ रुपये**) की "वित्त पट्टे से आय" अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2023 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा प्राप्य की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
गैर–छूटशुदा पट्टा भुगतान प्राप्य :		
एक वर्ष से कम	443.31	448.92
एक से दो वर्ष	436.94	449.37
दो से तीन वर्ष	389.72	441.50
तीन से चार वर्ष	295.05	394.94
चार से पांच वर्ष	288.84	298.09
पांच से अधिक वर्ष	6,359.44	6,727.79

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
कुल छूट न दिए गए पट्टा भुगतान प्राप्यः	**8,213.30**	**8,760.60**
जोड़ें : छूट दिए गए गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	383.22	382.48
घटाएं : अर्जित न की गई वित्त आय	6,188.87	6,587.86
पट्टे में निवल निवेश	**2,407.65**	**2,555.22**
पट्टे में निवल निवेश में शामिल गैर–गारंटीबद्ध छूटशुदा अवशिष्ट मूल्य	7.74	6.98

वित्त पट्टों में निवल निवेश की वहनीय राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	2555.22	2,664.46
वर्ष के दौरान वृद्धि	6.75	19.25
वर्ष के लिए वित्त पट्टे से आय	327.80	344.95
घटाएं : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	482.12	473.44
अंतिम शेष	**2407.65**	**2,555.22**

(ग) प्रचालनात्मक पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड और 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। जेवीवीएनएल के साथ विद्युत खरीद समझौता 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया है और पीपीए का विस्तार प्रक्रियाधीन है, हालांकि बिजली ग्राहक के लिए निर्धारित की जा रही है। पीपीए के अनुसार, ग्राहक इन पावर स्टेशनों/विद्युत परियोजनाओं के पूरे आउटपुट को टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन के मामले में परस्पर सहमत टैरिफ पर और 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना के लिए विद्युत की पूल की गई लागत के आधार पर खरीदने के लिए बाध्य है। कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि ये व्यवस्थाएं प्रचालन पट्टे की प्रकृति की है।

वर्ष के दौरान **392.40 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **384.07 करोड़ रुपये**) की ''प्रचालन पट्टे से आय'' अर्जित की गई है।

निम्नलिखित तालिका विद्युत क्रय करार के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले पट्टा प्राप्य, छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा भुगतानों की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
एक वर्ष से कम	312.21	312.21
एक से दो वर्ष	312.21	312.21
दो से तीन वर्ष	312.21	312.21
तीन से चार वर्ष	320.10	312.21
चार से पांच वर्ष	320.10	320.10
पांच से अधिक वर्ष	960.30	1280.41
कुल	**2537.13**	**2849.35**

17. इंड एएस–27 'पृथक वित्तीय विवरण' के अंतर्गत प्रकटीकरण :

(क) अनुषंगी कंपनियों में हित

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	प्रधान क्रियाकलाप	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
क. सहायक कंपनियां			**31.03.2023**	**31.03.2022**
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	विद्युत उत्पादन	74.82%	74.83%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	विद्युत उत्पादन	86.94%	86.67%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 17.1 देखें)	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	100.00%
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 17.2 देखें)	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	100.00%
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (01.06.2022 से) (आरएचपीसीएल)	भारत	विद्युत उत्पादन	51.00%	73.53%
एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16.02.2022 से (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 17.3 देखें)	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (21.11.2022 से) (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 17.4 देखें)	भारत	विद्युत उत्पादन	52.74%	-

17-1 कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 और समामेलन की योजना (योजना) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार अन्य वैधानिक उपबंधों के अंतर्गत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय/समामेलन को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद 10 अगस्त, 2022 को ''एनएचपीसी लिमिटेड के साथ लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के विलय/समामेलन की योजना'' के अनुमोदन के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। इसके अलावा, एमसीए ने कुछ निर्देश जारी किए हैं और कंपनी इन निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया में है।

17-2 कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन 26 अप्रैल, 2023 को सूचित कर दिया गया है। विलय/समामेलन की योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन उचित समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष दायर किया जाएगा।

17-3 कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए 16.02.2022 को एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी निगमित की थी। एनआरईएल ने अपनी स्थापना की तारीख से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपना पहला वित्तीय विवरण तैयार किया है। 31.03.2022 को इसकी कोई आस्ति/देयता नहीं थी और निगमन की तारीख से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कोई आय/व्यय नहीं था।

17-4 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) (49 प्रतिशत) और पीटीसी (2 प्रतिशत) के मध्य एक संयुक्त उद्यम) में पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) की 2 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण किया था। इसके बाद एनएचपीसी की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। प्रवर्तक करार में लंबित आशोधन के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संयुक्त उद्यम करार के निबंधनों के अनुसार अन्य संयुक्त उद्यमकर्ता (जेकेएसपीडीसीएल) के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण किए जाने के कारण सीवीपीपीपीएल को एक संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के पूरक प्रवर्तक करार पर एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और उसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। तदनुसार, इस तारीख को इंड एएस 103

''व्यवसाय संयोजन'' के अंतर्गत अधिग्रहण की तारीख माना गया है। दिनांक 21.11.2022 से सीवीपीपीपीएल की स्थिति एक संयुक्त उद्यम से एक अनुषंगी कंपनी के रूप में बदल गई है।

(ख) संयुक्त उद्यम में हित

1.1 वित्तीय विवरण गैर–लेखापरीक्षित हैं। वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े इसकी लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।

कंपनी का नाम	प्रचालन का मुख्य स्थान	मुख्य क्रियाकलाप	निम्न को स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2023	**31.03.2022**
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत	ऑन–लाइन हाई पावर शार्ट सर्किट टेस्ट सुविधा	20.00%	20.00%
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) (20.11.2022 तक) (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 17.4 देखें)	भारत	विद्युत उत्पादन	-	55.13%

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को इंड एएस 27 – पृथक वित्तीय विवरणों के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापा गया है।

18. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस कंपनी की प्रत्येक परियोजना/विद्युत केंद्र सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के प्रवाह का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूह से नकदी के प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तद्नुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस समूह पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें यह कार्य करता है, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2020–24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस कंपनी के सात सीजीयू और एक अनुषंगी कंपनी के दो सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस कंपनी के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार विद्युत केंद्र शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहन राशि के साथ किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इस कंपनी के विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित सीजीयू की वहनीय राशि और अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम में इसके निवेष की हानि को इंगित करेगा सिवाय एक संयुक्त उद्यम कंपनी और एक संयुक्त उद्यम कंपनी में ऋण की क्षति के जिसे नीचे दिया गया है:

(i) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी) में निवेश के संबंध में हानि :** निवेश मंजूरी (पीआईबी और सीसीईए) में विलंब और उच्च अनुमानित टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए **105.56 करोड़ रुपए** के हानि प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की बहियों में मान्यता दी गई है।

(ii) **नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) में निवेश के संबंध में हानि :** चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), एक संयुक्त उद्यम कंपनी में **30.40 करोड़ रुपए** के कुल निवेश की तुलना में **16.33 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **4.07 करोड़ रुपए**) के अतिरिक्त हानि प्रावधान को मान्यता दी है। तदनुसार, एनएचपीटीएल में कंपनी का संपूर्ण निवेश 31 मार्च, 2023 तक प्रदान किया गया है।

(iii) **नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) को ऋण के संबंध में हानि :** वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ **18.40 करोड़ रुपये** का ऋण दिया था जिसे वार्षिक रूप से एनएचपीटीएल में संयोजित किया जाता है। इस पर ब्याज 30.04.2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक रूप से देय है। ऋण 31.10.2022 से शुरू होकर 20 समान अर्ध–वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था। हालाँकि, ब्याज के भुगतान में चूक और 31.10.2022 को देय किस्त के पुनर्भुगतान पर विचार करते हुए, कंपनी ने वसूली में मौजूद पर्याप्त अनिश्चितता के कारण वर्ष के दौरान **18.40 करोड़ रुपए** के हानि प्रावधान को मान्यता प्रदान की है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के संबंध में कोई हानि नहीं है।

19. जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा उपलब्ध करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि, किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, इसका कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

20. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') रोजगार के दौरान कर्मचारी हितों और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2022 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तथापि, उस तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया, जिसको यह कोड प्रभावी होगा। कंपनी संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने के वर्ष में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।

21. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर–पूर्व–दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं. 10 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर आधारित है।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014–19/2019–24 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान :

पार्बती-II तथा पार्बती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी :

i. रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।

ii. ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।

iii. शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर–वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानो को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :

मेगा तथा निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधानः

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान – अन्य –इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :–

(i) संभावित बहिर्प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

(ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

(iii) वर्ष 2014–19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।

(iv) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

(v) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

(vi) कतिपय ब्याज धारण करने वाले वित्तीय लिखतों जिसमे उन पर प्रोद्भूत लेकिन प्राप्त नहीं किया जा सका ब्याज भी शामिल है, में कर्मचारी भविष्य निधि न्यास द्वारा किए गए निवेश हानि के लिए प्रावधान।

(vii) प्रबंधन अनुमान के अनुसार कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) की लागत के लिए प्रावधान।

22. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटन :

कंपनी प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगी हुआ है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा के लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए अथवा किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व–निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सुबनसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से 30.09.2019 तक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए मामलों के कारण बाधित था। तथापि, परियोजना में तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी थे।

31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में, माननीय एनजीटी ने माना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन में पक्षपात करने वाले आवेदकों की याचिकाओं में कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, एनजीटी के समक्ष लंबित सुबनसिरी लोअर परियोजना के विरुद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया है। अक्टूबर, 2019 से परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 30 सितंबर, 2019 तक व्यय की गई **2735.61 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **2735.61 करोड़ रूपये** तक) की ऋण लागत, **1427.67 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष तक **1427.67 करोड़ रूपए**) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, **322.60 करोड़ रूपए** की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक **322.60 करोड़ रूपये**) को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम उस स्थिति में टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसी लागतों को शामिल करने की अनुमति देता है, जब निर्माण क्रियाकलापों की समाप्ति करना परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर था। तदनुसार, और दर विनियमित क्रियाकलापों पर मार्गदर्शन टिप्पणी और इंड एएस 114 के अनुरूप, उपरोक्त व्यय को विनियामक स्थगन खाता (डेबिट) शेष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान फिर से शुरू कर दिया गया है, 01.10.2019 से व्यय की गई ऋण लागत, कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) को निर्माण पर आरोप्य व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए और उस वर्ष तक, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में माने गए कुल विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31.03.2023 तक
ऋण लागत	2509.67
कर्मचारी हितलाभ व्यय	628.73
मूल्यह्रास और परिशोधन	54.86
अन्य व्यय	562.83
अन्य आय	(285.50)
कुल	**3470.59**

वर्ष 2022–23 के दौरान सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में किसी भी विनियामक आस्थगन लेखा शेष को मान्यता नहीं दी गई है।

प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार, परियोजना की प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत शामिल 13947.17 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10479.22 करोड़ रुपए) की अग्रणीत राशि में कोई हानि नहीं है, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष शामिल है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 40 वर्षों में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019–2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014–19), उधार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार रुकावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबनसिरी लोअर परियोजना में मान्यताप्राप्त आरडीए शेष की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिम:** विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत और आवश्यक लाभ को कवर करने वाली दर पर दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई।

ख) **विनियामक जोखिम:** टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक कंपनी पर आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे विनियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

आईडीए वेतनमान के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों सहित सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा **0.10 करोड़ रुपये** से बढ़ाकर **0.20 करोड़ रुपये** किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014–19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशन के वेतन संशोधन के कारण केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों और सीआईएसएफ कार्मिकों सहित कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों

से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेय किया था। वर्ष 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम जिसके साथ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 15 मार्च, 2019 का शुद्धिपत्र पढ़ा जाए, में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक–114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक वेतन/उपदान सीमा के संशांधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक 631.90 करोड़ रुपए की राषि को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

टैरिफ अवधि 2014–19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन के आरडीए शेषों को इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि सीईआरसी उसके अनुसरण में टैरिफ में उसी की अनुमति देगा, जिसकी वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए पहले अनुमति दी गई थी, टैरिफ विनियम 2019–24 वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की विशिष्ट रूप से वसूली करने की अनुमति देता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से तीसरे पीआरसी के कारण अतिरिक्त व्यय को संबंधित व्यापार प्राप्तियों के साथ राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान, इस संबंध में सीईआरसी के पास दायर याचिका के विरुद्ध प्राप्त टैरिफ आदेश के अनुसार लाभार्थियों को यह शेष राशि बिल की गई है। तदनुसार, विनियामक स्थगन खाता शेष के अंतर्गत बकाया राशि को वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है। वित्तीय विवरण में 31.03.2023 तक पहचाने गए और समायोजित किए गए कुल आरडीए डेबिट शेष का सारांश इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**456.38**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/एकत्रित राशि (–)	(456.38)
घ	**लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)**	**(456.38)**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	-

¼x½ किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 के अनुसार, किसी विद्युत की पूंजीगत लागत पर मूल्यह्रास टैरिफ के संघटकों में से एक है। मूल्यह्रास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 में दी गई दरों के अनुसार बुक में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष मूल्यह्रास को शेष 23/28 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि मूल्यह्रास के रूप में पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, जल विद्युत केंद्र का प्रचालनात्मक जीवनकाल 40 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विपथन में किया जा सके, बशर्ते विपथन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किया हुआ टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों, जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 17 मई, 2018), कंपनी ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत ह्रास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 40 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत ह्रास प्रभारित कर किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से विद्युत केंद्र की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल्यह्रास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित विद्युत केंद्र के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर मूल्यह्रास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित मूल्यह्रास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के शेष अवधि के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों मे टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, टैरिफ विनियम, 2019–24 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित मूल्यह्रास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया मूल्यह्रास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान सृजित आरडीए शेषों की वसूली पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल अर्थात 28 वर्षों की अवधि के दौरान में टैरिफ के संघटक के रूप में उच्च मूल्यह्रास के माध्यम से लाभार्थियों से की जाएगी ।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**761.46**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	199.36
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/एकत्रित राषि (–)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**199.36**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**960.82**

कंपनी का किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत खरीद करार है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को पहले ही सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अतः कंपनी किशनगंगा विद्युत केंद्र के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करती है।

हालांकि, खाते में ह्रास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथा अनुमति दी गई विद्युत केंद्र की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के अध्यधीन है। निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

भारतीय लेखांकन मानक 23 – "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 – "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13कक – "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित

किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**1.55**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	1.10
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित (–)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख+ग)**	**1.10**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**2.65**

2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए भी जारी रखी गई है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तद्नुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में विद्युत की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता हो बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तद्नुसार, कंपनी ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर

समायोजन को वर्गीकृत किया है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, पूर्व के टैरिफ विनियम 2014–19 में यथा प्रदत्त वर्तमान कर और आस्थगित कर की वसूली के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेषों का संचलन :

टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**1404.04**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित राशि (+)	(56.09)
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख+ग)**	**(56.09)**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**1347.95**

आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन (2014–19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि के संबंध में) के संबंध में :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**854.09**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	1.18
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित/प्रत्यावर्तित की गई राशि (–)	(217.16)
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख+ग)**	**(215.98)**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**638.11**

न्यूनतम वैकल्पि कर (मैट) क्रेडिट के कारण विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष :

कंपनी ने प्रबंधन के इस अनुमान के आधार पर कि लेखाबहियों में मान्यता प्रदत्त मैट क्रेडिट की राशि का उपयोग करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे वित्तीय वर्ष 2022–23 तक **1895.93 करोड़ रुपए** (गत वर्ष तक **1478.62 करोड़ रुपए**) की राशि की मैट क्रेडिट पात्रता के कारण विलंबित कर परिसंपत्तियों को मान्यता प्रदान की है।

कंपनी द्वारा जब कभी उपयोग किए जाने पर उत्पन्न होने वाली आय से होने वाला होने वाला मैट (एमएटी) क्रेडिट लाभार्थियों को प्रदान किया जाना है। तदनुसार, चालू वर्ष तक **1438.86 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **1313.27 करोड़ रुपए**) के विनियामक स्थगन खाता (क्रेडिट) शेष को भविष्य में उपयोग किए जाने वाले मैट क्रेडिट के संबंध में मान्यता दी गई है और उसे आगे लाभार्थियों को प्रदान किया गया है।

उपरोक्त में से, चालू वर्ष के दौरान **125.59 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष शून्य) की राशि का उपयोग किया गया है और समीक्षा करने पर, **390.07 करोड़ रुपए** की राशि को प्रतिलोमित कर दिया गया जिन्हें उन पावर स्टेशनों के संबंध में विनियामक दायित्व

के रूप में मान्यता दी गई थी, जहां लाभार्थियों के साथ बातचीत के आधार पर टैरिफ नियत किया गया है।

भविष्य की अवधियों में लाभग्राहियों को देय मैट क्रेडिट के संबंध में मान्यताप्रदत्त/ (प्रयुक्त) नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष में संचलन निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**1313.27**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)/ देयता (–)	125.59
ग	**उप जोड़ (क+ख)**	**1,438.86**
घ	वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई राशि	125.59
ङ	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	390.07
च	**31.03.2023 को अंतिम शेष (ग–घ–ङ)**	**923.20**

टैरिफ अवधि 2004–2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यताप्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता/देयता तथा टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर और मैट क्रेडिट की मान्यता से संबंधित समायोजन कंपनी के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यधीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसी शेष राशि की वसूली की अनुमति देता है।

23. (i) उड़ी-II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उसे जून, जुलाई तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2023 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्रतिदाय की प्राप्त की गई निवल राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
व्यापार बाधा हानि	202.98	74.01	-	128.97*	128.97*

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **शून्य** है (अद्यतन तिथि को संचयी **शून्य** करोड़ रूपये है)।

(ii) सेवा-II पावर स्टेशन, जहां 25 सितंबर, 2020 को भू–स्खलन के कारण हेड रेस टनल (एचआरटी) क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतियों को ठीक कर लिया गया है और वर्तमान में पावर स्टेशन प्रचालनरत है। पावर स्टेशन की आस्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम नीति के तहत कवर की जाती है। 31.03.2023 को बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	51.92	25.00	11.92	15.00	39.07
व्यापार बाधा हानि	204.00*	165.00	-	39.00	63.74**
कुल	**255.92**	**190.00**	**11.92**	**54.00**	**102.81**

* बीमा पॉलिसी के अनुसार 36.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रीमियम राशि का निवल।

** नोट संख्या 34 की टिप्पणी 2 (घ) में आकस्मिक संपत्ति में शामिल।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **42.14 करोड़ रुपए** (अद्यतन तिथि को संचित **204.00 करोड़ रुपए**) है।

(iii) 31.3.2023 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 23 (i) और (ii) में प्रकट किए गए उड़ी-II और सेवा-II के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	70.20	6.87	22.01	41.32	38.69
कुल	**70.20**	**6.87**	**22.01**	**41.32**	**38.69**

24- निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि **बरसर जल विद्युत परियोजना** की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **226.94 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **226.78 करोड़ रूपए**) का व्यय किया जा चुका है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।

25. कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल-II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.11.2015 के निर्देश के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य सरकार की सहमति के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17.08.2021 को माननीय न्यायालय में एक शपथ–पत्र दायर किया है कि 7 जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए, जिसमें कोटली भेल ।ए, ।बी और ॥ परियोजनाएं शामिल नहीं हैं, इन परियोजनाओं के परिणाम के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक, 31.03.2023 तक **279.75 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **278.11 करोड़ रुपए**), **42.95 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **42.95 करोड़ रुपए**) और **51.42 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **51.42 करोड़ रुपए**) के व्यय को क्रमशः कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल–2 परियोजनाओं के संबंध में चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे ले जाया गया है। तथापि, पर्याप्त एहतियात के तौर पर, 31.03.2023 तक कुल **374.12 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **372.48 करोड़ रुपए**) की इन राशियों का प्रावधान खातों की बहियों में किया गया है।

26. तवांग चरण–। और चरण–।। जलविद्युत परियोजनाओं पर किए गए व्यय **237.15 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **237.15 करोड़ रुपए**) को पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में आगे बढ़ाया गया है। तथापि, स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और इन परियोजनाओं से जुड़ी समग्र अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं में 31.03.2023 तक किए गए व्यय के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में **237.15 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **237.15 करोड़ रुपए**) की राशि का प्रावधान लेखाओं में किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपेक्षित शर्तों की पूर्ति के अधीन नीपको को इन परियोजनाओं को सौंपने की प्रक्रिया में है।

27. **(क)** धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, **35.91 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **35.70 करोड़ रूपए**) की राशि का 31.03.2023 तक हुए व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। हालांकि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रूप में खाता बुक में **35.91 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **35.70 करोड़ रूपए**) का प्रावधान किया गया है।

(ख) गोरीगंगा-III क परियोजना की पूंजीगत लागत और अनुकूल टैरिफ को कम करने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। उस पर निर्णयों के लंबित रहने तक, 31.03.2023 तक **46.37 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **46.37 करोड़ रुपये**) के किए गए व्यय की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रुप में, लेखाबहियों में **46.37 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **46.37 करोड़ रुपये**) का प्रावधान किया गया है।

28. मुद्रीकरण/प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मुद्रीकरण/प्रतिभूतीकरण :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए उड़ी–1 पावर स्टेशन की मुक्त नकदी (इक्विटी पर रिटर्न, माध्यमिक ऊर्जा से राजस्व और क्षमता प्रोत्साहन शामिल) के मुद्रीकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ **1876.37 करोड़ रुपए** की राशि के लिए एक समझौता किया है जिसका पुनर्भुगतान बैंक को 10 वर्षों की अवधि में निम्नलिखित तरीके किया जाना होगा :

(क) **नियत घटक : 22.42 करोड़ रुपए** प्रति माह/7.65 प्रतिशत की दर से छूट की दर पर (एसबीआई का 3एम एमसीएलआर प्लस 0.05 प्रतिशत का विस्तार) संवितरण की तारीख से पहले रीसेट की तारीख तक लागू छूट दर संवितरण की तारीख से एक दिन पहले बेंचमार्क दर पर आधारित दर होगी और बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत की जाएगी। ऐसा पहला रीसेट 1 अप्रैल 2023 को और उसके बाद हर तीन महीने में होगा।

(ख) **परिवर्तनशील घटक :** पावर स्टेशन की माध्यमिक ऊर्जा के कारण राजस्व का 5 प्रतिशत, वार्षिक रूप से संदेय।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मुद्रीकरण/प्रतिभूतीकरण :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत **1016.39 करोड़ रुपए** की राशि के लिए चमेरा-I पावर स्टेशन के इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जो बैंक को निम्नलिखित तरीके से 10 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान योग्य है :

(क) **नियत घटक : 10.90 करोड़ रुपए** प्रति माह/5.24 प्रतिशत छूट दर (31–जनवरी–2023 को 3 महीने का टी–बिल 3.71 प्रतिशत जिसमें 1.53 प्रतिशत का विस्तार शामिल है)। बेंचमार्क दर के आधार पर छूट दर हर तीन महीने में पुनः निर्धारित की जाएगी। पहला ऐसा पुनःनिर्धारण अप्रैल 2023 के पहले दिन और उसके बाद हर तीन महीने में किया जाएगा।

(ख) **परिवर्तनीय घटक :** पावर स्टेशन की माध्यमिक ऊर्जा के कारण राजस्व का 5 प्रतिशत, वार्षिक रूप से संदेय।

प्रतिभूतिकरण पर प्राप्त राशि को प्रारंभ में इंड एएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर एक वित्तीय देयता (उधार) के रूप में मान्यता दी गई है। प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार वित्त लागत के तहत ब्याज व्यय को मान्यता दी गई है।

29. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षताएं) विनियम 2015 की अनुसूची-V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन :

(क) **ऋणों के रुप में ऋण एवं अग्रिम**

(i) अनुषंगी कंपनियां :

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	निम्नलिखित को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2023	31.03.2022	2022-23	2021-22
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	60.06	-	201.61	-
जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	55.57	-

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां :

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	निम्नलिखित को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2023	31.03.2022	2022-23	2021-22
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लि. *	18.82	18.82	18.82	18.82

* एनएचपीटीएल को ऋण के प्रति क्षति प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है **(देखें टिप्पणी 34(18))**

(iii) उन फर्मों और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है : शून्य **(पिछले वर्ष शून्य)**।

(ख) एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य **(पिछले वर्ष शून्य)**

30. हाइड्रो उत्पादक पावर स्टेशनों के संबंध में कार्बन क्रेडिट प्रमाण–पत्रों के मात्रात्मक ब्यौरे :

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रारंभिक शेष	2436839	6930932
2	वर्ष के दौरान जारी/उत्पन्न	-	138595
3	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए	-	4632688
4	अंतिम शेष	2436839	2436839
5	प्रमाणीकरण के अधीन	28304999	-

31. **बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण :** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

31 मार्च, 2023 को यथास्थिति बंद की गई कंपनियों के संबंध में बकाया देय/प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2023 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध,
1	किशन सिंह एण्ड कंपनी प्रा. लि.	प्राप्य	0.22	संविदाकार
2	आरएमएस इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
3	वर्चुअल इलेक्ट्रिोनिक्स कंपनी	देय	0.01	संविदाकार
4	ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी लि.	देय	0.01	संविदाकार
5	आर के बिल्डिंग सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	देय	0.06	संविदाकार
6	रोल्टामैक्स पोर्ट – टेक प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
7	केआरसीसी इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि.	देय	0.35	संविदाकार

टिप्पणी : 17 बंद की गई कंपनियों पर बकाया शेष, जिनकी पृथक प्राप्य/देय राशि **50,000/– रुपए** से कम है। ऐसे सभी वसूली योग्य मामलों का योग शून्य रुपए है और ऐसे सभी देय मामलों का योग **186,507/– रुपए** है।

गत वर्ष के दौरान बंद कंपनियों से प्राप्य/देय बकायों के संबंध में जानकारी निम्नलिखित थी :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध,
1	किशन सिंह एण्ड कंपनी प्रा. लि.	प्राप्य	0.22	संविदाकार
2	आरएमएस इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
3	टोटल सॉल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.02	संविदाकार
4	आर के बिल्डिंग सॉल्यूषन्स प्रा. लि.	देय	0.13	संविदाकार
5	रोल्टामैक्स पोर्ट – टेक प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
6	रॉयल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	संविदाकार

टिप्पणी : 9 बंद की गई कंपनियों पर बकाया शेष, जिनकी पृथक प्राप्य/देय राशि **50,000/– रुपए** से कम है। ऐसे सभी वसूली योग्य मामलों का योग **15,770/– रुपए** है और ऐसे सभी देय मामलों का योग **81,643/– रुपए** है।

31 मार्च, 2023 को यथास्थिति बंद की गई कंपनियों द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	बंद की गई कंपनियों के साथ संव्यवहार की प्रकृति
1	यूनीकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड	1,20,100	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर
2	दीपलोक सिक्योरीटीज लि.	50,000	
3	वाइटालिंक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	6,393	
4	ट्रेडशेयर फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	2,000	
5	हर्ष स्टॉक पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड	1,426	
6	ओमजी स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	500	
7	विजार्ड इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
8	जेनिथ इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
9	सिद्धा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	301	
10	हरेश एक्स्ट्रूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	250	
11	ड्रीम्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	
12	राइजिंग स्टार रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	40	
13	सुसी एण्ड रोसा रियल एस्टेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	13	
14	सान्वी फाइनेन्स कन्सलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड	2	
15	कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	1	

गत वर्ष के दौरान प्रकट किए गए बंद की गई कंपनियों द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के बारे में जानकारी निम्नवत है :

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	बंद की गई कंपनियों के साथ संव्यवहार की प्रकृति
1	क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	7000	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर
2	वाइटालिंक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	6393	
3	सुयश मर्कैंटाइल प्राइवेट लिमिटेड	4500	
4	ट्रेडशेयर फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	2000	
5	हर्ष स्टॉक पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड	1426	
6	ओमजी स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	500	
7	विजार्ड इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
8	जेनिथ इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
9	सिद्धा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	301	
10	हरेश एक्स्ट्रूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	250	
11	सुशील सिक्योरीटीज प्राइवेट लिमिटेड	100	
12	जीएसबी शेयर कस्टूडियन सर्विसेस लिमिटेड	100	
13	जीवीजे प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	59	
14	ड्रीम्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	
15	राइजिंग स्टार रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	40	
16	सुसी एण्ड रोसा रियल एस्टेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	13	
17	सान्वी फाइनेन्स कन्सलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड	2	
18	कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	1	

32. **लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव :** वर्ष के दौरान, लेखांकन नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गई हैं :

(i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट/सीईआर/वीईआर की मान्यता पर लेखांकन नीति शामिल की गई है। उपरोक्त परिवर्तन के कारण लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) वर्ष के दौरान आवासीय कार्यालय में कर्मचारियों के लिए फर्नीचर/साज–सज्जा उपलब्ध कराने की नई योजना के कार्यान्वयन के कारण आवासीय कार्यालय में कर्मचारियों को प्रदान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास को संशोधित किया गया है। उपरोक्त परिवर्तन के कारण लाभ पर प्रभाव नगण्य है।

33. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की ओर से सांविधिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ किसी प्रभार या संतुष्टि के पंजीकरण में कोई विलंब नहीं हुआ है, सिवाय एक मामले के जिसे नीचे प्रकट किया गया है:

प्रभार या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार की अवस्थिति	अवधि जिससे ऐसे प्रभार को पंजीकृत किया जाना था (दिवस या माह में)	प्रभार के वास्तविक पंजीकरण की तारीख	पंजीकरण में विलंब के कारण
भारतीय स्टेट बैंक से उधार के विरुद्ध एनएचपीसी की चल/अचल संपत्ति के संबंध में 27 जनवरी 2023 को प्रभार सृजित किया गया	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा	30 दिवस	28 फरवरी 2023	मौजूदा मामले में, आरओसी के पास प्रभार दाखिल करने में 2 दिन की देरी हुई थी। एमसीए पोर्टल के नए वी3 संस्करण के साथ प्रभार धारक यानी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा डीएससी की संगतता समस्या के कारण पंजीकरण में आने वाली कठिनाइयों के कारण देरी हुई थी।

34. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण

(i) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''मध्यवर्तियों'') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से'') जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यवर्ती कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थी के ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य कोई कार्रवाई करेगी।

(ii) कंपनी को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त–पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(iii) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

(iv) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आमेलन की किसी योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है। तथापि, एलटीएचपीएल और जेपीसीएल (कंपनी की अनुषंगी कंपनियां) की जारी आमेलन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 की टिप्पणी 17.1 और 17.2 में दी गई है।

(v) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है अथवा लंबित नहीं है।

(viii) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में दाखिल की गई तिमाही विवरणी/चालू परिसंपत्तियों का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

(ix) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो उन लेखाओं की बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया है।

35. जहां कहीं आवष्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः कंपनीबद्ध/पुनः कथित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(रूपा देब)	**(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)**	**(राजीव कुमार विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी**	**कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377	एफआरएन : 302137ई	एफआरएन : 003824एन
(भुवनेश महेश्वरी)	**(एस.सी. चतुर्वेदी)**	**(मनुश्री बिंदल)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 012705	सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 29 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे यहां बाद में 'धारक कंपनी' कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें उसके संयुक्त उद्यमों में लाभ का समूह का निवल हिस्सा शामिल है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण और उस समय समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों (जिसे यहां बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है) की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 यथा संशोधित (के साथ पाठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2023 को समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के कार्यों की स्थिति और कुल समेकित व्यापक आय (जिसमें लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल है)ा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्टिवी में समेकित परिवर्तनों और उसके समेकित नकदी प्रभाव का भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणी खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व भी आगे स्पष्ट किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप हम ग्रुप से स्वतंत्र हैं और साथ ही उन नैतिक अपेक्षाओं के कारण भी जो इस निमित्त बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने अपने अन्य नैतिक जिम्मेदारियों, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरूप पूरी की है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और अन्य लेखाकारों को परीक्षण क्रम में उपलब्ध लेखापरीक्षा प्रमाण नीचे अन्य विषय खंड में दिया गया है और यह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षण मत के लिए आधार उपलब्ध कराने में पर्याप्त और समुचित है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामलें हैं जो हमारे पेशेगत विवेक में मौजूदा अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलें पर समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और उनपर हमारी राय निर्मित करने के संदर्भ में पूरी तरह ध्यान दिया गया है और हम इन मामलें में कोई अपना पृथक मत उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलें पर अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें के रूप में विचार किया है। हमने इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियों सहित अपनी रिपोर्ट के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणी खंड में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। इसके अनुसार हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिमों के अनुमान पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रदर्शन भी शामिल हैं। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और अन्य लेखाकारों द्वारा संपन्न प्रक्रियाओं के परिणाम जो हमारे द्वारा लेखा परिक्षित नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दावा किया है, इसमें वे प्रक्रियाएं भी शामिल हैं जो मुद्दों के समाधान के लिए की गई हैं और वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। नीचे दिए गए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित किए गए हैं और ये कंपनी की दो सब्सिडियरी के संबंध में ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। अन्य घटकों के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने संबंधित कंपनी की वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दा नहीं उठाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें के तहत नीचे दिए गए आंकड़े और संदर्भ, जबतक खासतौर पर के अन्य विशेष संदर्भ में उल्लिखित नही हों, केवल धारक कंपनी के हैं जब तक कि अन्य सभी घटकों के मामले में ये आंकड़े वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए हों।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
1.	**नियामक आस्तगित खाता डेबिट शेष और लंबित टैरिफ अधिसूचना लंबित होने के चलते राजस्व का प्रोद्भवन** धारक कंपनी की परिचालन गतिविधियां सेवा विनियमों की लागत के अध्यधीन हैं, जिसके द्वारा उत्पादित बिजली के लिए प्रभारित टैरिफ स्वीकार्य पूंजी और अन्य लागत और व्ययों तथा इसके प्रति निर्धारित रिटर्न पर आधारित है। धारक कंपनी अपने ग्राहकों को पूर्व–अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ के आधार पर इनवॉइस करती है जो सत्यापन के अधीन है। धारक कंपनी राजस्व को विनियामक के साथ सहमत पूर्व–अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ दरों के आधार पर ग्राहकों को चालान की गई राशि के रूप में मान्यता प्रदान करती है। चूंकि धारक कंपनी इक्विटी पर एक निश्चित रिटर्न की पात्र है, विनियमों के अनुसार मान्यताप्राप्त राजस्व और पात्रता के बीच के अंतर को विनियामक आस्तियोंध्देनदारियों के रूप में मान्यता दी गई है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, धारक कंपनी ने 6420.12 करोड़ रुपये (31 मार्च 2022 तक 6948.11 करोड़ रुपये) के विनियामक आस्थगित लेखा नामे शेष को मान्यता प्रदान की है जैसाकि धारक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14.1 में गया गया है। इसमें कार्य के बाधित होने की तारीख अर्थात 16.12.2011 से 30.09.2019 तक की अवधि के लिए सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित ब्याज लागत और अन्य आरोपी व्ययों के कारण 3470.59 करोड़ रुपये तक की कुल राशि शामिल है जैसाकि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(23क) में दर्शाया गया है। इसी तरह के मामले धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियों में से एक, एनएचडीसी लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी सूचित किए गए हैं। विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष टैरिफ विनियमों और पिछले टैरिफ आदेशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और ये विनियामकों द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के अध्यधीन हैं। विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष को लागू विनियामक ढांचे के तहत विनियामक की वास्तविक या अपेक्षित कार्रवाई के परिणामस्वरूप भविष्य के आर्थिक लाभ की संभावना के संबंध में अनुमानों और मान्यताओं के आधार पर बिना छूट के आधार पर मान्यता प्राप्त है और इसलिए इसकी वसूली टैरिफ विनियमों और संबंधित अनुमोदनों और अधिसूचनाओं पर निर्भर करती है। उपर्युक्त के अनुसार किए गए प्रोद्भवन उस व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें कंपनी कार्य संचालन कर रहा है। विशेष अधिसूचना और दर निर्धारण के अभाव में यह प्रबंधन की मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित होता है जो सीईआरसी द्वारा शुल्क प्रभार को अंतिम रूप दिए जाने और परियोजना का परिचालन शुरू होने पर निर्भर करता है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर नियामक आस्थगित खाता ऋण शेष के मूल्य की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में जो निम्नलिखित शामिल हैं :** • आय के प्रोद्भवन के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना और इसका परीक्षण करना। • सीईआरसी विनियमों के अनुरूप वसूली योग्य राशि प्राप्त करना और मान्य करना तथा प्रबंधन द्वारा ऐसे आकलनो के लिए लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर इसकी तर्कसंगतता का आकलन, परीक्षण और मूल्यांकन करना। • इंड एएस 114 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का आकलन करना, आईसीएआई द्वारा नियामक आस्थगित शेष के संदर्भ में जारी दर विनियमन गतिविधियों के लेखांकन पर मार्गदर्शी टिप्पणी। • उपरोक्त में सीईआरसी दिशा–निर्देशों का मूल्यांकन और धारक कंपनी द्वारा पहले किए गए दावों की स्वीकृति तथा प्रबंधन द्वारा विभिन्न आधारों पर अस्वीकृति और उस स्थिति तथा व्यापार माहौल में लिए गए निर्णयों की तर्कसंगतता। • सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के मामले में नकदी उत्पादन ईकाई टिप्पणी 34 (19) के मूल्य तक पहुंचने में प्रबंधन द्वारा विचारित विभिन्न मान्यताओं का मूल्यांकन करना तथा जारी परियोजना के मौजूदा मूल्य के संदर्भ में पर्याप्तता तथा नियामक आस्थगित खातों के अंतर्गत अधिशेष का आकलन करना। • इस संदर्भ में धारक कंपनी द्वारा अपनाई गई मापन नीतियां और मान्य राशि की पर्याप्तता और तर्कसंगतता तथा इनके संबंध में किए गए स्पष्टीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
2.	**परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) तथा जारी पूंजीगत कार्य की मौजूदा राशि का क्षति आकलन** प्रत्येक पावर स्टेशन/परियोजना को धारक कंपनी की नकदी उत्पादन ईकाईयां माना गया है। क्षति संकेतकों और इनके संदर्भ में आवश्यकताओं का आकलन परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा जारी पूंजीगत कार्य के संदर्भ में किया गया है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(19) में दिया गया है। यह आकलन किया गया कि वर्ष के दौरान धारक कंपनी में प्रतिकूल असर डालने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ या निकट भविष्य में कंपनी के प्रौद्योगिकीगत, आर्थिक या वैधानिक माहौल में इसके होने की संभावना नहीं है। आकलन के आधार पर धारक कंपनी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कोई महत्वपूर्ण क्षति संकेतक या धारक कंपनी के सीजीयू के संदर्भ में कोई क्षति वर्ष 2022–23 के दौरान नहीं हुई है। उपरोक्त आकलन के आधार पर धारक कंपनी द्वारा पीपीई या सीडब्ल्यूआईपी के लिए क्षति आकलन का कोई प्रावधान जरूरी नहीं माना गया। सुबनसिरी लोअर परियोजना के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेष सहित कुछ परिसंपत्तियों की मौजूदा राशि का औचित्य प्रमाणित करने के लिए किए गए क्षति प्रबंध, जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 में दर्शाया गया है, कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। सामान प्रकार के मामले एनडीएचसी लिमिटेड और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) के सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा भी सूचित किए गए हैं। क्षति आकलन में नकदी उत्पादन ईकाईयों (सीजीयू) के उपयोग मूल्य का आकलन शामिल हैं और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान, उत्पादन पुर्वानुमान, मात्रा पुर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक होते हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम किसी सीजीयू का प्रावधान नहीं किए जाने की तर्कसंगत्ता तय करते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • इंड एएस 36 के अनुरूप कंपनी और क्षति संकेतकों (या उनके विपरीत) को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारणों का मूल्यांकन। • वसूली योग्य राशि के निर्धारण के लिए सीजीयू के संदर्भ में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में, इस संदर्भ में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख अनुमानों के विश्लेषण के आधार निम्नलिखित, ये घटक शामिल हैं: - मूल्यांकन के लिए पूर्वानुमान के संबंध में सततता बनाए रखना और किसी भी घटक के संभावित प्रभाव का आकलन करना; - मॉडल में प्रयुक्त मूल्य मान्यताएं; - नकदी प्रवाह अनुमान या छूट दर में सीजीयू के लिए संभावित जोखिमों का पता लगाना; - पूंजी की भारित औसत लागत अवधारणा/अनुमान तथा प्रयोग में मूल्य निकालने के लिए छूट की दर; • परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकारी नीति और अनुमोदन, निदेशक मंडल के निर्णय और इस संबध में किए गए प्रयास और उपायों की समीक्षा। • निर्माण पूरा होने की समयावधि, उत्पादन मात्रा और परिणामी राजस्व के लिए उसके अपेक्षित टैरिफ के आधार पर प्रबंधन के अनुमानों पर विश्वास किया गया है।
3.	**संविदाकारों के दावों के प्रति आकस्मिक देयताएं – समेकित वित्तीय विवरणों की (टिप्पणी 34.2 (क) (i))** धारक कंपनी पर संविदाकारों द्वारा पूंजीगत राशियों के प्रति दर्ज किए गए विभिन्न दावे 9971.13 करोड़ रुपए के हैं जिसमें से इसके लिए 1116.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा 8556.95 करोड़ रुपए का प्रकटीकरण आकस्मिक देयता के तहत किया गया है और शेष दावों के संबंध में, किसी भी बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना जाता है। इसमें मध्यस्थता और/या न्यायालय के समक्ष ऐसे मामले शामिल हैं जिनका निर्णय कंपनी के विरुद्ध किया गया है। इसके अलावा, समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (2) (ड.) (I) और (II) में संदर्भित कुछ मामलों में नीति आयोग के निर्देशों या न्यायालय के आदेश के अनुसार कतिपय राशियों का भुगतानधनिक्षेप किया गया है। कंपनी की एक सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के मामले में आकस्मिक देयता में उल्लिखित ऐसे दावे की राशि 46.92 करोड़ रुपए है (507.78 करोड़ रुपए की कुल घोषित आकस्मिक देयता में से)।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की उपयुक्तता तय करते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं :** • विधि विभागों से मामलों की स्थिति और इस बारे में उनका दृष्टिकोण प्राप्त करना; • अनुबंध की शर्तों और नियमों तथा अब तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन के विचारों तथा धारक कंपनी के प्रति की गई मांगों के संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराई जा सकी शेष राशि का मूल्यांकन करना; • प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श तथा संबंधित मामलों में हुए पत्राचार दिए गए मेमो और टिप्पणियों की समीक्षा करना। • समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और इन से उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर विश्वास गिया गया है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
	समूह के खिलाफ किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं। ये मध्यस्थता न्यायालय या अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित हैं और इनका संभावित असर हो सकता है। अपेक्षित प्रावधान/स्पष्टीकरण देयता की संभावना के बारे में प्रबंधन के आकलन पर आधारित हैं।	• इंड एएस 37 'प्रावधान, देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण के औचित्य और पर्याप्तता की समीक्षा की गयी।
4.	**परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अंवेषण तथा निर्माण पूर्व चरण के अंतर्गत 31.03.2023 तक हुआ व्यय** टिप्पणी 2.2.3 में दिए गए अनुसार धारक कंपनी के संदर्भ में 1293.90 करोड़ रुपए का व्यय परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अंवेषण के लिए की गई है। इसमें ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागत शामिल हैं। इस राशि में 964.21 करोड़ (वर्ष के दौरान 2.19 करोड़ रुपए शामिल) रुपए मंजूरी, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में अनिश्चितता को देखते हुए उपलब्ध कराए गए हैं, शेष 329.69 करोड रुपए जारी पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जारी पूंजीगत कार्यों में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जहां सक्रिय निर्माण गतिविधियां अभी शुरू की जानी है। परियोजनाओं का परित्याग किए जाने तक, ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागत पूंजीकृत की जाती हैं, हालांकि जहां प्रबंधन के मतानुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने में अनिश्चितताओं का अनुमान है वहां संबंधित प्रावधान किये गए हैं। संबंधित परियोजनाओं के शुरू न होने की स्थिति में सर्वेक्षण और अंवेषण पर व्यय राशि और निर्माण से पूर्व व्यय की गई/आवंटित राशि जारी पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रसारित किए जाने के लिए मान्य नहीं होगी।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं पर हुए व्यय की राशि की वहनीयता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पंहुचे, में निम्नलिखित शामिल है :** • प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं और अन्वेषण चरण की स्थिति मालूम की गयी और उन्हें स्थगित रखने को कारण प्राप्त किए गए। • (क)सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं और प्रावधानों के लिये अपनायी गयी नीति/कंपनी की व्यवसाय –प्रकृति के अनुसार ऐसे व्यय को बट्टे खाते में डालने, (ख) निर्माण पूर्व चरण के अंतर्गत परियोजना तथा उधारी और अन्य लागत के तहत आवंटन और इसके अनुरूप आवंटन व्यय के लेखापरीक्षण के लिये प्रबंधन द्वारा लागू उपायों की संचालन प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना और जांचना। • परियोजनाओं को लागू करने में अनिश्चितताओं और विलंब के बावजूद पूंजीगत कार्य के तहत ऐसी परियोजनाएं जारी रखने के कंपनी के औचित्य और भविष्य में इनके अनुमानित आर्थिक उपयोग का मूल्यांकन करना। • संबंधित परियोजना के प्रत्येक मामले में स्थान, आकार और प्रकृति के अनुरूप अपेक्षित सामान्य अवधि के प्रबंधन के दावे और परियोजना के निर्माणाधीन और निर्माणपूर्व चरण की अवधि का मूल्यांकन करना। • विषय तकनीकी होने तथा उस उद्योग की प्रकृति के ट्रेडमार्क से जुड़े होने के कारण जिसमें वह कंपनी परिचालन कर रही है, प्रबंधन के दावे पर निर्भरता रखी गयी है।
5.	**मैट क्रेडिट को मान्यता** चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने इसे उपलब्ध 945.96 करोड़ रुपये के मैट क्रेडिट की वसूली का आकलन किया है। इस तरह के आकलन के आधार पर, मैट क्रेडिट की राशि के रूप में धारक कंपनी ने 417.31 करोड़ रुपए (31 मार्च 2022 तक 1478.62 करोड़ रुपये) के मैट क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है जिसका उपयोग धारक कंपनी द्वारा भविष्य के वर्षों में आयकर के कम बहिर्वाह के रूप में भावी वर्षों में किया जाएगा। मान्यता प्रदान किए गए मैट क्रेडिट में से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 328.94 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, मैट क्रेडिट पात्रता के संबंध में उक्त विलंबित कर परिसंपत्ति से संबंधित 923.20 करोड़ रुपए (31 मार्च 2022 तक 1313.27 करोड़ रुपए) के नियामक विलंबित (क्रेडिट) शेष को मान्यता दी गई है, जो वह राशि है, जिसे सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार भविष्य में लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम मान्यता प्रदान किए गए मैट क्रेडिट की उपयुक्तता और उसके प्रति सृजित नियामक विलंबित (क्रेडिट) के बारे में किसी निष्कर्ष पर पंहुचे है, उसमें निम्नलिखित शामिल है :** • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि के आकलन और कराधान से संबंधित कंपनी के नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता को समझना और जांचना। • अप्रयुक्त मैट जमा और वर्तमान वर्ष में घटनाक्रम, यदि कोई हो तो, पर आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति, इस नीति में अपेक्षित परिवर्तन पर प्रबंधन की सहमति की समीक्षा। • कंपनी द्वारा तैयार आंतरिक पूर्वानुमान और भावी कर योग्य आय की संभावना के आधार पर कंपनी को विधिक रूप से उपलब्ध कर जमा पात्रता का मूल्यांकन।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
	मैट क्रेडिट पात्रता से संबंधित इस आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह की पात्रता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य लाभ सृजन पर निर्भर करती है। इसके प्रति मैट क्रेडिट और विनियामक आस्थगन (क्रेडिट) शेष की मान्यता आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार अनुमत समय–सीमा के भीतर ऐसे कर क्रेडिटों की वसूली–योग्यता पर विचार करते हुए मैट क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के करयोग्य लाभों की भविष्यवाणी में इसकी तात्विकता और निर्णय की आवश्यकता को देखते हुए क्रेडिट की वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए राशि महत्वपूर्ण है। । इस संबंध में प्रासंगिक प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 20.0(ख) के साथ पठित टिप्पणी संख्या 14.2, 18, 30.1, 31, 34(23) (ड.) में प्रदान किए गए हैं।	• निरंतरता और अनिश्चितता के लिए अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा तथा मान्यताप्राप्त मैट क्रेडिट के उपयोग की संभावना के एक युक्तियुक्त परिमाण का आकलन करने और विवेक के सिद्धांत की समीक्षा। • विनियामक व्यवस्था, जिसके तहत कंपनी संचालित होती है, से संबंधित निहितार्थ की समीक्षा और कंपनी द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के संबंध में उत्पादन गतिविधि से उत्पन्न होने वाले मैट क्रेडिट और दिए गए वर्तमान विनियामक उपबंधों और प्रयोज्यता की अवधि के तहत वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव। • वित्तीय विवरणी में किये गये स्पष्टीकरण की पर्याप्तता और औचित्य का मूल्यांकन।

वित्तीय विवरणों और इन पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं

अन्य सूचनाओं के लिये धारक कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी सूचना शामिल है लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणियां, एकल वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। आशा है कि अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध करा दी जायेगी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के बारे में हमारा दायित्व उपलब्ध हो जाने पर उपर निर्दिष्ट अन्य सूचना को पढ़ना, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, या गैर लेखापरीक्षित संयुक्त उपक्रम की प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों से, जहां तक कि इसका संबंध इन कंपनियों से हो, इसकी तुलना करना है। और ऐसा करने में अन्य लेखापरीक्षकों/प्रबंधन के अभिप्रमाणन कार्य पर भरोसा रखना और यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना, समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा क्रम में प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या महत्वपूर्ण रूप गलत दर्ज है। अन्य सूचना, जहां तक यह सबसिडियरी और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित है, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित या प्रबंधन से अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों से मालूम कर ली जाती है।

जब हम ऊपर बताई गई अन्य सूचना का अध्ययन करते है और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है तो हमें शासन के प्रभारी लोगों के मामले के बारे में सूचित करना होगा और कानूनों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करना होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधकीय दायित्व

इन एकीकृत वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में दर्ज मामलों के लिये धारक कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। ये विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिंद्धांतो के अनुरूप, मामलों की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित बदलाव और संयुक्त उपक्रमों सहित समूह के समेकित नकदी प्रवाह की सच्ची और सही जानकारी देती है।

समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमों के संबंधित निदेशक मंडल के दायित्वों में ये भी शामिल हैं – समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और इनकी रोकथाम के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखापरीक्षा रिकॅार्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग विवेकपूर्ण और

तर्कसंगत निर्णय और आकलन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की तैयारी, क्रियान्वयन और प्रबंधन, जो सच्ची और सही जानकारी देने वाले और किसी मूर्त गलतबयानी से मुक्त, चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या त्रुटिवश, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड्स की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से लागू थे, और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये प्रयुक्त किये गये है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमो के संबंधित निदेशक मंडल इन गतिविधियों के लिये – एक सक्रिय कंपनी के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमताओं के आकलन, जारी उद्यम के संबंधित व्यवहार्य मामलों को स्पष्ट करने और लेखांकन के जारी आधार का उपयोग करने का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इसे लिक्विडेट करने या संचालन रोकने का निर्णय नहीं लेता, या ऐसा करने के लिए अलावा कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध न हो।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमो के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात के लिये पूरी तरह आश्वस्त होना है कि समेकित वित्तीय विवरणियां किसी बड़ी गलतबयानी से पूरी तरह मुक्त हैं या नहीं, चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हों या भूल के कारण, इन जोखिमों के प्रति प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और लागू करना तथा लेखा प्रमाण जारी करना जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। तर्कसम्मत आश्वासन ऊच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा गलतबयानी का पता लगेगा ही। गलतबयानी धोखाधड़ी या भूल के कारण भी हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है जब व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से यह इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय पर असर डालते हैं।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाह बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते है:–

- समेकित वित्तीय विवरणों की असर डाल सकने वाली बड़ी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे ये धोखाधड़ी की वजह से हों या त्रुटि की वजह से, इन जोखिमों के लिये प्रभावी लेखांकन प्रक्रियाएं डिजाइन करना और इसे लागू करना और लेखा प्रमाण जारी करना जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाली गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम, भूल के कारण होने वाली गलतबयानी से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखांकन प्रक्रियायें डिजाइन करने के लिये जो परिस्थितियों में उचित हों, लेखांकन से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम यह मत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है या नहीं, और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता कैसी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और प्रबंधन के संबंधित स्पष्टीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखापरीक्षण के लिये चालू कंपनी आधार का उपयोग करने की प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष लेना और प्राप्त लेखांकन प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की संयुक्त उपक्रमों सहित समूह की कार्यक्षमता पर संदेह पैदा कर सकने वाली, घटनाओं या स्थितियों से जुड़ी कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित स्पष्टीकरण की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान दिलाना होता है या यदि इस प्रकार का स्पष्टीकरण अपर्याप्त है तो हमें अपना मत संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं समूह या इसके संयुक्त उपक्रमों को चालू कंपनी के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु, रूपरेखा तथा समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना और यह भी देखना कि क्या वित्तीय विवरणियां लेन–देन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में मत व्यक्त करने के लिये समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों में व्यवसाय गतिविधियों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त समुचित लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना। समेकित वित्तीय विवरणों में, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, शामिल ऐसी व्यवसाय गतिविधियों की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, निगरानी और प्रदर्शन के लिये हम उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी गतिविधियों के लिये, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने किया है, उनके निर्देशन, निगरानी और प्रदर्शन के लिये वे लेखापरीक्षक ही जिम्मेदार होते है, हम केवल अपने लेखापरीक्षा मत के लिये ही जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का महत्व उसके पड़ सकने वाले प्रभाव से हैं जो व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर यह संभावना उत्पन्न करता है कि इससे समेकित वित्तीय विवरणों के किसी जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक फैसले प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्यों के परिणामों के मूल्यांकन, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी चिन्हित गलतबयानी के प्रभाव के मूल्यांकन के लिये मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में किसी त्रुटि सहित लेखांकन के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय के बारे में तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तियों के बारे में उन लोगों से संपर्क करते हैं जिन्हें मूल कंपनी के प्रशासन का प्रभार सौंपा गया है।

हम प्रशासन प्रभारियों को ब्योरा भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित सभी नैतिक दायित्वों का पालन किया है और उन्हें संबंधों और अन्य मामलों की जानकारी उपलब्ध करायी है जो हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते थे और जहां व्यवहार्य हो संबंधित सुरक्षा उपायों पर भी।

प्रशासन प्रभारियों को संप्रेषित मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो मौजूदा समय की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व के थे और इस प्रकार मुख्य लेखा मामले हैं। हम अपने लेखांकन रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इनके सार्वजनिक स्पष्टीकरण पर रोक न लगाते हों, या जब अत्यधिक विरल परिस्थिति में हम निश्चित करते हों कि जनहित में यह मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं लिया जाना चाहिये।

अन्य मामले

1. हमने उन सात सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/अन्य वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा को नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरणियां अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के तहत 31 मार्च 2022 को कुल परिसंपत्तियां, और कुल निवल आस्तियां तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिये कुल राजस्व, कुल कर पश्चात निवल लाभ, कुल व्यापक आय और निवल नकदी इनफ्लो/(आउट फ्लो) दर्शाती हैं। ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी अन्य लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षित हैं जिनकी रिपोर्ट हमें धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा सौंपी गयी है। समेकित वित्तीय विवरणों में हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संदर्भ में शामिल राशि और स्पष्टीकरण से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भर है।

(करोड़ रूपए में)

सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2023 को कुल परिसंपत्तियां	31 मार्च 2023 को निवल परिसंपत्तियां	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/ (हानि)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल नकदी इनफ्लो/(आउटफ्लो)
एनएचडीसी लिमिटेड	7,650.78	5,693.26	1,509.34	774.43	772.78	(86.60)
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन निगम लिमिटेड	1.06	(0.30)	0.02	(161.28)	(161.28)	(1.55)
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	277.75	94.04	4.31	(3.00)	(3.00)	3.23
लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड	2,500.06	1,764.64	-	(0.22)	(0.22)	31.14
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	647.05	304.45	0.40	0.28	0.28	(32.72)
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	415.14	375.90	9.05	6.32	6.32	(134.08)
एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	18.43	18.41	0.83	(1.59)	(1.59)	0.18
कुल	**11,510.27**	**8,250.40**	**1,523.95**	**614.94**	**613.30**	**(220.40)**

वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने निवेश मंजूरी (पीआईबी और सीसीईए) में देरी और उच्च अनुमानित टैरिफ पर विचार करते हुए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए 105.56 करोड़ रुपए के लिए 105.56 करोड़ रुपए की राशि का हानि प्रावधान किया है।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी कंपनी (अर्थात 21 नवंबर, 2022 से चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण 5,384.52 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां और 3,996.24 करोड़ रुपए की कुल निवल परिसंपत्तियां दर्शाते हैं। 31 मार्च 2023 तक, कुल राजस्व 19.63 करोड़ रुपए, कर पश्चात कुल निवल लाभ 8.02 करोड़ रुपए, कुल व्यापक आय 8.02 करोड़ रुपए और 21 नवंबर 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए निवल नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) 426.02 करोड़ रुपए है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा हममें से एक (अर्थात संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों) द्वारा की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक कि यह इस अनुषंगी कंपनी के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में, दो संयुक्त उद्यमों के संबंध में जिनके वित्तीय विवरणों/अन्य वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित समूह के निवल लाभ/(हानि) का भाग भी शामिल है। ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी लेखापरीक्षित नहीं है और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे वित्तीय विवरणों/अन्य वित्तीय जानकारी पर आधारित है। धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/अन्य वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये निवल लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये निवल अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा – कुल
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड (20.11.2022 तक)	9.15	-	9.15
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड ##	(14.24)	-	(14.24)
कुल	**(5.09)**	**-**	**(5.09)**

वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में 16.33 करोड़ रुपए और निगमन के बाद से लगातार हो रही नकदी हानि के कारण उक्त संयुक्त उद्यम को प्रदान किए गए ऋण के संबंध में 18.40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त हानि का प्रावधान किया है।

4. एनएचडीसी लिमिटेड और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड को छोड़कर उपर्युक्त घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखा रिपोर्ट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर प्रतिवेदित नहीं किया है।

   इसके अभाव में हम इन मामलों को सभी कंपनियों के लिये शामिल करने में असमर्थ हैं।

सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा किये गये कार्य और सौंपी गयी रिपोर्ट पर हमारे भरोसे और अन्य मामले के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों में हमारा मत, जो कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 में दिया गया है, परिवर्तित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 की अपेक्षानुसार, पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा संयुक्त उपक्रमों की अन्य वित्तीय सूचना पर विचार करते हुए और हमारे अपने लेखांकन के आधार पर, जैसा कि उपर के पैराग्राफ "अन्य मामले" में उल्लिखित है, हम व्यवहार्य सीमा तक प्रतिवेदित करते हैं, कि:

क. उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर आवश्यक समझी गयी वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए।

ख. हमारे मत में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित और विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बही रखी गयीं, जैसा कि इन लेखा बही और अन्य लेखाकारों की रिपोर्ट के परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग. इस रिपोर्ट में परीक्षित समेकित तुलन पत्रक, समेकित लाभ–हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरणी और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से प्रबंधित लेखा बही के अनुरूप हैं;

घ. हमारे मत में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणियां अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप हैं;

ङ. कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

च. समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में "**अनुलग्नक क**" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें, जोकि उस होल्डिंग कंपनी, सबसिडयरी, और संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्ट पर आधारित है जिनका लेखापरीक्षा किया गया है। हमारी रिपोर्ट ग्रुप और इसके संयुक्त उपक्रमों की उपयुक्तता और संचालन प्रभावकारिता पर अपरिवर्तित मत व्यक्त करती है; और

छ. कंपनी (लेखा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 और कंपनी (लेखा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम 2014 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार है :

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय स्थिति के बारे में लंबित याचिकाओं के प्रभाव को स्पष्ट करता है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 2 देखें।

ii. समूह और इसके संयुक्त उपक्रम को व्युत्पन्न अनुबंध सहित दीर्घावधि के अनुबंधों में कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। इसलिये इस संदर्भ में प्रावधान करने की जरूरत समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों के लिये व्यवहार्य नहीं है।

iii. समूह और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

v. क. धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधनों ने हमें और क्रमशः उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखापरीक्षकों को बताया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, धारक कंपनी या उसकी अनुषंगियों या भारत में निगमित उसकी अनुषंगियों द्वारा कोई भी निधि दी गई है या ऋण नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में शामिल संयुक्त उद्यम, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यवर्तियां") भी शामिल हैं, जिसमें यह समझ भी अन्तर्निहित है, चाहे वे लिखित रूप में दर्ज हों या अन्यथा, और यह कि मध्यवर्तियाँ:

- क्या संबंधित धारक कंपनी या उसकी अनुषंगियाँ या भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यम द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेंगी या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेंगी।

ख. धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधनों ने हमें और क्रमशः उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखापरीक्षकों को बताया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, धारक कंपनी या इसकी अनुषंगियों या भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यम द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं ("वित्त–पोषण पक्षकार")से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें यह समझ अन्तर्निहित है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, धारक कंपनी या उसकी अनुषंगियां या भारत में निगमित उसके संयुक्त उद्यम:

- क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इसकी ओर से या वित्त–पोषण पक्षकारों की ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देंगे या निवेश करेंगी या

- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेंगी।

ग. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (v)(क) और (v)(ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई तात्विक गलत बयानी की गई है।

vi. धारक कंपनी और भारत में निगमित इसकी अनुषंगी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

ज) लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की बहियां अनुरक्षित करने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का परंतुक जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से धारक कंपनी तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों पर लागू है, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

झ) अधिनियम की धारा 143(11) के निबंधनों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') के पैराग्राफ 3 (XXI) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिसे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए, और कंपनी और उसकी अनुषंगियों के लिए जारी सीएआरओ रिपोर्टों और समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम के आधार पर, जिसके लिए सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, हम सूचित करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में कोई अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी**	**कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377	एफआरएन : 302137ई	एफआरएन : 003824एन
(भुवनेश महेश्वरी)	**(एस सी चतुर्वेदी)**	**(मनुश्री बिंदल)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 012705	सदस्यता सं. 517316
यूडीआईएन : 23088155BGYWEE5496	यूडीआईएन : 23012705BGWLYD5744	यूडीआईएन : 23517316BGYPFY1795

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 29 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "क"

("अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं संबंधी" हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुच्छेद (च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को, और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे यहां बाद में "धारक कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों, जो उक्त तिथि तक भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां और उसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, से संबंधित निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में तय किए गए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी ने ये मानदंड इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए तैयार किए हैं। इन जिम्मेदारियों में ऐसे उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उन्हें लागू करना और उनका रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने, इसके लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करने सहित, इसका व्यवस्थित और कुशल कार्य–व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह और संयुक्त उद्यमों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा के बारे में आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पण और आईसीएआई द्वारा जारी मानकों एवं अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे गए उन लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की सीमा तक प्रयोज्य हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पण के तहत यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और अपनी लेखा–परीक्षा की योजना इस तरह से बनाए और उस पर अमल करें जिससे इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए है।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनसे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियत्रंणों की हमारी लेखापरीक्षा में इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के संदर्भ में जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। प्रक्रियाओं का चयन, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई महत्वपूर्ण गलत बयानी सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा के दौरान, हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए और अन्य लेखापरीक्षकों को उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनका उल्लेख नीचे अन्य मामलों से संबद्ध पैरा में किया गया है, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएसस) सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए

जा रहे हैं, और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या उनकी रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों से ऊपर मिलीभगत या उसके द्वारा अधिकारों का अनुचित इस्तेमाल शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और यह संभव है कि उसका पता न चल सके। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियां या प्रक्रियाओं के संदर्भ में अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत : हमारी राय में, हमें प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी, सहायक कंपनियां और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी में महत्वपूर्ण संदर्भों में, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। धारक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में तय किए गए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने संबंधी ये मानदंड 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी मार्गदर्शी टिप्पण में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए तैयार किए गए थे।

अन्य मामले

i. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह आठ सहायक कंपनियों से संबंधित है, भारत में अधिनिगमित उन कंपनियों की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर आधारित है।

   अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य और प्रस्तुत रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमार मत अर्हक नहीं है।

ii. एक संयुक्त उद्यम, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं है।

   समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत हमारी उक्त रिपोर्ट जहां तक यह भारत में अधिनिगमित एक संयुक्त उद्यम से संबंधित है, जिनके वित्तीय विवरण/अन्य वित्तीय जानकारी लेखापरीक्षित नहीं है या फिर गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/अन्य जानकारी पर आधारित है।

   समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारी राय प्रभावित नहीं होती है क्योंकि ये वित्तीय विवरण/अन्य वित्तीय जानकारी समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155
यूडीआईएन : 23088155BGYWEE5496

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705
यूडीआईएन : 23012705BGWLYD5744

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316
यूडीआईएन : 23517316BGYPFY1795

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	परिसंपत्तियां			
(1)	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**			
क)	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	17,841.57	19,191.08
ख)	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	31,350.50	22,521.90
ग)	उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	4,287.92	2,626.25
घ)	निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49
ङ)	अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	3.41	3.28
च)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपित्तयां	2.6	6.24	0.51
छ)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित निवेष	2.7.1	-	1,876.16
ज)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	i) निवेश	3.1	347.22	510.34
	ii) व्यापार प्राप्य	3.2	473.51	-
	iii) ऋण	3.3	1,118.20	1,044.10
	iv) अन्य	3.4	8,614.10	9,389.28
झ)	गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	44.26	20.39
ञ)	अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	4,548.61	4,001.84
	कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**68,640.03**	**61,189.62**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
क)	माल–सूची	6	161.18	140.44
ख)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	i) निवेश	7.1	151.35	-
	ii) प्राप्य व्यापार	7.2	6,160.59	5,175.84
	iii) नकदी और नकदी तुल्य	8	1,019.81	1,314.67
	iv) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	1,673.87	643.68
	v) ऋण	10	60.77	61.04
	vi) अन्य	11	942.07	901.66
ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	133.07	145.79
घ)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	462.43	463.03
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**10,765.14**	**8,846.15**
(3)	नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14.1	6,682.29	7,248.73
	कुल परिसंपत्तियां और नियामक लेखा डेबिट शेष		**86,087.46**	**77284.496**
	इक्विटी तथा देयताएं			
(1)	**इक्विटी**			
क)	क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03
ख)	ख) अन्य इक्विटी	15.2	26,854.31	24,875.95
	कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी		**36,899.34**	**34,920.98**
ग)	गैर–नियंत्रक हित	15.3	4,815.13	2,862.87
	कुल इक्विटी		**41,714.47**	**37,783.85**
(2)	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
क)	**वित्तीय देयताएं**			
	i) ऋण	16.1	26,602.24	23,226.61

(करोड़ रूपए में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	ik) पट्टा देयताएं	16.2	47.18	17.46
	ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	2,198.78	2,098.97
ख)	प्रावधान	17	69.66	54.29
ग)	विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	2,463.61	2,442.44
घ)	अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	19	3,565.25	3,037.85
	कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**34,946.72**	**30,877.62**
(3)	**वर्तमान देयताएं**			
क)	**वित्तीय देयताएं**			
	i) ऋण	20.1	2,885.65	2,848.76
	iक) पट्टा देयताएं	20.2	4.77	3.12
	ii) देय व्यापार	20.3		
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		46.67	30.37
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		188.15	183.74
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	1,897.91	1,577.12
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	21	850.43	607.90
ग)	प्रावधान	22	2,068.74	1,340.74
घ)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	14.56
	कुल वर्तमान देयताएं		**7,942.32**	**6,606.31**
(4)	नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	1,483.95	2,016.72
	कुल इक्विटी तथा देयताएं		**86,087.46**	**77,284.50**
	समेकित वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां	1-34		

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रूपा देब)	**(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)**	**(राजीव कुमार विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी**	**कृते पी सी बिंदल एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377	एफआरएन : 302137ई	एफआरएन : 003824एन
(भुवनेश महेश्वरी)	**(एस सी चतुर्वेदी)**	**(मनुश्री बिंदल)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 012705	सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	10,607.40	9,144.20
ii) अन्य आय	24.2	677.50	964.06
कुल आय		**11,284.90**	**10,108.26**
व्यय			
i) उत्पादन व्यय	25	939.56	844.12
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,435.28	1,554.76
iii) वित्त लागत	27	474.26	532.28
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,214.67	1,190.30
v) अन्य व्यय	29	1,964.45	1,557.97
कुल व्यय		**6,028.22**	**5,679.43**
असाधारण मदों, नियामक विलंबित कर शेष और कर से पूर्व लाभ		**5,256.68**	**4,428.83**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यम के निवल लाभ का अंश	2.7.2	(5.09)	(1.39)
असाधारण मदें		-	-
दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		**5,251.59**	**4,427.44**
कर व्यय	30.1		
i) वर्तमान कर		947.00	915.69
ii) विलंबित कर		29.24	(1,472.67)
कुल कर व्यय		**976.24**	**(556.98)**
वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		**4,275.35**	**4,984.42**
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	(40.61)	(1,210.09)
वर्ष हेतु लाभ (क)		**4,234.74**	**3,774.33**
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
(क) रोजगार पश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन		(4.87)	8.28
घटाएं – निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		(1.87)	(3.07)
- नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		6.49	2.33
- रोजगार पश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन	2.7.3	-	-
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का अंश			
उप जोड़ (क)		**3.49**	**13.68**
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश		3.36	5.40
उप जोड़ (ख)		**3.36**	**5.40**
कुल (i) = (क)+(ख)		**6.85**	**19.08**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
– ऋण लिखत पर निवेश		(11.86)	(8.22)
कुल (ii)		**(11.86)**	**(8.22)**
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ii)		**(5.01)**	**10.86**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख) (जिसमें वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल है)		**4,229.73**	**3,785.19**
निम्न को आरोप्य लाभ :			
स्वामी		3,889.98	3,523.57
गैर–नियंत्रक हित		344.76	250.76
		4,234.74	**3,774.33**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय :			
स्वामी		(4.20)	11.79
गैर–नियंत्रक हित		(0.81)	(0.93)
		(5.01)	**10.86**
निम्नलिखित को आरोप्य कुल व्यापक आय :			
स्वामी		3,885.78	3,535.36
गैर–नियंत्रक हित		343.95	249.83
		4,229.73	**3,785.19**
स्वामियों को आरोप्य निम्नलिखित से उत्पन्न कुल व्यापक आय			
चालू प्रचालनों से		3,885.78	3,535.36
बंद प्रचालनों से		-	-
		3,885.78	**3,535.36**
प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा तनुकृत) (इक्विटी शेयर, 10 रूपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)	34 (14)		
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन से पूर्व		3.91	4.71
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन के पश्चात		3.87	3.51
समेकित वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां	**1-34**		

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रूपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ		5,210.98		3,217.35
घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		(40.61)		(1,210.09)
कर पूर्व लाभ		**5,251.59**		**4,427.44**
जोड़े :				
मूल्यह्रास और परिशोधन	1,214.67		1,190.30	
वित्त लागत (ईएसी का निवल)	474.26		532.33	
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	16.33		14.07	
प्रावधान – अन्य (ईएसी का निवल)	187.93		28.51	
विनिमय दर अंतर (हानि)	0.03		-	
टैरिफ समायोजन (हानि)	69.16		94.37	
विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	32.47		44.02	
परिसंपत्तियों की बिक्री/ बट्टे खाते में डाले गए पर हानि/ (लाभ)	2.14		13.88	
उचित मूल्य समायोजन	101.55		-	
		2,098.54		1,917.48
		7,350.13		**6,344.92**
घटाएं :				
पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	54.76		52.60	
प्रावधान (निवल लाभ)	31.22		45.57	
लाभांश आय	6.96		9.00	
ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान अधिभार सहित)	373.91		528.85	
विनिमय दर अंतर (लाभ)	0.51		49.28	
अन्य समयोजन	15.66		13.03	
उचित मूल्य समायोजन	-		1.34	
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	97.72		97.26	
संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का अंश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित)	(5.09)		(1.39)	
		575.65		795.54
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह		**6,774.48**		**5,549.38**
प्रचालनशील परिसपंतियों तथा देयताओं में परिवर्तन :				
माल–सूची	(20.98)		(6.88)	
प्राप्य व्यापार	(1,526.67)		(42.41)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	388.35		339.11	
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	55.39		(413.10)	
नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	(1.11)		0.17	
		(1,105.02)		(123.11)
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**5,669.46**		**5,426.27**
घटाएं : अदा किया गया कर		977.23		836.65
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**4,692.23**		**4,589.62**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश,सम्पत्ति अन्य अमूर्त परिसंपतियाँ और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) परियोजना लागत का भाग होने वाले नियामक विलंबित लेखा शेष में संचालन – अनुदान का निवल		(4,960.16)		(3,701.38)
परिसंपत्तियों की बिक्री		1.39		2.78

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
संयुक्त उद्यम में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	(107.94)	(451.56)
संयुक्त उद्यम से ऋण पर ब्याज (निवल)	-	0.19
सावधि जमा में निवल निवेष	487.36	586.95
लाभांश आय	6.96	9.00
ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान अधिभार सहित)	326.34	470.16
निवेश क्रियाकलापों से/ में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(4,246.05)**	**(3,083.86)**
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
गैर–नियंत्रक हित से इक्विटी प्राप्तियां	200.08	59.38
अदा किया गया लाभांष (गैर–नियंत्रक हित सहित)	(2,262.86)	(1,947.84)
दीर्घावधि ऋण से प्राप्तियां	4,875.37	3,576.39
अल्पावधि ऋण से प्राप्तियां	-	597.87
ऋण की चुकौती	(1,898.66)	(1,398.18)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1,703.68)	(1,521.02)
पट्टा देयता की मूलधन चुकौती	(3.90)	(3.48)
पट्टा देयता पर ब्याज की चुकौती	(2.02)	(1.46)
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से/ में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(795.67)**	**(638.36)**
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**(349.49)**	**867.40**
नकदी तथा नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)	1,314.67	447.27
वर्ष के दौरान अधिगृहीत अनुषंगी कंपनी के नकदी और नकदी तुल्य	54.63	-
नकदी तथा नकदी तुल्य (अंतिम शेष)	1,019.81	1,314.67

उक्त नकदी प्रवाह विवरण को इंड एएस 7 – नकदी प्रवाह विवरण में विहित ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के अनुसार तैयार किया गया है।

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाते में	531.29	1009.82
– जमा खाते में	488.51	304.85
(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)		
हस्तगत नकदी	0.01	0.00
नकदी और नकदी तुल्य	**1019.81**	**1314.67**

2 वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण वर्ष के दौरान पूंजीकृत 1233.30 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 993.62 करोड़ रूपये) की ऋण लागत की राशि शामिल है।

3 31.3.2023 को लिए न गए ऋण की राशि – 1128.25 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1578.25 करोड़ रूपये) है।

4 कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण नकदी में 139.16 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 111.17 करोड़ रूपए) की राशि का व्यय किया है।

5. **निवल ऋण मिलान**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
ऋण (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	30125.15	26711.66
पट्टा देयता	51.95	20.59
कुल	**30177.10**	**26732.25**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	* ऋण (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल	* ऋण (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल
1 अप्रैल को प्रारंभिक निवल ऋण	**26,711.66**	**20.59**	**26,732.25**	**24,010.85**	**15.10**	**24025.95**
वर्ष के दौरान अधिगृहीत की गई अनुषंगी कंपनियों के ऋण और पट्टा देयताएं	370.63	1.36	**371.99**	-	-	**-**
ऋणों से प्राप्तियां	4,875.37	-	**4,875.37**	4,174.26	-	**4174.26**
ऋणों/पट्टा देयता की चुकौती	(1,898.66)	(3.90)	**(1,902.56)**	(1,398.18)	(3.48)	**(1,401.66)**
अदा किया गया ब्याज	(1,703.68)	(2.02)	**(1,705.70)**	(1,521.02)	(1.46)	**(1,522.48)**
अन्य गैर–नकदी संचलन :						
– पट्टा देयता में वृद्धि	-	32.54	**32.54**	-	8.97	**8.97**
– विदेशी मुद्रा समायोजन	(7.45)	-	**(7.45)**	(58.77)	-	**(58.77)**
– ब्याज और वित्त प्रभार	1,705.72	3.38	**1,709.10**	1,497.78	1.46	**1499.24**
– उचित मूल्य समायोजन	71.56	-	**71.56**	6.74	-	**6.74**
31 मार्च को अंतिम निवल ऋण	**30,125.15**	**51.95**	**30,177.10**	**26,711.66**	**20.59**	**26,732.25**

* ऋणों के लिए टिप्पणी सं. 16.1, 20.1 और 20.4 (उद्धरण) देखें।

6. जहां–कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के 'आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनर्वर्गीकृत/पुनः क्रमबद्ध/पुनः कथन किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रूपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

(एस.सी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	15.1	10,045.03
पूर्वावधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
1 अप्रैल 2022 के अनुसार पुनः कथित शेष	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	**15.1**	**10,045.03**

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					अन्य व्यापक आय (एनसीआई)		कुल	गैर–नियंत्रक हित (एनसीआई)	एनसीआई के पश्चात कुल
	पूंजी आरक्षित	पूंजी मोचन आरक्षित	बाण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत			
1 अप्रैल, 2022 को शेष	**64.08**	**2,255.71**	**1,366.25**	**11,544.83**	**9,521.15**	**37.19**	**86.74**	**24,875.95**	**2,862.87**	**27,738.82**
पूर्वावधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 को पुनः कथित शेष	**64.08**	**2,255.71**	**1,366.25**	**11,544.83**	**9,521.15**	**37.19**	**86.74**	**24,875.95**	**2,862.87**	**27,738.82**
वर्ष हेतु लाभ					3,889.98			3,889.98	344.76	4,234.74
अन्य व्यापक आय					4.30	(11.86)	3.36	(4.20)	(0.81)	(5.01)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	-	3,894.28	(11.86)	3.36	3,885.78	343.95	4,229.73
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों को जारी करना								-	200.08	200.08
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित निवेश पर सृजित पूंजी आरक्षित	1.55							1.55		1.55
वर्ष के दौरान अधिग्रहण पर एनसीआई का अंश		-			-			-	1,762.12	1,762.12
प्रतिधारित आय से अंतरण					(0.41)			(0.41)	0.41	-
गैर–नियंत्रक हित के साथ संव्यवहार			(236.95)		236.95			-		-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधिशेष/ प्रतिधारित आय में अंतरित राशि				-				-		-
अदा किया गया लाभांश					(1,908.56)			(1,908.56)	(354.30)	(2,262.86)
31 मार्च, 2023 को शेष	**65.63**	**2,255.71**	**1,129.30**	**11,544.83**	**11,743.41**	**25.33**	**90.10**	**26,854.31**	**4,815.13**	**31,669.44**

आरक्षित की प्रकृति और प्रयोजन के लिए टिप्पणी सं. 15.2.1 देखें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रूपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2022 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	15.1	10,045.03
पूर्वावधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
1 अप्रैल 2021 के अनुसार पुनः कथित शेष	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	**15.1**	**10,045.03**

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					अन्य व्यापक आय (ओसीआई) की मदें		कुल	गैर– नियंत्रक हित (एनसीआई)	एनसीआई के पश्चात कुल
	पूंजी आरक्षित	पूंजी मोचन आरक्षित	बाण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिषेष/ प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत			
1 अप्रैल, 2021 को शेष	**64.08**	**2,255.71**	**1,641.95**	**11,544.83**	**7,411.94**	**45.41**	**81.34**	**23,045.26**	**2,828.40**	**25,873.66**
पूर्वावधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-36.99	-	-	-36.99	6.92	-30.07
1 अप्रैल, 2021 को पुनः कथित शेष	**64.08**	**2,255.71**	**1,641.95**	**11,544.83**	**7,374.95**	**45.41**	**81.34**	**23,008.27**	**2,835.32**	**25,843.59**
वर्ष हेतु लाभ					3,523.57			3,523.57	250.76	3,774.33
अन्य व्यापक आय					14.61	(8.22)	5.40	11.79	(0.93)	10.86
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	-	3,538.18	(8.22)	5.40	3,535.36	249.83	3,785.19
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों को जारी करना								-	57.89	57.89
प्रतिधारित आय से अंतरण										
गैर–नियंत्रक हित के साथ संव्यवहार					(0.20)			(0.20)	0.20	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधिशेष/ प्रतिधारित आय में अंतरित राशि			(275.70)		275.70			-		-
अदा किया गया लाभांश					(1,667.48)			(1,667.48)	(280.37)	(1,947.85)
31 मार्च, 2022 को शेष	**64.08**	**2,255.71**	**1,366.25**	**11,544.83**	**9,521.15**	**37.19**	**86.74**	**24,875.95**	**2,862.87**	**27,738.82**

आरक्षित की प्रकृति और प्रयोजन के लिए टिप्पणी सं. 15.2.1 देखें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रूपा देब)
कंपनी सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 006591एन/एन500377

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

(एस सी चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 012705

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

(मनुश्री बिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 29 मई, 2023

टिप्पणी सं. 1 : समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया

(1) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित और शेयरों द्वारा सीमित कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (बीएसई) पर सूचीबद्ध हैं और इनका कारोबार होता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा– 121003 है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यमों में समूह का हित शामिल है। यह समूह मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के साथ थोक बिजली की बिक्री में शामिल है। अन्य व्यवसाय जिसमें कंपनी शामिल है, उनमें परियोजना प्रबंधन/निर्माण अनुबंध परामर्श सेवा प्रदान करना और विद्युत का व्यापार है।

(2) तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन की संग्रहण प्रणाली और भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुपालन के आधार पर और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधान के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 29 मई, 2023 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पणी संख्या 33 में की गई है।

ऐतिहासिक लागत में नकदी या नकदी समतुल्य समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी या नकदी समतुल्य की क्षतिपूर्ति की राशि व्यापार की सामान्य स्थिति में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 23 मार्च, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022, अधिसूचित किया जिसमें भारतीय लेखांकन मानकों में कतिपय संशोधन किए गए हैं। प्रमुख संशोधनों और कंपनी पर उनके प्रभाव का सारांश नीचे दिया गया है :

(i) इंड एएस 16 – आशयित प्रयोग से पूर्व आगम

यह संशोधन किसी संस्था को लाभ और हानि के विवरण में परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की निवल विक्रय क्री आय की अधिकता को पहचानने से प्रतिषिद्ध करता है। इसके स्थान पर, इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत के भाग के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्षतः उत्तरदायी लागतों से काटा जाएगा।

इन संशोधनों का समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं है।

(ii) इंड एएस 37 – दुर्भर संविदा – संविदा की पूर्ति की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि किसी संविदा को 'पूरा करने की लागत' में वह लागत शामिल होती है जो 'सीधे संविदा से संबंधित' होती है। जो लागत सीधे संविदा से संबंधित होती है, वह संविदा की पूर्ति करने की वृद्धिशील लागत (उदाहरण के लिए : प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) और अन्य लागतों का आवंटन, दोनों होते हैं, संविदा को प्रत्यक्षतः पूरा करने से संबंधित हैं।

यह संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण की प्रकृति का है और इसका समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iii) इंड एएस 103 : व्यवसाय संयोजन

संशोधन में कहा गया है कि अधिग्रहण प्रक्रिया को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे में प्रदान की गई संपत्तियों और देनदारियों की परिभाषाओं की पूर्ति करनी

होगी। अतः, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में उन लागतों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसके स्थान पर, अधिग्रहणकर्ता अन्य इंड एएस के अनुसार अपने पश्च–संयोजन वित्तीय विवरणों में उन लागतों को मान्यता प्रदान करता है।

इन संशोधनों का समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या ये वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं डालते हैं।

घ) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां इंगित किया गया हो।

ङ) समेकन का आधार

क) सहायक कंपनियां

i) सहायक कम्पनी ऐसी इकाई है जिस पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संगठन को उस समय नियंत्रित करता है जब उसका कामकाज उसके समक्ष उजागर होता है, या उस पर समूह का अधिकार होता है और संगठन की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियों को उस तारीख से पूरी तरह से समेकित कर दिया जाता है जिस दिन से समूह को नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह के नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से वे विघटित हो जाती हैं।

ii) समूह संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की वस्तुओं को एक साथ जोड़कर, मूल समूह और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ता है। प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल समूह के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कम्पनी की इक्विटी के मूल समूह के हिस्से को समाप्त कर दिया जाता है। समूह कंपनियों के बीच लेन–देन पर अंतर–कंपनी लेनदेन, शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो जाते हैं। समूह की कंपनियों के बीच लेन–देन पर अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है, जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। सहायक कंपनियों की लेखा नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

iii) गैर–नियंत्रित हितों को अधिग्रहण की तिथि पर अधिग्रहीत की शुद्ध पहचान योग्य संपत्ति के उनके आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। परिणाम और सहायक कंपनियों की इक्विटी में गैर–नियंत्रित हितों को समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में अलग से दिखाया गया है।

iv) किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, को इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।

v) यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर–नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अंतरण के अंतर को अमान्य कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में रखे गए किसी भी ब्याज को नियंत्रण खो जाने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि होती है।

ख) संयुक्त उपक्रम

i) संयुक्त उपक्रम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति का अधिकार होता है। संयुक्त उपक्रमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

ii) लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशक की शुद्ध संपत्ति को समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है। अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह का हिस्सा और निवेशक की अन्य व्यापक आय को समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल किया गया है। संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त या प्राप्त होने वाले लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

iii) जब किसी संयुक्त उद्यम में समूह की हानि का भाग संस्था में उसके हित के सामान या उससे अधिक न हो, जिसमें कोई भी ऐसा दीर्घकालिक हित शामिल होता है, जो वास्तव में, संयुक्त उद्यम में समूह निवेश का भाग होता है, समूह आगे के नुकसानों को तब तक मान्यता नहीं देता है, जब तक इसने संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व वहन

नहीं किया है या भुगतान नहीं किया है। साधारण शेयरों में संस्था के निवेश से अधिक इक्विटी पद्धति का उपयोग करके पहचाने गए नुकसान को किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में संस्था के हित के अन्य घटकों पर उनकी वरिष्ठता के विपरीत क्रम अर्थात परिसमापन में प्राथमिकता में लागू किया जाता है।

iv) समूह और उसके संयुक्त उपक्रमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ को इन संगठनों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। समूह और उसके संयुक्त उपक्रमों के बीच लेन–देन पर अप्राप्त हानियों को भी इन संगठनों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं किया जाता है। जहां संयुक्त उपक्रमों की लेखा नीतियां, समूह की नीतियों से भिन्न होती हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और घटनाओं के लिए उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उपक्रम में कम हिस्सेदारी पर कमजोर पड़ने पर कोई लाभ या हानि हो, लेकिन फिर भी संयुक्त नियंत्रण बनाए रखना, को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

vi) जब कोई संयुक्त उपक्रम में निवेश नहीं रह जाता है और प्रतिधारित ब्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अग्रणीत राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर प्रतिधारित ब्याज को मापता है। प्रतिधारित ब्याज का उचित मूल्य वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित ब्याज के लिए लेखांकन के उद्देश्य से प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

च) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड–एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आंकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों को लागू करने और संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, को निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान

क) पट्टे

समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था इंड–एएस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो कोई भी संगठन यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के दौरान, ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हों :

क) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा

ख) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार।

किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना आवश्यक है। ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, यदि ग्राहक को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

समूह पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करता है।

समूह पट्टे की अवधि को पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा मद को निर्धारित करता है, यह दोनों अवधि को एक साथ यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है, तो पट्टे का विस्तार करने के विकल्प

द्वारा शामिल की गई अवधि और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि, यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, निर्धारित करता है। यह आकलन करने में कि क्या समूह पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो यह उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो समूह के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का निर्माण करते है। इसमें पट्टे की अवधि का विस्तार करने का विकल्प का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं करना है। पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो समूह पट्टे की अवधि को संशोधित करता है।

छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे के लिए या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

समूह लाभार्थियों के साथ बिजली खरीद समझौते करता है। एक एकल लाभार्थी के साथ अंतर्निहित पट्टे की प्रकृति में बिजली खरीद समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि पावर स्टेशन के आर्थिक जीवन के बड़े हिस्से के लिए है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि को वित्त पट्टे के रूप में पावर स्टेशन के सभी उचित मूल्य पर विचार किया जाता है। अन्य अंतर्निहित पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति में अंतर्निहित पट्टों के लिए, पावर स्टेशन में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है। न्यूनतम पट्टे के भुगतान की पहचान शेष अनुबंध राशियों से अंतर्निहित पट्टों के भुगतानों को अलग करके की जाती है। प्रत्येक पट्टे की रसीद को प्राप्य और वित्त पट्टे की आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य पट्टे के बकाया पर रिटर्न की निरंतर दर प्राप्त हो सके।

परिचालन पट्टा या अंतर्निहित परिचालन पट्टे के मामले में, परिचालन पट्टे से पट्टे की आय को पट्टे की अवधि के दौरान संरेखन रेखा के आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया गया है।

ख) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां

परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्द्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा आस्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली आस्तियों का उपयोगी जीवन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) शुल्क विनियमों से निर्धारित होता है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–।। के भाग बी में उल्लिखित है, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी चीजों के, जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–।। में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार है और मोबाईल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार होता है।

ग) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रों से जुड़ा भविष्य का नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

घ) सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

कर्मचारियो के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएँ, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल है। समूह का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

ङ) राजस्व

समूह इंड एएस 115– ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रभार के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करता है। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी है, वहां व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरे अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी शुल्क विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्सक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

च) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एएस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित

आउटफ्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

छ) दर विनियमित आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

समूह की संचालन गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे – ब्याज लागत, ह्रास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएएपी) और इंड एएस 114– 'नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एएस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। समूह का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य नियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019–24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। हालांकि इस राशि का वापस मिल सकना सीईआरसी द्वारा शुल्क को अंतिम रूप देने और/या मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव के अधीन है।

ज) व्यापार प्राप्यों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिये ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए समूह लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करता है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक।

झ) संयुक्त उपक्रमों में निवेश

निवेश लागत पर और समूह के आकलन के अनुसार किया गया है, ऐसे निवेशों पर क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

ञ) वसूली योग्य बीमा दावा

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तो आंकलन और अनुमानों पर आधारित है।

ट) आय कर

आय कर के लिये प्रावधान के निर्धारण में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों में भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि/वसूली गयी राशि शामिल है।

ठ) कार्बन क्रेडिटों/प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों (सीईआर)/सत्यापित कार्बन इकाइयों (वीसीयू) की लागत

कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन इकाइयों (वीसीयू) की लागत का मापन प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किया जाता है।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हे अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च 2015 तक परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियां और निवेश परिसंपत्तियां तुलन पत्र में इंडियन जीएएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। समूह ने इंड एएस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, "पहली बार इंड एएस अपनाने" पर इंड एएस में ट्रांजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीम्ड लागत मानी गयी। इस प्रकार पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश परिसंपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एएस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

1.0 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई का कोई भी मद तभी परिसंपत्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ समूह को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।

ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन परिसंपत्ति, प्रबंधन की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उपजी स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

ग) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित आस्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटा/सेवामुक्त कर दी गयी आस्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।

घ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित ह्रास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।

ङ) जमा, किया गया भुगतान/देयताएं, क्षतिपूर्ति के लिये अस्थायी रूप से सृजित,(अदालत द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक बढ़ाये गये मुआवजे पर ब्याज सहित), अधिगृहित भूमि से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर व्यय सहित पुनर्वास और पुर्नस्थापना तथा अन्य व्यय भूमि की लागत माने जाते हैं।

च) वे आस्तियां जिनपर समूह का नियंत्रण है, समूह के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेंगी।

छ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता के तहत आने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।

ज) स्पेयर पार्ट (संयत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता की शर्ते पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, अमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। अन्य स्पेयर पार्ट भंडार के हिस्से के रूप में "स्टोर और स्पेयर" माने जाते हैं।

झ) यदि प्रतिस्थापित पार्ट या पूर्व निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है तो समान नये पार्ट/निरीक्षण की अनुमानित राशि एक संकेत के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि मौजूदा पार्ट/निरीक्षण की लागत तब क्या रही होगी, जब उसे अधिगृहित किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

ञ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। आस्ति को अमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती हैं जब आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी)

क) निर्माण के तहत आस्तियों पर होने वाला व्यय (परियोजना सहित) सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर वहनीय होता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य कर (व्यापार छूट और रियायत को घटाने के बाद), सर्वे और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों में हुआ व्यय, स्थल तैयारी लागत, आरंभिक आपूर्ति और संचालन व्यय, स्थापन और समायोजन लागत, इत्यादि सहित आस्तियों का खरीद मूल्य शामिल होता है।

ख) कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, साझा जन सुविधाओं के रखरखाव और उन्नयन पर होने वाला व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त आस्तियों में ह्रास, निर्माण के दौरान प्रभारित ब्याज और अन्य लागत, जो सीधे तौर पर आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट संचालन के लिये सक्षम बनाने में आयी हो, "निर्माण में हुए व्यय" के तहत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दी जाती है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के सृजन पर होने वाला पूंजीगत व्यय, जिसपर समूह का सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन जो परियोजना के निर्माण के लिये मुख्य रूप से आवश्यक हैं, "निर्माण में हुए व्यय " के तहत संचित किया जाता है और "जारी पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहनीय होता है और बाद में इंड एएस 16– "परिसंपति, संयंत्र और उपस्कर " में "आरोप्यता" और "मापन इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दिया जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद हुआ इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपतियां आरंभ में लेन–देन लागत सहित लागत पर मापी जाती हैं। आरंभिक मान्यता के बाद निवेश संपत्तियां लागत से संचित ह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो तो घटाने के बाद वहन की जाती है।

निवेश संपतियों को उनके निस्तारण या स्थायी रूप से उपयोग से हटाने के बाद और भविष्य में उनके निस्तारण से किसी भी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहने पर अमान्य किया जाता है। अमान्यता अवधि में निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

निवेश संपत्ति से या इसमें स्थानांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में परिवर्तन हो और यह प्रमाणों से समर्थित हो।

4.0 अमूर्त आस्तियां और विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

क) अनुसंधान में खर्च होने पर उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और समूह विकास कार्य पूरा करने तथा आस्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।

ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त आस्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसंपत्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।

ग) बाद में किया गया व्यय आस्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

घ) अमूर्त परिसंपत्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किये जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन–देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौद्रिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनिमय दरों पर बदली जाती हैं।

ख) 1 अप्रैल 2004 से पहले हुए लेनदेन में पीपीई/जारी पूंजीगत कार्य से संबंधित विनिमय अंतर संबंधित पीपीई/जारी पूंजीगत कार्य के वहनीय लागत से समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च 2016 से पहले हुए सौदों में विदेशी मुद्रा उधारी के लेनदेन होने वाला विनिमय अंतर, जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, "आस्थगित विदेशी मुद्रा विचलन वसूली योग्य/भुगतान योग्य खाता" में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें यह वापस लिया गया/भुगतान किया गया।

घ) 01.04.2016 को या इसके बाद विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौद्रिक मदों के समायोजन/विनिमय से होने वाला विनिमय अंतर जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, निर्माण अवधि के दौरान "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से जिसमें यह लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूले जाने योग्य हुआ, समायोजित किया जाता है।

ड.) किसी विदेशी मुद्रा में पिछली ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी जाने वाली गैर मौद्रिक मदें लेन देन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर बदली जाती हैं। जहां समूह ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्राप्त किया हो या भुगतान किया हो, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके अंश) की आरंभिक मान्यता पर उपयोग के लिये विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से लेन देन की तिथि वह तिथि होगी जब समूह आरंभ में गैर मौद्रिक परिसंपत्ति या अग्रिम की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न गैर मौद्रिक देयता को मान्य करता है।

6.0 नियामक आस्थगित खाते

क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड–एएस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में शुल्क के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत ''नियामक आस्थगित खाता शेष'' के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को ''नियामक आस्थगित खाता शेष'' के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) ये नियामक आस्थगित खाता शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।

घ) नियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े

भविष्य के आर्थिक लाभ संगठन को देय होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो नियामक आस्थगित खाता शेष राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

ङ) प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में हानि के लिए नियामक आस्थगित खाता शेष राशि की जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेन–देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है।

परन्तु, समूह जब यह निर्धारित करता है कि लेन–देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 – समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकन योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

8.0 संयुक्त उपक्रमों में निवेश

संयुक्त उपक्रमों के इक्विटी शेयरों में निवेश का लेखांकन इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए की जाती है।

9.0 संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी लिखत या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का अनुबंधित अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के अधीन कि संभावित रूप से समूह के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब समूह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक बैलेंस, कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

(क) वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है :

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

क) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(ख) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को

वित्तीय संपत्ति के मूल्ये में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

समूह व्यापार से होने वाली उन प्राप्तियों को उनके लेन देन मूल्य पर मापता है, यदि व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक सम्मिलित नहीं होता है।

(ग) परवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधन की लागत पर मापा जाता हैः

i) ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ii) परिसंपत्ति की अनुबंधित शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

किसी 'ऋण दिस्तावेज' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ii) परिसंपत्ति के अनुबंधात्म्क नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचलनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, समूह लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की क्षतिपूर्ति, उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करता है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश :

सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार के लिए धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हों, को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों को समूह एफवीटीओसीआई के समान ही वर्गीकृत करता है। समूह इस तरह के चुनाव एक साधन द्वारा साधन के आधार पर करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत सभी इक्विटी दस्तावेजों में उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का बाद में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं है। परन्तु, समूह संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को अन्य आय के रूप में लाभ और हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हों, को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्तियां :

किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

घ) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब :

i) समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या

ii) वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए समूह अनुबंधात्मतक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी अनुबंधात्मवक दायित्व को मानता है।

जहां समूह ने किसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया हो, तो समूह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है।

जहां समूह ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड–एएस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करता है :

i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।

iii) इंड एएस 115–राजस्व के तहत ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अनुबंध परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।

iv) इंड एएस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एएस 116 और इंड एएस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुबंध परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्यों और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वीकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति प्रावधान की स्वीकृति के लिए समूह इंड एएस 109 ''वित्तीय दस्तावेज' के तहत अनुमत 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि क्षति का पता लगाने के लिए, समूह यह आकलन करता है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि क्षति के लिए 12–महीने के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम में वृद्धि और हानि क्षति का आकलन करने के लिए, समूह दस्तावेज–दर–लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो संगठन 12–महीने के ईसीएल के आधार पर हानि क्षति भत्ते की पहचान करने के लिए पूर्वस्थिति में आ जाती है। इस अवधि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि/उलटाव की राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी गई है।

10.0 माल–सूची

सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपदा, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्क्रैप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन इकाइयों (वीसीयू) का मूल्यांकन कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट–डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें राइट–डाउन या हानि होती है।

11.0 लाभांश

शेयरधारकों को देय अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः समूह के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

12.0 वित्तीय देनदारियां

समूह की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति की सुपुर्दगी या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान–प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो समूह के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

समूह की वित्तीय देनदारियों में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य भुगतान शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन–देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ–हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार न हो।

ख) बाद के मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ – हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग– शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है । ईआईआर परिशोधन को लाभ – हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) मान्यता रद्द करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को अमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

घ) वित्तीय दस्तावेजों की भरपाई

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों का मूल्य पाने के लिए और देनदारियों का निपटान करने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।

ङ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को रोकने और हेज के रूप में नामित नहीं होने वाले, समूह द्वारा धारित व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज का लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर हिसाब लगाया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ – हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

13.0 सरकारी अनुदान

क) बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है तथा मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक स्वीकृत राशि तथा प्राप्ति के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में और बाद में परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर व्यवस्थित आधार पर लाभ – हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और समूह अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा तब परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार से मौद्रिक अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है । इस प्रकार मान्यता प्राप्त आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि पर लाभ – हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ – हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें संगठन संबंधित उन लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनके लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने का इरादा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब ग्रुप के पास किसी बीती घटना के आधार पर कानूनी या तर्कसंगत दायित्व हो और उसे निपटाने के लिए आर्थिक लाभ शामिल करने के संसाधनों की आवश्यकता हो और दायित्व का सही–सही अनुमान लगाया जा सके। ये प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में दायित्व निपटाने की आवश्यक राशि जुटाने के अनुमान

के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रावधान की राशि पूरी तरह या आंशिक तौर पर किसी तीसरे पक्ष से मिलने की उम्मीद होती है, तो उस अपेक्षित राशि को परिसंपत्ति माना जाता है, बशर्ते यह पक्का हो कि प्रतिपूर्ति हासिल हो जाएगी और इस प्राप्य राशि का सही अनुमान लगाया जा सकता हो। किसी प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य मानक के तहत ऐसा वित्तीय समावेशन करने की व्यवस्था हो।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान पूर्व–कर दर से भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह को ध्यान में रख कर किया जाता है ताकि देयता के विशिष्ट जोखिम इसमें कवर हो जाएं। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद प्रावधान में इस वृद्धि को वित्तीय लागत दायित्व मान लिया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से पैदा होती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से ग्रुप के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ बाहर भेजने की आवश्यकता होगी या राशि का अनुमान सही रूप से नहीं लगाया जा सकता वहां दायित्व को तब तक आकस्मिक देयता मान लिया जाता है जब तक आर्थिक लाभों के बाहर जाने की संभावना खत्म न हो जाये। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और इनमें समायोजन किया जाता है ताकि इनमें प्रबंधन के वर्तमान अनुमान दर्शाए जा सकें।

ग) आकस्मिक संपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उभर कर सामने आती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी जो ग्रुप के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है, जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की संभावना होती है। वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

15.0 राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

ग्रुप का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, अन्य कॉर्पोरेट निकायों में इक्विटी निवेश से लाभांश, बांड में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं।

क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

i) राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व को ग्रुप तब स्वीकार करता है, जब निष्पादन बाध्यता संतुष्ट हो जाती है, जो आमतौर पर इसके किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपने पर होती है।

ii) विद्युत की बिक्री से मिलने वाले राजस्व का हिसाब सुनवाई ट्राइब्यूनल के आदेशों द्वारा विद्युत के लिए लागू सीमा तक संशोधित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। लेकिन, पावर स्टेशन की वित्तीय/परिचालन लीज से प्राप्त राशि इसमें नहीं जोड़ी जाती। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां तत्कालिक/अंतिम टैरिफ को अधिसूचित किया जाना बाकी है या जहां प्रोत्साहन/दंडात्मक कार्यवाही सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुसार देय/प्रभारित हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां ऐसी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।

iii) ग्राहकों को समय–समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल नहीं की गई राजस्व)।

iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/वापसी और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च 2009 तक मान्यता प्राप्त वस्तुओं पर विलम्बित कर की वसूली का हिसाब उसी समय लगाया गया, जब वह प्राप्त कर लिया गया।

v) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।

vi) मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी) को 31 मार्च 2009 तक बकाया आय माना जाता है, जो पावर स्टेशनों के कारोबारी संचालन की तारीख से 12 साल की अवधि के बाद शेष उपयोगी कार्यकाल के लिए संरेखन आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं से राजस्व

i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्राप्ति के आधार पर मापा जाता है या इसके सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद होती है लेकिन इसमें तीसरे पक्ष से होने वाली वसूली शामिल नहीं होती। ग्रुप आदान प्रक्रिया के आधार पर राजस्व को मान्यता देता है। इस प्रक्रिया में उस विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए कुल अपेक्षित लागतों को विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए किए गए व्यय लागतों के आधार पर राजस्व को मान्यता दिया जाता है।

ii) अनुबंध संशोधन, यदि कोई हो तो उसका हिसाब तब लिया जाता है जब अनुबंध में शामिल पक्ष अनुमोदित अनुबंध के दायरे या मूल्य (या दोनों) में कोई परिवर्तन करते हैं जो या तो नया बनता है या अनुबंध की पार्टियों के मौजूदा अधिकारों तथा दायित्वों को बदलता है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर आधारित है? अनुबंध संशोधनों को एकल आधार पर दर्ज किया जाता है, अनुबंध का दायरा तब बढ़ता है जब उसके अंतर्गत दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं या अनुबंध की लागत उस राशि से बढ़ जाती है। विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस लागत में उपयुक्त समायोजन किया जाता है। जोड़ी गई सेवाएं, जो अलग प्रकार की नहीं है, को संचयी कैच अप आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जबकि जो अलग प्रकार की सेवाएं है, को अनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता हैं इसे या तो अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत एकल बिक्री मूल्य पर लगाई जाती है या मौजूदा अनुबंध को समाप्त करके अथवा एक नए अनुबंध का निर्माण करके यदि एकल बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं लगाई जाती है।

ग) विद्युत की बिक्री से होने वाली आय

i) विद्युत बेचने से होने वाली आय में अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि तय किया जा सके कि समूह को प्रमुख भागीदार की भूमिका निभानी है या एजेंट की तरह काम करना है। यदि ग्राहक को पहुंचाने से पहले विद्युत समूह के नियंत्रण में आ जाती है तो वह उसका मालिक या प्रमुख भागीदार बन जायेगा। नियंत्रण हो जाने का संकेत इस बात से मिलता है कि विद्युत उपलब्ध कराने का जिम्मा मुख्य रूप से समूह का हो जायेगा और ऐसे में विद्युत की कीमत तय करने का अधिकार भी उसे ही मिल जायेगा और इस प्रक्रिया से जुड़े जोखिम भी समूह ही झेलेगा। लेकिन, यदि विद्युत ग्राहक तक पहुंचने से पहले उसका नियंत्रण समूह के हाथ में नहीं आ पाता तो वह एजेंट की भूमिका में आ जायेगा। उस हालत में सप्लायर से विद्युत लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का दायित्व समूह का रहेगा।

ii) समूह के प्रमुख भागीदार (मालिक) होने की स्थिति में सही प्रकार दायित्व पूरा करने पर आबंटित कीमत को राजस्व या आय माना जायेगा।

iii) जहां समूह विद्युत पहुंचाने के अनुबंध में एजेंट की भूमिका निभाता है वहां सप्लायर को विद्युत की लागत का भुगतान करने के बाद बचने वाली राशि ही उसकी आय मानी जाएगी। इस तरह के लेनदेन से बचने वाली परिसंपत्तियां या देयताएं शामिल नहीं की जातीं।

घ) अन्य आय

i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

ii) सभी ऋण लेखों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या फिर आय के अन्य व्यापक माध्यम से उचित मूल्य पर इसे मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, समूह वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हिसाब में नहीं जोड़ता है।

iii) विद्युत कारोबार के अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले ब्याज/अधिभार सहित ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर क्षतिपूर्ति/ब्याज को मान्यता दी जाती है और यह तब माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

ङ) कार्बन क्रेडिट/सीईआर/वीईआर के विक्रय से राजस्व

राजस्व को कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन इकाइयों (वीसीयू) के हस्तांतरण/विक्रय पर इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह अत्यधिक संभावना होती है कि भविष्य में मान्यताप्राप्त राजस्व की मात्रा में महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और उन्हें प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में खर्च या शामिल किया जाता है, बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

अल्पावधि प्रदर्शन से संबंधित नकद बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के लिए किसी दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए समूह का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

निर्धारित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति–परवर्ती लाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग–अलग न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने का उसका कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक उस अवधि में ऐसे समावेशन की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक समय तक देय है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, के संदर्भ में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना (ईडीसीएसएस) और अलग–अलग ट्रस्टों के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार–परवर्ती लाभ योजना है। समूह की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना, कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना आदि परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु भत्ता और सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह के अलावा इन सभी योजनाओं को अलग–अलग ट्रस्टों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

भविष्य निधि योजना के संबंध में, तुलन पत्र में किसी देयता को उस समय मान्यता दी जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक हो। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य से अधिक योजनागत संपत्ति के उचित मूल्य के किसी भी अधिशेष को किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि कंपनी को योजना से रिफंड के रूप में या योजना के अंशदान में कमी के रूप में कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

निर्धारित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्मापन लाभ (भविष्य निधि योजना के मामले को छोड़कर) और अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल होते हैं।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

समूह की छुट्टी नकदीककरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दीर्घावधि कर्मचारी लाभ कहलाते हैं। दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में समूह का निवल दायित्व भविष्य के लाभों की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व

अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित आस्ति का उचित मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि समूह के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। इसकी गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। योजना में अंशदान और बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन को उस अवधि में शामिल करने की अनुमति देता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

v) सेवा समापन लाभ

अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर नोटिस वेतन के रूप में सेवा समापन लाभों पर किए गए व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं, जिस वर्ष में उन्हें अंजाम दिया गया हो।

17.0 उधारी लागत

उधारी लागत में निम्नांकित शामिल हैं (क) इंड एएस 109 – ''वित्तीय लिखत'' में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आकलित ब्याज व्यय (ख) वित्तीय लीजों को इंड एएस 116– 'लीज' के अनुसार वित्तीय प्रभारों के रूप में मान्यता दी जाती है और ग) विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को तब तक ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। क्वालिफाइंग परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आमतौर पर धन उधार लेती है और कोई क्वालिफाइंग संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया हैं और क्वालिफाइंग परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या स्थापना के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु, किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से की गई उधार लागत को तब तक इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों पर उनके व्यय की लंबित उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

18.0 मूल्यह्रास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में संवर्धन/कमी के कारण हुए मूल्यह्रास की गणना उस तारीख से/उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

ख) i) समूह की प्रचालन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष संरेखित विधि से किया जाता है।

ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, सम्पत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण किसी पावर स्टेशन के जीवन और/या दक्षता में वृद्धि होती है, उस पर व्यय के साथ–साथ इसकी असंशोधित मूल्यह्रास राशि को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) समूह की परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

ii) परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90% की सीमा तक प्रत्यक्ष संरेखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है :

– निर्माण संयंत्र और मशीनरी

– कंप्यूटर और सहायक उपकरण

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यह्रास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

iii) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम/उपकरण पर मूल्यह्रास पच्चीस वर्षों की अवधि में 10 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के साथ प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

iv) प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में प्रदान किए गए फर्नीचर और अन्य उपकरणों पर मूल्यह्रास 10 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के साथ पांच साल की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर लिया जाता है।

ङ) अस्थायी निर्माण पर मूल्यह्रास अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में रुपए 1/– डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है।

च) रुपए 5000/– या उससे कम लेकिन रुपए 750/– से अधिक मूल्य की संपत्ति का मूल्यह्रास, रुपए 1/– डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

छ) कम मूल्य की वस्तुएं, जो संपत्ति (अचल संपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/– तक है, पूंजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, परिचालन इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के संचालन इकाइयों के अलावा, पट्टे की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।

ञ) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90% की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

ट) उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

ठ) 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो इसे प्राप्त करने के वर्ष से प्रारंभ होता है।

ड) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया असंशोधित हिस्से का मूल्यह्रास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।

ढ) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से–पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्यह्रास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ण) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यह्रास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यह्रास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

19.0 वस्तु सूची को छोड़कर गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

क) समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, मूल्यांकन करता है कि क्या किसी परिसम्पत्ति की हानि होने की आशंका है। ऐसा कोई संकेत विद्यमान होने, अथवा किसी परिसंपत्ति की वार्षिक हानि के परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर, समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति अथवा उसकी नकदी सृजित करने वाली यूनिट–(सीजीयू) के उच्चतर मूल्य में से निपटान मूल्य और उपयोग मूल्य घटा कर तय की जाती है। किसी पृथक परिसम्पत्ति का वसूली योग्य मूल्य तब तक निर्धारित नहीं किया जाता, जब तक कि वह समूह की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप में स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह सृजित न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त समझा जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के समान मान कर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। परिणामी हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसम्पत्ति से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे परिसम्पत्ति के सामयिक मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और विशिष्ट जोखिम का पता चलता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है, तो उस पर किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें तत्संबंधी निर्णय लिया गया हो।

घ) यदि सर्वेक्षण और जांच के तहत कोई परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश/न्यायालय के निर्णय से स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए किसी भी खर्च के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान अदालत के आदेश/निषेध की तारीख से परियोजनाओं को स्थगित रखने की अवधि तक किया जाता है, परंतु, इस प्रकार किया गया प्रावधान पूर्वोक्त आदेश/निषेध के निरसन पर उलट दिया जाता है।

ङ) पूर्व अवधियों में मान्य हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, कि उसके नुकसान में कोई कमी हुई अथवा, उसकी पूरी तरह भरपाई हो गई। यदि वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए गए आकलन से किसी परिवर्तन का पता चलता है, तो हानि की स्थिति पलट दी जाती है। हानि की स्थिति को उसी सीमा तक पलटा जाता है, जो कोई हानि न होने की स्थिति में किसी परिसम्पत्ति के लिए वहन मूल्य के समान, मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो।

20.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर कानूनों और पिछले वर्षों में देय कर के किसी भी समायोजन के आधार पर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अनुमानित कर है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य होते हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं होते हैं।

ख) आस्थगित कर

i) आस्थगित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसे हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता दी जाती है, जहां तक कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या लेन–देन में देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है जो लेनदेन के समय न तो कर योग्य लाभ या हानि और न ही लेखांकन लाभ या नुकसान को प्रभावित करता है।

ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहां तक यह संभावना रहती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने से यह अस्थाई अंतर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटारा किया गया हो, या संपत्ति हासिल की गई हो। यह निपटारा उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित हों या स्थायी रूप से अधिनियमित हों। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से प्रवाहित होंगे जिस तरह से समूह अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षा करता है।

iv) आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

v) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य आय पर लगाए गए करों से संबंधित होती हैं इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा है।

vi) आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते को वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/ डेबिट किया जाता है जो बाद की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा बनता है और टैरिफ के एक घटक इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न की गणना को प्रभावित करता है।

vii) आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की अग्रणीत राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहां समूह अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि निकट भविष्य में अंतर में उलट नहीं होगा।

viii) जब आयकर व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव का हिसाब लगाया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को ऐसी पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रूप से अर्थात् सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनुमानित मूल्य के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर व्यवहारों के साथ संयोजन के रूप में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान का सबसे अच्छा समाधान करता है।

21.0 तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति

वस्तुओं की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित दावे और बाद में संपत्ति / सूची की कोई भी खरीद या निर्माण अलग–अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका अलग से हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजा या अन्य मदों के लिए जो क्षतिग्रस्त, लापता या छूट गए थे, मुआवजे के प्राप्य होने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। लाभ की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एएस 108 – प्रचालन सेग्मेंट के अनुसार, सेग्मेंट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन सेग्मेंट की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा सेग्मेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। 108 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह का ''मुख्य संचालन निर्णय निर्माता'' या ''सीओडीएम'' है।

ख) विद्युत उत्पादन समूह की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। अन्य संचालन जैसे, अनुबंध, परियोजना प्रबंधन, परामर्श कार्य और बिजली का व्यापार इंड एएस–108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

ग) समूह का एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

23.0 पट्टे

किसी अनुबंध के शुरु में समूह यह आकलन करता है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए समूह निम्नांकित आकलन करता है कि :

- अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है – यह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसे भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग संपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।
- समूह को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा
- समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। समूह के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दुर्लभ मामलों में जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के निम्नांकित अधिकार होते हैं :
  - समूह को संपत्ति के संचालन का अधिकार है; या
  - समूह ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करता है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

स्थापना के समय या किसी अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें एक लीज घटक होता है, समूह अनुबंध में प्रत्येक लीज घटक को उनके सापेक्ष स्टैंड–अलोन कीमतों के आधार पर प्रतिफल आवंटित करता है। हालांकि, भूमि और इमारतों के लीज के लिए, जिसमें यह एक पट्टेदार है, समूह ने गैर–लीज घटकों को अलग नहीं करने और लीज और गैर–लीज घटकों के लिए एक एकल लीज घटक के रूप में खाते का चुनाव किया है।

i) समूह एक पट्टेदार के रूप में :

समूह लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरू में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू–विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति का बाद में प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति से मूल्यह्रास किया जाता है। यह मूल्यह्रास इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि का उपयोग प्रारंभ किए जाने की तारीख से उसके उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरणों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय पर क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, से कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है। हानि का आकलन इंड–एएस 36– संपत्ति की हानि के सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाता है जैसा कि ऊपर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 19.0 में दिया गया है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह की वृद्धिशील उधार दर पर आकलन किया जाता है। आम तौर पर, समूह अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग डिस्काउंट दर के रूप में करता है।

लीज देयता के मापन में शामिल लीज भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- मूलतः नियत भुगतानों सहित नियत भुगतान।

– परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, का मापन शुरू होने की तारीख के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके किया जाता है।
– अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली संभावित राशि; तथा
– खरीद विकल्प के तहत अधिकार मूल्य, जिसका इस्तेमाल समूह द्वारा किए जाने की युक्तिसंगत संभावना हो, वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में लीज भुगतान, यदि समूह द्वारा विस्तार विकल्प का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाना हो, और लीज की जल्दी समाप्ति के लिए दंड, यदि समूह का लीज को बीच में ही पहले समाप्त नहीं करने के बारे में युक्तिसंगत संभावना हो।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के समूह के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि समूह खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करता है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

समूह अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करता है जो तुलनपत्र में पृथक समान मद की परिभाषा के दायरे में निवेश संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं।

समूह ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न देने का विकल्प अपनाया है। समूह इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष संरेखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii) समूह एक पट्टादाता के रूप में :

समूह जब पट्टादाता के रूप में कार्य करता है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करता है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

वित्तीय पट्टे के रूप में एम्बेडेड पट्टों के लिए, पावर स्टेशन में निवेश को लीज प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान अनुबंध राशियों से एम्बेडेड पट्टा राशियों को अलग करके की जाती है (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2004–09 के अनुसार 31 मार्च 2009 तक मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित और आस्थगित आय के रूप में मान्य)। प्रत्येक लीज से प्राप्ति को प्राप्य और वित्तीय लीज आय के बीच आवंटित किया जाता है जो प्रचालन से राजस्व का हिस्सा बनती है ताकि लीज प्राप्य बकाया पर लाभ की सतत दर प्राप्त हो सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर–गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्तियों पर आशंकित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ते को मान्यता देते हुए इंड–एएस 109– वित्तीय साधनों की हानि की अपेक्षाओं को लागू करती है।

क्रेडिट–हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसके लिए ब्याज आय की गणना उनकी परिशोधन लागत (यानी हानि भत्ते की कटौती के बाद) के संदर्भ में की जाती है, को छोड़ कर, वित्त पट्टा आय की गणना लीज प्राप्तियों की सकल वहन राशि के संदर्भ में की जाती है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, तो समूह अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड–एएस 115– राजस्व लागू करता है।

ऑपरेटिंग लीज या एम्बेडेड ऑपरेटिंग लीज के मामले में, ऑपरेटिंग लीज से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है।

24.0 व्यापार संयोजन

सहायक कंपनियों और व्यवसायों के अधिग्रहण को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। अधिग्रहण की तारीख समूह को नियंत्रण स्थानांतरित करने की तारीख है। प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल का मापन अधिग्रहण की तारीख को निर्दिष्ट परिसंपत्ति के समग्र उचित मूल्य, समूह द्वारा पूर्ववर्ती मालिकों पर किया गया व्यय और नियंत्रण हासिल करने के दौरान अदा किया गया इक्विटी ब्याज, यदि कोई हो, को ध्यान में रख कर किया जाता है। अधिगृहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है (कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर जिन्हें लागू मानक के अनुसार मापा जाना आवश्यक है) और गैर–नियंत्रित ब्याज को शुरू में अधिग्रहणकर्ता की निवल पहचान योग्य संपत्तियों की हिस्सेदारी के अनुपात में गैर–नियंत्रित ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है।

अधिग्रहण संबंधी लागत को समेकित लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

गुडविल को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई पहचान योग्य परिसंपत्तियों, ग्रहण की गई देनदारियों और मान्यता प्राप्त आकस्मिक देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित में हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक राशि है।

जहां अधिगृहीत पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, शुद्ध संपत्ति और आकस्मिक देनदारियों के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अतिरिक्त को समेकन पर पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है।

सामान्य नियंत्रण वाली संस्थाओं में हितों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक संयोजनों को ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हस्तांतरित किसी भी प्रतिफल और अधिग्रहीत इकाई की परिसंपत्तियों और देनदारियों के कुल ऐतिहासिक वहन मूल्यों के बीच के अंतर को शेयरधारक की इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

यदि व्यापार संयोजन चरणों में प्राप्त किया जाता है, तो अधिग्रहण की तारीख में अधिग्रहण में पहले से धारित इक्विटी ब्याज के मूल्य को अधिग्रहण की तारीख में उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि या ओसीआई के विवरण में उपयुक्त रूप में मान्यता दी जाती है।

25.0 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व की उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को तब तक पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को शीघ्रतम व्यावहारिक तारीख से समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर आय

क) वित्तीय वर्ष के दौरान समूह के इक्विटी शेयरधारकों को हुए शुद्ध लाभ या हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डाइलूटेड आय की गणना समूह के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन व्युत्पत्ति के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों, की भारित संख्या भी, जो सभी डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के बाद जारी किए जा सकते हैं, से विभाजित करके की जाती है।

ग) प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइलूटेड आय को नियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन को छोड़ कर अर्जित राशियों का उपयोग करते हुए भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह विवरण

क) नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ कॉल पर रखी गई जमा राशि, अन्य अल्पकालिक जमा, तीन महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। परन्तु, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों के तहत ''उधारी'' के भीतर दिखाए जाते हैं।

ख) नकदी प्रवाह विवरण, इंड एएस 7– 'नकदी प्रवाह विवरण', में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार, तैयार किया जाता है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

समूह वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करता है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित
- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्त्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

क) समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण मद को वित्तीय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अलग प्रकार या प्रकृति की मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते वे महत्वहीन न हों।

ख) पारगमन में माल संबंधी देयताओं/निष्पादित परंतु प्रमाणित न किए गए पूंजी कार्यों के लिए, समूह द्वारा निरीक्षण और मंजूरी के लंबित रहते, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(IV) नवीनतम लेखांकन उद्घोषणाएं : जारी परन्तु अभी प्रभावी न हुए मानक

31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किया है, जो समूह पर कुछ भारतीय लेखांकन मानकों के प्रभाव में संशोधन करता है :

i) **इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण** – इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी तात्विक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करने की अपेक्षा की गई है। अन्य जानकारी के साथ, लेखांकन नीति की जानकारी तब तात्विक होती है जब उससे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की समुचित आशा की जा सकती है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और समूह के वित्तीय विवरणों पर संशोधन का प्रभाव उल्लेखनीय नहीं है।

ii) **इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां –** इस संशोधन ने "लेखा अनुमान" की एक परिभाषा शामिल की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की भिन्नता को पहचानने में मदद करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन को शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii) **इंड एएस 12 – आयकर –** इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट की व्याप्ति को सीमित कर दिया है ताकि यह उन संव्यवहारों पर लागू न हो, जो समान और समंजनकारी अस्थायी मतभेदों को उत्पन्न करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

iv) अन्य मानकों (इंड एएस 101, इंड एएस 102, इंड एएस 103, इंड एएस 107, इंड एएस 109 और इंड एएस 115) में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं हैं या समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं डालते हैं।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास				निवल खंड	
	01 अप्रैल 2022 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
भूमि – फ्रीहोल्ड **(देखें टिप्पणी 2.1.1 और 2.1.2)**	1,151.11	64.89	-	(665.68)	550.32	-	-	-	-	550.32	1,151.11
सड़कें तथा पुल	310.79	19.33	-	43.84	373.96	87.48	13.14	5.34	105.96	268.00	223.31
भवन	2,270.45	47.62	1.50	18.19	2,334.76	562.88	83.00	8.03	653.91	1,680.85	1,707.57
रेलवे साइडिंग	13.06	-	-	-	13.06	13.06	-	-	13.06	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,046.70	12.45	0.73	(4.76)	16,053.66	5,545.25	666.14	0.26	6,211.65	9,842.01	10,501.45
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	7,975.36	202.78	16.50	(3.60)	8,158.04	2,707.95	345.09	(5.42)	3,047.62	5,110.42	5,267.41
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	55.95	2.32	0.76	0.82	58.33	17.88	2.38	(0.35)	19.91	38.42	38.07
संयंत्र और मशीनरी – ट्रांसमिशन लाइन	71.72	14.69	0.05	-	86.36	28.30	3.29	(0.01)	31.58	54.78	43.42
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	39.80	1.54	0.20	1.43	42.57	15.74	1.99	0.23	17.96	24.61	24.06
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	53.39	1.12	0.27	(2.06)	52.18	29.42	3.01	(0.99)	31.44	20.74	23.97
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	62.83	0.90	0.16	1.52	65.09	15.07	2.93	0.49	18.49	46.60	47.76
विद्युत संस्थापनाएं	20.53	0.56	0.04	0.30	21.35	3.15	0.91	(0.02)	4.04	17.31	17.38
वाहन	27.11	1.96	0.61	1.81	30.27	10.51	1.63	0.70	12.84	17.43	16.60
विमान/नौकाएं	1.97	-	0.12	-	1.85	0.72	0.14	(0.04)	0.82	1.03	1.25
फर्नीचर एवं फिक्सचर	39.85	9.89	0.41	4.14	53.47	15.43	2.78	1.48	19.69	33.78	24.42
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	56.77	18.66	1.44	4.28	78.27	39.74	7.80	2.13	49.67	28.60	17.03
संचार उपकरण	13.53	2.07	0.29	0.14	15.45	4.59	0.67	(0.12)	5.14	10.31	8.94
कार्यालय उपकरण	124.40	21.51	2.20	9.25	152.96	47.07	7.39	2.14	56.60	96.36	77.33
कुल	**28,335.32**	**422.29**	**25.28**	**(590.38)**	**28,141.95**	**9,144.24**	**1,142.29**	**13.85**	**10,300.38**	**17,841.57**	**19,191.08**
गत वर्ष	27,352.09	1,044.96	24.56	(37.17)	28,335.32	8,013.86	1,116.59	13.79	9,144.24	19,191.08	

टिप्पणी : –

2.1.1 (i) ''भूमि फ्रीहोल्ड'' के अंतर्गत सकल ब्लॉक में समायोजन में दिबांग बेसिन परियोजना से संबंधित 690.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जिसे ''उपयोग संपत्ति का अधिकार'' के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ii) कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) का नियंत्रण दिनांक 21.11.2022 से हासिल कर लिया है। तदनुसार, सकल ब्लॉक में समायोजन में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सकल ब्लॉक के संबंध में 31.03.2022 तक 110.42 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

2.1.2 फ्री होल्ड भूमि में 8 हेक्टेयर भूमि (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) जिसका उपयोग लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)– (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराये पर किया जा रहा है, जिसके लिये एनएचपीसी लिमिटेड और एलडीएचसीएल के बीच लीज समझौता किया गया है।

2.1.3 बैंक उधारियों के लिये सुरक्षा के रूप में बैंको के पास बंधक/रेहन रखी गयी गैर चालू परिसंपत्तियों की जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 (11) देखें।

2.1.4 परिसंपत्तियों की क्षति से संबंधित जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(19) देखें।

2.1.5 परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर निम्नवत हैं :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)
सड़कें तथा पुल	(0.15)	(1.22)
भवन	(1.09)	(8.63)
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(4.91)	(38.73)
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(1.28)	(10.07)
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	(0.01)	(0.08)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.01)	(0.04)
कुल	**(7.45)**	**(58.77)**

2.1.6 थंगल गांव में 3835 वर्ग फीट माप वाला भूमि का एक टुकड़ा एनएचपीसी लिमिटेड को थंगल ग्राम प्राधिकरण द्वारा दान दिया गया था। अधिनिगमन के समय उक्त भूमि और उस पर निर्मित अस्थायी शेड को लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) को हस्तांतरित कर दिया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है लेकिन उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

2.1.7 पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित ह्रास और परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध–1 के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध – 1 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास				निवल खंड	
	01 अप्रैल 2022 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	1,151.11	64.89	-	(665.68)	550.32	-	-	-	-	550.32	1,151.11
सड़कें तथा पुल	403.36	19.33	-	43.76	466.45	180.05	13.14	5.26	198.45	268.00	223.31
भवन	2,984.26	47.62	2.72	19.09	3,048.25	1,276.69	83.00	7.71	1,367.40	1,680.85	1,707.57
रेलवे साइडिंग	31.98	-	-	-	31.98	31.98	-	-	31.98	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	21,877.87	12.45	0.73	(4.41)	21,885.18	11,376.42	666.14	0.61	12,043.17	9,842.01	10,501.45
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	10,857.85	202.78	21.35	(3.51)	11,035.77	5,590.44	345.09	(10.18)	5,925.35	5,110.42	5,267.41
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	106.80	2.32	2.01	0.82	107.93	68.73	2.38	(1.60)	69.51	38.42	38.07
संयंत्र और मशीनरी – ट्रांसमिशन लाइने	98.69	14.69	0.09	-	113.29	55.27	3.29	(0.05)	58.51	54.78	43.42

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास				निवल खंड	
	01 अप्रैल 2022 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2023 को	01 अप्रैल 2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	54.98	1.54	0.81	1.47	57.18	30.92	1.99	(0.34)	32.57	24.61	24.06
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	107.34	1.12	0.69	(2.54)	105.23	83.37	3.01	(1.89)	84.49	20.74	23.97
जलापूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	72.57	0.90	0.32	1.66	74.81	24.81	2.93	0.47	28.21	46.60	47.76
विद्युत संस्थापनाएं	21.70	0.56	0.05	0.31	22.52	4.32	0.91	(0.02)	5.21	17.31	17.38
वाहन	35.94	1.96	1.13	2.01	38.78	19.34	1.63	0.38	21.35	17.43	16.60
विमान / नौकाएं	2.15	-	0.12	-	2.03	0.90	0.14	(0.04)	1.00	1.03	1.25
फर्नीचर एवं फिक्सचर	63.60	9.89	0.63	4.40	77.26	39.18	2.78	1.52	43.48	33.78	24.42
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	78.54	18.66	3.44	4.68	98.44	61.51	7.80	0.53	69.84	28.60	17.03
संचार उपकरण	18.38	2.07	0.49	0.13	20.09	9.44	0.67	(0.33)	9.78	10.31	8.94
कार्यालय उपकरण	174.35	21.51	4.27	9.97	201.56	97.02	7.39	0.79	105.20	96.36	77.33
कुल	**38,141.47**	**422.29**	**38.85**	**(587.84)**	**37,937.07**	**18,950.39**	**1,142.29**	**2.82**	**20,095.50**	**17,841.57**	**19,191.08**
गत वर्ष	37,206.29	1,044.97	49.54	(60.25)	38,141.47	17,868.06	1,116.59	(34.26)	18,950.39	19,191.08	

टिप्पणी : –

परिसंपत्तियों के उपयोग अधिकार के तहत वर्गीकृत "भूमि उपयोग अधिकार" पर सृजित 10496.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10496.48 करोड़) का भूमिगत कार्य परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मदों के तहत शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वित्तीय वर्ष 2021–22)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास				निवल खंड	
	01 अप्रैल 2021 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड **(देखें टिप्पणी 2.1.1)**	414.01	737.41	0.05	(0.26)	1,151.11	-	-	-	-	1,151.11	414.01
सड़कें तथा पुल	309.41	4.00	1.15	(1.47)	310.79	76.24	11.66	(0.42)	87.48	223.31	233.17
भवन	2,255.73	23.53	0.10	(8.71)	2,270.45	485.10	77.81	(0.03)	562.88	1,707.57	1,770.63
रेलवे साइडिंग	13.06	-	-	-	13.06	13.06	-	-	13.06	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,003.01	83.87	2.55	(37.63)	16,046.70	4,887.41	657.19	0.65	5,545.25	10,501.45	11,115.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	7,819.45	158.45	13.24	10.70	7,975.36	2,353.07	338.07	16.81	2,707.95	5,267.41	5,466.38
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	54.17	1.78	0.31	0.31	55.95	15.31	2.39	0.18	17.88	38.07	38.86
संयंत्र और मशीनरी – ट्रांसमिशन लाइने	70.99	0.84	0.08	(0.03)	71.72	25.35	2.99	(0.04)	28.30	43.42	45.64
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	39.28	0.79	0.24	(0.03)	39.80	13.76	2.11	(0.13)	15.74	24.06	25.52

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास				निवल खंड	
	01 अप्रैल 2021 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	52.38	1.52	0.51	-	53.39	26.20	3.34	(0.12)	29.42	23.97	26.18
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	59.06	3.94	-	(0.17)	62.83	12.57	2.50	-	15.07	47.76	46.49
विद्युत संस्थापनाएं	17.20	3.39	0.06	-	20.53	2.31	0.88	(0.04)	3.15	17.38	14.89
वाहन	23.40	4.22	0.51	-	27.11	9.39	1.29	(0.17)	10.51	16.60	14.01
विमान/नौकाएं	1.93	0.05	0.01	-	1.97	0.58	0.14	-	0.72	1.25	1.35
फर्नीचर एवं फिक्सचर	37.98	2.21	0.34	-	39.85	13.47	2.12	(0.16)	15.43	24.42	24.51
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	50.36	7.88	1.59	0.12	56.77	34.36	6.39	(1.01)	39.74	17.03	16.00
संचार उपकरण	13.24	0.82	0.53	-	13.53	4.21	0.61	(0.23)	4.59	8.94	9.03
कार्यालय उपकरण	117.43	10.26	3.29	-	124.40	41.47	7.10	(1.50)	47.07	77.33	75.96
कुल	**27,352.09**	**1,044.96**	**24.56**	**(37.17)**	**28,335.32**	**8,013.86**	**1,116.59**	**13.79**	**9,144.24**	**19,191.08**	**19,338.23**
गत वर्ष	28,940.11	259.30	52.32	(1,795.00)	27,352.09	7,304.35	1,227.36	(517.85)	8,013.86	19,338.23	

टिप्पणी : –

2.1.1 फ्री होल्ड भूमि में 8 हेक्टेयर भूमि (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) जिसका उपयोग लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)– (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराये पर किया जा रहा है, जिसके लिये एनएचपीसी लिमिटेड और एलडीएचसीएल के बीच लीज समझौता किया गया है।

2.1.2 बैंक उधारियों के लिये सुरक्षा के रूप में बैंको के पास बंधक/रेहन रखे गयी गैर चालू परिसंपत्तियों की जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 (11) देखें।

2.1.3 परिसंपत्तियों की क्षति से संबंधित जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(19) देखें।

2.1.4 परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर निम्नवत हैं :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)
सड़कें तथा पुल	(1.22)	(1.03)
भवन	(8.63)	(7.29)
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(38.73)	(32.73)
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(10.07)	(8.52)
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	(0.08)	(0.07)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.04)	(0.04)
कुल	**(58.77)**	**(49.68)**

2.1.5 थंगल गांव में 3835 वर्ग फीट माप वाला भूमि का एक टुकड़ा एनएचपीसी लिमिटेड को थंगल ग्राम प्राधिकरण द्वारा दान दिया गया था। अधिनिगमन के समय उक्त भूमि और उस पर निर्मित अस्थायी शेड को लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) को हस्तांतरित कर दिया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है लेकिन उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

2.1.6 पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित ह्रास और परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध–1 के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध – 1 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास				निवल खंड	
	01 अप्रैल 2021 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	414.01	737.41	0.05	(0.26)	1,151.11	-	-	-	-	1,151.11	414.01
सड़कें तथा पुल	402.74	4.00	1.91	(1.47)	403.36	169.57	11.66	(1.18)	180.05	223.31	233.17
भवन	2,969.86	23.53	0.43	(8.70)	2,984.26	1,199.23	77.81	(0.35)	1,276.69	1,707.57	1,770.63
रेलवे साइडिंग	31.98	-	-	-	31.98	31.98	-	-	31.98	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	21,840.52	83.87	7.79	(38.73)	21,877.87	10,724.92	657.19	(5.69)	11,376.42	10,501.45	11,115.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	10,726.38	158.45	16.08	(10.90)	10,857.85	5,260.00	338.07	(7.63)	5,590.44	5,267.41	5,466.38
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	105.41	1.78	0.37	(0.02)	106.80	66.55	2.39	(0.21)	68.73	38.07	38.86
संयंत्र और मशीनरी – ट्रांसमिशन लाइने	97.97	0.84	0.10	(0.02)	98.69	52.32	2.99	(0.04)	55.27	43.42	45.65
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	54.94	0.79	0.71	(0.04)	54.98	29.42	2.11	(0.61)	30.92	24.06	25.52
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	110.71	1.52	4.88	(0.01)	107.34	84.53	3.34	(4.50)	83.37	23.97	26.18
जलापूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	68.80	3.94	0.01	(0.16)	72.57	22.31	2.50	-	24.81	47.76	46.49
विद्युत संस्थापनाएं	18.38	3.40	0.08	-	21.70	3.49	0.88	(0.05)	4.32	17.38	14.89
वाहन	33.39	4.22	1.67	-	35.94	19.38	1.29	(1.33)	19.34	16.60	14.01
विमान / नौकाएं	2.16	0.05	0.06	-	2.15	0.81	0.14	(0.05)	0.90	1.25	1.35
फर्नीचर एवं फिक्सचर	61.99	2.21	0.62	0.02	63.60	37.48	2.12	(0.42)	39.18	24.42	24.51
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	76.92	7.88	6.29	0.03	78.54	60.92	6.39	(5.80)	61.51	17.03	16.00
संचार उपकरण	18.80	0.82	1.24	-	18.38	9.77	0.61	(0.94)	9.44	8.94	9.03
कार्यालय उपकरण	171.33	10.26	7.25	0.01	174.35	95.38	7.10	(5.46)	97.02	77.33	75.95
कुल	**37,206.29**	**1,044.97**	**49.54**	**(60.25)**	**38,141.47**	**17,868.06**	**1,116.59**	**(34.26)**	**18,950.39**	**19,191.08**	**19,338.23**
गत वर्ष	38,995.89	259.30	63.61	(1,985.29)	37,206.29	17,360.13	1,227.36	(719.43)	17,868.06	19,338.23	

विवरणात्मक टिप्पणी : –

2.1.1 परिसंपत्तियों के उपयोग अधिकार के तहत वर्गीकृत "भूमि उपयोग अधिकार" पर सृजित 10496.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10494.51 करोड़) का भूमिगत कार्य परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मदों के तहत शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2022 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन (टिप्पणी 2.2.8 देखें)	पूंजीकृत	31.03.2023 के अनुसार
सड़कें और पुल	135.43	95.28	14.43	22.02	223.12
भवन	1,234.75	702.74	339.21	48.09	2,228.61
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	7,519.97	3,712.14	454.72	12.37	11,674.46
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,060.48	692.78	136.57	153.22	3,736.61
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	6.50	3.99	4.09	5.02	9.56
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	11.82	27.31	3.21	13.39	28.95
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	0.73	0.53	-	0.15	1.11
निर्माण उपकरण	-	0.79	-	-	0.79
जलापूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवर प्रणाली	0.48	3.15	0.35	0.43	3.55
संचार उपकरण	-	0.21	-	0.21	-
कार्यालय उपकरण	0.13	2.67	0.04	2.48	0.36
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	11.90	36.62	(0.68)	38.89	8.95
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	229.10	64.59	30.32	0.07	323.94
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.95	-	-	-	15.95
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी सं. 32 और 2.2.7 देखें)**	11,119.79	1,988.70	972.46	5.36	14,075.59
उप जोड़	**23,347.03**	**7,331.50**	**1,954.72**	**301.70**	**32,331.55**
घटाएं : प्रावधान किया गया प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य **(टिप्पणी सं 2.2.3 और 2.2.9 देखें)**	962.05	158.09	-	-	1,120.14
उप जोड़ (क)	**22,384.98**	**7,173.41**	**1,954.72**	**301.70**	**31,211.41**
निर्माण भंडार	137.18		2.24		139.42
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	0.26		0.07		0.33
उप जोड़ (ख)	**136.92**		**2.17**		**139.09**
कुल (क + ख)	**22,521.90**	**7,173.41**	**1,956.89**	**301.70**	**31,350.50**
गत वर्ष	19,166.79	3,585.42	61.62	291.93	22,521.90

व्याख्यात्मक टिप्पणी :–

2.2.1 (क) 31 मार्च 2023 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की जीवनकाल अनुसूची (करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआई में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	7,425.44	3,839.86	2,286.68	17,798.52	31,350.50
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**7,425.44**	**3,839.86**	**2,286.68**	**17,798.52**	**31,350.50**

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2023 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआई में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पार्बती–II	9,920.38	-	-	-	9,920.38
सुबनसिरी लोअर परियोजना	12,357.07	1,590.10	-	-	13,947.17
काल्पी सोलर परियोजना	126.11	-	-	-	126.11
कुल	**22,403.56**	**1,590.10**	**-**	**-**	**23,993.66**

2.2.2 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में ऋण लागत के निमित्त शामिल 1318.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1029.25 करोड़ रुपये) को अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया है **(टिप्पणी सं 32 भी देखें)**।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण और अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1293.90 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1234.99 करोड़ रुपए) का संचयी व्यय शामिल है। इस 964.21 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 962.02 करोड़ रुपए) की राशि में से बरसर के लिए 226.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 226.80 करोड़ रुपए), कोटली भेल परियोजनाओं के लिए 374.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 372.48 करोड़ रुपए), तवांग बेसिन परियोजनाओं के लिए 237.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 237.15 करोड़ रुपए), धौलीगंगा इंटरमीडिएट परियोजना और गोरीगंगा परियोजना के लिए 82.28 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 82.07 करोड़ रुपए) और सुबनसिरी अपर परियोजनाओं के लिए 43.72 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपए) की राशि प्रदान की गई है, जहां अनिश्चतताएं शामिल हैं। तथापि, मंजूरी मिलने की युक्तियुक्त निश्चितता वाली अन्य परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि 329.69 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 272.97 करोड़ रुपए) को पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया है। **(समेकित वित्तीय विवरण के टिप्पणी 34(25), 34(26), 34(27) और 34(28) का भी अवलोकन करें)**।

2.2.4 ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' पर सृजित, 3499.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2959.11 करोड़ रुपये) राशि के भूमिगत कार्य चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में ऋणदाताओं के पास बंधक/रेहन रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.2.6 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में सूचना के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(19) देखें।

2.2.7 निर्माण के कारण हुए व्यय (ईएसी) में सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम सुरक्षा कार्य पर व्यय के कारण हुए 202.93 करोड़ रुपए (गत वर्ष 158.50 करोड़ रुपए) शामिल हैं, जिसके प्रति भारत सरकार से 78.05 करोड़ रुपए (गत वर्ष 74.07 करोड़ रुपए) की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान को 'अन्य गैर–वर्तमान देनदारियों' (टिप्पणी–19.1) के अंतर्गत मान्यता दी गई है और इसे परियोजना के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर परियोजना के चालू होने के बाद लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाएगा।

2.2.8 कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) का नियंत्रण 21.11.2022 से हासिल कर लिया है। तदनुसार, 31 मार्च 2022 तक सीवीपीपीपीएल के 1,893.86 करोड़ रुपये के प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) को ''समायोजन'' स्तंभ के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.9 प्रगति पर पूंजीगत कार्य के प्रति प्रावधान में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निवेश मंजूरी में विलंब पर विचार करते हुए, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लोकतक डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट पर किए गए व्यय के लिए हानि प्रावधान के कारण क्रेडिट की गई 155.96 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) (वित्तीय वर्ष 2021–22)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2021 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2022 के अनुसार
सड़कें और पुल	63.47	77.08	0.41	5.53	135.43
भवन	1,036.25	227.36	0.38	29.24	1,234.75
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,298.23	1,308.34	(2.13)	84.47	7,519.97
विद्युत उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,905.94	268.13	(0.67)	112.92	3,060.48
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	2.58	4.51	0.01	0.60	6.50
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	6.94	5.18	-	0.30	11.82
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	1.67	1.76	-	2.70	0.73
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवर प्रणाली	1.90	2.36	-	3.78	0.48
कम्प्यूटर	-	0.48	-	0.48	-
कार्यालय उपकरण	-	0.13	0.24	0.24	0.13
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	11.68	31.33	(0.01)	31.10	11.90
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	203.54	25.56	-	-	229.10
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.95	-	-	-	15.95
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी सं 32 देखें)**	9,497.73	1,640.67	1.96	20.57	11,119.79
उप जोड़	**20,045.88**	**3,592.89**	**0.19**	**291.93**	**23,347.03**
(टिप्पणी सं 2.2.3 देखें)	954.58	7.47	-	-	962.05
उप जोड़ (क)	**19,091.30**	**3,585.42**	**0.19**	**291.93**	**22,384.98**
निर्माण भंडार	75.81		61.37		137.18
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	0.32		(0.06)		0.26
उप जोड़ (ख)	**75.49**		**61.43**		**136.92**
कुल (क + ख)	**19,166.79**	**3,585.42**	**61.62**	**291.93**	**22,521.90**
गत वर्ष	17,180.41	2,287.04	(94.08)	206.58	19,166.79

व्याख्यात्मक टिप्पणी :–

2.2.1 (क) 31 मार्च 2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की जीवनकाल अनुसूची (करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	3,547.06	1,959.30	2,185.13	14,830.41	22,521.90
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**3,547.06**	**1,959.30**	**2,185.13**	**14,830.41**	**22,521.90**

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पार्बती–II	9,147.00	-		-	9,147.00
सुबनसिरी लोअर परियोजना	7,189.75	3,289.47		-	10,479.22
कुल	**16,336.75**	**3,289.47**	**-**	**-**	**19,626.22**

2.2.2 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में ऋण लागत के निमित्त शामिल 1029.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 997.08 करोड़ रुपये) को अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया है **(टिप्पणी सं 32 भी देखें)**।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण और अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1234.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1192.72 करोड़ रुपए) का संचयी व्यय शामिल है। इस 962.02 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 954.58 करोड़ रुपए) की राशि में से बर्सर के लिए 226.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 226.78 करोड़ रुपए), कोटली भेल परियोजनाओं के लिए 372.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 368.72 करोड़ रुपए), तवांग बेसिन परियोजनाओं के लिए 237.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 233.68 करोड़ रुपए), धौलीगंगा इंटरमीडिएट परियोजना और गोरीगंगा परियोजना के लिए 82.07 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 81.88 करोड़ रुपए) और सुबनसिरी अपर परियोजनाओं के लिए 43.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपए) की राशि प्रदान की गई है, जहां अनिश्चितताएं शामिल हैं। तथापि, मंजूरी मिलने की युक्तियुक्त निश्चितता वाली अन्य परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि 272.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 238.14 करोड़ रुपए) को पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया है। **(समेकित वित्तीय विवरण के टिप्पणी 34(25), 34(26), 34(27) और 34(28) का भी अवलोकन करें)**।

2.2.4 ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' पर सृजित, 2959.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2317.10 करोड़ रुपये) राशि के भूमिगत कार्य चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में ऋणदाताओं के पास गिरवी/रेहन रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.2.6 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में सूचना के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(19) देखें।

2.2.7 निर्माण (ईएसी) के कारण हुए व्यय में सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम सुरक्षा कार्य पर व्यय के कारण हुए 158.50 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिसके प्रति भारत सरकार से 74.07 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान को 'अन्य गैर–वर्तमान देनदारियों' (टिप्पणी–19.1) के अंतर्गत मान्यता दी गई है और इसे परियोजना के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर परियोजना के चालू होने के बाद लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाएगा।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि – लीजहोल्ड **(टिप्पणी 2.3.2 देखें)**	322.43	75.92	0.58	376.44	774.21	57.42	18.33	33.86	109.61	664.60	265.01
पट्टे के अधीन भवन	5.07	0.80	1.94	0.88	4.81	3.62	0.67	(1.15)	3.14	1.67	1.45
वाहन	9.36	2.39	2.57	1.22	10.40	4.72	1.84	(1.68)	4.88	5.52	4.64
भूमि – उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.3.1 और 2.3.2 देखें)**	2,803.01	183.22	0.06	1,145.66	4,131.83	447.86	69.70	(1.86)	515.70	3,616.13	2,355.15
कुल	**3,139.87**	**262.33**	**5.15**	**1,524.20**	**4,921.25**	**513.62**	**90.54**	**29.17**	**633.33**	**4,287.92**	**2,626.25**
पिछले वर्ष	3,076.05	63.49	1.77	2.10	3,139.87	429.04	83.32	1.26	513.62	2,626.25	

टिप्पणी:

2.3.1 भूमि–उपयोग के अधिकार में वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग द्वारा केवल परियोजना द्वारा उपयोग के लिए डायवर्ट किया गया है।

2.3.2 (i) ''भूमि उपयोग अधिकार'' के तहत सकल ब्लॉक में समायोजन दिबांग बेसिन परियोजना से संबंधित भूमि के संबंध में है जिसे ''संपत्ति, संयंत्र और उपकरण'' से पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ii) कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) का नियंत्रण 21.11.2022 से हासिल कर लिया है।. तदनुसार, 31.03.2022 तक सकल ब्लॉक में समायोजन में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सकल ब्लॉक के संबंध में 836.60 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। ।

2.3.3 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.3.4 संपत्ति के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–1 में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अनुबंध–1

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि – लीजहोल्ड	335.32	75.92	0.60	376.70	787.34	70.31	18.33	34.10	122.74	664.60	265.01
पट्टे के अधीन भवन	5.07	0.80	1.94	0.88	4.81	3.62	0.67	(1.15)	3.14	1.67	1.45
वाहन	9.36	2.39	2.57	1.22	10.40	4.72	1.84	(1.68)	4.88	5.52	4.64
भूमि – उपयोग का अधिकार	3,151.81	183.22	0.06	1,147.52	4,482.49	796.66	69.70	-	866.36	3,616.13	2,355.15
कुल	**3,501.56**	**262.33**	**5.17**	**1,526.32**	**5,285.04**	**875.31**	**90.54**	**31.27**	**997.12**	**4,287.92**	**2,626.25**
पिछले वर्ष	3,439.86	63.49	1.77	(0.02)	3,501.56	792.85	83.32	(0.86)	875.31	2,626.25	

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – लीजहोल्ड	314.87	8.35	1.03	0.24	322.43	45.02	12.44	(0.04)	57.42	265.01	269.85
पट्टे के अधीन भवन	5.40	0.41	0.74	-	5.07	3.04	1.14	(0.56)	3.62	1.45	2.36
वाहन	4.40	4.96	-	-	9.36	3.15	1.57	-	4.72	4.64	1.25
भूमि – उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.3.1 देखें)**	2,751.38	49.77	-	1.86	2,803.01	377.83	68.17	1.86	447.86	2,355.15	2,373.55
कुल	**3,076.05**	**63.49**	**1.77**	**2.10**	**3,139.87**	**429.04**	83.32	1.26	513.62	**2,626.25**	**2,647.01**
पिछले वर्ष	3,122.27	15.38	19.19	(42.41)	3,076.05	355.96	82.32	(9.24)	429.04	2,647.01	

टिप्पणी:

2.3.1 भूमि–उपयोग के अधिकार में वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग द्वारा केवल परियोजना द्वारा उपयोग के लिए डायवर्ट किया गया है।

2.3.2 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.3.3 संपत्ति के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–1 में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अनुबंध–1

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – लीजहोल्ड	328.02	8.35	1.03	(0.02)	335.32	58.17	12.44	(0.30)	70.31	265.01	269.85
पट्टे के अधीन भवन	5.40	0.41	0.74	-	5.07	3.04	1.14	(0.56)	3.62	1.45	2.36
वाहन	4.40	4.96	-	-	9.36	3.15	1.57	-	4.72	4.64	1.25
भूमि – उपयोग का अधिकार	3,102.04	49.77	-	-	3,151.81	728.49	68.17	-	796.66	2,355.15	2,373.55
कुल	**3,439.86**	**63.49**	**1.77**	**(0.02)**	**3,501.56**	**792.85**	**83.32**	**(0.86)**	**875.31**	**2,626.25**	**2,647.01**
पिछले वर्ष	3,488.20	15.38	19.19	(44.53)	3,439.86	721.89	82.32	(11.36)	792.85	2,647.01	

टिप्पणी संख्या 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49		-	-	4.49	-		-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**		**-**	**-**	**4.49**	**-**		**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
पिछले वर्ष	4.49		-	-	4.49	-		-	-	4.49	

नोटः

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

2.4.2 निवेश संपत्ति के उचित मूल्य के बारे में प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
निवेष संपत्ति का उचित मूल्य	98.01	78.90

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। प्रकट किया गया उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है और इसे उचित मूल्यांकन पदानुक्रम का स्तर–।। पर माना जाएगा।

टिप्पणी संख्या 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49		-	-	4.49	-		-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**		**-**	**-**	**4.49**	**-**		**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
पिछले वर्ष	4.49		-	-	4.49	-		-	-	4.49	

टिप्पणी:

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

2.4.2 निवेश संपत्ति के उचित मूल्य के बारे में प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	78.90	72.87

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। प्रकट किया गया उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है और इसे उचित मूल्यांकन पदानुक्रम का स्तर–।। पर माना जाएगा।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	20.08	3.82	1.67	1.04	23.27	16.80	3.62	(0.56)	19.86	3.41	3.28
कुल	**20.08**	**3.82**	**1.67**	**1.04**	**23.27**	**16.80**	**3.62**	**(0.56)**	**19.86**	**3.41**	**3.28**
पिछले वर्ष	15.61	4.47	-	-	20.08	12.09	4.71	-	16.80	3.28	

टिप्पणी:

2.5.1 अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध-I में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां का अनुबंध– I

अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	57.24	3.82	4.78	1.04	57.32	53.96	3.62	(3.67)	53.91	3.41	3.28
कुल	**57.24**	**3.82**	**4.78**	**1.04**	**57.32**	**53.96**	**3.62**	**(3.67)**	**53.91**	**3.41**	**3.28**
पिछले वर्ष	52.90	4.47	0.05	(0.08)	57.24	49.38	4.71	(0.13)	53.96	3.28	

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	15.61	4.47	-	-	20.08	12.09	4.71	-	16.80	3.28	3.52
कुल	**15.61**	**4.47**	**-**	**-**	**20.08**	**12.09**	**4.71**	**-**	**16.80**	**3.28**	**3.52**
पिछले वर्ष	10.98	5.03	0.17	(0.23)	15.61	10.26	2.22	(0.39)	12.09	3.52	

2.5.1 अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध-I में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां का अनुबंध– I

अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	52.90	4.47	0.05	(0.08)	57.24	49.38	4.71	(0.13)	53.96	3.28	3.52
कुल	**52.90**	**4.47**	**0.05**	**(0.08)**	**57.24**	**49.38**	**4.71**	**(0.13)**	**53.96**	**3.28**	**3.52**
पिछले वर्ष	48.62	5.03	0.47	(0.28)	52.90	47.90	2.22	(0.74)	49.38	3.52	

टिप्पणी सं. 2.6 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक				
	01.04.2022 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2023 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	0.51	4.66	1.07	-	6.24
कुल	**0.51**	**4.66**	**1.07**	**-**	**6.24**
पिछले वर्ष	0.17	0.47	-	0.13	0.51

2.6.1 (क) 31 मार्च 2023 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

(करोड़ रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	4.66	1.54	0.02	0.02	6.24
कुल	**4.66**	**1.54**	**0.02**	**0.02**	**6.24**

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2023 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की पूर्णता अनुसूची : कोई नहीं

टिप्पणी सं. 2.6 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक				
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2022 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	0.17	0.47	-	0.13	0.51
कुल	**0.17**	**0.47**	**-**	**0.13**	**0.51**
पिछले वर्ष	-	0.17	-	-	0.17

2.6.1 (क) 31 मार्च 2022 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

(करोड़ रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	0.47	0.02	0.02	-	0.51
कुल	**0.47**	**0.02**	**0.02**	**-**	**0.51**

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2022 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की पूर्णता अनुसूची : कोई नहीं

टिप्पणी सं. 2.7.1 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश

संयुक्त उद्यमों में हित

नीचे सूचीबद्ध किए गए निकायों की शेयर पूंजी में पूर्णतः इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित है। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है, और स्वामित्व हित का अनुपात उनके द्वारा धारित मताधिकार के अनुपात के समान है।

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम और संबंध	व्यापार का स्थान	लेखांकन पद्धति	स्वामित्व ब्याज का प्रतिशत		वहनीय राशि	
			31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) **(देखें टिप्पणी 2.7.1.1)**	भारत	इक्विटी पद्धति	20.00%	20.00%	-	14.24
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) **(20.11.2022 तक) (देखें टिप्पणी 2.7.1.2)**	भारत	इक्विटी पद्धति	-	55.13%	-	1861.92
कुल इक्विटी लेखांकित निवेश					**-**	**1,876.16**

टिप्पणी सं. 2.7.2 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) **(देखें टिप्पणी 2.7.1.1)**	(14.24)	(3.97)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (20.11.2022 तक) **(देखें टिप्पणी 2.7.1.2)**	9.15	2.58
कुल	**(5.09)**	**(1.39)**

2.7.1.1 नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(111.29)	(20.02)
अन्य इक्विटी में समायोजन का अंश	(0.01)	0.15
स्वामित्व हित का प्रतिशत	20.00%	20.00%
संयुक्त उद्यम में निवल हानि का अंश	**(22.26)**	**(3.97)**
वर्तमान वर्ष की हानियों के समायोजन के लिए उपलब्ध संयुक्त उद्यम में ब्याज (क)	**14.24**	**18.21**
संयुक्त उद्यम में ब्याज के प्रति समायोजित निवल हानि का अंश (ख) (टिप्पणी 34(33) भी देखें)	**(14.24)**	**(3.97)**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित निवेश का मूल्य (क+ख)	**-**	**14.24**

2.7.1.2 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (20.11.2022 तक)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, एनएचपीसी ने संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक, मेसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड की शेयरधारिता जो सीवीपीपीपीएल की 2 प्रतिशत इक्विटी शेयर है, का अधिग्रहण करने के लिए 12 मई 2021 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीवीपीपीपीएल के 40,80,000 शेयरों के अधिग्रहण के लिए मैसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड को खरीद प्रतिफल का भुगतान किया गया है। 21.11.2022 को एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच सीवीपीपीपीएल के संबंध में एक पूरक प्रवर्तक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल का नियंत्रण हासिल कर लिया है। तदनुसार, सीवीपीपीपीएल के लेखाओं को 20.11.2022 तक इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम के रूप में और 21.11.2022 से अनुषंगी कंपनी के रूप में

समेकित किया गया है। 20.11.2022 तक संयुक्त उद्यम के रूप में सीवीपीपीपीएल के लाभ के अंश का सार निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
लाभ और हानि विवरण के अनुसार लाभ/(हानि)	17.12	4.67
स्वामित्व हित का प्रतिशत	53.44%	55.13%
संयुक्त उद्यम के निवल लाभ का अंश	**9.15**	**2.58**

टिप्पणी सं. 2.7.3 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा

(करोड़ रूपए में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल),	-	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) 20.11.2022 तक	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 2.7.4 : संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना

नीचे दी गई तालिका समूह के संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय जानकारी उपलब्ध करवाती है। प्रकट की गई सूचना संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को प्रदर्शित करती है। इन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निकाय द्वारा किए जाने वाले समायोजनों को प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें लेखांकन नीतियों में अंतर हेतु अधिग्रहण तथा संशोधन के समय किए गए उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

(क) सारबद्ध तुलन–पत्र (करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीपीएल	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी समतुल्य	7.67	2.58	54.63	394.33
अन्य परिसंपत्तियां	3.41	3.16	1,112.72	739.53
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	11.08	5.74	1,167.35	1,133.86
नियामक विलंबित लेखा शेष	-	-	0.44	0.10
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	225.13	328.60	3,986.54	3,252.45
कुल परिसंपत्तियां (क)	**236.21**	**334.34**	**5,154.33**	**4,386.41**
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	94.84	65.60	221.10	131.05
अन्य देयताएं	9.06	9.69	134.73	147.81
कुल वर्तमान देयताएं	103.90	75.29	355.83	278.86
गैर–वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	172.03	185.19	373.95	211.91
अन्य देयताएं	0.38	2.66	677.03	405.18
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	172.41	187.85	1,050.98	617.09
कुल देयताएं (ख)	**276.31**	**263.14**	**1,406.81**	**895.95**
निवल परिसंपत्तियां (क–ख)	**(40.10)**	**71.20**	**3,747.52**	**3,490.46**
घटाएं : आवंटन लंबित प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	**32.00**	**100.00**
आवंटन लंबित प्राप्त शेयर आवेदन राशि के समायोजन के पश्चात निवल परिसंपत्ति	**(40.10)**	**71.20**	**3,715.52**	**3,390.46**

(ख) वहनीय राशियों का मिलान (करोड़ रुपये में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीपीएल	
	31 मार्च, 2023	**31 मार्च, 2022**	**20 नवम्बर, 2022**	**31 मार्च, 2022**
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	71.20	91.08	3,390.46	2,529.12
वर्ष हेतु लाभ/ (हानि)	(111.29)	(20.03)	17.12	4.67
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
इक्विटी अंशदान	-	-	307.94	856.67
अन्य इक्विटी में समायोजन (प्रारंभिक)	(0.01)	0.15	-	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**(40.10)**	**71.20**	**3,715.52**	**3,390.46**
समूह का अंश (प्रतिशत में)	20.00%	20.00%	53.44%	55.13%
समूह का अंश #	-	14.24	1985.40	1869.23
साख/(पूंजीगत आरक्षित)	-	-	(1.55)	(2.46)
वहनीय राशि	-	14.24	1,983.85	1,866.77
घटाएं : अंतर समूह लेन-देन पर लाभ	-	-	5.50	4.85
निवल वहनीय राशि	-	14.24	1,978.35	1,861.92
जोड़े : सीडब्ल्यूआईपी के साथ समायोजित वसूल नहीं किया गया लाभ			5.50	
जोड़े : अन्य इक्विटी को अंतरित पूंजीगत आरक्षित			1.55	
घटाएं : 20.11.2022 को निवल परिसंपत्ति मूल्य का समापन			1,985.40	
निवल वहनीय राशि	-	14.24	-	1,861.92

एनएचपीटीएल में निवेश का अग्रणीत मूल्य **शून्य** (पिछले वर्ष **14.24 करोड़ रुपए**) माना गया है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(33) का संदर्भ ग्रहण करें)

(ग) लाभ एवं हानि का सारबद्ध विवरण (करोड़ रुपये में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीपीएल	
	31 मार्च, 2023	**31 मार्च, 2022**	**20 नवम्बर, 2022**	**31 मार्च, 2022**
राजस्व	20.06	14.65	-	-
ब्याज आय	0.12	0.38	33.83	31.39
मूल्यह्रास और परिशोधन	8.61	8.51	0.38	1.05
ब्याज व्यय	20.96	19.18	0.01	0.03
अन्य व्यय	101.90	7.36	8.15	17.84
आय कर व्यय	-	-	8.51	7.90
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	**-**	**-**	**0.34**	**0.10**
सतत प्रचालनों से लाभ/(हानि)	**(111.29)**	**(20.02)**	**17.12**	**4.67**
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(111.29)	(20.02)	17.12	4.67
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	(111.29)	(20.02)	17.12	4.67

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर–वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)
क. उद्धृत इक्विटी निवेश – अन्य व्यापक आय (ओसीआइ) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
कारपोरेट निकाय				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) **(देखें टिप्पणी 3.1.1क)** (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,20,00,000	102.06	1,20,00,000	98.70
कुल (क)		**102.06**		**98.70**
ख. उद्धृत ऋण लिखत – अन्य व्यापक आय (ओसीआइ) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4 देखें)				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	-	-	1,50,000	158.43
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितंबर 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12,380	12.53	12,380	13.12
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितंबर 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57,000	59.31	57,000	61.82
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17,940	18.63	17,940	19.39
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35,000	37.11	35,000	38.20
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34,000	36.31	34,000	37.17
उप जोड़ (क)		**163.89**		**328.13**
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15 नवंबर 2032 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	14.58	120	13.79
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27 मार्च 2027 (1000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	1,00,000	11.56	1,00,000	12.23
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 22 नवंबर 2028 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	55.13	473	57.49
उप जोड़ (ख)		**81.27**		**83.51**
कुल (ग) (क + ख)		**245.16**		**411.64**
कुल (क + ख)		**347.22**		**510.34**

3.1.1 कुल राशि और उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य

3.1.1 क. कंपनी के निदेशक मंडल ने 6 जनवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) से शेयरों की वापसी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। कंपनी पीटीसी से निर्गम के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए अन्य प्रवर्तकों के साथ चर्चा कर रही है। इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक, पीटीसी में निवेश को गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा गया है।

3.1.2 212.80 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 174.31 करोड़ रुपये) की लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (गैर–वर्तमान और वर्तमान) को प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान परिपक्वता वाले डिबेंचर के कुल मोचन मूल्य का 15 प्रतिशत होता है। **(टिप्पणी 7.1 भी देखें)**

3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित निवेशों का विवरण ऊपर टिप्पणी 3.1 के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

3.1.4 ऋण दस्तावेजों के संबंध में उद्धृत निवेश जिनके लिए उद्धरण उपलब्ध नहीं है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर बाजार मूल्य पर विचार किया गया है।

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्राप्य व्यापार – अच्छे माने गए – प्रतिभूत **(टिप्पणी 3.2.1, 3.2.2 और 3.2.3 देखें)**	473.51	-
कुल	**473.51**	**-**

3.2.1 गैर–वर्तमान व्यापार प्राप्य की आयु अनुसूची :–

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – देय नहीं	473.51	-
3.2.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी एक द्वारा अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण या क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कंपनी का कोई भी निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य

3.2.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(17) देखें।

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	संबंधित पक्ष को ऋण – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत **(टिप्पणी 34(10), 3.3.1, 3.3.2 और 3.3.7 देखें)**	15.64	17.48
	घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि **(टिप्पणी 3.3.4 देखें)**	15.64	
	उप–जोड़	**-**	**17.48**
ख.	**कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.3.2 और 3.3.3 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	206.01	162.58
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	37.01	61.12
	उप–जोड़	**243.02**	**223.70**
ग.	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.3.5 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	875.18	802.92
	उप–जोड़	**875.18**	**802.92**
	कुल	**1118.20**	**1044.10**

3.3.1 संबंधित पक्षों को ऋण (व्यापार प्रयोजन हेतु प्रदत्त)

– नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड	15.64	17.48
कुल	**15.64**	**17.48**

पुनर्भुगतान का विवरण :– दिनांक 11.05.2018 और 31.03.2021 को एनएचपीटीएल को क्रमशः 6.00 करोड़ रुपए और 12.40 करोड़ रुपए की ऋण राशि 20 समान अर्धवार्षिक किस्तों में जारी की गई। ब्याज 30.04.2021 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की छमाही में 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को देय है।

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3.3.2	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जिनमें कोई शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।	शून्य	शून्य
3.3.3	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय – समेकित वित्तीय विवरणों की **(टिप्पणी 34(10) देखें)**।	शून्य	0.34
3.3.4	**संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि**		
	वर्ष के दौरान वर्धन	15.64	-
	अंतिम शेष	**15.64**	**-**

एनएचपीटीएल के पक्ष में जारी ऋण 31.10.2022 से आरंभ होकर 20 समान अर्ध–वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना था। हालाँकि, 31.10.2022 को देय ब्याज और किस्त के पुनर्भुगतान में हुई चूक को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने वर्ष के दौरान बकाया ऋण के लिए एक हानि प्रावधान को मान्यता प्रदान की है।

3.3.5	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को व्यापार प्रयोजन के लिए दिए गए ऋण में शामिल है:**		
	– मूलधन	225.00	225.00
	– ब्याज	650.18	577.92
3.3.6	ऋण गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। वहन मूल्य दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है।		
3.3.7	उन फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है	शून्य	शून्य

3.3.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के निबंधनों के अनुसार यथाअपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 3.3 के अधीन प्रकट किया गया है।

3.3.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(17) देखें।

टिप्पणी संख्या 3.4 गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	**प्रतिभूति जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	28.76	25.16
	उप जोड़	**28.76**	**25.16**
ख	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा **(टिप्पणी 3.4.2 देखें)**	666.91	1,187.84
ग	पट्टा किराया प्राप्य **(टिप्पणी 3.4.5 और 34(18(ख)) देखें)**	5,877.99	6,086.51
घ	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी 3.4.1 और 11(ज) देखें)**	2,017.20	2,017.20
ङ	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज :		
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	16.58	39.84
च	व्युत्पन्न मार्क से बाजार परिसंपत्ति	0.24	22.35
छ	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	6.42	-
ज	वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी 3.4.3 देखें)**	-	10.38
	कुल	**8,614.10**	**9389.28**

3.4.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें।

3.4.2 क) 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले बैंक निक्षेपों में शामिल है:

(i) 4.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.35 करोड़ रुपए) की एफडीआर जो विद्युत कनेक्शन/ग्रिड कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा जारी बैंक गारंटी के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन मनी प्रदान करने के लिए ली गई है।

(ii) गैर–निधि आधारित ऋण के लिए बैंकों के पास ग्रहणाधिकार के अंतर्गत 31.51 करोड़ की राशि, जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, वर्णित की गई राशि में शामिल है।

3.4.3 वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए अधिक निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के कारण कर्मचारियों से वसूल की जाने वाली राशि।

3.4.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

3.4.5 प्रतिभूति के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(11) देखें।

टिप्पणी संख्या 4 गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	518.76	1,125.98
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	508.24	1,108.93
गैर–वर्तमान कर **(टिप्पणी संख्या 23 देखें)**	33.74	3.34
कुल	**44.26**	**20.39**

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**पूंजी अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	217.42	145.12
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत		
	– बैंक गारंटी के प्रति	702.57	267.47
	– अन्य	392.79	405.39
	घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र में बुक किए गए व्यय	13.73	19.28
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	141.45	201.76
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)**	141.45	201.76
	उप जोड़	**1,299.05**	**798.70**
ख.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
	जमा		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	50.64	51.38
	उप जोड़	**50.64**	**51.38**
ग.	**प्रोद्भूत ब्याज**		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	5.31	1.44
घ.	**अन्य**		
i)	**पूंजीगत कार्यों के संबंध में मध्यस्थता निर्णयों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत)**		
	ठेकेदारों को जारी – बैंक गारंटी के प्रति	1,231.31	1,140.40
	ठेकेदारों को जारी – अन्य	34.61	34.61
	न्यायालय में जमा	1,419.50	1,420.48
	उप जोड़	**2,685.42**	**2,595.49**
ii)	**पूर्व प्रदत्त व्यय**	2.79	3.12
iii)	**आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	220.22	260.15
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	221.66	224.42
	उप जोड़	**441.88**	**484.57**
iv)	कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों पर आस्थगित लागत	63.52	67.14
	कुल	**4,548.61**	**4,001.84**

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
5.1	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	201.76	201.76
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.01	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	60.32	-
	अंतिम शेष	**141.45**	**201.76**
5.2	कंपनी के निदेशकों और अन्य अधिकारियों से देय (समेकित वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 34(10)** देखें)	शून्य	शून्य
5.3	ऐसी फर्मो या निजी कंपनियों से देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है	शून्य	शून्य
5.4	शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की **टिप्पणी संख्या 34(17)** देखें।		

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(न्यून लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित)		
	भंडार तथा कलपुर्जे	158.20	133.45
	परिवहन/निरीक्षण के लिए लंबित भंडार	0.04	0.34
	खुले औजार	3.08	2.48
	रद्दी मालसूची	0.80	1.19
	स्थल पर सामग्री	-	6.87
	कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ प्रमाणित कार्बन यूनिट (वीसीयू)	2.32	-
	घटाएं : अप्रचलन तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)**	3.26	3.89
	कुल	**161.18**	**140.44**
6.1	अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	3.89	8.66
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)**	0.32	0.62
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी संख्या 6.1.2 देखें)**	0.95	5.39
	अंतिम शेष	**3.26**	**3.89**
6.1.1	वर्ष के दौरान, निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित मालसूची और लाभ तथा हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.32	0.62
6.1.2	पूर्ववर्ती वर्ष में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान।	0.95	5.39

टिप्पणी सं. 7.1 : वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	उद्धृत ऋण लिखत – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर सरकारी प्रतिभूति		
	8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू जीओआई विशेष बॉण्ड 27 मार्च 2024 **(टिप्पणी संख्या 7.1.1 देखें)** (बॉण्ड की संख्या 150000, 10000/– रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य की दर से)	151.35	-
	कुल	**151.35**	**-**

7.1.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परिपक्व होने वाले बॉण्ड के प्रति प्रतिभूति के रूप में निर्दिष्ट के लिए टिप्पणी 3.1.2 देखें।

टिप्पणी सं. 7.2 : वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्ति – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत **(टिप्पणी संख्या 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5 और 7.2.6 देखें)**	3,019.93	2,827.88
	व्यापार प्राप्य – बिल न किए गए – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत **(टिप्पणी संख्या 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 और 7.2.5 देखें)**	3,140.66	2,347.96
	व्यापार प्राप्य – बाधित ऋण **(टिप्पणी संख्या 7.2.2 और 7.2.3 देखें)**	35.37	35.33
	घटाएं – व्यापार प्राप्य के लिए हेतु हानि प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 7.2.1 देखें)**	35.37	35.33
	कुल	**6,160.59**	**5,175.84**
7.2.1	**व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	35.33	33.76
	वर्ष के दौरान वर्द्धन	0.04	3.95
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	2.38
	अंतिम शेष	**35.37**	**35.33**
7.2.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	Nil	Nil
7.2.3	व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 7.2 का अनुबंध-I देखें।		
7.2.4	**निम्नलिखित के कारण प्राप्य को दर्शाते हैं**		
	जल उपयोग प्रभार	165.53	11.32
	मार्च माह के लिए बिल न की गई बिक्री	506.74	672.78
	एमईए बिक्री	7.44	6.11
	2009–14 के लिए एनएपीएएफ में संशोधन–सेवा-II पावर स्टेशन **(टिप्पणी 7.2.8 देखें)**	32.97	32.97
	पुनः वित्त–पोषण के कारण बचत और बॉण्ड जारी किए जाने के व्यय	(21.00)	(23.22)
	मूर्त रूप दिए गए विलंबित कर सहित कर समायोजन	(99.58)	15.94
	ऊर्जा में कमी	601.18	469.66
	विदेशी मुद्रा दर अंतर	31.57	44.78
	सुरक्षा व्ययों सहित नए विनियम 2019–24 के अनुसार बिल किए गए तथा प्राप्य एएफसी का प्रभाव	1,857.19	1,121.39
	ओ एण्ड एम और वेतन संशोधन का प्रभाव	57.68	-
	अन्य	0.94	(3.77)
	कुल	**3,140.66**	**2,347.96**

7.2.5 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनकी वहनीय राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

7.2.6 विभिन्न बैंकों से बिलों में छूट के माध्यम से प्राप्त 948.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1323.90 करोड़ रूपए) की राशि व्यापार प्राप्यों को बिल छूट समझौतों की शर्तों के अनुसार मान्यता नहीं दी गई है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों से चूक होने पर क्रेडिट हानियों के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताओं के संबंध में टिप्पणी 20.1.1 देखें।

7.2.7 शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

7.2.8 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने याचिका संख्या 281 जीटी/2018 में दिनांक 05.02.2020 को दिए गए आदेश में वर्ष 2010–14 की अवधि के लिए 90 प्रतिशत एनएपीएएफ की अनुमति दी है, जबकि इससे पूर्व याचिका संख्या 57/2010 में इसके दिनांक 06.09.2010 के आदेश में इस प्रयोजनार्थ 80 प्रतिशत की अनुमति दी गई थी जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि प्रोत्साहन की वसूली के लिए 80 प्रतिशत से अधिक के स्थान पर 90 प्रतिशत से अधिक की अनुमति दी जाएगी। चूंकि उक्त शर्त टैरिफ विनियम 2009–14 के संदर्भ में अधिकारातीत है, दिनांक 05.02.2020 के समीक्षा आदेश के विरुद्ध माननीय विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) में अपील दायर की गई है। एपीटीईएल का निर्णय लंबित होने तक, वित्तीय वर्ष 2021–2022 में एनएपीएएफ के संबंध में प्रोत्साहन के प्रति 80 प्रतिशत से अधिक और 90 प्रतिशत तक बुक किए गए बिना बिल वाले राजस्व को प्रतिलोमित नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. 7 2 का अनुबंध–I

31 मार्च, 2023 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	प्राप्य व्यापार देया और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे समझे गए	3,140.66	1,321.88	1,595.55	18.29	30.53	24.01	20.30	6,151.22
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण अच्छे समझे गए	-	-	6.78	2.59	-	-	-	9.37
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	35.37	35.37
कुल	**3,140.66**	**1,321.88**	**1,602.33**	**20.88**	**30.53**	**24.01**	**55.67**	**6,195.96**

31 मार्च, 2022 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	प्राप्य व्यापार देय और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(1) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे समझे गए	2,347.96	55.82	2,298.08	429.02	24.03	19.09	1.84	5,175.84
(2) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	35.33	35.33
कुल	**2,347.96**	**55.82**	**2,298.08**	**429.02**	**24.03**	**19.09**	**37.17**	**5,211.17**

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	बैंकों के पास शेष		
	अनुसूचित बैंकों के पास		
	i) चालू खाते में	531.29	1,009.82
	ii) जमा खाते में	488.51	304.85
	(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)		
ख.	हस्तगत नकदी **(टिप्पणी सं. 8.1 देखें)**	0.01	-
	कुल	**1,019.81**	**1,314.67**
8.1	इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं	0.01	-

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	3 माह से अधिक 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा **(टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)**	1,519.36	507.52
ख	जमा – भुगतान न किया गया लाभांश	52.30	47.54
ग.	जमा – भुगतान न किया गया ब्याज	87.22	87.16
घ.	बैंकों के पास अन्य अभिनिर्धारित शेष **(टिप्पणी संख्या 9.2)**	14.99	1.46
	कुल	**1,673.87**	**643.68**
9.1	**इसमें ऐसे शेष शामिल हैं, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है**		
	(i) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु रखे गए हैं।	84.74	86.77
	(ii) विद्युत क्रय करार खंड के संदर्भ में सौर 2000 मेगावाट योजना के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा निधि अर्थात मूलधन और उस पर प्राप्त ब्याज के रूप में धारित है।	16.30	-
	(iii) बैंक निक्षेपों में ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के बदले भूमि के लिए विस्थापितों द्वारा जमा की गई राशि शामिल है, जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	0.08	0.08
	(iv) बैंक निक्षेपों में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंकों के पास ग्रहणाधिकार के तहत राशि शामिल है, जो कथित राशि में शामिल कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	7.87	7.52
	(v) बैंक निक्षेपों में गैर–निधि आधारित क्रेडिट के लिए बैंकों के पास ग्रहणाधिकार के अंतर्गत ऐसी राशि शामिल है, जो वर्णित की गई राशि में शामिल कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	1.99	-

9.2 देय अदा नहीं किए गए लाभांश की राशि 22.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 24.64 करोड रुपए) और लाभांश पर टीडीएस 29.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 22.90 करोड़ रुपए) शामिल है।

9.3 वर्ष के दौरान, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को 3.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.80 करोड़ रुपए) का अदा नहीं किया गए लाभांश का भुगतान किया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है। **(टिप्पणी 20.4.2 देखें)**

9.4 इसमें वे शेष शामिल हैं जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं :

		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित किया गया	1.45	0.87
(ii)	माननीय सिक्किम उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में एनएचपीसी आपातकालीन राहत कोष बनाया गया।	0.61	0.59
(iii)	ऋणदाता (एचडीएफसी बैंक) को चमेरा-I पावर स्टेशन के आरओई के प्रतिभूतिकरण के कारण मासिक किस्त के भुगतान के लिए रोक दिया गया।	12.93	-

टिप्पणी सं. 10 : वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्ति – ऋण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**संबंधित पक्ष को ऋण (उस पर ब्याज सहित) (टिप्पणी सं. 34(10), 10.1 और 10(2) देखें)**		
	ऋण प्राप्य – अप्रतिभूत – (अच्छे माने गए)	-	0.92
	ऋण प्राप्य – ऋण बाधित – अप्रतिभूत	3.18	0.42
	घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए क्षति भत्ता **(देखें टिप्पणी 10.4)**	3.18	0.42
	उप जोड़	**-**	**0.92**
ख.	**कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी संख्या 10.2 और 10.3 देखें)**		
	ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – प्रतिभूत	25.79	20.50
	ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	34.98	39.62
	ऋण बाधित – अप्रतिभूत	0.01	0.01

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	घटाएं: संदिग्ध कर्मचारी ऋणों के लिए क्षति भत्ता **(देखें टिप्पणी संख्या 10.5)**	0.01	0.01
	उप जोड़	**60.77**	**60.12**
	कुल	**60.77**	**61.04**
10.1	**संबंधित पक्षों को व्यापार प्रयोजन के लिए दिया गया ऋण (देखें टिप्पणी 10.5)**		
	– नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड (देखें ''क'')	3.18	1.34

(क) पुनर्भुगतान के विवरण :– एनएचपीटीएल को दिनांक 11.05.2018 और 31.03.2021 को क्रमशः 6.00 करोड़ रुपए और 12.40 करोड़ रुपए की राशि के ऋण जारी किए गए थे। ऋण पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है और जिसका पुनर्भुगतान 31.10.2022 से आरंभ होकर 20 समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाना होता है। ब्याज 30.04.2021 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की छमाही में 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को देय है। उपरोक्त बकाया राशि में 2.76 करोड़ के ऋण की वर्तमान परिपक्वता और 31.03.2023 तक 0.42 करोड़ रुपए का प्रोद्भूत ब्याज शामिल है।

10.2	ऋण की प्रकृति के ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि के निर्दिष्ट किए हैं।	शून्य	शून्य
10.3	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(10) देखें)	0.03	0.08
10.4	**संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए क्षति भत्ता**		
	प्रारंभिक शेष	0.42	-
	वर्ष के दौरान वर्द्धन	2.76	0.42
	अंतिम शेष	**3.18**	**0.42**
10.5	**संदिग्ध अर्जित ब्याज के लिए क्षति भत्ते**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
	अंतिम शेष	**0.01**	**0.01**
10.6	ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक कंपनी का निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य

10.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया गया है।

10.8 ऋण गैर–व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षों के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।

10.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 11 : वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	प्रतिभूत जमा		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	1.10	0.36
	उप जोड़	**1.10**	**0.36**
ख.	प्राप्य राशि **(टिप्पणी सं. 11.1 देखें)**	907.07	809.80
	घटाएं – संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं. 11.2 देखें)**	287.17	282.65
	उप जोड़	**619.90**	**527.15**
ग.	संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	-	55.24
घ.	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	30.91	81.77
ङ.	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) **(टिप्पणी सं. 11.5 और 34(18)(ख) देखें)**	199.27	185.32
च.	बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज आय **(टिप्पणी सं. 11.3 देखें)**	83.87	34.25
छ.	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	-	10.55
ज.	निवेश (बॉण्ड) पर प्रोद्भूत ब्याज	2.53	2.53
झ.	भारत सरकार द्वारा सेवित बांडों पर वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी सं. 3.4(घ) देखें)**		
	– प्रोद्भूत ब्याज	4.49	4.49
	कुल	**942.07**	**901.66**

11.1 वसूली योग्य राशि में शामिल हैं:

(i) राज्य कर विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को "संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर माल और सेवा करों की प्रतिपूर्ति (आरएसजीटीपीपी)" योजना के निबंधनों के अनुसार की जाने वाली 121.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : शून्य) के दावे की राशि की प्रतिपूर्ति पकल दुल जलविद्युत परियोजना, कीरू जलविद्युत परियोजना और क्वार जलविद्युत परियोजना के विकास और निर्माण के लिए वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 17.08.2021 की अधिसूचना का.आ. 281 द्वारा इस सीमा तक की जानी है कि आपूर्तिकर्ताओं के बीजको कंपनी के जीएसटीआर 2क में प्रतिबिंबित होते हैं, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) आधार पर उसके द्वारा भुगतान की गई नकद राशि भी शामिल है। जहां भी राज्य कर विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि को पिछले वर्षों में पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी की लागत के रूप में बुक किया गया था, उसे पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी के अनुरूप समायोजन के बाद वसूलीयोग्य राशि में भी शामिल किया गया है।

(ii) मध्य प्रदेश सरकार से 15.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 38.68 करोड़ रुपए) की राशि देय है।

(iii) वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए कर्मचारियों से पीआरपी के मद में 34.79 करोड़ रुपए (पिछला वर्ष : 26.93 करोड़ रुपए) की राशि वसूली जानी है। माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत के अनुसरण में, उपरोक्त राशि में से 29.75 करोड़ रुपए की वसूली अस्थायी रूप से रोक दी गई।

11.2 संदिग्ध वसूली योग्य हेतु प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	प्रारंभिक शेष	282.65	275.18
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	5.68	9.03
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.12	1.38
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.04	0.18
	अंतिम शेष	**287.17**	**282.65**
11.3	अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष पर अर्जित ब्याज शामिल है और यह कंपनी के व्यवसाय के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है।	0.38	0.60

11.4 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(17) का अवलोकन करें।

11.5 सुरक्षा के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई संपत्तियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(11) का अवलोकन करें।

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
क.	स्रोत पर की गई कर कटौती सहित अग्रिम आय	2,099.37	1,340.23
ख.	घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	1,968.30	1,218.80
	निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क–ख)	**131.07**	**121.43**
	आयकर प्रतिदाय	2.00	24.36
	कुल	**133.07**	**145.79**

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
	क) जमा		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	34.48	29.10
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	84.89	84.89
	घटाएं : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.1 देखें)**	84.89	84.89
	उप जोड़	**34.48**	**29.10**
	ख) संविदाकार/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी सं 13.7 देखें)		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	0.12	0.38

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत		
– बैंक गारंटी के प्रति	0.43	0.66
– अन्य	24.72	47.85
घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाणपत्र के लिए बुक किया गया व्यय	0.82	17.45
– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	45.52	61.93
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.2 देखें)**	45.52	61.93
उप जोड़	**24.45**	**31.44**
ग) अन्य अग्रिम – कर्मचारी		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत **(टिप्पणी सं 13.6 देखें)**	1.17	0.88
– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	0.04	0.01
उप जोड़	**1.21**	**0.89**
घ) प्रोद्भूत ब्याज :		
अन्य		
– अच्छे माने गए	25.99	6.90
उप जोड़	**25.99**	**6.90**
ख. अन्य		
क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
घटाएं : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.3 देखें)**	37.06	37.06
उप जोड़	-	-
ख) पश्च लेखन स्वीकृति / लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	2.71	12.37
घटाए : लंबित जांच / पश्चलेखन की प्रतीक्षा वाली / स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.4 देखें)**	2.71	12.37
उप जोड़	-	-
ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	162.40	154.74
घ) कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	12.38	12.98
ङ) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	44.02	44.02
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	6.36	6.36
च) अधिशेष / अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं 13.8 देखें)	8.11	6.92
छ) प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट	102.37	77.24
घटाएं : प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.5 देखें)**	84.27	44.63
उप जोड़	**18.10**	**32.61**
ज) अन्य (मुख्यत: ठेकेदारों को जारी सामग्री के संबंध में)	**124.93**	**137.07**
कुल	**462.43**	**463.03**

13.1 संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	84.89	74.79
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	10.10
अंतिम शेष	**84.89**	**84.89**
13.2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)		
प्रारंभिक शेष	61.93	61.93
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	16.41	-
अंतिम शेष	**45.52**	**61.93**
13.3 पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
13.4	**जांच लंबित/पश्चलेखन प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	12.37	8.51
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	6.28
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	9.62	2.21
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.04	0.21
	अंतिम शेष	**2.71**	**12.37**
13.5	**प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	44.63	13.54
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	39.64	31.09
	अंतिम शेष	**84.27**	**44.63**
13.6	निदेशकों या अन्य अधिकारियों से वर्ष के अंत में देय – (समेकित वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी 34(10)** देखें)	शून्य	शून्य
13.7	फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य

13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।

13.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 14.1 : विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क)	**सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष**		
	प्रारंभिक शेष	3,470.59	3,470.59
	अंतिम शेष	**3,470.59**	**3,470.59**
(ख)	**तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन**		
	प्रारंभिक शेष	495.41	609.61
	वर्ष के दौरान समायोजन (लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से) **(देखें टिप्पणी 31)**	(501.90)	(116.53)
	वर्ष के दौरान समायोजन (अन्य व्यापक आय के माध्यम से) **(देखें टिप्पणी 30.2)**	6.49	2.33
	अंतिम शेष	**-**	**495.41**
(ग)	**किशनगंगा पावर स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण अंतरीय मूल्यह्रास**		
	प्रारंभिक शेष	761.46	563.11
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	199.36	198.35
	अंतिम शेष	**960.82**	**761.46**
(घ)	**मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर**		
	प्रारंभिक शेष	1.55	1.72
	अधिग्रहण के कारण अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 14.1.2 देखें)	0.44	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	1.23	(0.17)
	अंतिम शेष	**3.22**	**1.55**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(ङ)	**2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	1,665.63	1,715.15
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	56.09	49.52
	अंतिम शेष	**1,609.55**	**1,665.63**
(च)	**2014–2019 की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	854.09	843.37
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	1.18	10.72
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	217.16	-
	अंतिम शेष	**638.11**	**854.09**
	अंतिम शेष = (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**6,682.29**	**7,248.73**
	घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	(8.56)	(280.39)
	जोड़ें : लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर	(8.56)	(280.39)
	आस्थगित कर का निवल विनियामक आस्थगित लेखा शेष	**6,682.29**	**7,248.73**

14.1.1 हानि और विनियामक स्थगन खाता शेष के संबंध में अधिक प्रकटीकरण के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(19) और 34(23) का अवलोकन करे।

14.1.2 कंपनी ने दिनांक 21.11.2022 से सीवीपीपीपीएल का नियंत्रण हासिल कर लिया है। तदनुसार, उस तारीख तक मौद्रिक मद पर विनिमय अंतर के कारण बनाए गए विनियामक स्थगन खाता शेष की बकाया शेष राशि को समूह में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 14.2 विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता		
प्रारंभिक शेष	2,016.72	763.78
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	125.59	1313.27
वर्ष के दौरान प्रयुक्त (टिप्पणी सं 31 देखें)	268.29	60.33
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	390.07	-
अंतिम शेष	**1483.95**	**2016.72**

14.2.1 नियामक विलंबित लेखा शेष के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(23) देखें।

टिप्पणी सं. 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/–रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/–रुपए)	10045034805	10045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03
अंतिम शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय–समय पर उनके लिए घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयरः

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	संख्या	(प्रतिशत) में	संख्या	(प्रतिशत) में
– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7126772676	70.95%
– भारतीय जीवन बीमा निगम	349142900	3.48%	704952213	7.02%

15.1.4 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपये प्रत्येक के 214285714 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।

15.1.5 31 मार्च 2023 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता :

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	-

15.1.6 31 मार्च 2022 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता :

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	-

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i) पूंजी आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	64.08	64.08
जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 2.7.4 (ख) देखें)**	1.55	-
तुलन–पत्र की तारीख पर	**65.63**	**64.08**
(ii) पूंजी मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2,255.71	2,255.71
तुलन–पत्र की तारीख पर	**2,255.71**	**2,255.71**
(iii) बांड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1,366.25	1,641.95
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरण	236.95	275.70
तुलन–पत्र की तारीख पर	**1,129.30**	**1,366.25**
(iv) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	11,544.83	11,544.83
तुलन–पत्र की तारीख पर	**11,544.83**	**11,544.83**
(v) अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	9,521.15	7,374.95
जोड़ें – वर्ष के दौरान लाभ	3,889.98	3,523.57
जोड़ें – वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	4.30	14.61

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
जोड़ें – बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्चलेखित राशि	236.95	275.70
घटाएं : लाभांश (अंतिम और अंतरिम) **(टिप्पणी सं. 33(3)(ग) देखें)**	1,908.56	1,667.48
जोड़ें – एनसीआई के साथ लेन–देन	(0.41)	(0.20)
तुलन–पत्र की तारीख पर	**11,743.41**	**9,521.15**
(vi) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	37.19	45.41
जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	(11.86)	(8.22)
तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**25.33**	**37.19**
(vii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेज		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	86.74	81.34
जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	3.36	5.40
तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**90.10**	**86.74**
कुल	**26,854.31**	**24,875.95**

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

(i) **पूंजी आरक्षित :** कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। भुगतान की गई राशि से अधिक अर्जित संपत्ति के उचित मूल्य को पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 21.11.2022 से चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) का नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिसके कारण इक्विटी पद्धति के अंतर्गत 20.11.2022 तक मान्यता प्राप्त पूंजीगत रिजर्व को समूह के पूंजीगत रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ii) **पूंजी मोचन आरक्षित :** यदि शेयरों की पुनः खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए तो कंपनी के लिए वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस आरक्षित का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) **बॉण्ड मोचन आरक्षित :** कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी के लिए बांडों के मोचन के उद्देश्य के लिए उपलब्ध लाभों से बांड मोचन आरक्षित सृजित करना अपेक्षित था। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 से कंपनी को बांड मोचन आरक्षित के सृजन से छूट मिलती है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे यह निर्धारित है कि कंपनी द्वारा डिबेंचर मोचन आरक्षित में जमा की गई राशि का उपयोग डिबेंचर के मोचन के प्रयोजन के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। तद्नुसार, यद्यपि 31.03.2019 तक बनाए गए बांड मोचन आरक्षित को अग्रेणीत किया गया है और वर्ष के दौरान मोचित किए गए बांडों के लिए आगे उपयोग किया जाएगा, आरक्षित में कोई अतिरिक्त प्रोद्भवन नहीं किया गया है।

iv) **सामान्य आरक्षित :** सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय–समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए रखी गई आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित करके सृजित किया गया है। उक्त का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

v) **अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन :** सामान्यतः अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन कंपनी की संचयी आय की अवितरित लाभ/राशि को दर्शाता है और इसमें परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।

vi) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज :** कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के रूप में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों का निपटान किया जाता है या ये लिखत परिपक्व होती है।

vii) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेज :** कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के रूप में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत इक्विटी प्रतिभूतियों का निपटान किया जाता है।

टिप्पणी सं. 15.3 : गैर–नियंत्रक हित (एनसीआई)

सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
एनएचडीसी लिमिटेड	2,785.33	2,761.56
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	(0.07)	39.76
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (बीएसयूएल)	12.28	12.66
लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	-	-
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	-	-
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)	235.18	48.89
एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16 फरवरी 2022 से	-	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) 21 नवम्बर 2022 से	1,782.41	-
कुल	**4,815.13**	**2,862.87**

15.3.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, एनएचपीसी ने संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक, मेसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड की शेयरधारिता का अधिग्रहण करने के लिए 12 मई 2021 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, जो कि सीवीपीपीपीएल के 2 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के समान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीवीपीपीपीएल के 40,80,000 शेयरों के अधिग्रहण के लिए मैसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड को खरीद प्रतिफल का भुगतान किया गया है। 21.11.2022 को एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच सीवीपीपीपीएल के संबंध में एक पूरक प्रवर्तक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल का नियंत्रण हासिल कर लिया है। तदनुसार, सीवीपीपीपीएल के लेखों को 20.11.2022 तक इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम के रूप में और 21.11.2022 से अनुषंगी कंपनी के रूप में समेकित किया गया है। [समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(32) का भी अवलोकन करें]

15.3.2 व्याख्यात्मक टिप्पणी :

क) अन्य निकायों में हित

31 मार्च, 2023 के अनुसार समूह की सहायक कंपनियां नीचे दिए अनुसार हैं। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, उनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित हैं, और स्वामित्व ब्याजों का अनुपात समूह द्वारा धारित मत अधिकारों के समान हैं। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है।

निकाय का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनिगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर–नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान क्रियाकलाप
		31 मार्च, 23 प्रतिशत	31 मार्च, 22 प्रतिशत	31 मार्च, 23 प्रतिशत	31 मार्च, 22 प्रतिशत	
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08	51.08	48.92	48.92	विद्युत उत्पादन
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत	74.82	74.83	25.18	25.17	विद्युत उत्पादन
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	86.94	86.67	13.06	13.33	विद्युत उत्पादन
लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	भारत	100.00	100.00	0.00	0.00	विद्युत उत्पादन
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	भारत	100.00	100.00	0.00	0.00	विद्युत उत्पादन
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)	भारत	51.00	73.53	49.00	26.47	विद्युत उत्पादन
एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16 फरवरी 2022 से #	भारत	100.00	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	विद्युत उत्पादन

निकाय का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनियमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर–नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान क्रियाकलाप
		31 मार्च, 23 प्रतिशत	31 मार्च, 22 प्रतिशत	31 मार्च, 23 प्रतिशत	31 मार्च, 22 प्रतिशत	
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) 21 नवम्बर 2022 से	भारत	52.74	लागू नहीं	47.26	लागू नहीं	विद्युत उत्पादन

एनएचपीसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए 16.02.2022 को एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बनाई है चालू वित्तीय वर्ष में एनआरईएल का पहला वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

ख) गैर नियंत्रक ब्याज (एनसीआई)

नीचे ऐसी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी की वित्तीय सूचना का सार दिया गया है। जिनके पास समूह का गैर–नियंत्रक ब्याज है। प्रत्येक अनुषंगी के लिए प्रकट की गई राशि अंतर कंपनी उन्मूलन से पूर्व की है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्तमान परिसंपत्तियां	2,038.20	1,310.51	0.27	1.85	22.31	18.39	44.82	15.19
वर्तमान देयताएं	425.87	358.70	1.36	1.82	23.33	15.47	153.61	51.58
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	**1,612.33**	**951.81**	**(1.09)**	**0.03**	**(1.02)**	**2.92**	**(108.79)**	**(36.39)**
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5,350.96	6,100.73	0.79	160.18	255.45	167.42	2,455.24	1,528.34
विनियामक आस्थगित लेखा शेष	(299.13)	(402.81)	-	-	-	-	-	-
गैर–वर्तमान देयताएं	970.90	1,005.05	-	-	160.39	75.32	581.81	10.99
निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	**4,080.93**	**4,692.87**	**0.79**	**160.18**	**95.06**	**92.10**	**1,873.43**	**1,517.35**
निवल परिसंपत्तियां	**5,693.26**	**5,644.68**	**(0.30)**	**160.21**	**94.04**	**95.02**	**1,764.64**	**1,480.96**
आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल कंपनी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-		-		-	-	-	-
कुल गैर नियंत्रक हित	**2,785.33**	**2,761.56**	**(0.07)**	**39.76**	**12.28**	**12.66**	**-**	**-**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2022 से)		रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)		एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16.02.2022 से		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (21.11.2022 से)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्तमान परिसंपत्तियां	45.18	73.27	112.64	178.34	17.96	-	869.01	-
वर्तमान देयताएं	38.01	19.50	16.20	117.10	0.01	-	322.83	-
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	**7.17**	**53.77**	**96.44**	**61.24**	**17.95**	**-**	**546.18**	**-**
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	601.87	252.47	302.50	125.03	0.46	-	4,514.95	-
विनियामक आस्थगित लेखा शेष	-	-	-	-	-	-	0.56	-
गैर–वर्तमान देयताएं	304.59	2.08	23.04	-	-	-	1,065.45	-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2022 से)		रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)		एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16.02.2022 से		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (21.11.2022 से)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	**297.28**	**250.39**	**279.46**	**125.03**	**0.46**	-	**3,450.06**	-
निवल परिसंपत्तियां	**304.45**	**304.16**	**375.90**	**186.27**	**18.41**	-	**3,996.24**	-
आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	-	-	**100.00**	-	-	-	-	-
मूल कंपनी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-	**1.56**	-	-	**224.69**	-
कुल गैर नियंत्रक हित	-	-	**235.18**	**48.89**	-	-	**1,782.41**	-

ग) लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
राजस्व	1,509.34	1,085.29	0.02	0.02	4.31	0.94	-	-
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	670.75	452.63	(161.28)	0.01	(3.00)	(0.70)	(0.22)	(0.20)
विनियामक आस्थगित आय	103.68	60.33		-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	(1.65)	(1.89)	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**772.78**	**511.07**	**(161.28)**	**0.01**	**(3.00)**	**(0.70)**	**(0.22)**	**(0.20)**
एनसीआई को आवंटित ''नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन'' सहित लाभ	378.88	250.96	(40.62)	-	(0.39)	(0.09)	-	-
एनसीआई को आवंटित एनसीआई	(0.81)	(0.93)	-	-	-	-	-	-
एनसीआई को अदा किया गया लाभांश	354.30	280.37	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2022 से)		रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)		एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16.02.2022 से		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (21.11.2022 से)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
राजस्व	0.40	0.70	9.05	2.09	0.83	-	19.63	-
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	0.28	(0.48)	6.32	(0.43)	(1.59)	-	7.90	-
विनियामक आस्थगित आय	-	-	-	-	-	-	0.12	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**0.28**	**(0.48)**	**6.32**	**(0.43)**	**(1.59)**	-	**8.02**	-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2022 से)		रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)		एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16.02.2022 से		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (21.11.2022 से)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
एनसीआई को आवंटित ''नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन'' सहित लाभ	-	-	3.10	(0.11)	-	-	3.79	-
एनसीआई को आवंटित एनसीआई	-	-	-	-	-	-	-	-
एनसीआई को अदा किया गया लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-

घ) सारबद्ध नकदी प्रवाह

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	721.22	332.62	-	-	14.21	(2.30)	55.02	(0.95)
निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(82.50)	160.70	(2.33)	(7.56)	(75.14)	(133.10)	(904.11)	(469.36)
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(725.32)	(573.52)	0.78	8.31	64.16	107.04	880.23	443.90
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	**(86.60)**	**(80.20)**	**(1.55)**	**0.75**	**3.23**	**(28.36)**	**31.14**	**(26.41)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2022 से)		रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)		एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16.02.2022 से		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (21.11.2022 से)	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(0.49)	(1.49)	19.57	2.99	(2.79)	-	(12.71)	-
निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(305.60)	(42.40)	(336.95)	(52.88)	(17.03)	-	198.49	-
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	273.37	116.49	183.30	186.70	20.00	-	240.24	-
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	**(32.72)**	**72.60**	**(134.08)**	**136.81**	**0.18**	**-**	**426.02**	**-**

टिप्पणी सं. 16.1 : गैर वर्तमान – वित्तीय देयताएं – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**– प्रतिभूत ऋण**		
	– बाण्ड	13,099.23	14,517.90
	– सावधि ऋण		
	– बैंकों से	6,276.60	2,560.00
	– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	-	158.00
ख.	**– अप्रतिभूत ऋण**		
	– सावधि ऋण	996.00	-
	– बैंक से	853.31	930.25
	– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) **(टिप्पणी 16.1.3 देखें)**	4,107.30	3,686.39
	– अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	1,269.80	1,374.07
	कुल	**26,602.24**	**23,226.61**

16.1.1 ऋण प्रसंविदाएं – पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 भारत सरकार से सावधि ऋण (अधीनस्थ ऋण) उचित मूल्यांकन का निवल होता है क्योंकि इन ऋणों पर वह ब्याज दर वहित की जाती है जो प्रचलित बाजार दर से कम होती है। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल गौण ऋण बकाया 5760.67 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4760.29 करोड़ रुपए) है। इसमें वर्तमान परिपक्वता राशि का 23.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23.11 करोड़ रुपए) शामिल है।

16.1.3 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.3

(करोड़ रूपए में)

	16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क)	**बॉण्ड (गैर–परिवर्तनीय और गैर–संचयी) – प्रतिभूत**		
i)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 और 5) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 और 5) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii)	**बॉण्ड – यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (1 और 6) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv)	**बॉण्ड – यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (1 और 6) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
v)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 और 5) देखें)** (1,000/–रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 और 5) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61

(करोड़ रूपए में)

	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
vii)	**बाण्ड–एसी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (12) देखें)** (8.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 15 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 10 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.02.2027 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
viii)	**बाण्ड–एबी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (11) देखें)** (6.80 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (750 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 24.04.2026 से प्रारंभ होगी।)	750.00	750.00
ix)	**बाण्ड–एए–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(10) देखें)** (6.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.03.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
x)	**बाण्ड–एए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (10) देखें)** (7.13 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2026 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
xi)	**बाण्ड–वाई–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(9) देखें)** (7.38 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 03.01.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
xii)	**बाण्ड–वाई सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(9) देखें)** (7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 07.10.2025 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
xiii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 और 5) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
xiv)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2 और 5) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77

(करोड़ रूपए में)

	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
xv)	**बाण्ड–डब्ल्यू2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(8) देखें)** (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से प्रारंभ होने वाली 5 समान वार्षिक किश्तों में 750.00 करोड़ रूपए मोचनयोग्य राषि के बाण्ड इश्यु)	750.00	750.00
xvi)	**बाण्ड–वी2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2) देखें)** (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	1,475.00	1,475.00
xvii)	**बाण्ड–एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय 1500 करोड़ रुपये की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ है। 31.03.2023 को 214.2857 करोड़ रुपए प्रत्येक की 6 वार्षिक किश्तें बकाया है)	1,285.71	1,500.00
xviii)	**बॉण्ड – टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (1 और 6) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.07.2019 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में 1474.92 करोड़ रूपए की बॉण्ड इश्यु चुकौतीयोग्य है। 31.03.2023 को 122.91 करोड़ रूपए की 8 वार्षिक किश्ते बकाया है)	983.28	1,106.19
xix)	**बॉण्ड – आर–3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनीय योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपये के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2023 को 89.20 करोड़ रुपये की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	446.00	535.20
xx)	**बॉण्ड – एस–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (6) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपये के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2023 को 55.00 करोड़ रुपये प्रत्येक की 7 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	385.00	440.00
xxi)	**बाण्ड–डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (8) देखें)** (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 5 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपये के प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2023 को शून्य बकाया हैं)	-	300.00

(करोड़ रूपए में)

	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
xxii)	**बॉण्ड – क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(4 व 8) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2023 के अनुसार 105.50 करोड़ रूपए प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	422.00	527.50
xxiii)	**बॉण्ड – आर–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(2) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2023 के अनुसार 31.84 करोड़ रूपए प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	127.36	159.20
xxiv)	**बॉण्ड – पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2, 4 और 5) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2023 के अनुसार 200 करोड़ रूपए प्रत्येक की 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	400.00	600.00
xxv)	**बॉण्ड –एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (6) देखें)** (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 10,00,000/– रूपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2023 के अनुसार 36.50 करोड़ रूपए की 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	73.00	109.50
xxvi)	**बॉण्ड –आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (2) देखें)** (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/– रूपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2023 के अनुसार 6.85 करोड़ रूपए की 3 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।	20.55	27.40
	कुल बॉण्ड	**14,517.90**	**15,679.99**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**1,418.67**	**1,162.09**
	बांड – वर्तमान परिपक्वता का निवल (क)	**13,099.23**	**14,517.90**
(ख)	**सावधि ऋण – प्रतिभूत (बैंक)**		
i)	**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (टिप्पणी 16.1.3.ख (2 और 3) देखें)** (31.03.2023 को 7.64 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (तिमाही रीसेट के साथ रेपो दर 6.25 प्रतिशत प्लस 1.39 प्रतिशत स्प्रेड) पर 01.05.2024 से शुरू होने वाली 01.12.2031 तक की 92 समान मासिक किश्तों में चुकाने योग्य)।	1,000.00	500.00
ii)	**जे एंड के बैंक लिमिटेड (टिप्पणी 16.1.3.ख (16) देखें** (01.04.2024 से शुरू होने वाली 01.03.2033 तक की 5.555556 करोड़ रुपये की 108 समान मासिक किश्तों में 31.03.2023 को 7.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (रेपो दर 6.50 प्रतिशत प्लस 1.25 प्रतिशत तिमाही रीसेट के साथ स्प्रेड) पर चुकाया जाएगा)।	600.00	-

(करोड़ रूपए में)

	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
iii)	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (टिप्पणी 16.1.3.ख (12,13 और 14) देखें)** (31.03.2023 को 8.19 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर पर 01.03.2024 से शुरू होने वाली 01.10.2031 तक की 21.7391304 करोड़ रुपए की 92 समान मासिक किश्तों में चुकाने योग्य) (त्रैमासिक रीसेट के साथ 3 महीने का ट्रेजरी बिल 6.26 प्रतिशत प्लस 1.93 प्रतिशत स्प्रेड)	2,000.00	2,000.00
iv)	**भारतीय स्टेट बैंक (यूआरआई–आई पीएस की मुफ्त नकदी का मुद्रीकरण) (टिप्पणी 16.1.3.ख (19) देखें)** (31.03.2023 से शुरू होने वाली 28.02.2033 तक की 120 मासिक किश्तों में 31.03.2023 को 8.05 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (3 महीने एमसीएलआर यानी 8.00 प्रतिशत प्लस 0.05 प्रतिशत त्रैमासिक रीसेट के साथ स्प्रेड) पर चुकौती और वास्तविक राजस्व का 5 प्रतिशत बुक किया गया एनएचपीसी द्वारा पावर स्टेशन के लिए पिछले 12 महीने की अवधि के लिए माध्यमिक ऊर्जा इकाइयों की बिक्री से संबंधित 13 महीने की अवधि के अंत में बैंक को भुगतान किया जाएगा, जिसमें संवितरण का महीना भी शामिल है)। (31.03.2023 तक 119 मासिक किश्तें बकाया हैं)।	1,866.14	-
v)	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (टिप्पणी 16.1.3.ख (16) देखें)** (वित्तीय वर्ष 2023–24 की तीसरी तिमाही से वित्तीय वर्ष 2036–37 की दूसरी तिमाही तक (2 वर्ष के अधिस्थगन के साथ) फ्लोटिंग ब्याज दर (आरबीआई रेपो रेट प्लस 2.48 प्रतिशत) पर तिमाही आधार पर 13 वर्षों में चुकाया जाएगा। ऋण बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा लिया गया है।	133.00	60.00
(vi)	**जे एंड के बैंक लिमिटेड (टिप्पणी 16.1.3.ख (17) देखें)** (36 महीने की अधिस्थगन अवधि के बाद 31.03.2023 को 8.10 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (रेपो प्लस 1.85 प्रतिशत आरबीआई नीति रीसेट के साथ) पर 80 समान मासिक किश्तों में चुकाया जाएगा)। यह ऋण लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड द्वारा लिया गया है।	200.00	-
(vii)	**बैंक ऑफ बड़ौदा (टिप्पणी 16.1.3.ख (17) देखें)** (36 महीने की अधिस्थगन अवधि के बाद 31.03.2023 को 7.65 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (जी सेक प्लस आरबीआई पॉलिसी रीसेट के साथ 0.60 प्रतिशत स्प्रेड) पर 1 मार्च 2026 से 80 समान मासिक किश्तों में चुकाया जाएगा)। यह ऋण लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड द्वारा लिया गया है।	350.00	-
viii)	**जे एंड के बैंक लिमिटेड (टिप्पणी 16.1.3.ख (18) देखें)** (31.03.2023 को 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (रेपो प्लस 2 प्रतिशत स्प्रेड आरबीआई पॉलिसी रीसेट के साथ) पर 1 अक्टूबर 2025 से 80 समान मासिक किश्तों में चुकाया जाएगा)। यह ऋण जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लिया गया है।	280.00	-
	कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूत)	**6,429.14**	**2,560.00**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**152.54**	**-**
	कुल सावधि ऋण – बैंक – वर्तमान परिपक्वता का निवल (ख)	**6,276.60**	**2,560.00**
(ग)	**सावधि ऋण – अन्य से (प्रतिभूत)**		
	भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख (3 और 7) देखें) (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान छमाही किश्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य) (31.03.2023 को 2 छमाही किश्तें बकाया है)	158.00	316.00
	कुल सावधि ऋण–अन्य पक्षकार (प्रतिभूत)	**158.00**	**316.00**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**158.00**	**158.00**
	सावधि ऋण – अन्य वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	**-**	**158.00**

(करोड़ रूपए में)

	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(घ)	**बॉण्ड (गैर–परिवर्तनीय और गैर–संचयी)–अप्रतिभूत बॉण्ड एडी श्रृंखला–2038**		
	(7.59 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय 12,00,000/– रुपए के प्रतिदेय करयोग्य बॉण्ड, प्रत्येक में 12 अलग–अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल भाग और प्रत्येक अलग–अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल भाग जिसमें बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 वां भाग शामिल है)। (बॉन्ड निर्गम राशि 996 करोड़ रुपये 20.02.2027 से शुरू होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में भुनाई जाएगी)।	996.00	-
	कुल बॉण्ड – (अप्रतिभूत) – वर्तमान परिपक्वता सहित	**996.00**	**-**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वता	**-**	**-**
	कुल बॉण्ड – (अप्रतिभूत) वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर (घ)	**996.00**	**-**
(ङ)	**सावधि ऋण–बैंकों से (अप्रतिभूत)**		
	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (चमेरा–1 पावर स्टेशन की इक्विटी पर रिटर्न का प्रतिभूतिकरण) (टिप्पणी 34(29 देखें))	936.98	1,010.01
	(31.03.2022 से 29.02.2032 तक शुरू होने वाली 120 मासिक किश्तों में 7.79 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर पर चुकाना होगा (3 महीने का ट्रेजरी बिल यानी 6.26 प्रतिषत प्लस 1.53 प्रतिशत त्रैमासिक रीसेट के साथ स्प्रेड) 31.03.2023 को और एनएचपीसी द्वारा पावर स्टेशन के लिए पिछले 12–महीने की अवधि के लिए माध्यमिक ऊर्जा इकाइयों की बिक्री के लिए बुक की गई आय का 5 प्रतिशत के बदले एचडीएफसी को प्रत्येक 12 महीने की अवधि के अगले महीने के अंत में भुगतान किया जाएगा, जिसमें संवितरण का महीना भी शामिल है)। (31.03.2023 तक, 108 मासिक किश्तें बकाया हैं)।		
	कुल सावधि ऋण – बैंकों से (अप्रतिभूत)	**936.98**	**1,010.01**
	घटा वर्तमान परिपक्वता	**83.67**	**79.76**
	सावधि ऋण – बैंकों से (अप्रतिभूत) वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (ङ)	**853.31**	**930.25**
(च)	**सावधि ऋण–भारत सरकार से (अप्रतिभूत)**		
	भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i)	**किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	2,919.77	2,870.05
	(परियोजना के चालू होने के 11वें वर्ष से यानी 24–05–2029 से 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर बिना छूट वाली राशि के संबंध में 377.429 करोड़ रुपए की 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा)		
ii)	**निम्मो बाज़गो जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	438.54	433.63
	(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 29.09 करोड़ की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii)	**चुटक विद्युत स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	387.55	405.82
	(2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठे वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रुपए की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।) (31.03.2023 को, 23.11 करोड़ रुपए प्रत्येक की 19 वार्षिक किश्तें बकाया है)		
iv)	**पकल दुल जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	384.55	-
	(1.00 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के पूरा होने के बाद 8वें वर्ष से प्रारंभ और 19 वर्ष अर्थात जुलाई 2033 तक जारी रहने वाली किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।) (31.03.2023 को, 23.11 करोड़ रुपए प्रत्येक की 19 वार्षिक किश्तें बकाया है)		
	कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूतित)	**4,130.41**	**3,709.50**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**23.11**	**23.11**
	सावधि ऋण – सरकार – वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	**4,107.30**	**3,686.39**

(करोड़ रूपए में)

	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(छ)	**सावधि ऋण – अन्यों से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)**		
i)	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला-I (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(15) देखें) (31.03.2023 के अनुसार 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.58 करोड़ रूपए प्रत्येक की 6 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	45.48	60.80
ii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला-II (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(15) देखें)** (31.03.2023 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 24.93 करोड़ रूपए प्रत्येक की 10 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	248.65	299.19
iii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला-III (टिप्पणी सं. 16.1.3.ख(15) देखें)** (31.03.2023 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.42 करोड़ रूपए प्रत्येक की 22 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	404.05	441.98
iv)	**एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर** (6 माह चक्रवर्ती संदर्भ दर (सीएएस + टोना + 0.75 प्रतिशत) पर 25.07.2024 को एक ही किश्त में पुनर्भुगतान योग्य। ऋण का बचाव 0.931 प्रतिशत (भारतीय रुपये) प्रति वर्ष की केवल कूपन अदला–बदली नियत दर पर तथा 0.90 रुपये की जापानी येन की स्ट्राइक कीमत सहित 6.25 प्रतिशत (भारतीय रुपये) प्रति वर्ष की मांग फैलाव कूपन नियत दर पर किया जाता है)	673.24	674.00
	कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)	**1,371.42**	**1,475.97**
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वताएं	**101.62**	**101.90**
	सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत) (छ)	**1,269.80**	**1,374.07**
	सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**26,602.24**	**23,226.61**

16.1.3.ख प्रतिभूति का विवरण

1. जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
2. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती-II जल विद्युत परियोजना की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
3. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
4. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा-III पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
7. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
8. हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित में कंपनी की पार्बती-II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में स्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत प्रक्रियाधीन है।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती-II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति बंधक/रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित

कंपनी के किशनगंगा पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूत।

10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती-II परियोजना, पार्बती-III पावर स्टेशन, चमेरा-II पावर स्टेशन तथा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक/रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन।

11. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के चमेरा-II पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।

12. असम और अरूणाचल राज्य में अवस्थित कम्पनी की सुबनसिरी लोअर परियोजना की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।

13. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।

14. जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कम्पनी के उड़ी-II पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।

15. कंपनी की अचल परिसंपत्तियों (वर्तमान और भविष्य) के विरुद्ध दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समान शुल्क द्वारा सुरक्षा निर्माण।

16. ऋण बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी) की अचल/चल संपत्तियों के विरुद्ध बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया है। ऋण एनएचपीसी लिमिटेड की अपरिवर्तनीय और बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा भी सुरक्षित है।

17. ऋण लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड की अचल/चल संपत्तियों के विरुद्ध बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया है। यह ऋण एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी के माध्यम से भी सुरक्षित है।

18. ऋण जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अचल/चल संपत्तियों के विरुद्ध बंधक द्वारा सुरक्षित किया जाता है। यह ऋण एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी के माध्यम से भी सुरक्षित है।

19. असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित कंपनी के सुबनसिरी लोअर परियोजना की अचल संरचनाओं जैसे इमारतों, बांध, पावर टनल, टेल रेस टनल और अन्य संरचनाओं/निर्माण/निर्मित/निर्माण की जाने वाली के प्रति बंधक के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षा निर्माण।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – पट्टा देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयताएं **(टिप्पणी संख्या 34(18)(क) देखें)**	47.18	17.46
कुल	**47.18**	**17.46**

टिप्पणी सं. 16.3 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय **(टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें)**		
– मूलधन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	167.20	81.77
पूंजीगत कार्यों के प्रति देयता	4.17	-
विलंब भुगतान अधिभार के लिए देय	1.45	-
व्युत्पन्न एमटीएम दायित्व	8.76	-
कुल	**2,198.78**	**2,098.97**

16.3.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने डिबेंचर (बॉण्ड) के रूप में 10,00,000/– रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय मोचनीय, करयोग्य "भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बॉण्ड – सीरीज-I" की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपये की समग्र राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बॉण्डों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तद्नुसार, ऐसे बॉण्डों की राशि और बॉण्डधारकों को देय ब्याज की राशि उपरोक्तानुसार वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीय राशि भी **टिप्पणी संख्या 3.4** के तहत गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों के संबंध में वसूलीयोग्य राशि" के रूप में दर्शाई गई है।

बॉण्डधारकों को कंपनी द्वारा अदा किया जाने वाला ब्याज भारत सरकार से ''वित्तीय परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत वसूलीयोग्य है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जुटाए गए भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है:	2,017.20	2,017.20
भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड-I सीरीज:		
8.12 प्रतिशत पर प्रत्येक 10,00,000/– रुपये के अर्द्धवार्षिक, 10 वर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी, मोचनीय, गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड, (मोचन की तारीख 22.03.2029)		

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क)	**कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान**		
i)	**दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	32.11	8.17
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	16.84	24.52
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.03	0.58
	अंतिम शेष	**46.92**	**32.11**
ख)	**अन्य**		
i)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.41	1.37
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.66	0.10
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.11	-
	छूट की समाप्ति	0.10	0.14
	अंतिम शेष	**0.74**	**1.41**
ii)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	19.70	19.08
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.06	0.23
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.32	-
	छूट की समाप्ति	0.49	0.39
	अंतिम शेष	**20.93**	**19.70**
iii)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.07	1.07
	अंतिम शेष	**1.07**	**1.07**
	कुल	**69.66**	**54.29**

17.1 टिप्पणी : प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 गैर वर्तमान – आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	आस्थगित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	4,052.85	4,049.39
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	19.09	22.69
ग)	अन्य मदें	769.08	745.81
घ)	अवितरित अर्जन	500.58	529.69
	आस्थगित कर देयता	**5,341.60**	**5,347.58**
	घटाएं – समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित आस्थगित कर परिसपंत्तियां		
क)	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	505.13	445.66
ख)	अन्य मदें	71.79	57.80
ग)	एमएटी ऋण पात्रता **(टिप्पणी सं 18.2 देखें)**	2,301.07	2,401.68
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,877.99**	**2,905.14**
	आस्थगित कर देयता (निवल)	**2,463.61**	**2,442.44**

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन टिप्पणी 18.1 के अनुबंध में दिए गए अनुसार है।

18.2 मैट क्रेडिट पात्रता का ब्यौरा :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	2,401.68	993.40
जोड़ें : वर्ष के दौरान मान्यताप्रदत्त	417.31	1,478.62
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	517.92	70.34
अंतिम शेष	**2,301.07**	**2,401.68**

18.3 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के प्रावधानों के अनुसार कर कानून (संशोधित) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित तथा 11 दिसंबर, 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अधिनियमित नियम 1 अप्रैल, 2019 से लागू होने हैं, घरेलू कंपनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अनुसार कुछ छूट/कटौतियों (नयी कर पद्धति) को छोड़कर रियायती दरों पर आय कर का भुगतान करने का विकल्प है। मूल कंपनी के पास 31 मार्च, 2023 तक 2829.22 करोड़ रुपये (गत वर्ष 949.95 करोड़ रुपए के मान्यता प्रदान नहीं किए गए मैट क्रेडिट सहित 3347.47 करोड़ रुपये) का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) ऋण अप्रयुक्त पड़ा है और कुछ विद्युत स्टेशनों से विद्युत के उत्पादन से लाभ के संबंध में कर कटौती का लाभ उठा रही है। इस संबंध में वर्तमान तथा आस्थगित कर मान्यता के लिए मौजूदा कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115खकक के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्णय, कर कटौती उपलब्ध न होने पर तथा एमएटी क्रेडिट की वास्तविक समाप्ति पर लिया जाएगा।

18.4 मान्यता प्रदान किए गए मैट क्रेडिट के प्रति सृजित आरडीए (क्रेडिट) शेष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14.2 और 34(23) देखें।

18.1: आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन

वित्तीय वर्ष 2022–23

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2022 को	4,049.39	22.69	745.81	529.69	5,347.58
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)					
– लाभ या हानि में	3.46	-	25.89	(29.11)	0.24
– ओसीआई में	-	(3.60)	(2.62)	-	(6.22)
31 मार्च, 2023 को	**4,052.85**	**19.09**	**769.08**	**500.58**	**5,341.60**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन (करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	मैट ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2022 को	445.66	57.80	2,401.68	2,905.14
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)				
– लाभ या हानि में	60.05	11.55	-100.61	(29.01)
– ओसीआई में	-0.58	2.44	-	1.86
31 मार्च, 2023 को	**505.13**	**71.79**	**2,301.07**	**2,877.99**

वित्तीय वर्ष 2021–22

आस्थगित कर देयता में संचलन (करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2021 को	4,012.53	25.19	717.65	538.23	5,293.60
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)					-
– लाभ या हानि में	36.86	(1.38)	28.82	(8.54)	55.76
– ओसीआई में	-	(1.12)	(0.66)	-	(1.78)
31 मार्च, 2022 को	**4,049.39**	**22.69**	**745.81**	**529.69**	**5,347.58**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन (करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	मैट ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2021 को	417.80	36.52	993.40	1,447.72
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)				
– लाभ या हानि में	28.52	21.28	1,478.62	1,528.42
– वर्तमान कर प्रावधान के प्रति प्रयुक्त मैट क्रेडिट	-	-	(70.34)	(70.34)
– ओसीआई में	(0.66)	-	-	(0.66)
31 मार्च, 2022 को	**445.66**	**57.80**	**2,401.68**	**2,905.14**

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	अग्रिम में प्राप्त आय – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	831.38	886.69
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	38.71	40.13
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी सं. 19.1 देखें)**	2,695.16	2,111.03
	कुल	**3,565.25**	**3,037.85**
19.1	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	2,208.75	2,227.30
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	682.60	78.71
	घटाएं : लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित (टिप्पणी सं 24.2 देखें)	97.72	97.26
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) **(टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)**	**2,793.63**	**2,208.75**
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (वर्तमान) – **(टिप्पणी सं 21 देखें)**	98.47	97.72
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (गैर–वर्तमान)	2,695.16	2,111.03

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
19.1.1	**अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :**		
(i)	सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	1,770.29	1,135.17
(ii)	सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण उपायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	78.05	74.07
(iii)	तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान) तथा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	21.10	22.15
(iv)	मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर पावर स्टेशनों के लिए प्राप्त अनुदान (देखें टिप्पणी 34(7))	905.30	963.34
(v)	राज्य में सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन पर प्रोदभूत ब्याज सहित प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	18.89	14.02
	कुल	**2,793.63**	**2,208.75**

टिप्पणी सं. 20.1 वर्तमान – वित्तीय देयताएं – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	**अन्य ऋण**		
	बैंकों से – प्रतिभूत **(टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)**	948.04	1,323.90
ख	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता **(देखें टिप्पणी 20.1.2)**		
	– बाण्ड	1,418.67	1,162.09
	– सावधि ऋण – बैंक – प्रतिभूत	152.54	-
	– सावधि ऋण – वित्तीय संस्थान – प्रतिभूत	158.00	158.00
	– सावधि ऋण – बैंक – अप्रतिभूत	83.67	79.76
	– अप्रतिभूत – सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
	– अन्य – अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा में)	101.62	101.90
	उप जोड़ (ख)	**1,937.61**	**1,524.86**
	कुल (क+ख)	**2,885.65**	**2,848.76**

20.1.1 948.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1323.90 करोड़ रुपये) की राशि बैंक से प्रतिभूति ऋण व्यापार प्राप्यों के लिए आश्रय से लाभार्थियों के लिए छूट वाले बिलों द्वारा बैंक को देय राशि के लिए है। बिल छूट के माध्यम से परिसमाप्त व्यापार प्राप्यों की निरंतर मान्यता प्रदान करने से **संबंधित टिप्पणी 7.2.6** देखें।

20.1.2 मोचन के संबंध में विवरण, ब्याज दर, पुनर्भुगतान की शर्तें और प्रतिभूति के विवरण टिप्पणी संख्या–16.1.2 में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 20.2 वर्तमान – वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता **(टिप्पणी 34(18)(क) देखें)**	4.77	3.12
कुल	**4.77**	**3.12**

टिप्पणी सं. 20.3 वर्तमान – वित्तीय देयताएं – व्यापार देय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	46.67	30.37
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	188.15	183.74
	कुल	**234.82**	**214.11**
20.3.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति बकाया देयताएं	46.88	30.65

20.3.2 देय व्यापार की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 20.3 का अनुबंध –I देखें।

20.3.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 का अनुबंध– I

31 मार्च, 2023 के अनुसार (करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	देय भुगतान योग्य व्यापार और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएमएमई	21.73	19.19	5.88	-	-	-	46.80
(ii) अन्य	58.35	22.12	94.92	6.18	3.56	2.81	187.94
(iii) विवादित देय – एमएमएमई	0.03	0.05	-	-	-	-	0.08
कुल	**80.11**	**41.36**	**100.80**	**6.18**	**3.56**	**2.81**	**234.82**

31 मार्च, 2022 के अनुसार (करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	देय भुगतान योग्य व्यापार और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएमएमई	7.69	-	21.39	1.11	0.27	0.11	30.57
(ii) अन्य	48.10	3.61	100.46	9.73	6.27	15.29	183.46
(iii) विवादित देय – एमएमएमई	-	-	0.04	-	0.04	-	0.08
कुल	**55.79**	**3.61**	**121.89**	**10.84**	**6.58**	**15.40**	**214.11**

टिप्पणी सं. 20.4 अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	819.32	583.87
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता – सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	16.67	12.59
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति देयता	13.44	14.89
ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	637.26	636.29
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में देय ब्याज		
– ब्याज	4.49	4.49
धरोहर जमा राशि/प्रतिधारण राशि	316.40	247.44
अदा न किया गया लाभांश **(टिप्पणी सं 20.4.1 देखें)**	22.99	24.64
अदा न किया गया ब्याज **(टिप्पणी सं 20.4.1 देखें)**	0.60	0.54
विलंब भुगतान अधिभार के लिए देय	0.83	-
कर्मचारियों को देय	38.25	27.15
अन्य को देय	27.66	25.22
कुल	**1,897.91**	**1,577.12**

20.4.1 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान, 3.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.80 करोड़ रुपए) के अप्रदत्त लाभांष को भुगतान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को किया गया है। निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है। (देखें टिप्पणी 9.3)

20.4.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	53.14	52.60
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	1.42	1.42
देय जल उपयोग प्रभार	243.82	103.42

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भुगतान योग्य सांविधिक देय	233.75	167.11
संविदा देयताएं – जमा कार्य	84.64	6.30
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	106.79	112.54
ग्राहकों से अग्रिम और अन्य	28.40	66.79
सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी सं 19.1 देखें)**	98.47	97.72
कुल	**850.43**	**607.90**

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.92	1.09
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.42	1.92
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1.09
अंतिम शेष	**2.34**	**1.92**
ii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.08	0.22
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.01	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.01
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.13
अंतिम शेष	**0.09**	**0.08**
iii) उत्पादकता संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	285.71	510.34
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	263.16	240.43
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	239.40	422.15
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	28.16	42.91
अंतिम शेष	**281.31**	**285.71**
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	1.08	0.39
अग्रिम का निवल उत्पादकता संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	**280.23**	**285.32**
ख) अन्य		
i) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	214.25	202.08
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	69.16	85.31
समायोजन	-	22.71
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	135.06	89.61
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	6.24
अंतिम शेष	**148.35**	**214.25**
ii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	122.26	145.23
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	218.33	0.10
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	27.32	23.07
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	20.00	-
अंतिम शेष	**293.27**	**122.26**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
iii) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	85.17	148.18
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	26.01	21.02
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	44.23	82.64
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.98	1.39
अंतिम शेष	**65.97**	**85.17**
iv) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	13.51	16.16
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.90	0.17
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.89	2.87
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.04	-
छूट की समाप्ति	0.08	0.05
अंतिम शेष	**11.56**	**13.51**
v) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	347.54	384.83
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	706.82	6.40
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.13	27.77
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.01	15.92
अंतिम शेष	**1,052.22**	**347.54**
vi) प्रावधान – अन्य		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	270.69	277.34
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	65.97	100.48
समायोजन	-	(22.71)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	103.35	83.12
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	18.60	1.30
अंतिम शेष	**214.71**	**270.69**
कुल	**2,068.74**	**1,340.74**

22.1 प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	845.26	716.90
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	947.71	915.60
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त मैट क्रेडिट	-	70.34
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(836.75)	(716.90)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	**956.22**	**845.26**
घटाएं : स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	989.96	834.04
निवल वर्तमान कर देयताएं (क–ख)	(33.74)	11.22
(टिप्पणी सं. 4 के तहत प्रकट किया गया)	33.74	3.34
कुल	**-**	**14.56**

टिप्पणी सं. 24.1 : प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रचालनात्मक राजस्व		
क.	**बिक्री (टिप्पणी संख्या 24.1.1 और 24.1.3 देखें)**		
	विद्युत की बिक्री	8,213.19	7,122.89
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम – वर्ष के दौरान पश्चलेखित	54.76	52.60
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	1,126.24	836.04
	उप जोड़ (i)	**9,394.19**	**8,011.53**
	घटाएं :		
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	32.47	44.02
	टैरिफ समायोजन **(टिप्पणी संख्या 24.1.2 देखें)**	71.83	94.37
	विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित) **(टिप्पणी संख्या 32 देखें)**	45.72	53.81
	उपभोक्ताओं को छूट	34.00	30.12
	उप जोड़ (ii)	**184.02**	**222.32**
	उप जोड़ (क) = (i-ii)	**9,210.17**	**7,789.21**
ख	**वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ख) देखें)**	841.83	865.51
ग	**प्रचालनात्मक पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 24.1.5 और 34(18(ग) देखें)**	392.41	384.07
घ	**परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	संविदा आय	-	0.02
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	29.77	22.90
	उप जोड़ (घ)	**29.77**	**22.92**
ङ	**विद्युत व्यापार से राजस्व**		
	व्यापार मार्जिन **(टिप्पणी संख्या 24.1.4 देखें)**	4.60	0.27
	उप जोड़ (ङ)	**4.60**	**0.27**
	उप जोड़ – I (क+ख+ग+घ+ङ)	**10,478.78**	**9,061.98**
च.	**अन्य प्रचालनात्मक राजस्व**		
	स्वयं सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	-	52.70
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआइ) के संबंध में आय	3.68	3.61
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	124.94	25.91
	उप जोड़-II	**128.62**	**82.22**
	कुल (I+II)	**10,607.40**	**9,144.20**
24.1.1	विद्युत की बिक्री में शामिल हैः–		
	(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूलीयोग्य राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	86.20	76.13
	(ii) पूर्व वर्ष की बिक्री	579.75	288.68
	(iii) विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा प्रभाग उपकर लाभग्राहियों से वसूली योग्य है और तदनुसार लाभग्राहियों को इसका बिल भेजा गया हैः		
	– विद्युत शुल्क	0.96	0.43
	– ऊर्जा विकास उपकर	81.40	39.54
24.1.2	टैरिफ समायोजन :– दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	71.83	94.37

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
24.1.3	बिल न किए गए राजस्व का राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	1,529.49	1,229.86
24.1.4	विद्युत व्यापार व्यवसाय के संबंध में व्यापार मार्जिन		
	(1) विद्युत की बिक्री (छूट का निवल)	260.04	44.85
	(2) विद्युत की खरीद (छूट का निवल)	(255.44)	(44.58)
	निवल व्यापार मार्जिन	**4.60**	**0.27**

24.1.5 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के साथ 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर के संबंध में विद्युत क्रय करार (पीपीए) 01.04.2019 से नवीनीकरण/विस्तार के लिए लंबित है। तथापि, आवश्यक रूप से चलने वाला विद्युत संयंत्र होने के कारण लाभार्थी को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। पीपीए के नवीनीकरण/विस्तार से संबंधित मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है क्योंकि राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 2.44 प्रति किलोवाट टैरिफ कंपनी को स्वीकार्य नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय लंबित होने तक, 01.04.2019 से संयंत्र से विद्युत की बिक्री से निवल राजस्व को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित विद्युत की पूल्ड लागत पर मान्यता दी जा रही है जो कि 3.14 रुपए प्रति किलोवाट है।

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	**ब्याज आय**		
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर कर योग्य	5.66	5.67
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – कर योग्य	25.86	25.82
	– अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	72.26	66.30
	– जमा खाता	176.89	128.44
	– कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	31.05	32.66
	– संविदाकारों को अग्रिम	57.15	25.34
	– वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि को समाप्त करना	63.86	-
	– अन्य	5.83	1.41
ख)	**लाभांश आय**		
	– लाभांश – अन्य	6.96	9.00
ग)	**अन्य गैर–प्रचालनात्मक आय (उस आय पर सीधे ही आरोप्य व्यय का निवल)**		
	विलंब भुगतान अधिभार	65.57	271.91
	व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली **(टिप्पणी 34(24) देखें)**	42.14	161.86
	बीमा दावे से आय	19.33	21.34
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/हानि प्रावधान/प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 24.2.1 देखें)**	32.18	46.01
	संविदाकार को जारी सामग्री		
	(i) संविदाकारां को जारी सामग्री के कारण बिक्री	258.04	255.19
	(ii) घटाएं : वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(450.36)	(421.41)
	(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	192.32	166.22
	सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 19.1 देखें)	97.72	97.26
	विनिमय दर परिवर्तन (निवल)	0.48	49.28
	व्युत्पन्न संबंधी बाजार से बाजार लाभ	-	4.14
	अन्य	41.71	48.33
	उप जोड़	**744.65**	**994.77**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
घटाएं – निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	66.23	30.09
घटाएं – ग्राहक/संविदादाता से अग्रिम/जमा तथा जमा कार्यों के प्रति अंतरित	0.83	0.45
घटाएं – अन्य आय से अनुदान का अंतरण	0.09	0.17
कुल	**677.50**	**964.06**

24.2.1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/हानि प्रावधानों/प्रावधानों का ब्यौरा

क) अप्रचलन और मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.95	5.39
ख) व्यापार प्राप्यों के लिए क्षति प्रावधान	-	2.38
ग) संदिग्ध चुकौतीयोग्य हेतु प्रावधान	1.04	0.18
घ) पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान	0.04	0.21
ङ) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	11.05
च) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान	-	6.24
छ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	0.98	1.39
ज) मध्यस्थता पंचाट/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान	-	15.68
झ) अन्य	29.17	3.49
कुल	**32.18**	**46.01**

टिप्पणी सं. 25 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	916.77	823.21
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	23.89	21.06
उप जोड़	**940.66**	**844.27**
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	1.10	0.15
कुल	**939.56**	**844.12**

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,477.27	1,451.40
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान (देखें टिप्पणी 26.2 और 26.4)	250.88	316.89
कर्मचारी कल्याण व्यय	112.00	111.95
उप जोड़	**1,840.15**	**1,880.24**
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	404.87	325.48
कुल	**1,435.28**	**1,554.76**
26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निमित्त पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18)(क) में दिए गए है।		
26.2 भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है:		
(i) कर्मचारी भविष्य निधि के निमित्त	97.67	139.74
(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के निमित्त	120.31	115.23
26.3 मजदूरी एवं वेतन इंड एएस 116 ''पट्टों'' के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय में शामिल हैं। (टिप्पणी 34(18क) देखें)	0.30	0.37

26.4 "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952" कंपनी के लिए यह अपेक्षा करता है कि वह न्यास को होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में भविष्य निधि न्यास की प्रतिपूर्ति करे। ईपीएफ के लिए योगदान में 1.20 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 12.76 करोड़ रुपए) शामिल है, जो कि न्यास के कतिपय निवेशों पर अतिदेय ब्याज है जो बाधित हो गया है। इसके अलावा, पिछले वर्ष के दौरान न्यास को इन निवेशों की मूल राशि के रूप में 36.24 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

26.5 कर्मचारी लाभ व्यय में कंपनी के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में लगे कर्मचारियों के संबंध में 9.37 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7.02 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज**		
	बॉण्ड	1,208.19	1,289.19
	सावधि ऋण	348.26	51.66
	विदेशी ऋण	18.78	23.47
	भारत सरकार ऋण	70.16	70.73
	अल्पावधि ऋण	2.82	5.40
	पट्टा देयता	3.37	1.46
	छूट समाप्त करना – भारत सरकार ऋण	73.39	55.22
	उप जोड़	**1,724.97**	**1,497.13**
ख.	**अन्य ऋण लागत**		
	मांग फैलाव/कूपन अदला–बदली	44.49	43.91
	बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.28	1.16
	विदेशी ऋण पर गांरटी शुल्क	10.34	11.62
	अन्य वित्त प्रभार	1.40	0.66
	छूट समाप्त करना – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	9.36	4.74
	उप जोड़	**66.87**	**62.09**
ग.	आय कर पर ब्याज	1.13	2.91
	कुल (क+ख+ग)	**1,792.97**	**1,562.13**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	1,318.71	1,029.85
	कुल	**474.26**	**532.28**

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,142.29	1,116.59
मूल्यह्रास – परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	90.54	83.32
परिशोधन– अमूर्त परिसंपत्तियां	3.62	4.71
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास समायोजन **(टिप्पणी संख्या 19 और 5(घ)(iii) देखें)**	8.81	4.95
उप जोड़	**1,245.26**	**1,209.57**
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	30.59	19.27
कुल	**1,214.67**	**1,190.30**

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	– भवन	90.71	80.19
	– मशीनरी	96.29	71.35
	– अन्य	193.81	192.06
ख.	**अन्य व्यय**		
	किराया **(देखें टिप्पणी 29.2)**	15.11	17.43
	हायर प्रभार	53.59	36.83
	दरें और कर	101.29	61.89
	बीमा	278.64	278.61
	सुरक्षा व्यय	471.83	434.53
	विद्युत प्रभार	58.28	51.83
	यात्रा एवं वाहन	24.09	14.62
	वाहनों पर खर्च	8.52	6.84
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	19.21	16.53
	विज्ञापन एवं प्रचार	11.06	4.54
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	1.33	0.98
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.80	4.44
	परामर्शी प्रभार – देशीय	27.07	16.96
	लेखापरीक्षा खर्च	2.81	2.30
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	0.67	14.43
	डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों के कार्य पर व्यय **(टिप्पणी 29.4 देखें)**	44.43	158.50
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	54.10	14.76
	परिसंम्पत्तियों पर हानि (निवल)	2.14	13.90
	बीमा दावों से होने वाली हानियां	33.83	21.77
	दान	2.00	1.00
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	147.99	125.35
	सामुदायिक विकास व्यय	0.03	-
	निदेशकों को बैठक शुल्क	0.52	0.18
	माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	0.44	0.65
	लाभार्थी को ब्याज	48.55	53.30
	स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	-	8.04
	प्रशिक्षण व्यय	10.20	4.50
	सीईआरसी/आरएलडीसी/आरपीसी/आईईएक्स/ पीएक्सआईएल को याचिका शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अन्य शुल्क	11.58	10.52
	केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	8.71	8.65
	अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	0.40	0.35
	अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	28.72	24.76
	डीजी सेट के प्रचालन व्यय – आवासीय के अतिरिक्त	8.54	7.27
	वित्तीय परिसंपित्तयों पर उचित मूल्य में परिवर्तन	138.06	-
	व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	30.86	-
	अन्य सामान्य व्यय	57.51	88.31
	उप जोड़	**2,087.72**	**1,848.17**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	305.73	318.71
	घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	0.13	-
	उप जोड़ (i)	**1,781.86**	**1,529.46**
ग.	**प्रावधान/हानि का प्रावधान**		
	व्यापार प्राप्यों के लिए क्षति प्रावधान	0.04	3.95

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.01	10.11
अशोध्य तथा संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	5.68	5.94
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	18.40	-
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	-	0.42
भण्डार तथा कलपुर्जों/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	0.32	0.61
परियोजना व्यय के लिए प्रावधान/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	158.15	7.47
जांच/ पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित लंबित हानियों के लिए प्रावधान	-	0.03
अन्य	39.64	31.09
उप जोड़	**222.24**	**59.62**
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	39.65	31.11
उप जोड़ (ii)	**182.59**	**28.51**
कुल (i+ii)	**1,964.45**	**1,557.97**

29.1 पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(18क) में दिए गए है।

29.2	किराये में इंड एएस 116 ''पट्टों'' के अनुसार निम्नलिखित व्यय में शामिल हैं		
(i)	एक माह अथवा उससे कम अवधि के पट्टे के अतिरिक्त अल्पावधि पट्टे पर व्यय	12.40	12.20
(ii)	पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	4.43	5.41

29.3 अन्य व्यय में कंपनी के आर एण्ड डी क्रियाकलापों पर व्यय की गई 1.93 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.05 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

29.4 सुबनसिरी लोअर परियोजना में किए गए डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों पर किए गए 44.30 करोड़ रुपए (गत वर्ष 158.50 करोड़ रुपए) के व्यय को निर्माण के कारण व्यय (ईएसी) के रूप में पूंजीकृत किया गया है **(टिप्पणी 2.2.7 देखें)**।

टिप्पणी सं. : 30.1 कर व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	946.87	912.69
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	0.13	3.00
कुल वर्तमान कर व्यय (1)	**947.00**	**915.69**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(50.99)	(43.31)
– मैट ऋण पात्रता के कारण समायोजन	100.61	(1,478.62)
आस्थगित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		-
– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	8.73	57.80
– अवितरित अर्जन से संबंधित	(29.11)	(8.54)
कुल आस्थगित कर व्यय (हितलाभ)	**29.24**	**(1,472.67)**
निवल आस्थगित कर (2)	**29.24**	**(1,472.67)**
कुल (1+2)	**976.24**	**(556.98)**

30.1.1 कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	4,894.19	4,471.23
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
गणना किए गए कर व्यय	**1,710.23**	**1,562.43**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का कर प्रभाव		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	103.34	67.27
कर छूट आय	183.56	100.30
कर प्रोत्साहन (80-Iक कटौती)	-	(658.62)
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	1.99	3.00
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	(345.69)	(1,478.62)
अवितरित लाभ	(29.11)	(8.54)
धारा 80एम के अंतर्गत कटौती	(610.55)	(130.10)
अन्य	(37.53)	(14.10)
लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित आय कर व्यय	**976.24**	**(556.98)**
30.1.2 इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे ही इक्विटी में डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है:		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
आस्थगित कर	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**
30.1.3 कर हानियां तथा क्रेडिट		
अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर हितलाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है **(टिप्पणी सं. 30.1.5 देखें)**	528.65	945.96
30.1.4 मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर		
सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
अवितरित आय	शून्य	शून्य
उपरोक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.1.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट की विलंबित कर परिसंपत्तियों ब्यौरा जिन्हें बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2014-15	46.81	2029-30	46.81	2029-30
2013-14	481.84	2028-29	481.84	2028-29
2012-13	-	-	291.72	2027-28
2008-09	-	-	125.59	2023-24
कुल	**528.65**		**945.96**	

भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध मैट क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में इसकी अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी सं: 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क)	रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	(7.48)	12.73
	घटाएं : रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आस्थगित कर	(2.61)	4.45
	रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	**(4.87)**	**8.28**
	घटाएं : परिभाषित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	(1.87)	(3.07)
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन – रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	6.49	2.33
	रोजगारपश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनर्मापन (कर का निवल) और नियामक विलंबित लेखा शेष	**3.49**	**13.68**
	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय का अंश	-	-
	उप–जोड़ (क)	**3.49**	**13.68**
(ख)	इक्विटी लिखतों में निवेश	3.36	5.40
	घटाएं : इक्विटी लिखतों पर आयकर	-	-
	उप–जोड़ (ख)	**3.36**	**5.40**
	कुल (i) = (क) + (ख)	**6.85**	**19.08**
(ii)	**मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा**		
	ऋण लिखतों में निवेश	(15.46)	(10.72)
	घटाएं : ऋण लिखतों में निवेश पर आय कर	(3.60)	(2.50)
	कुल (ii)	**(11.86)**	**(8.22)**
	कुल (i) + (ii)	**(5.01)**	**10.86**

a a

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	(501.90)	(116.53)
(ii)	किशनगंगा पावर स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यह्रास	199.36	198.35
(iii)	मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	1.23	(0.17)
(iv)	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	(56.09)	(49.52)
(v)	2014–2019 और आगे तक की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित क देयताओं के प्रति समायोजन	(215.98)	10.72
(vi)	मैट क्रेडिट की मान्यता के कारण नियामक दायित्व	532.77	(1,252.94)
	कुल = (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	**(40.61)**	**(1,210.09)**
	विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
	घटाएं :– विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	151.86	13.56
	जोड़ें – लाभार्थियों से वसूलीय आस्थगित कर	151.86	13.56
	कुल	**(40.61)**	**(1,210.09)**

31.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 14.1 और 14.2 देखें।

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग बनने वाला निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**उत्पादन व्यय**		
	भंडार और कलपुर्जों का उपभोग	1.10	0.15
	उप जोड़	**1.10**	**0.15**
ख.	**कर्मचारी हितलाभ व्यय**		
	वेतन एवं मजदूरी	248.50	182.09
	भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	35.28	26.74
	कर्मचारी कल्याण व्यय	14.44	8.52
	उप जोड़	**298.22**	**217.35**
ग.	**वित्त लागत**		
	निम्नलिखित पर ब्याज : **(टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें)**		
	बॉण्ड	903.86	950.35
	विदेशी ऋण	6.43	7.65
	सावधि ऋण	336.21	25.41
	पट्टा देयताएं	0.17	0.23
	उप जोड़	**1,246.67**	**983.64**
	हेजिंग लेन–देनों पर हानि	44.50	43.91
	ऋण पर गारंटी शुल्क	4.07	0.03
	अन्य वित्त प्रभार	0.65	-
	ईएसी में व्ययों का अंतरण – केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	13.91	-
	ईएसी में व्ययों का अंतरण – सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राषि पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	8.69	2.07
	उप जोड़	**71.82**	**46.01**
घ.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	27.80	16.55
	उप जोड़	**27.80**	**16.55**
ङ.	अन्य व्यय		
	मरम्मत एवं अनुरक्षण		
	– भवन	12.54	11.40
	– मशीनरी	1.83	2.09
	– अन्य	32.69	28.66
	किराया और हायर प्रभार	19.72	11.60
	दरें और कर	4.57	2.89
	बीमा	32.01	12.85
	सुरक्षा व्यय	38.84	31.71
	विद्युत प्रभार	7.29	4.80
	यात्रा एवं वाहन	4.34	2.75
	वाहनों पर व्यय	1.95	0.86
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	4.11	2.35
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.81	0.65
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार :		
	– देशीय	12.66	7.79
	क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय/पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय	0.50	14.38
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्यों पर व्यय **(देखें टिप्पणी 29.4)**	44.43	158.50
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	53.75	1.08

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
	पश्चलेखित परिसंपत्तियां/दावे	0.08	0.11
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.03	0.04
	अन्य सामान्य व्यय	21.80	14.34
	उप जोड़	**293.95**	**308.85**
च.	**प्रावधान**	39.65	31.11
	उप जोड़	**39.65**	**31.11**
छ.	**निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**		
	अन्य आय	(0.28)	(0.55)
	अन्य व्यय	11.78	9.86
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	106.65	108.13
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.79	2.72
	वित्त लागत	0.22	0.20
	उप जोड़	**121.16**	**120.36**
ज.	**घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां**		
	विद्युत उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व	45.72	53.81
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	57.14	25.07
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.04	-
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	0.96	0.44
	विविध प्राप्तियां	6.23	3.40
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण – सुरक्षा जमा	1.58	0.63
	उप जोड़	**111.67**	**83.35**
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ–ज) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	**1,988.70**	**1,640.67**

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखित

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) गैर–वर्तमान निवेश							
(क) इक्विटी लिखतों में (उद्धृत)	3.1	-	102.06	-	-	98.70	-
(ख) ऋण लिखत (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत"	3.1	-	245.16	-	-	411.64	-
उप जोड़			**347.22**	**-**		**510.34**	**-**
(ii) व्यापार प्राप्य	3.2			473.51	-	-	-
(iii) ऋण							
(क) संयुक्त उद्यम को ऋण (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड)	3.3			-			17.48
(ख) कर्मचारी	3.3			243.02			223.70
(ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)"	3.3			875.18			802.92
(iv) अन्य							
(क) जमा	3.4			28.76			25.16
(ख) ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.4			5,877.99			6,086.51
(ग) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय	3.4			2,017.20			2,017.20
(घ) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति	3.4	0.24			22.35		
(ङ) 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4			683.49			1,227.68
(च) विलंब भुगतान अधिभार/अन्य के कारण प्राप्य	3.4			6.42			10.38
कुल गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**0.24**	**347.22**	**10,205.57**	**22.35**	**510.34**	**10,411.03**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) वर्तमान निवेश	7.1		151.35	-			-
(ii) व्यापार प्राप्य	7.2			6,160.59			5,175.84
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य	8			1,019.81			1,314.67

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(iv) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			1,673.87			643.68
(v) ऋण	10						
(क) कर्मचारी ऋण		-	-	60.77	-	-	60.12
(ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण (क्षति हानि का निवल)		-	-	-	-	-	0.92
(ग) जमा	11	-	-	1.10	-	-	0.36
(vi) अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			658.93	-	-	682.09
(vii) अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11	-	-	283.14	-	-	219.57
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**151.35**	**9,858.21**	**-**	**-**	**8,097.25**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**0.24**	**498.57**	**20,063.78**	**22.35**	**510.34**	**18,508.28**

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1	-	-	26,602.24	-	-	23,226.61
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2	-	-	47.18	-	-	17.46
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों के लिए देयों सहित)	16.3	8.76	-	2,190.02	-	-	2,098.97
(iv) ऋण – अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1	-	-	2,885.65	-	-	2,848.76
(v) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2	-	-	4.77	-	-	3.12
(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3	-	-	234.82	-	-	214.11
(vii) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं		-	-		-	-	-
(क) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4	-	-	637.26	-	-	636.29
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	20.4	-	-	1,260.65	-	-	940.83
कुल वित्तीय देयताएं		**8.76**	**-**	**33,862.59**	**-**	**-**	**29,986.15**

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु समूह ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एएस–113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर–1 : स्तर –1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर–2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन–देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) निवेश –							
– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	102.06			98.70		
– ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत'	3.1 & 7.1	396.51			411.64		
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.4		0.24	-		22.35	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**498.57**	**0.24**	**-**	**510.34**	**22.35**	**-**
एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम देयताएं (मांग फैलाव विकल्प)	16.3		8.76				
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां			**8.76**				

टिप्पणी :

* इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर–आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसपंत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	3.2		-	473.51		-	
(ii) **ऋण**							
(क) कर्मचारी (वर्तमान सहित)	3.3 और 10		304.11			284.39	
(ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड) को ऋण	3.3		-			17.48	
(ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		875.18			802.92	
(iii) **अन्य**							
(क) जमा	3.4			28.76			25.16
(ख) 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित	3.4		683.49			1,227.68	
(ग) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20			2,017.20		
(घ) विलंब भुगतान अधिभार/ अन्यों से प्राप्य के कारण	3.4			6.42			10.38
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,017.20**	**1,862.78**	**508.69**	**2,017.20**	**2,332.47**	**35.54**
वित्तीय देयताएं							
(i) वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	19,083.09	2,207.18	2,881.38	19,083.09	2,207.18	2,881.38
(ii) अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.3	2,017.20		175.09	2,017.20		87.87
कुल वित्तीय देयताएं		**21,100.29**	**2,207.18**	**3,056.47**	**21,100.29**	**2,207.18**	**2,969.25**

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	3.2	473.51	473.51	-	-
(ii) ऋण					
(क) कर्मचारी (वर्तमान सहित)	3.3 और 10	303.79	304.11	283.82	284.39
(ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड) को ऋण	3.3	-	-	17.48	17.48
(ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	875.18	875.18	802.92	802.92
(iii) अन्य					
(क) जमा	3.4	28.76	28.76	25.16	25.16
(ख) 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4	683.49	683.49	1,227.68	1,227.68
(ग) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों के संबंध में वसूलनीय	3.4	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20
(घ) विलंब भुगतान अधिभार/ अन्यों से प्राप्य के कारण	3.4	6.42	6.42	10.38	10.38
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**4,388.35**	**4,388.67**	**4,384.64**	**4,385.21**
वित्तीय देयताएं					
(i) वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	29,177.11	27,980.38	25,387.76	25,144.25
(ii) अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्डों के लिए देय सहित)	16.3	2,190.02	2,192.29	2,098.97	2,105.07
कुल वित्तीय देयताएं		**31,367.13**	**30,172.67**	**27,486.73**	**27,249.32**

टिप्पणी :–

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
2. उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1. समूह वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करता है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं–
   – उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
   – शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
2. स्तर – 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर समूह के बकाया ऋणों की भाारित औसत दर पर आधारित है, सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।
3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन–देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन–देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

समूह के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती हैं:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम – प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

समूह के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। समूह ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। समूह में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु समूह की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। समूह के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

समूह अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करता है:

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। समूह को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि समूह अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

समूह एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करता है। समूह के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं –

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना

होता है और ये समूह की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते है। इसके अतिरिक्त, समूह ब्याज दर हेज और मुद्रा अदला–बदली के माध्यम से अपने मध्यम अवधि मुद्रा ऋणों को भी हेज करता है।

(ख) ऋण जोखिम

समूह अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आता है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य

समूह व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करता है। समूह ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करता है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समूह प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करता है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करती है। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर समूह के अधिकार तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदा के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

समूह द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए अनुसार इंड एएस 116 के अनुसार निहित वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात विद्युत स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

कर्मचारी ऋण : समूह ने कर्मचारियों को समूह की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन–पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : समूह ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर (वार्षिक रूप से चक्रवर्ती की जाने वाली) पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु समूह तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :

समूह बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करता है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे समूह ने ऋण भी लिया है। समूह अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करता है। समूह के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि अनुमेय को 12 माह की प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	347.22	510.34
ऋण–गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	1,146.96	1,069.26
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,700.69	3,244.88
वर्तमान निवेश	151.35	-
नकदी और नकदी समतुल्य	1,019.81	1,314.67
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	1,673.87	643.68
ऋण – वर्तमान	61.87	61.40
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	658.93	682.09
कुल (क)	**7,760.70**	**7,526.32**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	6,160.59	5,175.84
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	6,161.13	6,306.08
कुल (ख)	**12,321.72**	**11,481.92**
कुल (क+ख)	**20,082.42**	**19,008.24**

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधानः–

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

समूह भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करता है और मामला दर मामाला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करता है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि समूह के पावर स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह समूह मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटियां शामिल हैं। समूह के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित ऋण पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001–02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी के बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्तूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया और अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षरकर लिए है। टीपीए और विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु समूह की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करने के लिए साख–पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। इसके अलावा, विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 देय तिथि से 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया भुगतान न करने की स्थिति में समूह द्वारा क्रमिक तरीके से विद्युत के विनियमन का प्रावधान करता है, अर्थात जब किसी लाभार्थी द्वारा बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 75 दिन (45 दिन प्लस 30 दिन की देय अवधि) के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 समूह को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते है जो समूह के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, समूह प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करता है और मामला–दर–मामला आधार पर प्रत्यशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को समूह व्यापार प्राप्य की गैर–वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करता है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली योग्य राशि	ऋण	कुल
01.04.2021 को शेष	**33.76**	**275.18**	**0.01**	**308.95**
हानि भत्ते में परिवर्तन	1.57	7.47	0.42	9.46
01.04.2022 को शेष	**35.33**	**282.65**	**0.43**	**318.41**
हानि भत्ते में परिवर्तन	0.04	4.52	18.40	22.96
31.03.2023 को शेष	**35.37**	**287.17**	**18.83**	**341.37**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, समूह का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

i. समूह का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। समूह निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करता है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। समूह अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

समूह की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिवर्तनशील दर पर	925.00	1,425.00
कुल	**925.00**	**1,425.00**

ii. वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2023 को (करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 & 20.1	29,147.17	2,885.65	5,524.60	6,092.28	14,644.64
पट्टा दायित्व	16.2 & 20.2	75.98	4.78	9.65	3.31	58.24
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 & 20.4	4,134.32	1,916.13	60.62	35.05	2,122.52
व्यापार देय	20.3	234.82	234.82	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**33,592.29**	**5,041.38**	**5,594.87**	**6,130.64**	**16,825.40**

31 मार्च, 2022 को (करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 & 20.1	27,080.92	2,848.76	4,337.53	5,321.14	14,573.49
पट्टा दायित्व	16.2 & 20.2	30.86	3.12	7.51	4.14	16.09
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 & 20.4	3,701.41	1,581.51	15.05	18.15	2,086.70
व्यापार देय	20.3	214.11	214.11	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**31,027.30**	**4,647.50**	**4,360.09**	**5,343.43**	**16,676.28**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार–पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। समूह के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से समूह का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ समूह की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। समूह की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। समूह के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, समूह अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। समूह को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण समूह का जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	8.26	6,403.12	5.64	3,510.01
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	7.80	19,417.76	7.87	19,705.49
नियत दर ऋण (एफसी)	1.35	1,371.42	1.38	1,475.97
कुल		**27,192.30**		**24,691.48**

क) ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। समूह के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण समूह का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

ख) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार दर :

पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने 688.75 करोड़ रुपये की राशि का बकाया विदेशी मुद्रा (जेपीवाई) ऋण रूपांतरित किया जो 25.07.2024 को 0.75 प्रतिशत की मिश्रित संदर्भ दर (अर्थात टोना़सीएएस) के प्रति 6 महीने की फ्लोटिंग दर (लिबोर 0.75 प्रतिशत) के अनुसार एक किश्त में चुकाने योग्य था।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार में परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कंपनी के बैंक उधार की संविदात्मक शर्तों में संशोधन किया गया है और संविदात्मक नकदी प्रवाह के निर्धारण के लिए तैयार किया गया नया आधार आर्थिक रूप से परिवर्तन से पूर्व आधार के सामान है।

कंपनी ने इंड एएस 109 में व्यावहारिक समीचीन का विकल्प चुना है अर्थात नकदी प्रवाह में परिवर्तन जो ऐसे प्रवाह हैं जो सुधार के लिए सीधे आवश्यक हैं, और इन्हें फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के रूप में माना जाना चाहिए, जो ब्याज की बाजार दर में संचालन के समान है।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल बकाया राशि 688.75 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, मूलधन और ब्याज के कारण जोखिम की कुल राशि का बचाव व्युत्पन्न लिखतों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों के कारण कंपनी के लाभ और हानि के विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) मूल्य जोखिम:

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से समूह का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में समूह का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में समूह के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन–पत्र में गैर–वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

किसी सूचित तिथि को, इक्विटी और ऋण लिखत के साथ संपर्क निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी लिखत	102.06	98.70
ऋण लिखत	396.51	411.64

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु समूह की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश: पीटीसी इंडिया लिमिटेड	18.39	18.77	8.62	8.50

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार–चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण दस्तावेजों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण दस्तावेजों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूतियां	0.03	0.09	0.61	2.01
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर मुक्त बाण्ड	0.89	0.73	1.42	1.20

iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	698.18	801.97
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	673.24	674.00
अन्य वित्तीय देयताएं	39.61	49.77
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	**1,411.03**	**1,525.74**

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते है। तदनुसार, समूह अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करता है।

समूह ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करता है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रूपए में)	31,557.04	28,113.15
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रूपए में)	36,899.34	34,920.98
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.86	0.81

टिप्पणी : समूह के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और रिजर्व शामिल है। कुल ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उसकी वर्तमान परिपक्वता सहित लीज देनदारियां, अल्पकालिक उधार और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बॉण्डों के लिए देय शामिल हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित हैः–

1. समूह क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगा और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज – गैर नकदी आय)/देय ब्याज)) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i) इक्विटी शेयर		
वर्ष 2021–22 के लिए 0.50 रुपये प्रति पूर्ण भुगतान शेयर का अंतिम लाभांश अगस्त, 2022 में अनुमोदित किया गया और सितंबर, 2022 में भुगतान किया गया। (31 मार्च 2021– वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.35 रुपए पूर्ण भुगतान शेयर)।	502.25	351.58
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश 1.40 रुपये (31 मार्च 2022 – 1.31 रुपये) प्रति पूर्ण भुगतान शेयर।	1,406.31	1,315.90
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उपरोक्त लाभांशों के अलावा, वर्ष के अंत से निदेशकों ने प्रति पूर्ण भुगतान किए गए शेयरों पर 0.45 रुपये (31 मार्च 2022 – 0.50 रुपये) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश सुनिश्चित एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।	452.03	502.25

टिप्पणी संख्या – 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
		31.03.2023	31.03.2022
क. सहायक कंपनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74.82%	74.83%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	86.94%	86.67%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 1.1 देखें)	भारत	100.00%	100.00%
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 1.1 देखें)	भारत	100.00%	100.00%
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (01.06.2022 से) (आरएचपीसीएल)	भारत	51.00%	73.53%
एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) 16.02.2022 से (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 1.3 देखें)	भारत	100.00%	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (21.11.2022 से) (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 1.4 देखें)	भारत	52.74%	-
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां			
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (20.11.2022 तक)	भारत	-	55.13%
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) (टिप्पणी 34 की टिप्पणी 1.5 देखें)	भारत	20.00%	20.00%

1.1 कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 और समामेलन की योजना (योजना) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार अन्य वैधानिक उपबंधों के अंतर्गत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय/समामेलन को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद 10 अगस्त, 2022 को ''एनएचपीसी लिमिटेड के साथ लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के विलय/समामेलन की योजना'' के अनुमोदन के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। इसके अलावा, एमसीए ने कुछ निर्देश जारी किए हैं और कंपनी इन निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया में है।

1.2 कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन 26 अप्रैल, 2023 को सूचित कर दिया गया है। विलय/समामेलन की योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन उचित समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष दायर किया जाएगा।

1.3 धारक कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए 16.02.2022 को एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी निगमित की थी। एनआरईएल ने अपनी स्थापना की तारीख से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपना पहला वित्तीय विवरण तैयार किया है। 31.03.2022 को इसकी कोई आस्ति/देयता नहीं थी और निगमन की तारीख से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कोई आय/व्यय नहीं था।

1.4 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) (49 प्रतिशत) और पीटीसी (2 प्रतिशत) के मध्य एक संयुक्त उद्यम) में पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) की 2 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण किया था। इसके बाद एनएचपीसी की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। प्रवर्तक करार में लंबित आशोधन के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संयुक्त उद्यम करार के निबंधनों के अनुसार अन्य संयुक्त उद्यमकर्ता (जेकेएसपीडीसीएल) के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण किए जाने के कारण सीवीपीपीपीएल को एक संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के पूरक प्रवर्तक करार पर एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और उसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। तदनुसार, इस तारीख को इंड एएस 103 ''व्यवसाय संयोजन'' के अंतर्गत अधिग्रहण की तारीख माना गया है। दिनांक 21.11.2022 से सीवीपीपीपीएल की स्थिति एक संयुक्त उद्यम से एक अनुषंगी कंपनी के रूप में बदल गई है।

1.5 वित्तीय विवरण गैर–लेखापरीक्षित हैं। वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े इसकी लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।

2. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :–

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं–

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते समूह के प्रति कुल **10258.26 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **10482.29 करोड़ रूपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का समूह द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/समूह में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित समूह के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **6442.57 करोड रूपये** (पिछले वर्ष **6281.87 करोड रूपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **1125.34 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **418.63 करोड़ रूपए**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **8835.67 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **9787.51 करोड़ रूपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए समूह को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बर्हिप्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/ दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू–वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **523.72 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **554.17 करोड रूपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **31.11 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **59.63 करोड़ रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **492.61 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **494.54 करोड़ रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **2064.15 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **1905.83 करोड़ रूपये**) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **17.52 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **17.52 करोड़ रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात **856.98 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 704.40 करोड़ रूपये)** को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **917.39 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **772.20 करोड रूपये**) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना के आधार पर **102.16 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **102.24 करोड़ रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **806.67 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **660.62 करोड़ रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हिप्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हिप्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/(कटौती)	01.04.2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	10258.26	1125.34	8835.67	9787.51	(951.84)	1809.61
2.	भूमि मुआवजा मामले	523.72	31.11	492.61	494.54	(1.93)	18.09

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/(कटौती)	01.04.2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
3.	विवादित कर मामले	2064.15	17.52	856.98	704.40	152.58	1.09
4.	अन्य	917.39	102.16	806.67	660.62	146.05	27.50
	कुल	**13763.52**	**1276.13**	**10991.93**	**11647.07**	**(655.14)**	**1856.29**

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को **502.25 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **462.67 करोड़ रुपये**) की भरपाई होने की संभावना है।

(ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **1231.31 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **1140.40 करोड़ रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यथम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को समूह द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016–पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **1663.97 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **1657.55 करोड रूपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों/वर्तमान परिसंपतियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरूद्ध समायोजित में दर्शाया गया है।

(च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

3. आकस्मिक परिसंपत्तियां : समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **1401.48 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **1067.90 करोड़ रूपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुरूपी अद्यतन ब्याज सहित **36.13 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **26.74 करोड़ रूपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **1106.28 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **828.50 करोड़ रूपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार :

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014–19/2019–24 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट दिवसों के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता हैं। लाभग्राहियों को अंतिम एकत्रीकरण हेतु व्यापक अनिश्चितता के चलते प्रबंधन ने **23.76 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **25.61 करोड़ रूपये**) का अनुमान लगाया है, जिसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व :

टैरिफ आदेश 2019–24 के लिए याचिका शुल्क के कारण टैरिफ आदेश सभी पावर स्टेशनों के संबंध में लंबित हैं। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि **5.69 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष में **7.26 करोड़ रुपये**) का अतिरिक्त राजस्व टैरिफ संशोधन के कारण उत्पन्न होने की संभावना है जिसकी उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण पहचान नहीं की गई है।

घ) व्यापार बाधा हानि:

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल **128.97 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **192.71 करोड़ रूपये**) की राशि को संभाव्य माना है। दावों का पावर स्टेशन–वार ब्यौरा एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(24) में दिया गया है।

ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों, जिसमें नीति आयोग के निर्देशों/अदालत में लंबित मामलों के संबंध में न्यायालय के आदेशों के अनुसार जमा की गई राशि पर ब्याज, परिसमाप्त क्षतियां, पूर्व कर्मचारियों से बकाया आदि शामिल है, जिसका प्रबंधन द्वारा **1175.75 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **933.28 करोड़ रुपए**) अनुमान लगाया गया है, को मान्यता नहीं दी गई है।

4. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य सहित)	22,065.91	9203.58
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	29.68	33.09
	कुल	**22,095.59**	**9236.67**

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2023 के अनुसार सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति शून्य करोड़ रूपये (पिछले वर्ष **762.19 करोड़ रूपये**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

5. धारक कंपनी द्वारा जारी कारपोरेट गारंटी के संबंध में प्रतिबद्धताएं :

कारपोरेट गारंटी जिसे दी गई	गारंटी जिसके पक्ष में दी गई	कुल प्रतिबद्धता (निम्न को बकाया ब्याज सहित)	निम्न को प्रतिबद्धता से धारक कंपनी का संपर्क		कंपनी द्वारा प्रभारित गारंटी शुल्क	प्रयोजन
		31.03.2023	31.03.2023	31.03.2022	प्रतिशत में	
		(करोड़ रुपए में)				
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	बीएसयूएल को क्रेडिट सुविधा के समर्थन में एचडीएफसी बैंक	213.25	134.01	60.19	1.20%	कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए
जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	जेपीसीएल को क्रेडिट सुविधा के समर्थन में जे एण्ड के बैंक	313.00	280.00	-	1.20%	कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	एलटीएचपीएल को क्रेडिट सुविधा के समर्थन में जे एण्ड के बैंक और बैंक ऑफ बडौदा	553.58	553.58	-	1.20%	कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए

6. भारतीय लेखांकन मानक 115 – "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटन

क. वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

राजस्व का अधिकांश हिस्सा : समूह के राजस्व में विद्युत बिक्री, व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री, परामर्श तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण अगले पृष्ठ पर है:–

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

समूह का प्रमुख राजस्व विद्युत की बिक्री से आता है। समूह विद्युत की बिक्री थोक उपभोक्ताओं, प्रमुखतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों और राज्यों में प्रचालनात्मक निजी डिस्कॉमों को करता है। विद्युत की बिक्री आमतौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुरूप होती है।

विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है :–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत की बिक्री	समूह लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है, जो पावर स्टेशनों के संपूर्ण जीवनकाल, अर्थात् 40 वर्ष, के लिए है। विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लागू सीमा तक यथासंशोधित 5 वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया जाता है। पावर स्टेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ दरें सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अभी अनुमोदित की जानी हैं/अनंतिम रूप से अनुमोदित हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया है। एक बार लाभार्थी को बिजली पहुंचाने के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है। लाभार्थियों को समय–समय पर और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। राशियाँ विद्युत क्रय करार (पीपीए) की शर्तों के अनुसार बिल की जाती हैं और पीपीए के निबंधनों के अनुसार देय होती हैं।

(ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य (परियोजना और परामर्श कार्य)

समूह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए परामर्श और परियोजना निष्पादन तथा रखरखाव संविदाएं संचालित करता है। सेवाएँ विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जाती हैं, जैसे डिजाइन और इंजीनियरिंग, खरीद, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण, निर्माण प्रबंधन, विद्युत संयंत्रों का संचालन और रखरखाव, ग्रामीण सड़क परियोजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं।

परामर्श और अन्य सेवाओं हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है :–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएं	समूह समय में परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा से राजस्व का पहचान करता है क्योंकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है। संविदा के अंतर्गत अंतरित परिसंपत्तियों (प्रदेय, रिपोर्ट आदि) का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। परामर्श सेवाओं से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।
ग्रामीण सड़क परियोजना/ ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	समूह समय में योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राजस्व की पहचान करता है क्योंकि परिसंपत्तियों का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। योजना से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ग) विद्युत का व्यापार

समूह उत्पादन कंपनियों से विद्युत खरीदता है और इसे डिस्कॉमों को बेचता है। करारों की प्रकृति, जोखिम तथा रिवार्ड प्रोफाइल के आधार पर, समूह एजेंट के रूप में या प्रमुख के रूप में विद्युत के व्यापार से राजस्व का हिसाब करता है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	समूह समय में व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है क्योकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को लाभों को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना हेतु टैरिफ करार के शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा में निहित शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ख) राजस्व का विभाजीकरण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व का विभाजन उत्पादन और सेवाओं की प्रकृति, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता का समय द्वारा किया गया है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य		कुल	
भौगोलिक बाजार	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**
भारत	10,444.41	9,038.79	29.50	22.33	4.60	0.27	128.62	82.22	10,607.13	9,143.61
अन्य	-	-	0.27	0.59	-	-	-	-	0.27	0.59
कुल	**10,444.41**	**9,038.79**	**29.77**	**22.92**	**4.60**	**0.27**	**128.62**	**82.22**	**10,607.40**	**9,144.20**
राजस्व मान्यता का समय										
निश्चित समयावधि में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	10,444.41	9,038.79	29.77	22.92	4.60	0.27	128.62	82.22	10,607.40	9,144.20
बेची गई यूनिटें (एमयू)	27068	24145							27068	24145

(ग) संविदा शेष

व्यापार प्राप्य, बिल न किये गये राजस्व सहित और जमा कार्यों एवं संविदा देयताओं के लिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों से अग्रिम – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य – गैर वर्तमान	473.51	-
व्यापार प्राप्य – वर्तमान	6160.59	5175.84
संविदा देयताएं – जमा कार्य – वर्तमान	84.64	6.30
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य – वर्तमान	106.79	112.54
उपभोक्ताओं से अग्रिम और अन्य – वर्तमान	28.40	66.79

समूह ने प्रारंभिक संविदा देयताओं से **0.41 करोड़ रुपए** (पूर्व वर्ष **शून्य** रुपए) के राजस्व को मान्यता दी है।

(घ) शेष निष्पादन दायित्वों पर आबंटित लेन–देन कीमत समूह के प्रचालनों पर न तो लागू है और न ही वास्तविक है।

(ङ) इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपाय:

(i) समूह ने शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की है, जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां राजस्व मान्यता प्राप्त है, जो अब तक पूर्ण किए गए निकाय के निष्पादन के उपभोक्ता के मूल्य के साथ मेल खाती है।

(ii) समूह के पास सामान्य व्यापार में कोई संविदा नहीं है जहां ग्राहक को वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक है। तदनुसार, लेन–देन के मूल्य को केवल धन मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित किया गया है, जहां ऐसी मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

(च) **समूह ने ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं व्यय की है और इसलिए ऐसी लागतों के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।**

7. अनुषंगी कंपनी का एक शेयरधारक होने के चलते मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के चलते सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न लेखे में योगदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है (तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 19 देखें)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान संचलनः

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी):–

(करोड़ रूपये में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	**31.03.2022 तक संचयी**	**2022–23 के दौरान**	**31.03.2023 तक संचयी**
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	1,378.64	2.27	1,380.91
ii. प्राप्त नकदी	672.83	-	672.83
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	**2,060.03**	**2.27**	**2,062.30**
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	407.26	0.10	407.36
iii. एसएसपी घटक	520.41	0.12	520.53
iv. अधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	425.14	3.17	428.31
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख–रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	**2,050.93**	**3.39**	**2,054.32**
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख–क)	**(9.10)**	**1.12**	**(7.98)**

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :–

(करोड़ रूपये में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	**31.03.2022 तक संचयी**	**2022–23 के दौरान**	**31.03.2023 तक संचयी**
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	127.94	4.97	132.91
ii. प्राप्त नकदी	658.41	22.00	680.41
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	**819.43**	**26.97**	**846.40**
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	243.12	0.46	243.58
iii. अधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	83.37	2.63	86.00
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	8.56	-	8.56

(करोड़ रूपये में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2022 तक संचयी	2022–23 के दौरान	31.03.2023 तक संचयी
v. अतिरिक्त विशेष आर एंड आर पैकेज	231.99	-	231.99
(ङ) का कुल	**867.20**	**3.09**	**870.29**
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ–घ)	**47.77**	**(23.88)**	**23.89**
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	**38.67**	**(22.76)**	**15.91**

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2022	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2023
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	188.51	0.10	12.65	175.96
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	240.92	0.12	16.16	224.88
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	224.19	3.17	16.95	210.41
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	109.62	0.46	5.81	104.27
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	200.10	2.63	12.95	189.78
	कुल	**963.34**	**6.48**	**64.52**	**905.30**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संचलन :

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) :–

(करोड़ रूपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2021 तक संचयी	2021–22 के दौरान	31.03.2022 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	1,375.67	2.97	1,378.64
ii. प्राप्त नकदी	672.83	-	672.83
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	**2,057.06**	**2.97**	**2,060.03**
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	406.91	0.35	407.26
iii. एसएसपी घटक	519.95	0.46	520.41
iv. अधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	422.57	2.57	425.14
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख–रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	**2,047.55**	**3.38**	**2,050.93**
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख–क)	**(9.51)**	**0.41**	**(9.10)**

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :–

(करोड़ रूपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2021 तक संचयी	2021–22 के दौरान	31.03.2022 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	127.76	0.18	127.94
ii. प्राप्त नकदी	655.41	3.00	658.41
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	**816.25**	**3.18**	**819.43**
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	243.03	0.09	243.12
iii. अधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	82.72	0.65	83.37
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आर एंड आर पैकेज	231.99	-	231.99
(ङ) का कुल	**866.46**	**0.74**	**867.20**
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ–घ)	**50.21**	**(2.44)**	**47.77**
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	**40.70**	**(2.03)**	**38.67**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2021	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2022
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	200.79	0.35	12.63	**188.51**
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित अनुपातिक आर्थिक सहायता	256.60	0.46	16.14	**240.92**
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	238.33	2.57	16.71	**224.19**
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	115.35	0.09	5.82	**109.62**
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	212.23	0.65	12.78	**200.10**
	कुल	**1,023.30**	**4.12**	**64.07**	**963.34**

8. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	(0.48)	(49.28)
(ii)	विनियामक अंतर आस्थगित लेखा शेष में मानी गई राशि	1.23	(0.17)
(iii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	(7.45)	(58.77)

9. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कारोबार "प्रचालन खंड" के संबंध में इंड एएस–108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना: निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **3699.70 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष हेतु **3843.80 करोड़ रूपये**) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है:

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व	
		राशि (करोड़ रूपए में)	कुल राजस्व का प्रतिशत	राशि (करोड़ रूपए में)	कुल राजस्व का प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1,275.49	12.02%	1525.86	16.69%
2	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार/ जेके पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1,105.80	10.42%	1459.74	15.96%
3	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1,318.41	12.43%	858.20	9.39%
	कुल	**3,699.70**	**34.87%**	**3,843.80**	**42.04%**

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : समूह भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व	31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	नेपाल	0.27	0.59
	कुल	**0.27**	**0.59**

टिप्पणी : उपरोक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

ङ) विदेशों में धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विदेशी राष्ट्र का नाम	गैर–वर्तमान परिसंपत्ति	31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु
1	नेपाल*	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	26.52	-
	कुल			**-**

* नेपाल में परियोजनाएं सर्वेक्षण और अन्वेषण चरण में है।

10. इंड एएस–24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अंतर्गत प्रकटन :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(i) संयुक्त उद्यम :

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) (20.11.2022 तक)	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) 13.12.2022 से
2	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी); अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (01.09.2022 से 13.12.2022 तक) निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार (03.03.2022 से 02.03.2023 तक)
3	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.08.2022 को सेवानिवृत्त)
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) और सीएफओ निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार 03.03.2023 से
5	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)
6	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक) (02.12.2021 को सेवानिवृत्त)
7	श्री तन्मय कुमार	सरकारी नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (13.09.2021 से कार्यभार मुक्त)
8	श्री रघुराज माधव राजेन्द्रन	सरकारी नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (16.09.2022 को नियुक्त और 05.12.2022 से कार्यभार मुक्त)
9	श्री मोहम्मद अफजल	सरकारी नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (06.12.2022 से नियुक्त)
10	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक (15.11.2021 को नियुक्त)
11	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक (21.11.2021 को नियुक्त)
12	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक (30.11.2021 को नियुक्त)
13	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक (01.12.2021 को नियुक्त)
14	श्री प्रेमकुमार गोवर्थनन	स्वतंत्र निदेशक (10.03.2023 को नियुक्त)
15	श्रीमती रूपा देब	कंपनी सचिव (24.09.2022 को नियुक्त)
16	श्री सौरभ चक्रवर्ती	कंपनी सचिव (24.09.2022 से कार्यभार मुक्त)

(iii) रोजगार–पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(iv) समूह पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

समूह बहुसंख्यक शेयरधारिता के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। समूह ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एएस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में

सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष–वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	समूह पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2	मध्य प्रदेश सरकार, मणिपुर सरकार, उत्तर प्रदेश न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड (यूपीएनईडीए) और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी)	एनएचपीसी की सहायक कंपनियों में शेयरधारक (एनसीआई)
3	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पोसको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि., पावर फाउन्डेशन ऑफ इंडिया आदि)	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन–देन किए गए:

(i) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन–देन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा प्रदान की गईं सेवाएं		
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	16.58	33.22
समूह द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	107.94	451.56
सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/तैनाती पर होने वाले कर्मचारियों के कर्मचारी लाभ व्यय की प्रतिपूर्ति		
▪ सीवीपीपीपीएल (20.11.2022 तक)	-	2.95
कंपनी द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज आय		
▪ एनएचपीटीएल	-	0.19

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूत)		
▪ सीवीपीपीपीएल* (20.11.2022 तक)	-	60.89
इक्विटी में निवेश		
▪ सीवीपीपीपीएल* (20.11.2022 तक)	-	1839.56
▪ एनएचपीटीएल (टिप्पणी 33(क) भी देखें)	30.40	30.40
निम्नलिखित से प्राप्य ऋण और अग्रिम (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
▪ एनएचपीटीएल**	18.82	18.82

* 31.03.2023 को शेष सीवीपीपीपीएल को अनुषंगी मानते हुए समाप्त किया गया है।

** समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(19) भी देखें।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संव्यवहार और शेष :

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	3.81	5.11
रोजगार–पश्च हितलाभ	0.56	0.49
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.34	0.09

(करोड़ रुपये में)

केएमपी के साथ अन्य लेन–देन	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	0.48	0.14
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.01	0.09

(करोड़ रुपये में)

केएमपी के साथ अन्य लेन–देन	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
कर्मचारी ऋण के कारण प्राप्य	0.03	0.42

(iii) रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के साथ लेन–देन और शेष

(करोड़ रुपये में)

रोजगार पश्च हितलाभ योजनाएं	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से धन वापिसी का निवल)		रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के शेष से प्राप्य/ (देय)	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर्मचारी भविष्य निधि	292.78	326.68	(23.47)	(54.05)
कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	70.17	78.61	(1.47)	9.10
सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास	(15.08)	(36.74)	(17.97)	1.03
कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास	5.03	5.65	(0.40)	(0.45)
कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना न्यास	171.15	190.28	(33.53)	(41.17)
कर्मचारी अवकाश नकदीकरण न्यास	3.05	19.64	4.23	2.06

(iv) उस सरकार के साथ लेन–देन जिसका धारक कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात केंद्र सरकार)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	9.62	11.62
समूह द्वारा अदा किए गए अधीनस्थ ऋणों पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	70.16	70.73
विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड (भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सहित)	163.80	163.80
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0.02	40.75

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	30.33	25.47
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	1354.09	1183.04
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	2.92	0.45
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	4.78	0.35

(v) (क) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण) (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	5830.83	4831.02
प्राप्य – विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	2021.69	2021.69
प्राप्य (प्रोद्भूत)	84.80	54.55
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	698.17	801.97

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी प्रदान किए गए ऋण का बकाया शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
विदेशी मुद्रा ऋण	698.17	801.97

(vi) एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनियों में अल्पसंख्यक हितधारकों के साथ संव्यवहार (अर्थात मणिपुर और मध्य प्रदेश राज्य सरकार, यूपीएनईडीए और जेकेएसपीडीसी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा संपत्ति/परिसंपत्तियों/सामग्री की खरीद	6.78	109.38
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	1368.96	919.03
समूह द्वारा वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	354.30	280.36
समूह द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)	200.08	57.88
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	49.03	11.76
समूह द्वारा प्राप्त अनुदान	6.48	4.12
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवा	22.77	-

(vii) एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनियों में शेयरधारकों के साथ शेष (अर्थात मणिपुर और मध्य प्रदेश राज्य सरकार, यूपीएनईडीए और जेकेएसपीडीसी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य	518.78	219.44
देय	1.02	136.46
इक्विटी अंशदान	2985.94	1056.86

(viii) समूह पर नियंत्रण होने वाली सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संव्यवहार :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	19.92	29.35
निर्माण सामग्री, भंडार आदि की खरीद	336.03	460.36
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	812.10	618.08
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवा	2.06	0.59
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं/माल–सूची की बिक्री	80.05	72.76
बीमा दावों के प्रति समूह द्वारा दावों का निपटान/ प्राप्त राशि	61.22	105.20
समूह द्वारा अंशदान	6.00	5.00

(ix) समूह पर नियंत्रण होने वाली सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ शेष :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
सरकार जिसका इस समूह पर नियंत्रण है, द्वारा नियंत्रित निकायों के पास शेष		
▪ देय	81.81	52.73
▪ प्राप्य	284.11	208.27

Payab

(ग) संबंधित पक्षकार लेन–देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन की निबंधन एवं शर्तें

क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन–देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटरी मदों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल–पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मदों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

ख. एनएचपीटीएल को दिये गये **18.40 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **18.40 करोड़ रुपये**) के प्रतिभूतिरहित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है। प्रोद्भूत ब्याज सहित **18.82 करोड़ रुपए** (गत वर्ष **0.42 करोड़ रुपए**) की राशि के क्षति प्रावधान को वसूली में व्यापक अनिश्चितता के कारण मान्यता प्रदान की गई है।

ग. इस समूह द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

घ. 31.03.2023 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

ङ. रोजगार–पश्च लाभ योजनाओं के लिए अंशदान न्यासों से प्रतिदाय का निवल है।

(iii) सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों में आगे निवेशों के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(4) में प्रकट किया गया है।

11. प्रतिभूति के विवरणः उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई आस्तियों की अग्रणीत राशि निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां #	ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋण के प्रति गिरवी/बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9,433.58	8,160.10	9790.32	-
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	14,137.11	12,102.92	11813.08	-
3	वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य	967.59	987.93	1200.68	-
	कुल	**24,538.28**	**21,250.95**	**22804.08**	**-**

परिसंपत्तियों के समान पूल के प्रति रेहन रखी गई प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य **1866.14 करोड़ रुपए** (गत वर्ष – **शून्य**) है।

12. भारतीय लेखांकन मानक–19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर समूह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 01.06.2007 से प्रचालनशील है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **2.73 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **2.94 करोड़ रूपए**) है। योजना की निधियों का एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास में निवेश किया गया है और उक्त का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है।

(ii) **कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) :** समूह में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। समूह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **103.88 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **104.93 करोड़ रूपए**) है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएंः समूह के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार–पश्चात दायित्व हैंः

(क) योजनाओं का विवरण

(i) **भविष्य निधिः** यह समूह पूर्व–निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराता है, जो धन का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। समूह का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) **उपदानः** समूह की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 ग अंतिम आहरित मूल वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। तथापि, उपदान की ऐसी सीमा, औद्योगिक महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत से बढ़ने पर 25 प्रतिशत से बढ़ जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु

बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देना है। न्यास की निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस): समूह की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन–साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने का है। न्यास की निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता: समूह के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह: समूह की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/– रुपये मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(vi) कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना : समूह ने 01.04.2021 से ''कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना'' शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में उस कर्मचारी को और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक मदद और सहायता प्रदान करना है, बशर्ते स्थायी पूर्ण विकलांगता/मृत्यु जैसा भी मामला हो, उस समय पारित हुई हो जब कर्मचारी कंपनी की सेवा में हो। मृत्यु/स्थायी पूर्ण अक्षमता के कारण किसी कर्मचारी के समूह की सेवा से अलग होने पर, लाभार्थी कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित एक महीने के मूल वेतन और डीए के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक भुगतान और एचआरए सहित बाल शिक्षा भत्ता, आदि अन्य लाभों का हकदार है बशर्ते लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त मृत्यु/निःशक्तता लाभों की राशि को समूह के पास जमा करता है। योजना के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) भविष्य निधि : वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**3151.52**	**3190.78**	**(39.26)**
वर्तमान सेवा लागत	96.08	-	96.08
ब्याज व्यय/(आय)	247.32	247.14	0.18
कुल	**343.40**	**247.14**	**96.26**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	3.03	(3.03)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.13)	-	(0.13)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.52)	-	(0.52)
कुल	**(0.65)**	**3.03**	**(3.68)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	96.08	(96.08)
– योजना प्रतिभागी	242.92	242.92	-
हितलाभ भुगतान	(515.84)	(515.84)	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	**3221.35**	**3264.11**	**(42.76)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**3136.25**	**3144.22**	**(7.97)**
समायोजन	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	96.48	-	96.48
ब्याज व्यय/(आय)	242.82	246.47	(3.65)
कुल	**339.30**	**246.47**	**92.83**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	13.27	(13.27)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.41)	-	(0.41)
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.96)	-	(13.96)
कुल	**(14.37)**	**13.27**	**(27.64)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	96.48	(96.48)
– कर्मचारी के लिए गत वर्ष हानि हेतु अतिरिक्त अंशदान	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	275.04	275.04	-
हितलाभ भुगतान	(584.70)	(584.70)	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	**3151.52**	**3190.78**	**(39.26)**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3221.35	3151.52
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3264.11	3190.78
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(42.76)**	**(39.26)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(42.76)**	**(39.26)**

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, समूह को बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित **42.76 करोड़ रूपये** के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय लेने अथवा योजना में निम्न भावी अंशदान में हितलाभों का कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, समूह ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि समूह से।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है–

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.007%	0.007%	इससे वृद्धि	0.007%	0.007%

(ii) **उपदानः** 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**599.85**	**598.38**	**1.47**
21.11.2022 को सीवीपीपीपीएल का प्रारंभिक शेष	**3.53**	**-**	**3.53**
वर्तमान सेवा लागत	17.55	-	17.55
पूर्व सेवा लागत	18.24	-	18.24
ब्याज व्यय/(आय)	42.15	41.93	0.22
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**77.94**	**41.93**	**36.01**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	0.68	(0.68)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	2.80	-	2.80
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(13.92)	-	(13.92)
अनुभव (लाभ)/हानि	(9.81)	-	(9.81)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(20.93)**	**0.68**	**(21.61)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	10.00	(10.00)
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(84.92)	(89.25)	4.33
31.03.2023 को अंतिम शेष	**575.47**	**561.74**	**13.73**

उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जिसके तहत औद्योगिक महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर उपदान की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाती है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 31.03.2023 को वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ता 37.20 प्रतिशत है, 01.01.2027 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए **0.24 करोड़ रुपए** की उपदान सीमा पर विचार किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**631.80**	**680.11**	**(48.31)**
वर्तमान सेवा लागत	17.72	-	17.72
पूर्व सेवा लागत	33.75	-	33.75
ब्याज व्यय/(आय)	41.38	44.55	(3.17)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**92.85**	**44.55**	**48.30**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.61	(2.61)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.24	-	0.24
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(18.49)	-	(18.49)
अनुभव (लाभ)/हानि	(9.74)	-	(9.74)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(27.99)**	**2.61**	**(30.60)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	(29.33)	29.33
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(96.81)	(99.56)	2.75
31.03.2022 को अंतिम शेष	**599.85**	**598.38**	**1.47**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	575.47	599.85
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	561.74	598.38
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**13.73**	**1.47**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**13.73**	**1.47**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.44%	3.46%	इससे वृद्धि	3.66%	3.70%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.51%	0.53%	इससे कमी	0.57%	0.61%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई एवं राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**1014.92**	**1016.22**	**(1.30)**
21.11.2022 को सीवीपीपीपीएल का प्रारंभिक शेष	**1.88**	**-**	**1.88**
वर्तमान सेवा लागत	18.46	-	18.46
ब्याज व्यय/(आय)	71.13	71.15	(0.02)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**89.59**	**71.15**	**18.44**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	11.38	(11.38)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.26	-	0.26
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(51.38)	-	(51.38)
अनुभव (लाभ)/हानि	89.20	-	89.20
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**38.08**	**11.38**	**26.70**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	16.34	(16.34)
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(55.58)	(51.24)	(4.34)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**1088.89**	**1063.85**	**25.04**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**959.29**	**1054.25**	**(94.96)**
वर्तमान सेवा लागत	17.57	-	17.57
ब्याज व्यय/(आय)	62.83	69.05	(6.22)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**80.40**	**69.05**	**11.35**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	7.39	(7.39)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.08	-	0.08
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(57.99)	-	(57.99)
अनुभव (लाभ)/हानि	78.95	-	78.95
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**21.04**	**7.39**	**13.65**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	(66.74)	66.74
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(45.81)	(47.73)	1.92
31.03.2022 को अंतिम शेष	**1014.92**	**1016.22**	**(1.30)**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1088.89	1014.92
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1063.85	1016.22
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**25.04**	**(1.30)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**25.04**	**(1.30)**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन		अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.74%	6.73%	इससे वृद्धि	6.83%	6.78%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.87%	6.80%	इससे कमी	6.76%	6.76%

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्तेः** 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**5.77**	**-**	**5.77**
21.11.2022 को सीवीपीपीपीएल का प्रारंभिक शेष	**0.02**	**-**	**0.02**
वर्तमान सेवा लागत	0.26	-	0.26
ब्याज व्यय/(आय)	0.41	-	0.41
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.67**	**-**	**0.67**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.02)	-	(0.02)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.14)	-	(0.14)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.13)**	**-**	**(0.13)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.73)	-	(0.73)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**5.60**	**-**	**5.60**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	6.05	-	6.05
वर्तमान सेवा लागत	0.27	-	0.27
ब्याज व्यय/(आय)	0.40	-	0.40
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.67**	**-**	**0.67**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.26)	-	(0.26)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.15	-	0.15

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.11)**	**-**	**(0.11)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.84)	-	(0.84)
31.03.2022 को अंतिम शेष	**5.77**	**-**	**5.77**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.94%	4.76%	इससे वृद्धि	5.27%	5.10%
लगत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	5.47%	5.32%	इससे कमी	4.99%	4.85%

(अ) **अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति–चिन्ह :** 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**2.83**	**-**	**2.83**
वर्तमान सेवा लागत	0.11	-	0.11
ब्याज व्यय/(आय)	0.20	-	0.20
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.31**	**-**	**0.31**
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.05)	-	(0.05)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.17)	-	(0.17)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.23)**	**-**	**(0.23)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
अंशदान :–			
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.37)	-	(0.37)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**2.54**	**-**	**2.54**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**3.21**	**-**	**3.21**
वर्तमान सेवा लागत	0.12	-	0.12
ब्याज व्यय/(आय)	0.21	-	0.21
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.33**	**-**	**0.33**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.08)	-	(0.08)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.19)	-	(0.19)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.27)**	**-**	**(0.27)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.44)	-	(0.44)
31.03.2022 को अंतिम शेष	**2.83**	**-**	**2.83**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.01%	3.27%	इससे वृद्धि	3.11%	3.44%

(vi) कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना : 31.03.2023 व 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022–23 तथा 2021–22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2022-23	
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**25.44**	**-**	**25.44**
वर्तमान सेवा लागत	2.10	-	2.10
पिछली सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	1.56	-	1.56
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**3.66**	**-**	**3.66**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.33)	-	(0.33)
अनुभव (लाभ)/हानि	1.09	-	1.09
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.76**	**-**	**0.76**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.94)	-	(0.94)
31.03.2023 को अंतिम शेष	**28.92**	**-**	**28.92**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**-**	**-**	**-**
वर्तमान सेवा लागत	1.13	-	1.13
पिछली सेवा लागत	21.03	-	21.03
ब्याज व्यय/(आय)	-	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**22.16**	**-**	**22.16**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2021-22	
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	3.08	-	3.08
हितलाभ भुगतान	0.20	-	0.20
31.03.2023 को अंतिम शेष	**25.44**	**-**	**25.44**

लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण			परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	**31 मार्च, 2022**		**31 मार्च, 2023**	**31 मार्च, 2022**		**31 मार्च, 2023**	**31 मार्च, 2022**
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.00%	2.89%	इससे वृद्धि	2.12%	3.13%
लागत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.82%	1.43%	इससे कमी	0.78%	1.40%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2020 को
छूट दर (धारक कंपनी)	7.35%	7.00%
छूट दर (एनएचडीसी)	7.35%	7.14%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखन				
सरकारी बॉण्ड	1949.31	-	**1949.31**	59.78
कारपोरेट बॉण्ड	1051.50	-	**1051.50**	32.25
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	147.83	-	**147.83**	4.53
नकदी और नकदी समतुल्य	-	48.50	**48.50**	1.49
प्रोद्भूत ब्याज	63.47	-	**63.47**	1.95
कुल	**3212.11**	**48.50**	**3260.61**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1,904.14	-	**1,904.14**	59.73
कारपोरेट बॉण्ड	1,091.12	-	**1,091.12**	34.23
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	80.78	-	**80.78**	2.53
नकदी और नकदी समतुल्य	-	46.70	**46.70**	1.46
प्रोद्भूत ब्याज	65.26	-	**65.26**	2.05
कुल	**3,141.30**	**46.70**	**3,188.00**	**100.00**

उपदान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	561.70	561.70	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.02	**0.02**	-
कुल	-	**561.72**	**561.72**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	598.35	**598.35**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.02	**0.02**	-
कुल	-	**598.37**	**598.37**	**100.00**

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	9.64	-	**9.64**	0.91
कारपोरेट बॉण्ड	418.52	-	**418.52**	39.36
एलआईसी योजना	-	619.05	**619.05**	58.22
सावधि जमा	-	0.25	**0.25**	0.02
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.13	**0.13**	0.01
प्रोद्भूत ब्याज	15.34	0.40	**15.74**	1.48
कुल	**443.50**	**619.83**	**1063.33**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	4.82	-	**4.82**	0.47
कारपोरेट बॉण्ड	430.52	-	**430.52**	42.38
एलआईसी योजना	-	564.81	**564.81**	55.59
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.09	**0.09**	0.01
प्रोद्भूत ब्याज	15.74	-	**15.74**	1.55
कुल	**451.08**	**564.90**	**1,015.98**	**100.00**

(ङ) **जोखिम प्रदर्शनः** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह समूह कई जोखिमों का सामना करता है, जिनमें से महत्वपूर्ण ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः समूह नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करता है –

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

ख) निवेश जोखिम – वित्तपोषित योजनाओं के लिए परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर – बाद के मूल्यांकनों में छूट दर मे कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।

घ) मृत्यु तथा दिव्यांगता – मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

च) परिभाषित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदानः वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। समूह यह मानता है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित है, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु परिभाषित लाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान **149.80 करोड़ रूपये** है।

31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि **10.37 वर्ष** है (2020–2022 – 10.49 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

¼djksM+ :i, eas½

विवरण	0–1 वर्ष के मध्य	1 – 5 वर्ष के मध्य	5 – 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023	478.90	862.82	650.48	1229.15	**3221.35**
31.03.2022	499.94	885.14	604.77	1161.67	**3151.52**

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता, स्मृतिचिन्ह और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष के मध्य	2 – 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023					
उपदान	69.77	55.95	106.12	343.60	**575.44**
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	55.63	59.42	208.51	765.34	**1088.90**
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.53	0.46	0.84	3.77	**5.60**
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.36	0.28	0.47	1.41	**2.52**
एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	1.13	1.20	4.09	22.49	**28.91**
कुल	**127.42**	**117.31**	**320.03**	**1136.61**	**1701.37**
31.03.2022					
उपदान	80.41	63.48	115.38	340.55	**599.82**
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	43.59	46.22	202.81	722.31	**1,014.93**
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.57	0.52	1.00	3.69	**5.78**
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.41	0.35	0.63	1.43	**2.82**
एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	0.94	0.96	3.01	20.52	**25.43**
कुल	**125.92**	**111.53**	**322.83**	**1,088.50**	**1,648.78**

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (छुट्टी हितलाभ):** समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित छुट्टी (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन छुट्टी से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय 57.83 करोड़ रूपए (31 मार्च 2022 : 65.01 करोड़ रूपए) है।

13. **विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल–पुर्जों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:**

(करोड़ रुपए में)

क. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	18.78	23.47
	ii) अन्य विविध मामले	51.56	6.43
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल–पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	23.89	21.06

14. प्रति शेयर अर्जनः—

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रुपए) – मूल और कम किया गया	3.91	4.71
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रुपए) – मूल और कम किया गया	3.87	3.51
प्रति शेयर सम मूल्य (रुपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3930.59	4733.66
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3889.98	3523.57

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलानः

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	10045034805	10045034805

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार प्रकटीकरणः

वित्तीय वर्ष 2022–23

(करोड़ रुपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एनएचपीसी								
एनएचपीसी	72.50	30,246.10	84.74	3,593.14	67.06	(3.36)	84.76	3,589.78
अनुषंगी कंपनियां								
एनएचडीसी	5.77	2,407.35	10.03	424.66	16.77	(0.84)	10.02	423.82
एलडीएचसीएल	-	(0.22)	(2.85)	(120.67)	-	-	(2.85)	(120.67)
बीएसयूएल	0.20	81.75	(0.07)	(2.61)	-	-	(0.07)	(2.61)
एलटीएचपीएल	4.21	1,757.94	(0.01)	(0.22)	-	-	(0.01)	(0.22)
जेपीसीएल	0.73	303.22	0.01	0.28	-	-	0.01	0.28
आरएचपीटीएल	0.33	139.65	0.08	3.22	-	-	0.08	3.22
एनआरईएल	0.04	18.41	(0.04)	(1.59)	-	-	(0.04)	(1.59)
सीवीपीपीपीएल (21.11.2022 से)	4.68	1,950.51	0.10	4.23	-	-	0.10	4.23
सभी अनुषंगी कंपनियों में गैर–नियंत्रक हित	11.54	4,815.13	8.13	344.76	16.17	(0.81)	8.12	343.95

(करोड़ रुपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संयुक्त उद्यम (निवेश इक्विटी पद्धति के अनुसार)								
एनएचपीटीएल	-	-	(0.34)	(14.24)	-	-	(0.34)	(14.24)
सीवीपीपीएल	-		0.22	9.15	-	-	0.22	9.15
कुल	**100.00**	**41,719.84**	**100.00**	**4240.11**	**100.00**	**(5.01)**	**100.00**	**4,235.10**

वित्तीय वर्ष 2021–22

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
धारक कंपनी								
एनएचपीसी	75.64	28578.31	86.27	3256.01	117.49	12.76	86.36	3268.77
अनुषंगी कंपनिया								
एनएचडीसी	6.23	2353.43	7.18	270.55	(8.93)	(0.97)	7.13	269.58
एलडीएचसीएल	0.30	115.12	-	0.01	-	-	-	0.01
बीएसयूएल	0.22	82.36	(0.02)	(0.61)	-	-	(0.02)	(0.61)
एलटीएचपीएल	3.90	1475.01	(0.01)	(0.20)	-	-	(0.01)	(0.20)
जेपीसीएल	0.80	303.63	(0.01)	(0.48)	-	-	(0.01)	(0.48)
आरएचपीटीएल	0.36	136.96	(0.01)	(0.32)	-	-	(0.01)	(0.32)
सभी सहायक कंपनियों में गैर–नियंत्रित हित कंपनियों	7.58	2862.87	6.64	250.76	(8.56)	(0.93)	6.60	249.83
संयुक्त उद्यम (निवेश इक्विटी पद्धति के अनुसार)								
एनएचपीटीएल	0.04	14.24	(0.11)	(3.97)	-	-	(0.11)	(3.97)
सीवीपीपीएल	4.93	1861.92	0.07	2.58	-	-	0.07	2.58
कुल	**100.00**	**37783.85**	**100.00**	**3774.33**	**100.00**	**10.86**	**100.00**	**3785.19**

16. संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं:

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
क.	आकस्मिक देयताएं	1.27	80.61
ख.	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	0.28	5,100.29

17. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है:

(क) समूह के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली विद्यमान है। बैंक खातों और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। ऊर्जा विक्रय के लिए प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि और बकाया शेष के विवरण के साथ मांग सूचना प्रेषित करती है, जिसे ऐसे लाभार्थियों से बाद के भुगतान की प्राप्ति पर स्वचालित रूप से पुष्टि के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, लाभार्थियों और अन्य ग्राहकों के साथ सामंजस्य आमतौर पर तिमाही आधार पर स्थापित किया जाता है।

(ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 0.05 करोड़ रूपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2022 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2022 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2023 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2022 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.03.2023 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (बिल न किए गए को छोड़कर)*	3,938.02	3396.86	3963.11
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम	3300.68	1461.40	3377.99
व्यापार/अन्य देय	702.16	159.57	1023.26
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	440.43	124.95	530.24

* व्यापार प्राप्तियों में लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज और ग्राहकों से अग्रिम निवल के फलस्वरूप होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।

(ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

18. इंड एएस – 116 ''पट्टे'' के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) समूह पट्टाधारी के रूप में

(i) इंड एएस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

समूह यह आकलन करता है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। समूह अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करता है। इन पट्टों के लिए, समूह पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देता है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है।

समूह ने इंड एएस–116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:–

क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।

ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।

ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।

घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।

ङ. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 6.58 प्रतिशत है।

(ii) पट्टे की प्रकृति : समूह की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में हैं:

(क) 3–4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।

(ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।

(घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पटटों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

(iii) राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में निम्नवत माना गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	12.70	12.57
2	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	4.43	5.41

(iv) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता 5.16 करोड़ रुपये (गत वर्ष 4.31 करोड़ रुपये) है।

(v) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	20.58	15.11
पट्टा देयताओं में वृद्धि	78.82	8.96
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	3.37	1.46
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	50.82	4.95
अंतिम शेष	**51.95**	**20.58**

(ख) वित्त पट्टा – समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने दो पावर स्टेशनों नामतः निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट समूह के साथ इन पावर स्टेशनों के अपेक्षित जीवनकाल की वास्तविक अवधि के लिए एक समझौता किया है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, समूह ने 1 अप्रैल, 2019 से पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर 35 वर्षों के शेष उपयोगी जीवन के लिए टीएलडीपी-III पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न संपूर्ण विद्युत के अधिग्रहण के लिए मैसर्स पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के साथ एक पूरक पीपीए निष्पादित किया है। कंपनी द्वारा इन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है और इन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान और गैर–वर्तमान) में समूह द्वारा प्रविष्ट की गई एम्बेडेड वित्त पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भावी पट्टा रेंटल के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पट्टा प्राप्तियां शामिल हैं।

समूह ने वर्ष के दौरान **841.83 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **865.51 करोड़ रुपये**) की ''वित्त पट्टे से आय'' अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2023 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा प्राप्य की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
गैर–छूट पट्टा भुगतान प्राप्य :		
एक वर्ष से कम	1,015.26	1,028.39
एक से दो वर्ष	998.27	1,018.28
दो से तीन वर्ष	940.43	999.86
तीन से चार वर्ष	835.14	942.74
चार से पांच वर्ष	818.31	835.34
पांच से अधिक वर्ष	15,484.82	16,343.59
कुल छूट न दिए गए पट्टा भुगतान प्राप्यः	**20,092.23**	**21,168.19**
जोड़ें : छूट दिए गए गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	808.70	806.75
घटाएं : अर्जित न की गई वित्त आय	14,823.66	15,703.11
पट्टे में निवल निवेश	**6,077.26**	**6,271.83**
पट्टे में निवल निवेश में शामिल गैर–गारंटीबद्ध छूट अवशिष्ट मूल्य	24.69	21.72

वित्त पट्टों में निवल निवेश की वहनीय राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	6,271.83	6,415.55
वर्ष के दौरान वृद्धि	26.97	49.36
वर्ष के लिए वित्त पट्टे से आय	841.83	865.51
घटाएं : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,063.37	1,058.59
अंतिम शेष	**6,077.26**	**6,271.83**

(ग) प्रचालनात्मक पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

समूह ने टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन से विद्युत की बिक्री हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड और 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। जेवीवीएनएल के साथ विद्युत क्रय समझौता 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया है और पीपीए का विस्तार प्रक्रियाधीन है, हालांकि बिजली ग्राहक के लिए निर्धारित की जा रही है। पीपीए के अनुसार, ग्राहक इन पावर स्टेशनों/विद्युत परियोजनाओं के पूरे आउटपुट को टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन के मामले में परस्पर सहमत टैरिफ पर और 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना के लिए विद्युत की पूल की गई लागत के आधार पर खरीदने के लिए बाध्य है। समूह ने यह निर्धारित किया है कि ये व्यवस्थाएं प्रचालन पट्टे की प्रकृति की है।

वर्ष के दौरान **392.41 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **384.07 करोड़ रुपये**) की ''प्रचालन पट्टे से आय'' अर्जित की गई है।

निम्नलिखित तालिका विद्युत क्रय करार के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले पट्टा प्राप्य, छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा भुगतानों की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
एक वर्ष से कम	312.21	312.21
एक से दो वर्ष	312.21	312.21
दो से तीन वर्ष	312.21	312.21
तीन से चार वर्ष	320.10	312.21
चार से पांच वर्ष	320.10	320.10
पांच से अधिक वर्ष	960.30	1280.41
कुल	**2537.13**	**2849.35**

19. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस समूह की प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के प्रवाह का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों से नकदी के प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तद्नुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस समूह पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें यह कार्य करता है, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस समूह के नौ सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस समूह के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार पावर स्टेशन शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहन राशि के साथ किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इस समूह के विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित सीजीयू की वहनीय राशि की हानि को इंगित करेगा सिवाय एक संयुक्त उद्यम कंपनी में ऋण की क्षति के जिसे नीचे दिया गया है:

(i) **नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) को ऋण के संबंध में हानि :** वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ **18.40 करोड़ रुपये** का ऋण दिया था जिसे वार्षिक रूप से एनएचपीटीएल में संयोजित किया जाता है। इस पर ब्याज 30.04.2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक रूप से देय है। ऋण 31.10.2022 से शुरू होकर 20 समान अर्ध–वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था। हालाँकि, ब्याज के भुगतान में चूक और 31.10.2022 को देय किस्त के पुनर्भुगतान पर विचार करते हुए, समूह ने वसूली में मौजूद पर्याप्त अनिश्चितता के कारण वर्ष के दौरान **18.40 करोड़ रुपए** के हानि प्रावधान को मान्यता प्रदान की है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान समूह की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के संबंध में कोई हानि नहीं है।

20. जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा उपलब्ध करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि, किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, इसका समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

21. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') रोजगार के दौरान कर्मचारी हितों और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2022 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तथापि, उस तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया, जिसको यह कोड प्रभावी होगा। समूह संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगा और संहिता के प्रभावी होने के वर्ष में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।

22. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के

निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब समूह यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर–पूर्व–दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं 12 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में समूह नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014–19/2019–24 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान :

पार्बती-II तथा पार्बती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी :

i. रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।

ii. ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।

iii. शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर–वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानो को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :

मेगा तथा निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधानः

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान – अन्यः इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :–

(i) संभावित बहिर्प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

(ii) समूह द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

(iii) वर्ष 2014–19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।

(iv) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

(v) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

(vi) कतिपय ब्याज धारण करने वाले वित्तीय लिखतों जिसमे उन पर प्रोद्भूत लेकिन प्राप्त नहीं किया जा सका ब्याज भी शामिल है, में कर्मचारी भविष्य निधि न्यास द्वारा किए गए निवेश हानि के लिए प्रावधान।

(vii) प्रबंधन अनुमान के अनुसार कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) की लागत के लिए प्रावधान।

23. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटन :

समूह प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगा हुआ है। समूह द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा के लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु समूह को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए अथवा किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व–निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सुबनसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से 30.09.2019 तक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए मामलों के कारण बाधित था। तथापि, परियोजना में तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी थे।

31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में, माननीय एनजीटी ने माना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन में पक्षपात करने वाले आवेदकों की याचिकाओं में कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, एनजीटी के समक्ष लंबित सुबनसिरी लोअर परियोजना के विरुद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया है। अक्टूबर, 2019 से परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 30 सितंबर, 2019 तक व्यय की गई 2735.61 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 2735.61 करोड़ रूपये तक) की ऋण लागत, 1427.67 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष तक 1427.67 करोड़ रूपए) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, 322.60 करोड़ रूपए की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक 322.60 करोड़ रूपये) को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम उस स्थिति में टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसी लागतों को शामिल करने की अनुमति देता है, जब निर्माण क्रियाकलापों की समाप्ति करना परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर था। तदनुसार, और दर विनियमित क्रियाकलापों पर मार्गदर्शन टिप्पणी और इंड एएस 114 के अनुरूप, उपरोक्त व्यय को विनियामक स्थगन खाता (डेबिट) शेष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान फिर से शुरू कर दिया गया है, 01.10.2019 से व्यय की गई ऋण लागत, कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) को निर्माण पर आरोप्य व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए और उस वर्ष तक, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में माने गए कुल विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31.03.2023 तक
ऋण लागत	2509.67
कर्मचारी हितलाभ व्यय	628.73
मूल्यह्रास और परिशोधन	54.86
अन्य व्यय	562.83
अन्य आय	(285.50)
कुल	**3470.59**

वर्ष 2022–23 के दौरान सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में किसी भी विनियामक आस्थगन लेखा शेष को मान्यता नहीं दी गई है।

प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार, परियोजना की प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत शामिल **13947.17 करोड़ रुपए** (**पिछले वर्ष 10479.22 करोड़ रुपए**) की अग्रणीत राशि में कोई हानि नहीं है, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष शामिल है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 40 वर्षों में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019–2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014–19), उधार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार रुकावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबनसिरी लोअर परियोजना में मान्यताप्राप्त आरडीए शेष की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिमः** विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत और आवश्यक लाभ को कवर करने वाली दर पर दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई।

ख) **विनियामक जोखिमः** टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक समूह पर आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी के उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे विनियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

आईडीए वेतनमान के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों सहित सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा **0.10 करोड़ रुपये** से बढ़ाकर **0.20 करोड़ रुपये** किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014–19, सीईआरसी (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पठित में यह प्रावधान है कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशन के वेतन संशोधन के कारण केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों और सीआईएसएफ कार्मिकों सहित कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेय किया था। वर्ष 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम जिसके साथ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 15 मार्च, 2019 का शुद्धिपत्र पढ़ा जाए, में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक वेतन/उपदान सीमा के संशोधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक 679.90 करोड़ रुपए की राशि को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

टैरिफ अवधि 2014–19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन के आरडीए शेषों को इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि सीईआरसी उसके अनुसरण में टैरिफ में उसी की अनुमति देगा, जिसकी वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए पहले अनुमति दी गई थी, टैरिफ विनियम 2019–24 वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की विशिष्ट रूप से वसूली करने की अनुमति देता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से तीसरे पीआरसी के कारण अतिरिक्त व्यय को संबंधित व्यापार प्राप्तियों के साथ राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान, इस संबंध में सीईआरसी के पास दायर याचिका के विरुद्ध प्राप्त टैरिफ आदेश के अनुसार लाभार्थियों को यह शेष राशि बिल की गई है। तदनुसार, विनियामक स्थगन खाता शेष के अंतर्गत बकाया राशि को वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है। वित्तीय विवरण में 31.03.2023 तक पहचाने गए और समायोजित किए गए कुल आरडीए डेबिट शेष का सारांश इस प्रकार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	**विवरण**	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष**
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	495.41
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (–)	(495.41)
घ	**लाभ एवं हानि और अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)**	**(495.41)**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	-

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता विनियामक जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आम तौर पर सीईआरसी द्वारा विवेकसम्मत जांच करने के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती विवेकसम्मत जांच के बाद व्यय की अनुमति न देने से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। समूह की वर्तमान सीईआरसी विनियम 2019–24 की अवधि के दौरान तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वहनीय राशि को वसूल करने की आशा है।

(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 के अनुसार, किसी विद्युत की पूंजीगत लागत पर मूल्यह्रास टैरिफ के संघटकों में से एक है। मूल्यह्रास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 में दी गई दरों के

अनुसार बुक में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष मूल्यह्रास को शेष 23/28 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि मूल्यह्रास के रूप में पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, जलविद्युत पावर स्टेशन का प्रचालनात्मक जीवनकाल 40 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, उत्पादक समूह द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विपथन में किया जा सके, बशर्ते विपथन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किया हुआ टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों, जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 17 मई, 2018), समूह ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत ह्रास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 40 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत ह्रास प्रभारित कर किशनगंगा विद्युत केंद्र के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से पावर स्टेशन की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल्यह्रास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित विद्युत केंद्र के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर मूल्यह्रास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित मूल्यह्रास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के शेष अवधि के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों मे टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, टैरिफ विनियम, 2019–24 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित मूल्यह्रास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया मूल्यह्रास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान सृजित आरडीए शेषों की वसूली पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल अर्थात 28 वर्षों की अवधि के दौरान में टैरिफ के संघटक के रूप में उच्च मूल्यह्रास के माध्यम से लाभार्थियों से की जाएगी ।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई हैः

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	761.46
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	199.36
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/एकत्रित राशि (–)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**199.36**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**960.82**

समूह का किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत क्रय करार है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को पहले ही सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अतः समूह किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करता है।

हालांकि, खाते में ह्रास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथा अनुमति दी गई पावर स्टेशन की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के अध्यधीन है। निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

भारतीय लेखांकन मानक 23 – "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 – "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13कक – "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तद्नुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	1.55
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	1.67
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित (–)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**1.67**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**3.22**

2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए भी जारी रखी गई है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता **मांग जोखिम** के अध्यधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तद्नुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए

आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता हो बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तद्नुसार, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को वर्गीकृत किया है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, पूर्व के टैरिफ विनियम 2014–19 में यथा प्रदत्त वर्तमान कर और आस्थगित कर की वसूली के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेषों का संचलन :

(i) टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	1665.63
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित राशि (+)	(56.08)
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख+ग)**	**(56.08)**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**1609.55**

(ii) आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन (2014–19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि के संबंध में)

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	854.09
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	1.18
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित/प्रत्यावर्तित की गई राशि (–)	(217.16)
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख+ग)**	**(215.98)**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**638.11**

(iii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट के कारण विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	2016.72
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	125.59
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ एकत्रित/प्रत्यावर्तित की गई राशि (–)	(658.36)
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख+ग)**	**(532.77)**
ङ	**31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)**	**1483.95**

टैरिफ अवधि 2004–2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यताप्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता/देयता तथा टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर और मैट क्रेडिट की मान्यता से संबंधित समायोजन समूह के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यधीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसी शेष राशि की वसूली की अनुमति देता है।

24. (i) उड़ी-II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो विद्युत उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उसे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2023 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्रतिदाय की प्राप्त की गई निवल राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
व्यापार बाधा हानि	202.98	74.01	-	128.97*	128.97*

* टिप्पणी 34 के पैरा 3(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **शून्य** है (अद्यतन तिथि को संचयी **शून्य करोड़ रूपये** हैं)।

(ii) सेवा-II पावर स्टेशन, जहां 25 सितंबर, 2020 को भू–स्खलन के कारण हेड रेस टनल (एचआरटी) क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतियों को ठीक कर लिया गया है और वर्तमान में पावर स्टेशन प्रचालनरत है। पावर स्टेशन की परिसंपत्ति और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम नीति के तहत कवर की जाती है। 31.03.2023 को बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	51.92	25.00	11.92	15.00	39.07
व्यापार बाधा हानि	204.00*	165.00	-	39.00	63.74**
कुल	**255.92**	**190.00**	**11.92**	**54.00**	**102.81**

* बीमा पॉलिसी के अनुसार **36.00 करोड़ रुपए** की अतिरिक्त प्रीमियम राशि का निवल।

** नोट संख्या 34 की टिप्पणी 2 (घ) में आकस्मिक संपत्ति में शामिल।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **42.14 करोड़ रुपए** (अद्यतन तिथि को संचित **204.00 करोड़ रुपए**) है।

(iii) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशनों के संबंध में बीमा दावे की स्थिति (उपरोक्त पैरा 24(i) और (ii) में किए) उड़ी-II और सेवा-II के प्रमुख दावों के अलावा प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं।

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	70.20	6.87	22.01	41.32	38.69
कुल	**70.20**	**6.87**	**22.01**	**41.32**	**38.69**

25. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने **बरसर परियोजना** को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **226.94 करोड़ रूपये** (पिछले वर्ष **226.78 करोड़ रूपए**) का व्यय किया जा चुका है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।

26. कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल-II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.11.2015 के निर्देश के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य सरकार की सहमति के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17.08.2021 को माननीय न्यायालय में एक शपथ–पत्र दायर किया है कि 7 जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए, जिसमें कोटली भेल 1ए, 1बी और 2 परियोजनाएं शामिल नहीं हैं, इन परियोजनाओं के परिणाम के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक, 31.03.2023 तक **279.75 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष 278.11 करोड़ रुपए), **42.95 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **42.95 करोड़ रुपए**) और **51.42 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **51.42 करोड़ रुपए**) के व्यय को क्रमशः कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल-II परियोजनाओं के संबंध में चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे ले जाया गया है। तथापि, पर्याप्त एहतियात के तौर पर, 31.03.2023 तक कुल **374.12 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **372.48 करोड़ रुपए**) की इन राशियों का प्रावधान खातों की बहियों में किया गया है।

27. तवांग चरण-I और चरण-II जलविद्युत परियोजनाओं पर किए गए व्यय **237.15 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **237.15 करोड़ रुपए**) को पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में आगे बढ़ाया गया है। तथापि, स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और इन परियोजनाओं से जुड़ी समग्र अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं में 31.03.2023 तक किए गए व्यय के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में **237.15 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **237.15 करोड़ रुपए**) की राशि का प्रावधान लेखाओं में किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपेक्षित शर्तों की पूर्ति के अधीन नीपको को इन परियोजनाओं को सौंपने की प्रक्रिया में है।

28. क) धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, **35.91 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **35.70 करोड़ रूपए**) की राशि का 31.03.2023 तक हुए व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। हालांकि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रूप में खाता बुक में **35.91 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **35.70 करोड़ रूपए**) का प्रावधान किया गया है।

(ख) गोरीगंगा-IIIक परियोजना की पूंजीगत लागत और अनुकूल टैरिफ को कम करने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। उस पर निर्णयों के लंबित रहने तक, 31.03.2023 तक **46.37 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **46.37 करोड़ रुपये**) के किए गए व्यय की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रुप में, लेखाबहियों में **46.37 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **46.37 करोड़ रुपये**) का प्रावधान किया गया है।

29. **मुद्रीकरण/प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण :**

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मुद्रीकरण/प्रतिभूतीकरण :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, समूह ने नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए उड़ी-I पावर स्टेशन की मुक्त नकदी (इक्विटी पर रिटर्न, माध्यमिक ऊर्जा से राजस्व और क्षमता प्रोत्साहन शामिल) के मुद्रीकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ **1876.37 करोड़ रुपए** की राशि के लिए एक समझौता किया है जिसका पुनर्भुगतान बैंक को 10 वर्षों की अवधि में निम्नलिखित तरीके किया जाना होगा :

(क) **नियत घटक : 22.42 करोड़ रुपए** प्रति माह/7.65 प्रतिशत की दर से छूट की दर पर (एसबीआई का 3एम एमसीएलआर प्लस 0.05 प्रतिशत का विस्तार). संवितरण की तारीख से पहले रीसेट की तारीख तक लागू छूट दर संवितरण की तारीख

से एक दिन पहले बेंचमार्क दर पर आधारित दर होगी और बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत की जाएगी। ऐसा पहला रीसेट 1 अप्रैल 2023 को और उसके बाद हर तीन महीने में होगा।

(ख) **परिवर्तनशील घटक :** विद्युत स्टेशन की माध्यमिक ऊर्जा के कारण राजस्व का 5 प्रतिशत, वार्षिक रूप से संदेय।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मुद्रीकरण/प्रतिभूतीकरण :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, समूह ने नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत स्टेशन **1016.39 करोड़ रुपए** की राशि के लिए चमेरा-I पावर स्टेशन के इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जो बैंक को निम्नलिखित तरीके से 10 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान योग्य है :

(क) **नियत घटक : 10.90 करोड़ रुपए** प्रति माह / 5.24 प्रतिशत छूट दर (31–जनवरी–2023 को 3 महीने का टी–बिल 3.71 प्रतिशत जिसमें 1.53 प्रतिशत का विस्तार शामिल है)। बेंचमार्क दर के आधार पर छूट दर हर तीन महीने में पुनः निर्धारित की जाएगी। पहला ऐसा पुनःनिर्धारण अप्रैल 2023 के पहले दिन और उसके बाद हर तीन महीने में किया जाएगा।

(ख) **परिवर्तनीय घटक :** पावर स्टेशन की माध्यमिक ऊर्जा के कारण राजस्व का 5 प्रतिशत, वार्षिक रूप से संदेय।

प्रतिभूतिकरण पर प्राप्त राशि को प्रारंभ में इंड एएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर एक वित्तीय देयता (उधार) के रूप में मान्यता दी गई है। प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार वित्त लागत के तहत ब्याज व्यय को मान्यता दी गई है।

30. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षताएं) विनियम 2015 की अनुसूची-V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन :

(क) ऋणों के रुप में ऋण एवं अग्रिम

(i) संयुक्त उद्यम कंपनियां :

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	निम्नलिखित को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2023	31.03.2022	2022–23	2021–22
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) (एनएचपीटीएल) लि.*	18.82	18.82	18.82	18.82

* एनएचपीटीएल को ऋण के प्रति क्षति प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है **[(देखें टिप्पणी 34(19)]**

(ii) उन फर्मों और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

(ख) एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष– शून्य)

31. जलविद्युत उत्पादक पावर स्टेशनों के संबंध में कार्बन क्रेडिट प्रमाण–पत्रों के मात्रात्मक ब्यौरे :

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रारंभिक शेष	2436839	6930932
2	वर्ष के दौरान जारी/उत्पन्न	-	138595
3	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए	-	4632688
4	अंतिम शेष	2436839	2436839
5	प्रमाणीकरण के अधीन	28304999	-

32. इंड एएस 103 "व्यापार संयोजन" के अनुसार प्रकटन :

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अधिग्रहण

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) का अधिग्रहण : 21 नवंबर 2022 को धारक कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) के वोटिंग शेयरों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जो भारत में स्थित एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है। विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में, सीवीपीपीपीएल को एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) (49 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) (2 प्रतिशत) के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और वर्तमान में यह संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 से पहले, संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार सीवीपीपीपीएल में कंपनी का निवेश 49 प्रतिशत था और सीवीपीपीपीएल के खातों को इक्विटी पद्धति का उपयोग करके एक संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित किया गया था। वित्तीय वर्ष

2021–22 के दौरान, कंपनी ने अधिग्रहणकर्ता में पीटीसी की 2 प्रतिशत इक्विटी हासिल की थी। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्रवर्तक के करार में लंबित संशोधन के कारण, संयुक्त उद्यम करार के निबंधन के अनुसार एक अन्य संयुक्त उद्यम, अर्थात जेकेएसपीडीसीएल के साथ नियंत्रण का संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाने के कारण सीवीपीपीपीएल को एक संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, 21.11.2022 को एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसीएल के बीच सीवीपीपीपीएल के पूरक प्रवर्तक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और परिणामस्वरूप इसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तदनुसार, इस तारीख को इंड एएस 103 ''व्यवसाय संयोजन'' के अंतर्गत अधिग्रहण की तारीख माना गया है।

(i) अर्जन के लिए प्राथमिक कारण :

क) कंपनी का व्यवसाय विकास

ख) शीघ्र निर्णय लेने के परिणामस्वरूप वर्तमान में क्रियान्वित परियोजनाओं का तेजी से विकास हो रहा है।

ग) घरेलू बाजार में धारक कंपनी की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग के कारण, अधिग्रहणित कंपनी के लिए सस्ती दरों पर ऋणदाताओं से धन प्राप्त करना आसान है।

(ii) (क) अभिचिन्हित योग्य अधिग्रहित परिसंपत्तियां तथा स्वीकृत देयताएंः निम्नलिखित तालिका में अधिग्रहण की तारीख अधिग्रहीत परिसंपत्तियों तथा स्वीकृत देयताओं की मान्यता राशि को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	राशि
परिसंपत्ति	
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	93.28
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2503.81
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	801.34
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित	1.19
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	586.93
नकदी और नकदी तुल्य	54.63
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	1112.71
नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	0.44
कुल परिसंपत्तियां (क)	**5154.33**
देयताएं	
ऋण	370.64
अन्य वित्तीय देयताएं	227.80
प्रावधान	133.97
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	667.26
अन्य वर्तमान देयताएं	7.13
कुल देयताएं (ख)	**1406.80**
अभिचिन्हित योग्य निवल परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ग = (क–ख))	**3747.52**
घटाएं : अभिचिन्हित योग्य निवल परिसंपत्तियों का गैर–नियंत्रक हित (एनसीआई) (नीचे 3(घ) देखें)	**1762.12**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अधिग्रहण किए जाने वाले के शेयरों में निवेश का मूल्य (ङ = (ग–घ))	**1985.40**

(ख) अधिग्रहण की तारीख तक सीवीपीपीपीएल की बहियों में कोई व्यापार प्राप्य नहीं था, क्योंकि कंपनी की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ग) अधिग्रहण की तारीख पर, समूह ने अधिग्रहित कंपनी की **143.38 करोड़ रुपए** की आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया है।

(iii) समूह ने अधिग्रहण की तारीख पर सीवीपीपीपीएल की निवल पहचानयोग्य आस्तियों में अपने हित के आनुपातिक हिस्से पर सीवीपीपीपीएल में गैर–नियंत्रित हित को मापन के लिए चुना :

(करोड़ रुपए में)

अभिचिन्हित योग्य निवल परिसंपत्तियों का गैर–नियंत्रक हित	राशि
अभिचिन्हित योग्य निवल परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**3747.52**
घटाएं : एनसीआई का आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि	32.00
शेयर आवेदन राशि के अतिरिक्त निवल परिसंपत्तियां	**3715.52**
एनसीआई की प्रतिशत धारिता	46.56%
शेयर आवेदन राशि के अतिरिक्त निवल परिसंपत्तियों में एनसीआई का अंश	1730.12
एनसीआई की शेयर आवेदन राशि	32.00
अभिचिन्हित योग्य निवल परिसंपत्तियों का गैर–नियंत्रक हित	**1,762.12**

मूल्यांकन में उपयोग किए गए अप्राप्य इनपुट के कारण मूल्यांकन पर उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 के रूप में विचार किया जाता है।

(iv) अर्जन संबंधित लागतें : इसमें कोई अर्जन–संबंधी लागत शामिल नहीं है।

(v) राजस्व और लाभ योगदान

नियंत्रण अधिग्रहण की तारीख से सीवीपीपीपीएल ने समूह के समेकित राजस्व और लाभ में क्रमशः **19.63 करोड़ रुपए** और **8.02 करोड़ रुपए** का योगदान दिया है।

यदि नियंत्रण 1 अप्रैल 2022 को अंतरित किया गया हैं, समूह के राजस्व और लाभ में सीवीपीपीपीएल का योगदान क्रमशः **53.46 करोड़ रुपए** और **25.15 करोड़ रुपए** होता।

(vi) संयुक्त उद्यम में ब्याज के उचित मूल्यांकन पर लाभ के संबंध में प्रकटीकरण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	राशि
सीवीपीपीपीएल में पूर्व में धारित हित का उचित मूल्य	1985.40
इक्विटी हित का उचित मूल्य में पुनर्मापन	1985.40
लाभ और हानि में मान्यताप्रदत्त राशि	शून्य

सीवीपीपीपीएल के वित्तीय विवरण में पहचानी गई निवल आस्तियां एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की उचित मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार है।

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अधिग्रहण नहीं हुआ।

33. **इंड एएस 28 के अंतर्गत इक्विटी पद्धति का प्रयोगकरने के लिए हिसाब में लिए गए ब्याज से संबंधित प्रकटीकरण :** वर्ष के दौरान कंपनी ने इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निवेशों को हिसाब में लिया है :

(क) **राष्ट्रीय हाई पावर टेस्ट लबोरैटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) :** समूह के पास एनएचपीटीएल की 20 प्रतिशत इक्विटी है। इसके अतिरिक्त, समूह ने संयुक्त उद्यम कंपनी को **18.40 करोड़ रुपए** का प्रतिभूतिरहित ऋण दिया था। वर्ष की शुरुआत में, संयुक्त उद्यम में ब्याज का मूल्य **32.64 करोड़ रुपए** था जिसमें इक्विटी पद्यति (**14.24 करोड़**) का उपयोग करने के लिए निवेश और **18.40 करोड़ रुपए** का प्रतिभूतिरहित ऋण शामिल था। चालू वर्ष के लिए, एनएचपीटीएल ने **111.29 करोड़ रुपए** का घाटा दर्ज किया है, जिसमें से समूह का नुकसान **22.26 करोड़ रुपए** है। इसके अलावा, उक्त ऋण पुनर्भुगतान में चूक और वसूली में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के कारण चालू वर्ष के दौरान प्रदान किया गया है। तदनुसार, चूंकि 31 मार्च, 2023 को समूह के नुकसान का हिस्सा संयुक्त उद्यम में उसके हित से अधिक है, समूह ने संयुक्त उद्यम में अपने नुकसान के हिस्से को निवेश के वहन मूल्य में अपने हित की सीमा तक, अर्थात **14.24 करोड़ रुपए** के रूप में मान्यता प्रदान की है।

(ख) **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) में निवेश :** चूंकि सीवीपीपीपीएल में निवेश को 20 नवंबर, 2022 तक एक संयुक्त उद्यम माना गया है, तदनुसार इसे 20 नवंबर, 2022 तक इक्विटी पद्धति का उपयोग करके समेकित किया गया है। चालू वर्ष के लिए 20.11.2022 तक, सीवीपीपीपीएल ने **17.13 करोड़ रुपए** का लाभ दर्ज किया है, जिसमें से समूह के लाभ की हिस्सेदारी **9.15 करोड़ रुपए** को ''इक्विटी पद्यति'' का उपयोग करके संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ के भाग के अंतर्गत माना गया है (समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 2.7.2 और टिप्पणी 34(32) का भी अवलोकन करें)।

34. बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

31 मार्च, 2023 को यथास्थिति बंद की गई कंपनियों के संबंध में बकाया देय/प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2023 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध,
1	किशन सिंह एण्ड कंपनी प्रा. लि.	प्राप्य	0.22	संविदाकार
2	आरएमएस इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
3	वर्चुअल इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी	देय	0.01	संविदाकार
4	ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी लि.	देय	0.01	संविदाकार
5	आर के बिल्डिंग सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	देय	0.06	संविदाकार
6	रोल्टामैक्स पोर्ट – टेक प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
7	केआरसीसी इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि.	देय	0.35	संविदाकार

टिप्पणी : 17 बंद की गई कंपनियों पर बकाया शेष, जिनकी पृथक प्राप्य/देय राशि **50,000/– रुपए** से कम है। ऐसे सभी वसूली योग्य मामलों का योग **शून्य रुपए** है और ऐसे सभी देय मामलों का योग **186,507/– रुपए** है।

गत वर्ष के दौरान बंद कंपनियों से प्राप्य/देय बकायों के संबंध में जानकारी निम्नलिखित थी :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध
1	किशन सिंह एण्ड कंपनी प्रा. लि.	प्राप्य	0.22	संविदाकार
2	आरएमएस इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
3	टोटल सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.02	संविदाकार
4	आर के बिल्डिंग सॉल्युशन्स प्रा. लि.	देय	0.13	संविदाकार
5	रोल्टामैक्स पोर्ट – टेक प्रा. लि.	देय	0.02	संविदाकार
6	रॉयल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	संविदाकार

टिप्पणी : 9 बंद की गई कंपनियों पर बकाया शेष, जिनकी पृथक प्राप्य/देय राशि **50,000/– रुपए** से कम है। ऐसे सभी वसूली योग्य मामलों का योग **15,770/–** रुपए है और ऐसे सभी देय मामलों का योग **81,643/–** रुपए है।

31 मार्च, 2023 को यथास्थिति बंद की गई कंपनियों द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	बंद की गई कंपनियों के साथ संव्यवहार की प्रकृति
1	यूनीकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड	1,20,100	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर
2	दीपलोक सिक्योरीटीज लि.	50,000	
3	वाइटालिंक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	6,393	
4	ट्रेडशेयर फाइनेन्षियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	2,000	
5	हर्ष स्टॉक पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड	1,426	
6	ओमजी स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	500	
7	विजार्ड इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
8	जेनिथ इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
9	सिद्धा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	301	
10	हरेष एक्स्ट्रूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	250	
11	ड्रीम्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	
12	राइजिंग स्टार रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	40	
13	सुसी एण्ड रोसा रियल एस्टेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	13	
14	सान्वी फाइनेन्स कन्सलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड	2	
15	कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	1	

गत वर्ष के दौरान प्रकट किए गए बंद की गई कंपनियों द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के बारे में जानकारी निम्नवत है :

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	बंद की गई कंपनियों के साथ संव्यवहार की प्रकृति
1	क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	7000	बंद की गई कंपनी द्वारा धारित एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर
2	वाइटालिंक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	6393	
3	सुयश मर्कैंटाइल प्राइवेट लिमिटेड	4500	
4	ट्रेडशेयर फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	2000	
5	हर्ष स्टॉक पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड	1426	
6	ओमजी स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड	500	
7	विजार्ड इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
8	जेनिथ इन्श्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	320	
9	सिद्धा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	301	
10	हरेष एक्स्ट्रूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	250	
11	सुशील सिक्योरीटीज प्राइवेट लिमिटेड	100	
12	जीएसबी शेयर कस्टूडियन सर्विसेस लिमिटेड	100	
13	जीवीजे प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	59	
14	ड्रीम्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	
15	राइजिंग स्टार रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	40	
16	सुसी एण्ड रोसा रियल एस्टेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	13	
17	सान्वी फाइनेन्स कन्सलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड	2	
18	कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	1	

35. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव : वर्ष के दौरान, लेखांकन नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

(i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट/सीईआर/वीईआर की मान्यता पर लेखांकन नीति शामिल की गई है। उपरोक्त परिवर्तन के कारण लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) वर्ष के दौरान आवासीय कार्यालय में कर्मचारियों के लिए फर्नीचर/साज–सज्जा उपलब्ध कराने की नई योजना के कार्यान्वयन के कारण आवासीय कार्यालय में कर्मचारियों को प्रदान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास को संशोधित किया गया है। उपरोक्त परिवर्तन के कारण लाभ पर प्रभाव नगण्य है।

36. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण

(i) समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से") जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यवर्ती कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थी के ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य कोई कार्रवाई करेगी।

(ii) समूह को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त–पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(iii) समूह को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

(iv) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आमेलन की किसी योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है। तथापि, एलटीएचपीएल और जेपीसीएल (कंपनी की अनुषंगी कंपनियां) की जारी आमेलन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34.1.1 और 34.1.2 में दी गई है।

(v) समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान समूह पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है अथवा लंबित नहीं है।

(viii) समूह द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में दाखिल की गई तिमाही विवरणी/चालू परिसंपत्तियों का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

(ix) समूह के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो उन लेखाओं की बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया है।

37. जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः कंपनीबद्ध/पुनः कथित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रूपा देब) कंपनी सचिव	**(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)** निदेशक (वित्त) डीआईएन : 08645380	**(राजीव कुमार विश्नोई)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 006591एन/एन500377	**कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 302137ई	**कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 003824एन
(भुवनेश महेश्वरी) भागीदार सदस्यता सं. 088155	**(एस.सी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 012705	**(मनुश्री बिंदल)** भागीदार सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 29 मई, 2023

फार्म एओसी–1

(कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा(3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कपनियों अथवा एसोसिएटस कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग "क" – सहायक कंपनियां

(करोड़ रुपये में)

1	क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7	8
2	सहायक कंपनी का नाम	एनएचडीसी लिमिटेड	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ***	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड #
3	वह तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	01-08-2000	23-10-2009	02-02-2015	09-10-2019	31-03-2021	01-06-2021	16-02-2022	13-06-2011
4	संबंधित सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	धारक कंपनी के समान (01.04.2022 – 31.03.2023)	धारक कंपनी के समान (01.04.2022 – 31.03.2023)	धारक कंपनी के समान (01.04.2022 – 31.03.2023)	धारक कंपनी के समान (01.04.2022 – 31.03.2023)	धारक कंपनी के समान (01.04.2022 – 31.03.2023)	धारक कंपनी के समान (01.04.2022 – 31.03.2023)	(16.02.2022-31.03.2023)	(21.11.2022-31.03.2023)
5	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	1,962.58	141.09	99.17	1,724.41	281.49	270.00	20.00	3,692.39
7	आरक्षित तथा अधिशेष	3,730.69	(141.39)	(5.14)	40.24	22.96	105.89	(1.59)	303.84
8	कुल परिसंपत्तियां	7,650.78	1.06	277.75	2,500.06	647.05	415.14	18.43	5,384.52
9	कुल देयताएं	1,957.51	1.36	183.72	735.42	342.60	39.25	0.01	1,388.28
10	निवेश शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	कारोबार	1,318.41	-	3.81	-	-	-	-	-
12	कराधान से पूर्व लाभ *	1,168.43	(161.28)	(3.93)	(0.22)	0.28	8.59	(1.91)	38.60
13	कराधान हेतु प्रावधान **	394.00	-	(0.93)	-	-	2.27	(0.33)	13.45
14	कराधान पश्चात लाभ	774.43	(161.28)	(3.00)	(0.22)	0.28	6.32	(1.59)	25.15
15	प्रस्तावित लाभांश	166.82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	51.08%	74.82%	86.94%	100.00%	100.00%	51.00%	100.00%	52.74%

* विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आय सहित।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर कर शामिल है।

*** एनएचपीसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 16.02.2022 को रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का गठन किया है। चालू वित्तीय वर्ष में एनआरईएल का पहला वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) में आधिपत्यपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर ली है। सीवीपीपीपीएल के संबंध में पूरक प्रवर्तक करार पर दिनांक 21.11.2022 को एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल का नियंत्रण हासिल कर लिया है। तदनुसार, सीवीपीपीपीएल जिसे 20 नवंबर, 2022 तक एक संयुक्त उद्यम माना जाता था, को अब 31 मार्च 2023 तक एक अनुषंगी कंपनी माना जाता है।

टिप्पणियां :

1.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1)	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
		2)	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
		3)	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
		4)	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
		5)	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
		6)	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
		7)	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड
2.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया अथवा बेचा गया		शून्य

भाग "ख " – संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

(करोड़ रुपये में)

	संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड (20 नवम्बर 2022 तक)	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तिथि	**31 मार्च, 2023**	**31 मार्च, 2022***
2	वह तिथि जब से संयुक्त उद्यम को अधिग्रहित किया गया	13.06.2011	22.05.2009
3	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर**		
	संख्या	1,94,73,91,286	3,04,00,000
	संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि	1,947.39	30.40
	धारिता प्रतिशत की सीमा	53.44%	20%
4	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है, का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
5	संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
6	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरधारिता पर आरोप्य निवल मूल्य	1,924.29	14.24
7	**वर्ष हेतु लाभ/(हानि)**		
i	समेकन में मानी गई	9.15	(14.24)
ii	समेकन में नहीं मानी गई	लागू नहीं	(8.02)

* प्रबंधन द्वारा नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमाणित खातों को 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समूह समेकन हेतु माना गया है।

टिप्पणियां:

1. संयुक्त उद्यम के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है — शून्य
2. संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया अथवा बिक्री की गई है — शून्य

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रूपा देब)	**(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)**	**(राजीव कुमार विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08534217

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी	**कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी**	**कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377	एफआरएन : 302137ई	एफआरएन : 003824एन
(भुवनेश महेश्वरी)	**(एस.सी. चतुर्वेदी)**	**(मनुश्री बिंदल)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 012705	सदस्यता सं. 517316

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 29 मई, 2023

टिप्पणियां

४०० मेगावाट पार्बती-II परियोजना (हिमाचल प्रदेश) - बांध

2880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना साइट - अरुणाचल प्रदेश

एनएचपीसी
NHPC

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

निगम मुख्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003
सीआईएनःL40101HR1975GOI032564, वेबसाइटः www.nhpcindia.com

Follow NHPC at :

@nhpcltd @NHPCIndiaLimited @nhpclimited @nhpclimited @NHPCLimited1